अर्थव्यवस्था की स्थिति : एक नजर में

01
अध्याय

वैश्विक बृहत आर्थिक स्थितियां इस समय अशांत और अनिश्चित माहौल में हैं। वैश्विक उत्पादन का कमजोर विकास इसकी विशेषता है। यह स्थिति वस्तुओं के गिरते मूल्य के कारण और भी बिगड़ गई है, इसमें सबसे अधिक स्पष्ट कच्चे तेल की कीमतों में हुई गिरावट है; वित्तीय बाजारों (इक्विटी बाजारों में अधिक) में खलबली; और अस्थिर विनिमय दरें जो वैश्विक निवेशकों के जोखिम लेने से बचने की प्रवृत्ति दर्शाती हैं, इस तरह अनेक और विशेषकर, वस्तु निर्यातक अर्थव्यस्थाओं पर काफी दबाव डाल देती हैं। इन कठिन और अनिश्चित परिस्थितियों में भी, भारत की विकास गाथा मुख्यत: सकारात्मक रही है। ऐसा घरेलू खपत की शक्ति पर हुआ है और देश ने 2014-15 की तरह ही 2015-16 में भी आर्थिक विकास की मजबूत और स्थिर रफ्तार बनाए रखी है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू लेखा शेष जैसे अन्य बृहत आर्थिक मापदंडों में सुधार के स्पष्ट संकेत देखे गए हैं। थोक मूल्य संबंधी मुद्रास्फीति एक वर्ष से अधिक समय से नकारात्मक परिधि में है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपभोक्ता मूल्य संबंधी मुद्रास्फीति कुछ वर्ष पहले के स्तर से गिरकर लगभग आधी हो गई है। लेकिन, उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यपगत धीमें विकास का भारत के निर्यात मूल्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। चूंकि कच्चे तेल, जिसके लिए हमारा देश आयातों पर बहुत अधिक निर्भर है, की कम कीमतों के कारण ही मूलत: आयातों में भी गिरावट हुई है, इसलिए व्यापार और चालू लेखा घाटा कम स्तर पर बने हुए हैं। लगातार दो वर्ष तक सामान्य से कम वर्षा होने के कारण कृषि विकास मंद पड़ गया है। बचत और निवेश दरों में मुश्किल से पुनरूद्धार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विश्व की अधिकतर अन्य मुद्राओं की तरह, अमरीकी डालर के मुकाबले रुपए का मूल्यह्रास हुआ है, भले ही उतनी सीमा तक नहीं। साथ ही, अन्य अनेक मुख्य मुद्राओं के मुकाबले रुपए की मूल्य वृद्धि भी हुई है। इस तथ्य के चलते कि सरकार मौजूदा बृहत आर्थिक स्थिरता की सहायता से सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि अगले दो-एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ाने और 8 प्रतिशत या इससे अधिक की विकास दर हासिल करने के लिए स्थितियां अवश्य ही मौजूद हैं। साथ ही यह करना भी समीचीन होगा कि 2016-17 में होने वाला विकास, 2015-16 में हासिल किए गए स्तरों से बहुत तेजी से नहीं होने की संभावना नहीं है क्योंकि धीमे वैश्विक आर्थिक विकास की संभावनाएं और वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी अनिश्चितताएं अभी भी मंडरा रही हैं। मौजूदा समूचे बृहत आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए और 2016-17 में सामान्य स्तर की वर्षा का अनुमान लगाते हुए इस नतीजे पर पहुंचना गलत नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तीसरे वर्ष भी 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर हासिल करने के लिए तैयार है।

1.2 वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल स्थितियों और मॉनसून के गैर-हाजिर रहने के बावजूद, भारत ने 2014-15 में 7.2 प्रतिशत और 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की मजबूत विकास दर दर्ज की और इस तरह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमानों के

सारणी 0.1 मुख्य संकेतक

आंकड़ों का वर्गीकरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सघउ और संबंधित संकेतक					
सघउ (2011-12 कीमतें)	₹ करोड़	9226879[2आर]	9839434[2आर]	10552151[1आर]	11350962[एई]
संवृद्धि दर	%	5.6	6.6	7.2	7.6
आधार कीमतों पर जीवीए (2011-12 कीमतें)	₹ करोड़	8546552[2आर]	9084369[2आर]	9727490[1आर]	10437579[एई]
वृद्धि दर	%	5.4	6.3	7.1	7.3
बचत दर	सघउ का प्रतिशत	33.8	33.0	33.0	उन
पूंजी निर्माण (दर)	सघउ का प्रतिशत	38.6	34.7	34.2	उन
प्रति व्यक्ति पूंजी निवल राष्ट्रीय आय (वर्तमान बाजार कीमतों पर)	₹	71050	79412	86879	93231
उत्पादन					
खाद्यान्न	मिलियन टन	257.1	265.0	252.0	253.2[ए]
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक[बी]					
(वृद्धि)	%	1.1	-0.1	2.8	3.1[डी]
विद्युत निर्माण					
(वृद्धि)	%	4.0	6.0	8.4	4.4[डी]
कीमतें					
मुद्रास्फीति (डब्ल्यू पी आई) (औसत)	%	7.4	6.0	2.0	-2.8[ई]
मुद्रास्फीति सीपीआई (सम्मिलित)(औसत)	%	10.2	9.5	5.9	4.9[इ]
विदेशी क्षेत्र					
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डॉलर)	%	-1.8	4.7	-1.3	-17.6[इ]
आयात वृद्धि (अमरीकी डॉलर)	%	0.3	-8.3	-0.5	-15.5[इ]
वर्तमान खाता शेष (सीएबी)/सघउ	%	-4.8	-1.7	-1.3	-1.4[एफ]
विदेशी मुद्रा भंडार[जी]	अमरीकी डा. बिलियन	292.0	304.2	341.6	349.6[सी]
औसत मुद्रा दर[सी]	रू./अमरीकी डा. बिलियन	54.40	60.51	61.14	65.03[इ]
मुद्रा और ऋण					
ब्राड मनी (एम3) (वार्षिक)	प्रतिशत परिवर्तन	13.6	13.4	10.8	11.0[जी]
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण	प्रतिशत परिवर्तन	14.1	13.9	9.0	11.3[जी]
राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)					
सकल राजकोषीय घाटा	सघउ का प्रतिशत	4.9	4.5	4.0[i]	3.9[एच]
राजस्व घाटा	सघउ का प्रतिशत	3.7	3.2	2.9[i]	2.8[एच]
प्राथमिक घाटा	सघउ का प्रतिशत	1.8	1.1	0.8[i]	0.7[एच]

टिप्पणी: एनए: अनुपलब्ध, एनएस: नईशृंखला अनुमान एई: अग्रिम अनुमान एच1: अप्रैल-सितम्बर, 2014

ए : दूसरा अग्रिम अनुमान

बी : आधार (2004-05 = 100)

सी : जनवरी, 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार

डी : अप्रैल-दिसंबर 2015-16

ई : अप्रैल-जनवरी 2015-16

एफ : अप्रैल-सितंबर 2015-16

जी : 8 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार वर्षोनुवर्ष वृद्धि दर

एच : बजट अनुमान

आई : अनंतिम वास्तविक

अनुसार, वैश्विक विकास 2014 में दर्ज 3.4 प्रतिशत से गिरता हुआ 2015 में औसतन 3.1 प्रतिशत रहा। हालांकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2013 से विकास प्रक्रिया में साधारण सुधार हुआ है, लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 2010 से विकास दर में लगातार गिरावट का रुख देखा गया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत की हालिया विकास गाथा विशेष रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है।

वैश्विक विकास में भारत का बढ़ता महत्व

1.3 भारत ने क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद के वैश्विक विकास में अपने योगदान में उल्लेखनीय प्रगति की है। पीपीपी घरेलू बाजार में वस्तु एवं सेवाओं की उसी मात्रा की खरीद के लिए अपेक्षित किसी देश की मुद्रा की यूनिटों की संख्या का द्योतक है जितनी कि एक अमरीकी डालर संयुक्त राज्य अमरीका में खरीद सकेगा। इस तरह संबंधित बाजारों में विभिन्न मुद्राओं के बीच क्रय शक्ति विभेदक का समायोजन किया जाता है। पीपीपी संदर्भ में, वैश्विक विकास में भारत का योगदान 2001 से 2007 की अवधि में 8.3 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2014 में 14.4 प्रतिशत हो गया। 1990 के दशक के दौरान, पीपीपी संदर्भ में वैश्विक विकास में संयुक्त राज्य अमरीका का योगदान औसतन भारत के मुकाबले लगभग 16 प्रतिशतांक अधिक था। यह स्थिति 2013 और 2014 में अचानक बदल गई जब भारत का योगदान संयुक्त राज्य अमरीका के मुकाबले क्रमश: 2.2 और 2.7 प्रतिशतांक अधिक रहा। भारत और चीन कम-मध्य आय वाले देशों और उच्च -मध्य आय वाले देशों के कुल पीपीपी माप के क्रमश: 42.2 प्रतिशत और 53.2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं; और इसलिए ये देश समूह मुख्यत: भारत और चीन के पैटर्न को दर्शाते हैं (चित्र 1.1ख)।

1.4 वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेषकर वैश्विक विकास का अब तक का अग्रणी रहा देश, चीन अब पुन:संतुलन की प्रक्रिया में लगा है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका बढ़ गई है। अनेकानेक वैश्विक संकटों के उभरने के बाद, वैश्विक विकास में भारत का योगदान कहीं अधिक मूल्यवान हो गया है (चित्र 1.1क)।

1.5 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का हिस्सा 2001-07 के दौरान के 4.8 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2008-13 के दौरान 6.1 प्रतिशत हो गया तथा और बढ़कर वर्तमान पीपीपी संदर्भ में (आईएमएफ) 2014 से 2015 के दौरान 7.0 प्रतिशत की औसत पर आ गया। इसलिए, धीमे वैश्विक विकास की भारत की समुत्थानशीलता पर बढ़ती निर्भरता के आलोक में भारत के काफी मजबूत विकास के मौजूदा स्तरों की सराहना की जानी चाहिए।

चित्र 1.1.क : वास्तविक आर्थिक विकास (पीपीपी संदर्भ में) में चुनिंदा देशों का योगदान (प्रतिशत)

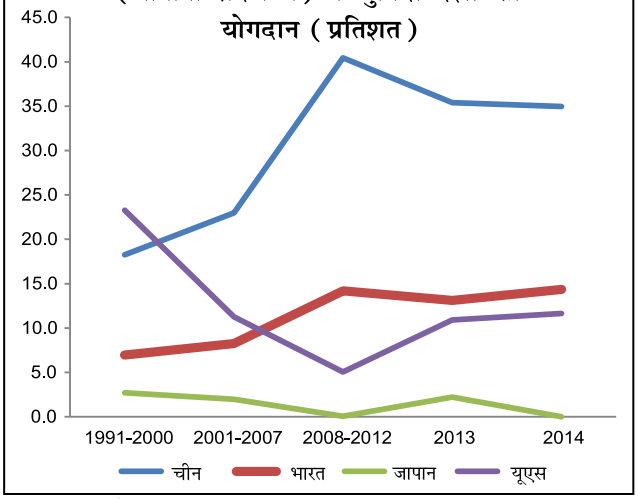

चित्र 1.1.ख : वास्तविक आर्थिक विकास (पीपीपी संदर्भ में) में वर्गों का योगदान (प्रतिशत)

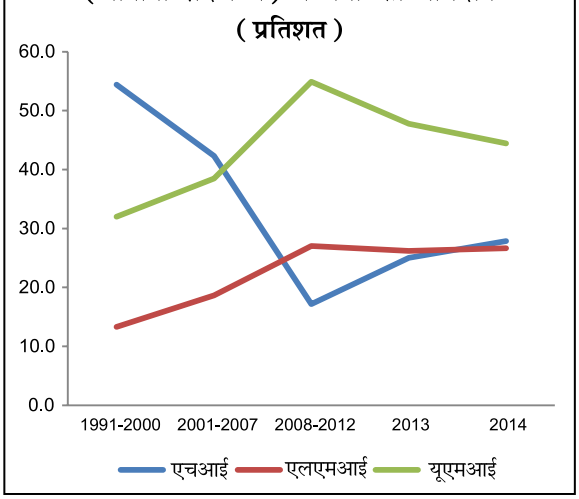

स्रोत: **विश्व बैंक**

एचआई = उच्च आय वाले देश; एलएमआई = कम-मध्य आय वाले देश; यूएमआई= उच्च-मध्य आय वाले देश

बॉक्स 1.1 : वैश्विक विकास के संचालक और भारतीय तुलना

कुल मिलाकर, निजी उपभोग वैश्विक विकास का मुख्या घटक था जो 1991 और 2013 के बीच वैश्विक विकास का लगभग 58.5 प्रतिशत था। लगभग एक-चौथाई हिस्सा निवेश का था। इस अवधि में वैश्विक उत्पादन में उपभोग (निजी और सरकारी) तथा निवेश का औसत हिस्सा क्रमशः 76.1 प्रतिशत और 23.2 प्रतिशत था। तथापि, विभिन्न अवधियों, देशों और महाद्वीपों में पर्याप्त अंतर व्याप्त था।

चित्र 1.क : सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा (प्रतिशत)

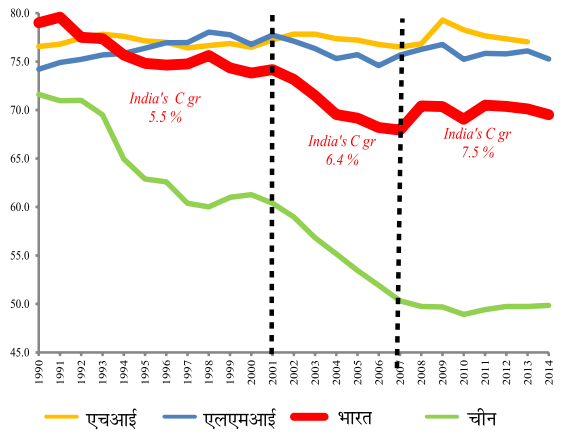

चित्र 1.ख : सकल घरेलू उत्पाद में निवेश का हिस्सा (प्रतिशत)

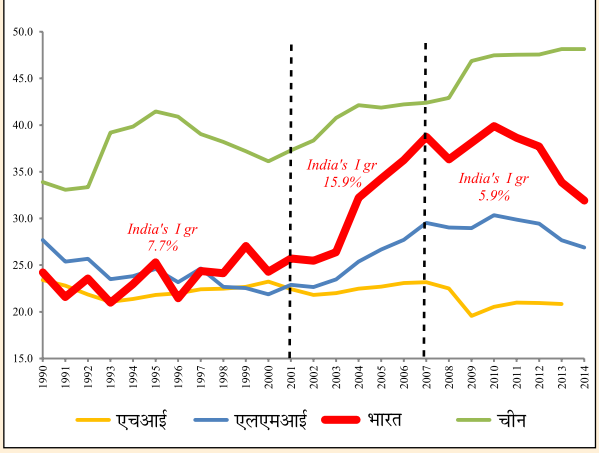

वैश्विक आउटपुट (चित्र 1) में निवेश में क्रमिक वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2001-7 की अवधि को निवेश वृद्धि में बढ़ोतरी के रूप में चिह्नित किया गया है। उच्च आय वाले देशों की अर्थव्यवस्थाओं के निर्धारित वास्तविक आकार के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक परिदृश्य पूर्व स्थिति के काफी निकट है। निम्न मध्यम आय वाले देशों में निवेश वृद्धि में बढ़ोतरी बहुत तेजी से हुई और इनमें भी भारत का सकारात्मक रूख रहा है। निवेश वृद्धि में इस तरह का उतार-चढ़ाव जीडीपी में निवेश में दिखाई देता है। 2000-7 के दौरान भारत में वृद्धि की लहर निवेश में पर्याप्त वृद्धि के कारण आई थी जो वर्ष 2000 में 140 बिलियन अमरीकी डालर (2005 में अमरीकी डॉलर के मूल्य पर) से वर्ष 2007 में 388 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था।

चित्र 1 ग जीडीपी में निवल निर्यात का हिस्सा (प्रतिशत)

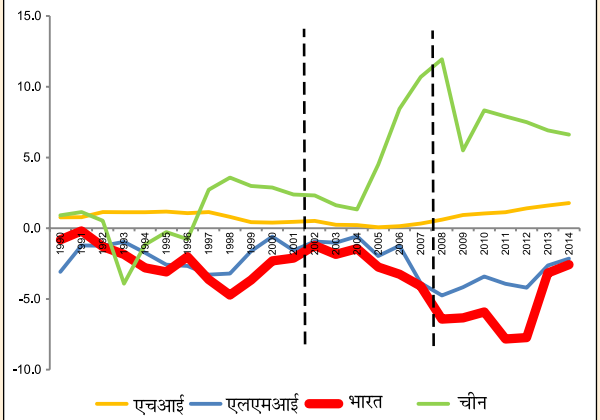

सामान्यतः उच्च-आय वाले देश निर्यात अधिशेष का लाभ उठाते हैं जिससे निम्न-आय वाले देशों के घाटे की प्रतिपूर्ति की जाती

सी जीआर = औसत उपभोग वृद्धि, आई जीआरः औसत निवेश वृद्धि
स्रोतः विश्व बैंक

थी। चीन में भी 1990 के दशक के मध्य में निर्यात अधिशेष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सामान्यतः 2007 से चीन के निर्यात अधिशेष में गिरावट आई। उच्च-मध्यम आय वाला देश होने के नाते चीन, जिसका अपने कुल आउटपुट में 45 से 50 प्रतिशत का हिस्सा है, ने उच्च-मध्यम आय वाले देशों के समूह (ऊपर चित्र में नहीं दर्शाया गया है) द्वारा प्रदर्शित पैट्र्न और प्रवृत्तियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। 2000 के दशक के प्रथम छः वर्षों में निम्न मध्यम आय वाले देशों की निवल निर्यात स्थिति में सामान्य सुधार देखा गया और स्थिति बदतर होने से पहले उनका घाटा भी कम हुआ। भारत में यह उतार-चढ़ाव बहुत अधिक देखा गया। उच्च-आय वाले देशों की निवल निर्यात स्थिति में इसके विपरीत उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है।

उच्च-आय वाले देशों में खपत अपेक्षाकृत अधिक होती है जो धीरे-धीरे कम होती है और मध्यम आय वाले देशों की तुलना में जी डी पी में निवेश कम होता है (चित्र 1.1)। किसी भी देश/देशों के समूह में (एम पी सी) की खपत में निरंतर कमी नहीं देखी गई है-चीन की एम पी सी हमेशा उच्च-मध्यम आय पीअर्स से कम रही है, वर्ष 2010 तक बहुत तेजी से गिरावट के साथ यह जी डी पी के लगभग 49 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गई। इसके विपरीत भारत ने अपने निम्न- मध्यम आय के साथ जी डी पी में उतनी

जारी...

ही अधिक खपत की जितनी उच्च-आय वाले देशों की थी और फिर 1993 से 2007 तक जी डी पी के लगभग 10 प्रतिशतता प्वाइंट से खपत में गिरावट दर्ज हुई। जबकि अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों की स्थिति ज्यों कि त्यों रही। खपत से आई कमी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, के 2007 तक को अंतिम दशक में भारत निवेश आधारित वृद्धि करते हुए निवेश से पूरा किया गया था।

तथापि, वर्ष 2007-08 के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई और इस वर्ष को वैश्विक वित्तीय संकट के रूप में चिह्नित किया गया। उच्च आय वाले देशों की अर्थव्यवस्था में खपत का हिस्सा लगभग समान रहा, किंतु वर्ष 2009 में स्थिति बदतर हो गई (जो खपत में वृद्धि के कारण नहीं थी बल्कि 2009 में निवेश में पर्याप्त कमी के फलस्वरूप थी, लेकिन 2007 से दो-तीन वर्षों तक इनके निवेश में गिरावट आई और इनके निर्यात अधिशेष में प्रति संतुलन के साथ गिरावट का यह स्तर बना रहा। हाल ही के वर्षों में चीन की निवेश दर 48 प्रतिशत पर थम गई। भारत एक ऐसा अपवाद है जहां आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी और खपत में निरंतर कमी का सामना करने के बावजूद खपत वृद्धि मजबूत हुई है। भारत में निवेश में निम्न-मध्यम आय वाले देशों में औसत गिरावट से कहीं अधिक गिरावट आई है। 2014-15 के राष्ट्रीय लेखाओं द्वारा प्रमाणित कंपनी निवेश वृद्धि में क्रमिक सुधार को बल देने के साथ संभवत: भारत निवेश आधारित मार्ग पर अग्रसर हो सकता है।

सकल मांग

1.6 भारत में हाल ही में वृद्धि प्रमुख रूप से खपत के कारण हुई है (बॉक्स 1.1)। इसे स्पष्ट करने के लिए स.घ.उ. (सकल मांग) के व्यय घटकों की निम्नलिखित खंडों में विस्तार से जांच की गई है।

1.7 व्यय की दृष्टि से, चालू बाजार मूल्य पर स.घ.उ. को निम्नलिखित का योग कहा जा सकता है। क) खपत-निजी और सरकारी, ख) निवेश, जिसे सकल पूंजी संचय (जी सी एफ) भी कहा जाता है और जिसमें नियत पूंजी संचय, स्टॉक और मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन शामिल है तथा, ग) निवल निर्यात-जो माल और गैर-उपादान सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर को दर्शाता है। सकल नियत पूंजी संचय या नियत निवेश का संबंध नई मशीनरी तथा उपकरण मूल्य वर्ष के दौरान किए गए नव-निर्माण कार्यों के मूल्य, से है। मूल्यवान वस्तुओं के निवल संचयन में मूल्यवान वस्तुएं, रत्न और कीमती पत्थर, चांदी, सोना, प्लेटिनम और स्वर्ण चांदी के आभूषण शामिल हैं।

1.8 सकल मांग में तीन स्पष्ट परिवर्तन होते दिख रहे हैं। पहला, निजी खपत वृद्धि में सुधार के साथ स.घ.उ. में इसका योगदान स.घ.उ. में इसके शेयर के साथ सुयोजित हो रहा है। चालू वर्ष में निजी खपत मजबूत हुई है (सारणी 1.1)। वर्ष 2014-15 में सरकारी खपत व्यय वृद्धि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें चालू वर्ष में सुधार किया गया। दूसरे, पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि से मिले सहयोग से नियत पूंजी संचय (जिसे नियत निवेश भी कहा जाता है तथा

तालिका 1.1 वास्तविक जी डी पी वृद्धि में घटकों का योगदान

अंतिम व्यय	जी डी पी में शेयर		वृद्धि (% में)			जी डी पी वृद्धि में योगदान (% में)		
	2011-12	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16 (एई)	2013-14	2014-15	2015-16 (एई)
निजी अंतिम खपत	56.2	59.8	6.8	6.2	7.6	57.1	48.3	55.9
सरकारी अंतिम खपत	11.1	10.7	0.4	12.8	3.3	0.7	17.6	4.5
स्थायी पूंजी संरचना	34.3	29.4	3.4	4.9	5.3	17.5	22.1	22.4
स्टॉक में परिवर्तन	2.4	1.7	-18.6	20.3	5.5	-6.0	4.6	1.4
मूल्यवान वस्तुएं	2.9	1.5	-42.2	15.4	13.3	-17.9	3.2	2.9
निवल निर्यात	-6.5	-2.6	70.0	11.7	6.1	67.4	2.9	1.2
स्थिर बाजार कीमतों में जी डी पी	100.0	100.0	6.6	7.2	7.6	100.0	100.0	100.0

***स्रोत :* केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ)**

***नोट :* ए.ई.-अग्रिम प्राक्कलन**

जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता के परिवर्धन को दर्शाता है) बढ़ा है। चालू वर्ष में मूल्यवान वस्तुओं में संतुलित वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे, भारतीय आउटपुट की वैश्विक मांग में हुई भारी कटौती के चलते भारत को विदेशी व्यापार की हानि हुई है परंतु अभी भी धीमी गति से घरेलू वृद्धि हो रही है। घरेलू समावेशन के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को पूर्णत: उच्च स्तर पर बनाए रखने की उपलब्धि इस दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है।

1.9 नई श्रृंखला के चार वर्षीय डाटा के अनुसार, वर्तमान बाजार दरों पर जी डी पी का निजी अंतिम खपत व्यय वर्ष 2011-12 के 56.2% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 59.8% हो गया है। यह खपत आधारित वृद्धि के पुन:प्रवर्तन के तर्क का समर्थन भी करता है। विनिर्माण क्रियाकलापों में घरेलू निवेश तथा इससे अधिक मशीनरी एवं उपस्कर को प्राप्त करने में अधिक सुनिश्चित गिरावट खपत के पक्ष में घरेलू खर्च की पुन: क्रमबद्धता को दर्शाती है। आंशिक रूप से ऐसा निवेश की बजाए खपत बास्केट की मदों की अधिक स्फीति के कारण हुआ है जैसा कि घरेलू सेक्टर में सकल स्थायी पूंजी संरचना निजी अंतिम खपत व्यय की बजाए काफी अधिक अवस्फीतिकारक है।

1.10 खपत पैटर्न के परिवर्तनों का निर्धारण करने के लिए चार वर्ष की अवधि बहुत छोटा अंतराल होगा तथा इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तन, तरजीहों एवं पैटर्न (चित्र 1.2) की निर्णायक शिफ्टों की बजाए अधिक सापेक्ष मूल्य परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत की कुल खपत बास्केट में खाद्य एवं गैर अल्कोल्हिक पेय पदार्थों के शेयर में चिरकालिक गिरावट के विपरीत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 की अवधि में निजी खपत (वर्तमान मूल्यों में) में इन मदों का शेयर शायद इस अवधि के दौरान खाद्य समूह के अधिक सापेक्ष मूल्यों के कारण मुख्यत: उसी स्थिति में रहा।

1.11 भारत से होने वाले बाहरी लेन देन में, निर्यात भारतीय उत्पादन की मांग को सृजित करता है और इस तरह स.घ.उ. विकास में सकारात्मक रूप से योगदान देता है जब कि भारत में होने वाली मांग के लिए विश्व के अन्य देशों से आयात किया जाता है। (1950-51 से) स्वतन्त्र भारत के इतिहास में, भारत का केवल सात वर्षों तक सीमांत निवल निर्यात (निर्यात वस्तुओं और गैर-कारक सेवा का आयात) अधिशेष में रहा और वर्ष 1993-94 से ऐसा कभी नहीं रहा है। इस प्रकार भारत हमेशा से ही शुद्ध आयातक रहा है। हालांकि अनेक वर्षों तक निवल निर्यातों पर विकास योगदान काफी सकारात्मक रहा है-कुछ वर्षों में काफी हद तक सकारात्मक रहा-जब विगत वर्ष से इसकी नकारात्मकता में कमी आई है। उदाहरणार्थ 2013-14 में, स्थिर मूल्य पर जीएसएफ में गिरावट होने पर, शुद्ध निर्यात का वर्ष के स.घ.उ.

चित्र 1.2 : निजी उपभोग में भागीदारी (प्रतिशत में)

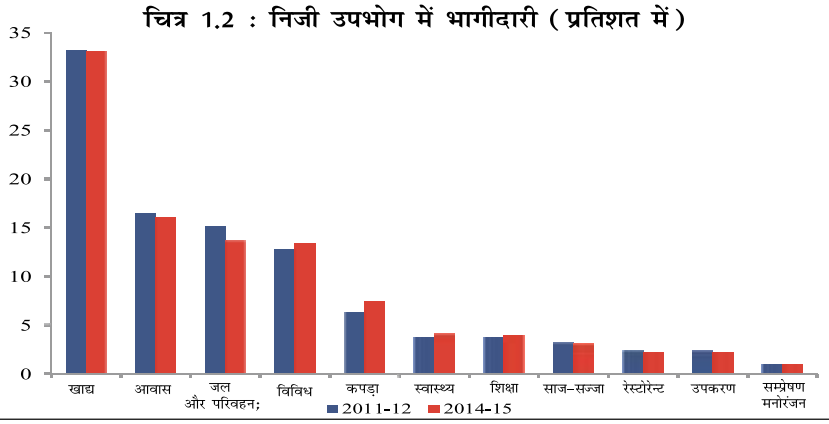

स्रोत: सीएसओ

टिप्पणी:

खाद्य: खाद्य, पेय और तम्बाकू
विविध : विविध वस्तुएं और सेवाएं
शिक्षा : शिक्षा
परिवहन : परिवहन
आवास : आवास, जल और ऊर्जा
कपड़ा : कपड़ा और जूता
साज-सज्जा : साज-सज्जा, उपकरण और अनुरक्षण
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य
रेस्तरां : रेस्तरां और होटल
मनोरंजन: मनोरंजन और संस्कृति
संचार : संचार

चित्र 1.3 : कच्चे तेल का मूल्य (भारतीय बास्केट प्रति बैरल अमरीकी डॉलर)

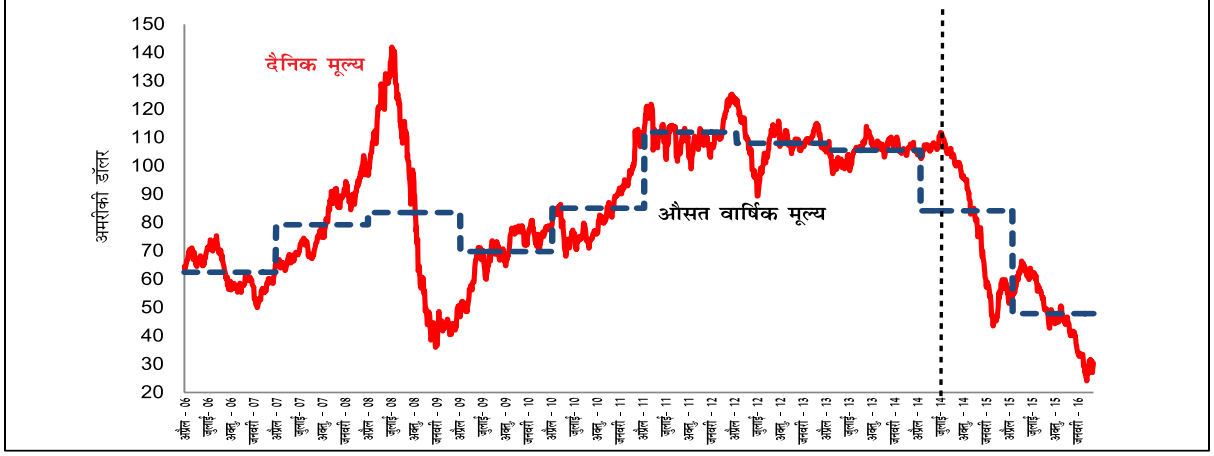

टिप्पणी: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के डाटा पर आधारित (पीपीएसों)

विकास में योगदान 2/3 रहा। वर्तमान वर्ष में, आयातों और निर्यातों (वस्तुओं और गैर-कारक सेवाओं का) के रुपये मूल्य में तीव्र गिरावट का अनुमान: पहले कम वैश्विक मांग और (चित्र 1.3 में विविध वर्षों में कमी को दर्शाया गया था) तत्पश्चात् कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों और अन्य उत्पाद मूल्यों से लगाया गया है। 1965-66 से ऐसी दोहरी गिरावट पहली बार हुई थी; फिर भी अनुमानित शुद्ध लाभ का विकास में योगदान सकारात्मक रहा-हालांकि यह मामूली था, इसका संभावित कारण निर्यातों और आयातों के मध्य अन्तर था।

सकल मूल्यवर्धन

1.12 सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) अर्थव्यवस्था के उत्पादन पक्ष या आपूर्ति को व्यापक रूप में दर्शाता है तथा 2012-13 में 54 प्रतिशत से 2014-15 में 7.1 प्रतिशत वृद्धि दर में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्तमान वर्ष में, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किये गये अग्रिम अनुमानों के अनुसार जी वी ए में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है जो कि स.घ.उ. वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रूख की पुष्टि करता है।

1.13 पिछले दशक से 2015-16 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि लगातार औसत से कम बनी हुई है। इसका मुख्य कारण लगातार दूसरे वर्ष में औसत से कम हुई मानसून वर्षा है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि थोड़ा सामान्य परन्तु मजबूत रही; जबकि उत्पादन वृद्धि में तेजी से इसकी भरपाई हो जाती है (तालिका 1.2)।

तालिका 1.2 स.घ.उ. और मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2013-14 (2 आर)	2014-15 (1 आर)	2015-16(ए ई)
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	4.2	-0.2	1.1
उद्योग	5.0	5.9	7.3
खनन और उत्खनन	3.0	10.8	6.9
विनिर्माण	5.6	5.5	9.5
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति आदि	4.7	8.0	5.9
निर्माण	4.6	4.4	3.7
सेवाऐं	7.8	10.3	9.2
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार,	7.8	9.8	9.5
वित्तपोषण, रियल इस्टेट, पेशेवर सेवाएं आदि	10.1	10.6	10.3
समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवा	4.5	10.7	6.9
स्थिर आधार मूल्य पर जी वी ए	6.3	7.1	7.3
स्थिर बाजार मूल्य पर जी डी पी	6.6	7.2	7.6

***स्रोत:* सी एस ओ**

1.14 दक्षिण पश्चिमी मानसून (जून-सितम्बर) में लगातार दो वर्षों तक कमी होने के कारण कृषि क्षेत्र में पैदावार कम दर्ज की गई है। जो कि विगत 115 वर्षों के दौरान यह सिर्फ चौथी घटना रही है। मॉनसून पूर्व की स्थिति भी (अक्टूबर से दिसम्बर) सामान्य से कम थी। कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में फल तथा सब्जियों सहित अनाज की मात्रा सकल मूल्य वर्धन की लगभग 61.0% रही शेष में पशुधन उत्पादक वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र शामिल हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 2015-16 के लिए दी गई सूचना के अनुसार खाद्यान्न तथा तिलहन के उत्पादन में क्रमशः 0.5% तथा 4.1% की गिरावट का अनुमान है जबकि फल तथा सब्जियों के उत्पादन में मामूली वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। वार्षिक अनुमान के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रों से उत्पादन के मामले में अच्छी सूचना मिलने की संभावना व्यक्त की गई है जिसमें वर्ष 2015-16 के दौरान वृद्धि दर 5.0% रहने का अनुमान है। फलस्वरूप वर्ष के दौरान ग्रामीण आय में बढ़ोतरी होगी।

1.15 विनिर्माण संबंधी गतिविधियों (सारणी 1.2) में मजबूती के साथ ही उद्योग जगत में मौजूदा वर्ष के दौरान वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। लगभग 69% विनिर्माण क्षेत्र के शेयर के साथ निजी निगमित क्षेत्र में सूचीबद्ध कम्पनियों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अप्रैल-दिसम्बर 2015-2016 में वृद्धि दर वर्तमान मूल्य से बढ़कर 9.9% होने की संभावना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) से यह परिलक्षित हुआ है कि अप्रैल-दिसम्बर 2015-16 के दौरान उत्पादन में 3.1% की वृद्धि हुई है, जब कि पूर्व वर्ष के इसी अवधि में उत्पादन दर 1.8% थी। चालू वर्ष में लगातार विनिर्माण क्षेत्र में सुधार होने का मुख्य कारण पेट्रोलियम रिफाईनिंग, ऑटोमोबाईल, परिधान, रसायनों, विद्युत मशीनरी एवं लकड़ी के उत्पादों एवं फर्नीचर में जबरदस्त वृद्धि है। विनिर्माण क्षेत्र से हटकर उद्योग क्षेत्र के जो तीन घटक हैं अर्थात बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति तथा सम्बन्धित जन उपयोगी सेवाएं तथा खान एवं उत्खनन तथा निर्माण गतिविधियों की वृद्धि में ह्रास हो रहा है।

1.16 पुनरुद्धार को जारी रखने के महत्व को, उत्पादन क्रियाकलाप से अर्थव्यवस्था में कुल मूल्यवर्धन में केवल 17.4 प्रतिशत का योगदान, देखा जा सकता है (तालिका 1.3)। परन्तु उत्पादन में इसका हिस्सा एक तिहाई से ज्यादा है। आऊटपुट और जी वी ए अंशदान के मध्य अन्तर किसी अन्य क्षेत्र में इतना पूर्ण रूप से नहीं रहा है। यह संकेत देता है कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था के अनेक विकास वाले क्षेत्रों में उत्पादों की मांग के आधार पर होता है, इस तरह पर्याप्त रूप में बैकवर्ड लिंकेज का सृजन होता है।

तालिका 1.3: आउटपुट और मूल्यवर्धन के मध्य सम्बन्ध 2011-12 से 2014-15

क्षेत्र	का अनुपात	
	कुल उत्पाद में सेक्टोरियल उत्पाद	कुल जीवीए में सेक्टोरियल जी वी ए
कृषि और सम्बद्ध	10.5	17.5
उद्योग, जिससे	53.9	31.8
विनिर्माण	36.7	17.4
सेवा	35.6	50.7
जोड	**100.0**	**100.0**

***स्रोतः* सी एस ओ**

1.17 भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान आधे से अधिक है। अर्थव्यवस्था में मुख्य साझीदार होने के कारण 2011-12 से 2015-16 के दौरान कुल वृद्धि में 69 प्रतिशत का योगदान है जिससे अर्थव्यवस्था में इसके शेयर में बढ़त 49 से 53 प्रतिशत, अर्थात 4 प्रतिशत प्वाइंट है।

1.18 प्रधान सेवाओं में से एक घरेलू व्याापार सेवा संख्या की दृष्टि से पर्याप्त अनौपचारिक मौजूदगी वाला अत्यंत असमुच्चयित क्षेत्र है। भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण से भिन्न) पर राष्ट्रीष नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 2010-11 में ऐसे उद्यमों की 5.8 करोड़ रुपए के अनुमानित समग्र राशि में से 2.1 करोड़ रुपए व्यापार कार्यों में लगा था और इससे 2014-15 में फसल क्षेत्र के रूप में जीवीए में लगभग इतनी रकम का अंशदान कर रही व्यापार और सुधार सेवाओं का औचित्य संभवतः सिद्ध होता है।

1.19 मेजबानी क्षेत्र मजबूत होता हुआ प्रतीत होता

है, क्योंकि सूचीबद्ध कंपनियों विषयक उपलब्ध डेटा के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 2015 के दौरान होटलों और रेस्तरांओं के खंड में निजी कारपोरेट क्षेत्र वर्तमान मूल्यों पर 26.5 प्रतिशत बढ़ गया। परिवहन सेवाओं के भिन्न-भिन्न खंड मिश्रित संकेत देते रहे हैं। रेलवे के मुख्य संकेतक अर्थात निवल टन किलोमीटर और यात्री किलोमीटर वर्तमान वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में मामूली रूप से कम हो गए। इसके विपरीत, नागर विमानन से परिवहित यात्रियों, नागर विमानन द्वारा परिवहित कार्गो और बड़े पत्तनों पर लादे-उतारे गए कार्गो में इसी अवधि के दौरान क्रमश: 16.5 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री इस अवधि में 8.5 प्रतिशत बढ़ गई जिससे सड़क माल परिवहन में बढ़ावा के संकेत मिलते हैं।

1.20 वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं की इस वर्ष कुल मिलाकर दुहरे अंक में वृद्धि होने का अनुमान है। स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं इन चारों सेवाओं के जीवीए में 71.0 प्रतिशत तक अंशदान करती हैं। स्थावर संपदा क्षेत्र और कम्प्यूटर संबंधित कारोबार में निगमित कंपनियों ने अप्रैल-दिसम्बर 2015 में वर्तमान मूल्यों पर 1.0 प्रतिशत और 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वित्तीय क्षेत्रक संकेतक अर्थात समुच्चयित बैंक जमा और बैंक ऋण नवम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 10.4 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत बढ़ गए।

1.21 सामुदायिक सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं के दो व्यापक खंड हैं - लोक प्रशासन और रक्षा और ''अन्य सेवाएं'', मुख्यत: स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्य, कला, मनोरंजन और वैयक्तिक सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र दो-तिहाई से अधिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी रखता है और लोक प्रशासन और रक्षा में अपनी मौजूदगी का एकाधिकार रखता है तथा ''अन्य सेवाओं'' में इसकी हिस्सेदारी लगभग 44 प्रतिशत है। इस क्षेत्र का एक मुख्य संकेतक, अर्थात केंद्र सरकार का राजस्व व्यय अप्रैल-दिसम्बर, 2014 में 9.0 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2015 में 2.8 प्रतिशत बढ़ गया।

तिमाहीवार वृद्धि

1.22 तिमाहीवार गति अवस्था के अध्ययन से अल्पकालिक वृद्धि के स्वरूप की पहचान करने तथा निकट अवधि की स्थिति का निर्धारण करने में मदद मिलती है। 2014-15 की तीसरी तिमाही में, विनिर्माण क्षेत्र में मात्र 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा (तालिका 1.4)। आईआईपी के अनुसार, उपभोक्ता-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन तिमाही में 20 प्रतिशत से अधिक गिर गया। यह समग्र विनिर्माण में एकल आर्डर उत्पादन का सीमित होना था जो चौथी तिमाही में सुधर गया और इसकी वृद्धि में 6.6 प्रतिशत तक का उछाल आया। किन्तु उक्त सीमित स्थिति ने चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए सकारात्मक आधारभूत प्रभाव पैदा किया जिससे फायदा उठाकर कारखाना क्षेत्र में वृद्धि मजबूत हुई। यह तथ्य चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में हुई औद्योगिक वृद्धि की तीव्रता में प्रतिबिम्बित है। इसके सिवाय, उद्योग और सेवा क्षेत्र तथा कुल जीवीए में चालू वर्ष में निर्बाध वृद्धि रेखा देखी गई और इस प्रकार यह सौम्य अनुकूल आपूर्ति स्थिति का संकेत रहा।

तालिका 1.4 आधारिक कीमतों (वर्षानुवर्ष) (2011-12) पर जीवीए में तिमाहीवार वृद्धि

	2014-15				2015-16			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	2.3	2.8	-2.4	-1.7	1.6	2.0	-1.0	2.6
उद्योग	8.0	5.9	3.8	5.7	6.8	6.4	9.0	7.3
सेवा	8.6	10.7	12.9	9.3	9.0	9.4	9.4	9.0
आधारिक कीमतों पर जीवीए	7.4	8.1	6.7	6.2	7.2	7.5	7.1	7.4
निवल अप्रत्यक्ष कर	8.5	10.8	5.3	11.4	13.4	10.2	9.7	10.4
सकल घरेलू उत्पाद	7.5	8.3	6.6	6.7	7.6	7.7	7.3	7.7

***स्रोत:* सीएसओ**

1.23 सकल घरेलू उत्पाद और संयोजित सकल मूल्य् (जीवीए) के बीच का अंतर उत्पाद का निवल उत्पाद कर है और इससे निवल अप्रत्यक्ष करों का संकेत मिलता है(निट)। जैसाकि तालिका 1.4 से दीखता है। निट वृद्धि जीवीए वृद्धि से संगत रूप में उच्च होती है – जब दोनों स्थिर मूल्य पर हों। इससे हालिया तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि जीवीए वृद्धि से उच्च हो जाती है। चालू वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर 34.8 प्रतिशत बढ़े, जिससे आर्थिक कारोबार की कुछ सुधारक गति और सरकारी निवेश के वित्तीयन हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के कुछ प्रयत्न प्रतिबिम्बित हुए। राष्ट्रीय लेखा के अनुसार, सामान्य सरकार के निवल प्रत्यक्ष करों के चालू वर्ष में 29.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय लेखे, बकाया वसूली को कीमत प्रभावी मानते हुए, निवल अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि को अंतर्हित मात्रात्मक वृद्धि में जोड़ देते हैं। इस क्रियाविधि से 29.4 प्रतिशत की प्रभावशाली वर्तमान कीमत वृद्धि 10.8 प्रतिशत की स्थिर मूल्य वृद्धि और 16.9 प्रतिशत अस्पष्टत निट अवस्फीतिकारक में पूरे वर्ष के लिए बंट जाती है। तिमाहीवार निट वृद्धि के आंकड़ों (तालिका 1.4) से जाहिर होता है कि वसूलियां वर्ष भर में तगड़ी रही हैं जो आपूर्ति पक्ष के अनुरूप है।

1.24 मई, 2015 के अंनतिम अनुमान (पीई) से जनवरी, 2016 के संशोधित अनुमान (आरई) तक के वार्षिक राष्ट्रीय लेखा संबंधी डेटा के संशोधन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की कतिपय मामलों में विकास कथा हालिया समय में कुछ हद तक बदल गई है। ऐसे संशोधन पूर्ववर्ती समीक्षाओं में भी घटित हुए हैं। इसका कारण यह तथ्य है कि जीवीए के कतिपय घटकों में, और व्यापकतर सूचना जैसेकि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की सूचना प्राप्त हो जाती है जिसके चलते आईआईपी से संकेतित परिणाम बहुत भिन्न हो जाते हैं। प्रमुख परिवर्तनों में निम्न सम्मिलित हैं।

1.25 सकल घरेलू उत्पाद के स्तर आधार वर्ष 2011-12 के प्रारंभ से संशोधित किए गए हैं। वर्ष 2012-13, 2013-14, और 2014-15 की बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के क्रमशः 5.6 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत होने के फिलहाल अनुमान हैं। पहले इनका अनुमान क्रमशः 5.1 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत होने का था। इसी प्रकार, वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 की आधार कीमतों पर जीवीए की वृद्धि दर के अब क्रमशः 5.4 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि पहले के स्तर पर यह क्रमशः 4.9 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत था। कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों में वृद्धि भी संशोधित हो गई है।

1.26 नियतकालिक निवेश में वृद्धि दर के ऊर्ध्व संशोधन होने से, चालू वृद्धि के समुत्थान की अधिक संतुलित तस्वीर लेखागत संशोधन से प्रकट होती है। संशोधन पूर्व डेटा से बहुत अधिक उपभोग प्रेरित वृद्धि प्रक्रिया का संकेत मिला था (तालिका 1.5)। 2012-13 से 2014-15 की अवधि में समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में उपभोग का अंशदान 63.1 से घटकर 59.7 प्रतिशत रह गया, जबकि नियतकालिक निवेश का हिस्सा इस अवधि में 12.2 प्रतिशत से बढ़कर 22.6 प्रतिशत पहुंच गया।

तालिका 1.5 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में संशोधन

मद	वार्षिक औसत वृद्धि दर (2012-13 to 2014-15)	
	PE	**RE**
उपभोग	5.9	5.8
जीएफसीई	5.5	4.6
पीएफसीई	6.0	6.1
नियतकालिक निवेश	2.4	4.4
सकल घरेलू उत्पाद	6.4	6.5

***स्रोतः* सीएसओ**

***टिप्पणी :* पीई - मई, 2015 में जारी अनंतिम अनुमान; आरई - जनवरी, 2016 में जारी संशोधित अनुमान; जीएफसीई - सरकारी अंतिम उपभोग व्यय; पीएफसीई - निजी अंतिम उपभोग व्यय;**

जीवीए में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा

1.27 आधारिक कीमतों पर जीवीए की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र आधारिक कीमतों पर भारतीय अर्थव्यरवस्था के लगभग पांचवें हिस्से, निजी निगमित क्षेत्र एक तिहाई से

थोड़ा सा ऊपर का हिस्से और घरेलू क्षेत्र शेष हिस्से का घटक है। 2011-12 से 2014-15 तक की चार वर्षीय अवधि में हुआ एक सुस्पष्ट परिवर्तन कुल जीवीए में जिससे निजी निगमित क्षेत्र पूर्णत: छूट गया था, जैसाकि तालिका 1.6 से द्रष्टव्य है।

तालिका 1.6 वर्तमान कीमतों पर जीवीए में अंशदान (प्रतिशत)

	2011-12	2014-15
सरकारी क्षेत्र	20.6	19.4
निजी निगमित क्षेत्र	33.9	35.9
घरेलू क्षेत्र	45.5	44.8

स्रोत: सीएसओ

घटक आय

1.28 आधार कीमतों पर जीवीए, नियोक्ता के सामाजिक अंशदान (सीई) सहित कर्मचारियों के लिए हर्जाने, स्वनियोजित कर्मचारियों के परिचालन अधिशेष मिश्रित आय (एमआई), नियतकालिक पूंजी के उपभोग (सीएफसी) और उत्पादन पर इमदाद करों का योग होता है। परिचालन अधिशेष (ओएस), निवल संयोजित मूल्य (एनवीए) और नियोक्ता के अंशदान (सीई) के बीच का अंतर होता है। किन्तु, अनिगमित उद्यमों और पारिवारिक उद्योगों की महत्वपूर्ण उपस्थिति से, अपूर्ण लेखा के कारण, श्रमिक की आय से उद्यमिता आय को अलग करना नामुमकिन हो जाता है। इससे लेखा को पूरा करने के लिए मिश्रित आय का प्रवर्तन करना आवश्यक हो जाता है।

1.29 तालिका 1.7 से इंगित होता है कि अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति का हिस्सा 2011-12 से 2014-15 तक लगभग एक प्रतिशत बढ़ा जबकि परिचालन अधिशेष/मिश्रित आय के हिस्से में लगभग समान गिरावट रही। इस बदलाव के अधिकांशत: जिम्मेदार क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं और लोक प्रशासन तथा रक्षा सम्मिलित हैं। नियोजन संबंधी, विश्वसनीय पूरक सूचना संबंधी, मुद्रास्फीति में क्षेत्रवार मजदूरी सूचीकरण, आदि के अभाव में इस सूचना का आगे विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है।

प्रतिव्यक्ति आय

1.30 राष्ट्रीय आय के नाम से भी ज्ञात निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई), संदर्भाधीन वर्ष में शेष विश्व से सीएफसी और निवल सीई तथा संपत्ति आय के लिए बाजार मूल्य पर समायोजित सकल घरेलू उत्पाद का

तालिका 1.7 जीवीए का आय श्रेणियों में विभाजन

क्षेत्र	2014-15 में जीवीए में हिस्सा			2011-12 में हिस्से में परिवर्तन	
	सीई	सीई ओएस/ एसआइ	सीएफसी	सीई	ओएस
कृषि संबद्ध कार्यकलाप	15.1	81.0	7.3	-0.2	-0.1
खनन और उत्खनन	25.2	58.3	15.7	0.3	-3.3
विनिर्माण	26.0	56.1	17.3	3.1	-1.4
विद्युत, गैस, जल की आपूर्ति	30.3	36.7	34.5	-4.9	2.7
निर्माण	68.0	25.5	6.0	2.5	-3.4
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां	15.6	77.6	5.4	-0.3	-0.2
परिवहन, भंडारण और संचार	31.2	53.1	18.6	-3.3	0.5
वित्तीय सेवाएं	31.8	66.3	1.8	3.9	-4.3
स्थातवर सपंदा और पेशेवर सेवाएं	25.8	56.5	15.2	1.7	-1.3
लोक प्रशासन एवं रक्षा	85.0	0.0	15.0	2.4	0.0
अन्य सेवाएं	62.5	29.1	7.9	-1.4	2.5
कुल	**33.6**	**54.9**	**11.6**	**0.9**	**-1.0**

स्रोत: सीएसओ

तालिका 1.8 प्रति व्यक्ति आय और उपभोग का स्तर एवं वृद्धि

मद	2015-16 में स्तर(₹ में)		स्थिर कीमतों पर वृद्धि (प्रतिशत)			
	वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद	105746	88472	4.3	5.3	5.9	6.2
प्रति व्यक्ति एनएनआई	93231	77431	3.5	4.9	5.8	6.2

स्रोत: **सीएसओ**

योग होती है। 2011-12 से 2014-15 के दौरान सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के 1.1 प्रतिशत के लगभग शेष विश्व से आसन्न घटकों के सम्मिलित अंश के कारण जीएनआई इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद से कम रही। अनुमानित आबादी से विभाजित एनएनआई के रूप में परिभाषित प्रति व्यक्ति आय में विगत दो वर्षों में लाभप्रद दर दर्ज हुई जो चालू वर्ष में फिर से सशक्त हो चुकी प्रतीत होती है (तालिका 1.8)।

बचत-निवेश संतुलन

1.31 मोटे तौर पर, तीन सांस्थानिक क्षेत्र हैं जो बचत और निवेश करते हैं, अर्थात घेरलू क्षेत्र, निजी कारपोरेट क्षेत्र-वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों - और सामान्य सरकार और सार्वजनिक निगमों को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र (तालिका 1.9)।

1.32 अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू बचत दर 2011-12 से 2014-15 तक जीडीपी के 1.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक गिरा। यह निजी कार्पोरेट बचत दर में 3.2 प्रतिशत बिन्दुओं की तेजी आने के बावजूद हुआ। सार्वजनिक बचत दर में एक मामूली गिरावट घरेलू वित्तीय बचतों में एक आनुपातिक वृद्धि से पूरी तरह से प्रतिसंतुलित हुआ। घरेलू बचतों का दूसरा घटक, वास्तविक बचत, घरेलू निवेश का एक प्रतिबिंब है, जिसमें घरेलू निर्माण, मशीनरी और उपकरणों का उनका आधिपत्य, और बहुमूल्य् वस्तुएं शामिल हैं। घरेलू निर्माण, जो घरेलू निवेश के अधिकांश भाग का गठन करता है, 2014-15 में लगभग उसी स्तर पर बना रहा जो 2011-12 में इसका स्तर था जिसके कारण घरेलू वास्तविक बचत के अनुपात में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत बिन्दुओं तक गिरावट आई। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था

तालिका 1.9: वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में सकल बचत

	2011-12	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
सकल बचत	34.6	33.8	33.0	33.0
सार्वजनिक	1.5	1.4	1.3	1.2
निजी कार्पोरेट	9.5	10.0	10.8	12.7
घरेलू	23.6	22.4	20.9	19.1
वास्तविक*	16.3	15.1	13.3	11.4
वित्तीय	7.4	7.4	7.7	7.7

स्रोत: **सीएसओ**

टिप्पणी: ***घरेलू वास्तविक बचतों में बहुमूल्य वस्तुएं शामिल हैं।**

तालिका 1.10: वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जीएफसीई

मद	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	34.3	33.4	31.6	30.8	29.4
सार्वजनिक क्षेत्र	7.3	7.0	7.1	7.5	*
निजी कार्पोरेट	11.2	11.8	11.7	12.3	*
घरेलू क्षेत्र	15.7	14.6	12.9	11.0	*

स्रोत: **सीएसओ**

टिप्पणी: ***उपलब्ध नहीं हैं।**

में वित्तीय बचतों (सार्वजनिक जमा निजी कार्पोरेट जमा घरेलू वित्तीय बचत) में 2011-12 में जीडीपी के 18.4 प्रतिशत से 2014-15 में 21.6 प्रतिशत तक बढ़कर जीडीपी के 3.2 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि हुई, जबकि तब सकल बचत दर में गिरावट थी। यह संकेत देता है कि घरेलू तौर पर सृजित संसाधनों का जीडीपी हिस्सा जो संभावित निवेशकों को उपलब्ध हो सकता था, उसमें निजी कार्पोरेट क्षेत्र के प्रतिधारित लाभों के कारण वृद्धि हुई थी (तालिका 1.9)।

1.33 सकल बचतों में प्रवृत्ति के अग्रानुक्रम में, जीडीपी के अनुपात के रुप में स्थिर निवेश में 2011-12 से 2014-15 तक 3.5 प्रतिशत बिन्दुओं तक गिरावट आई (तालिका 1.10)। यह घरेलू क्षेत्र की स्थिर परिसम्पत्तियों और मशीनरी में जीडीपी के 4.8 प्रतिशत बिन्दुओं तक गिरावट आने के कारण हुआ, जिसकी आंशिक रूप से भरपाई निजी कार्पोरेट क्षेत्र में स्थिर निवेश में 1.1 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि से हुई थी।

1.34 इस संदर्भ में दो बिन्दुएं सामने आती हैं, पहला, निजी कार्पोरेट निवेश में तेजी आई थी किन्तु इसकी बचतों में तेजी आने की सीमा तक नहीं। इसलिए, यद्यपि इस अवधि के दौरान कंपनियों के प्रतिधारित लाभों में मजबूत ढंग से सुधार हुआ है फिर भी कदाचित वैश्विक मंदी के कारण मांग में कमी के मद्देनजर वे अपने निवेश निर्णयों में सतर्क थे। दूसरा, जीडीपी के अनुपात के रूप में गैर-घरेलू स्थिर निवेश में 2011-12 में 18.5 प्रतिशत से 2014-15 में 19.8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। संक्षेप में, यह संकेत देता है

चित्र 1.4: निवेश और बचतों के बीच अंतर

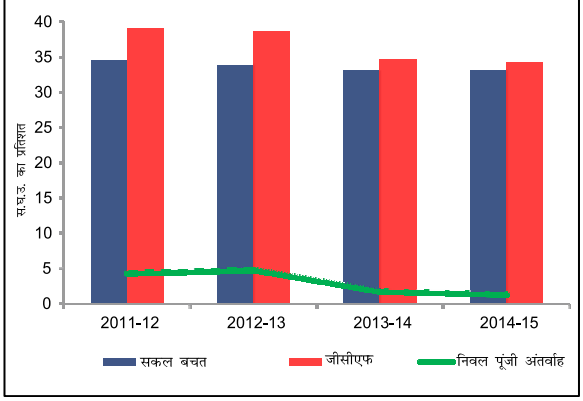

स्रोतः सीएसओ और भा.रि. बैंक

कि जब घरेलू क्षेत्र को तस्वीर से निकाल दिया जाता है तो बचत और निवेश परिदृश्य दोनों 2014-15 में उज्जवल प्रतीत होते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, दूसरी तरफ बेहतर घरेलू उपभोग ने चालू वृद्धि बहाली को कुछ बल दिया है। 2015-16 के एई से उपलब्ध सीमित सूचना से स्थिर निवेश जीडीपी के 1.4 प्रतिशत बिन्दुओं तक कम पर स्थित है; इस गिरावट की संरचना जनवरी 2017 में विस्तृत सूचना उपलब्ध होने पर ही ज्ञात हो पाएगी।

1.35 भुगतान संतुलन (बीओपी) का वर्तमान लेखा शेष घरेलू बचतों और घरेलू निवेश के बीच भिन्नता को प्रतिबिंबित करता है और इस अंतर की सीमा को व्यक्त करता है जिसे विदेशी बचतों से भरे जाने की जरूरत होती है। जैसा कि चित्र 1.4 में देखा गया है, निवेश और बचतों के बीच अंतर में समय के साथ गिरावट आई है। तथापि, यह बचत दर की तुलना में निवेश दर (जीडीपी में जीसीएफ के अनुपात के रूप में मापित) में अधिक गिरावट का कारण है।

1.36 उपयोग उद्योग द्वारा जीसीएफ पर एक नजर डालने पर पता चलता है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों तथा उद्योग (विनिर्माण और बिजली और अन्य उपयोगिताओं के अलावा खनन और उत्खनन तथा निर्माण क्षेत्रों सहित) में सकल निवेश (बहुमूलय वस्तुओं को छोड़कर) के हिस्से में 2011-12 और 2014-15 के बीच गिरावट आई, जबकि यह सेवा क्षेत्र में बढ़ा। तथापि, जीवीए में सेवा के संवर्धित हिस्से के लिए इस तथ्य को श्रेय देना निहायत ही एकांगी होगा। जैसाकि चित्र 1.5 में स्पष्ट है।

1.37 चित्र 1.5 दर्शाता है कि खनन और उत्खनन, परिवहन, बिजली, गैस और जलापूर्ति तथा रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा क्षेत्र खासकर अपवाद होने के साथ 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान पूंजी निर्माण में क्षेत्रीय हिस्सों में परिवर्तन और जीवीए के क्षेत्रीय हिस्सों में परिवर्तन के बीच आमतौर पर कुछ सकारात्मक सहसंबंध है। यदि अधिक्षमताओं और संभावित दोतरफा संबंधों तथा विलंबित परिणाम अनुक्रियाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाता तो यह संबंध और मजबूत हो सकता था। फिर भी, यह आसान उपाय स्पष्ट करता है कि विनिर्माण,

चित्र 1.5: (2011-2014) में जीवीए हिस्से और निवेश हिस्से में परिवर्तन

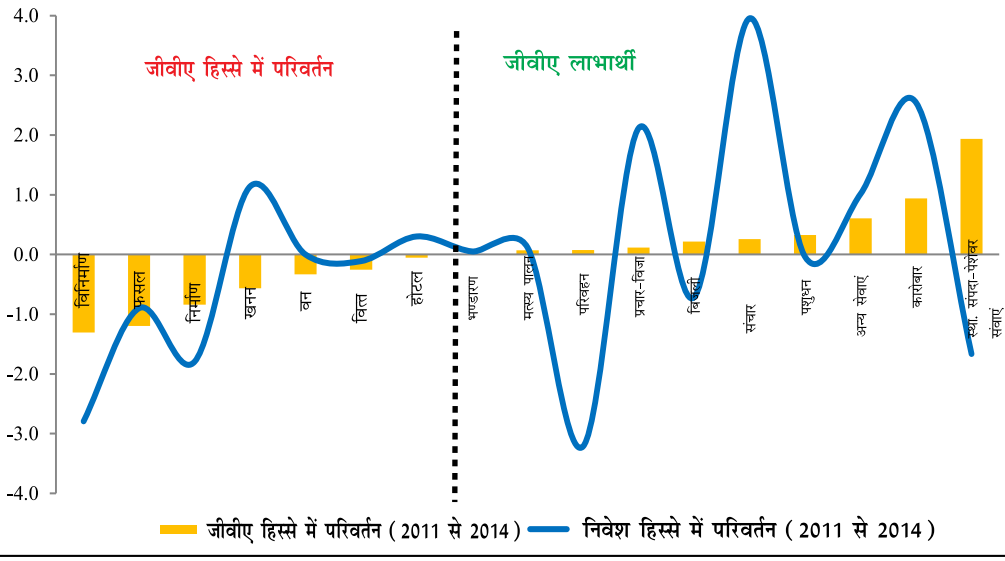

***स्रोत:* सीएसओ**

विनिमार्ण : विनिर्माण
फसल: फसल
निर्माण: निर्माण
खनन: खनन और उत्खनन
वन: वन और लकड़ी
वित्त: वित्तीय सेवाएं
होटल: होटल और रेस्तरां
भंडारण: भंडारण
मत्स्य: मत्स्य पालन और जल कृषि
परिवहन: परिवहन
प्रचार-विज्ञापन: प्रचार-विज्ञापन और रक्षा
बिजली: बिजली; गैस आदि
संचार: संचार
पशुधन: पशुधन
अन्य सेवा: अन्य सेवा
कारोबार: कारोबार और मरम्मत सेवाएं
स्था. संपदा-पेशेवर सेवाएं: स्थावर संपदा, पेशेवर सेवाएं

कृषि क्षेत्र के फसल भाग और निर्माण जैसे क्षेत्रों ने चार वर्ष की अवधि के दौरान अपना काफी जीवीए और निवेश हिस्सा खोया है। इसके विपरीत, व्यापार और मरम्मत सेवाओं और विविध सेवाओं जैसे क्षेत्रों ने दोनों तरफ से लाभ प्राप्त किया है, जबकि रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं के साथ-साथ खनन और उत्खनन क्षेत्र ने एक मिश्रित तस्वीर पेश की है।

1.38 विनिर्माण में निवेश में शिथिलता को प्रभावित करने के लिए उपेष्टतम क्षमता उपयोगिता एक घटक हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मांग पुस्तिका, वस्तु सूची और क्षमता उपयोगिता सर्वेक्षण (ओबिकस) के जुलाई-सितम्बर 2105 के दौर ने दर्शाया है कि सकल स्तर पर, विनिर्माण कंपनियों के एक नमूने की क्षमता उपयोगिता में पिछली तिमाही के मुकाबले

चित्र 1.6: चुनिंदा विनिर्माण कंपनियों हेतु क्षमता उपयोगिता

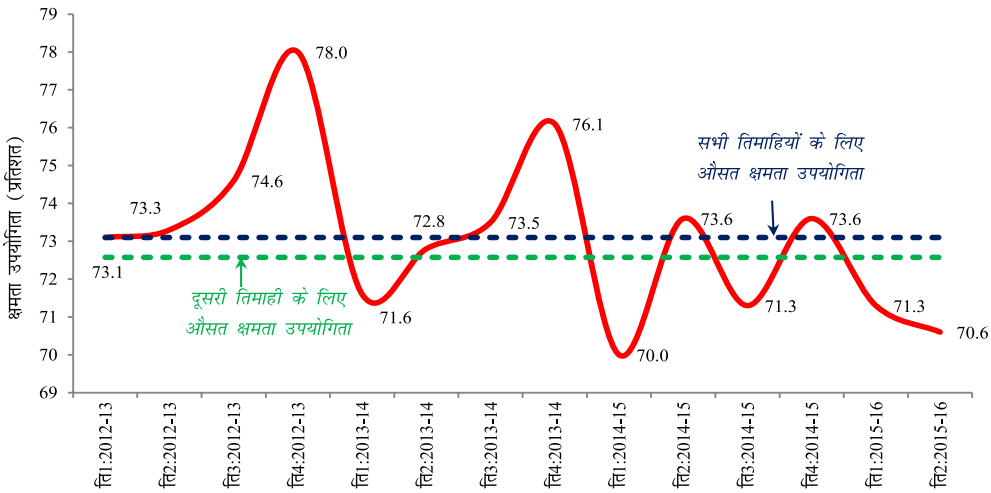

स्रोत: भा. रि. बैंक डाटा पर आधारित

और पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 2105-16 की दूसरी तिमाही में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है (चित्र 1.6)। ओबिकस की दूसरी तिमाही के परिणामों से स्पष्ट हुआ है कि विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोगिता में पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले सुधार हुआ है। आईआईपी को देखने से यह जाहिर होता है कि

चित्र 1.7: विभिन्न आईआईपी श्रेणियों का तीन महीनों का सूचकांक

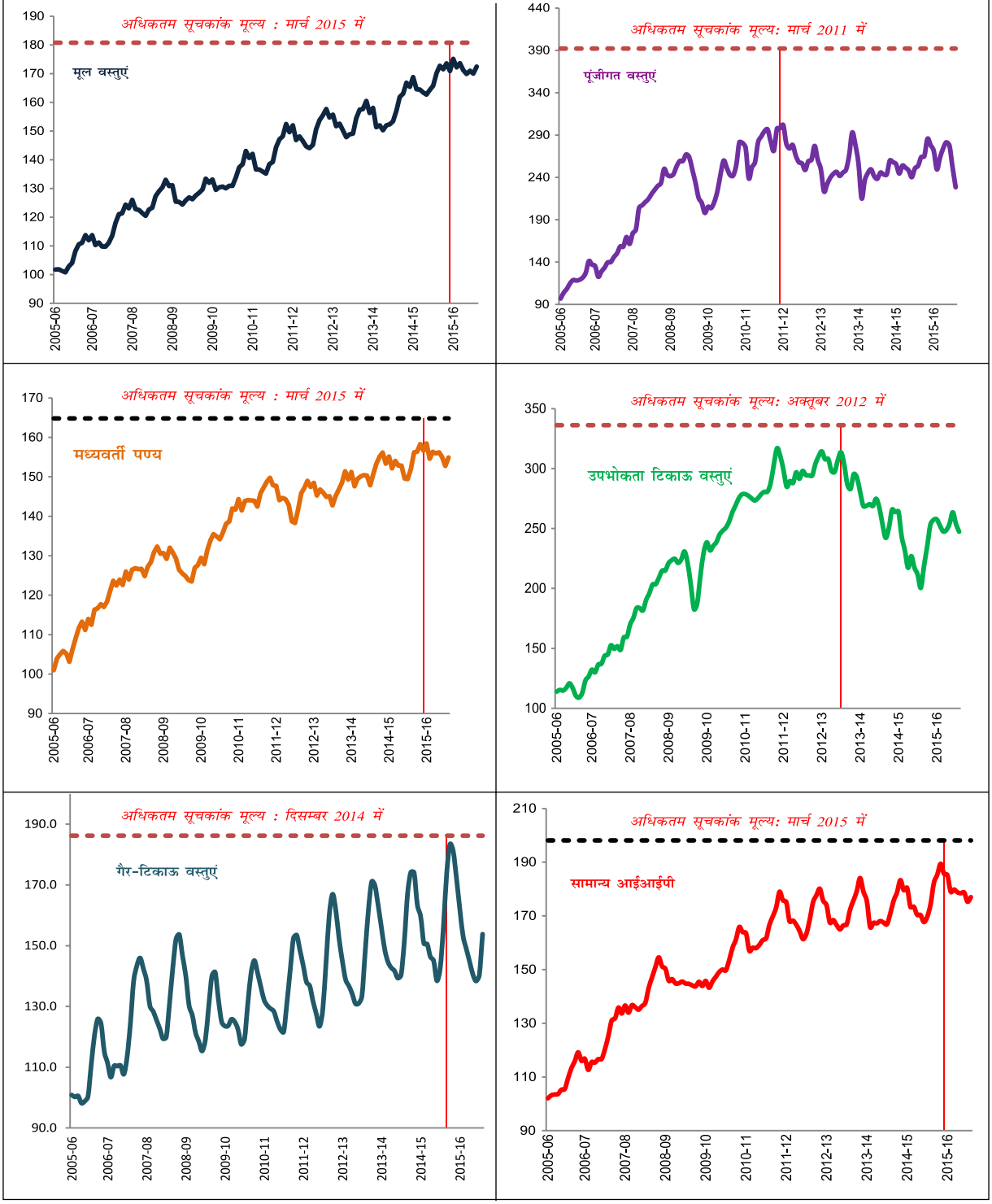

टिप्पणी: सीएसओ डाटा पर आधारित
अधिकतम सूचकांक 2004-05 से वास्तविक श्रृंखला में हासिल उच्चतम को सूचित करता है।
प्रत्येक चित्र में उध्वधिर रेखा ऐसे माह को इंगित करती है जिसमें अधिकतम हासिल किया गया था।

2015-16 में भी क्षमता उपयोगिता में सुधार हुआ है (चित्र 1.7)।

1.39 आईआईपी के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों के उत्पादन का सूचकांक पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय अतिरिक्त क्षमताओं की ओर इशारा करता है। पूर्ण रूप से इस दृष्टिकोण से आकलन करके, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग में एक सुस्थिर घरेलू या बाह्य तेजी सुदृढ़ औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था में निवेश को अनुकूलित कर सकती है।

लोक वित्त

1.40 चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के बाद आम बजट 2015-16 द्वारा साथ मिलकर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र और राज्यों, और राज्यों के मध्य 'साझी जिम्मेदारी के साथ सहयोगी संघवाद' का एक नया युग प्रारंभ किया गया है। इसे महज पिछले वर्ष की तुलना में एक अपेक्षाकृत स्थिर आर्थिक माहौल में प्रस्तुत किया गया किन्तु चुनौती क्रियाशील विकास की चिंताओं के बीच उत्तम संतुलन सुनिश्चित करना, संसाधन अंतरण को अनुकूल बनाना जो अधिक राजकोषीय संघवाद के लिए अपरिहार्य है और राजकोषीय समेकन को सुनिश्चित करना था। इस संतुलन को उच्च पूंजी व्यय, राज्यों को उच्च निवल संसाधन अंतरण और उच्च सकल कर राजस्व के माध्यम से तलाशा गया।

1.41 बजट 2015-16 द्वारा राजकोषीय घाटे को 2014-15 (संशोधित अनुमान) में 5.13 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 4.1 प्रतिशत) की तुलना में 5.56 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.9 प्रतिशत) पर थामने का प्रयास किया गया। वांछित राजकोषीय समेकन को संशोधित अनुमान 2014-15 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) में 15.8 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से प्राप्त किए जाने की योजना बनाई गई। 2015-16 के लिए समस्त गैर-ऋण प्राप्तियां 17.77 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय की तुलना में 12.2 लाख करोड़ रुपए होना अनुमानित था जो 2014-15 (संशोधित अनुमान) से 5.7 प्रतिशत अधिक था। कुल व्यय के अंतर्गत, पूंजी व्यय में अपेक्षित वृद्धि 25.5 प्रतिशत थी जो व्यय की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

1.42 2015-16 में अनुकूल राजकोषीय परिणाम तेल की कीमतों में कमी की सहायता से संवर्धित कर उछाल और विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन के कारण प्राप्त हुआ। 2015-16 की पहली तीन तिमाहियों में जीटीआर में मजबूत वृद्धि को केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में लगभग 68 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अप्रत्यक्ष करों में 34.8 प्रतिशत की वृद्धि से सहायता मिली। उत्पाद शुल्क के संग्रहण में आंशिक रुप से सक्रिय तौर पर संवर्धित आर्थिक गतिशीलता के साथ-साथ कच्चे तेल की गिरती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की हालत में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने जैसे उपायों से सहारा मिला है। कर अंतरण के क्षेत्र में, कर अंतरण व्यवस्था में बदलाव के साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपे जाने वाले करों को पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले बढ़ाकर अप्रैल-दिसम्बर 2015 में 36.6 प्रतिशत कर दिया गया है। चालू वर्ष के पहले नौ माह में व्यय में प्रवृत्तियां प्रोत्साहित करने वाली हैं और मुख्यय रूप से योजनागत व्यय के कारण पूंजी व्यय में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि व्यय की संवर्धित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए काफी हद तक बजटीय लक्ष्य के समान है।

1.43 चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में राजस्व और व्यय के स्वरूप को देखते हुए, प्रस्तावित नाममात्र की जीडीपी वृद्धि से भी कम वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, जीडीपी के 3.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य साध्य प्रतीत होता है।

मूल्य और मौद्रिक प्रबंधन

मूल्य

1.44 वर्ष 2015-16 में देश में आम मूल्य स्तरों में संयम की घटना जारी रही। भारत के कच्चे तेल की बास्केट की कीमतों में इसके प्रत्यक्ष और दूसरे दौर के प्रभावों के माध्यम से पर्याप्त गिरावट ने दूसरे क्रमिक वर्ष में सामान्य मुद्रास्फीति में गिरावट में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। इसके अलावा, सुरक्षित भंडारण, समय पर अनाजों के निर्गमन और दालों के आयात और कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में सीमित वृद्धि के माध्यम से सरकार की मुद्रास्फीति की दक्ष नीतियों और प्रबंधन ने 2015-16 के दौरान अत्यावश्यक जिंसों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद की है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के

लिए संयुक्त) श्रृंखला पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जनवरी 2015-16 के दौरान कम होकर 4.9 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के संदर्भ में खाद्य मुद्रास्फीति 2014-15 में 6.4 प्रतिशत की तुलना में कम होकर अप्रैल-जनवरी 2015-16 में 4.8 रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मूल (खाद्य-भिन्न, ईंधन-भिन्न) मुद्रास्फीति सीमाबद्ध रही, जिसमें मार्च, 2015 में 4.2 प्रतिशत से जनवरी, 2016 में 4.7 प्रतिशत मामूली वृद्धि हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) के विभिन्न उप-समूहों के लिए, मुद्रास्फीति में गिरावट व्यापक आधार वाली थी और इसका मुख्य कारण खाद्य चीजों और खाद्य-भिन्न, ईंधन-भिन्न श्रेणी के तहत वस्तुओं की कीमतों में कमी था। खाद्य-भिन्न, ईंधन-भिन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में व्यापक रूप से गिरावट का कारण, आवास (किरायेदारी), परिवहन, संचार, शिक्षा तथा अन्य सेवाओं की मुद्रास्फीति में गिरावट था।

1.45 वस्तुओं और उत्पादों की कीमतों में गिरावट के वैश्विक रुझान के बाद हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में गिरावट हुई। नवम्बर, 2014 से थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति नगण्य स्तर पर रही है और 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में यह (-) 2.8 प्रतिशत थी जबकि 2014-15 में यह 2.0 प्रतिशत रही थी। ईंधन और विद्युत उप-समूह में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में अत्यधिक गिरावट आई और यह 2014-15 में (-) 0.9 प्रतिशत से 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में (-) 12.3 प्रतिशत रही। वैश्विक वस्तुओं के मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप थोक मूल्य सूचकांक आधारित मूल्य मुद्रास्फीति में 2014-15 में 2.4 प्रतिशत से 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) तक (-) 1.5 प्रतिशत गिरावट आई। इस वर्ष औसत से कम वर्षा होने और वर्ष की दूसरी छमाही में दालों और कुछेक अन्य वस्तुओं की कीमतों में यदाकदा अधिक वृद्धि होने के बावजूद, 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान थोक मूल्य सूचकांक आधारित संयुक्त खाद्यान्न मुद्रास्फीति 2.2 प्रतिशत पर संयत बनी रही।

मौद्रिक घटनाक्रम

1.46 मुद्रास्फीति के सुगम होने और मुद्रास्फीति संबंधी संभावनाओं के मंद रहने से, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की कटौती द्वारा इसे 7.75 प्रतिशत करने के साथ 15 जनवरी, 2015 को अपनी नीतिगत मौद्रिक अवस्थित में बदलाव किया। 4 मार्च, 2015 और 2 जून, 2015 को 25 आधार बिन्दुओं और 29 सितम्बर, 2015 को 50 आधार बिन्दुओं तक की अनुवर्ती कटौती करके इसे और 100 आधार बिन्दुओं अर्थात् 6.75 प्रतिशत तक लाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 फरवरी, 2016 को अपने छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में नीतिगत रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया।

1.47 मुख्यत: सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के कारण 2015-16 की प्रथम तिमाही के दौरान नकदी की परिस्थितियां सामान्य तौर पर तंग रहीं। तथापि, वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में, नकदी की परिस्थितियां काफी सुगम रहीं क्योंकि सार्वजनिक खर्च बढ़ गया और जमाओं के कारण उधार में अत्यधिक वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही में त्यौहारी मौसम की मुद्रा मांग की मुख्य वजह से नकदी की परिस्थितियां पुन: तंग हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार प्रचालनों (ओएमओ) के साथ-साथ नकदी समायोजन सुविधा के तहत् नियमित नकदी प्रचालनों के अतिरिक्त संघर्षमय कारकों से उत्पन्न होने वाली दैनंदिन नकदी आवश्यकताओं का निराकरण करने के उद्देश्य से परिवर्तनीय दर रेपो और उलट रेपो (ओवरनाइट एन्ड टर्म) नीलामियां कीं। तद्नुसार, भारित औसत मांग दर या मौद्रिक नीति की संचालन लागत नीतिगत रेपो दर के सन्निकट रही।

बैंकिंग क्षेत्र में नए पहल

1.48 चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कार्य निष्पादन मंद रहा। बैंक उधार में वर्षानुवर्ष वृद्धि 10 प्रतिशत से नीचे रही। नवम्बर, 2015 को समाप्त पखवाड़े में, ऋण वृद्धि 9.3 प्रतिशत रही। बैंक ऋण में धीमी वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं यथा:

(क) मौद्रिक नीति का अपूर्ण संप्रेषण क्योंकि बैंकों ने लेनदारों तक समग्र लाभ नहीं पहुंचाया; (ख) बढ़ती अनर्जक आस्तियों के कारण बैंकों की ऋण देने में अनिच्छा; (ग) कारपोरेट के संतुलन पत्रों की स्थिति खराब होना,

इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने निवेश निर्णय रोकने पर विवश होना पड़ा; (घ) बांड बाजार में ब्याज दरों का लेनदारों के लिए अधिक आकर्षक होना। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पादक क्षेत्रों को लगभग आधे संसाधनों के प्रवाह की पूर्ति बैंक ऋण से की जाती है।

1.49 प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत सरकार के प्रयासों के चलते वर्ष के दौरान मूल बचत बैंक जमाखाता खोलने में काफी बढ़ोतरी हुई। सभी भारतीयों विशेषकर निर्धन और लाभ वंचित वर्गों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने हेतु बीमा और पेंशन क्षेत्रों में 2015 में 09 मई, 2015 को पैन इंडिया आधार पर तीन स्कीमों का शुभारंभ किया गया, अर्थात प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना।

1.50 केंद्रीय बजट 2015-16 में अंतिम चरण के वित्तपोषकों का पुर्नवित्तपोषण करने के लिए सूक्ष्म एकक विकास पुर्नवित्त एजेंसी बैंक की स्थापना करने की घोषणा के अनुसरण में 08 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। मुद्रा में दो उत्पादों की पेशकश के प्रयास किए जाते हैं, अर्थात 10 लाख के दायरे में ऋण की आवश्यकता वाले उत्पादों का पुर्नवित्त पोषण और पुनर्वित्तपोषण के जरिए सूक्ष्म वित्तपोषण संस्थाओं की सहायता करना। उत्पादक प्रयोजन से सोना जुटाने और सोने के आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए 2015 में दो प्रमुख स्कीमें शुरू की गईं: (i) सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम और (ii) स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम।

विदेशी क्षेत्र

1.51 वर्ष 2015 में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि कुछ उन्नत देशों में विकास की गति में संतुलित वृद्धि हुई है, तथापि उभरते बाजार और विकासशील देशों में विकास लगातार पांचवें वर्ष गिरा है। इसके परिणामस्वरूप, 2015 में समग्र वैश्विक आर्थिक क्रियाकलाप मंद रहा है। 19 जनवरी, 2016 को प्रकाशित अपने अद्यतन अपडेट ऑफ दि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2015 में 3.1 प्रतिशत से 2016 में 3.4 प्रतिशत और आगे 2017 में 3.6 प्रतिशत सुधार आने का अनुमान लगाया गया है। उन्नत देशों में विकास 2016 में 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है और इसी दर से 2017 में विकास जारी रहेगा।

1.52 चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट और पुनर्संतुलन, वस्तुओं की कम कीमतें और कुछ बड़े उभरते बाजार एवं विकासशील देशों में बाधाओं के प्रभाव 2016-17 में उनकी विकास संभावनाओं पर जारी रह सकते हैं। आकलनों से पता चलता है कि उभरते बाजार और विकासशील देशों (ईएमडीई) में मिली-जुली मुद्रास्फीति की घटनाएं कमजोर घरेलू मांग और वस्तुओं की कम कीमतें बनाम विगत वर्षों में उल्लेखनीय मुद्रा के अवमूल्यन का विरोधाभाषी निहितार्थ दर्शाती हैं। डब्ल्यूईओ के अद्यतन से भी पता चला है कि भारत और शेष उभरते एशिया के देश सुखद स्थिति में है, क्योंकि कुछ अन्य देश चीन की आर्थिक पुनर्संतुलन एवं वैश्विक विनिर्माण की दुर्बलता से विकट बाधाओं का सामना कर रहे हैं। विश्व व्यापार की मात्रा का विकास 2015 और 2016 के लिए क्रमशः 2.6 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत अनुमानित है, जो डब्ल्यूईओ द्वारा अक्टूबर 2015 में पहले अनुमान लगाए गए से बहुत कम है।

भारत का पण्य वस्तु व्यापार

1.53 असतत उच्च स्तरों पर पहुँचने के पश्चात, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में आयात संबंधी प्रतिबंधों के कारण व्यापार एवं चालू खाते के घाटे संतुलित हो गए थे। यह भी स्मरण रखना होगा कि वर्ष 2014-15 के मध्य में स्वर्ण पर प्रतिबंध हटा लिया गया था तथा वर्ष 2015-16 में कड़े उपायों को जारी रखना यह इंगित करता है कि बाह्य क्षेत्र की स्थिति सतत है। व्यापार की मात्रा में लगातार रूप से हो रही कम बढ़ोतरी तथा कमजोर वैश्विक संभावनाओं के बावजूद इस प्रकार का परिणाम प्राप्त होना काफी महत्वपूर्ण है। भारत का वाणिज्यिक निर्यात दिसंबर, 2014 से लगातार कम हो रहा है जोकि विभिन्न देशों में निर्यात की बढ़ोतरी के अनुरूप है। मौजूदा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-जनवरी 2015-16) के दौरान भारत के निर्यात की संवृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 17.6 प्रतिशत कम हो कर 217.7 बिलियन अमेरिकी डालर की रह गई और यह कमी काफी अधिक है। भारत के निर्यात में यह कमी वैश्विक मांग में मंदी तथा वैश्विक मदों विशेषकर पैट्रोलियम पदार्थों के कम मूल्यों के कारण हुई है।

1.54 धीमी बढ़ोतरी की वैश्विक प्रवृत्ति के कारण वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में आयात 15.5 प्रतिशत कम होकर 324.5 बिलियन अमेरिकी डालर रह गया है। अब तक, इस वर्ष कुल आयात में कमी के मुख्य कारण पैट्रोलियम पदार्थों तथा तेल एवं लुब्रिकेंट (पीओएल) का कम आयात करना है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक गिरावट के कारण पीओएल आयात वर्ष 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 124.8 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में 41.4 प्रतिशत कम होकर 73.1 बिलियन अमेरिकी डालर रह गया है। वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में पीओएल-भिन्न आयात 251.4 बिलियन अमेरिकी डालर का था जोकि वर्ष 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 259. 1 बिलियन अमेरिकी पीओएल-भिन्न आयात से 3.0 प्रतिशत कम था। वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में सोने एवं चांदी का आयात पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 31.3 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में 5.1 प्रतिशत बढ़कर 32.9 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। वर्ष 2014-15 में व्यापार घाटे में संतुलन के अन्य घटकों के साथ-साथ वर्ष 2014-15 में कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में 20.2 प्रतिशत की कमी के कारण पीओएल आयात के मूल्य में 16.0 प्रतिशत कमी होना था। व्यापार घाटे का यह संतुलन कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हो रही कमी के कारण वर्ष 2015-16 में भी जारी रहा जिसके कारण वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में व्यापार घाटा 106.8 बिलियन अमेरिकी डालर का था।

1.55 व्यापार के संयोजन एवं दिशा में परिवर्तन हो रहा है तथा परिवर्तनशील घटकों का कुल व्यापार के उच्चतर अनुपात के लिए लेखांकन किया जाता है और इसलिए व्यापार की दिशा परिवर्तित हो रही है। वर्ष 2015-16 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एवं सीआईएस को किए जाने वाले निर्यात में काफी कमी आई। समस्त पांचों क्षेत्रों से किए जाने वाले आयात में कमी आई है जिसके अंतर्गत वर्ष 2015-16 (अप्रैल-दिसंबर) में अमेरिका से किए जाने वाले आयात में 21.5 प्रतिशत की सबसे अधिक कमी आई है। वर्ष 2015-16 (अप्रैल-दिसंबर) में भारत में चीन से किए जाने वाले आयात में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि अन्य प्रमुख देशों से किए जाने वाले आयात में वृद्धि दर नकारात्मक रही है।

व्यापार नीति एवं विश्व व्यापार संगठन वार्ता

1.56 निरंतर कम हो रहे आयात को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में तथा नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं जिनकी घोषणा 1 अप्रैल, 2015 को की गई थी। नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवाओं, दोनों क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने तथा व्यापार के लिए सुविधाओं में सुधार करने पर बल दिया गया है। एफटीपी का उद्देश्य वर्ष 2019-20 तक भारत द्वारा अमेरिका को 900 बिलियन अमेरिकी डालर का निर्यात करना और इस दिशा में सुविधाजनक व्यापार करने के लिए 'मेक इन इंडिया' एवं 'डिजीटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों के साथ सरकार द्वारा सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

1.57 विश्व व्यापार संगठन (डब्लयूटीओ) के मंत्रियों का दसवां सम्मेलन दिनांक 15-19 दिसंबर, 2015 के बीच नरौबी, केन्या में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के परिणाम, जिसे ''नैरोबी पैकेज'' के रूप में उद्धृत किया जाता है, में कृषि, कपास एवं अल्प विकसित देशों (एलडीसीज्) से जुड़े मुद्दों पर मंत्रीस्तरीय निर्णय सम्मिलित हैं। इसके तहत खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग, विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षोपाय तंत्र (एसएसएम), विशेष रूप से विकसित देशों से कृषिगत निर्यातों के लिए प्रदान किए जाने वाली निर्यात सब्सिडियों को समाप्त किए जाने का संकल्प, एवं कपास से जुड़े उपाय सम्मिलित हैं। सेवाओं के क्षेत्र में अल्प विकसित देशों (एलडीसी) को तरजीह प्रदान किए जाने पर निर्णय लिए गए एवं उन शर्तों को निर्धारित करने पर निर्णय लिया गया कि अन्य विकसित देशों (एलडीसीज्) से निर्यात द्वारा व्यापार वरीयता को लाभान्वित होती है या नहीं। जहां तक व्यापार वार्ता के दोहा दौर के भविष्य का संबंध है, नैरोबी मंत्रीस्तरीय घोषणापत्र भविष्य की वार्ताओं के आधार के रूप में दोहा अधिदेश की प्रासंगिकता की तसदीक करने को लेकर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के बीच अंतर को दर्शाता है। बहुपक्षीय वार्ताओं की प्रक्रिया के धीमे पड़ने के साथ ही, व्यापक-क्षेत्रीय व्यापार करार जैसे ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी का उदय हुआ है। दीर्घ अवधि में कई उभरते हुए देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रभावी हितों एवं वर्तमान सदस्य देशों पर जोर के कारण

भारत जैसे उभरते हुए बाजारों की आवश्यकताओं का इसके साथ तालमेल नहीं भी बैठ सकता है।

भुगतान शेष

1.58 2015-16 की प्रथम छमाही के दौरान पण्य निर्यातों में ह्रास के बावजूद, भारत के भुगतान शेष की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। कुछ मुख्य बाह्य क्षेत्र घटनाएं निम्नलिखित हैं: (i) निम्न व्यापार घाटा एवं अदृश्य क्षेत्रों में उचित विकास के परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा (सीएडी) कम रहा है, (ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह एवं अनिवासी भारतीय जमाओं (एनआरआई) जमा में वृद्धि जारी रही है, और (iii) पोर्टफोलियो निवेश का निवल बहिर्वाह। यद्यपि, पोर्टफोलियो के तहत निवल प्रवाह निवेश, पूंजी/वित्तीय प्रवाह, सीएडी से अधिक था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके समामेलन से भंडारों में अभिवृद्धि हुई है।

1.59 व्यापार घाटा (भुगतान शेष आधारित) 2014-15 (अप्रैल-सितंबर) के 74.7 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2015-16 (अप्रैल-सितंबर) में 71.6 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। 2015-16 की प्रथम छमाही में निवल अदृश्यों का अधिशेष 1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 57.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। अदृश्य अधिशेष में सामान्य वृद्धि के साथ ही निम्न व्यापार घाटा के कारण चालू खाता घाटा कम रहा है जोकि 2014-15 में 26.8 बिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) और 2015-16 की प्रथम छमाही में 14.4 बिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 1.4 प्रतिशत) रहा।

1.60 2014-15 की प्रथम छमाही में 22.2 बिलियन यूएस डॉलर के निवल अन्तर्वाह के विरुद्ध 2015-16 की प्रथम छमाही में निवल पोर्टफोलियो निवेश में 8.7 बिलियन यूएस डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया गया। 2015-16 की प्रथम छमाही में निवल एफडीआई 16.7 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गई (2014-15 की प्रथम छमाही में 15.1 बिलियन यूएस डॉलर थी)

विदेशी वाणिज्यिक उधार पूंजी/वित्त खाता की अपेक्षाकृत कम लोचशील अन्य मद है। 2014-15 में निवल ईसीबी 1.6 बिलियन अमरीकी डालर थी; 2015-16 की पहली तिमाही के दौरान, निवल ईसीबी में 0.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया। 2015-16 की पहली छमाही के दौरान भारतीय अनिवासी जमा राशि बढ़कर 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई जबकि 2014-15 की पहली छमाही के दौरान यह 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2014-15 के दौरान निवल पूंजी प्रवाह 88.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर दूसरा सबसे अधिक प्रवाह रहा। 2007-08 में सबसे अधिक 107.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। 2014-15 के दौरान निवल पूंजी प्रवाह सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत रहा (2013-14 के दौरान जीडीपी का 2.6 प्रतिशत)। 2014-15 की प्रथम छमाही में 36.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2015-16 की प्रथम छमाही के दौरान निवल पूंजी/वित्त प्रवाह 24.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। पूंजी अंतर्वाह में समुचित वृद्धि के साथ ही चालू खाता घाटे के निम्न स्तरों के परिणामस्वरूप 2015-16 की प्रथम छमाही में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि हुई।

विदेशी मुद्रा भंडार

1.61 5 फरवरी 2016 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 351.5 बिलियन यूएस डॉलर था जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी 328.4 बिलियन यूएस डॉलर विदेशी मुद्रा आस्तियों की थी जोकि कुल का लगभग 93.4 प्रतिशत बैठती थी। वर्ष 2015-16 में मुद्रा भंडार में वृद्धि के साथ सभी परंपरागत भंडार आधारित बाह्य क्षेत्र भेद्यता संकेतकों जैसे आयात तथा अल्पावधिक ऋण के लिए विदेशी कवर में सुधार हुआ है।

विनिमय दर

1.62 वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, रुपये की औसत विनिमय दर में 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में क्रमश: 60.92 प्रति यूएस डॉलर से 65.04 प्रति यूएस डॉलर का मूल्य ह्रास हुआ है। इसका मुख्य कारण यह था कि सभी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में, यूएसए की अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि के कारण मजबूती आई। साथ ही साथ, चीन की अर्थव्यवस्था तथा मुद्रा में ह्रास हुआ, परिणामस्वरूप वैश्विक निवेशकों के जोखिम से बचने की अवधारणा के कारण अन्य ईडीएमई के दृष्टिकोण भी प्रभावित हुए। तथापि, इसका उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है अब तक वर्ष 2015-16 में ईडीएमई की अधिकतर मुद्राओं की तुलना में रुपए की स्थिति मजबूत रही है। (चीनी यूआन को छोड़कर)।

विदेशी ऋण

1.63 उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2015 के अंत में भारत का विदेशी ऋण स्टाक 8.0 बिलियन यूएस डॉलर (1.7 प्रतिशत) से बढ़कर सितंबर 2015 में 483.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। विदेशी ऋण भंडार में वृद्धि का मुख्य कारण दीर्घावधिक ऋण था तथा इसमें विशेषकर वाणिज्यिक उधार एवं अनिवासी भारतीय जमाओं का मुख्य योगदान रहा था। तथापि, क्रमिक आधार पर कुल विदेशी ऋण में जून 2015 के अंत से सितंबर 2015 के अंत तक 291 मिलियन यूएस डॉलर की गिरावट हुई। भारत के विदेशी ऋण के परिपक्वता पैटर्न से यह पता चलता है कि दीर्घावधिक उधारों की प्रमुखता रही है। सितंबर 2015 के अंत में दीर्घावधिक ऋण भारत के कुल विदेशी ऋण का 82.2 प्रतिशत था, जिसकी प्रतिशतता मार्च 2015 के अंत में 82.0 प्रतिशत थी। तद्नुसार, अल्पावधिक ऋण में समानुपातिक गिरावट आई। भारत का विदेशी ऋण सुरक्षित सीमा के अधीन है जिसका 2014-15 में विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात 23.7 प्रतिशत एवं ऋण सेवा अनुपात 7.5% था।

1.64 सितंबर 2015 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल विदेशी ऋण स्टाक का 72.5 प्रतिशत था जो मार्च 2015 के अंत में 71.9% था। मार्च 2015 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार का अल्पावधिक विदेशी ऋण अनुपात 25.0 प्रतिशत था जबकि सितंबर 2015 के अंत में यह 24.6 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण का रियायती अनुपात मार्च 2015 के अंत में 18.0 प्रतिशत था जोकि तेजी से गिरकर सितंबर 2015 के अंत में 17.8 प्रतिशत रह गया।

बाह्य क्षेत्र दृष्टिकोण

1.65 समय-समय पर वैश्विक आर्थिक बाजारों में उठापटक तथा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति की अतिरेकता के कारण वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण लंबे समय से अनिश्चितताओं के दौर में रहा है। हाल के दिनों की अनिश्चितताओं का कारण गतिविधियां और चीन की वृद्धि दर, वित्तीय बाजारों एवं मुद्रा संबंधी चिंताएं हैं। पिछला जमा स्टॉक (स्पिलओवर) के कारण कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को झटके लग रहे हैं। भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद तथा पण्यों के मूल्य कम होने के कारण भारत का बाह्य क्षेत्र परिणाम लगातार मजबूत तथा टिकाऊ बना हुआ है। इस प्रकार, अगले वित्तीय वर्ष से पूर्व कुछ समय के लिए निर्यात संबंधी मंदी बरकरार रह सकती है, वैश्विक पण्यों के मूल्य कम रहने के कारण ऐसे शुभ संकेत हैं कि व्यापार तथा चालू खाता घाटा निम्न रह सकते हैं। ऐसी संभावना है कि जीडीपी के अनुपात में सीएडी 1-1.5 प्रतिशत तक कम रह सकता है। जबकि वैश्विक विकास जैसे चीन संबंधी चिंताएं तथा अमेरिका की मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण का प्रभाव वैश्विक वित्तीय प्रवाह पर पड़ सकता है, साथ ही नीतिगत सुधारों एवं मजबूत आर्थिक बुनियाद के परिणामस्वरूप चालू खाता में घाटा होने की संभावना पूर्ण वित्तपोषित स्थायी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक होने की संभावना है, तथा वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिमय दर कम हो सकती है।

दृष्टिकोण

1.66 भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी आर्थिक बुनियाद में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है एवं महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार, राजकोषीय समझदारी एवं समेकन का अनुसरण, मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण व्यापक-भेद्यता को कम करने की दिशा में शानदार तरक्की की है एवं इसके परिणामस्वरूप मूल्य स्थितियां अनुकूल तथा विदेशी चालू खाता अनुकूल स्तर पर रहे हैं। समुन्नत औद्योगिक विकास के कारण सेवा क्षेत्र में अच्छे माहौल हैं, जिससे समग्र आर्थिक विकास की गति में तेजी बनी हुई है। विपरीत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में एवं इसके साथ ही जारी रहने वाले कमजोर मानसून का कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ने के बावजूद सीएसओ ने 2015-16 में 7.6 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया है जोकि उत्साहवर्धक है। इसके बिल्कुल विपरीत, अनिश्चितताओं से भरी हुई और मांग की मंदी का सामना कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था विश्वास उत्पन्न करने में असफल रही है। जबकि उभरते हुए बाजारों की अर्थव्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से मंद पड़ी हैं, बृहत चीनी अर्थव्यवस्था, निवेश एवं उपभोग गतिविधियों संबंधी चिंताओं के पुनर्संतुलन की कोशिश कर रही है। इस वातावरण में, भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक आर्थिक स्थिरता, समुत्थानिकता एवं

आशा का केन्द्र बनी हुई है, साथ ही ऐसी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जीडीपी विकास दर 7.0 से 7.7 प्रतिशत के बीच रह सकती है।

1.67 स्थिर व्यापक आर्थिक स्थितियों के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के कारण, अर्थव्यवस्था की उपरोक्त विकास संभावनाएं समुचित प्रतीत होती हैं। तथापि, इस दृष्टिकोण में कई कारक सम्मिलित हैं, जिसमें से कई डाउनसाइड जोखिमों को इंगित करते हैं, इसमें सबसे मजबूत कारक हैं वैश्विक स्तर पर मांग में मंदी का होना। 2015-16 में, विदेशी भेद्यता संकेतकों में सुधार हुए हैं और अधिकांश उभरते हुए बाजार की अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं की तुलना में रुपये ने मूल्यह्रास के दबाव का सामना बेहतर तरीके से किया है। फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ बेहद करीब से जुड़ी हुई है; आयात एवं निर्यात की सम्मिलित हिस्सेदारी जीडीपी का 42 प्रतिशत है, ऐसा तब है जब 2015-16 मैं वैश्विक मांग में मंदी रही है। इसका मजबूत पक्ष है कि 2016 में भारत के व्यापारिक साझेदारों के समग्र विकास में समुचित सुधार की संभावना भी व्यक्त की गई है। समुन्नत प्रतिस्पर्द्धा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर अवधारणाएं बेहतर निवेश अन्तर्वाह के रूप में परिलक्षित होती है।

1.68 कुल मांग की दृष्टि से, समग्र निवेश में कमी के बावजूद घरेलू आमेलन पर्याप्त रूप से मजबूत बनी हुई है। बाद के, निजी उपभोग विकास के बड़े वाहक रहे हैं। अगले वर्ष में, उपभोग के मोर्चे पर संभावित बदलाव निम्नलिखित हैं: प्रथमत:, गिरते हुए तेल मूल्यों से होने वाले उपभोग प्रोत्साहनों में अगले वर्ष में आंशिक रूप से मंदी आ सकती है; द्वितीयत:, वेतन आयोग को लागू किए जाने पर उपभोग मांग में मजबूती आ सकती है; तृतीयत:, कृषि क्षेत्र के परिवर्धित निष्पादन से ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा मिल सकता है। तथापि, उपभोग के आधार पर अनंतकाल तक विकास की उच्चगति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राजकोष के सही समेकन पर सरकार के ध्यान देने से सामान्य सरकारी उपभोग व्यय में वृद्धि का विकल्प सीमित हो सकता है। निजी कॉर्पोरेट बचत एवं निवेश से 2014-15 में उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिले: लेकिन सांयोगिक परिणाम कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता के संकेतों से प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, उद्योग एवं इन्टरप्राइज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बहुमुखी उपायों से निवेश आधारित विकास की वापसी हो सकती है।

1.69 संक्षेप में, अल्पावधि में, भारतीय विकास इसकी 8-9 प्रतिशत की वृद्धि संभावना से कम रह सकता है। फिर भी, आगामी वर्ष में उत्थान शक्ति के साथ अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी को सहन कर सकती है तथा वृहत-आर्थिक स्थिरता में लाभदायक समेकन कर सकती है। यह एक विचार है कि बहुपक्षीय संस्थाओं ने, अपने अद्यतन मूल्यांकनों को सत्यापित भी किया है।

क्षेत्रक गतिविधियां

कृषि

1.70 देश के सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 की कीमतों पर) में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के योगदान में गिरावट आती रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान, कृषि की वृद्धि दरों में 2012-13 में 1.5 प्रतिशत, 2013-14 में 4.2 प्रतिशत और 2014-15 में (-)0.2 प्रतिशत की घट-बढ़ होती रही है और 2015-16 में 1.1 प्रतिशत रहने की संभावना है। कृषि में वृद्धि की अनिश्चितताएं इस तथ्य से स्पष्ट होती हैं कि भारत में 60 प्रतिशत कृषि वर्षा पर आधारित है और हमारे यहां 2014-15 और 2015-16 में दो वर्ष लगातार सामान्य से कम वर्षा हुई है।

1.71 15 फरवरी, 2016 को 2015-16 के लिए जारी दूसरे आग्रेम अनुमानों के अनुसार, 2015-16 के दौरान खाद्य उत्पादन 253.16 मिलियन टन अनुमानित है जो 2014-15 के दौरान 252.02 मिलियन टन के उत्पादन से 1.14 मिलियन टन उच्चतर है। चौथे वार्षिक अनुमान के अनुसार, 2014-15 में खाद्यान्न का उत्पादन 252.7 मिलियन टन (चावल 104.8 मिलियन टन और गेहूं 88.9 मिलियन टन) रहा है जबकि 2013-14 (अंतिम अनुमान) में यह 265.0 मिलियन टन (चावल 106.6 मिलियन टन और गेहूं 95.9 मिलियन टन) रहा तथा दालों का उत्पादन 17.2 मिलियन टन, गन्ना 359.3 मिलियन टन, तिलहन 26.7 मिलियन टन और कपास 170 किलोग्राम के प्रत्येक गट्ठे में 35.5 मिलियन होने का अनुमान है।

1.72 वर्तमान में, कृषि क्षेत्र द्वारा बहुमुखी मुद्दों और

तालिका 1.11: कृषि क्षेत्र: मुख्य संकेतक (2011-12 की कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन)

मद	2011-12*	2012-13*	2013-14*	2014-15@
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स.घ.उ. में वृद्धि (2011-12 की स्थिर कीमतों पर)	5.0#	1.5	4.2	-0.2
कुल जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा (2011-12 की वर्तमान कीमतों पर)	18.5	18.2	18.3	17.4
फसलों का हिस्सा	12.1	11.8	11.9	10.9
पशुधन का हिस्सा	4.0	4.1	4.1	4.4
वानिकी और लकड़ी व्यवसाय का हिस्स	1.5	1.5	1.4	1.2
मत्स्य व्यवसाय का हिस्सा	0.8	0.9	0.9	0.9
कुल जीसीएफ में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा (2011-12 की वर्तमान कीमतों पर)	8.6	7.8	8.6	7.7
फसलों का हिस्सा	7.3	6.6	7.3	6.4
पशुधन का हिस्सा	0.8	0.8	0.8	0.8
वानिकी और लकड़ी व्यवसाय का हिस्स	0.1	0.1	0.1	0.1
मत्स्य व्यवसाय का हिस्सा	0.4	0.4	0.5	0.5
क्षेत्र के जीवीए में प्रतिशत के रूप में कृषि और संबंध क्षेत्र का जीसीएफ (2011-2012 की वर्तमान कीमतों पर)	18.3	16.3	17.0	15.8

स्रोत: सीएसओ

टिप्पणी: # 2004-2005 की कीमतों पर * द्वितीय सं.अ (नयी श्रृंखला) @ प्रथम सं.अ

चुनौतियों का सामना किया गया है तथा इसके पुनर्जीवन के लिए, महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न अवधारणा का अनुसरण करने की आवश्यकता है। अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने और इस क्षेत्र के रूपांतरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता है:

- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए 'प्रति बूंद अधिक उपज' हासिल करने के लिए जल प्रभावी सिंचाई का विस्तार करने के लिए निवेशों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। सिंचित क्षेत्र के न्यून और संकुचित विभाजन को उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिए सुधारने की आवश्यकता है।
- भारत की सर्वोत्तम कृषि संभावना तक पहुंचने के लिए, सिंचाई के साथ, उर्वरक, गुणवतायुक्त बीजों और कीटनाशकों जैसे अन्य साधनों का प्रभावी प्रयोग भी अपेक्षित है।
- डेरी, एक सहबद्ध क्षेत्र, की सफलता दुग्ध संग्रहण, परिवहन, संस्करण और संवितरण की एकीकृत सहकारिता प्रणाली का परिणाम रहा है। डेरी उद्योग में मूल्य वर्धित उत्पादों के माध्यम से उत्पादक की भिन्नता ने आपूर्तिकर्ताओं पर मौसमी प्रभाव को कम किया है, जो एक ऐसी रणनीति है जिसे कृषि में अन्य सहबद्ध क्षेत्रों द्वारा अनुसरण किए जाने की आवश्यकता है।
- फसल-पश्च मूल्य श्रृंखला में अपशिष्ट में कमी लाकर कृषि उत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि करने की काफी संभावना है। भंडारण सुविधाओं और शुष्किरण सुविधाओं में निवेश के जरिए फसल-पश्च हानियों में कमी लाने से लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

उद्योग, कॉरपारेट और अवसंरचना का निष्पादन

1.73 औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए विभिन्न सुधार उपायों के कारण अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। राष्ट्रीय आय के सं.अ. के डाटा के अनुसार, खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जनउपयोगी सेवाओं तथा निर्माण वाले औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि, 2013-14 के दौरान 5.0 प्रतिशत की तुलना में, 2014-15 के दौरान 5.9 प्रतिशत रही है। हाल ही में, सीएसओ द्वारा जारी किए गए ए.ई के अनुसार वृद्धि का 2015-16 के लिए आगे और सुदृढ़ होकर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र के भीतर, विनिर्माण क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की

आशा है। 2015-16 के प्रथम नौ महीनों में, आईआईपी के अनुसार वृद्धि दर, 2014-15 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 2.6 प्रतिशत की तुलना में, 3.1 प्रतिशत थी। उद्योग में जीसीएफ की वृद्धि की दर में, उद्योग में निवेश की उर्ध्वगामी गति को दर्शाते हुए, 2013-14 में (-)3.7 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 3.6 प्रतिशत दर्ज की गई। संपूर्ण जीसीएफ में क्षेत्रवार शेयर दर्शाता है कि बिजली के हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि खनन, विनिर्माण और निर्माण में कमी आई है।

1.74 आठ मूल अवसंरचना सर्मथित उद्योगों -- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परिष्करणशाला उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली -- जो आईआईपी में लगभग 38 प्रतिशत बैठता है, ने अप्रैल-दिसंबर 2014-15 के दौरान 5.7 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा, अप्रैल-दिसंबर 2015-16 के दौरान 1.9 प्रतिशत की संचित वृद्धि दर्ज की। आठ मूल क्षेत्रों का माह-वार प्रदर्शन दर्शाता है कि कोयला और उर्वरक के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई जबकि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और स्टील में अधिकतर कमी आई। परिष्करणशाला उत्पादों, सीमेंट और बिजली में मामूली वृद्धि हुई।

1.75 कारपोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन ने मुख्य रूप से यह दर्शाया कि बिक्री की वृद्धि में 2014-15 की तीसरी तिमाही से संकुचन रहा है। इसी तरह, 2014-15 की तीसरी तिमाही से पूर्व की लगातार चार तिमाहियों में कच्चे माल के खर्चों में एकदम गिरावट देखी गई। 2014-15 के दौरान ब्याज खर्चों में वर्षानुवर्ष वृद्धि में 2013-14 की तुलना में मामूली गिरावट आई। ब्याज खर्चों की वृद्धि 2015-16 की प्रथम तिमाही में 9.4 प्रतिशत से आगे और कम होकर 2015-16 की दूसरी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रह गई थी। अन्य आय, जो 2014-15 की तीसरी तिमाही से संकुचित हो रही थी, 2015-16 की दूसरी तिमाही में 12.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। 2015-16 की दूसरी तिमाही में निवल लाभ में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खनन और विनिर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि 2014-15 की तुलना में 2015-16 में कम हो गई है। 2014-15 में 13.2 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में विनिर्माण क्षेत्र में ऋण प्रवाह की वृद्धि 2.5 प्रतिशत थी।

1.76 निवेश और व्यवसाय सौहार्द्रपूर्ण माहौल तैयार करने के दृष्टिगत, सरकार ने अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं और विधियों के सरलीकरण तथा यौक्तिकीकरण के लिए विभिन्न सुधार उपाय शुरु किए हैं। इनका प्रभाव दिखाई देने लगा है। सितंबर 2014 में पहलकदमियों के आरंभ होने के बाद, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, अक्तूबर 2014 से जून 2015 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंर्तवाहों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह, अप्रैल-नवंबर 2014-15 के दौरान 27.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में, अप्रैल-नवंबर 2015-16 के दौरान 34.8 बिलियन अमरीकी डालर थे, जो 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्वाह भी, अप्रैल-नवंबर 2014-15 के दौरान 18.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में, अप्रैल-नवंबर 2015-16 के दौरान बढ़कर 24.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गए जो 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.77 अवसंरचना क्षेत्र में विकास सरकार के लिए तरजीही क्षेत्र रहा है और इसमें सरकारी निवेश में वृद्धि देखी गई है। अवसंरचना क्षेत्र में अनेक सुधार शुरु किए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप अधिकतर क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि हुई है। मुख्य अवसंरचना क्षेत्र, नामतः विद्युत, सड़क, रेलवे, नागर विमानन, बंदरगाहों और दूरसंचार, ने 2013-14 की तुलना में 2014-15 में बेहतर प्रर्दशन किया है। 2014-15 के दौरान, बिजली उत्पादन 1023 बिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 1048.4 बिलियन यूनिट था, जिसमें वर्षानुवर्ष 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह के रूझानों के बने रहते हुए, वर्तमान वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2015) के दौरान देश में बिजली उत्पादन में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देश के नवीकरणीय उर्जा संभाव्य पर विचार करते हुए, सरकार ने इस क्षेत्र पर मुख्य ध्यान दिया है। देश में संचित उत्पादन क्षमता को 38,820 मैगावाट से अधिक बनाने के लिए, नवीकरणीय उर्जा स्रोत जैसे सौर और पवन, से कुल 3030 मैगावाट की ग्रिड-सहबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता इस वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) में अभी तक वर्धित की गई है।

1.78 भारतीय रेलवे में, मालभाड़ा, 2014-15 के

मालभाड़े के मुकाबले, अप्रैल-नवंबर 2015 के दौरान 9.0 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है, जो 1.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत, 31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 26,177 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई गई हैं। इसी तरह, नागर विमानन क्षेत्र में अप्रैल-नवंबर 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले घरेलू यातायात में 20.4 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात में 7.8 प्रतिशत का सुधार देखा गया। जबकि, अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान, 2014-15 में तदनुरूपी अवधि की तुलना में, सभी पतनों पर माल ढुलाई यातायात में 1.1 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और प्रमुख पतनों में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रमुख पतनों में 1.0 प्रतिशत की कमी हुई है। 2015-16 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र का प्रर्दशन प्रोत्साहक रहा है, अप्रैल-अक्तूबर 2015 के दौरान लगभग 33.4 मिलियन नए टेलीफोन कनेक्शन जोड़े गए हैं जो 2014-15 की तदनुरूपी अवधि में 29.7 मिलियन नए कनेक्शनों से काफी अधिक है।

सेवाएं क्षेत्र

1.79 सेवाएं क्षेत्र वैश्विक रूप से अति गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है और भारतीय आर्थिक विकास का एक प्रमुख उत्प्रेरक बना रहता है। संकट-पश्च अवधि (2010-14) में सेवाओं की वैश्विक वृद्धि 2.5 प्रतिशत थी जो संकट-पूर्व अवधि (2001-8) में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि से न्यून थी। संकट-पूर्व अवधि में भारतीय सेवाएं क्षेत्र वृद्धि 9.3 प्रतिशत थी जो संकट पश्च अवधि में गिरकर 8.6 प्रतिशत रह गई। विश्व संकट-पश्च के दौरान वाणिज्यिक सेवाएं निर्यात की मिश्रित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) संकट-पूर्व अवधि के दौरान 15.0 की तुलना में गिरकर 6.4 प्रतिशत रहने के साथ, वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव सेवाएं कारोबार में अधिक प्रकट किया गया। संकट-पूर्व और संकट-पश्च अवधियों के दौरान भारत के लिए तदनुरूपी वृद्धि क्रमशः 30.1 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत थी। 2015 में, विश्व का सेवाएं कारोबार तिमाही 1 से तिमाही 3 तक के दौरान ऋणात्मक था, और भारत के लिए यह तिमाही 2 और तिमाही 3 में था।

1.80 उप-सेवाएं क्षेत्र जैसे कारोबार, मरम्मत, होटल और रेस्तंरा (10.7 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं (7.9 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा (9.8 प्रतिशत) और अन्य सेवाएं (11.4 प्रतिशत) में उच्चतर वृद्धि के चलते, भारत में सेवाएं क्षेत्र वृद्धि पिछले वर्ष की 7.8 प्रतिशत से 2014-15 में बढ़कर 10.3 प्रतिशत हो गई। 2015-16 में, मुख्य रूप से 2014-15 में हासिल की गई 10.7 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 6.9 प्रतिशत की न्यून वृद्धि के चलते, वा.अ. के अनुसार, सेवाएं क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत (सत्त मूल्यों) की वृद्धि दर्ज की गई।

1.81 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सेवाओं का हिस्सा राज्यों में भिन्न है। 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में से जिनका 2014-15 के लिए डाटा उपलब्ध है, दिल्ली के लिए सेवाएं क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 87.5 प्रतिशत बैठता है, जिसके बाद महाराष्ट्र 63.8 प्रतिशत पर है और इनकी विकास दर क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत है। दूसरी ओर, 2014-15 में अरूणाचल प्रदेश में सेवाएं क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद का केवल 30.2 प्रतिशत बैठता है।

1.82 2014-15 में, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंर्तवाह 27.3 प्रतिशत तक बढ़कर 30.9 बिलियन अमरीकी डालर रहा, सेवाएं क्षेत्र (निर्माण सहित शीर्ष 10 सेवाएं) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंर्तवाह 70.4 प्रतिशत के उछाल के साथ 16.4 बिलियन पर पहुंच गया। सेवाएं क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंर्तवाह 74.7 प्रतिशत तक बढ़कर 14.8 बिलियन अमरीकी डालर के साथ, वृद्धि का यह दौर 2015-16 के प्रथम सात महीनों में जारी है, जबकि कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंर्तवाह 26.1 प्रतिशत तक बढ़कर 27.1 बिलियन अमरीकी डालर रहा।

1.83 भारत की सेवाओं का निर्यात 2001 में 16.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2014 में 155. 6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जिससे भारत विश्व का आठवां सबसे बड़ा सेवाओं का निर्यातक बन गया। वैश्विक सेवाएं निर्यातों में भारत की सेवाओं के निर्यात का हिस्सा 2014 में 3.2 प्रतिशत पर वैश्विक व्यापारिक निर्यातों में 1.7 प्रतिशत पर इसके व्यापारिक निर्यातों का लगभग दो गुना है। बाद में, भारत के सेवाएं

निर्यातों में ढिलाई देखी गई, यह 3.7 प्रतिशत के साथ 2014-15 की दूसरी छमाही से अधिक दृष्टिगोचर रहा, जो 2015-16 की प्रथम छमाही में आगे और 0.7 तक गिर गया। वैश्विक गिरावट का सेवाओं के निर्यातों पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेट सेवाओं में वद्धि, जो हाल के वर्षों में भारत के व्यापार घाटे के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत रहा है, 2013-14 में 12.4 प्रतिशत से 2014-15 में 5.0 प्रतिशत तक गिर गया और 2015-16 की प्रथम छमाही में (-) 3.1 प्रतिशत रह गया। यह मुख्य रूप से परिवहन सेवाओं से प्राप्तियों में 17 प्रतिशत की कमी और गैर-सॉफ्टवेयर विविधा सेवाओं के भुगतानों में वृद्धि के चलते था।

1.84 विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और 2014 में विदेशी मुद्रा अर्जनों (एफईई) में लगभग 9.7 प्रतिशत की वृद्धि थी। 2015 में, यह एफटीए के अनुसार 4.5 प्रतिशत तक गिर गई और एफईई के अनुसार 2.8 प्रतिशत तक गिर गई।

1.85 हाल के वर्षों में, जहाजरानी क्षेत्र कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। बैलटिक ड्राइ इंडेक्स, मालभाड़ा सूचकांक और कारोबार की सुदृढ़ता के लिए अच्छा संकेतक और जहाजरानी सेवाओं का एक सूचकांक मई 2008 में 10720 से गिरकर दिसंबर 2008 में 747 रह गया, परंतु मई 2009 में इसमें 2517 तक आंशिक सुधार हुआ। यद्यपि, आगामी वर्षों में यह थोड़ा-सा मजबूत हुआ, जनवरी, 2016 में 386 पर पहुंचकर, हाल के महीनों में बहुत न्यून रहा है और अभी तक फरवरी 2016 में औसतन 300 रहा है। यह भारत के और विश्व के साथ-साथ विदेशी जहाजरानी सेवाओं में व्यापारिक कारोबार में गिरावट को प्रतिबिम्बित करता है।

1.86 औसत टर्नअराउंड समय और औसत प्री-बर्थिंग डिटेंसन समय में क्रमशः 2.08 दिनों और 0.17 दिन की कमी और औसत प्रति पोत बर्थ दिन में 2015-16 (नवंबर 2015 तक) में 12,570 टनों के सुधार के साथ, तीन प्रमुख बंदरगाह-संबंधी निष्पादन सूचकांकों में सुधार दर्शाया गया है।

1.87 वर्ष 2015-16 के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधान (आईटी-बीपीएम) क्षेत्र का कुल राजस्व (निर्यात और घरेलू) हार्डवेयर को मिलाकर और छोड़कर, पिछले वर्ष के मुकाबले, क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 143 बिलियन अमरीकी डॉलर और 129 बिलियन अमरीकी डॉलर रहने का अनुमान है। हार्डवेयर को मिलाकर और छोड़कर, निर्यातों में क्रमशः 108 बिलियन अमरीकी डॉलर और 107.6 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच कर 10.2 प्रतिशत की वृद्धि (दोनों) दर्ज होने की संभावना है। हार्डवेयर को मिलाकर और छोड़कर घरेलू बाजार में, पिछले वर्ष की तुलना में, क्रमशः 35 बिलियन अमरीकी डॉलर (ई-कॉमर्स के अलावा) पर पहुंच कर 2.9 प्रतिशत वृद्धि और 22 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच कर 4.8 प्रतिशत वृद्धि होने का लक्ष्य है। 2015-16 में ई-कॉमर्स वृद्धि 17 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच कर 21.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

1.88 गिरावट के बावजूद, सेवाएं क्षेत्र की विकास संभावनाएं आशाजनक हैं, जैसाकि कुछ अन्य अनुमानों जैसे निक्किइ/मॉर्केट सर्विसिस पीएमआई फॉर इंडिया द्वारा इंगित भी किया गया है, जो दिसंबर 2015 में 53.6 से बढ़कर जनवरी 2016 में 54.3 हो गया, जो जून 2014 से अभी तक की उच्चतम रिडिंग है। तथापि, प्रमुख और संभाव्य सेवाओं में मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की लक्षित नीति उच्चतर सेवाएं वृद्धि और सेवाएं निर्यातों के रूप में उच्चतर लाभांशों में परिणामी हो सकते हैं, जो बदले में अर्थव्यवस्था में उच्चतर वृद्धि लाने में सहायक हो सकता है।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

1.89 शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक अवसंरचना देश की आबादी की उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी कम खर्चीली और स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध न होने से अनेकों के लिए आर्थिक दरिद्रता पैदा होती है और मनुष्य की संभावित क्षमताएं घट जाती हैं। आर्थिक विकास समावेशी होना चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्ग, वंचित और हाशिए पर पहुंचे समूह जैसेकि महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, विकलांगजन और वरिष्ठ नागरिक शामिल हों। इसके अलावा, भारत में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में कौशल संबंधी अंतराल बहुत बड़े हैं और इसके लिए प्रशिक्षण के स्तर में सुधार लाना और कौशल विकास करना बहुत जरूरी है ताकि

मानव आबादी के लाभ बढ़ाए जा सकें और भारत के विकास पथ को अधिक समावेशी और लाभकर बनाया जा सके। इस तरह भारत को न सिर्फ उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ रोजगार मुहैया कराने की चुनौतियों का सामना करना है बल्कि श्रमशक्ति की रोजगार योग्यता को भी बढ़ाने हैं जो बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण के जरिए विकसित किए गए ज्ञान और कौशल से जुड़ी है।

1.90 सामाजिक अवसंरचना पर व्यय: सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर, शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय 2008-09 से 2014-15 की अवधि के दौरान, लगभग 3 प्रतिशत पर मंडराता रहा। इसी प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है और यह इसी अवधि के दौरान 2 प्रतिशत से कम के स्तर पर गतिरूद्ध) रहा है। तथापि, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि व्यय में वृद्धि होने से हमेशा सही परिणाम ही प्राप्त हों। अब तक किए गए व्यय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन विभिन्न सामाजिक संकेतकों के निष्पादन से किया जा सकता है।

1.91 शिक्षा में हुई प्रगति: हालांकि पिछले वर्षों में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों और जन-समुदाय के बीच शिक्षा सुविधा की उपलब्धता और उपलब्धियों में असमानताएं मौजूद हैं। वार्षिक शिक्षा प्रास्थिति रिपोर्ट (एएसईआर 2014) के अनुसार, नामांकन में व्याप्त रूझान सरकारी स्कूलों में किए गए नामांकन के प्रतिशत में गिरावट दर्शाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2007 के 72.9 प्रतिशत से कम होता हुआ 63.1 प्रतिशत रह गया (निजी क्षेत्र के स्कूलों के नामांकन में तदनुरूप वृद्धि हुई), जबकि कक्षा ट के बच्चे जो कक्षा प्प का पाठ पढ़ सकते हैं, उनके स्तर में इसी अवधि के दौरान गिरावट हुई। बालिकाओं की शिक्षा में स्पष्ट सुधार देखा गया है जहां स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग समता सूचकांक अनुकूल रहा। लेकिन उच्चतर शिक्षा में, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के मामले में ऐसा नहीं था। इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने होंगे।

1.92 रोजगार संबंधी परिदृश्य जनवरी 2014 से जुलाई 2014 की अवधि में, श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए चौथे वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार, सभी व्यक्तियों के लिए श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (सामान्य मुख्य प्रास्थिति) 52.5 है। महिलाओं की एलएफपीआर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरूषों की तुलना में काफी कम है। कामगार आबादी अनुपात (डब्ल्यूपीआर) इसी तरह के पैटर्न दर्शाता है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और रोजगार दरों पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का असर पड़ता है तथा महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, जिसके संबंध में कोई भुगतान नहीं किया जाता, पारंपरिक रोजगार सर्वेक्षणों द्व ारा हिसाब में नहीं लिया जाता। भारत में रोजगार की स्थिति का एक उल्लेखनीय पहलू असंगठित रोजगार का बड़ा हिस्सा और संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार की वृद्धि का होना है। कुल रोजगार में असंगठित रोजगार का हिस्सा 2004-05 से 2011-12 की अवधि में 90 प्रतिशत बसे अधिक रहा है। असंगठित क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि घोषित विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इस व्यवस्था में अनुपालन करवाए जाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, केंद्र और राज्य सरकारों ने श्रम बाजारों में सुधारों की शुरूआत की है।

1.93 कौशल विकास: वर्तमान में भारत में अकुशल कामगारों की संख्या बहुत ज्यादा है जो मुख्यतया कम उत्पादक औपचारिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण सेक्टर में गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ज्यादा अंतराल है तथा प्रशिक्षकों की उपलब्धता बहुत कम है। 2017 तक व्यावसायिक प्रशिक्षण सेक्टर में शिक्षकों और शिक्षक-भिन्न कामगारों दोनों को मिलाकर कौशल अंतराल 211,000 के लगभग हो जाएगा। वर्ष 2022 तक अपेक्षित कार्यबल में 320,000 तक की वृद्धि हो जाने का अनुमान लगाया गया है। रोजगार क्षेत्र में आती मंदी को देखते हुए सरकार को व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण सेक्टर में मौजूद कौशल अंतराल को पाटने के लिए निवेश करना होगा ताकि लोगों के लिए रोजगारपरकता में सुधार किया जा सके। कौशल विकास के लिए बहुआयामी नीतिगत दृष्टिकोण (जिसमें

एसएससी (सेक्टर स्किल काउंसिल) की स्थापना करने जैसी पहलें और अन्य पहलें शामिल हैं), व्यवसाय मानकों की परिभाषा, एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) की परिभाषा, मानक प्रशिक्षण और मूल्यांकन रिवॉर्ड (एसटीएआर) स्कीम जैसी वित्तपोषण संबंधी पहलों का भारत के कौशल विकास परिवेश पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 24 लाख भारतीय युवाओं को सार्थक, उद्योग-संगत, कौशल आधारित प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से देशभर में 4.38 लाख लोगों ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

1.94 स्वास्थ्य और स्वच्छता: भारत में दक्षतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की राह अनगिनत चुनौतियों से भरी हुई है क्योंकि स्वास्थ्य सेक्टर में मांग का आधिक्य है और संसाधनों की उपलब्धता बहुत कम है। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की सिमटती भूमिका भारतीय स्वास्थ्य सेक्टर में दिखाई देने वाला एक उल्लेखनीय परिवर्तन है। विश्व बैंक के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) सूचकांक, 2015 के अनुसार, भारत में टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति अपेक्षा से बहुत कम है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रकार की निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आवश्यकता होती है क्योंकि इनके स्वास्थ्य को अधिक जोखिम होता है। जिन बच्चों को सात टीका-निरोध्य बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण नहीं किया गया है या आंशिक रूप से टीकाकरण किया गया है उन सभी का 2020 तक टीकाकरण करने के लिए दिसम्बर 2014 में मिशन इन्द्रधनुष प्रारंभ किया गया था और इसमें अब तक देश के 352 जिलों को शामिल कर लिया गया है।

1.95 स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वास्थ्यकर पर्यावरण से नजदीक से जुड़ा है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने से स्वच्छता की प्रगति में उछाल देखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में 122 लाख से अधिक प्रसाधन पहले ही बनाए जा चुके हैं। यह भी अनिवार्य है कि स्वच्छ भारत मिशन के लाभ लेने के लिए इन निर्मित प्रसाधनों का रखरखाव और प्रयोग लाभार्थियों द्वारा किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता में सुधार करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना-निम्न आय वाले राज्य नामक विश्व बैंक समर्पित परियोजना प्रारंभ की गई है।

1.96 गरीबी: एनएसएसओ द्वारा अपने 68वें दौर (2011-12) में संग्रहीत परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेंडुलकर समिति की प्रक्रिया पर आधारित गरीबी के अनुमान दर्शाते हैं कि गरीबी का प्रभाव देश में कुल मिलाकर ग्रामीण गरीबों की संख्या में तीव्र गिरावट के चलते यह 2004-05 में 37.2 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गई। उच्च ग्रामीण गरीबी का कारण कृषि भरण-पोषण के कारण निम्न कृषि आमदनी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपोषणीय आजीविका की कमी, ग्रामीण आय पर खाद्य उत्पादों की बढ़ती कीमतों का प्रभाव, कौशलों की कमी, कम रोजगार और बेरोजगारी हैं।

1.97 सेवाओं की दक्ष सुपुर्दगी के लिए प्रौद्योगिकी: प्रौद्योगिकी, समावेशता की समर्थकर्ता तथा लीकेज़ को रोकते हुए, दक्ष सेवाओं के प्रदाता के रूप में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगी। सरकार ने प्रौद्योगिकी समर्थित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), नामत: जेएएम (जन धन-आधार मोबाइल) नंबर ट्रीनिटी समाधान की कायापलट क्षमता को प्रारंभ किया है, जोकि सार्वजनिक संसाधनों को उन लोगों के लिए, जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए संभावनाओं का प्रस्ताव करती है, और इसमें वे लोग भी शामिल हैं जोकि अनेक रूपों में वंचित रह गये हैं। इसकी प्रगति सब्सिडी प्रणाली के जीर्णोद्धार से तथा आधार-आधारित डीबीटी को अपनाने से पहले ही स्पष्ट हो चुकी है। यह व्यय को तर्कसंगत बनाने का मार्ग प्रसस्त करती है तथा लाभार्थियों की सूची से झूठे और दोहरे तत्वों को, जोकि अब तक गुप्त बने हुए हैं, हटाना सुनिश्चित करती है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन की काफी बचत होती है। इससे सामाजिक कल्याण की स्कीमों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास

1.98 वर्ष 2015 ने दो युगांतकारी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को देखा है। जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेम कन्वेशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत ऐतिहासिक

जलवायु परिवर्तन करार, वैश्विक ताप में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के उद्देश्य के साथ, पेरिस में दिसंबर 2015 में 195 राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया था, जो कि विश्व को निम्न कार्बन, लचकदार और टिकाऊ भविष्य की ओर निर्दिष्ट करेगा। भारत ने सितंबर, 2015 में टिकाऊ विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) के स्वीकरण को भी देखा है जो कि मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्रतिस्थापित करता है और टिकाऊ विकास के पथ पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और राष्ट्रीय सरकारों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से आगामी 15 वर्षों के लिए विकास की कार्यसूची निर्धारित करता है।

1.99 जलवायु के साथ न्याय करने तथा सतत जीवन शैली की संकल्पनाओं पर बल देने के लिए तथा 'सम्मेलन के कार्यान्वयन' को अमलीजामा पहनाने के लिए पेरिस में करार किया गया तथा विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें न्यायसंगतता तथा समानता के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित किया गया है, किन्तु सभी सदस्य राष्ट्रों को उनकी क्षमताओं के हिसाब से अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा, यह समझौता कोई शमन-केंद्रित नहीं है तथा इसमें सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनकी पहचान निष्कर्ष, अनुकूलन, हानि एवं क्षति, वित्त, तकनीकी, क्षमता निर्माण एवं कार्य में पारदर्शिता तथा समर्थन के लिए की गई है। तापमान को 2 डिग्री सेन्टीग्रेड तक सीमित रखने के उद्देश्य से, लंबी अवधि के तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य देशों से अपेक्षित है कि वे ग्रीन हाउस गैस के वैश्विक वृद्धि को रोकें तथा इसमें इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने में विकासशील देशों को लम्बा समय लगेगा। करार में उल्लिखित दीर्घावधिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामूहिक कार्रवाई के उद्देश्य से तथा माल का निर्दिष्टकालिक हिसाब रखने के लिए करार में एक ढांचा भी दिया गया है।

1.100 इस करार में विकसित राष्ट्रों के लिए वह कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया है कि वे विकासशील राष्ट्रों (देशों) को शमन एवं अनुकूलन, दोनों, कार्यों हेतु इन्हें वित्तीय संसाधन मुहैया कराएं साथ ही साथ स्वैच्छिक आधार पर इन्हें सहायता प्रदान करते हुए इनका उत्साहवर्द्धन करें इससे इस बात की पुष्टि होती है कि विकासशील देश स्रोतों की व्यापक विविधताओं से जलवायु सुरक्षा हेतु वित्त को जुटाएंगे। विकासशील राष्ट्रों की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्रोतों की व्यापक विविधताओं से साधनों तथा प्रवाहों का संग्रहण करेंगे तथा सार्वजनिक कोष के महत्व को ध्यान में रखेंगे। साथ 2025 से पूर्व ही प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमरीकी डालर की लक्ष्य सीमा के लिए एक नई मात्रा लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। वर्ष 2020 से पूर्व के लिए जाने वाले निर्णय भी इस करार के अंश हैं। करार विकसित देशों से यह भी मांग करता है कि वे चालू स्तर से अनुकूलन वित्त को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाकर अल्पीकरण और अनुकूलन हेतु 2020 तक 100 बिलियन अमरीकी डालर संयुक्त रूप से प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समूचे रोड मैप सहित वित्तीय सहायता के अपने स्तर को बढ़ाएं तथा बाद में उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करें।

1.101 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2015 में अपने 17वें सत्र में 17 एसडीजी के समूह तथा 169 लक्ष्यों की घोषणा की जो अगले 15 वर्षों में कार्रवाई को तेज करेगा। लक्ष्यों का यह समूह एमडीजी को प्रतिस्थापित करता है जो वर्ष 2015 में समाप्त हो रहा था तथा इसका उन क्षेत्रों में कार्य करना है जिसमें कार्य पहले पूरे नहीं किए जा सके थे। एजेंडा गरीबी उन्मूलन, असमानताओं पर काबू पाने, लैंगिक समानता के संवर्धक तथा परिवेशी लक्ष्य के रूप में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण को उजागर करता है और इसके केन्द्र में सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणात्मक आयामों का समेकन है। यह बेहतर गुणवत्ता मापन में हितधारकों की क्षमताओं को बढ़ाने तथा सतत विकास पर आंकड़ों अथवा सूचना के संकलन के अलावा, सतत विकास का अनुमापित वैश्विक भागीदारी की भी मांग करता है जिसमें बहु-हितधारक भागीदारियां भी शामिल हैं।

1.102 अंतर्देशीय रूप में, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में भारत ने बहुत सी पहलें की हैं। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा से, अपने आशायित राष्ट्र निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी) में महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। 100 जीडब्ल्यू से अधिक की सामर्थ्य के साथ, पवन विद्युत की 60 जीडब्ल्यू तथा सौर विद्युत की 100

जीडब्ल्यू संस्थापित क्षमता के लक्ष्य को वर्ष 2022 तक प्राप्त करने का उद्देश्य है। भारत का आईएनडीसी व्यापक है तथा वह सभी तत्वों अर्थात् अनुकूलन, अल्पीकरण, वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण को कवर करता है। देश का उद्देश्य समय से अपनी अर्थव्यवस्था को समग्र उत्सर्जन तीव्रता को कम करना तथा ऊर्जा क्षमता को सुधारना है, साथ ही अर्थव्यवस्था तथा समाज के संवेदनशील क्षेत्रों तथा दंडों का संरक्षण करना है। समानता के सिद्धांत तथा सामान्य अपितु विशिष्ट दायित्व (सीबीडीआर), ऐतिहासिक दायित्व और भारत के अत्यावश्यक विकास, वर्धित अनुकूलन आवश्यकताओं आदि आईएनडीसी दस्तावेज में आवर्ती विषय रहे हैं। भारत के आईएनडीसी का विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा वानिकी क्षेत्र में विशिष्ट रूप से उचित और महत्वाकांक्षी के रूप में स्वागत किया गया है।

1.103 भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर संधि (आईएसए), जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्णत: अथवा अंशत: पड़ने वाले 121 सौर-संसाधन संबद्ध देशों का गठबंधन है की स्थापना करने हेतु पहल भी की है। इस संधि का शुभारंभ 30 नवंबर, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के 21वें सम्मेलन के साथ-साथ, संयुक्त रूप से किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि (आईएसए) पर हुई पेरिस घोषणा यह कहती है कि देश सामूहिक महत्वाकांक्षा को साझा करें ताकि वित्त की कीमतों को कम करने के लिए नवोन्मेषी और सम्यक प्रयास किए जा सकें और प्रतिस्पर्धी सौर सृजन के शीघ्र फैलाव के लिए तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके और देश की अपनी आवश्कताओं की पूर्ति के लिए भावी सौर सृजन भण्डारण और अच्छी तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

1.104 पेरिस करार के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु एसडीजी और महत्वकांक्षी लक्ष्यों जोकि आईएनडीसी में निर्धारित किया गया है, बड़े वित्तपोषण की आवश्यकता होगी जिसे केवल बजटीय स्रोतों से पूरा नहीं किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह महत्वपूर्ण है कि अंगीकरण और स्वच्छ तकनीकों के बढ़ते महत्व के साथ वित्त जुटाने और उन्हें पटरी पर लाने के मुद्दों का पर्याप्त समाधान हो।

लोक वित्त

02
अध्याय

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 'साझा उत्तरदायित्व सहित सहकारी संघवाद' तथा विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये केन्द्र और राज्यों के बीच अधिक समन्वित प्रयास के नये युग का सूत्रपात हुआ। 2015-16 का आम बजट पूर्ववर्ती वर्षों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक स्थायी आर्थिक परिवेश में पेश किया गया जबकि अर्थव्यवस्था में विकास की गति के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। इस पृष्ठभूमि पर 2015-16 हेतु राजकोषीय नीति तीन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये तैयार की गई - पहला, निजी निवेश में कमी आने को देखते हुये सरकारी निवेश पर अधिक बल देते हुये विकास की गति में तेजी लाने पर बल देना; दूसरा, सहकारी संघवाद के ढांचे को संस्थागत रूप प्रदान करना; और तीसरा, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति वचनबद्घता को बनाए रखना।

2.2 2015-16 के बजट में निरंतर परिवर्तनशील विकासदर के विभिन्न संदर्भों के बीच नाजुक साम्य की स्थिति को बनाये रखने, बृहत्तर राजकोषीय संघवाद से उत्पन्न संसाधन अंतरण को सुकर बनाने तथा राजकोषीय सुदृढीकरण को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए गए। इन लक्ष्यों को अधिक पूंजी व्यय, राज्यों को अधिक निवल संसाधन अंतरण और सकल कर राजस्व एवं व्यय के बीच यौक्तिकीकरण के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। बजट में एक वर्ष अर्थात् 2016-17 से 2017-18 के दौरान स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के घाटा लक्ष्य को अंतरित करने के लिये संशोधित मध्यकालिक ढांचे के बावजूद सभी प्रमुख घाटा संसूचकों (सारणी 2.1) के संबंध में राजकोषीय सुदृढीकरण के संबंध में सरकार की इच्छा को भी दर्शाया गया। तदनुसार स.घ.उ. के लक्ष्यों में परिकल्पित राजकोषीय घाटा 2015-16 में 3.9 प्रतिशत, 2016-17 में 3.5 प्रतिशत और 2017-18 में 3.0 प्रतिशत ज्ञात हुआ।

सारणी -2.1 केन्द्र के प्रमुख राजकोषीय संसूचक

राजकोषीय संकेतक	2012-13	2013-14	2014-15 अ	2015-16 ब.अ	2012-13	2013-14	2014-15 अ	2015-16 ब.अ.
	लाख करोड़ रु.				स.घ.उ. का प्रतिशत			
राजस्व प्राप्ति	8.8	10.1	11.0	11.4	8.8	9.0	8.8	8.1
सकल कर राजस्व	10.4	11.4	12.5	14.5	10.4	10.1	10.0	10.3
केन्द्र को प्राप्त निवल कर	7.4	8.2	9.0	9.2	7.5	7.2	7.2	6.5
कुल व्यय	14.1	15.6	16.4	17.8	14.2	13.8	13.2	12.6
राजस्व व्यय	12.4	13.7	14.6	15.4	12.5	12.2	11.7	10.9
पूँजी व्यय	1.7	1.9	1.9	2.4	1.7	1.7	1.5	1.7
राजस्व घाटा	3.6	3.6	3.6	3.9	3.7	3.2	2.9	2.8
राजकोषीय घाटा	4.9	5.0	5.0	5.6	4.9	4.5	4.0	3.9
प्राथमिक घाटा	1.8	1.3	1.0	1.0	1.8	1.1	0.8	0.7

स्त्रोत: बजट प्रपत्र, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

टिप्पणी: ब.अ.-बजट अनुमान अ: अनंतिम प्राप्तियों के रुझान

प्राप्तियों के रुझान

2.3 केन्द्र सरकार को होनेवाली राजस्व प्राप्तियों को व्यापक रूप में ऋणेतर प्राप्तियों और ऋण प्राप्तियों में बांटा जा सकता है। ऋणेतर प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व और ऋण की वसूली तथा विनिवेश प्राप्तियॉ शामिल हैं, जबकि ऋण प्राप्तियों में मुख्यत: बाजार उधार और अन्य देयताएं शामिल हैं जिन्हें सरकार भविष्य में चुकाने के लिये बाध्य है। ऋणेतर प्राप्यिों के संघटक चित्र-2.1 में दर्शाए गये हैं। 2015-16 की ऋणोत्तर प्राप्तियों में केन्द्र को प्राप्त निवल कर राजस्व की हिस्सेदारी में कमी मुख्य रूप से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण हुई है जिसमें राजकोषीय संघवाद को बढावा देने के लिये राज्यों को अधिक कर अंतरण की बात कही गई है।

चित्र 2.1 ऋणेतर प्राप्तियों के संघटक (प्रतिशत)

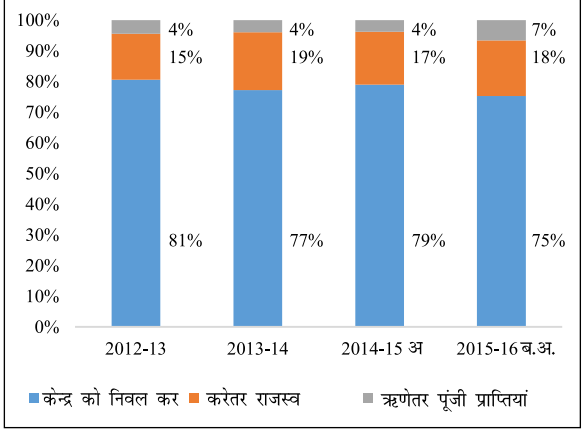

स्रोत: बजट प्रपत्र

कर राजस्व

2.4 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में राजस्व संवर्धन तथा व्यय यौक्तिकीकरण शामिल है। 2004-05 से 2007-08 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 लागू होने के बाद के दौर में मुख्य रूप से कर राजस्व प्राप्ति में उछाल आने, जबकि 2004-05 से 2007-08 के दौरान केन्द्र को प्राप्त निवल कर राजस्व में स.घ.उ. के 1.9 प्रतिशत अंको की वृद्धि हुई, के कारण उल्लेखनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की स्थिति प्राप्त की जा सकी है। विकास के पुनरूत्थान हेतु अपनाई जानेवाली कार्यनीति के एक हिस्से के रूप में वित्तीय संकट के बाद के दौर में राजकोषीय सुदृढीकरण की गति अवरूद्ध हुई है जिसके दौरान कर रियायतों और अधिक सरकारी व्यय की स्थिति उत्पन्न हुई जो अपेक्षा से अधिक समय तक जारी रही।

2.5 वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में 2014-15 के संशोधित अनुमान के मुकाबले सकल कर राजस्व में 15.8 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगया गया है। 2015-16 के दौरान सकल कर राजस्व 14.49 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया था (सारणी-2.2) जो स.घ.उ. का 10.3 प्रतिशत था (चित्र 2.2)। सकल कर राजस्व में वृद्धि अप्रत्यक्ष करों में 19.5 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुई जबकि प्रत्यक्ष करों में 13.1 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। स्थूल रूप में, सकल कर राजस्व का 54 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष करों से और शेष 46 प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था (चित्र 2.3)

सारणी 2.2 सकल कर राजस्व के स्रोत
(लाख करोड़ रुपये)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अ	2015-16 ब.अ.
जीटीआर	8.89	10.36	11.39	12.45	14.49
सीटी	3.23	3.56	3.95	4.29	4.71
आईटी	1.64	1.97	2.38	2.58	3.21
सीडी	1.49	1.65	1.72	1.88	2.08
यूईडी	1.45	1.76	1.69	1.89	2.29
एसटी	0.98	1.33	1.55	1.68	2.10

नोट: जीटीआर= सकल कर राजस्व, सीटी= निगम कर, आईटी= आय कर, यूईडी= केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीडी= सीमा शुल्क, एसटी= सेवा कर
स्रोत: बजट प्रपत्र और लेखा महानियंत्रक

चित्र 2.2: स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व

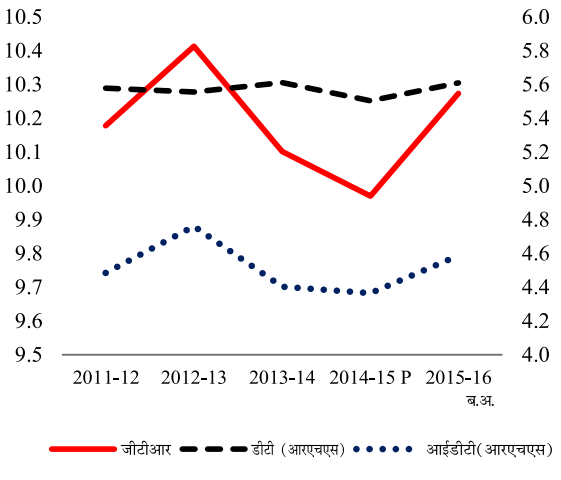

स्रोत: **बजट दस्तावेज, सीजीए एवं सीएसओ**

चित्र 2.3: 2015-16 बजट अनुमान में सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का अंशदान

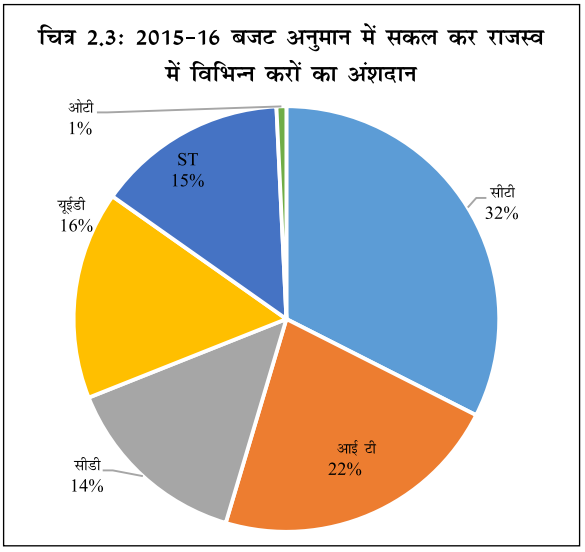

स्रोत: बजट दस्तावेज

2.6 वित्त वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2015-16 के बजट अनुमान में कर राजस्व में परिकल्पित वृद्धि की दरें आरंभ में विशेषकर अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण ज्ञात होता है जिनका आंशिक कारण यह है कि कर राजस्व में लक्षित वृद्धि दर पूर्ववर्ती तीन वर्षों (चित्र 2.4) के दौरान दर्ज औसत वृद्धि दर की तुलना में काफी अधिक थी। 2015-16 के पहले नौ महिनों के दौरान अप्रत्यक्ष करों की उगाही से ज्ञात होता है कि अंशत: पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों के कारण बजट अनुमानों के प्राप्त होने और संभवत: इसमें वृद्धि होने की भी संभावना है। बॉक्स 2.1 और 2.2 में 2015-16 के दौरान अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों करों के संबंध में शुरू किये गये अन्य प्रमुख उपायों का उल्लेख किया गया है ।

चित्र 2.4: कर राजस्व में वृद्धि (प्रतिशत)

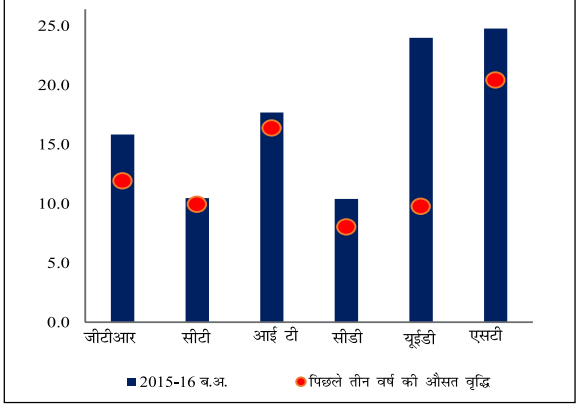

स्रोत: बजट दस्तावेज, सीजीए एवं सीएसओ

बॉक्स 2.1: 2015-16 में किये गये अप्रत्यक्ष कर संबंधी उपाय

क. सीमा शुल्क

शुल्क प्रतिलोमन की समस्या का समाधान करने के लिये कुछ निविष्टियों पर शुल्क में कटौती: विद्युतरोधी पदार्थों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु धात्विक हिस्से; विद्युतरोधी तारों और केबलों के विनिर्माण मे प्रयोग हेतु एथिलीन प्रोपिलीन - नॉन -कन्जुगेटेड-डाइन रबर(ईपीडीएम), जल अवरोधी टेप और अब्रक कॉच टेप; माइक्रोवेव चूल्हों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु एक किलोवाट तक मैग्नेट्रॉन, प्रशीतक संपीडकों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु संपीडक के लिये सी- ब्लॉक, ओवर लोड प्रोटेक्टर तथा संपीडक हेतु पॉजिटिव थर्मल कोएफिसिऐण्ट तथा क्रैन्क शैफ्ट वाशकोट के विनिर्माण में प्रयोग हेतु जेयोलाइट, सीरिया जरकोनिया यौगिक तथा सीरियम यौगिक जिन्हें आगे उत्प्रेरक परिवर्तकों के विनिर्माण में प्रयोग में लाया जाता है; हाइड्रोजन परऑक्साइड के विनिर्माण के लिये प्रयोग में लाये जाने वाला ऐन्थ्राक्विनोन, उर्वरकों के विनिर्माण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल ।

कच्चे माल की कीमत कम करने के लिये मूल सीमा शुल्क में कटौती: इथोलिन डाइक्लोराइड, विनायल क्लोराइड मोंनोमर एवं स्टायरेन मोनोमर को 2.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत; आइसोप्रेन एवं तरलीकृत बुटेन को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत; बुटयल अकरालेट को 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत; थुलेक्साइट अयस्क को 2.5 से घटाकर शून्य प्रतिशत; एन्टिमनी धातु, एन्टिमनी अपशिष्ट एवं स्क्रेप को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत; सीएनसी लेंथ मशीनों एवं मशीन सेंटरों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले विशिष्ट घटकों को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत; लचीले चिकित्सा विडियो इण्डोस्कोप के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कुछेक विशिष्ट इनपुट्स को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत; दूरसंचार ग्रेड आप्टिकल फायबर केबलों के निर्माण में प्रयुक्त एच डी जी ई को 7.5 से घटाकर शून्य प्रतिशत; एल सी डी/एल ई डी टीवी के पेनलों के विनिर्माण में प्रयुक्त काले लाईट यूनिट माड्यूल को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत; आर्गेनिक एल ई डी टीवी पेनलों को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करना, पेसमेकर के विनिर्माण के प्रयोग करने के लिये विशिष्ट कच्चे माल पर सी वी डी एवं एस ए डी को पूरी तरह मुक्त करना, सौर वाटर हीटर एवं सिस्टम के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले सौर चयनित परतों की तीन परतों वाली निर्वासित ट्यूबों के प्रतिशत को शून्य तक कम करना; नवीनीकरणीय पॉवर सिस्टम इनवर्टरों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले सक्रिय ऊर्जा नियत्रंक को 5 प्रतिशत तक घटाना, परन्तु इसके लिये एम एन आर ई का प्रमाणीकरण आवश्यक है; टेबलेट कम्प्यूटरों एवं इनके सब-पार्टों, विनिर्माण एवं पार्टों के घटकों एवं उपसाधनों (पूर्जे) के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पार्ट्स, घटकों एवं उपसाधकों को बी सी डी, सी बी डी एवं एस ए डी से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है ।

जारी...

सी इ एन वी ए टी उधार संचयन की समस्या से निपटने के लिये एस ए डी में कमी करना: सीमा शुल्क दर के अध्याय के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं (पापुलेटिड पी सी बी को छोडकर), जो आई टी के विनिर्माण में प्रयुक्त होती हैं, नियंत्रित वस्तुओं को 4 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करना, सीमा शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले नेप्था, इथेलिन डाइक्लोराइड, विनायल क्लोराइड मोनोमर एवं स्टाइरेन मोनोमर पर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना, लौह एवं स्टील के धातु स्क्रेप, तांबा, पीतल एवं एल्यूमीनियम पर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना, एल ई डी ड्राइवरों एवं एल ई डी लाइटों, फिक्चरों एवं एल ई डी लेंपों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट्स को 4 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करना।

मूल सीमा शुल्क में वृद्धि: धात्विक कोक पर 2.5 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत करना, वाणिज्यिक वाहनों पर टेरिफ दर 10 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत करना, तथा प्रभावी दर 10 प्रतिशत बढाकर 20 प्रतिशत करना। परन्तु वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क पूर्णतया नोक डाउन किट्स है तथा बिजली से चलने वाले वाहनों, इनमें सी के डी स्थिति वाले वाहन शामिल है, पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत ही रहेगा।

ख. उत्पाद शुल्क

कुछेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क संरचना का नियमानुसार पुनर्गठन किया गया है। मोबाइल हेण्डसेटों, इसमें सेल्लुर फोन शामिल है, पर बिना सी ई एन वी ए टी पर एक प्रतिशत या सी ई एन वी ए टी क्रेडिट युक्त पर 6 प्रतिशत से लेकर बिना सी ई एन वी ए टी क्रेडिट पर एक प्रतिशत या सी ई एन वी ए टी क्रेडिट पर 12.5 प्रतिशत, बिना सी ई एन वी ए टी क्रेडिट वाल टेबलेट कंप्यूटरों पर 12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत या सी इ एन वी ए टी क्रेडिट वाले टेबलेट कंप्यूटरों पर 12.5 प्रतिशत, पेसमेकरों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट कच्चे माल पर सीमा शुल्क को घटकार शून्य प्रतिशत करना, स्मार्ट कार्डो के अंतर्निहित परिपथ (आई सी) माड्येलों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले केमरों पर शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करना, एल ई डी ड्राइवरों एवं एल ई डी लाइटों के लिये एम सी पी सी बी, फिक्चरों एवं एल ई डी लेपों पर शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करना; पवन चालित इलेक्ट्रिसिटी जनरेटरों के कास्ट घटकों के विनिर्माण में प्रयुक्त ढलवां लोहा एस ओ ग्रेड एव फेरो-सिलिकॉन-मैग्नेशियम पर सीमा शुल्क शून्य करना, परन्तु इनके लिये एम एन आर ई का प्रमाणीकरण अनिवार्य है, सौर वाटर हीटर एवं सिस्टम, जिसमें सी ई एन वी ए टी नहीं हैं पर शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना, या सी ई एन वी ए टी युक्त वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत करना, सौर पी बी सेल्स के विनिर्माण के लिये सौर पी वी रिबन के विनिर्माण के लिये प्रयुक्त होने वाली गोल तांबा तार एवं टिन अयस्क पर शुल्क शून्य प्रतिशत करना, पर इसके लिये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग से प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है ।

लेवीज की संख्या में कमी: सीमा शुल्क प्रभारित वस्तुओं पर लगने वाले शिक्षा उपकर एवं सेकेण्डरी एवं उच्च शिक्षा उपकर को मूल सीमा शुल्क में शामिल कर दिया गया है ।

स्वच्छ भारत पहलों के माध्यम से जीवन एवं जन स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार: कोयला लिग्नाइट एवं पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर में 100 रु. प्रति टन से बढ़ाकर 200 रु. प्रति टन करना, बिजली से चलने वाले एवं हाइब्रिड वाहनों के विशिष्ट पार्ट्स पर रियायती उत्पाद एवं शुल्क दरों को 31.3.2016 तक बढ़ा दिया गया है, इथेलिन पालीमार के सेकेस एवं बेग्स, औद्योगिक प्रयोग को छोडकर, पर शुल्क 12 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करना।

ग. बजट 2015-16 के बाद के उपाय (सीमा एवं उत्पाद शुल्क)

- विशिष्ट स्टील वस्तुओं की मूल उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 10/12.5 प्रतिशत करना
- विशिष्ट वस्तुओं पर को जमा करने से रोकने के लिए शुल्क एवं सुरक्षा शुल्क लगाया गया था।
- आयात - निर्यात कंटनरों, खाली कंटेनरों एवं घरेलू कंटेनरों के कार्गो को ले जाने वाले भारतीय पोतों के लिये प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट बेंकर ईंधन पर मूल उत्पाद एवं सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
- 31.3.2016 तक की अवधि के लिये विशिष्ट जैव डीजल के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले आर बी डी पॉम स्टिाइन, मेथानॉल एवं सोडियम मोथोआक्साइड पर सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
- चीनी पर मूल उत्पाद शुल्क 15 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत किया गया था परन्तु इसे बाद में बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया था ।
- पेट्रोल में मिलाने के लिये विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों को आपूर्ति करने के लिये चीनी सत्र 2015-16 अर्थात अक्टूबर, 2015 से क्रश किये जाने वाले गन्ने से प्राप्त सीरा से होने वाले इथोनॉल पर सीमा शुल्क में छूट दी गई थी। ऐसे छूट प्राप्त इथोनॉल विनिर्माताओं को इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति दी गई थी।
- कच्चे खाद्य तेल (वनस्पति उत्पति वाले)। पर मूल उत्पाद शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढाकर 12.5 प्रतिशत तथा रिफाइंड खाद्य ऑयल (वनस्पति उत्पति वाले) पर 15 प्रतिशत से बढकर 20 प्रतिशत किया गया था।
- 31.3.2016 तक की अवधि के लिये घी, मक्खन एवं मक्खन ऑयल पर मूल उत्पाद शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया था ।
- गेहूं पर 10 प्रतिशत मूल उत्पाद शुल्क लगाया गया था जिसे बाद में 31.3.2016 तक की अवधि के लिये बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया ।
- विशिष्ट रक्षा आपूर्तियों से सी वी डी एवं एस ए डी छूट वापिस ले ली गई है। रक्षा पी एस यू एवं आरडीनेंस फेक्टरियों से सीमा शुल्क छूट को भी वापिस ले लिया गया था।

जारी...

घ. सेवा कर

- 1.6.2015 से कर योग्य सेवाओं पर लगने वाले शिक्षा कर एवं उच्चतर एवं उच्च शिक्षा उपकर को सेवाकर में शामिल कर दिया गया है ।
- सेवा कर का पंजीकरण दो कार्यदिवस में कर दिया जाए ।
- इनपुट एवं इनपुट सेवाओं पर शुल्क का सी ए एन वी ए टी क्रेडिट/ दिया गया कर समय सीमा छः माह से बढाकर एक वर्ष कर दी गई है ।
- रिवर्स चार्ज प्रणाली के अंतर्गत दिये गये सेवा कर के सी ए एन वी ए टी क्रेडिट लेने के लिये यह शर्त, कि सेवाप्रदाता को विचार के लिये भुगतान कर दिया गया है, हटा दी गई है ।
- अनुपालन एवं विवाद को जल्दी निपटाने को बढावा देने के लिये सेवाकर के शास्ति उपबंधों को तर्कसंगत बनाया गया था ।
- सेवा कर निर्धारितियों को डिजिटल हस्ताक्षरित इनवायस जारी करने तथा अन्य रिकार्डों को इलेक्ट्रॉनिकली बनाए रखने की अनुमति दी गई थी ।
- जहां किसी नोटिस प्राप्तकर्ता को अर्ध-विधिक कार्यवाहियों में दोषमुक्त किया गया है तथा ऐसे आदेश को अंतिम रूप दिया जा चुका हो, तब अभियोग को वापस लेने के लिये अनुदेश जारी किये गये थें।
- यदि निर्दिष्ट समयावधि में निर्यात प्राप्तियॉ नहीं मिली हैं तब निर्यातक को सी ई एन वी ए टी क्रेडिट वापिस करना होगा। यदि निर्दिष्ट अवधि से एक वर्ष के अंदर ऐसे निर्यात प्राप्तियां प्राप्त हो जाती है तो ऐसे वापिस किये गए सी ई एन वी ए टी क्रेडिट को पुनः क्रेडिट कर दिया जाएगा ।
- रेल, सड़क एवं पोत से यात्रा करने पर विनिर्दिष्ट सकल मूल्य से 70 प्रतिशत की एक समान कटौती
- सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को दी गई निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या परिवर्तन सेवा की विशिष्ट सेवाओं पर मिलने वाली छूट को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- विमान पत्तन एवं पोत पत्तन से संबंधित वास्तविक कार्यों संबंधी निर्माण, इरेक्शन, चालू करना, या स्थापना करने संबंधी सेवाओं से छूट वापिस ले ली गई है ।
- संगीत, नृत्य या थियेटर की शास्त्रीय कला में कलाकार द्वारा दिये जाने वाली सेवओं संबंधी छूट केवल उन मामलों तक सीमित होगी जहॉ पर निस्पादन के लिये एक लाख रूपये तक की राशि ली गई है ।
- रेल या पोत या सड़क माध्यम से खाद्य पदार्थ के परिवहन की छूट खाद्य अनाजों तक सीमित होगी जिसमें गेहूं, दाल, आटा, दूध एवं नमक शामिल है। कृषि उत्पाद के परिवहन को अलग से छूट प्रदान की गई है।
- म्युचुअल फंड एजेंट द्वारा म्युचुअल फंड या परिसंपतियां प्रबंधन कंपनी, म्युचुअल फंड के वितरक या ए.एम.सी. वितरक को बेचना या लॉटरी टिकट के मार्केटिंग एजेंट को म्युचुअल फंड द्वारा दी गई सेवाओं पर दी गई छूट को वापस लिया जा रहा है ।
- भारी प्रवाह संयंत्रों द्वारा दी गई सेवा कर पर छूट दी गई।
- फलों और सब्जियों के लिये प्री कोल्ड स्टोरेज पर सेवा कर से छूट दी गई।
- म्यूजियम, चिडिया घर, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और ब्याघ्र संरक्षण में प्रवेश पर दी गई सेवाकर की छूट दी गई।
- नकारात्मक प्रवेश सूची जिसमें मनोरंजन इवेंट में प्रवेश या मनोरंजन सुविधा सम्मिलित है, को इस सूची से हटा दिया गया।
- संगीत समारोहों के मनोरंजन इवेंट, समारोह, संगीत निष्पादन समारोह, पुरस्कार वितरण और मान्यता प्राप्त स्पोर्टिंग इवेंट के अलावे अन्य स्पोर्टिंग इवेंट में जाने पर सेवा कर लगाया जाएगा, यदि इन समारोहों में प्रवेश करने पर रूपये 500 से अधिक राशि अधिरोपित किया जाता है।
- मानव उपयोग के लिये शराब के उत्पादन या विनिर्माण करने से संबंधित सेवा कर को हटाने के लिये नकारात्मक सूची से अनावश्यक प्रविष्टियों को छांटा गया।

ड. 2015-16 के बाद सेवा कर

- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधान मंत्री जन धन योजना पर और अटल पेंशन योजना के तहत अंशदानों के संग्रह द्वारा दी गई सेवाओं पर सेवा कर की छूट दी गई।
- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर की छूट दी गई।
- अच्छी परिवहन सेवा के मामले में एकल समेकित सेवा को इसके घटको में खंडित करने की आवश्यकता नहीं है और इसे अलग-अलग सेवाओं के रूप में इसे माना जाता है, यदि इसे साधारण व्यापार कार्य के रूप में इसे प्रदान किया जाता है।
- 01 जुलाई, 2012 और 13 अक्टूबर, 2014 तक भारत में तथा भारत के बाहर से विदेशी मुद्रा के प्रेषण के संबंध में भारतीय बैंक या एम टी एस ओ के एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई सेवओं पर वित्त अधिनियम, 1994 के धारा 66 - ख के तहत देय सेवा कर, व्यवहारिक रूप में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- आयकर अधिनियम के धारा-12 के अधीन पंजीकृत किसी संस्था द्वारा योग को बढ़ाने पर की गई धर्मार्थ कार्यों पर छूट दी गई।

जारी...

- बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट के संबंध में विजिनेस फैसिलेटर्स/विजिनेस कारेन्सपोडेन्ट द्वारा दी गई विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर की छूट दी गई।
- सी.ई.एन.वी.ए.टी. क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम-5 के तहत निर्यातकों के सेवाओं हेतु किये गये दावा के लंबित वसूलियों को शीघ्र वितरित करने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया ।
- सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया जो 15 नवंबर, 2015 से सेवा कर देय है, उस पर छूट नहीं दी जाएगी या निगेटिव सूची में डाल दी जाएगी ।
- अलग-अलग जनशक्ति आपूर्ति सेवा/सेवा कार्य को स्पष्ट किया गया ।

बॉक्स 2.2: 2015-16 में प्रत्यक्ष कर उपाय

- संपति कर को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर अधिक अमीर जिसकी कर देय आय रु. एक करोड से अधिक है उस पर अतिरिक्त अधिभार 2 कर दिया गया।
- सुकन्या समृद्वि योजना में किये गये निवेश को आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के धारा 80 ग के तहत छूट दी गई ।
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर आय कर अधिनियम के धारा 80 घ के तहत छूट की सीमा रु. 15000 से बढाकर रू0 25000 कर दिया गया (वरिष्ठ नागरिकों के लिये रू0 20000 से बढाकर रू0 30000)
- आयकर अधिनियम के धारा 80 घ.घ.ख. के तहत विनिर्दिष्ट बीमारियों पर व्यय के संबंध में छूट की सीमा को रू0 60000 से बढाकर रू0 80000 कर दिया गया है ।
- अधिनियम के धारा 80 घ घ और 80 प के तहत विकलांगता के मामले में छूट की सीमा रू0 50000 से बढाकर 75000 तथा गंभीर विकलांगता के लिये रू. एक लाख से बढाकर 1.25 लाख रूपये कर दिया गया ।
- धारा 80 ग ग घ के तहत न्यू पेंशन योजना में अंशदान के लिये रू0 1.50 लाख के अलावे 50000 रूपये के अतिरिक्त छूट का प्रावधान है ।
- किसी भी कर्मचारी के लिये यात्रा भत्ता में छूट रू0 800 से बढाकर 1600 तथा शारीरिक रूप से विकलांग अंधे, बहरे और गूॅंगे कर्मचारियों के लिये 1600 से बढाकर 3200 रूपये कर दिया गया ।
- अधिनियम के धारा 80 जजकक के तहत मिलने वाली छूट को सभी निर्धारितों के लिये बढा दिया गया, न्यूनतम 100 से 50 कर्मकारों के अर्हता शुरूआती में कटौती के साथ- साथ सिर्फ कंपनियों के लिये ही उपलब्ध है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियमों द्वारा विनियमित वैकल्पिक निवेश निधि कैटगरी-प और पप को पास थ्रू स्टेटस प्रदान किया गया।
- भारत में अपतट निधियों के प्रबंधकों को निधि पुनआबंटन को आसान बनाने के लिये स्थायी स्थापना प्रतिमानको को आशोधित किया गया ।
- रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिये फीस पर कर के दर को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।
- इसके लागू होने के संबंध में स्पष्टता के लिये अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधानों को आशोधित किया गया।
- योग को धर्मार्थ प्रयोजन के परिभाषा में विशिष्ट श्रेणी के कार्य के रूप में शामिल किया गया।
- कार्पोरेट बांड और सरकार की प्रतिभूतियों से विदेशी निवेशकों (एफ आई आई और क्यु एफ आई) के आय पर 5 प्रतिशत की दर से कर की कटौती की अनुप्रयोज्यता की अवधि को 31.05.2015 से 30.06.2017 तक बढ़ा दिया गया।
- आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के राज्यों के अधिसूचित पिछडे क्षेत्रों में 01.04.2015 से 31.03.2015 के अवधि के दौरान स्थापित किये गये विनिर्माण इकाइयों को अतिरिक्त निवेश भत्ता प्रदान की गई।
- विदेशी प्रेषणों के रिपोटिंग कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया गया।
- बैंक जमाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टी डी एस के कार्य क्षेत्र को टी डी एस के क्षेत्र के भीतर आवृति जमाओं पर मिलने वाले ब्याज को इसमें सम्मिलित कर इसे बढ़ाया गया।
- किसी बीमा के भुगतानों के लिये स्व-शोषणा प्रपत्र भरने की सुविधा प्रदान की गई।
- म्युचुअल फंड के समान योजनाओं के विलयन पर युनिटों के अंतरण पर कर तटस्थता प्रदान की गई।
- कर संबंधी विवाद को रोकने तथा इस शीघ्र निपटान हेतु व्यवस्था को दुरूस्त किया गया। मामलों के उन्नत नियमन तथा निपटान के क्षेत्र को विस्तृत किया गया।
- काला धन (अप्रकट विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिनियम, 2015 को लागू किया गया तथा इसके तहत नियमों को अधिसूचित किया गया है।
- थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म से अहस्तक्षेप तरीके से सूचना संग्रह करने की क्रिया को बढाया गया और मजबूत बनाया गया। पैन नंबर को आवश्यक रूप से उल्लेख करने के प्रतिमानकों को भी तर्कसंगत और विस्तारित किया गया।

कर व्यय

2.7 सांविधिक कर दर और प्रभावी कर दर (समग्र कर आधार पर संग्रह किये गये कुल राजस्व कर के अनुपात के रूप में परिभाषित) के बीच भिन्नता का मुख्य कारण कर व्यय है। कर व्यय को ''कर छूट'' भी कहा जाता है किन्तु यह आवश्यक रूप से लागू नहीं होता है कि सरकार द्वारा राजस्व कर को माफ कर दिया गया है। किसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये, जो ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में नहीं हो सकते हैं, के लिये इसे लक्षित प्रोत्साहनों के रूप में व्याख्या की जानी चाहिये। तर्क के रूप में, उच्च कर, व्यय कर की व्यवस्था को अनुचित रूप से जटिल बना सकता है। हाल के वर्षों में कर प्रणाली में सरलीकरण तथा कर प्रशासन में सुधार होने के फलस्वरूप कर व्ययों को काफी कम किया गया है (चित्र 2.5)।

चित्र 2.5: संबंधित शीर्ष के अंतर्गत तथा स.घ.उ. के प्रतिशत के अनुसार संग्रह किए गए कर के प्रतिशत के रूप में कर व्यय

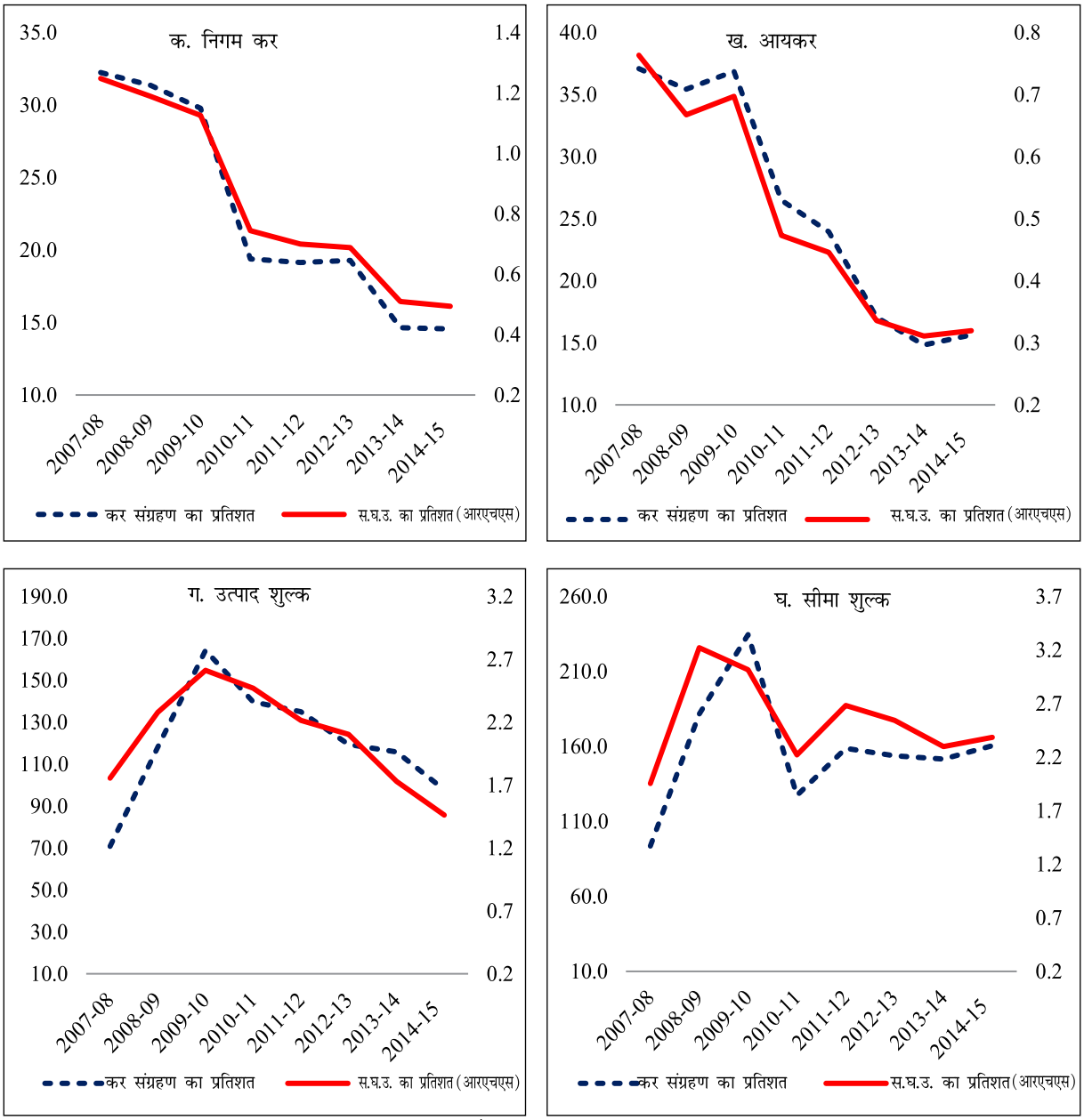

स्रोत: संग्रहण किए गए राजस्व का विवरण, बजट दस्तावेज और सीएसओ

टिप्पणी: वर्ष 2014-15 के आकड़े अनुमानित है।

कर भिन्न राजस्व

2.8 कर भिन्न राजस्व में मुख्यत: ब्याज लाभांश प्राप्तियां, बाह्य अनुदान तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से होने वाली प्राप्तियॉ जिनमें राजकोषीय सेवाएं (मुद्रा और टकसाल जैसे) सामान्य सेवाएं (यू0पी0एस0सी0, पुलिस आदि) सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) और आर्थिक सेवाएँ (सिचाई, परिवहन आदि) सम्मिलित है। वर्ष 2015-16 के बजट में कर भिन्न राजस्व से रू0 2.22 लाख करोड़ (सारणी 2.3) की मांग की गई थी जो, जी डी पी का 1.6 प्रतिशत और गैर ऋण प्राप्तियों का 18 प्रतिशत था।

सारणी 2.3 गैर-कर राजस्व में रूझान
(करोड़ रु.)

	2013-14	2014-15 अ	2015-16 ब.अ.
ब्याज प्राप्तियां	21868	24265	23599
लाभांश और लाभ	90435	89912	100651
विदेशी अनुदान	3618	1268	1774
अन्य	81475	80209	94413
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1474	1305	1296
जोड़	**198870**	**196959**	**221733**

स्रोत: बजट दस्तावेज और सीजीए

गैरऋण पूंजी प्राप्तियां

2.9 गैर ऋण पूंजीगत आय में मुख्य रूप से ऋणों की वसूली एवं अग्रिम राशियाँ और विनिवेश आय शामिल होती है ऋणों की वसूली के हिस्से की गैर ऋण पूंजीगत आय में कमी मुख्य रूप से 12 वें वित्त आयोग की केंद्र से राज्यों तक ऋण मध्यस्थता के खिलाफ और राज्यों को बाजार से सीधे ऋण लेने के लिए अनुमति देने के कारण आ रही है। वर्ष 2015-16 के लिए बजट में गैर ऋण पूंजीगत आय 80,253 करोड़ रूपए थी जिसमे ऋणों की वसूली 10,753 करोड़ रूपए और अन्य आय (मुख्य रूप से विनिवेश) से 69,500 करोड़ रुपए शामिल थे।

व्यय में प्रवृत्ति

2.10 लोक व्यय को युक्तिसंगत बनाना और पुन: प्राथमिकता निर्धारण, राजकोषीय सुधारों के लिए अनिवार्य होता है। विशेष रूप से राजकोषीय समकेन करने के लिए यह एक चुनौती होती है जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर और जीडीपी के अनुपात के बावजूद लोक निवेश के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन किया जाता है इसलिए व्यय की गुणता में सुधार करना सतत राजकोषीय समेकन प्राप्त करने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

व्यय की गुणता

2.11 वर्ष 2015-16 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय 17.77 करोड़ रुपए था जो 2014-15 (संशोधित प्राक्कलन) से 5.7% अधिक था और 2014-15 के अनंतिम प्राक्कलनों (अ) से 8.1% अधिक था। इसके अंदर संशोधित प्राक्कलन वर्ष 2014-15 में पूंजी व्यय में अनुमानित वृद्धि 25.5% और राजस्व व्यय में वृद्धि 3.2% थी वृद्धि करने में सहायता देने के लिए अधिक से अधिक लोक निवेश की आवश्यकता के महत्व को समझते हुए वर्ष 2015-16 के लिये बजट में पूंजी व्यय के लिए कुल व्यय के पूल (चित्र 2.6) से अधिक बढ़ा हिस्सा सुनिश्चित किया गया। जीडीपी के अनुपात के तौर पर, कुल पूंजी व्यय और गैर रक्षा व्यय दोनों में जीडीपी (चित्र 2.7) के 0.2% की वृद्धि की गई थी रेल, सडक को एवं अन्य के लिए बजट 2015-16 में पूंजी व्यय के प्रस्तावित विस्तार की मांग रक्षा पूंजी व्यय से समझोता किये बगैर की गई थी।

चित्र 2.6: कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व एवं पूंजी व्यय

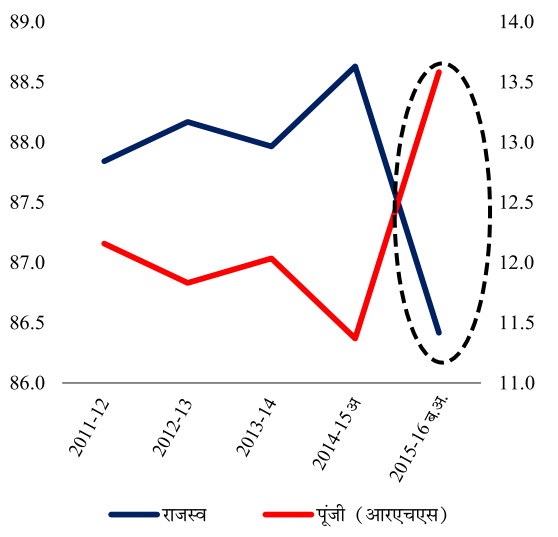

स्रोत: बजट दस्तावेज, सीजीए एवं सीएसओ

चित्र 2.7: स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व एवं पूंजी व्यय

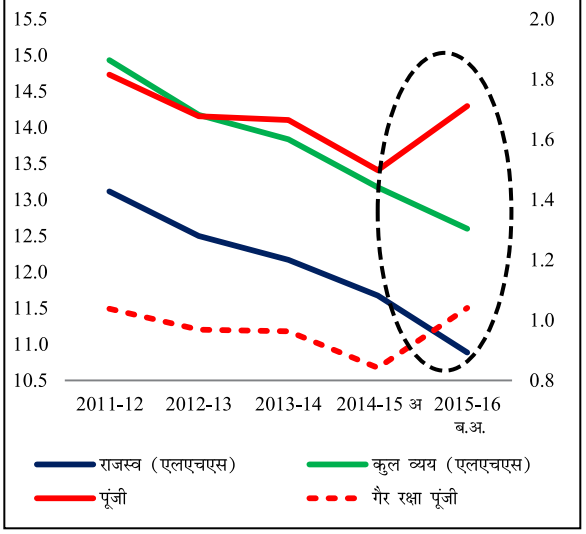

स्रोत: बजट दस्तावेज, सीजीए एवं सीएसओ

चित्र 2.8: कुल योजना व्यय (प्रतिशत) में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय योजना का हिस्सा

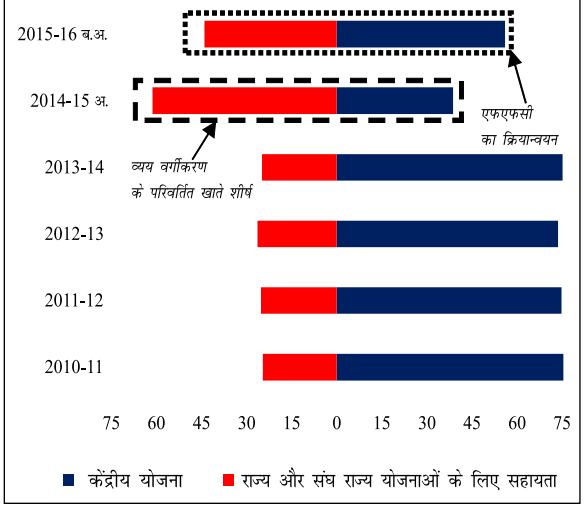

स्रोत: बजट दस्तावेज और सीजीए

योजना व्यय

2.12 लगातार दो वर्षो में हुए दो प्रमुख विकास कार्यो से योजना व्यय की पूर्ण व्यवस्था बदल गई। पहला वर्ष 2014-15 के लिए बजट में, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की पुनसंरचना की गई और अधिक से अधिक सहक्रिया एवं कारगर कार्यान्वयय के लिए उन्हें 66 कार्यक्रमों में पुन: वर्गीकृत किया गया जिसके तहत राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में और राज्यों के बजटों के माध्यम से निधियां जारी की जाती है। इसके राज्यों को स्कीम के कार्यान्वयन मे अधिकारिक स्वायत्ता, अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014-15 मे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि (अ) दर्ज की गई है। (चित्र 2.8)।

2.13 दूसरा, 14 वें वित आयोग की प्रमुख सिफारशों को स्वीकार लिए जाने के कारण बजट 2015-16 में राज्यों के लिए योजना निधियों के आवंटन की विधि मे परिवर्तन किया गया था। 14वें वित आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42% करके ओर इस वृद्धि को राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता के तहत अंतरित संसाधनों में कटोती करके अंतरण मे वृद्धि करके और व्यय भागीदारी पद्धति मे परिवर्तन करके ऑटोमॅटिक रूट के माध्यम से राज्यों के लिए अधिक से अधिक संसाधनों के आवंटन की सिफारिश की थी इन विकास कार्यो से राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता मे कमी आई (चित्र 2.8) और साथ ही 2010-11 से 2014-15 के दौरान औसत हिस्सेदारी (चित्र 2.9) की तुलना में वर्ष 2015-16 (ब.अ.) में योजना व्यय के हिस्से में भी कमी आई: तथापि, राज्यों के समग्र संसाधनों के अंतरण में वृद्धि हुई है जिन पर चर्चा आगे के अध्याय में की गई है।

चित्र 2.9: कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में केंद्र का योजना और गैर-योजना व्यय:

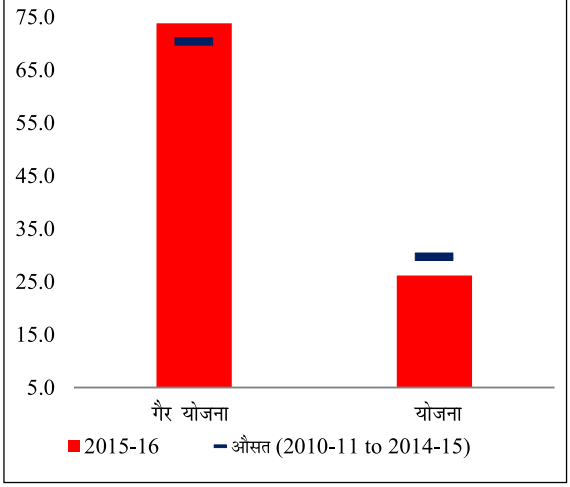

स्रोत: बजट दस्तावेज एवं सीजीए

2.14 योजना व्यय की पद्धति में किए गये परिवर्तन के कारण, वर्ष 2014-15 में 4.54 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) के मुकाबले वर्ष 2015-16 (केन्द्रीय योजना के लिए 2.60 लाख करोड़ रुपए तथा राज्यों ओर संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहयता हेतु 2.05 लाख करोड़ रुपए) में 4.65 लाख करोड़ रूपए के योजना के परिव्यय का आवंटन किया था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना परिव्यय (केंद्रीय योजना और सीपीएसई के आंतरिक एवं बजटेतर संसाधनों के सकल बजट सहयता) के व्यापक क्षेत्र-वार आवंटनों से यह स्पष्ट होता है कि परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सेवाएं एवं उद्योग ओर खनिज को मिलकर मोटे तौर बजट संकलन 2015-16 (चित्र 2.10) का 84 प्रतिशत बनता है।

चित्र 2.10: बजट प्राक्कलन वर्ष 2015-16 में सेक्टर द्वारा केंद्रीय योजना परिव्ययय

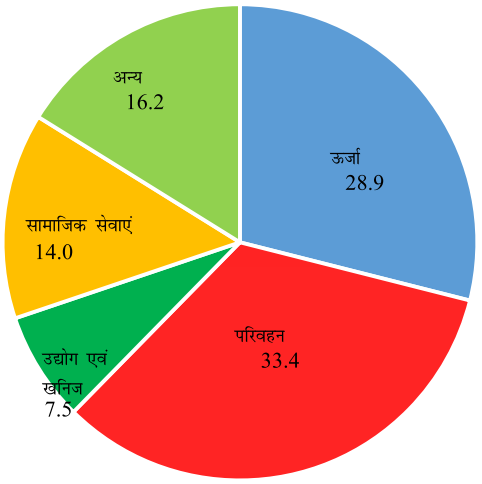

स्रोत: बजट दस्तावेज एवं सीजीए

योजना-भिन्न व्यय

2.15 ब. अ. 2015-16 में योजना-भिन्न व्यय कुल व्यय का 73.8 प्रतिशत बैठता है। जो 2014-15 की समाप्ति पर विगत 5 वर्षों के औसत की तुलना में 3 प्रतिशतांक बिंदु अधिक है। बजट 2015-16 में 13.12 लाख करोड़ रुपए के कुल गैर योजना व्यय के अलावा राजस्व व्यय लगभग 92 प्रतिशत, शेष 8 प्रतिशत मुख्यत: रक्षा पूंजी व्यय है। दूसरा, प्रतिबंध व्यय का हिस्सा (ब्याज भुगतान एवं पेन्शन) मोटे तौर पर 41.5 प्रतिशत था। जबकि विगत 5 वर्षों (2014-15 के अंत) में औसतन 40.5 प्रतिशत था। (चित्र 2.11)।

चित्र 2.11: गैर योजना व्यय का संघटन (प्रतिशत में)

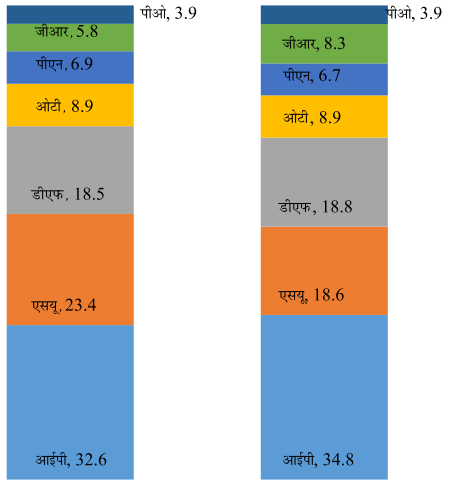

स्रोत: बजट दस्तावेज एवं सीजीए

टिप्पणी:
आईपी=ब्याज भगुतान डीएफ=रक्षा
एसयू=सब्सिडियां पीओ=पुलिस
पीएन= पेंशन ओटी=अन्य
जीआर=राज्यों और संघ राज्यों को अनुदान
एवीजी= 2014-15 तक पिछलें 5 वर्षों का औसत

2.16 प्रतिबद्ध व्यय गैर-योजना व्यय को तर्कसंगत बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। प्रतिबद्ध व्यय दो तरह का होता है पहला विगत मे उपगत ऋण पर ब्याज देयता दूसरा सरकारी सेवा से अधिवर्षिता को प्राप्त/ निवृत हो रही श्रम शक्ति को पेंशन का भुगतान। ब.अ. 2015-16 के अनुसार 5.45 लाख करोड़ प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान है। 2014-15 (अ.) में यह 4.87 लाख करोड़ रुपए था (सारणी-4)। कुल गैर योजना (एनपीई चित्र 11) मे प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा लगातार बढ़ रह है, लेकिन स.घ.उ. के प्रतिशत के अनुसार 2013-14 के बाद इसमें कमी आना शुरू हुआ और ब.अ. 2015-16 के अनुसार कम होकर स.घ.उ. का 3.86 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि 2014-15 में यह 389 प्रतिशत था (चित्र-11)। दो भिन्न संकेतकों (चित्र 2.12क) के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय में बदलाव की प्रवृत्ति देखी गई है (चित्र-11) और यह गैर-योजना व्यय की अन्य श्रेणियों में यौक्तिकरण का परिणाम है। उदाहरण के लिए सब्सिडी बिल, जिसमें गैर-योजना व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का सापेक्ष हिस्सा बढ़ा है।

सारणी 2.4 : सुनिश्चित व्यय (करोड़ रुपये में)

	2013-14	2014-15 अ	2015-16 ब.अ
ब्याज का भुगतान	374254	404019	456145
पेंशन	74896	82954	88521
कुल	**449150**	**486973**	**544666**

स्रोत : बजट दस्तावेज

चित्र 2.12 (क): सुनिश्चित व्यय

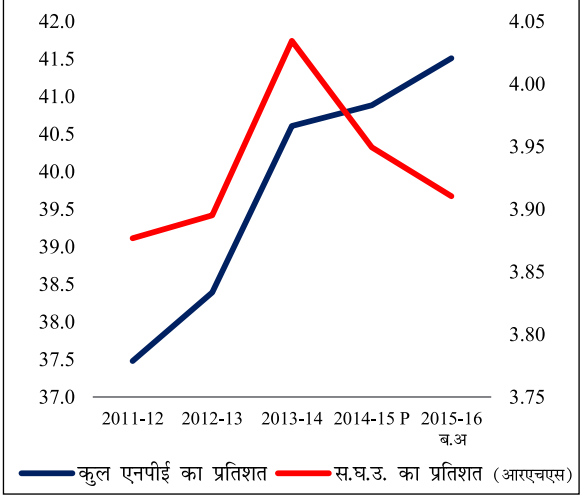

***स्रोत:* बजट दस्तावेज, सीजीए एवं सीएसओ**

2.17 बजट प्राक्कलन 2015-16 में सब्सिडी बिल 2.44 लाख रुपये का रखा गया था जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत होता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से नियंत्रण हटा लेने के कारण और घरेलू एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे लाभान्भोगी को दिए जाने से तथा साथ ही साथ विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोलियम सब्सिडी बिल को 30,000 करोड़ रूपये तक रखने में मदद मिली है। जबकि यह सब्सिडी 2014-15 में 57,769 करोड़ रुपये थी (अनंतिम) (सारणी-2.5) सकल घरेलू उत्पाद की अनुपात में कुल सब्सिडी बिल में 2012-13 से कमी लाई जा रही है और आशा है कि बजट 2015-16 (चित्र- 2.12ख) के अनुसार यह सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से भी कम हो जाएगी। एक बेहतर लक्ष्य के माध्यम से इन सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने और इनकी पुन: प्राथमिकता निर्धारित करने से वित्तीय समेकन और समावेशी विकास के लिए व्यय कम करने में सहायता मिलेगी तथा विकास की दिशा में मोड़ा जा सकेगा (बॉक्स-2.3)

चित्र 2.12 (ख): जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी बिल

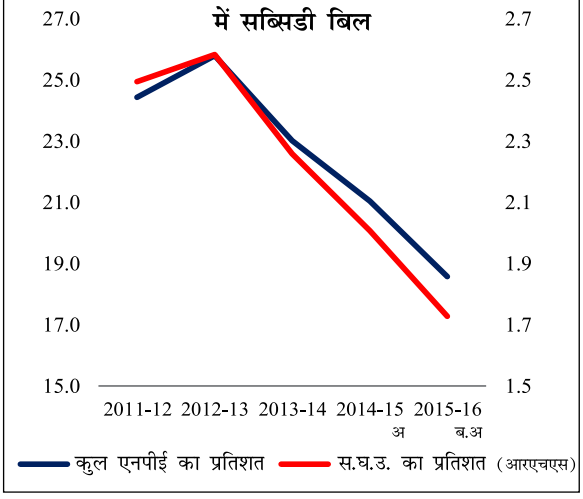

***स्रोत:* बजट दस्तावेज, सीजीए एवं सीएसओ**

सारणी 2.5 : कुल सब्सिडी (करोड़ रुपये में)

	2013-14	2014-15 अ	2015-16 ब.अ
आहार	92000	122676	124419
उर्वरक	67339	70967	72969
पेट्रोलियम	85378	60270	30000
अन्य	9915	-	16423

स्रोत : बजट दस्तावेज

बाक्स 2.3 : पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी का रुख

गरीबों को सब्सिडी दिए जाने के प्रावधान के कई कल्याणपरक आयाम हैं; लेकिन और अधिक महत्वपूर्ण बात इस सब्सिडी को व्यावहारिक स्तर पर बनाए रखना भी है। ऊपरी तौर पर जो भी विवाद दिखाई देते हैं उनको सब्सिडी में पारदर्शिता लाकर, इसके कुशल और लक्ष्य को निर्धारित करके तथा अन्य प्रयास जैसे कि, जहां भी संभव हो इसके लाभ को सीधे अंतरणकर्ता तक पहुंचा कर, समाधान किया जा सकता है। पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सिडी होती है जिसका उद्देश्य कल्याणपरक है लेकिन इसके कारण वित्तीय समस्या पैदा होती है। इस बॉक्स में पेट्रोलियम से संबंधित सब्सिडी को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

केन्द्रीय बजट में इस प्रकट सब्सिडी में छ: गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है जो कि 2002-03 के 43,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-15 (संशोधित अनुमान) में लगभग 2,67,000 करोड़ रुपये तक हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 2012-13 में केन्द्रीय बजट में सब्सिडी का स्तर 2.58 प्रतिशत तक हो गया था। आहार, उर्वरक और पेट्रोलियम तथा अन्य मद जिन पर कि सब्सिडी मिलती है, जैसे प्रमुख क्षेत्रों के हिस्सों को चित्र 1 में दर्शाया गया है।

पेट्रोलियम मूल्य नीति, तेल विपणन कंपनियों से कम वसूली और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी : सरकार ने पेट्रोलियम की कीमतों को जुलाई, 1975 से निर्धारित किया है और यह 2002 तक चलती रही और इसे प्राशसनिक मूल्य तंत्र (एपीएम) के नाम से जाना जाता है। इस एपीएम में तेल परिशोधन और विपणन कंपनियों को इसलिए मुआवजा दिया जाता है कि वे अपनी संचालन लागत और

जारी...

चित्र 1: भारत में सब्सिडियों का क्षेत्रक वितरण

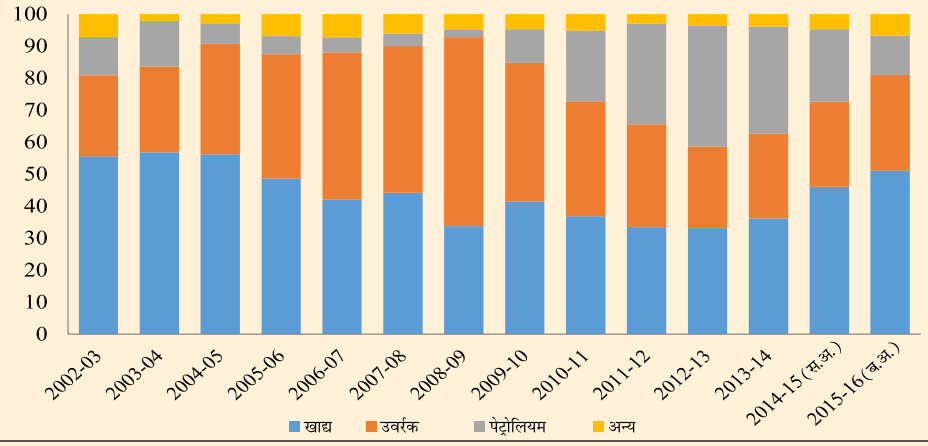

कतिपय अन्य खर्च को पूरा कर सकें। एक ऑयल पूल खाता बनाया गया था जिससे कि पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्य को स्थिर रखा जा सके (जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव से घरेलू तेल कीमतों को प्रभावित होने से बचाया जा सके। खाना बनाने की एलपीजी और घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए मिट्टी के तेल जेसे उत्पादों को रिआयती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा था और इसकी भरपाई करने के लिए मोटर स्पिरिट और एविएशन टर्बाइन ईंधन जैसे उत्पादों पर उच्च दर से प्रभार लगाया जाता था।

बहरहाल, लगातार यह महसूस किया जा रहा था कि परिशोधन और विपणन कंपनियों के विस्तार में यह एपीएम आड़े आ रहा है और निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश करने में कठिनाई आ रही थी। इसलिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग ग्रुप ऑन रिस्ट्रक्चेरिंग ऑफ ऑयल इंडस्ट्री (जिसे 'आर' ग्रुप के नाम से जाना जाता है) की सिफारिशों के अनुपालन में सरकार ने एपीएम को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया है।

इस एपीएम को समाप्त किए जाने से पेट्रोलियम के मूल्य और सब्सिडी की व्यवस्था के बाद इसमें उतार-चढ़ाव की स्थिति आ गई है। एपीएम के समाप्त होने के बाद एक सीमित समय के लिए मिट्टी के तेल और घरेलू कुकिंग गैस पर सब्सिडी दी जा रही थी। हालाकि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगातार वृद्धि होने से, विशेषकर 2004-05 से सरकार लगभग सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रित करने में सफल रही। तेल की कीमतों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई थी उसका उस अनुपात में उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ने दिया गया जिसके कारण तेल विपणन कंपनियों से होने वाली कम वसूली का शीर्ष बढ़ता गया। इस कम वसूली की भरपाई; (प) 'ऑयल-बाण्ड' (बजट से कम स्तर पर) जारी करके; (पप) ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमि. जैसी बड़ी कंपनियों के लिए ओएमसी को बेचे जाने वाले कच्चे तेल पर रिआयती मूल्य वसूलने को जरूरी बनाकर और (पपप) बजट से सीधे सब्सिडी देकर पूरा किया गया पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को कर और शुल्क में कमी करके नियंत्रित किया गया जिसका सीधा असर अप्रत्यक्ष कर के संग्रहण पर पड़ा और इसके अलावा ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियों के बीच भार को वहन करने की हिस्सेदारी हुई और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष कर तथा गैर कर राजस्व अर्थात लाभ और डिविडेंट पर भी पड़ा जिसके कारण इनमें कमी आ गई।

स्पष्ट है कि यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई क्योंकि 2004-2005 के बीच कच्चे तेल की कीमतें दोगुने से भी ज्यादा हो गईं। कराधान और पेट्रोलियम उत्पाद समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने ऑयल बॉण्ड्स को 2009-10 से जारी करना बंद कर दिया तथा बजट संसाधन से सीधे सब्सिडी देने लगी। हालांकि बड़ी तेल कंपनियों ने ओएमसी को रिआयती कीमत पर कच्चा तेल देकर इस भार को वहन करने में अपनी हिस्सेदारी निभाई। चूंकि तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होती रही अत: पेट्रोलियम क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सब्सिडी 2004-05 के 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-10 में 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और 2012-13 में तो यह 97000 करोड़ रुपये तक हो गई। जोकि कुल सब्सिडी का 38 प्रतिशत होती है। 2013-14 में यह कम होकर 85000 करोड़ रुपये तक आ गई थी।

'एक्सपोर्ट ग्रुप ऑन ए वाएबल एंड सस्ट्रेनेबल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट' की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने जून, 2010 से पेट्रोल की कीमतों से नियंत्रण हटा लिया। इसी प्रकार ओएमसी को जनवरी, 2013 से डीजल ऑयल की कीमतों में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि (40-50 पैसा प्रति लीटर प्रति माह) करने की अनुमति दे दी गई। उनको प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को गैर सब्सिडी वाली दर से डीजल की बिक्री करने की अनुमति भी दे दी गई। एलपीजी सिलेण्डरों की संख्या पर ऊपरी सीमा लगाई गई जिस सीमा तक इनको उपभोक्ताओं को रिआयती दर पर बेचा जा सकता था।

ओएमसी से जो कम वसूली हो रही थी उसमें इस तरह के प्रयासों से कमी आने लगी और ऐसा कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई खास कमी से भी हुआ। सरकार ने अक्तूबर, 2014 में डीजल की कीमतों से नियंत्रण हटाने का फैसला कर लिया। जिसके कारण डीजल पर होने वाली कम वसूली खत्म हो गई। जो कि कम वसूली का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करती थी। 2014 के पूर्वार्ध से कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाली लगतार कमी का सब्सिडी के स्तर पर और सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था पर भी खास प्रभाव पड़ा है। इन्हीं बातों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी 2014-15 के 60,000 करोड़ रुपये से कम होकर के अप्रैल-दिसम्बर, 2015 में 28,000 करोड़ रुपये के लगभग हो गई है।

घाटे और घाटे के वित्त पोषण का रुख

2.18 बजट 2015-16 में वित्तीय घाटे को 5.56 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत) तक सीमित रखने की बात सोची गई थी जबकि यह घाटा 2014-15 (संशोधित प्राक्कलन) में 5.13 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत) था। 2015-16 (बजट प्राक्कलन) में राजस्व घाटा अनुमानत: 3.94 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत) रहा है जबकि 2014-15 (संशोधित प्राक्कलन) में यह घाटा 3.62

चित्र 2.13: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटे की प्रवृति

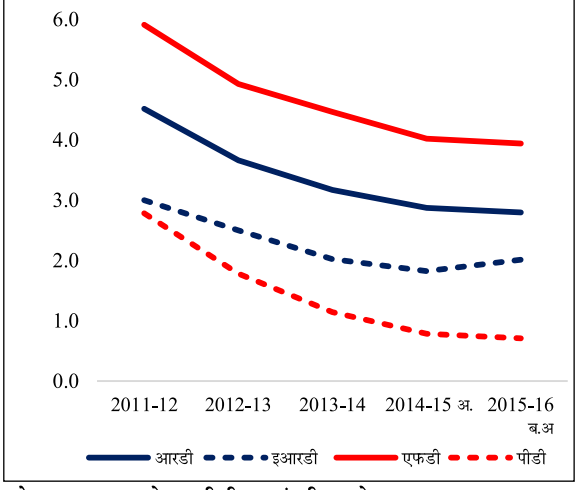

स्रोत: बजट दस्तावेज, सीजीए एवं सीएसओ

लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत) था। (चित्र 2.13)

2.19 अन्य देशों के विपरीत भारत में राजकोषीय घाटों का वित्त पोषण ज्यादातर घरेलू संसाधनों से किया जाता है। ये घरेलू संसाधन घाटे का 98 प्रतिशत वित्त पोषण करते हैं और घरेलू वित्त पोषण का लगभग 84 प्रतिशत

चित्र 2.14: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

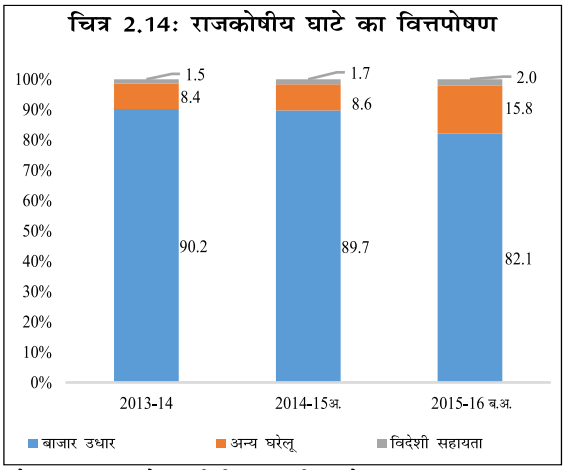

स्रोत: बजट दस्तावेज, सीजीए एवं सीएसओ

बाजार से उधार लेकर पूरा किया जाता है। (चित्र 2.14)

2015-16 के बजट अनुमान की तुलना में 2015-16 (दिसम्बर तक) में अनंतिम परिणाम

2.20 महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी किये गए अप्रैल-दिसम्बर 2015-16 के खाते दर्शाते हैं की बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में दिसम्बर 2015 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की अपेक्षा कम है (सारणी 2.6) लेकिन यह विगत पांच वर्षों के 82.3 प्रतिशत औसतन घाटे से मामूली सा अधिक है। इस वर्ष के अभी तक के सुखद राजकोषीय परिणाम, कर में बेहतर वृद्धि और तेल की कीमतों में आई गिरावट के साथ विवेकशील व्यय प्रबंधन के कारण था। चालू वर्ष में दिसम्बर 2015 तक राजकोषीय परिणाम की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में शामिल है: बड़ी सब्सिडियों को कम करने और विगत छ: वर्षों में पूंजीगत व्यय में सर्वाधिक वृद्धि हासिल करते हुए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों को बढ़े हुए कर का हस्तांतरण करना।

2.21 बढ़े हुए कर के अंतरण के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति ने भारत के कोऑपरेटिव संघवाद में आमूल परिवर्तन ला दिया है। करों के अंतरण हेतु बदलते नियमों को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में अभी तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नियत करों में 36.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी। तथापि केंद्र के लिए निर्धारित करों में अभी तक की गई वृद्धि जी टी आर में की गई वृद्धि से कम थी (सारणी 2.6) लगभग 5.7 प्रतिशत कम करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए अनुदान और ऋण के साथ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को (अप्रैल-दिसंबर

चित्र 2.15: राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित किए गए संसाधन (करोड़ रुपए में)

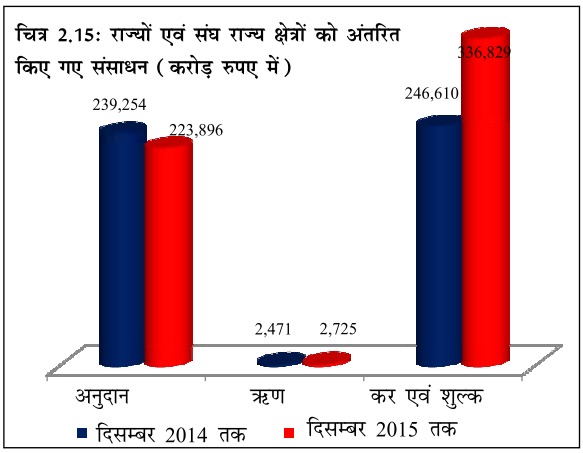

2015 के दौरान) अंतर्गत किये गए कुल संशोधनों में अप्रैल-दिसंबर 2014 के मुकाबले लगभग 15.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। (चित्र 2.15)

2.22 इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में जी टी आर में हुई जबरदस्त वृद्धि केंद्रीय उत्पाद शुल्कों में लगभग 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अप्रत्यक्ष करों में हुई 34.8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। (सारणी 2.6) उत्पाद शुल्क से हुए संग्रह में आंशिक तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ी गतिशीलता और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट के वातावरण में पेट्रोल और डीजल पर लगाये गए उत्पाद शुल्क को बढ़ाने जैसे उपायों में सहयोग मिला, परिणामस्वरूप दिसम्बर 2015 के अंत में बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण दिसम्बर 2014 के अंत में 54.8 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान का 71.3 प्रतिशत था। प्रत्यक्ष कर-व्यक्तिगत आय और कॉर्पोरेट आय दोनों पर इस अवधि के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हासिल हुई। जबकि कर भिन्न राजस्व में जबरदस्त वृद्धि हुई। दिसम्बर 2015 के अंत में विनिवेश प्राप्तियां (सारणी 2.6 में अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल की गई), पिछले वर्ष के मुकाबले बजट अनुमान से 18.5 प्रतिशत ही अधिक थी।

2.23 पूंजीगत व्यय में 33.5 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि आयोजना सम्बद्ध थी, अप्रैल-दिसंबर 2015 में राजस्व व्यय मामूली सा अधिक था जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए कर अंतरण, ढांचे में परिवर्तन को व्यापक

सारणी 2.6: वर्ष 2015-16 के अनंतिम परिणाम (दिसम्बर 2015 तक)

		ब.अ. (₹करोड़)	अप्रैल-दिसम्बर					
			वास्तविक सं. (₹करोड़)		संबंधित बजट अनुमान का प्रतिशत		पिछले वर्ष की तुलना में (प्रतिशत) वृद्धि	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
1	राजस्व प्राप्तिया	1141575	693773	803808	58.3	70.4	9.4	15.9
	सकल कर राजस्व	1449490	795686	963229	58.3	66.5	7.0	21.1
	कर (केन्द्र को निवल)	919842	545714	622248	55.8	67.6	5.4	14.0
	कर-भिन्न राजस्व	221733	148059	181561	69.7	81.9	27.3	22.6
2	पूंजी प्राप्तियां	635902	542615	510189	89.7	80.2	2.4	-6.0
	ऋण की वसूली	10753	8282	9138	78.7	85.0	3.0	10.3
	अन्य प्राप्तियां	69500	1952	12866	3.1	18.5	-64.1	559.1
3	कुल प्राप्तियां	1777477	1236388	1313997	68.9	73.9	6.2	6.3
4	आयोजना-भिन्न व्यय	1312200	883757	968019	72.4	73.8	8.8	9.5
	क) राजस्व खाता	1206027	813270	895386	73	74.2	11.2	10.1
	ब्याज देनदारियां	456145	275220	302298	64.5	66.3	10.8	9.8
	प्रमुख सब्सिडियां	227388	212418	208759	84.5	91.8	12.5	-1.7
	पेंशन	88521	68104	69467	83.1	78.5	26.4	2.0
	ख) पूंजी खाता	106173	70487	72633	67	68.4	-13.4	3.0
5	आयोजना व्यय	465277	352631	345978	61.3	74.4	0.4	-1.9
	क) राजस्व खाता	330020	282278	230656	62.2	69.9	3.0	-18.3
	ख; पूंजी खाता	135257	70353	115322	57.9	85.3	-8.9	63.9
6	कुल व्यय	1777477	1236388	1313997	68.9	73.9	6.2	6.3
	क) राजस्व व्यय	1536047	1095548	1126042	69.9	73.3	9.0	2.8
	ख; पूंजी व्यय	241430	140840	187955	62.1	77.9	-11.2	33.5
7	राजस्व घाटा	394472	401775	322234	106.2	81.7	8.2	-19.8
8	प्रभावी राजस्व घाटा	283921	303912	229446	144.6	80.8	10.4	-24.5
9	राजकोषीय घाटा	555649	532381	488185	100.2	87.9	3.1	-8.3
10	प्राथमिक घाटा	99504	257161	185887	246.9	186.8	-4.0	-27.7

स्रोत: सीजीए मासिक खाता तथा बजट दस्तावेज

रूप से परिभाषित करते हुए आयोजना राजस्व व्यय में मुख्यत: 18.3 प्रतिशत की आई गिरावट के कारण है। इस शीर्ष के अंतर्गत राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान पिछले वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) में 2.05 लाख करोड़ रुपए से कम होकर इस वर्ष 1.50 लाख करोड़ रुपए रह गया। तथापि राज्यों को किया गया आयोजना-भिन्न अनुदान इस अवधि के दौरान 0.35 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 0.74 लाख करोड़ रुपए हो गया।

2.24 प्रमुख सब्सिडियों में आई 1.7 प्रतिशत की गिरावट पेट्रोलियम सब्सिडी में (अप्रैल-दिसंबर) लगभग 44.7 प्रतिशत की गिरावट के कारण भी जो की कच्चे तेल की अंतराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से आई गिरावट के कारण हुई थी। इस अवधि के दौरान अन्य प्रमुख सब्सिडियों खाद्य और उर्वरक में क्रमश 10.4 प्रतिशत और 13.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

केंद्रीय सरकार के विभागीय उधमों का कार्य निष्पादन

डाक विभाग

2.25 2014-15 में डाक विभाग की सकल प्राप्तियां 11,636 करोड़ रुपए पर रही, वर्ष के दौरान सकल और निवल कार्य चालन व्यय क्रमश 18,557 करोड़ रुपए और 17,895 करोड़ रुपए था; जो 6259 करोड़ घाटे में परिणत हुआ है। 2015-16 सं.अ. के अनुसार सकल प्राप्तियों के 12237 करोड़ रुपए तक होने की बजटीय व्यवस्था की गई है जिसमें सकल और निवल कार्य चालन व्ययों के क्रमश: 20185 करोड़ रुपए तथा 19540 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 7303 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित किया गया है।

रेलवे

2.26 भारतीय रेल के लिए प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है: क्षमता बढ़ने में तेजी लाना, नेटवर्क को आधुनिक बनाना, आस्तियों की उपयोगिता और उत्पादकता में सुधार लाना छोटी रेलगाड़ी और रख रखाव परिपाटी का आधुनिकीकरण और संचालनों में बेहतर ऊर्जा कार्यक्षमता तथा सेवाओं के मूल्यनिर्धारण तथा गुणवत्ता में सुधार लाना। समर्पित मालढुलाई गलियारा, हाईस्पीड रेल, अधिक क्षमता वाली छोटी रेलगाड़ियों अंतिम मील दूरी पर रेल से जुड़ने तथा स्टेशनों को जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेशों को प्राथमिकता दी जा रही है। 2014-15 के दौरान मालढुलाई अर्जन, यात्री अर्जन (कोचिंग अर्जन सहित) और रेल की सकल यातायात प्राप्तियां 2013-14 के दौरान क्रमश: 12.7 प्रतिशत, 14.9 प्रतिशत, और 12.3 प्रतिशत बढ़ी हैं। 2015-16 के बजट अनुमान में रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां 2014-15 में 1.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वर्ष 2015-16 में रेलवे के संचालन अनुपात में सुधार देखे जाने की भी सम्भावना है, जो 2014-15 में 91.3 प्रतिशत रहा, लगी हुई पूंजी का समानुपातिक निवल राजस्व पिछले वर्ष में 7.0 प्रतिशत था।

सरकारी ऋण

2.27 भारत में सरकारी ऋण प्रबंध नीति निम्नतम संभावित लागत पर दीर्धावधिक वहनीय ऋण संरचना बनाये रखने पर बल देती है। लम्बे समय से चले आ रहे राजकोषीय घाटे ऋणों के संचयन को स्तर से अधिक बढ़ाते है और इसके परिणामस्वरूप वास्तविक और सांकेतिक ब्याज दरें अपेक्षाकृत बढ़ती है। पूंजी निर्माण में धीमी बढ़ोतरी होती है तथा उत्पादन की वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम हो सकती है। उच्च और बढ़ते सरकारी ऋण के स्तर की ऋण शोधन गतिशीलता, जो सरकार की राजकोषीय स्थिति को बिगाड़ती है, के जरिय सरकारी वित्त बकाया पर भी प्रभाव पड़ता है।

2.28 केन्द्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां मार्चात 2015 में 62.78 लाख करोड़ रुपए की थी, जो सकल घरेलू उत्पाद का 49.6 प्रतिशत बैठती है। इसमें 39.2 प्रतिशत सरकारी ऋण (आतंरिक ऋण जमा विदेशी ऋण) और 10.3 प्रतिशत अन्य देनदारियां (लघु बचतें, भविष्य निधि आदि) शामिल है। (सारणी 2.7) 2015-16 के बजट अनुमान में 68.94 लाख करोड़ रुपए की कुल बकाया देनदारियां रहने का अनुमान है।

2.29 चित्र 2.16क यह दर्शाता है कि किस प्रकार सुदृढ़ वृद्धि ने केंद्र सरकार के बढ़ते ऋण भार को अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप सतत स्तर पर रोके रखा। चित्र केंद्र की विदेशी देयताओं के अस्थायी मूल्यांकन विषयक परिणाम को प्रस्तुत करता है। चित्र 2.16ख के अनुसार मुद्रा घट बढ़ के कारण सरकार की विदेशी देयता नए उधारों के बिना पूरी तरह से बदल सकती है। तथापि, किसी भी प्रकार से विदेशी ऋण केंद्र की कुल देयताओं का केवल एक छोटा घटक और स.घ.उ. का कम होता अनुपात है। (सारणी 2.7)

सारणी-2.6 मार्चांत में केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 स.अ.	2015-16 ब.अ.
1.आतंरिक देनदारियां	49.8	49.2	48.7	48.1	47.4
a)आतंरिक ऋण	37.0	37.8	37.6	37.7	37.6
i)बाजार उधार	28.8	30.0	30.5	30.8	30.9
ii)अन्य	8.2	7.8	7.1	7.0	6.7
b).अन्य आतंरिक देनदारियां	12.8	11.3	11.0	10.3	9.9
2.विदेशी ऋण (बकाया)*	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5
कुल बकाया देनदारियां (1+2)	51.7	51.0	50.3	49.6	48.9

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और डीएमओ

टिप्पणी: विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े विदेशी स्रोतों से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उधार को दर्शाते हैं और मुद्रा की ऐतिहासिक दरों पर आधारित होते है। आतंरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत 2015-16 (बजट अनुमान) के लिए 20000 करोड़ रुपए के निवल उधार शामिल हैं।

चित्र 2.16 (क): जीडीपी के रूप में केंद्रीय सरकार की कुल देयता

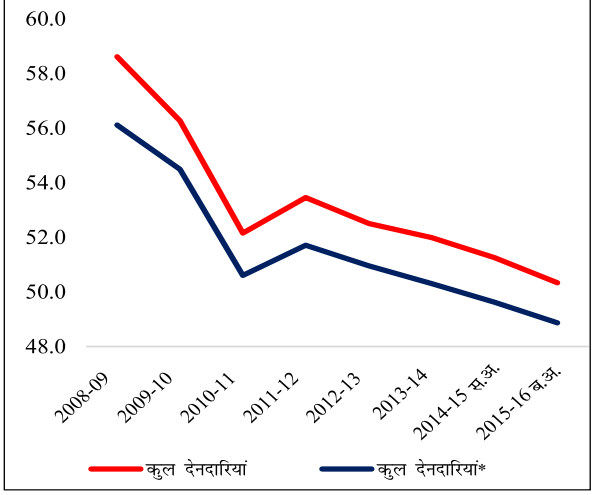

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज, भारतीय रिजर्व बैंक एवं ऋण प्रबंधन कार्यालय

चित्र 2.16 (ख): जीडीपी के रूप में केंद्रीय सरकार की विदेशी देयता

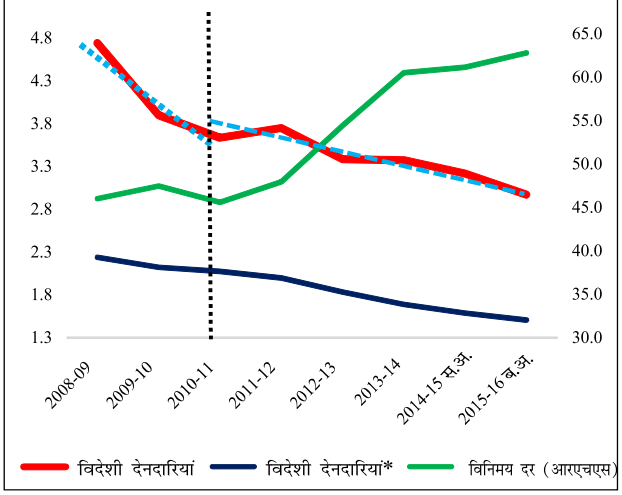

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज, भारतीय रिजर्व बैंक एवं ऋण प्रबंधन कार्यालय

टिप्पणी: विदेशी देनदारियां पूर्ववर्ती विनियम दर पर है अन्यथा ये चालू विनिमय दर पर है

सामान्य सरकार का राजकोषीय निष्पादन

2.30 राजकोषीय संघवाद के नए दौर में सामान्य सरकार का विश्लेषण केंद्र अथवा राज्य सरकार के पृथक रूप से विश्लेषण की तुलना में पूरी जानकारी उपलब्ध करता है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ रहा है (चित्र 2.17क); और दूसरे ऍफऍफसी की सिफारिशें स्वीकार करने से केंद्र से राज्यों को संयुक्त संसाधनों का अंतरण पर्याप्त रूप से बढ़ा है (चित्र 2.17ख)।

2.31 सामान्य सरकार (केंद्र एवं राज्य) राजकोषीय समेकन एवं राजकोषीय अनुशासन के पथ पर अग्रसर है, जैसाकि ऋण के कारकों में दर्शाया गया है (चित्र 2.18)। सामान्य सरकार का राजकोषीय घाटा 2014-15 (स.अ.) में स.घ.उ. के 6.9 प्रतिशत से कम होकर 2015-16 (ब.अ.) में स.घ.उ. का 6.3 प्रतिशत होने का अनुमान है (चित्र 2.19)।

2.32 वर्तमान वर्ष के प्रथम आठ मास के आंकड़ों के आधार पर यह देखने में आया है कि केंद्र और राज्य दोनों व्यय एवं सरकारी निवेश की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की योजना में लगे हुए हैं। सामान्य सरकार का 2015-16 के पहले 8 माह में पूंजीगत व्यय गतवर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में 26.9 प्रतिशत बढ़ा (चित्र 2.20)।

चित्र 2.17 (क): राष्ट्रीय करों में केंद्र और राज्य का हिस्सा (प्रतिशत)

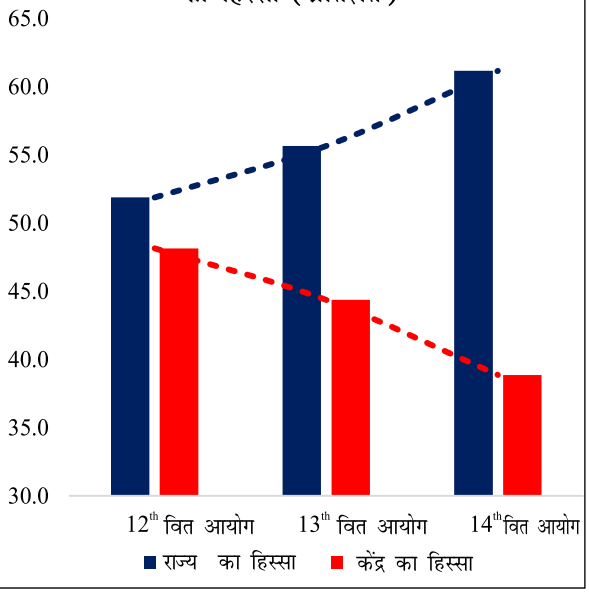

स्रोत: बजट दस्तावेज एवं सीजीए

चित्र 2.17 (ख): राज्यों को अंतरित संसाधन (जीडीपी का प्रतिशत)

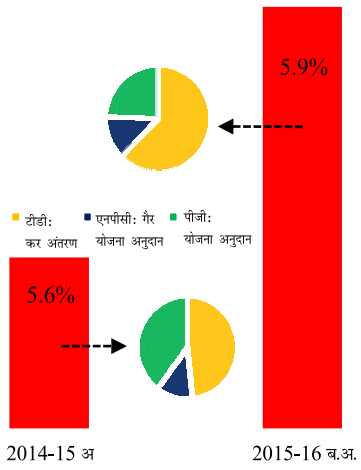

स्रोत: बजट दस्तावेज एवं सीजीए

राष्ट्रीय करों में केन्द्र और राज्य के अपने अपने कर राजस्व का सकल कर राजस्व का जोड़ शामिल है। 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आनेवाली अवधि 2005-10, 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 2010-15 और 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 2015-16 तक है

चित्र 2.18: सामान्य सरकारी देयताएं (जीडीपी का प्रतिशत)

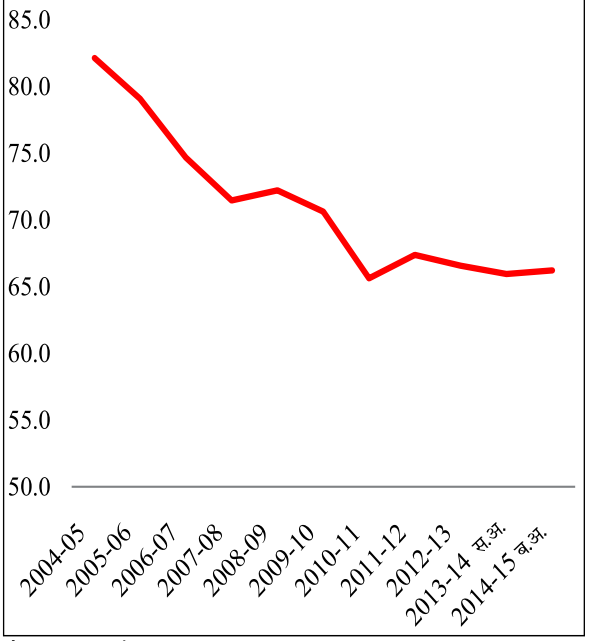

स्रोत: आरबीआई

चित्र 2.19: सामान्य और राज्य सरकार की आ.डी. और एफ.डी. (जीडीपी का प्रतिशत)

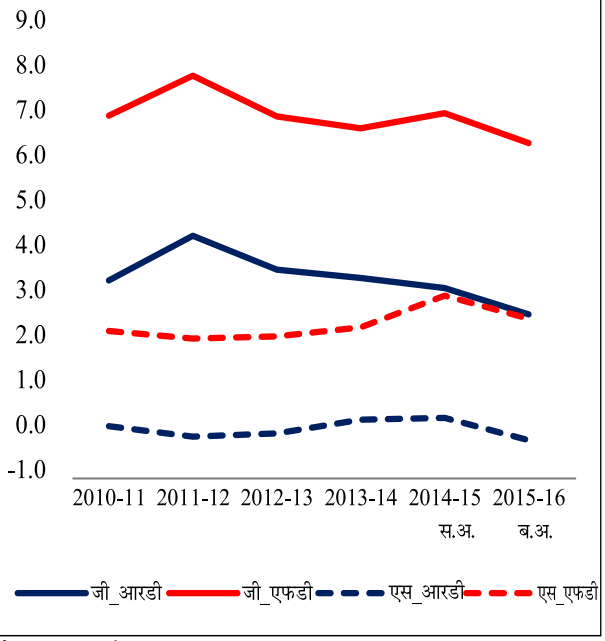

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी:

जीआरडी=सामान्य सरकार राजस्व घाटा

जीएफडी=सामान्यत सरकार राजकोषीय घाटा

एसआरडी=राज्य सरकार राजस्वज घाटा

एसएफडी=राज्य सरकार राजकोषीय घाटा

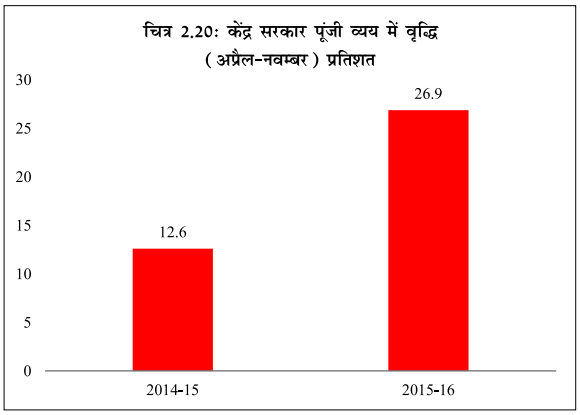

चित्र 2.20: केंद्र सरकार पूंजी व्यय में वृद्धि
(अप्रैल-नवम्बर) प्रतिशत

स्रोत: सीएजी

दृष्टिकोण

2.33 अप्रत्यक्ष कर संग्रह से राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि योजना पक्ष सम्बन्धी निजी व्यय के उच्च स्तर, पेट्रोलियम उत्पादों पर कम सब्सिडी की वजह से कच्चे तेल की कम होती अंतरराष्ट्रीय कीमतों तथा राज्यों को अंतरित बढ़े हुए संयुक्त संसाधन और ऍफऍफसी की सिफारिशों को स्वीकार करना 2015-16 के राजकोषीय निष्पादन के प्रमुख घटनाक्रम रहे। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में राजस्व व व्यय के पैटर्न को देखते हुए अनुमानित मामूली स.घ.उ. वृद्धि से अपेक्षाकृत कम की वृद्धि की चुनौतियों के बावजूद स.घ.उ. के 3.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर पाना संभव प्रतीत होता है।

2.34 राजकोषीय दृष्टि से आगामी वर्ष चुनौतीपूर्ण जान पड़ता है। वैश्विक मंदी वर्ष 2016 में भी जारी रह सकती है। भारत की वृद्धि दर के अवसर 2016-17 में भी बढ़ रहे हैं। 2015-16 में क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार वर्तमान वर्ष के सन्दर्भ में पेट्रोलियम उत्पाद सम्बन्धी सब्सिडी बिल को, अत्यधिक कम हो रही तेल कीमतों का लाभ नहीं मिल पायेगा। वेतन आयोग एवं वन रैंक वन पेंशन स्कीम सम्बन्धी सिफारिशों के कार्यान्वयन से व्यय पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। बेहतर कर प्रशासन, राजस्व के नए स्रोत तलाशने आदि के जरिये कर संग्रह में सुधार से राजस्व बढ़ाने और संसोधित राजकोषीय रुपरेखा में वर्णित स्तर पर राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखने का मार्ग प्रशस्त होगा।

03 अध्याय

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट के चलते, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीतिगत दरों में कटौती कर रहा है। चीन के आर्थिक विकास और वित्तीय बाजारों के बारे में चिंताएं, वैश्विक जिंस मूल्यों के निम्न स्तर और मुख्य अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न मौद्रिक नीतिगत रवैये वैश्विक वित्तीय बाजारों को समय-समय पर फिर से अस्थिर कर रहे हैं। निवेशक सामान्यत: जोखिम लेने से बच रहे हैं और जब भी बाजार पर कोई नया संकट आता है तो सुरक्षित आश्रयों की ओर जाना पसंद करते हैं। अधिकतर उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही भारत भी इससे मुक्त नहीं है। फिर भी, भारतीय इक्विटी बाजार दूसरी प्रमुख बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इस अवधि के दौरान अपेक्षाकृत समुत्थानशील रहा है। बाजार समय-समय पर वापस उछला है और यह उम्मीद की जाती है कि जैसे-जैसे वैश्विक वित्तीय बाजार शांत होगा तो मजबूत व्यापक आर्थिक नींव के कारण भारत अग्रणी निवेश गंतव्य हो सकता है। वित्त वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र का सकल ऋण नियोजन मंदा रहा है। सकल अनर्जक आस्तियों के बढ़ते हुए स्तर से बैंकिंग क्षेत्र की ऋण देने की क्षमता कम हुई है। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में धीमे विकास और बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता ने बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रभावित किया है और यह चिंता का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत वित्तीय समावेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और अटल पेंशन योजना नई पेंशन योजना की पहुंच को विस्तार दे रही है।

2015-16 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

3.2 फरवरी, 2015 में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति संरचना पर किए गए करार ने 2015-16 में मौद्रिक नीतिगत रवैये को मूर्त रूप दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 के दौरान अपने मौद्रिक नीतिगत रवैये को अधिक सहज किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी 2016 के लक्ष्य से काफी पहले 6 प्रतिशत से नीचे स्तर तक गिर गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सांविधिक नकदी अनुपात को 0.50 प्रतिशत तक कम करके फरवरी 2015 में 21.50 प्रतिशत तक किया और वर्ष के दौरान नीतिगत रेपो दर को और कम करके 6.75 प्रतिशत किया जिससे जनवरी 2015 और सितम्बर 2015 के बीच समग्र रूप से 125 आधार अंको की

तालिका 3.1: नीतिगत दरों में संशोधन

प्रभावी तारीख	बैंक दर/ एमएस एफ दर* (प्रतिशत)	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (एनडी. टीएल का प्रतिशत)	सांविधिक नकदी प्रवाह अनुपात (एनडी. टीएल का प्रतिशत)
09-08-2014	9.00	8.00	7.00	4.00	22.00
15-01-2015	8.75	7.75	6.75	4.00	22.00
07-02-2015	8.75	7.75	6.75	4.00	21.50
04-03-2015	8.50	7.50	6.50	4.00	21.50
02-06-2015	8.25	7.25	6.25	4.00	21.50
29-09-2015	7.75	6.75	5.75	4.00	21.50

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: 13 फरवरी, 2012 से बैंक दर को एमएसएफ दर के समरूप कर दिया गया है।

तालिका 3.2: प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर की स्थिति के अनुसार मौद्रिक योग में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (प्रतिशत)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
1. परिचालन में मुद्रा	13.0	9.6	11.1	12.0	12.4	18.2
2.बैंकों के पास नकदी	11.0	15.6	8.3	17.3	12.8	31.5
3. लोगों के पास मुद्रा	13.0	9.3	11.2	11.8	12.4	17.7
4. भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकरों की जमाएं	17.9	7.4	9.0	-15.3	12.1	35.3
5. मांग जमाएं	11.9	10.4	7.4	0.1	-0.1	22.4
6. सावधि जमाएं	10.6	10.9	16.3	12.6	19.2	18.4
7. आरक्षित मुद्रा (एम0) (1+4)	14.3	9.4	10.7	4.6	12.2	22.1
8. संकीर्ण मुद्रा (एम1) (3+5)	12.8	10.0	9.8	6.8	6.7	19.6
9. स्थूल मुद्रा (एम3) (6+8)	11.0	10.7	14.8	11.2	16.0	18.7

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

पर्याप्त कटौती हुई (तालिका 3.1)। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 फरवरी 2016 को हुई अपनी अद्यतन मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन नहीं किया है।

3.3 नीतिगत रेपो दर में कमी 2015 में रिजर्व मुद्रा (एम0) और संकीर्ण मुद्रा (एम1) की विकास दर में सुधार आने के साथ हुई। परिचलन में मुद्रा में और भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकरों की जमा में वृद्धि में तेजी के चलते, एम0 में वृद्धि उच्चतर रही है, जबकि बैंकों में जमाओं की मांग में वृद्धि की उच्चतर दर के कारण एम1 में वृद्धि रही है। एम0 में वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकरों की जमा में 17.9 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि के कारण अधिक हुई और एम1 में वृद्धि बैंकों में मांग जमाओं में वृद्धि की उच्च दर के कारण हुई। आरक्षित मुद्रा के स्रोत के रूप में, निवल विदेशी विनिमय आस्तियां (एनएफए) वृद्धि के एक प्रमुख निर्धारक रहे हैं जो निवल घरेलू आस्तियों से व्यवस्थित थे। दिसम्बर 2015 के अंत में उत्सवी मांग को पूरा करने के लिए एम0 की वृद्धि में 14 प्रतिशत के निशान से अधिक सामयिक सुधार हुआ; तब से अब तक इसमें 12 प्रतिशत के स्तर तक कमी आई है। तथापि, एम3 की वृद्धि ने रफ्तार नहीं पकड़ी है (तालिका 3.2)।

3.4 दिसम्बर 2015 में सावधि जमाओं में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि कम होकर 10.6 प्रतिशत रह गई। जमाओं में ब्याज की वास्तविक दर मुद्रास्फीति के 9 प्रतिशत से नीचे आने के बाद 2013 के अंत में सकारात्मक हुई किन्तु सावधि जमाओं में आंशिक रूप से घरेलू बचतों के सोने और रियल एस्टेट जैसे दूसरे मार्गों में जाने के कारण सुधार नहीं हुआ। सावधि जमाओं में मंदी बैंक ऋण की वृद्धि को कम कर रही थी क्योंकि सावधि जमाएं बैंक वित्तपोषण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सावधि जमाएं वित्तपोषण के दूसरे स्रोतों की अपेक्षा सस्ती हैं और बैंकों को उच्च ब्याज दर का विस्तार करने का खतरा उठाने की अनुमति देती हैं।

नकदी प्रबंधन

3.5 नकदी से संबंधित परिस्थितियां 2015-16 की

चित्र 3.1: चयनित सम्मुचयित राशियों की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर

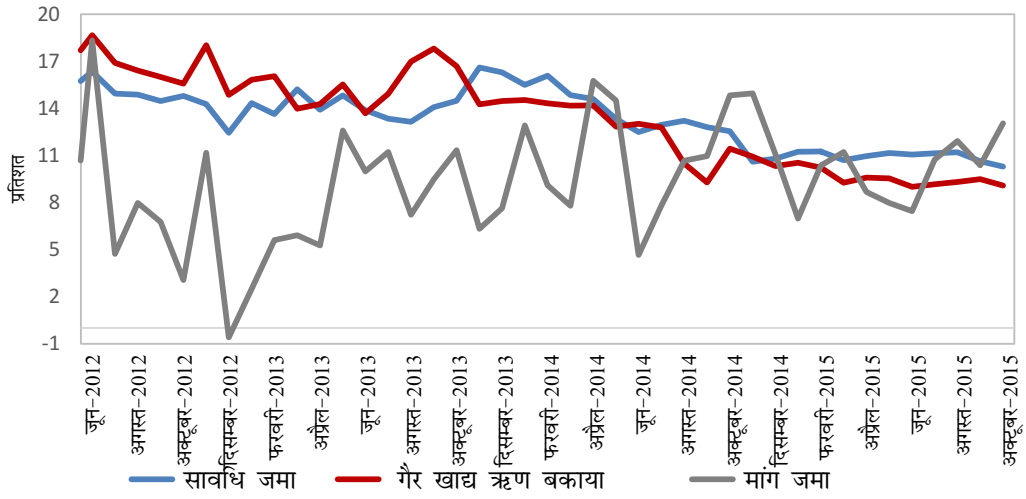

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

चित्र 3.2: नकदी अंतर्वेशन और विनिमय दर

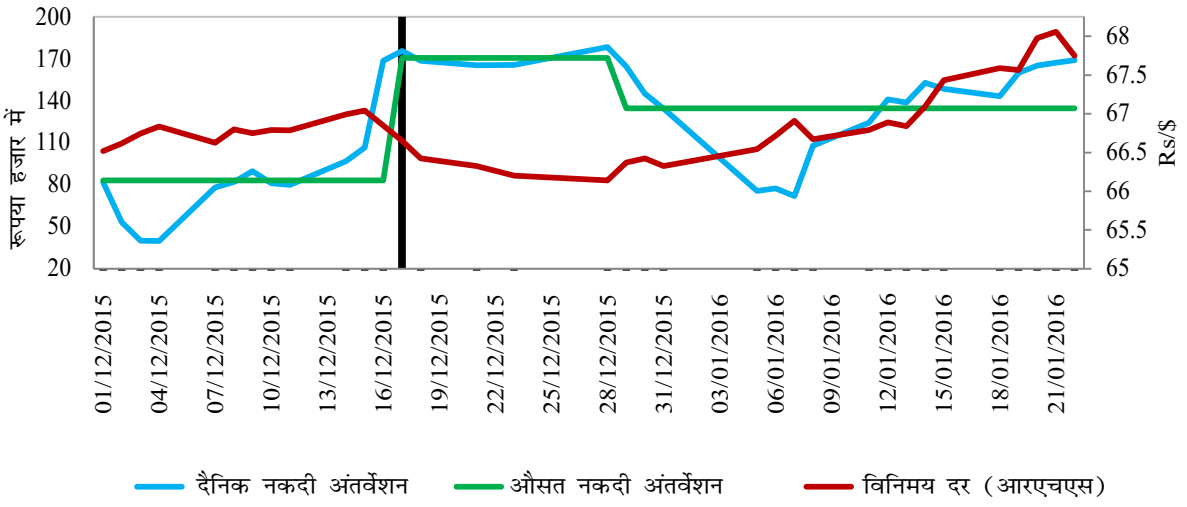

स्रोत: **भारतीय रिजर्व बैंक**

पहली तिमाही के दौरान, वर्ष की शुरूआत में मुख्य रूप से संयत सरकारी खर्च के कारण आमतौर पर मजबूत थीं। तथापि, वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में नकदी की परिस्थितियां महत्वपूर्ण रूप से ढीली हुई क्योंकि सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी हुई और जमाएं पर्याप्त रूप से ऋण से अधिक रहीं। वित्त वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही में, नकदी की परिस्थितियां मुख्य रूप से उत्सवी अवसर मुद्रा मांग के कारण मजबूत रहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास के अनुरूप घरेलू मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी नीतिगत दर को सहारा दिया और साथ ही इसने रुपए के बाहरी मूल्य को परिरक्षित करने के लिए नकदी प्रबंधन साधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया। चित्र 3.2 स्पष्ट करता है कि रुपए के मूल्य को यूएस फेडरल रिजर्व (फेड) दर में 17 दिसम्बर 2015 की बढ़ोतरी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी प्रबंधन के माधयम से परिरक्षित किया गया था। बैंकों द्वारा औसत उधार में बढ़ोतरी से पूर्व की तुलना में फेड दर बढ़ोतरी के तुरंत बाद महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई जिसके कारण रुपए का अधिमूल्यन हुआ। तथापि, नकदी परिस्थितियों के ढीले होने के बाद रुपए का मूल्यह्रास शुरू हो गया।

3.6 जनवरी 2015 से उदार मौद्रिक नीति रवैये के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति युक्तियों का सक्रिय रूप से प्रबंध कर रहा है और तदनुसार भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) अथवा मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य निकटता से नीतिगत रेपो दर के अनुरूप रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमित नकदी प्रचालनों के अलावा, प्रतिरोधात्मक घटकों से उत्पन्न होने वाली दैनंदिन नकदी आवश्यकताओं का समाधान करने के उद्देश्य से परिवर्तनीय दर रेपो और रिवर्स रेपो (एक दिवसीय और मियादी) नीलामी संचालित की थी। जनवरी 2015 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 125 आधार अंकों की कटौती के प्रत्युत्तर में, डब्ल्यूएसीआर 130 आधार अंकों तक कम हुआ जो मियादी ढांचे के प्रथम चरण में संपूर्ण प्रेषण को इंगित करता है। तथापि, 29 सितम्बर 2015 में दर कटौती के बाद, मांग दर कुछ समय के लिए रेपो दर से ऊपर रही जो नकदी परिस्थितियों में तंगी का संकेत है। दूसरी लघु-अवधि मुद्रा बाजार दरें, विशेष रूप से बाजार रेपो और मांग मुद्रा भी डब्ल्यूएसीआर से सह-भिन्न रहीं। 5 सितम्बर, 2014 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित संशोधित नकदी प्रबंधन ढांचे से डब्ल्यूएसीआर में अस्थिरता को रोकने में मदद मिली है। नए ढांचे के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी के प्रबंध के लिए नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत सामान्य नकदी प्रचालनों के अलावा अलग-अलग अवधि के प्रचालनों के साथ-साथ प्रत्यक्ष खुला बाजार प्रचालनों को दुरुस्त करने के लिए परिवर्तनीय रेपा दर रिवर्स रेपो का प्रयोग किया (चित्र 3.3)।

चित्र 3.3: पालिसी कारिडोर और काल दर

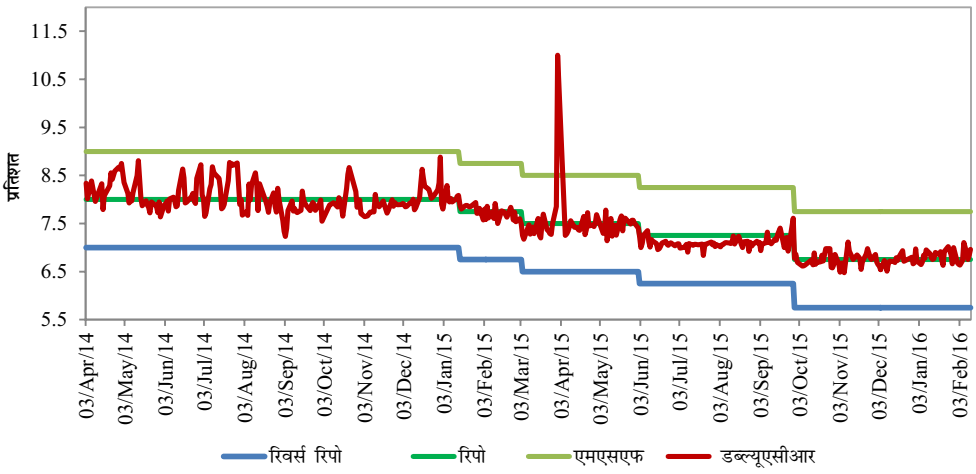

स्रोत: **भारतीय रिजर्व बैंक**

बैंक ऋण

3.7 बैंक ऋण, आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 2003-2008 की अवधि में देखी गई उच्च वृद्धि अन्य चीजों के साथ मौद्रिक योग और ऋण वृद्धि में बेहतर प्रदर्शन के साथ आई थी, जो आमतौर पर वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत के निशान से अधिक थी। वैश्विक वित्तीय संकट से तेजी से प्रभावित होने और 2008-2010 की अवधि में राजकोषीय प्रोत्साहन के बाद, ऋण वृद्धि फरवरी 2014 तक 15 प्रतिशत के निशान के आसपास रही। इस में बाद में काफी अधिक गिरावट आई (चित्र 3.3)।

3.8 चालू वित्त वर्ष के दौरान भी, बैंक सकल ऋण बकाया में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 10 प्रतिशत से नीचे रही। यह धीमी वृद्धि विभिन्न घटकों के कारण हुई, जैसे कि: (क) मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचार क्योंकि बैंकों ने कर्जदारों को पूरा लाभ नहीं दिया; (ख) बढ़ते हुए एनपीए के कारण ऋण देने में बैंकों की अनिच्छा; (ग) कारपोरेट तुलन पत्र का और बिगड़ना जिससे वे अपने निवेश निर्णयों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर हुए; (घ) बांड बाजार में ब्याज दरें कर्जदारों के लिए और अधिक आकर्षक थीं। इसके अलावा, इस बात पर ध्यान देना भी शिक्षाप्रद है कि बैंक ऋण उत्पादक क्षेत्रों तक संसाधन प्रवाह के आधे भाग का ही वर्णन करता है।

चित्र 3.4: बैंक ऋण बकाया में वृद्धि

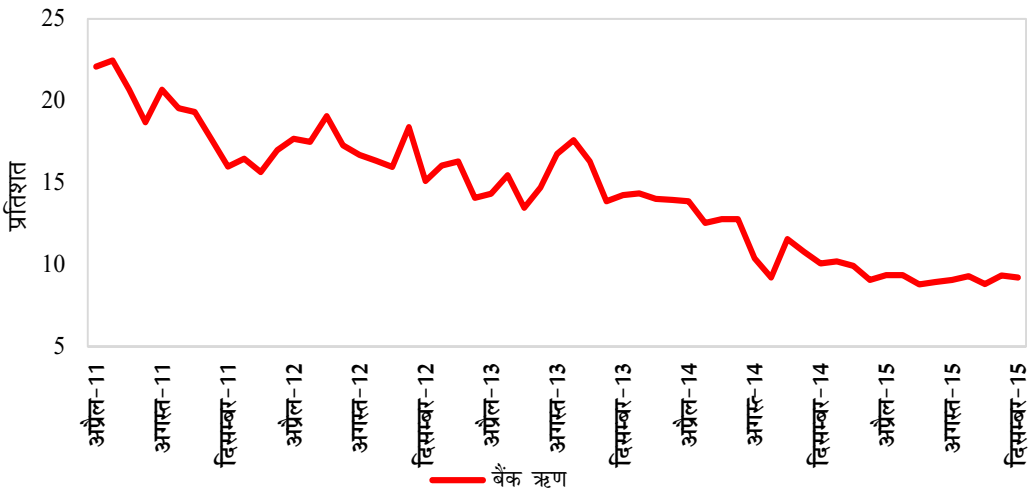

स्रोत: **भारतीय रिजर्व बैंक**

चित्र 3.5: एनएफसी की क्षेत्र विशिष्ट वृद्धि

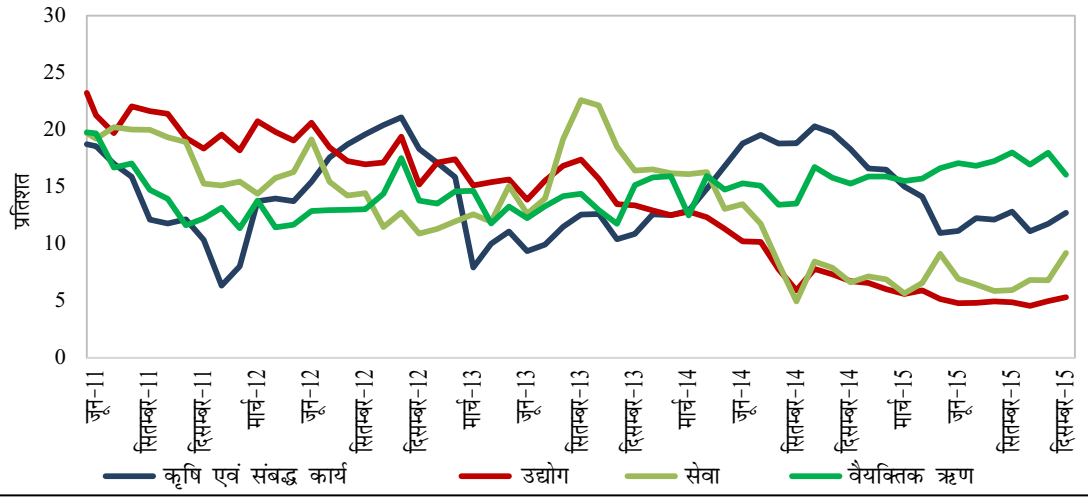

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

3.9 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक गैर-खाद्य ऋण के नियोजन में प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि उद्योग क्षेत्र द्वारा ऋण उठाने में कमी आ रही है। उद्योग को सकल बैंक ऋण का नियोजन दिसम्बर 2015 में समाप्त माह के लिए वर्ष-दर-वर्ष पर 5.3 प्रतिशत पर बढ़ा। सेवा क्षेत्र को सकल बैंक ऋण मई-नवम्बर 2015 की अवधि के लिए 7 प्रतिशत से कम पर बढ़ रह था। तथापि, दिसम्बर 2015 में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इसमें सुधार हुआ। कृषि क्षेत्र में भी नवम्बर, 2014 से गिरावट देखी गई। केवल वैयक्तिक ऋण ही है जिसे रेपो दर कटौती से फायदा मिल पाया है क्योंकि इसमें जनवरी 2015 से गतिवर्धक वृद्धि दर देखी गई है। दिसम्बर 2015 में समाप्त माह के लिए, इसमें 16.1 प्रतिशत की यथेष्ट वृद्धि दर दर्ज हुई है (चित्र 3.5)।

गैर-खाद्य ऋण में वार्षिक भिन्नता का विश्लेषण

3.10 चित्र 3.6, 2011 से गैर-खाद्य ऋणों (एनएफसी) की वार्षिक ऋण बकाया भिन्नता को दर्शाता है। गैर-खाद्य ऋणों (एनएफसी) की क्षेत्र-वार वार्षिक ऋण बकाया भिन्नता को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पिछले वर्षों की तुलना में, 2015 में जारी एनएफसी ऋण उठाने में क्षेत्रगत हिस्से में परिवर्तन का सूचक है, विशेष रूप से, वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा 2011 में 15.3 प्रतिशत की तुलना में 2015 में बढ़कर 34.2 प्रतिशत हो गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान उपभोग व्यय अर्थव्यवस्था का

चित्र 3.6: गैर खाद्य बैंक ऋण का क्षेत्रीय विन्यास

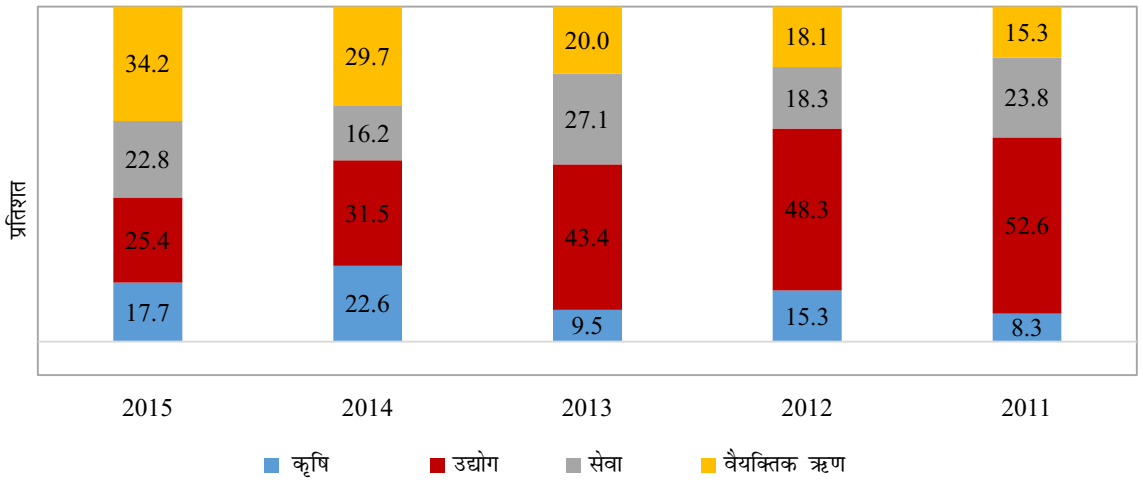

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

बॉक्स 3.1 वर्धमान ऋण प्रोत्साहन

डच बैंक के अर्थशास्त्री श्री मिशेल बिग्स ने ऋण प्रोत्साहन की अवधारणा को नवम्बर, 2008 में पुर:स्थापित किया। इस अवधारणा में जोर दिया गया है कि व्यय करना एक प्रवाह है और इसलिए इसकी तुलना एक प्रवाह के रूप में निवल नए ऋण प्रदाय से की जानी चाहिए न कि बकाया ऋण की संचित राशि से। ऋण प्रोत्साहन को सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में जारी नए ऋण में हुए बदलाव के तौर पर मापा जाता है। 2008 से अनेक देशों में ऋण प्रवाह का विश्लेषण रहे अध्ययनों से पता चलता है कि निवेश वृद्धि ऋण प्रोत्साहन से अति घनिष्ठ रूप में सहबद्ध है। अध्ययनों से यह भी ज्ञात होता है कि अन्य ऋण अंतरों की अपेक्षा ऋण प्रोत्साहन मंदी से उबरने का अनुमान लगाने में अधिक समर्थ है।

चित्र में भारत में उदारीकरण के बाद ऋण प्रोत्साहन और निवेश की दर दिखाता है। सकल बैंक ऋण बकाया में वार्षिक घटबढ़ का उपयोग इस अधययन में नए ऋण प्रदाय के पर्याय के रूप में किया गया है। चार्ट से पता चलता है कि ये दोनों अंतर समान अवतल और उच्च सीमा को छूते हुए साथ-साथ गतिमान हैं। नब्बे के प्रारंभिक दशकों के सुधारोत्तर चरण में ऋण प्रोत्साहन में हुई तीव्र वृद्धि, 2003-04 से 2007-08 की आर्थिक संवृद्धि का शीर्ष चरण ओर 2009-10 की जबर्दस्त ऋण वृद्धि के बाद निवेश की उच्च दर में वृद्धि हुई है।

चित्र 1: ऋण प्रोत्साहन और वास्तविक निवेश वृद्धि

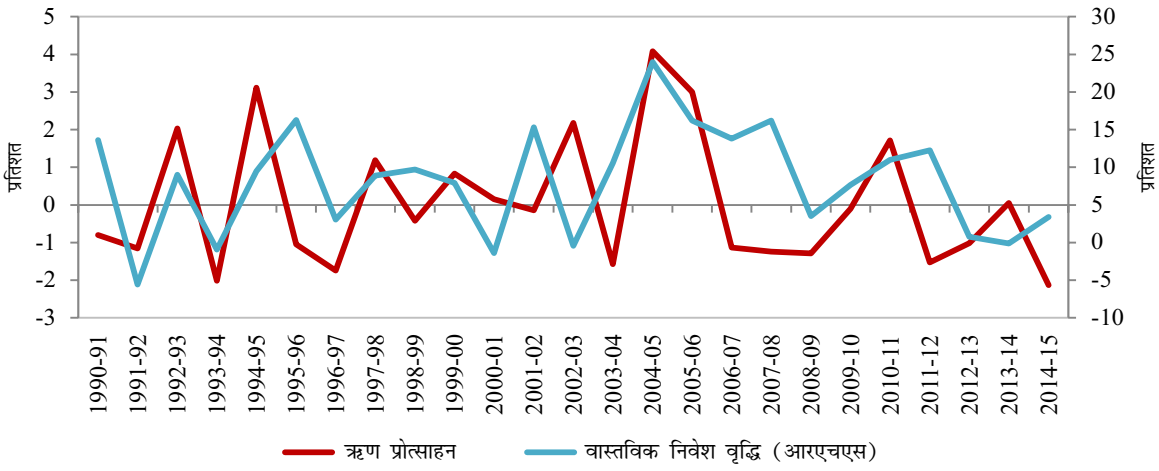

ऋण प्रोत्साहन में मार्च, 2015 से सुसंगत बढ़त देखी गई है और यह वास्तविक निवेश वृद्धि दर में भी प्रतिबिम्बित हुई है। यह मानते हुए कि ऋण प्रोत्साहन और निवेश वृद्धि के बीच मजबूत सहसंबंध है, ऋण प्रोत्साहन में वृद्धि से निकट भविष्य में वास्तविक निवेश की वृद्धि को बल मिलने में मदद मिल सकती है, यद्यपि यह निर्णायक संकेतक नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न अन्य कारक भी निवेश को प्रभावित कर सकते हैं।

चित्र 2: ऋण प्रोत्साहन और वास्तविक निवेश वृद्धि

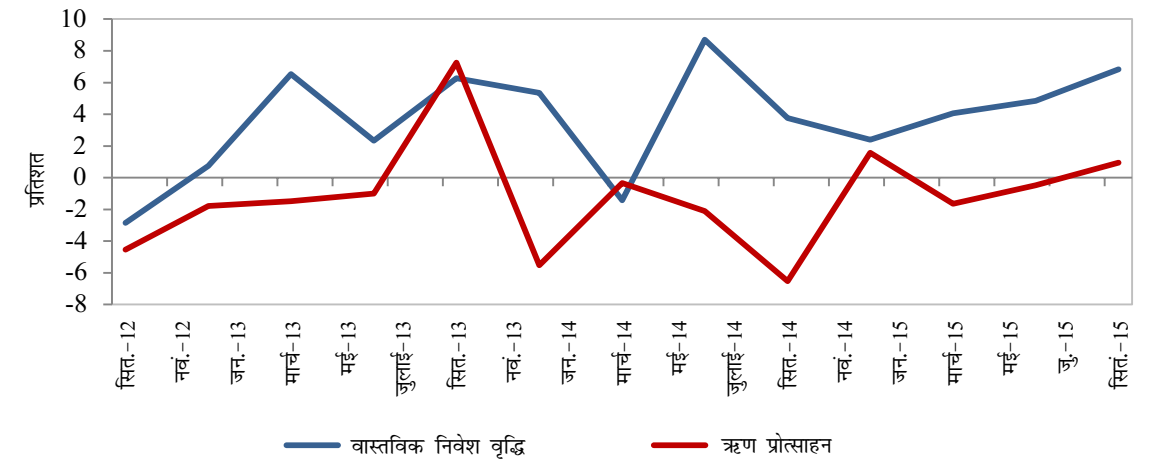

मुख्य संचालक था, किन्तु चिंता की बात यह है कि औद्योगिक हिस्सा 2011 में 53 प्रतिशत से काफी घटकर 2015 में मात्र 25 प्रतिशत रह गया है। इस गिरावट से बाजार की मंद भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं जिसके परिणामस्वरूप निजी निवेश की मांग और औद्योगिक वृद्धि में मंदन होता है, कारपोरेट क्षेत्र की आय में अत्यल्प वृद्धि होती है तथा वर्धमान सकल एनपीए के मद्देनजर बैंकों द्वारा जोखिम लेने से परहेज किया जाता है।

3.11 गैर-खाद्य ऋण के उपक्षेत्र वार प्रेषण से पता चलता है कि वर्ष 2015 में 1.36 लाख रुपए का नया ऋण (ऋण बकाया में वार्षिक घटबढ़ से निर्धारित) उद्योग क्षेत्र को जारी किया गया जिसमें दो उपक्षेत्रों नामत: केवल विद्युत और लोहा तथा इस्पात का हिस्सा 58 प्रतिशत बैठता था। लोहा और इस्पात का हिस्सा 2014 में मात्र 9 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर इस वर्ष 19 प्रतिशत हो गया है जबकि विद्युत क्षेत्र का हिस्सा 2013 में 29 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष में 39 प्रतिशत हो गया है।

ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक ऋण प्रवाह का रूझान

3.12 ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच वास्तविक ऋण प्रवाहों के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक ऋण वृद्धि चीन को छोड़कर इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में थम गई। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ऋण प्रवाह घटकर 10 प्रतिशत से नीचे रह गया है। रूस के ऋण प्रवाह में तीव्र गिरावट देखी गई है। (चित्र 3.7)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ब्याज दरें

3.13 जनवरी, 2015 से नीतिगत रेपो दर में 125 आधार अंकों की कमी होने के परिणामस्वरूप, एससीबी ने 15 दिसम्बर, 2015 तक अपनी मध्यकालिक जमा दर में 72 आधार अंकों की और मध्यम ब्याज दर में 60 आधार अंकों की कमी की (सारणी 3.3)। जनवरी-अक्तूबर, 2015 के दौरान बैंकों द्वारा मंजूर नए रुपया ऋण पर भारित औसत उधार-दर में (डब्ल्यूएएलआर) 60 आधार अंकों की कमी हुई जबकि बकाया रुपया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर में 53 आधार अंकों की कमी हुई। आरबीआई ने सितम्बर, 2015 की अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में इंगित किया है कि ऋण बाजार में ढांचागत दृढ़ताओं की मौजूदगी के कारण संपूर्ण अंजाम घटित नहीं हुआ है। ढांचागत दृढ़ता के मुख्य कारक हैं: (क) नियत दरों पर जमाधन जुटाना जिसमें केवल 20 प्रतिशत की सावधि जमा रकमों का वर्ष में पुनर्मूल्यन कराया जाना

चित्र 3.7: वास्तविक बैंक ऋण बकाया की वर्षानुवर्ष वृद्धि की तुलना

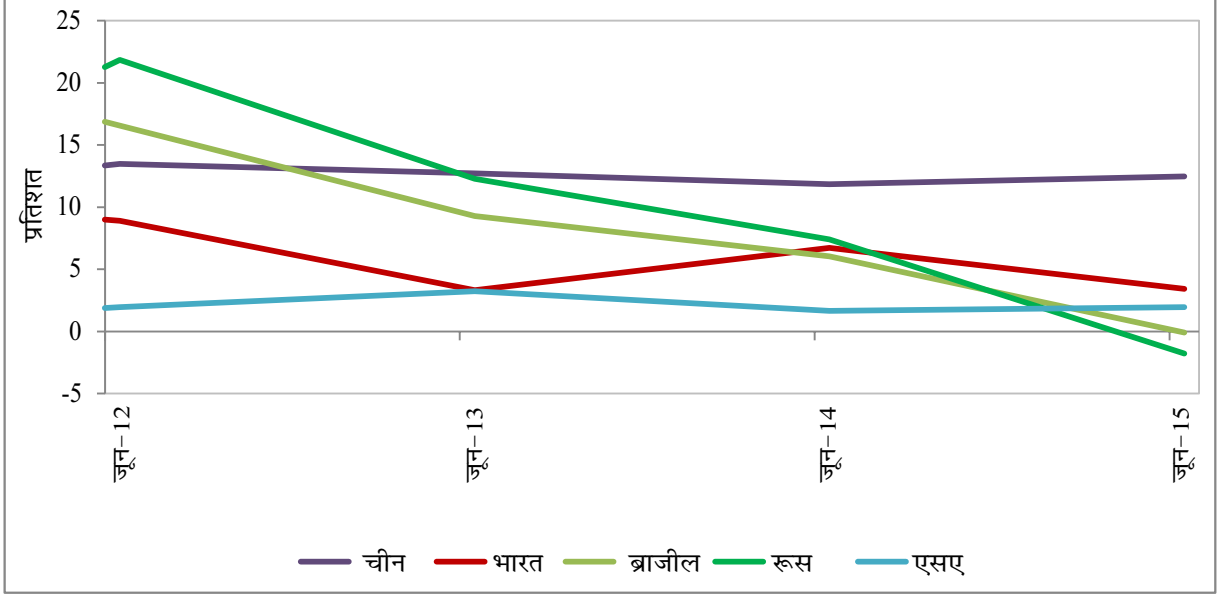

स्रोत: अंतराष्ट्रीय निपटान बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष (आईएमएफ)

शामिल है; (ख) लघु बचत योजनाओं, जिनमें ब्याज दरें पर्याप्त अंतराल पर संशोधित होती हैं, से प्रतिस्पर्धा; (ग) अक्तूबर, 2014 में अविनियमन के बावजूद 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहने वाली सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की बचत जमा दरें; और (घ) औसत लागत न कि सीमांत लागत के आधार पर बैंकों की ब्याज दर औसत लागत पर नियत की जा रही है न कि सीमांत लागत के अधर पर नियत की जा रही बैंकों की घोषित ब्याज दर।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का निष्पादन

3.14 2015-16 के दौरान एससीबी का निष्पादन मंद रहा। बैंकों के तुलन पत्रों में वृद्धि का मंदन 2011-12 से शुरू होकर 2015-16 के दौरान जारी रहा। एससीबी की आस्तियों की परिमित वृद्धि ऋण और अग्रिम धनराशियों में मामूली वृद्धि (10 प्रतिशत से कम) के प्रधान कारण से हुई। निवेशों में भी वृद्धि मामूली रूप से मंद हो गई। ऋण वृद्धि में गिरावट औद्योगिक वृद्धि में मंदन, कारपोरेट क्षेत्र द्वारा सूचित आय की कमजोर वृद्धि, और वर्धमान एनपीए के कारण बैंकों द्वारा जोखिम लेने से अरुचि में प्रतिबिम्बित हुई। इसके अलावा, वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता के कारण कारपोरेट क्षेत्रक कंपनियों ने अपनी आंशिक वित्तपोषण जरूरतें अन्य साधनों जैसे कि विदेशी वाणिज्यिक उधार, कारपोरेट बांड और वाणिज्यिक पत्र से जोड़ दीं।

3.15 2014-15 के दौरान, एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9.0 प्रतिशत की निर्धारित स्थिति से काफी ऊपर रहा। किन्तु एससबी का सीआरएआर मार्च तथा सितम्बर, 2015 के बीच 13.0 प्रतिशत से घटकर 12.9 प्रतिशत रह गया। आस्ति गुणवत्ता में ह्रास और बेस-3 के क्रमिक कार्यान्वयन को देखते हुए, बैंकों को भविष्य के अननुमानित नुकसानों को पूरा करने के लिए अपनी

तालिका 3.3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (आरआरबी को छोड़कर) की जमाराशियां और उधारी दरें (प्रतिशत)

मदें	औसत ब्याज दरें					अंतर (प्रतिशतता प्वाइंट)
	दिस.-14	मार्च-15	जून-15	सित.-15	दिसम्बर 15, 2015	दिसम्बर 2014 अंत में
क. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घरेलू जमा दरें सभी परिपक्वताएं	7.50	7.46	7.25	7.08	6.90	-0.60
(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक	7.56	7.52	7.15	6.93	6.65	-0.91
(ii) निजी क्षेत्र के बैंक	7.50	7.48	7.26	6.99	6.81	-0.69
(iii) विदेशी बैंक	7.45	7.41	7.35	7.34	7.18	-0.27
मध्यम सावधि जमा दर	7.55	7.50	7.22	7.02	6.83	-0.72
ख. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आधार दरें	10.14	10.09	9.96	9.89	9.71	-0.43
(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक	10.23	10.21	9.98	9.95	9.69	-0.54
(ii) निजी क्षेत्र के बैंक	10.63	10.61	10.45	10.38	10.17	-0.46
(iii) विदेशी बैंक	9.85	9.77	9.72	9.62	9.49	-0.36
मध्यम सावधि जमा दर	10.25	10.20	9.95	9.93	9.65	-0.60
ग. डब्ल्यू ए एल आर (बकाया रुपया ऋण)					Oct-15	
(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.05	12.01	11.91	11.67	11.50	-0.55
(ii) निजी क्षेत्र के बैंक	12.35	12.25	12.08	11.98	11.85	-0.50
(iii) विदेशी बैंक	12.01	11.84	11.69	11.57	11.39	-0.62
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	12.11	12.06	11.94	11.73	11.58	-0.53
घ. डब्ल्यूएएलआर सभी वाणिज्यिक बैंकों का (नया रुपया ऋण)						
(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक	11.45	11.10	11.08	11.22	11.05	-0.40
(ii) निजी क्षेत्र के बैंक	12.09	11.93	11.68	11.30	11.47	-0.62
(iii) विदेशी बैंक	10.69	10.50	10.33	10.18	9.76	-0.93
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	11.57	11.23	11.15	11.13	10.97	-0.60

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक.

टिप्पणी: आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डब्ल्यूएएलआर भारित औसत उधारी दर डब्ल्यूएएलआर से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

पूंजीगत स्थितियों में सुधार करना होगा। अगले चार वर्षों से वित्त वर्ष 2018-19 तक अनुमानित पूंजीगत अपेक्षा (आंतरिक सृजित लाभ से इतर) 1,80,000 करोड़ रुपए के करीब होने की संभावना है। कुल अपेक्षा में से, भारत सरकार चालू और अगले वर्षों के दौरान बजटीय आबंटनों में से 70,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 2015-16 में सरकार ने 13 पीएसबी को 19,950 करोड़ रुपए की राशि अब तक जारी की है।

3.16 एससीबी की आस्ति गुणवत्ता पर हालिया दिनों में दबाव बढ़ गया है। सकल अग्रिम धनराशियों के अनुपात के रूप में एससीबी की सकल अनर्जक अग्रिम धनराशियां (जीएनपीए) मार्च और सितम्बर, 2015 के बीच 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गईं। सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में पुनर्निर्धारित मानक अग्रिम 6.4 प्रतिशत से घटकर 6.2 प्रतिशत रह गए। इसी अवधि में कुल सकल अग्रिमों का संकुचित अग्रिम अनुपात 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का सितम्बर, 2015 के अंत में कुल संकुचित आस्तियों का उच्चतम स्तर 14.0 प्रतिशत पर था और इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का उच्चतम स्तर क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत पर था। मार्च 2015 से सितम्बर 2015 के दौरान सभी एस.सी.बी. के लिए कुछ निवल अग्रिम के अनुपात में निवल अनर्जक अग्रिम (एन.एन.पी.ए.) 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया है । बैंक समूह स्तर पर पी.एस.बी. का एन.एन.पी.ए. अनुपात 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गया है जबकि इसी अवधि के दौरान पी.वी.बी. और एफ.बी. के मामले में इसमें कोई परिर्वतन नहीं हुआ और यह क्रमशः 0.9 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत ही रहा।

3.17 कुल बलित अग्रिम में पांच उप क्षेत्र, जैसे खनन, लौह, इस्पात और वस्त्र, अवसंरचना और विमानन, का योगदान 53.0 प्रतिशत था। (जो जून 2015 तक कुल मिलाकर एस.सी.बी के कुल अग्रिम का 24.2 प्रतिशत था) विमानन क्षेत्र में बलित अग्रिम मार्च 2015 में 58.9 से बढ़कर जून, 2015 में 61.0 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान अवसंरचना क्षेत्र का बलित अग्रिम 24.0 प्रतिशत से बढकर 22.9 प्रतिशत हो गया । इन क्षेत्रों का कार्य निष्पादन और बैंक की आस्ति गुणवत्ता पर इनका प्रभाव चिन्ता का विषय बना हुआ है ।

वित्तीय समावेशन

3.18 प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के तहत सरकार के प्रयास से वर्ष के दौरान बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बी.एस.बी.डी.ए.)खोलने में प्रर्याप्त वृद्वि हुई। मार्च 2015 के अंत तक 398 मिलियन बी.एस. बी.डी.ए. खोले गये थे। सितम्बर 2015 के अंत तक यह आंकडा 441 मिलियन तक पहुंच गया। बैंकिग आउटलेट की कुल संख्या मार्च 2015 के अंत तक 553713 थी जो बढ़कर सितम्बर 2015 के अंत तक 567,530 (इसमें 517,328 शाखारहित बैंक और 50,202 शाखाएं हैं) हो गई । बी.एस.बी.डी.ए. में व्यवसाय संपर्की-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (बी.सी.आई.सी.टी) लेन देन में सतत प्रगति देखी गयी है। अप्रैल-सितम्बर 2015 में 359 मिलियन लेन देन हुआ जो मार्च 2015 के अंत तक 477 मिलियन दर्ज किया गया।

3.19 बैंको की भागीदारी बढ़ाने के लिए समन्वयक शाखाएं वित्तीय समावेशन के अंतरंग घटक हैं। अतएव राज्य स्तर की बैंकर समिति (एस.एल.बी.सी.), संयोजक बैंक को दिसम्बर 2015 में 5000 से अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गांवों का पता लगाने की सलाह दी गयी है जहॉ एस.सी.बी. शाखा नहीं है। कार्य योजना के तहत बैंक शाखाएं खोलने का काम 31 मार्च, 2015 तक पूरा किया जाना है। बॉक्स 3.2 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की चर्चा की गई है। यह चर्चा 8 अप्रैल 2015 को प्रवर्तित अनौपचारिक क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमी के वित्त पोषणार्थ एक पहलकदमी है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एन.बी.एफ.सी.)

3.20 एन.बी.एफ.सी. देयता संरचना के आधाार पर एन.बी.एफ.सी. को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है । (क) जमा लेने वाली एन.बी.एफ.सी. और (ख) जमा न लेने वाली एन.बी.एफ.सी.। 30 सितम्बर, 2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक में 11781 एन.बी.एफ. सी. का रजिस्ट्रीकरण हुआ था जिसमें से 212 जमा लेने वाली (एन.बी.एफ.सी.) और 11,569 जमा न लेने वाली एन.बी.एफ.सी. - एन.डी. वाली कंपनियां थीं। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार एन.बी. एफ.सी. आस्तियों की एस.सी.बी. आस्तियों के 14.8

बॉक्स 3.2 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई)

अंतिम माइल वित्तदाता को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) सृजित करने हेतु केंद्रीय बजट(2015-16) में की गई योजना के अनुसार 08 अप्रैल,2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना(पी.एम.एम.वाई) शुरू की गई है । इस मुद्रा योजना के तहत ऐसे उत्पादों के लिए पुनर्वित्तपोषण जिनमें 10 लाख रूपए तक ऋण की आवश्यकता होती है और पुर्नवित्तपोषण के द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओ को सहयोग करने का प्रस्ताव है। पी.एम.एम.वाई के तहत सूक्ष्म व्यवसाय इकाइंयों की संवृद्धि/विकास की अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के वित्तपोषण में श्रेणीकृति किया गया है जैसे शिशु (रु. 50,000/- तक), किशोर (रु. 50,000 से रु. 5,00,000 तक) और तरूण (रु. 5 लाख से रु. 10 लाख तक) और लगभग 60 प्रतिशत राशि शिशु के लिए आवंटित की गई है। पी.एम.एम.वाई. का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों और देश में कई अन्य महत्वाकांक्षी छोटे उद्दमियों के 5.7 करोड़ से अधिक को औपचारिक बैंक ऋण प्रदान करना है। जनवरी, 2016 के मध्य तक पी.एम.एम.वाई. के तहत कुल 84,672.36 करोड़ रू0 की राशि संवितरित की गई, जिसमें से शिशु श्रेणी के तहत 38,057.33 रू.; किशोर के तहत 28359.87 रू. और तरूण के तहत 18255.16 रू. वितरित किए गए हैं। कुल मिलाकर 2.19 करोड़ कर्जदारों ने इस योजना का लाभ लिया है जिसमें से 162 करोड़ रू. महिला कर्जदार 77.12 लाख नए उद्यमी और 1.10 करोड़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्जदार हैं।

प्रतिशत और एस.सी.बी. की जमा राशियों के 0.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है ।

3.21 मार्च 2015 के अंत तक एन.बी.एफ.सी.डी. के समेकित तुलन-पत्र में वर्ष -दर-वर्ष 2.1 प्रतिशत की सीमांत वृद्वि देखी गई। देयता साइड पर बैंकों से उधार, जो निधि का मुख्य स्रोत है, में 5.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान जमा लेने वाली एन.बी.एफ.सी. की संख्या में कमी आई है, इस तथ्य के बावजूद इनके द्वारा जुटाई गई जमा राशि में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आस्ति साइड पर एन.बी.एफ.सी.डी. के ऋण और अग्रिम जो इनकी आस्तियों का लगभग तीन चौथाई है, में मार्च 2015 के अंत तक एक प्रतिशत की वृद्वि हुई । जमा न लेने वाली एन.बी.एफ.सी. (एन.बी.एफ.सी.-एन.डी.एस.आई.) की सिद्धांत रूप से महत्वपूर्ण आस्तियों में मार्च 2015 के अंत में 15.9 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्वि हुई। ऋण और अग्रिम में 15.5 प्रतिशत की वृद्वि हुई, जो इनकी आस्तियों का मुख्य हिस्सा है । मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार एन.बी.एफ.सी.-एन.डी.-एस.आई के कर्ज में 17.4 प्रतिशत की वृद्वि हुई जो कुल देयताओं के दो - तिहाई से अधिाक है । एन.बी.एफ.सी.-एन.डी.-एस.आई मुख्यत: डिबेंचर जारी करके और उसके बाद बैंकां से ऋण लेकर वाणिज्यिक पत्र, अंतर-कंपनी ऋण आदि लेकर संसाधन एकत्र करता है ।

सरकारी प्रतिभूति बाजार घटनाक्रम

3.22 10 वर्षीय सरकारी बांड अधिक समय तक लाभों में कमीबेशी को दर्शाता है और सावरेन के ऋण जोखिम का निर्धारण करने के लिए प्रॉक्सी भी है। वर्तमान राजकोष में सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कई कारक थे। 10 वर्ष की प्राप्ति का लक्ष्य वर्ष में 7.78 प्रतिशत से शुरू होकर 12 मई, 2015 को 7.99 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद 29 सितंबर,2015 को आर.बी.आई. द्वारा 50 आधार-बिन्दु दर कम करने के बाद यह दो वर्ष के निचले स्तर तक गिर कर 7.48 प्रतिशत हो गया (चित्र 3.10)। मई 2015 के शुरू तक प्राप्तियों में अत्यधिक कमी के कारणों में मुख्यत: मार्च 2015 के मध्य में कच्चे तेल के मूल्यों के कई वर्षों तक निचले स्तर पर रहने के बावजूद बढ़ोतरी एवं सरकारी बांडां की प्राप्तियों में वैश्विक वृद्धि और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव तथा रूपए का अवमूल्यन शामिल था। 19 मई, 2015 को नए 10 वर्षीय पेपर में कुछ स्थायी घोषणाएं करने के बाद प्रतिफल देखा गया और मुद्रास्फिति पर निरन्तर सकारात्मक खबरें मिलती रही। चीन में विकास के कारण अगस्त 2015 में बाजार में एक बार फिर अस्थिरता आई। अगस्त के अंत तक 10 वर्षीय बेंचमार्क पेपर 7.91 प्रतिशत के स्तर से भी ऊपर चला गया। साथ ही 29 सितम्बर, 2015 को आर.बी.आई. की पॉलिसी रेपो दर में 50 आधार-बिन्दु की कमी और ऋण प्रतिभूति में एफ. पी.आई सीमाओं में आश्चर्यजनक वद्धि के लिए मध्यावधि फ्रेमवर्क (एम.टी.एफ.) की घोषणा से बाजार में फिर तेजी आ गई। तथापि वैश्विक संकेतों और कुछ अपने देश की समस्याओं पर नए सिरे से विचार करने के कारण मध्य-अक्टूबर के बाद बाजार में निरन्तर गिरावट देखी गई ।

चित्र 3.8: 10 वर्ष के सरकारी बांड पर लाभ

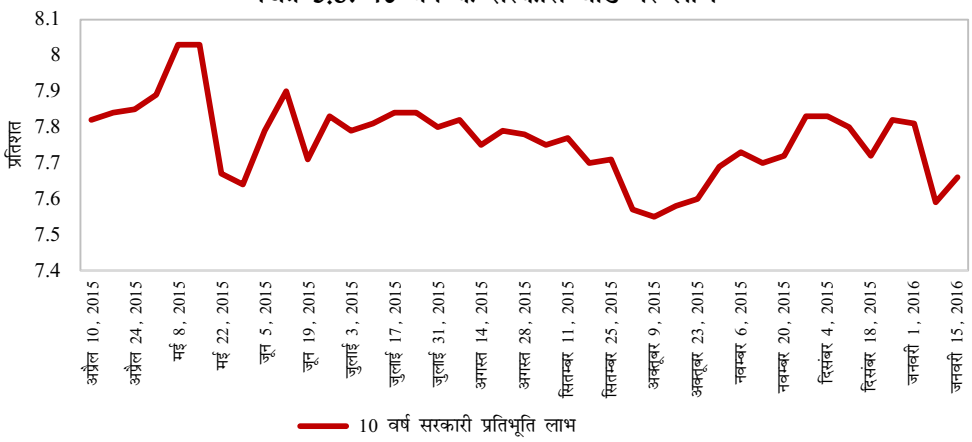

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

पूंजी बाजार के घटनाक्रम

प्राथमिक बाजार

3.23 2015-16 (अप्रैल दिसम्बर) में, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में सरकार के माध्यम से और अधिकार निर्गमों से संसाधान जुटाने में तीव्र प्रगति हुई है। 2015-16 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 71 कंपनियों ने पूंजी बाजार में प्रवेश किया और 2014-15 में इसी के दौरान 61 इश्यू के माध्यम से एकत्र 11,581 करोड़ रु. की तुलना में 51,311 करोड़ रु. जुटाए।

3.24 लघु और मध्यम कंपनियों के लिए उच्च विकास की संभावना के साथ विनिमय का लघु और मध्यम उद्यम (एस.एम.ई) प्लेटफार्म प्रदान किया गया है जिसकी निर्गम पश्चात प्रदत्त पूंजी 25 करोड रु से कम है या इसके बराबर है। 2015-16(अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान एस.एम.ई. प्लेटफार्म पर 32 कंपनियों को सूचीबद्व किया गया था जिन्होंने 2014-15 में इसी अवधि में 28 कंपनियों के जरिए एकत्र किए गए 229 करोड़ रु. की तुलना में कुल 278 करोड़ रु. एकत्र किए।

3.25 अप्रैल-दिसम्बर, 2015 के दौरान म्युचुअल फंड द्वारा एकत्र संसाधनों में भी प्रर्याप्त वृद्वि हुई और यह पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान एकत्रित 87942 करोड़ रू0 की तुलना में 1,61,696 करोड़ रू0 एकत्र हुए। तालिका 3.4 में प्राथमिक बाजार से से संसाधनों के जुटाने की तस्वीर दी गई है।

तलिका 3.4 प्राथमिक बाजार में संसाधनों का संग्रह (करोड़ रू)

	2013-14	2014-15	2014-15 अप्रैल- दिसम्बर	2015-16 दिसम्बर
ऋण	42383	9713	7348	30421
इक्विटी	13269	9789	4233	20890
इसमें आई.पी.ओ	1236	3039	1420	12259
सरकारी कम्पनी बांड की संस्थागत बिक्री	276054	404137	269245	341420

***स्रोत:* भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई.)**
***टिप्पणी:* आईपीओ-आरंभिक सरकारी प्रस्तावों के लिए है।**

द्वितीयक बाजार

3.26 वर्ष 2015-16 के दौरान अब तक भारतीय प्रतिभूति बाजार में गिरावट आई है। (चित्र 3.9) चीन में आर्थिक मंदी और उसकी मुद्रा के अवमूल्यन तथा स्टॉक में कमी के बाद अगस्त 2015 में वैश्विक ईक्विटी बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण मध्य मार्च 2015 के बाद बी.एस.ई सेंसेक्स में 8.5 प्रतिशत (5 जनवरी, 2016 तक) की गिरावट आई। 04 जनवरी, 2016 को चीन में विनिर्माण के आंकड़ों में कमी से पुन: वैश्विक बाजार में मंदी छा गयी जिससे बी. एस.ई सेन्सेक्स भी 538 प्वाइंट (2.1 प्रतिशत) नीचे गिर गया। भारतीय स्टॉक बाजार मं गिरावट का स्तर 2015-16 के तिमाही-1 और तिमाही-2 के लिए मिश्रित कंपनी आय, न्यूनतक वैकल्पिक कर (एम.ए. टी.) पर एफ.पी.आई. की चिंता, अमरीकी डॉलर की तुलना में रूपए का कमजोर होना, माल और सेवा

चित्र 3.9: बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में उतार-चढ़ाव

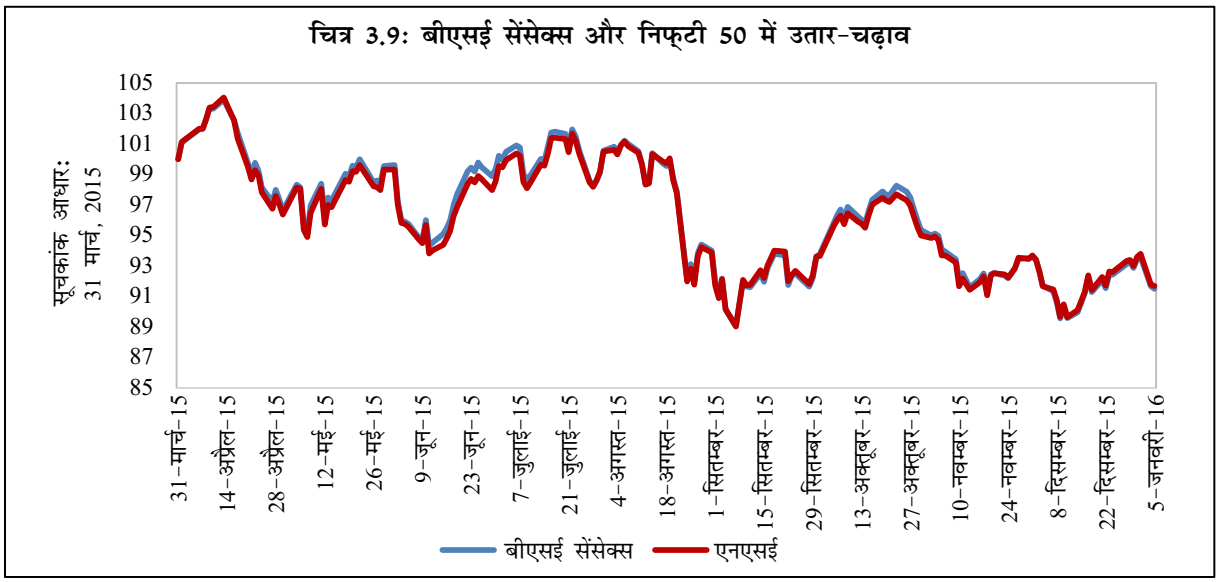

स्रोतः सेबी

कर (जी.एस.टी) बिल की स्वीकृति में विलम्ब पर निवेशकों की चिंता यूएसफेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने को लेकर अनिश्चितता और एफ.पी.आई. द्वारा विक्रय से भी प्रभावित था। तथापि, भारतीय ईक्विटी बाजार में अन्य प्रमुख ई.एम.ई की तुलना में इस अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक उतार-चढ़ाव आया। दिसम्बर 2015 में यू.एस.फेड की ब्याज दरों में वृद्धि का भारतीय स्टॉक बाजार पर कोई असर नहीं हुआ।

संस्थागत निवेश

3.27 भारतीय बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों/ विदेशी संस्थागत निवेशकों ने वर्ष 2014 के 2,56,213

बॉक्स : 3.3 नई स्वर्ण निवेश योजनाएं (ठ)

सरकार ने 5 नवंबर, 2015 को सरकारी स्वर्ण बांड एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरूआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भौतिक स्वर्ण की मांग को हटाना एवं प्रतिवर्ष निवेश उद्देश्यों से आयातित स्वर्ण के एक हिस्से को वित्तीय बचत में स्थानान्तरित करना।

सरकारी स्वर्ण बांड: इसे भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये एवं स्वर्ण ग्राम मूल्यवर्ग में जारी किया जाता है तथा इसकी बिक्री डीमैट एवं पेपर प्ररूप दोनों में केवल भारतीय निकायों को ही की जा सकती है। प्रति व्यक्ति प्रति राजकोषिय वर्ष में निवेश की न्यूनतम एवं अधीकतम सीमा क्रमशः 2 ग्राम एवं 500 ग्राम है। वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज दर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, जो अर्धवार्षिक आधार पर भुगतेय है। 5वें वर्ष या उसके उपरांत बाहर निकलने के विकल्प के साथ इस बांड की अवधि 8 वर्ष है। इसके लिए केवायसी मानक वहीं हैं जो स्वर्ण ऋण के लिए होते है। इस पर पूंजी प्राप्ति कर से भी छूट प्राप्त है। परिपक्वता पर स्वर्ण के तत्समय प्रभावी मूल्य के समतुल्य प्रतिदान रुपये में प्रदान किया जाता है। एस.जी.बी. के प्रथम चरण के दौरान 3.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए जो 3788 किलोग्राम कुल स्वर्ण अभिदान के लिए थे और जिनका मूल्य 993 करोड़ रुपये था।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणित संग्रहण एवं शुद्धता जांच केन्द्रों (सीपीटीसी) द्वारा बैंकों की ओर से ग्राहकों से स्वर्ण का संग्रहण किया जाता है। स्वर्ण (बुलियन या ज्वेलरी) की वह न्यूनतम मात्रा जिसे जमा कराया जा सकता है वह मात्रा जिसे जमा कराया जा सकता है वह मात्रा 30 ग्राम है एवं अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है। स्वर्ण बचत खाता किसी भी अभिनिर्दिष्ट बैंक के साथ खोले जा सकते हैं एवं 1-3 वर्षों की अल्पावधि, 5-7 वर्षों की मध्यावधि एवं 12-15 वर्षों की दीर्घावधि के लिए मूल्यवर्ग स्वर्ण ग्राम होगी। सीपीटीसी द्वारा सोना परिशोधकों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। बैंकों का सीपीटीसी एवं परिशोधकों के साथ द्विपक्षीय, त्रीपक्षीय करार होगा।

वर्ष 2015-16 के लिए मध्यम एवं दीर्ध अवधि के लिए ब्याज दर क्रमशः 2.25 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अल्पावधि जमाओं के लिए प्रतिदान नकद/स्वर्ण के रूप में एवं मध्यावधि तथा दीर्घावधि जमाओं के लिए प्रतिदान नकद में प्रदान किया जाता है। कर छूट उसी प्रकार की होती है जैसी कि जीडीएस 1999 के अधीन उपलब्ध है। सरकार की चालू उधारी लागत और मध्यावधि/ दीर्घावधि जमा के तहत सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज दर के बीच का अंतर स्वर्ण भंडार नीधि में क्रेडिट किया जाएगा। 2 फरवरी 2016 तक इस योजना के तहत कुल 1030.2 किलोग्राम स्वर्ण एकत्रित किए गए हैं।

चित्र 3.10: निवल एफआईआई निवेश (रुपए करोड़ों में)

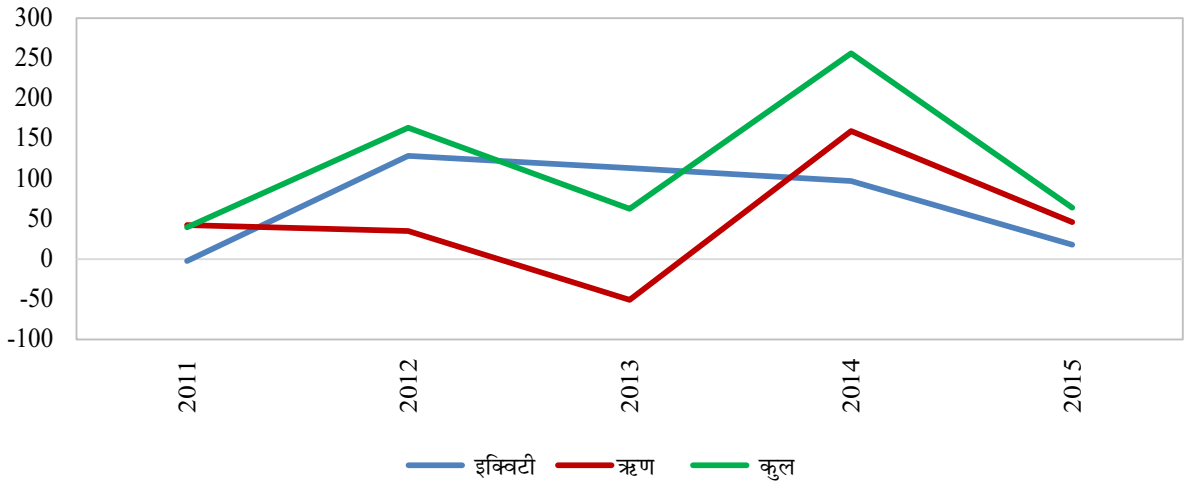

स्रोत: सेबी

करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2015 में 63,663 करोड़ रूपये का निवल निवेश किया है। चित्र 3.10 में वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2015 तक हुए निवल एफआईआई निवेश दिखाए गए हैं।

3.28 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपी.आई) द्वारा निवेश के लिए बेहतर पूर्वानुमान योग्य व्यवस्था की मौजूदगी के उद्देश्य से, ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई सीमाओं के मध्यम अवधि वाली फ्रेमवर्ग संरचना (एमटीएफ) विहित की गई है। इसके पश्चात् ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए सीमाएं रूपये के संदर्भ में घोषित/निर्धारित की जाएंगी। केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए सीमाएं मार्च 2018 तक बकाया स्टॉक के 5 प्रतिशत तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएंगी। समग्र के सदंर्भ में, उम्मीद है कि इससे वर्तमान अपेक्षा मौजूदा 1,535 बिलियन की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त से मार्च 2018 तक केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (जी खंड) में 1,200 बिलियन अतिरिक्त निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकारी प्रतिभूतियों में किए जा रहे निवेश के लिए तीन वर्षों की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सभी श्रेणियों के एफपीआई पर लागू होती रहेंगी। केन्द्रीय सरकार की किसी भी प्रतिभूति में कुल एफपीआई निवेश की सीमा प्रतिभूति के बकाया स्टॉक का 20 प्रतिशत होगी।

3.29 विदेशों से रुपये के मूल्यवर्ग में उधारी को सुकर बनाने के लिए, सरकार ने अति व्याप्त विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति के भीतर विदेशों में रूपये मूल्यवर्ग के बांड जारी करने के लिए फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया। इन बांडों की परिपक्वता की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष होगी और ऐसे उधारों की सभी लागत बाजार की प्रचलित परिस्थितियों के अनुरूप होगी। रीयल एस्टेट और पूँजी बाजारों में शामिल निवेश वाली नकारात्मक सूची के छोड़कर इसमें कोई अंतिम उपाय प्रतिबंध सम्मिलित नहीं होगा। ब्याज पर 5 प्रतिशत करों का विदहोल्डिंग लागू होगी यदि रुपए की मूल्यवृद्धि पर करों से छूट दी जाए।

3.30 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) फ्रेमवर्क को संशोधित किया है जोकि 2 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी हुई है। नया ईसीबी फ्रेमवर्क वर्तमान आर्थिक एवं वाणिज्यिक माहौल के काफी अनुकूल है एवं अत्यधिक सरल और सुप्रवाही भी है। विनियामक परिप्रेक्ष्य से, तीन सुस्पष्ट श्रेणियां/वर्ग सृजित किए गए हैं जिसमें मध्यम अवधि विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग ईसीबी, दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मूल्य वर्ग ईसीबी (10 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाली) और भारतीय रूपया मूल्यवर्ग ईसीबी शामिल है। नए फ्रेमवर्क में विदेशी विनयमित वित्तीय संस्थानों, सरकारी धन निधियों, पेंशन निधियों, बीमा कंपनियों आदि सहित ऋणदाताओं की विस्तारित सूची शामिल है और अनुमेय अंतिम उपयोगों की व्यापक

बॉक्स 3.4 वित्तीय क्षेत्र में सुधारः

वर्ष 2015 के दौरान, सरकार ने सुधार के कई कदम उठाए हैं साथ ही वित्तीय क्षेत्र में पहलों एवं बड़े संस्थागत सुधारों को शुरू करने की प्रक्रिया में सम्मिलित रही है। 28 दिसम्बर, 2015 से वायदा बाजार आयोग (एमएमसी) का भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ विलय कर दिया गया है ताकि प्रतिभूति बाजार के विनियमों से समाभिरूपता को प्राप्त किया जा सके और एक्सचेंजों, वित्तीय फर्मों एवं अन्य हितधारकों के लिए अर्थव्यवस्था के आयाम एवं स्केल को बढ़ाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच फरवरी 2015 में मौद्रिक नीति करार (एमएफए) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, सरकार का ऐसे सुधारों को मजबूत करने का इरादा है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन भी सम्मिलित है ताकि सांविधिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एवं मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान किया जा सके, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण के रूप में उन्नयन और जमा बीमा के तीव्रतर प्रसार के साथ-साथ वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों के सुव्यवस्थित समाधान को सुकर बनाने के लिए समाधान निगम का सृजन किया जा सके।

जैसाकि 2014-15 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा भारत के लिए उद्यमी-हितैषी विधिक दिवालियापन फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, उसके अनुपालन में 21.12.2015 को संसद में शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता 2015 पुरः स्थापित की गई। इस विधेयक का उद्देश्य कार्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों एवं व्यक्तियों की शोधन अक्षमता के समाधान एवं पुनर्विन्यास से जुडे कानूनों के समयबद्ध तरीके से संशोधन और एकीकरण करना है जिससे ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को अधिकतम सीमा तक ले जाया जा सके, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले, ऋण की उपलब्धता हो और सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बना रहे साथ ही सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सके एवं इससे या प्रासंगिक रूप से जुड़े हुए मामलों के लिए एक शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन निधि की स्थापना की जा सके।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ.एस.डी.सी.)

वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अन्तरविनियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास में बढ़ावा देने के लिए तंत्र को संस्थागत और मजबूत बनाने के उदेश्य से सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिसम्बर 2010 में शीर्ष स्तर के मंच (फोरम) के रूप में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद गठित की थी। यह परिषद अर्थव्यवस्था के मैक्रोप्रूडेंशियल पर्यवेक्षण की संवीक्षा करती है जिसमें बड़ी वित्तीय कम्पनियों के संगठन के क्रियाकलाप शामिल हैं, और अन्तरविनियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों का निराकरण करतें हैं। इसमें वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, परिषद ने जनवरी 2016 तक तीन बैठके कीं। बैठकों में वृहत आर्थिक वित्तीय स्थिरता के मुद्दों का आकलन किया गया और कारपोरेट बॉण्ड बाजार के विकास, बैंक जालसाजी में प्रभावी शक्ति संतुलन का निर्माण करना, बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एन.पी.ए), कॉरपोरेट सेक्टर का तुलन-पत्र संकुचन (स्ट्रेस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और वित्तीय कारवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के अधीन क्रियाकलापों पर रिपोर्ट, कालेधन पर विशेष अन्वेषण दल की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित एफ.एस.डी.सी.की उप समिति ने 2015-16 में दो बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में अन्य वैश्विक और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले घरेलू कारकों, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वित्तीय आस्तियों के लिए लेखा समूहन की स्थापना के लिए मानक और प्रोटोकॉल, उधार न्यूनतम विनिमय (सी.डी.एस), में सरंक्षण के रूप में बीमा कम्पनियों और म्युचुअल फंडों की अनुमति देने, कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार विकास आदि पर चर्चा की गई ।

सूची है जिसमें दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग ईसीबी और भारतीय रूपये मूल्यवर्ग ईसीबी की केवल छोटी सी नकारात्मक सूची भी है ।

बीमा क्षेत्र

3.31 बीमा क्षेत्र द्वारा सृजित कुल बीमा लाभांश (प्रिमियम)वर्ष 2013-14 में 3,94,235 करोड रूपये से बढ़कर 2014-15 में 4,15,252 करोड रूपये हो गया। इस अवधि के दौरान जीवन बीमा लाभांश में 4.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि सामान्य बीमा व्यवसाय में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई ।

3.32 बीमा प्रवेश जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लाभांश राशि वर्ष 2001 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.71 प्रतिशत और 2014 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रही। बीमा घनत्व जिसका जनसंख्या में लाभांश के अनुपात के मापन (प्रति व्यक्ति प्रिमियम) किया जाता है, 2001 में 11.5 अमरीकी डॉलर से 2014 में बढ़कर 55 अमरीकी डॉलर हो गई। वैश्विक बीमा प्रवेश और घनत्व 2014 में जीवन खंड के लिए क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 368 अमरीकी डॉलर तथा जीवन-भिन्न खंड के लिए क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 294 अमरीकी डॉलर रहा।

बॉक्स 3.5: नई बीमा और पेंशन योजनाएं

सभी भारतीयों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सृजन विशेष रूप से गरीब और सुविधाहीन लोगों के लिए, बीमा और पेन्शन क्षेत्रों में तीन योजनाओं को 2015 में प्रारम्भ किया गया, जैसे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और 09 मई, 2015 को अखिल भारतीय स्तर पर अटल पेंशन योजना। इन तीन योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के सभी अभिदाता बैंक खाता धारकों के लिए प्रति अंशदाता 12 रू0 प्रति वर्ष की बीमा किश्त देने पर एक वर्षीय नवीनीकरणीय दुर्घटना मृत्यु व अपगंता की पेशकश करती है। दुर्घटना के कारण मृत्यु और स्थायी रूप से पूरी तरह अपगंता होने पर एक वर्ष की अवधि को 01 जून से 31 मई तक बढाते हुए 2 लाख रूपये का जोखिम कवरेज और स्थायी आंशिक अपंगता होने पर एक लाख रूपये का बीमा कवर उपलब्ध होगा। 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा पीएमएसबीवाई के अंतर्गत किया गया कुल संचयी नामाकंन 9.28 करोड़ से अधिक है। इस योजना के तहत 2200 से अधिक दावे दर्ज किए गए। जिनमें से अबतक 1200 दावों की अदायगी की जा चुकी है।

2. पी.एम.जे.जे.बी.वाई 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बैंक खाता धारकों को रूपये 02 लाख का नवीनीकरणीय एक वर्षीय अवधि का जीवन कवर प्रदान करती हैं। 01 जनवरी, 2016 तक पी.एम.जे.जे.बी.वाई बैंकों द्वारा किया गया संचयी सकल नामांकन 2.93 करोड़ से अधिक है । पी.एम.जे.जे.बी.वाई के अधीन 11600 से अधिक दावे पंजीकृत किए गए जिसमें से 9,300 से अधिक दावों का निपटान किया जा चुका है।

3. अटल पेंशन योजना: मई 2015 में प्रारम्भ की गयी थी और यह योजना इसकी अवधि और अंशदान के आधार पर सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराती है। ए.पी.वाई के अधीन अंशदाता की 60 वर्ष आयु होने पर 1000 रूपये प्रतिमाह, 2000 रू0 प्रतिमाह, 3000 प्रतिमाह, 4000 हजार रूपये प्रतिमाह या 5000 रूपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन अंशदान के आधार पर प्राप्त करेगे। यह स्वंय ए.पी.वाई में शामिल होने की उम्र के आधार पर है। यह योजना सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुली है। केन्द्रीय सरकार कुल अंशदान का 50 प्रतिशत सह-अशंदान देती है तथा यह अधिकतम 1000 रूपए प्रतिवर्ष की शर्त के अधीन प्रत्येक पात्र अंशदाता के खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जो कि वर्ष 2015-16 से 2019-20, जो 01 जून, 2015 और 31 मार्च, 2016 की अवधि के साथ ए.पी.वाई में शामिल होंगे और जो किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं है और जो आयकर दाता नहीं हैं।

3.33 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान जीवन बीमा क्षेत्र में दावों की स्थिति का विश्लेषण अनुपात व्यक्तिगत दावों के संबंध में पिछले वर्ष में 96.75 से 96.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी और सामूहिक दावों के संबंध में पिछले वर्ष में 96.22 प्रतिशत से 96.15 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। व्यक्तिगत दावों और सामूहिक दावों के लिए उसी अवधि में निराकरण अनुपात क्रमश: 2.08 प्रतिशत और 0.76 प्रतिशत रहा है । बॉक्स 3.5 में सरकार द्वारा शुरू की गई नई बीमा एवं पेंशन योजनाओं की चर्चा की गई है।

पेन्शन क्षेत्र

3.34 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सुनिश्चित योगदान आधारित पेंशन योजना का प्रारम्भ भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य से किया गया था कि सभी नागरिकों को वृद्धावस्था आय, दीर्घावधि में बाजार आधारित प्रतिफल और वृद्धावस्था आय सुरक्षा कवरेज दिया जा सके। सरकार का यह प्रयास है कि इस योजना की पहुंच को सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों से आगे बढाया जाए।

3.35 31 दिसम्बर, 2015 तक एपीवाई को मिलाकर 112.82 लाख कुल सदस्यों/अभिदाताओं का एनपीएस के अधीन नामांकन हुआ है। प्रबंधन के अधीन आस्तियों (एयूएम)में एनपीएस के अधीन संचित निधि पर प्रतिफल सम्मिलित है तथा 31 मार्च, 2015 तक 80,855 करोड़ रूपये से 31 दिसम्बर 2015 तक 1,07,802 करोड रूपये की वृद्धि दिखाई दी है तथा इस तरह 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ए.पी.वाई के समक्ष 31 दिसम्बर, 2015 तक 18 लाख कुल अंशदाता हैं और संचित निधि 31 दिसम्बर, 2015 तक 262 करोड़ रूपए है। 31 दिसम्बर, 2015 तक ए.पी.वाई सेवा प्रदाता के रूप में 351 बैंक पंजीकृत हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक और डाक विभाग शामिल हैं।

विदेशी क्षेत्र

04
अध्याय

कतिपय बडी उन्नत अर्थव्यस्थाओं, की वृद्धि में उछाल एवं वैश्विक 2015-16 में उपभोक्ता वस्तुओं के उपेक्षाकृत कम मूल्य तथा आवधिक उथल-पुथल के बीच सापेक्ष वित्तीय स्थिरता ने वैदेशिक क्षेत्र विषयक वातावरण को प्रभावित किया। मंद वैश्विक वृद्धि की पुनर्बहाली एवं लगातार पांचवें वर्ष में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट परिदृष्ट हुई, विशेषतया चीनी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में। इस संबंध में कमजोर वैश्विक मांग एवं सुझावों को देखते हुए भारत का निर्यात दिसम्बर 2014 से गिर रहा है। वैश्विक उपभोक्ता वस्तु मूल्यों में कमी के कारण आयात उसी स्तर पर आने से 2015-16 में माल व्यापार घाटा संतुलित स्तर पर बना रहा और अदृश्य खाते में निवल अधिशेष समान स्तर पर रहा तथा अप्रैल-सितम्बर 2015 में चालू खाता घाटा सं॰घ॰उ॰ का 1.4 प्रतिशत बना रहा। इस अवधि के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजार की उथल-पुथल से पोर्टफोलियो निवेश के अतंर्गत बहिर्वाह स्थितियों को गति मिली और कुल मिलाकर इस पहली राजकोषीय छमाही में 10.6 बिलियन अमरीकी डालर निवल भण्डार वृद्धि से अन्य पूंजी/वित्तीय प्रवाह सुदृढ. रहा। हाल की इस उथल-पुथल में भी रुपया समुत्थान की स्थिति में ही रहा, जो सुदृढ़ मैक्रो-आर्थिक दृष्टिकोण को परिपुष्ट करता है।

वैश्विक आर्थिक वातावरण

4.2 कतिपय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में संतुलित उछाल 2015 में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम है। यह स्मरणीय है कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण 2009 में गिरावट के पश्चात उभर रही एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाऐं 2010 तथा 2011 में वृद्धि की ओर अग्रसर हुई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने भी 2010 में वापसी के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। 2006 को समाप्त हो रहे दशक के औसत की तुलना में वैश्विक वृद्धि कमजोर बनी रही, इसका प्रमुख कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मंदी थी। संकट के शेष प्रभाव बड़े तथा बहुआयामी हो सकते हैं, इस बात को देखते हुए वैश्विक एकीकरण पूर्व दशक की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इससे वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना और कठिन हो गया है, इसी अनिश्चितता के कारण अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई॰ एम॰ एफ॰) वर्ष 2009 से अपने वर्ल्ड एकोनामिक आउटलुक (डब्ल्यू. ई.ओ) में वैश्विक वृद्धि में वर्ष में चार बार संशोधन कर रहा है।

4.3 19 जनवरी 2016 को प्रकाशित डब्ल्यू॰ ई॰ ओ॰ के नवीनतम प्रकाशन में, आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था 2015 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 3.4 प्रतिशत हो गई और बाद में 2017 में 3.6 प्रतिशत हो गई। अक्टूबर 2015 के प्रकाशन के अनुसार यह अनुमान से कुछ कम रही है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 2016 में 0.2 प्रतिशतांक बिन्दु के संशोधन के साथ 2.1 प्रतिशत हो गई और 2017 में इसी दर से जारी रही। आवास तथा श्रम बाजार मे सुदृढता के कारण अमरीका में वृद्धि में लचीलेपन का अनुमान है। यूरो क्षेत्र में तेल की कम कीमतों तथा आसान वित्तीय

स्थितियों के जरिए अधिक निजी खपत से निवल निर्यात में मंदी दूर होने का अनुमान है। राजकोषीय सहायता, कम तेल कीमतें, वहनीय वित्तीय स्थितियां एवं बढ़ती आय की वजह से 2016 में जापान में वृद्धि समेकित होने का अनुमान है।

4.4 तथापि, 2015 में समग्र वैश्विक गतिविधि कम रही। उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि लगातार पांचवें वर्ष में कम हो गई जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मामूली सुधार जारी रहा। इसका श्रेय भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की बदलती ढांचागत संरचना और वैश्विक वृद्धि के सापेक्ष योगदान को दिया जा सकता है। ईएमडी से योगदान में कमी को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आश्रय नहीं दिया जा रहा है। हाल के घटनाक्रम के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था क्रमिक रुप से मंदी का शिकार हो रही है और यह निवेश मांग से खपत मांग और विनिर्माण से सेवाओं की ओर बढ़ रही है। व्यापार चैनलों तथा कमजोर उपभोक्ता वस्तु कीमतों के जरिए अन्य अर्थव्यवस्थाओं की मंद वैश्विक वृद्धि के सरोकार विश्वास को कम करने तथा वित्तीय बाजारों में उछाल के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, अन्तरराष्ट्रीय तेल कीमतों एवं अन्य उपभोक्ता वस्तु कीमतों में तेज गिरावट से कई अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आसान मौद्रिक नीति तथा यूएस वसूली की पृष्ठभूमि में संयुक्त राज्यों में मौद्रिक नीति में क्रमिक रुप से कठिन परिस्थिति से सतत अनिश्चितताओं को गति मिली है और अगले वर्ष के लिए बडी चुनौतियां प्रस्तुत की है। ईएमडी के मामले में वृद्धि 2015 में नरमी के साथ लगातार 4 प्रतिशत पर बनी रही तथा 2016 एवं 2017 में यह क्रमशः 4.3 तथा 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी एवं पुनर्संतुलन की वजह से उपभोक्ता वस्तु कीमतों तथा कुछ बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर वृद्धि के संदर्भ में दबाव 2016-17 में बने रहने की संभावना है। ईएमडीई में मिश्रित मुद्रास्फीति उतार-चढाव का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि कमजोर घरेलू मांग और अपेक्षाकृत कम उपभोक्ता वस्तु मूल्य की तुलना में विगत वर्ष के मूल्यह्रास परस्पर विरोधी स्थितियों को रेखांकित करते है।

4.5 19 जनवरी को डब्ल्यू॰ई॰ओ॰ की अद्यतन स्थिति से यह पता चलता है कि भारत और अन्य उभरते एशियाई देश आजकल केन्द्र में हैं, हालांकि कुछ देशों पर चीन के आर्थिक पुर्नसंतुलन तथा वैश्विक विनिर्माण संबंधी कमजोरी का सीधा असर पड़ रहा है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुमान के अनुसार 2016 तथा 2017 में भारत की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत तथा चीन की क्रमिक वृद्धि दर अर्थात 6.3 प्रतिशत तथा 6.0 प्रतिशत को पार कर गई। व्यापार चैनलों के जरिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि परक संभावनाओं पर वैश्विक आर्थिक गतिविधि का सीधा असर पड़ा। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विश्व व्यापार वृद्धि अनुमानों को 2016 तथा 2017 में कम्रशः 3.4 प्रतिशत तथा 4.1 प्रतिशत पर रखा गया है, जो डब्ल्यू.इ.ओ. के अक्तूबर 2015 के क्रमशः 0.7 प्रतिशतांक बिन्दु से 0.5 प्रतिशतांक बिन्दु तक कम है। वैश्विक आर्थिक अनुमान संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट (जनवरी 2016) का भी अनुमान है कि भारत 2016 में 7.8 प्रतिशत तथा आगामी 2 वर्षों में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वित्तीय बाजारों में घट-बढ़ के कारण विकासशील प्रमुख अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है और इसकी वजह विदेशी दबाव कम होना, सुदृढ़ होता घरेलू व्यापार चक्र तथा नीतिगत माहौल का अनुकूल होना है।

भारत का वस्तु व्यापार

4.6 भारत के वस्तु निर्यात में तीव्र एवं तीन गुना वृद्धि हुई और 2005-06 से पूर्व 100 बिलियन अमरीकी डालर से बढकर 2011-12 में यह 300 बिलियन अमरीकी डालर से ऊपर चली गई। और 2005-06 से 2011-12 तक की सात वर्ष की अवधि में पेट्रोलियम, तेल तथा ल्यूब्रिकेंट(पीओएल) निर्यात के साथ-साथ गैर पीओएल निर्यात में तेज वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान आयात में भी वृद्धि हुई और वस्तु व्यापार घाटा और अधिक बढ़ गया, विशेषकर 2011-12 तथा 2012-13 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में भी वैश्विक उपभोक्ता वस्तु मूल्य वृद्धि की भूमिका रही है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत का और अधिक एकीकरण मुक्त व्यापार

संकेतक, सघउ के वस्तु व्यापार में परिदृष्ट हुआ, जो 1991-92 में 13.9 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 27.0 प्रतिशत तथा 2013-14 में 41.0 प्रतिशत हो गया। तथापि कम आयात एवं निर्यात के परिणामस्वरूप 2014-15 में यह 37.1 प्रतिशत पर आ गया।

4.7 2014-15 (दिसम्बर 2014) से भारत का वस्तु निर्यात लगातार घट रहा है। विकसित एवं विकासशील देश भी कच्चे तेल की कीमतों में उत्तरोत्तर कमी तथा अर्थव्यवस्था की मंद स्थिति के परिणामस्वरुप निर्यात में कमी का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2014 की पिछली छमाही से भारत और विश्व के प्रमुख देशों की निर्यात वृद्धि दर में कमी देखी गई है तथा विभिन्न देशों की निर्यात वृद्धि दर में वैश्विक आर्थिक स्थिति के अनुरूप घट-बढ़ दर्ज की गई है (चित्र 4.1)

4.8 चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-जनवरी) के दौरान भारत की निर्यात वृद्धि दर वर्षानुवर्ष 17.6 प्रतिशत घटकर 217.7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गई। भारत के निर्यात में कमी वैश्विक स्तर पर मांग सुस्त हो जाने तथा वैश्विक स्तर पर जिन्सों और विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आने के कारण हुई है। निर्यात में कमी के कारणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इसमें पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक पदार्थों के निर्यात की लगभग 55.0 प्रतिशत, तथा अभियांत्रिकी वस्तुओं की 24.0 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

4.9 इसके अतिरिक्ति, इस संबंध में वैश्विक रुझानों तथा घरेलू आर्थिक क्रियाकलापों के सांकेतिक संदर्भों में आई मंदी को देखते हुए चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-जनवरी) के दौरान आयात 15.5 प्रतिशत घट कर 324.5 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। इस वर्ष अब तक कुल आयात में कमी का मुख्य कारण पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक पदार्थों (पीओएल) के आयात में

चित्र 4.1 विश्व तथा कुछ चुनिंदा देशों की निर्यात वृद्धि दर

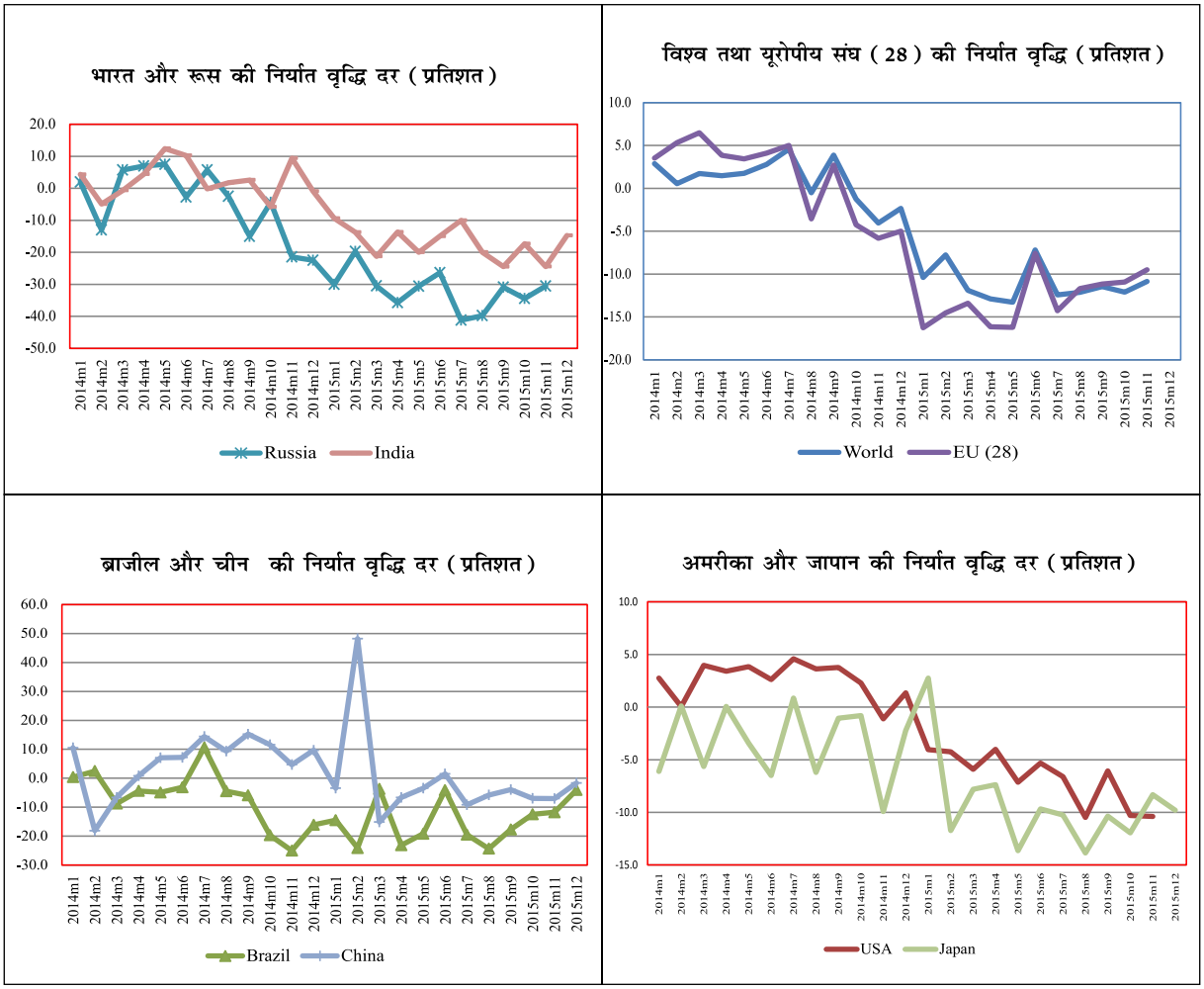

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

कमी आना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से कमी आने के कारण पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक पदार्थों (पीओएल) का आयात 41.4 प्रतिशत कम होकर 73.1 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जबकि इसके पहले यह 124.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था। 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान गैर-पीओएल पदार्थों का आयात मूल्य 251.4 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2014-15(अप्रैल-जनवरी)के दौरान गैर-पीओएल पदार्थों के 259.1 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में 3.0 प्रतिशत कम था। स्वर्ण और चांदी का आयात 2015-16(अप्रैल-जनवरी) के दौरान 5.1 प्रतिशत बढ़कर 32.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 31.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वर्ण और चांदी के आयात के इस स्तर से बाजार के कारकों के बारे उपयुक्त रुप में जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग 6 माह तक सोने के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान व्यापार घाटा घट कर 106.8 बिलियिन अमरीकी डॉलर हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा 119.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का था।

व्यापार के संघटक

4.10 पिछले वर्षो के दौरान उपादान निधि, व्यापार नीतियों, प्रौद्योगिकी तथा वैश्विक स्तर पर जिन्सों के मूल्यों में घट-बढ़ की व्यापार संघटक में प्रबल भागीदारी थी। 2008 में वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हुए आर्थिक संकट और जिन्सों के मूल्यों में हुई तेज वृद्धि ने इस संघटक पर पर्याप्त प्रभाव डाला। 2010-11 में वैश्विक विकास दर के मजबूत होने, आपेक्षिक रुप में स्थिर वैश्विक जिन्स मूल्यों और व्यापार में तेजी आने को देखते हुए पुरानी स्थिति फिर से बहाल हुई है। इस प्रकार 2010-11 की तुलना में मौजूदा संघटकों की तुलना किए जाने से संघटकों में हुए मौजूदा परिवर्तनों का उपयुक्त रुप में पता चलता है। चोटी के आठ निर्यात क्षेत्रक अर्थात् पेट्रोलियम उत्पाद, जवाहरात और आभूषण, वस्त्र, रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक, परिवहन उपकरण, क्षारीय धातु और मशीनरी अभी भी भारत की निर्यात सामग्रियों में मुख्य रुप से शामिल रही और 2014-15 में भारत के कुल निर्यात का लगभग 86.4 प्रतिशत रही (2010-11 में यह 78.1 प्रतिशत थी)। शीर्षस्थ 8 निर्यात क्षेत्रकों में पट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पाद का स्थान सर्वोच्च था जिनकी 2014-15 में कुल निर्यात मूल्य में 18.3 प्रतिशत भागीदारी थी (2010-11 में 14.6 प्रतिशत थी) । जवाहरात और आभूषणों के निर्यात की हिस्सेदारी 2010-11 में 17 प्रतिशत थी जो घटकर 2014-15 में 13.3 प्रतिशत हो गई (सारणी 4.1)। 2010-11 में कृषि और संबद्ध पदार्थो, रसायनों और संबंधित उत्पादों तथा परिवहन पाकरणों की कुल निर्यात में भागीदारी क्रमशः 7.1 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत से बढकर 2014-15 में क्रमशः 9.7 प्रतिशत, 10.2 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत हो गई।

4.11 समग्र निर्यात की वृद्धि दर में 2014-15 के दौरान 1.3 प्रतिशत की कमी हुई किन्तु इसमें पेट्रोलियम उत्पादों, जवाहरात और आभूषण तथा कृषि एवं संबदध उत्पादों के क्षेत्रकों में वृद्धि दर में मिश्रित कमी शामिल जो 2014-15 में भारत के कुल निर्यात का 41.3 प्रतिशत है तथा परिवहन उपकरणों, क्षारीय धातुओं और मशीनरी के निर्यात में 2014-15 में क्रमशः 20.2 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। वस्त्र एवं रसायन तथा संबंधित उत्पादों के निर्यात में क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत की निम्न वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि समुद्री उत्पादों और चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं की भारत के कुल निर्यात में भागीदारी कम है, किन्तु 2014-15 में इनके निर्यात में क्रमशः 9.8 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। इस वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर) के वस्तुवार निष्पादन से संबंधित उपलब्ध आकड़े बताते है कि निर्यात में भारी गिरावट आई।

4.12 इसी प्रकार, 2014-15 में भारत में आयात 0.5 प्रतिशत कम होकर 448.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया जबकि 2013-14 में यह राशि 450.2 बिलियन डॉलर की थी जो पेट्रोलियम पदार्थों, तेल और स्नेहक पदार्थों के आयात में 16.0 प्रतिशत कमी आने के कारण हुआ। पेट्रोलियम पदार्थों, तेल और स्नेहक पदार्थों के आयात मूल्य में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों (भारतीय आयात वस्त समूह) के 2013-14 के 105.5 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से घटकर 2014-15 में 84.2 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो जाने के कारण हुआ। पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, रसायन और संबंधित उत्पाद, सोना, इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं और मशीनरी की 2014-15 में भारत के कुल आयात में 62.5 प्रतिशत भागीदारी थी। 2014-15 में आयात की प्रमुख मदों जैसेकि रसायन और संबंधित उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और सोना के आयात में क्रमशः 8.2 प्रतिशत, 13.8 प्रतिशत और 19.9

सारणी 4.1 : निर्यात की क्षेत्रवार हिस्सेदारी और वृद्धि दरं

	हिस्सेदारी				वृद्धि दर			
	2013-14	2014-15	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2014-15	2015-16(P)
			(अप्रैल -दिसम्बर)				(अप्रैल -दिसम्बर)	
बागान उत्पाद	0.5	0.5	0.5	0.6	-11.7	-7.5	-6.1	3.4
कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	10.5	9.7	9.6	9.2	0.9	-8.5	-4.4	-21.5
समुद्री उत्पाद	1.6	1.8	1.8	1.9	44.8	9.8	15.4	-14.8
अयस्क एवं खनिज पदार्थ	1.1	0.8	0.8	0.7	-2.6	-32.7	-30.1	-22.0
चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुऐं	1.8	2.0	2.0	2.1	17.2	8.3	13.5	-11.3
जवाहरात तथा आभूषण	13.2	13.3	13.0	14.6	-3.7	-0.3	1.4	-8.1
रसायन तथा संबद्ध उत्पाद	9.8	10.2	9.9	12.2	6.5	3.0	5.6	0.3
प्लास्टिक तथा रबड की वस्तुऐं	2.2	2.1	2.2	2.5	11.0	-3.6	1.7	-7.1
क्षार धातुऐं	7.1	8.0	7.7	7.3	4.2	10.6	13.8	-22.5
इलेक्ट्रोनिक्स की मदें	2.4	1.9	1.9	2.1	-5.2	-21.3	-21.7	-9.8
मशीनरी	5.6	6.3	6.1	7.2	5.8	12.2	15.1	-4.5
परिवहन उपकरण	7.0	8.6	8.5	8.1	15.2	20.2	28.4	-21.6
वस्त्र तथा संबद्ध उत्पाद	11.8	12.0	11.4	13.6	12.4	0.5	4.3	-1.7
पेट्रोलियम, कच्चा तेल और तेल उत्पाद	20.1	18.3	20.2	12.2	3.8	-10.1	1.1	-50.6
अन्य	5.3	4.5	4.4	5.8	-0.6	-16.0	-15.6	7.5
कुल निर्यात	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**4.7**	**-1.3**	**3.5**	**-18.0**

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) आंकड़ों से परिकलित
टिप्पणी: वृद्धि दर अमरीकी डॉलर के संदर्भ में अ:-असाधारण

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई(सारणी 4.2)। पेट्रोलियम कच्चा तेल और उत्पाद, परिवहन उपकरणों तथा मोती, बहुमूल्य एवं अल्पमूल्य रत्नों के आयात में क्रमश: 16.0 प्रतिशत, 5.4 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत दर से गिरावट दर्ज की गई।

4.13 2015-16 (अप्रैल -दिसम्बर) के दौरान कुल आयात मूल्य 15.9 प्रतिशत कम होकर 295.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया जबकि 2014-15 (अप्रैल - दिसम्बर) के दौरान यह राशि 351.6 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कृषि तथा संबद्ध उत्पादों एवं उर्वरकों के आयात में क्रमश: 11.5 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई1 पूंजीगत वस्तु आयात में शामिल एक महत्वपूर्ण मद मशीनरी का मद है जिसके आयात में 2015-16 (अप्रैल - दिसम्बर) के दौरान 0.8 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर दर्ज की गई तथा अन्य मद, परिवहन उपकरणों के आयात में 12.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

व्यापार की दिशा

4.14 वैश्विक आर्थिक विकास और व्यापार मात्रा के संदर्भ में आई मंदी व्यापार सांख्यिकी की दिशा में भी परिलक्षित हुई। जिन उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में कुल निर्यात (हिस्सेदारी)पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उनमे भारत से किए जाने वाले निर्यात के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी आई1 यूरोप के देशों (जिनमें यूरोपीय संघ, ईएफटीए के देश और अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं) और अमरीकी देशों (जिनमें उत्तरी अमरीकी और दक्षिण अमरीकी देश शामिल हैं) की हिस्सेदारी 2004-05 के क्रमश: 23.6 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में क्रमश: 18.1 प्रतिशत और 19.0 प्रतिशत हो गई । सीआईएस और बल्टिक देशों की हिस्सेदारी 2004-05 में 1.3 प्रतिशत थी जो 2014-15 में मामूली घटकर 1.1 प्रतिशत हो गई। एशिया की निर्यात हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई और यह 2004-05 के 47.9 प्रतिशत से बढकर 2014-15 में 49.6 प्रतिशत पर पहुंच गया। भारत के कुल निर्यात में अफ्रीका को किए जाने वाले निर्यात की हिस्सेदारी 2004-05 के 6.7 प्रतिशत से बढकर 2014-15 में 10.6 प्रतिशत हो गई।

4.15 पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2014-15 में अमेरिका को किए गए निर्यात में 8.9 प्रतिशत तथा अफ्रीका को किए गए निर्यात में 5.2 प्रतिशत की बढोतरी

सारणी 4.2 : आयात की क्षेत्रक-वार हिस्सेदारी और वृद्धि दर

	हिस्सेदारी				वृद्धि दर			
	2013-14	2014-15	2014-15 (अप्रैल -दिसम्बर)	2015-16 (अप्रैल -दिसम्बर)	2013-14	2014-15	2014-15 (अप्रैल -दिसम्बर)	2015-16(P) (अप्रैल -दिसम्बर)
बागान उत्पाद	0.2	0.2	0.2	0.2	3.5	-3.8	-3.2	-14.8
कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	3.0	4.2	4.2	5.4	-19.6	40.9	46.4	6.9
अयस्क एवं खनिज	5.5	6.0	5.7	5.3	-5.4	9.4	9.5	-21.0
जिनमें से								
कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	3.6	4.0	3.7	3.4	-3.5	8.5	6.4	-21.9
जवाहरात एवं आभूषण	13.0	13.9	13.6	15.2	-30.3	6.7	3.7	-5.7
जिनमें से								
मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न	5.3	5.0	5.1	4.9	5.7	-5.8	-2.1	-18.2
सोना	6.4	7.7	7.4	9.0	-46.7	19.9	10.7	2.4
चांदी	1.0	1.0	1.0	1.1	129.9	-0.4	-7.7	-7.5
रसायन और संबद्ध उत्पाद	7.9	8.6	8.6	9.9	-4.8	8.2	9.9	-3.4
जिनमें से								
उर्वरक	1.4	1.7	1.7	2.4	-28.5	18.1	8.1	19.4
कार्बनिक रसायन	2.5	2.5	2.6	2.6	9.6	2.5	9.4	-17.1
प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं	2.8	3.2	3.2	3.6	2.1	12.2	18.3	-5.3
क्षार धातुएं	4.8	6.0	5.8	6.5	-19.3	25.4	25.9	-6.7
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं	7.2	8.2	7.9	10.4	-1.5	13.8	12.1	11.5
मशीनरी	6.9	7.1	6.8	8.1	-12.9	3.0	2.1	0.8
परिवहन उपकरण	3.6	3.4	3.1	3.2	-8.5	-5.4	-10.4	-12.6
पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद	36.6	30.9	33.1	23.1	0.4	-16.0	-4.6	-41.5
अन्य	8.5	8.1	7.7	9.0	5.9	-4.9	-2.4	-1.4
कुल आयात:	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**-8.3**	**-0.5**	**3.7**	**-15.9**

स्त्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) आंकड़ों से परिकलित
टिप्पणी: वृद्धि दर अमरीकी डॉलर के संदर्भ में है, अ-अनंतिम

हुई थी। कतिपय अन्य स्थानों जहां निर्यात में गिरावट आई थी उदाहरण के लिए यूरोप (3.5 प्रतिशत) एशिया (1.0 प्रातिशत) और सीआईएस एवं बाल्टिक्स (2.7 प्रतिशत)। दूसरी ओर 2015-16 (अप्रैल -दिसम्बर) के दौरान सभी पांच क्षेत्रों में निर्यातों में व्यापक पैमाने पर गिरावट आई। विशाल देशों के संदर्भ में, वर्ष 2014-15 में भारत से अमरीका, यूएई और हांगकांग को किए गए निर्यात (भारत के कुल निर्यात में 13.7 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत, और 4.4 प्रतिशत के हिस्से के साथ) में क्रमश: 8.4 प्रतिशत 8.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके विपरीत भारत द्वारा चीन (3.8 प्रतिशत हिस्सा सउदी अरबिये 3.6 प्रतिशत हिस्सा) सिंगापुर (3.2 प्रतिशत हिस्सा)और इग्लैण्ड (3.0 प्रतिशत हिस्सा) को किए गए निर्यात में वर्ष 2014-15 में क्रमश: 19.6 प्रतिशत, 8.7 प्रतिशत, 21.6 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी। वर्ष 2014-15 में भारत के कुल निर्यात में इन सात देशों का कुल निर्यात 42.3 प्रतिशत बैठता है। 2015-16 (अप्रैल -दिसम्बर)के दौरान सभी सात प्रमुख गन्तव्यों में ऋणात्मक वृद्धि दरें देखी गई।

4.16 इसी तरह भारत के आयात स्रोत भी समय-समय पर बदलाव से गुजरे। कुल आयातों में, भारतीय आयातों में, यूरोप का हिस्सा 2004-05 में 23.0 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 16.5 प्रतिशत रह गया। 2004-05 में यूरोप से भारत को किए गए आयात 23.0 से कम होकर 2014-15 में कुल आयात का 16.5 प्रतिशत रह गए उसी अवधि के दौरान भारत के कुल आयातों में अफ्रीका, अमरीका और एशिया के आयात का हिस्सा बढ़ा पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में यूरोप

तथा अफ्रीका से होने वाले भारतीय आयातों में क्रमश: 4.1 प्रतिशत तथा 5.5 प्रतिशत की बढोतरी हुई जबकि 2014-15 में अमरीका और एशियाई देशें से होने वाले आयातों में क्रमश: 2.7 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई। भारत के कुल आयातों में 13.5 प्रतिशत हिस्से के साथ चीन, जो भारतीय आयातों के शीर्ष देशों में है, ने वर्ष 2014-15 में 18.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की थी। वर्ष 2014-15 में 4.9 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत के हिस्से के साथ स्विटजरलैण्ड, इण्डोनेशिया और कोरिया से किए जाने वाले आयातों ने भी क्रमश: 14.6 प्रतिशत 1.7 प्रतिशत और 8.5 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दरें दर्ज की। तथापि सऊदी अरब (6.3 प्रतिशत हिस्सा) युनाइटेड अरब अमीरात (5.8 प्रतिशत हिस्सा) और यू. एस.ए. (4.9 प्रतिशत हिस्सा) से भारत को किए गए आयात में 2014-15 में क्रमश: 22.8 प्रतिशत, 9.9 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत की गिरावट आई 2015-16 में सभी पांच क्षेत्रों में (सीआईएस एवं बाल्टिक्स सहित) आयात में कमी आई जिसमें 2015-16 (अप्रैल -दिसम्बर) में अमरीका से किए जाने वाले आयात में सर्वाधिक गिरावट आई1 2015-16(अप्रैल -दिसम्बर) मे चीन से भारत को किए गए आयात में 2.5 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई जबकि अन्य प्रमुख देशों से किए गए आयात में ऋणात्मक वृद्धि दरें दर्ज की गई।

व्यापार घाटा

4.17 भारत के व्यापार घाटे में लगभग निरंतर बढोतरी हुई, यह 2004-05 में 28.0 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढकर 2010-11 में 118.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। अगले दो वर्षों में यह अत्यधिक तेजी से क्रमश: 183.4 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 190.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के अवहनीय स्तरों पर पहुंच गया था। तथापि, सरकार द्वारा व्यापार और चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरुप वर्ष 2013-14 में यह कम होकर 135.8 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। 2014-15 में व्यापार घाटा 137.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो मामूली सा अधिक था। तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई 20.2 प्रतिशत की कमी के कारण पी.ओ. एल. आयातों के मूल्य में आई 16.0 प्रतिशत की गिरावट के कारण व्यापार घाटा अपेक्षाकृत निचले स्तर पर बना हुआ है। व्यापार घाटे को पीओएल घाटे तथा गैर-पीओएल घाटे में वर्गीकृत किया जा सकता है। पी.ओ.एल. घाटा (पी.ओ.एल. निर्यातों में से पी.ओ.एल. आयात को घटाकर) व्यापार घाटे का मुख्य घटक है, जो 2011-12 से 2013-14 तक लगभग 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के आस-पास था, 2014-15 में कम होकर 81.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2015-16 (अप्रैल -दिसम्बर) में ओर कम होकर 44.2 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया (चित्र 4.2)। गैर पी.ओ. एल. घाटे के अन्तर्गत रत्न और जवाहरात घाटा (मोती, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर, स्वर्ण, चांदी और अन्य स्वर्ण आभूषण के निवल निर्यात) 2012-13 में 40.9 बिलियन अमरीकी डालर तेजी से कम होकर 2013-14 में 17.0 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। यह इन आयातों पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते हुआ। लेकिन बाद में 2014-15 में ये बढकर 21.1 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गए । व्यापार नीति निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित है और तत्पश्चात् व्यापार घाटे का स्तर घटा है। व्यापार घाटे के गिरते स्तर का चालू वित्त वर्ष में समग्र भुगतान संतुलन परिमाण में आई गिरावट के वहनीय स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ा था।

चित्र 4.2 व्यापार घाटे का अपघटन (बिलियन अमरीकी डॉलर)

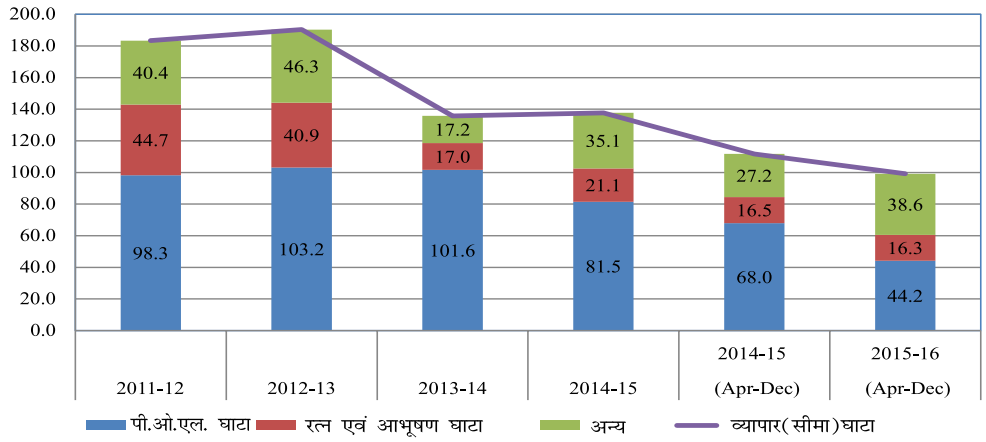

स्रोत: **डीजीसीआई एण्ड एस**

बॉक्स 4.1 विदेश व्यापार नीति (2015-20) की प्रमुख विशेषताएं

पूर्व के एफ टी पी की छः विविध स्कीमें हैं: (केन्द्रित उत्पाद स्कीम, बाजार संबंध केन्द्रित उत्पाद स्कीम, केन्द्रित बाजार स्कीम, कृषि आधरभूत संरचना प्रोत्साहन पत्रक, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना और वर्द्धित निर्यात प्रोत्साहन स्कीम)। जिनके विविध स्थितियों वाले विशिष्ट क्षेत्रक अथवा वास्तविक उपभोक्ता जो उसके प्रयोग से जुड़े हुए हैं को एक स्कीम में डाला गया है इसे भारत की पण्य निर्यात स्कीम (एम ई आई एस) का नाम दिया गया है अधिसूचित बाजारों में निर्यातित अधिसूचित वस्तुए निर्यातों के स्वीकृत एफ ओ बी मूल्यों पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। देशों को तीन श्रेणीयों में बांटा गया है श्रेणी कः पारम्परिक बाजार, श्रेणी खः उभरते एवं केंद्रित बाजार तथा श्रेणी गः प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु अन्य बाजार। सरकार ने 110 नई वस्तुओं को जोड़कर 29 अक्टूबर 2015 को एम ई आई एस की कवरेज का भी विस्तार किया है। प्रोत्साहन दरें 2228 वस्तुओं की, देश की कवरेज बढ़ाई गई1

भारत की सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस) भारत की सेवा स्कीम का स्थान भारत की सेवा निर्यात स्कीम (एस इ आई एस) ने ले लिया है। एस इ आई एस भारतीय सेवा प्रदाता के बजाय भारत में स्थित सेवा प्रदाताओं को प्रयोग में लाती है। इस प्रकार एस इ आई एस सेवा प्रदाता की प्रोफाइल अथवा गठन की परवाह किए बिना अधिसूचित सेवाओं के सभी सेवा प्रदाताओं के लिए प्रोत्साहन मुहैया कराती है जो भारत में रहकर सेवाए प्रदान कर रहे हैं। एस इ आई एस के अन्तर्गत प्रोत्साहन की दरें अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पर आधारित होती हैं ड्यूटी क्रेडिट पत्रक के रूप में जारी किए गए प्रोत्साहन वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अनुरुप नहीं होगें और न ही कुछ विशिष्ट तरह की वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रतिबन्धित होंगे लेकिन इन्हें सेवाओं, वस्तुओं की उपलब्धता संबंधी सभी प्रकार की वस्तुओं ओर सेवाओं के कर नामे राशि को उपभाग में लाने ओर अन्तरित करने की स्वतन्त्रता होगी1

सेज के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोत्साहन (एम इ आई एस एंव एस इ आई एस) विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) 2015-20 में एम इ आई एस एवं एस इ आई एस स्कीमों के लाभ सेज को भी दिए गए जोकि सेज के विकास एवं प्रगति में नई सफूर्ति ला देगी।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भुगतान के लिए डुयूटी क्रेडिट पत्रक पूर्णतः अन्तरणीय और उपयोगी है: एम इ आई एस और एस इ आई एस के तहत जारी सभी पत्रक तथा इन पत्रकों के एवज में आयातित वस्तुए पूर्णतः स्थानान्तरणीय है। भारत की इन निर्यात स्कीमों के अन्तर्गत जारी किए गए पत्रकों को निम्न के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है:

क) परिशिष्ट 3 क में सूचीबद्व वस्तुओं को छोड़कर, पूंजीगत वस्तुओं सहित वस्तुओं आगत के आयात के लिए सीमा शुल्क का भुगतान।

ख) डी ओ आर (राजस्व विभाग) की अधिसूचना के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं सहित इनपुट अथवा वस्तुओं की देश में उपलब्धता संबंधी उत्पाद शुल्क का भुगतान।

ग) डी ओ आर अधिसूचना के अनुसार, सेवाओं की उपलब्धता संबंधी सेवा कर का भुगतान। राजस्व विभाग की नियमावली के अनुसार डयूटी क्रेडिट पत्रक के अंतर्गत क्रेडिट के जरिए अथवा नकद राशि में दिया गया मूल सीमा शुल्क डयूटी ड्रा बैक के रुप में वापिस लिया जा सकता है, यदि अभी तक आयातित इनपुट का निर्यात के लिए इस्तेमाल किया गया हो।

अन्य उपाय

क) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तुएं (इपीसीजी) स्कीम के अन्तर्गत यदि पूंजीगत वस्तुएं स्वदेशीय विनिर्माता से प्राप्त की जाती है, विशिष्ट निर्यात बाध्यता, को 75 प्रतिशत तक घटा दिया गया है, इसे स्वदेशीय पूंजीगत वस्तु विनिर्माण उद्योग की सहायता के लिए परिकल्पित किया जाता है।

ख) भारत की पण्य निर्यात स्कीम के अन्तर्गत उच्च घरेलू मांग के साथ निर्यात की जानेवाली वस्तुएं और मूल्यवर्द्धन प्रोत्साहन उच्चतर स्तर तक मुहैया कराए गए हैं।

ग) प्रोत्साहन स्कीमों और शुल्क छूट स्कीमों के लिए आवेदनों और निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रिंटेड कॉपी जिन्हें पहले प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अब अनावश्यक कर दिया गया है।

घ) अधिसूचित बाजार हेतु सबूत के तौर पर निर्यात के लिए भेजे गए माल के लैडिंग दस्तावेजों को निर्दिष्ट रूप से डिजिटल रुप में अपलोड किया गया है।

ड.) एक बार निर्यातक आयातक प्रोफाइल में अपलोड होने के बाद स्थाई रिकार्डो, एक आवेदन के साथ बार-बार लगाए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नही होगी।

च) डी जी एफ टी का विविध समितियों के साथ और अधिक तेजी से तथा दस्तावेज रहित सम्पर्क करने के लिए विविध समितियों अर्थात मानदंड समिति, एक्जिम सुविधा समिति आदि के लिए समर्पित इ-मेल पते मुहैया कराए गए हैं।

व्यापार नीति

व्यापार संबंधी नीतिगत उपायः

4.18 निर्यातों में आई गिरावट की शुरुआत में, सरकार ने नई विदेश नीति (एफ टी पी) तथा 2015-16 के केन्द्रीय बजट में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विविध उपाय किए हैं1 2015-2020 की अवधि के लिए नई विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) की घोषणा पहली अप्रैल 2015 को की गई थी। विनिर्माण और सेवा निर्यात दोनों में सहायता प्रदान करने तथा व्यापार को अधिक सुलभ बनाने पर केन्द्रित थी एफ टी पी

का लक्ष्य 2019-2020 तक भारत के निर्यात को 900 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढाना है। विदेश व्यापार नीति (2015-20) की प्रमुख विशेषताएं बाक्स 4.1 में दी गई है। इस एफ टी पी में कारोबार को सरल बनाने तथा सरकार द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देशों जिन्हे मेक इन इंडिया और डिजिटल इण्डिया कार्यक्रमों से जोडा गया है उपलब्ध कराए गए है। कारोबार को सरल बनाकर बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए किए गए कतिपय उपाय बाक्स 4.2 में दिए गए है।

बॉक्स 4.2 : व्यापार नीति संबंधी किए गए कुछ हालिया उपाय

क) सरकार ने निर्यातों और आयातों के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या घटाकर प्रत्येक के लिए तीन कर दी थी जो अंतरराष्ट्रीय बैंचमार्क के साथ तुलनीय है। यह व्यापार समुदाय विविध व्यापार संबंधित स्कीमों हेतु ऑनलाइन आवेदन भेज सकता है। 53 बैंकों की ओर से क्रेडिट डेबिट कार्डो और इलेक्ट्रोनिक निधि अन्तरण के जरिए आवेदनों का ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया है।

ख) सीमा शुल्क के संबंध में एकल खिड़की पहल: 2014-15 के केन्द्रीय बजट में व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारतीय सीमाशुल्क संबंधी एकल खिड़की प्रोजेक्ट के कियान्वयन की घोषणा की गई थी। इस प्रोजेक्ट में विचार किया गया है कि आयातक और निर्यातक सीमाशुल्क संबंधी एकल बिन्दु पर इलेक्ट्रोनिक रूप से अपने सीमाशुल्क संबंधी क्लीयरैंस दस्तावेज प्रस्तुत करेगें। किन्ही अन्य विनियामक एजेन्सियों (जैसे पशु संगरोधन, वनस्पति संगरोधन, औषध नियत्रंक, वस्त्र समिति आदि) से यदि कोई अनुमति अपेक्षित है तो यह अनुमति इन एजेन्सियों से आयातको निर्यातकों जिन्होंने इन एजेन्सियों से अलग से अप्रोच किया है के बिना ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। यह एकल विंडो आयातको/निर्यातको को आयात और निर्यात संबंधी वस्तुओं के सीमाशुल्क क्लियरैन्स हेतु एकल इन्टरफेस बिन्दु मुहैया कराएगी, तत्पश्चात सरकारी एजेन्सियों के साथ सीधा सम्पर्क किसी वेबसाइट पर लगने वाला समय और कारोबार करने की लागत कम हो जाएगी। 1.4.2015 से सीमाशुल्क और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) और वृक्ष सरक्षण विभाग जे एन पी टी (नहावा सेवा) स्थित पशु संगरोधन और भंडारण (पी क्यू आई एस) इन एजेन्सियों के साथ/की ओर से एन ओ सी सहित ऑनलाइन संदेशों के आदान प्रदान हेतु आई सी डी तुगलकबाद और आइ सी डी पटपड़गंज के बीच एक इलेक्ट्रानिक मुद्रा सुविधा स्थापित की गई है। अन्य विनियामक एजेन्सियों जैसे पशु संगरोधन, वस्त्र संबंधी समिति, भारतीय औषद्य नियंत्रक एवं वन्य जीवन प्राधिकरणों को भी एकल खिडकी सीमाशुल्क किलयरैंस के घेरे में लाया जा रहा है।

ग) 24/7 सीमाशुल्क संबंधी क्लियरैंस - 31.12.2014 से विशिष्ट आयातों नामश: सुविधाजनक प्रविष्टि बिल और निर्दिष्ट निर्यात के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं, मुक्त पोतवहन बिल के अन्तर्गत निर्यातित वस्तुओं और फैक्टरी के कन्टेनरों के लिए 24ग7 सीमाशुल्क संबंधी क्लियरैन्स को 18 समुन्द्री पत्तनों में उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह विनिर्दिष्ट आयातों सभी पोतवहन बिलों द्वारा शामिल सभी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं तथा बिल की प्रविष्टी को सुविधाजनक बनाकर शामिल वस्तुओं को 17 वायु कार्गो परिसरो में विस्तारित किया गया है, इससे ऐसी आयातित वस्तुओं तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की तेजी से निकासी में मदद मिलेगी तथा लगने वाला समय घटेगा तथा लेन-देन की लागत भी घटेगी।

घ) नई विदेश व्यापार नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 24ग7 वातावरण में दस्तावेज रहित कार्य करने की ओर बढ़ना है निर्यातक/आयातक की प्रोफाइल में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए एक नई सुविधा भी सृजित की गई है जिससे कि निर्यातकों को बार-बार दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरुरत न पड़े।

ड.) आयात निर्यात के फार्मों को सरल बनाने, विविध प्रावधानों में स्पष्टता लाने, अस्पष्टता को दूर करने और इलेक्ट्रानिक संचालन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है।

च) विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नए रूप में वेबसाइट शुरु की है इससे आसानी से मार्गदर्शन लेने तथा उपभोक्ता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया गया है। डीजीएफटी का वेबसाइट पर सक्रिय घटक मौजूद है जिसके द्वारा व्यापार करने वाला समुदाय आइसी तथा डीजीएफटी की विविध अन्य स्कीमों के लिए ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। निर्यातक लगभग उसी समय में अपने इलेक्ट्रानिक बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्रों की अवस्थिति को देख सकते हैं। यह वेबसाइट प्रतिक्रियात्मक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली सहित विदेश व्यापार नीति से संबंधित सभी दस्तावेजों की विषयवस्तु उपलब्ध कराने में सक्षम है।

छ) डीजीएफटी ने जून 2015 में एक मोबाईल एप्लीकेशन डीजीएफटी प्रारंभ किया है यह एप्लीकेशन निर्यातकों/आयातकों को विदेश व्यापार नीति तक पहूंचने तथा सरलता से खोज लिए जाने वाले फॉरमेट पर अन्य संबंधित दस्तावोजों पर पहूंचने, साथ ही विविध प्राधिकरणों में अन्तरण की स्थिति जानने, शिपिंग बिल आदि के बारे में जानने की अनुमति देता है।

ज) निर्यात बन्धु स्कीम को स्किल इण्डिया के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और अधिक आकर्षक बनाया गया है। निर्यात संवर्द्धन परिषद (इपीसी) और अन्य इच्छुक ''औद्योगिक भागीदार और जानकारी साझीदार'' की सहायता के साथ एमएसएमई समूह स्तर पर पहुंच कियाकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

निर्यात बंधु स्कीम के तहत डीजीएफटी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 20000 से अधिक उद्यामियों को व्यवसाय का अवसर प्रदान किया गया

जारी....

है। सितम्बर, 2015 में आईआईएफटी के सहयोग से डीजीएफटी ने निर्यात आयात व्यवसाय में 'निर्यात बंधु एट योर डेस्कटोप' नामक एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छी प्रतिकिया प्राप्त हुई है। दो कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं।

प्रमुख निर्यात कलस्टर शहरों में अवस्थित निर्यातकों तक पहुंच बनाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एक महत्वाकांक्षी व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:-

- मुक्त व्यापार का उपयोग करने के लिए निर्यातकों को प्रशिक्षण।
- वार्ताओं के तहत मुक्त व्यापार समझौतों जैसे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक नीति (आरसीइपी) के संबंध में निर्यातकों से सुझाव लेना।
- वाणिज्य विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए पोर्टल - www.indiantradeportal.in की विषयवस्तु के बारे में जागरुकता को बढावा देना।

1) अन्य महत्वपूर्ण उपाय

* व्यापार विकास एवं संवर्द्धन परिषद का गठन जुलाई, 2015 में किया गया है। इससे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए परिवेश तैयार करने और भारत के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने में राज्यों को सक्रिय भागीदार बनाने के लिए उपाय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ निरंतर वार्ता सुनिश्चित होगी। इस परिषद की पहली बैठक दिनांक 08.01.2016 को होनी है।

* निर्यात को बढावा देने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अपनी निर्यात नीति तैयार करने, निर्यात आयुक्तों की नियुक्ति करने, माल की आवाजाही प्रतिबंधित करने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने, वेट/चुंगी। राज्य स्तरीय उपकर की वापसी प्रकिया आसान बनाने और विभिन्न स्वीकृतियों आदि तथा नए निर्यातकों की क्षमता निर्माण विकसित करने से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए अनुरोध किया गया है। वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा अनुरक्षित विदेश व्यापार डाटाबेस तक पहुंच आसान बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यूजर-आईडी और पासवर्ड भी जारी किए गए हैं ताकि वे अपने राज्य से संबंधित निर्यात डाटा को प्राप्त कर सकें।

विश्व व्यापार संगठन की वार्ता और भारत

4.19 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) का दसवां मंत्रालय सम्मेलन 15 से 19 दिसम्बर, 2015 तक नैरोबी, केन्या में आयोजित किया गया था। पहली बार किसी अफ्रीकी देश ने ऐसी बैठक की मेजबानी की थी। इस सम्मेलन के परिणाम जिन्हें नैरोबी पैकेज कहा गया, में कृषि, कपास और न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) से संबंधित मुद्दों के संबंध में मंत्रालयी निर्णय शामिल हैं1 इनमें खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग, विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम), विशेषरुप से विकसित देशों से कृषि निर्यातों के लिए निर्यात सब्सिडी समाप्त करने के लिए वचनबद्धता और कपास से संबंधित उपाय शामिल हैं। सेवाओं के क्षेत्र में मानदंडों के निर्धारण के लिए न्यूनतम विकसित देशों के साथ अधिमान्य व्यवहार के संबंध में भी निर्णय लिए गए थे फिर चाहे इन व्यापारिक तरजीह से न्यूनतम विकसित देशों से निर्यात से लाभ हो।

4.20 दोहा राउंड के भाग्य के संबंध में विचारों में भिन्नता इस सम्मेलन , में जारी रही। नैरोबी मंत्रालयी घोषणा में दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) की भावी वार्ताओं के आधार के रुप में पुन: पुष्टि किए जाने की प्रासंगिकता के बारे में डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों में असहमति झलकती है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि भारत अनेक अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर जी-33, एलडीसी और अफ्रीकी समूह जैसे समूहों से दोहा राउण्ड के अधिदेश की पुन: पुष्टि चाहता था। भारत ने महानिदेशक, डब्ल्यूटीओ और दसवें मंत्रालयी सम्मेलन के अध्यक्ष केन्या के विदेश मंत्री को एक लिखित आवेदन में और 19 दिसम्बर, 2015 को समापन समारोह पर एक वक्तव्य में इस ओर ध्यान दिलाया था। यह ध्यान में रखते हुए भी भिन्नताएं हैं, मंत्रालयी घोषणा में शेष ''दोहा मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ने के लिए सभी सदस्यों की दृढ वचनबद्धता'' को भी ध्यान में रखा गया है। इनमें यह भी है कि डब्ल्यूटीओ अपने कार्यों में विकास को अपने केन्द्र पर रखेगा। इसकी पुन: पुष्टि करता है कि विशेष व्यवहार के लिए प्रावधाान अनिवार्यत: रहेंगे।

4.21 जहां तक विचार विमर्श हेतु अन्य नए मुद्दों को शामिल किए जाने का संबंध है, घोषणा में विचारों में भिन्नता स्वीकार की गई है और यह कहा गया है कि ऐसे मुद्दों पर बहुपक्षीय रुप से चर्चा किए जाने के लिए

किसी भी निर्णय पर सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। चूंकि दोहा राउण्ड का भविष्य संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था, इसलिए भारत ने बाली मंत्रालयी एवं महापरिषद के निर्णयों को मानते हुए खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मंत्रालयी निर्णय की पुनः स्वीकारोक्ति की मांग की और इसे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। यह निर्णय सदस्यों को एक स्थायी समाधान तलाशने में रचनात्मक रुप से लग रहने के लिए वचनबद्ध करता है। इसी प्रकार, विकासशील देशों का एक बडा समूह कृषि उत्पादों के लिए एक विशेष सुरक्षा तंत्र विकसित करने की काफी समय से कोशिश कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मुद्दा डब्ल्यू.टी.ओ. में भावी विचार विमर्श के एजेंडा में शामिल रहे, भारत ने एक मंत्रालयी निर्णय पर बातचीत की जिसमें यह माना गया है कि विकासशील देशों के पास विशेष सुरक्षा तंत्र को अपनाने का अधिकार होगा जैसा कि अधिदेश में परिकल्पना की गई है। सदस्य विशेष सत्र में कृषि संबंधी समिति के समर्पित सत्रों में इस तंत्र पर वार्ता जारी रखेंगे। डब्ल्यू.टी.ओ. की महापरिषद को इन वार्ताओं की प्राप्ति की नियमित रूप से समीक्षा का कार्य सौंपा गया है।

4.22 डब्ल्यूटीओ में सदस्य कृषि निर्यात सब्सिडी को इस शर्त पर समाप्त करने पर सहमत हुए कि विकासशील देशों के साथ विशेष व्यवहार को बनाए रखा जाए जैसे परिवहन वाहनों को हटाने की लंबी समयावधि और कृषि उत्पादों के लिए बाजार निर्यात सब्सिडी को हटाना। विकसित देश कुछ कृषि उत्पादों को छोड़कर निर्यात सब्सिडी को तुरन्त समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और विकासशील देश ऐसा वर्ष 2018 तक करेंगे। विकासशील देश कृषि निर्यातों के लिए बाजार एवं परिवहन सब्सिडियों को कवर करने की फ्लेक्सिबिलिटी को वर्ष 2023 के अन्त तक रखेंगे और न्यूनतम विकसित देश एवं केवल खाद्य-आयातकर्ता विकासशील देशों के पास ऐसी निर्यात सब्सिडी में कटौती करने के लिए अतिरिक्त समय होगा। मंत्रालयी निर्णय में यह सुनिश्चित करने के लिए भी कड़ी व्यवस्था है कि अन्य निर्यात नीतियों का उपयोग सब्सिडियों के प्रच्छन्न रुप में न किया जाए। इन व्यवस्थाओं में कृषि निर्यातकों को वित्तपोषण सहायता का लाभ सीमित करने की शर्तें, कृषि व्यापार में लगे राज्य के उद्यमों से संबंधित नियम और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था शामिल है कि खाद्य सहायता से घरेलू उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। भारत जैसे विकासशील देशों के पास एक लम्बी कार्यान्वयन अवधि होगी। लिए गये निर्णयों में से एक निर्णय, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में पेटेन्ट्स की 'एवरग्रीनिंग' को रोकने के लिए संगत प्रावधान से संबंधित है। इस निर्णय से जेनरिक दवाइयों की वहनीय एवं सुलभ आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। भारत ने न्यूनतम विकसित देशों के लिए 'ओरिजिन' के बेहतर तरजीह नियमों और एलडीसी सेवा प्रदाताओं के लिए तरजीह व्यवहार सहित न्यूनतम विकसित देशों के हितों के मुद्दों से संबंधित परिणामों का समर्थन किया था। भारत ने सभी न्यूनतम विकसित देशों के लिए पहले से ही शुल्क-मुक्त, कोटा-मुक्त पहुंच स्कीम का प्रस्ताव किया हुआ है जिसमें ओरिजिन के साधारण, पारदर्शी और उदार नियमों को व्यापक रूप से कवर किया गया है। भारत ने न्यूनतम विकसित देशों के लिए सेवाओं में काफी हद तक और वाणिज्यिक रूप से अर्थपूर्ण तरजीह हाल ही में उपलब्ध कराई है।

4.23 नैरोबी में हुई बातचीत के तहत एक अन्य क्षेत्र मछली पालन हेतु सब्सिडी संबंधी नियमों से संबंधित था। चीन, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया और साउदी अरब जैसे अनेक देशों ने अस्पष्टता के अभाव के कारण मछली पलन हेतु सब्सिडी संबंधी नियम बनाये जाने का विरोध किया था। एजेण्डा के इस आइटम का हुआ जबरदस्त विरोध भारत की स्थिति के अनुकूल था। बातचीत के क्षेत्र में कोई परिणाम सामने नहीं आया। प्रति-पाटन संबंधी नियमों के मुद्दे पर, भारत ने इस प्रस्ताव जिससे डब्ल्यूटीओ की प्रति-पाटन समिति को सदस्य देशों की पद्धतियों की समीक्षा करने के लिए अधिक शक्तियां मिलेगी, का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। इस क्षेत्र में कोई समाभिरूपता नहीं थी और इसलिए कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इस मंत्रालयी सम्मेलन में, विकसित और विकासशील देशों सहित 53 डब्ल्यूटीओ सदस्यों का समूह 201 सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर से टैरिफ समाप्त किए जाने के समझौते को लागू करने की समयसारणी पर सहमत हुए। इन उत्पादों पर टैरिफ समाप्त करने वाले सदस्य देशों के बाजारों के लिए शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच, डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग

4.24 वैश्विक व्यापार एवं विकास को बढाने के लिए बहुपक्षीय व्यापार समझौते सबसे अच्छे समाधान होते हैं क्योंकि इनका आधार गैर-भेदभाव के मूलभूत सिद्धांत होते हैं। क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) उन राष्ट्रों के प्रयास होते हैं जिनका उद्देश्य आमतौर पर पड़ौसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना होता है और इन संबंधों की प्रकृति व्यापक रूप से राजनीतिक होती है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बहुपक्षीय व्यापार वार्ता प्रक्रिया, एक श्रमसाध्य व धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यापक सर्वसम्मति आवश्यक होती है, इसलिए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इनकी भूमिका बढ़ रही है। यद्यपि क्षेत्रीय व्यापार समझौते मौटे तौर पर डब्ल्यूटीओ के अधिदेश के अनुरुप होते हैं, इसलिए ये डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया में काफी सहायक रहते हैं, वे दूसरे सर्वाधिक उत्तम समाधान हैं और गैर-सदस्यों के प्रति इनकी प्रकृति पक्षपातपूर्ण होती है और कम लागत उत्पादक गैर-सदस्य देशों के लिए ये समाधान अप्रभावी हैं क्योंकि सदस्यों की तुलना में इन्हें अधिक नुकसान होता है। यद्यपि द्विपक्षीय क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में निष्पक्षता पर विचार नहीं किया जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि बड़े क्षेत्रीय व्यापार समूहों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो यदि सदस्यों में मतभेद हो और छोटे देशों को नुकसान हो सकता है - यदि वे इसका हिस्सा है, तो उनका इसमें वर्चस्व नहीं है और यदि इसका हिस्सा नहीं है, तो उन्हें नुकसान होने की संभावना है। भारत ने हमेशा ही एक मुक्त, निष्पक्ष, पूर्वानुमेय, गैर-भेदभाव पूर्ण तथा नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र का समर्थन किया है और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को व्यापारिक उदारीकरण के समग्र उद्देश्य के लिए और विश्व व्यापार संगठन के अधीन बहुपक्षीय व्यापार तंत्र को पूरक बनाने के लिए ब्लॉक निर्मित करने वाले के रुप में माना है। ट्रांस-पेसिफिक-भागीदारी समझौता एक नया विशाल क्षेत्रीक ब्लॉक है जो एक वास्तविकता है और भारत में इसका निहितार्थ बन गया है।

4.25 12 पेसिफिक राष्ट्रों (आस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलेण्ड, पेरु, सिंगापुर, अमेरीका और वियतनाम) ने 5 अक्टूबर, 2015 को ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे माल एवं सेवा व्यापार के लिए उच्चतर मानक निर्धारित किए जाने की संभावना है। इसे एक विशाल क्षेत्रीय एफटीए के रुप में माना जाता है जो कई तरह से एक मार्ग दर्शक हो सकता है और यह बहुत व्यापक है। टीपीपी से विश्व की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार का रुख बदलने की संभावना है टीपीपी के 12 सदस्यों की वैश्विक जीडीपी में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वाणिज्यिक व्यापार में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से यह विद्यमान उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार क्षेत्र (एनएएफटीए) से बड़ा है। टीपीपी व्यापार समझौते में न केवल टैरिफ समाप्त करने वाला विशाल क्षेत्रीय व्यापार समझौता शामिल है अपितु यह गैर टैरिफ बाधाओं, अधिक कठोर श्रम एवं पर्यावरण विनियम, अधिकाधिक बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) सरंक्षण, सरकारी खरीद एवं राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को होने वाला लाभ सीमित करने में अधिकाधिक पारदर्शिता, स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकीय प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता और आपूर्ति श्रंखलाओं के लिए कमतर मानदंडों को सम्मिलित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उच्चतर वैश्विक मानदंड निर्धारित करने के बारे में है। इसमें नए एवं उदयीमान मुद्दों के साथ-साथ क्रॉस-कटिंग मुद्दे जैसे इंटरनेट व डिजीटल अर्थव्यवस्था, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का वैश्विक व्यापार और निवेश में भागीदारी शामिल है। निकट भविष्य में, टीपीपी में व्यापारिक प्रभाव के संबंध में चिंताओं से संभवत: गंभीर प्रभाव न पड़े किन्तु भविष्य में इन चुनौतियों को स्वीकार करने तथा उनका जबाव देने के लिए सावधानी पूर्वक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। अनेक संस्थानिक विश्लेषणों पर ध्यान भारत के लिए निहितार्थों पर केन्द्रित है जिसका सारांश बॉक्स 4.3 में दिया गया है।

4.26 भारत ने अब तक 10 एफ.टी.ए. और छ: तरजीही व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किया है और ये एफ.टी.ए./पी.टी.ए. पहले से ही लागू है। निर्यात निष्पादन तथा व्यापार परिणाम पर आर.टी.ए. का निवल प्रभाव मिश्रित है तथा इसमें विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है। 19 एफ.टी.ए. (समीक्षा सम्मिलित) के साथ बातचीत की प्रक्रिया को विस्तारित करने की क्रमिक दृष्टिकोण चल रहा है। आर.टी.ए. के प्रगति का अद्यतन विषय बॉक्स 4.4 में दिया जाता है।

बॉक्स 4.3: ट्रांस - पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीपीपी) और भारत के लिए इसके निहितार्थ

बर्स्टन (2015) ने अनुमान लगाया कि विस्तृत टीपीपी में शामिल होकर अथवा व्यापक फ्री ट्रेड एरिया ऑफ दी एशिया पैसिफिक (एफटीएएपी) में भागीदारी से भारत को 60 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रति वर्ष 500 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का निर्यात लाभ प्राप्त हो सकता है। एपेक के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय 4 प्रतिशत (200 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) बढ़ जाएगी। अनुमानों से पता चलता है कि भारत का निर्यात लगभग 5.3 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ जाएगा, तथापि भारत में आयात बढकर 10.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा, 5.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार संतुलन निवल घाटे को छोडकर (बंगा एवं साहू, 2015)।

सेवा और व्यापार के क्षेत्र में भारत की स्थिति काफी प्रतिस्पर्धा की है और टीपीपी सदस्यों के बीच सेवाओं में व्यापारिक अवरोधों को कम करने से भारत का सेवा निर्यात बढ़ सकेगाा (कुमार एवं दास, 2015)।

टीपीपी में शामिल न होने से जो संभावित जोखिम हो सकते हैं उनका परिमाणन करना कठिन है लेकिन कुछ शोध पत्रों ने व्यापार में दिशा परिवर्तन की संभावना को उजागर किया है और चिंता व्यक्त की है कि इससे संयुक्त राज्य और यूरोप में भारत का निर्यात कम हो जाएगा। संभावना है कि टीपीपी अपने सदस्यों के लिए लगभग 11000 टेरिफ लाइनों की नि:शुल्क व्यवस्था करेगा। इससे संयुक्त राज्य और यूरोप को होने वाले निर्यात में भारत का हिस्सा कम हो जाएगा और यह हिस्सा टीपीपी विकासशील देशों के खाते में पहुंच जायेगा1 वस्त्र और परिधान जैसे कुछ निर्यात क्षेत्रों को भी वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा झेलनी पड़ सकती है जिससे व्यापार की दिशा में परिर्वन भी आ सकता है फिर भी कड़े तथा गैर टैरिफ उपायों को लागू करने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है और टीपीपी के सदस्य देशों की निर्यात प्रतिस्पर्द्धा कम हो सकती है और भारत का व्यापार, जोकि तुलनात्मक रूप से कम है, का दिशा-परिवर्तन हो सकता है (आरआईएस रिपोर्ट, 2015 और दास 2015)1 चिंता इस बात की भी है कि निवेश में भी दिशा परिवर्तन हो सकता है क्योंकि विशेष रूप से वियतनाम जैसे देश निवेशकों को और अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

कुछ विश्लेषकों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि भारत टीपीपी में शामिल होना चाहता है तो इसको टीपीपी में शामिल होने के लिए इस पर पड़ने वाले खर्च पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए क्योंकि इसके लिए टैरिफ, राजकीय उद्यमों कृषि और आईपीआर संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का अनुपाल करना जरुरी होगा। नीचे कुछ प्रमुख बातों पर विचार किया गया है:-

बाजार का खुलापन: टीपीपी की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से औसतन थोड़ा अधिक खुली है। टीपीपी अर्थव्यवस्था औसतन एफएनएन पर 4.5 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगता है, जो कि ओईसीडी पर लगने वाले औसतन 5.7 प्रतिशत की दर से कम है। विश्व बैंक के सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इन्डेक्स से पता चलता है कि टीपीपी अर्थव्यवस्थाएं सेवाओं के प्रवेश के मामले में कम सख्त हैं जबकि 2008-10 में भारत का अंक लगभग 65.7 था जोकि टीपीपी के 25.1 के औसत अंक से 2.5 गुना अधिक है और ओईसीडी के औसत 25.1 अंक से भी इसी तरह अधिक है। भारत को बाजार के खुलेपन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण काम करने की जरुरत है, क्योंकि यहां टेरिफ दरें टीपीपी देशों की दरों से काफी अधिक हैं (कुमार एवं दास, 2015)।

आयात प्रतिस्पर्धा- कुछ उत्पादों से टेरिफ को हटा दिए जाने के कारण घरेलू उद्योग को कड़ी आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। भारत को अवसंरचना में कमी का पहले से सामना करना पड़ रहा है और सख्त उपायों के किए जाने के कारण उत्पादन लागत बढ़ सकती है जिसके कारण घरेलू विनिर्माण के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है।

राजकीय उपक्रम (एसओआईएस)- टीपीपी की सदस्यता से सरकार राजकीय उपक्रमों का उपयोग नहीं कर पायेगी और सरकार रोजगार सृजन जैसे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए वाहनों को खरीद भी नहीं कर पाएगी। भारत को 'मेक इन अंडिया' नीति के साथ समझौता भी करना पड़ सकता है (दास, 2015, आरआईएस रिपोर्ट 2015, कुमार और दास और पालित, 2015)।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार- आईपीआर पर टीपीपी करार से पक्षकारों पर जन स्वास्थ्य को संरक्षण देने से सम्बन्धित कोई उपाय करने से रोक नहीं लगाती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को संरक्षण देने, विशेषकर सभी लोगों तक दवाओं को सुलभ कराने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने जैसे पार्टी के अधिकार बने रहते हैं। फिर भी आईपीआर करार के क्रियान्वयन से औषधिक उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होने की संभावना रहती है, क्योंकि इससे पेटेंट की गई दवाओं को और संरक्षण मिलता है और इससे बाजारों से जेनेरिक दवाओं को काफी हद तक हटाया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिटज ने चिंता व्यक्त की है कि टीपीपी में दवाओं की कीमतों को बढ़ाए जाने वाले प्रयास हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। पूरी दुनिया को खराब स्वास्थ्य और अनिवार्य मृत्यु के रुप में कीमत अदा करनी पड़ सकती है। पेटेंट की दृष्टि से समायोजन किए जाने वाले नियमों को लागू किए जाने से जेनेरिक दवाओं के प्रवेश में काफी विलम्ब हो सकता है। सस्ती दवाओं की उपलब्धता सीमित हो सकती है।

सरकारी खरीद-गैर-विभेदकारी साफ और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया पर जोर देने के अलावा टीपीपी में खरीद करने वाले निकायों के बारे में समय से तथा सम्पूर्ण जानकारी देने, खरीद विशेष के बारे में जानकारी देने, बोली लगाने की समय संरचना, और आपूर्तिकर्ताओं की भागीदार से संबंधित शर्तों के विवरण के बारे में जानकारी दिए जाने के विशेष प्रावधान किए गए हैं: क्योंकि इस करार से हस्ताक्षर करने वाले देशों

जारी....

को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की जो स्वतंत्रता है उस पर थोडा प्रतिबंध लगता है और खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत के प्रयास को नुकसान पहुंचता है;(यूएसटीआर, 2015 और आरआईएस रिपोर्ट, 2015 दास, 2015)।

श्रमिक मानदण्ड- आईआरएस ने 'मेगा रिजनल्स, डब्ल्यूटीओ एंड न्यू इश्यूज' पर अपनी वर्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2015 में यह बताया है कि डीपीपी ने मानक श्रम की सीमा से बाहर चला गया है और इसने इसके दायरे में 'काम के स्वीकार्य योग्य शर्तों' को भी शामिल किया है जिससे सदस्यों को इस बात के लिए बाधयकारी बनाया गया है कि वे ऐसे नियमों और तरीकों को अपनाएं और लागू करें जिनमें न्यूनतम मजदूरी, काम के घण्टे और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, जो कि प्रत्येक पार्टी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, से संबंधित स्वीकार्य योग्य शर्तों को भी शामिल किया गया है (आरआईएस, 2015 और यूएसटीआर, 2015)। श्रम के इन मानदण्डों से विकासशील देशों में श्रमिक लागत में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इससे लागू की जाने वाली प्रतिबद्धता का मुद्दा खड़ा होता है जिसके लिए सदस्य देशों को टीपीपी के श्रमिक मानदण्ड और कारगर क्रियान्वयन एजंसियों की तर्ज पर कानून बनाना जरुरी हो जाता है।

टीपीपी करार में पर्यावरण संबंधी मानदण्ड- टीपीपी करार अन्य एफटीए प्रावधानों से भी आगे जाता है और इसमें ऐसे नए प्रावधाान शामिल हैं जिनसे वन्य जीवन के व्यापार, गैर-कानूनी लागिंग और गैर-कानूनी मछली पकड़ने की प्रथा जैसी समस्या का समाधान हो सकेगा। टीपीपी के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि मत्स्यिकी के अपर्याप्त प्रबंघ मत्स्यिकी सब्सिडी जिनके कारण अत्यधिक तथा क्षमता के बाहर मछली पकड़ी जाती है तथा गैर-कानूनी और छिप-छिपाकर अनियमित रूप से मछली पकड़ने के कारण व्यापार, विकास और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार ये सदस्य ऐसे व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई की जरुरत को स्वीकार करते हैं जिनसे की अत्यधिक मात्रा में मछली को पकड़ने तथा मत्स्य संसाधनों के गैर टिकाऊ उपयोग की समस्या का समाधान किया जा सके यह सब कुछ मात्स्कीय उद्योग को भारत के द्वारा दी जा रही वर्तमान सब्सिडी के विपरीत है। इससे सरकार के उस सहायता कार्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा जो कि भारत के करोड़ों गरीब किसानों और लगभग 15 मिलियन गरीब मछुआरों को लाभ पहुंचता है। मात्स्कीय सब्सिडी के नियम को पहली बार एफटीए करार में शामिल किया गया है जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र में आने वाले अन्य देशों के लिए भी मानदण्ड तैयार किए जा रहे हैं1 इस प्रकार इन टीपीपी नियमों से बहुपक्षीय प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ने की संभावना है इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा चाहे यह टीपीपी में शामिल होता है या नहीं (मेटजर, 2015)।

संदर्भः

बंगर आर एण्ड साहू, आर के (2015) ''ट्रांस पैसिक पार्टनरशिप एग्रीमेण्ट (टीपीपीए) इम्फ्रीकेशन फोर इण्डियाज ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेण्ट' सेन्टर फार डब्ल्यूटीओ स्टडीज डण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, वर्क पेपर जव sws/wp/200/2014, अक्टूबर।

बर्जस्टन फ्रेड सी, (2015); 'इंडिया राइजः ए स्ट्रेटजी फार ट्रेड लेड ग्रोथ', ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट पॉलिशी वाच, पीटर्सन इंस्टीट्यूट फार इंटरनेशलन इकोनॉकिक्स, पीआईआईई, ब्रीफिंग 15-4, सितम्बर।

दास, अभिजीत, नवम्बर, 7, 2015, 'इंडिया एंड शैडो आफ दि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशि', इकोनामिक एंड पोलॉटिकल वीकली, वाल्यूम नं. 45, नवम्बरी, 7, 2015

कुमार, राजीव एंड कृष्णा दास (नवम्बर, 2015): 'ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप', मैक्रोइकोनामिक्स अपडेट, सेंटर फार पॉलिशी रिसर्च।

मेटजर, पी. जैशुवा (2015): 'इस्टैंडर्ड एंड रेग्यूलेशन्स इन दि ट्रांसःपैसिफिक एग्रीमें' इम्प्लीकेशन फार इंडिया', ड्राफ्ट पेपर, अप्रैल, 2015, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट।

पालित, अमितेंदु (2015): 'ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इंडिया एंड साऊथ एशिया', फाइनेशियल एक्सप्रेस, 9 अक्तूबर, 2015

पैट्री ए.पी. एंड माइकेल जी, प्लूमर (2012): 'दि ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप एंड एशिया पैसिफिक इंटीग्रेशनः पॉलिशी इम्प्लीकेशन्स', पीटर्सन इंस्टीट्यूट फार इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पॉलिसी ब्रीफ, सं. पीबी 12:16

सेशाद्रि वी.एस. (2014): 'ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिपः व्हाट इट प्रोर्टेन्डस', इकोनॉमिक्स एंड पोलिटिकल, वल्यूम नं. 33, अगस्त 16, 2014

वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आन 'मेगा रीजनल, डब्ल्यूटीओ एंड न्यू इश्यू (2015), पब्लिस्ड बाई रिसर्च एंड इन्फारमेंशन सीस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, न्यू दिल्ली।

ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीपीपी) - इन्वायरमेंट कन्सॉलिडेड टैक्स्ट, पर 09.01.2016 को उपलब्ध है।

ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिपः समरी ऑफ यू.एस. ऑब्लेक्टिव्स (2015), पर 09 जनवरी, 2015 को उपलब्ध है।

यूएसटीआर (2015) टीपीपी अध्याय 16,17,18,19 जो कि 22 जनवरी 2016 से (https://ustr.gov.tpp/summary of US objectives) पर उपलब्ध हैं।

बॉक्स नं. 4.4 : भारत के नए प्रस्तावित आरटीए: प्रगति की अद्यतन स्थिति

भारत-थाईलैण्ड वृहद आर्थिक सहयोग करार सीईसीए: 82 मदों पर अर्ली हारवेस्ट स्कीम को लागू किया गया है अभी तक भारत-थाईलैण्ड व्यापार बातचीत समिति(आईटीपीएनसी) के 29 चक्र की बैठक हो चुकी है। 29वें चक्र की बैठक जून, 2015 में बैंकाक में हुई थी।

भारत-न्यूजीलैण्ड एफटीए/सीईसीए: अभी तक सीईसीए की 10 चक्र की वार्ता पूरी हो गई है। 10वें चक्र की वार्ता 17 से 18 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में हुई थी।

भारत-एसएसीयू: (साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथे, स्वाजीलैण्ड और नामीबिया) अभी तक इसकी 5 चक्र की वार्ता हो गई है 9वें संयुक्त मंत्रालयीय आयोग की बैठक 19 मार्च,2015 को डरबन में हुई थी।

बिम्स्टेक एफटीए (बंग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैण्ड, भूटान और नेपाल): व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) की 20 बैठकें हो चुकी हैं। बिम्स्टेक की 20वीं व्यापार वार्ता समिति की बैठक 7 से 9 सितम्बर, 2015 को थाईलैंड की खोन खीन प्रोविनेंस में हुई थी।

भारत-कनाडा एटीए: भारत -कनाडा सीईपीए की अब तक 9 चक्र की वार्ता हो गई है। 9वें चक्र की वार्ता 1 मार्च, 2015 को ओटावा, कनाडा में हुई थी।

भारत-आस्ट्रेलिया सीईसीए: अब तक इसमें 9 चक्र की वार्ता हो गई है। 9वें चक्र की वार्ता 21 से 23 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में भारत में हुई थी।

आसियान 6 एफटीए भागीदारों (आस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, और न्यूजीलैण्ड) के बीच क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी करार (आरसीईपी): नवम्बर,2012 में आसियान समिति में अग्रगणी देशों द्वारा की गई घोषणा के आधार पर 10 आसियान सदस्य राज्यों और इसके 6 एफटीए भागीदारों के बीच मई, 2013 में वृहद आर्थिक भागीदारी पर बातचीत शुरु की गई1 अब तक इस पर 10 चक्र की वार्ता हो गई है। 10 वें चक्र की वार्ता 8 से 16 अक्तूबर, 2015 को बूसान कोरिया में हुई थी। इस बातचीत में व्यापार के कई क्षेत्र जैसे कि - माल, सेवा, निवेश बौद्धक सम्पदा, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और विधिक एवं संस्थागत मुद्दों को शामिल किया गया था।

भुगतान संतुलन विकास

भुगतान संतुलन की समीक्षा

4.27 2014-15 के बाहरी क्षेत्रीय परिणाम और 2015-16 के एच-1 से लगातार पता चल रहा है कि व्यापार और चालू लेखा घाटा में स्थिति सामान्य है तथा इसमें पर्याप्त रुप से वित्त पोषण हुआ है। ऐसा मुख्य रुप से विश्व में कच्चे तेल और सरसों की कीमतों में आई गिरावट की वजह से हुआ है। विश्व की धीमी प्रगति के कारण न केवल वाणिज्यिक निर्यात पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि इस अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष अतिरेक में मामूली वृद्धि हुई है। 2013-14 में सीएडी को वित्तपोषित सरकार द्वारा दिए गए अपवाहकि विशेष स्वाप सुविधा के परिणाम स्वरुप 2013-14 में 38.9 बिलियन अमेरीकी डॉलर के उच्च स्तर को समायोजित करने के लिए 2014-15 में एनआरआई जमा का स्तर 2012-13 के उच्च सामान्य स्तर के साथ मुख्य रुप से तलनीय 2014-15 में पूंजी वित्त आवक (निबल) 88.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर था जो मुख्यत: निवेश प्रवाह की वजह से हुआ1 निम्न सीएडी के साथ उच्चतर पूंजी वित्तीय प्रवाह के परिणाम स्वरुप 2014-15 में अनुवृद्धि कर मुद्रा भंडार (61.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर) हो गई।

4.28 वर्ष 2015-16 के पूर्वार्द्ध में वस्तु निर्यात में गिरावट होने के बावजूद भी भारत के विदेशी क्षेत्र की स्थिति सहज स्थिति में है। कुछ महत्वपूर्ण विदेशी गतिवधियां इस प्रकार है (1) निम्न व्यापार घाटा और अदृश्य मदों में सहज वृद्धि के परिणाम स्वरुप निम्नतर सीएडी (2) एफडीआई आवकों और एनआरआई जमाओं मे सतत वृद्धि (3) पोर्टफोलियो नविश का निवल निर्वाह था। यद्यपि पोर्टफोलियो निवेश के अन्तर्गत निवल निर्वाह तथा पूंजी वित्तीय आवकी सीएडी से अधिक थे तथा आरबीआई क्षरा उसकार आमेलन से आरक्षति मुद्रा भंडार में अनुवृद्धि हुई1

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के पूर्वार्द्ध में चालू खाता संबंधी गतिविधियां

4.29 वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के पूर्वार्द्ध (एच 1) में माल निर्यात में क्रमश: 0.6 प्रतिशत तथा 17.6 प्रतिशत की गिरावट आई1 पीओएल निर्यातों में गिरावट निर्यातों में समग्र गिरावटों का मुख्य कारण था। पेट्रोलियम तेल उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय दामों में वर्ष 2014-15 में 20.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 के पूर्वार्द्ध में 46.6 प्रतिशत की गिरावट आने की वजह से पीओएल के निर्यातों में 2014-15 में 10.2 प्रतिशत तथा 2015-16 के पूर्वार्द्ध में 50.0 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी प्रकार माल आयातों में भी वर्ष 2014-15 और 2015-16 के पूर्वार्द्ध में वर्षों क्रमश: 1.0 प्रतिशत

तथा 13.4 प्रतिशत की गिरावट हुई1 यहां पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्ट (पीओएल) आयातों का फिर से निम्नतर स्तर कुल आयातों में गिरावट के लिए मुख्य कारण था। पीओएल के आयातों में वर्ष 2014-15 में 16.0 प्रतिशत तथा 2015-16 के पूर्वार्द्ध में 41.5 प्रतिशत की गिरावट आई। निर्यात और आयात दोनों में गिरावट के परिणाम स्वरुप व्यापार घाटा वर्ष 2013-14 में 147.6 बिलियन अमेरीकी डॉलर से गिरकर वर्ष 2014-15 में 144.9 बिलियन अमेरीकी डॉलर तथा 2015-16 के पूर्वार्द्ध में 7.6 बिलियन अमेरीकी डॉलर आ गई। जीडीपी अनुपात के रुप में व्यापार घाटा 2014-15 में 7.1 प्रतिशत था जो 2006-07 से सबसे कम था। वर्ष 2015-16 के पूर्वार्द्ध में जीडीपी अनुपात के रुप में व्यापार घाटा 2014-15 के पूर्वार्द्ध में 7.5 प्रतिशत की तुलना में 7.2 प्रतिशत था।

4.30 अदृश्य लेख में सेवाओं का निर्यात 4.0 प्रतिशत बढकर 2014-15 में 157.7 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया1 2015-16 में पहली छमाही के दौरान सेवा निर्यात 0.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 77.0 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया जबकि 2014-15 में 3.3 प्रतिशत से बढकर 81.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया। 2015-16 की पहली छमाही मे यह 4.2 प्रतिशत से वढ़कर 41.7 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया जबकि 2014-15 की पहली छमाही में 40.0 बिलियन अमेरीकी डॉलर था1 निवल सेवा निर्यात ने व्यापार घाटे को संतुलित करने का प्रयास किया और 2013-14 में 73.0 बिलियन अमेरीकी डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 76.6 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया1 तथापि निवल सेवा निर्यात 2015-16 की पहली छमाही में कम होकर 35.3 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया जबकि 2014-15 की पहली छमाही में यह 36.5 बिलियन हो गया। सेवा आयात के मुकाबले सेवा निर्यात में वृद्धि अपेक्षाकृत तथा 4.2 के कारण ऐसा हुआ।

4.31 निवल आय, भारत में पूंजी प्रवाह स्टाक के व्याज लाभांश के कारण वही प्रर्वाह है। निवल आय बढ़ रही है और 2009-10 में 8.0 बिलियन अमेरीकी डॉलर से बढ़कर 2014-15 में यह 24.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गई। 2015-16 की पहली छमाही के दौरान यह कम होकर 10.5 बिलियन अमेरीकी डॉलर पर आ गई जबकि 2014-15 की पहली छमाही में 13.0 बिलियन अमेरीकी डॉलर थी। कम वैश्विक वृद्धि और कच्चे तेल की गिरती कीमतों के परिणामस्वरुप निवल निजी अंतरण, अधिकांशत विप्रेषण के रुप में, 0.8 बिलियन अमेरीकी डॉलर की आंशिक वृद्धि के साथ 2014-15 में 66.3 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया1 2015-16 की पहली छमाही के दौरान आंशिक गिरावट के साथ यह 32.7 बिलियन अमेरीकी डॉलर पर आ गया जबकि पिछले वर्ष की तदनुरुप अवधि में यह 33.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर था1

4.32 निवल अदृश्य अधिशेष लगभग 3.0 बिलियन अमेरीकी डॉलर की वृद्धि के साथ 2014-15 में 118. 1 बिलियन अमेरीकी डॉलर पर आ गया1 2014-15 की पहली छमाही की तुलना में निवल अदृश्य लगभग 1.0 बिलियन अमेरीकी डॉलर की आंशिक वृद्धि के

चित्र 4.3 वर्तमान लेखाशेष (अमेरिकी डालर में) के घटक

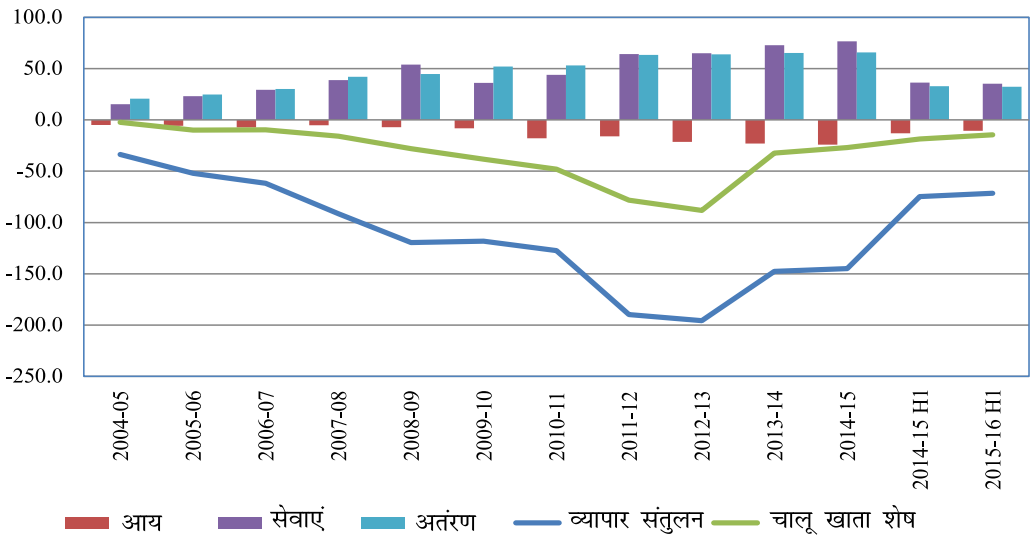

स्रोत: **भारतीय रिजर्व बैंक**

साथ 2015-16 की पहली छमाही में 57.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया1 अदृश्य अधिशेष में अपेक्षा से कम वृद्धि और कम व्यापार घाटा की वजह से चालू खाता घाटा (सीएडी) कम अर्थात 2014-15 में 26.8 बिलियन अमेरीकी डॉलर(स.घ.3 का 1.3 प्रतिशत) तथा 2015-16 की पहली छमाही मे 14.4 बिलियन (सं. घ. 3 का 1.4 प्रतिशत) बिलियन अमेरीकी डॉलर रहा। चित्र (4.3)

4.33 भारतीय रिजर्व बैंक ने आईएमएफ के भुगतान शेष नियम पुस्तिका (बीपीएम6) में दिए गए भुगतान शेष संशोधित प्रारुप एवं पुराने प्रारुप दोनों में प्रस्तुत किया है। दोनों सैटों में सीएडी स्तर पर कुछ अंतर है। समझने एवं तुलना करने के लिए 2011-12 से 2014-15 एवं 2014-15 एवं 2015-16 के प्रथम पूर्वार्ध के भुगतान शेष विकास की प्रमुख विशेषताएं पुराने प्रारुप के अनुसार तालिका 4.3 में दी गई हैं1

तलिका 4.3 भुगतान शेषः सार

अमेरीकी डॉलर बिलियन में

		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 आ.स	2014-15 H1 (अप्रै.-सितं. 2014) (अ.)	2015-16 H1 (अप्रै.-सितं. 2015) (अ.)
I	**चालू खाता**						
i	निर्यात	309.8	306.6	318.6	316.5	164.6	135.6
ii	आयात	499.5	502.2	466.2	461.5	239.4	207.2
iii	व्यापार संतुलन	-189.8	-195.7	-147.6	-144.9	-74.7	-71.6
iv	अदृश्य (निवल)	111.6	107.5	115.2	118.1	56.3	57.2
	(क) सेवाएं	64.1	64.9	73.0	76.6	36.5	35.3
	(ख) अंतरण	63.5	64.0	65.3	65.7	32.8	32.4
	(ग) आय	-16.0	-21.5	-23.0	-24.1	-13.0	-10.5
	चालू खाता शेष	-78.2	-88.2	-32.4	-26.8	-18.4	-14.4
II	पूंजी खाता						
i	बाह्य सहायता	2.3	1.0	1.0	1.7	0.7	0.2
ii	ईसीबी (बाह्य वाणिज्यिक उधार)	10.3	8.5	11.8	1.6	0.8	-0.9
iii	अल्कालिक श्रण	6.7	21.7	-5.0	-0.1	-1.4	-1.2
iv	बैंकिंग पूंजी जिसका	16.2	16.6	25.4	11.6	-0.5	18.3
	अनिवासी जमा	11.9	14.8	38.9	14.1	6.5	10.1
v.	विदेशी निवेश	39.2	46.7	26.4	73.5	37.3	7.9
	(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	22.1	19.8	21.6	31.3	15.1	16.7
	(ख) पोर्टफोलियो निवेश	17.2	26.9	4.8	42.2	22.2	-8.7
vi.	अन्य प्रवाह	-7.0	-5.1	-10.8	1.0	-0.4	1.0
	पूंजी खाता शेष	67.8	89.3	48.8	89.3	36.4	25.4
III	**भूल-चूक सहित**	-2.4	2.7	-0.9	-1.1	0.1	-0.4
	Capital Account Balance (including errors & omissions)	65.3	92.0	47.9	88.2	36.5	24.9
IV	**समग्र शेष**	-12.8	3.8	15.5	61.4	18.1	10.6
V	**प्रारक्षित निधि में परिवर्तन** (-) बढ़त को दर्शाता है (+) घटत को दर्शाता है	12.8	-3.8	-15.5	-61.4	-18.1	-10.6

***स्रोतः* भारतीय रिजर्व बैंक**

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के प्रथम पूर्वार्ध में पूंजी/वित्त लेखा उपलब्धियां

4.34 भुगतान शेष के पूंजी वित्त लेखों के अंतर्गत विदेशी निवेश एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) एवं पोर्टफोलियो निवेश शामिल हैं। वर्ष 2013-14 के निवल विदेशी निवेश 26.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान हुए 73.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से इसमें अत्यधिक उछाल आया है।

4.35 विदेशी निवेश में हुई अत्यधिक वृद्धि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं पोर्टफोलियों निवेश दोनों में वृद्धि के कारण हुई है। व्यापक अर्थ में वर्ष 2014-15 में एफडीआई के अंतर्गत अंतर्वाह 35.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2014-15 में निवल एफडीआई (भारत में निवल एफडीआई तथा निवल बहिर्वाह एफडीआई 31.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर अब तक का सर्वाधिक निवेश है (2008-09 में 22.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर)1 इसी प्रकार वर्ष 2014-15 के निवल पेर्टफोलियो निवेश 42.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर ने भी सर्वोच्च स्थान हासिल किया है (वर्ष 2009-10 में 32.4 बिलियन अमरिकी डॉलर वर्ष 2015-16 के प्रथम पूर्वार्ध में हुए निवल विदेशी निवेश 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2014-15 के प्रथम पूर्वार्ध के निवल विदेशी निवेश 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में गिरावट आई है। वर्ष 2014-15 के प्रथम पूर्वार्ध के निवल अंतर्वाह 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष संस्थागत 2015-16 के पूर्वार्ध में 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह निवेश दर्ज किया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआई आई) का निवेश पोर्टफोलियों निवेश का प्रमुख घटक है तथा चित्र 4.4 में एफआईआई का माहवार उतार-चढाव दिया गया है। यह नोट करना निदेशात्मक होगा कि अस्थिरता एवं जोखिम अप्रवर्तन के होते हुए भी प्रवाह द्वि-दिशात्मक रहा है। वर्ष 2014-15 के प्रथम पूर्वार्ध में 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2015-16 के प्रथम पूर्वार्ध का निवल एफडीआई 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

4.36 विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पूंजी वित्त लेखा की अन्य मद हैं। तथा विदेशी निवेश से अपेक्षाकृत कम अस्थिर है। वर्ष 2013-14 की निवल ईसीबी 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2014-15 का निवल वाणिज्यिक उधार 1.6 बिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 2015-16 के प्रथम पूर्वार्ध में ईसीबी ने 0.9 बिलियन अमेरिकी डालर का बहिर्वाह दर्ज किया है। पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के अपवादिक उपाय के रूप में आरबीआई की विशेष अदला-बदली(स्वैप) सुविधा के रहते एनआरआई जमा वर्ष 2013-14 में 38.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2014-15 में अनिवासी भारतीय जमा 14.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना

चित्र 4.4 अप्रैल 2013 से जनवरी 2016 तक एफआईआई निवेश की प्रवृतियां
(बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

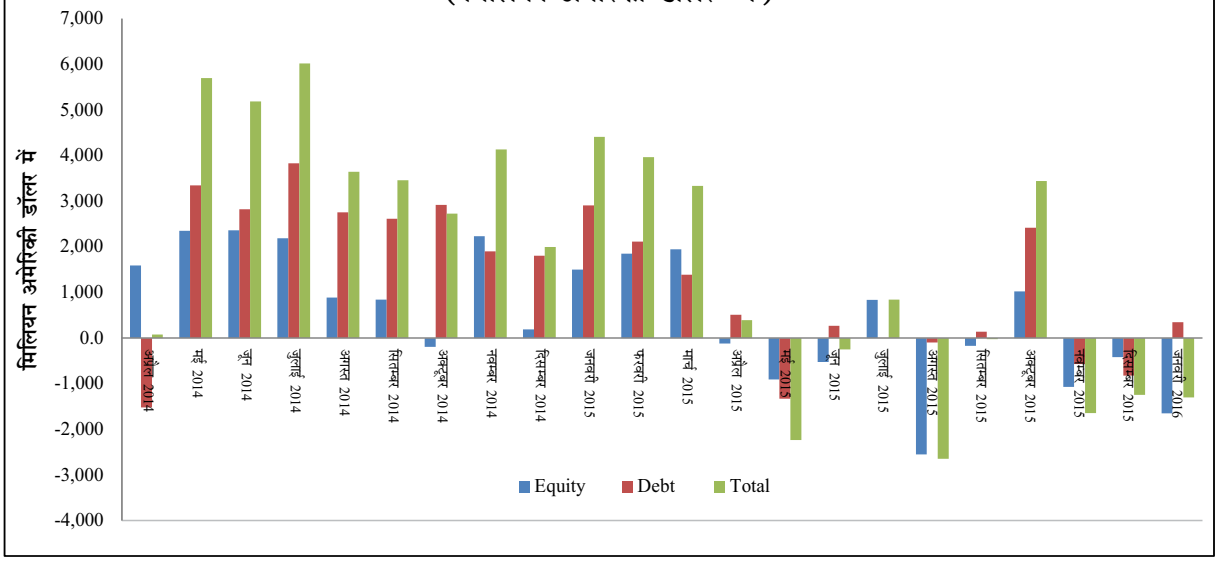

स्रोत: सेबी

में यह वर्ष 2015-16 के पूर्वार्ध में 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई।

4.37 वर्ष 2014-15 का निवल पूंजी प्रवाह 88.2 बिलियन अमरिकी डॉलर अब तक का दूसरा अधिकतम प्रवाह था1 वर्ष 2007-08 का 107.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह उच्चतम प्रवाह था। 2014-15 के दौरान निवल पूंजी प्रवाह सघद का 4.3 प्रतिशत था (2013-14 के 2.6 प्रतिशत की तुलना में) वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के 36.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना मे 2015-16 के प्रथम पूर्वार्ध का पूंजी/वित्त प्रवाह 24.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। चालू खाता घाटे के निम्न स्तर (सीएडी) ने पूंजी अतर्वाह की भारी वृद्धि से मिलकर वर्ष 2014-15 की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 61.4 बिलियन अमरिकी डॉलर की उच्च अनुवृद्धि हुई है। यह चीन की अर्थव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र तथा मुद्रा के विकास और प्रत्याशा की चिंताओं पर वैश्विक वित्त बाजार में उथल-पुथल शुरु होने से पहले, प्रारंभिक राजकोषीय भागों के माध्यम से लघु रुप में जारी रहा। अत: वर्ष 2015-16 के प्रथम पूर्वार्ध में भी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुवृद्धि भी हुई।

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि:

4.38 विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का स्तर भुगतान शेष आधार पर प्रारक्षित निधि में परिवर्तन तथा साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित परिसंपत्तियों में मूल्यांकन परिवर्तनों के कारण परिवर्तित हो सकता है। जैसकि तालिका 4.4 जो विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के परिवर्तनों के अंतरालों को दर्शाती है, से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2011-12 के वर्षों में आए संकटों के अपवाद के साथ, प्रारक्षित विदेशी मुद्रा संचयन की स्थिति मे है जो कि चालू लेखे की आवश्यकताओं पर वित्तीय प्रवाह की अधिकता को दर्शाती है। वर्ष 2015-16 के पूर्वाध में भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि भुगतान शेष आधार पर (अर्थात् मूल्यांकन प्रभावों को छोडकर) 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढी है, जबकि मामूली रुप में (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव सहित) वृद्धि केवल 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ही हुई थी। मूल्यांकन की हानि मुख्यत: मुख्य मुद्राओं के विरुद्ध अमरिकी डॉलर की वृद्धि और सोने के अतर्राष्ट्रीय मूल्य में आई गिरावट को प्रदर्शित करती है।

4.39 चालू खाता घाटे वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है जिनके पास अधिकतम विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि है। 05 फरवरी, 2016 को भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां 351.5 बिलियन अमरिकी डॉलर इसमें मुख्यत: 328.4 बिलियन अमरिकी डॉलर राशि की विदेशी मुद्रा परिसम्पतियां है जो कि कुल राशि का लगभग 93.4 प्रतिशत है। 17.7 बिलियन अमरिकी डॉलर का सोना विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में दूसरा सबसे बडा घटक था1 आई एमएफ में विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं प्रारक्षित ट्रांस की क्रमश: भागीदारी 4.0 बिलियन अमरिकी डॉलर एवं 1.3 बिलियन अमरिकी डॉलर थी1 वर्ष 2015-16

तालिका 4.4 : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में परिवर्तनों का सार

क्रम सं.	वर्ष	वित्तवर्ष (मार्चान्त) की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा भण्डार	मुद्रा-भण्डार में कुल वृद्धि (+) कमी (-)	भुगतान संतुलन के आधार मुद्रा-भण्डार में वृद्धि/कमी	मूल्यांकन के प्रभाव के कारण मंडल में वृद्धि/कमी
1	2006-07	199.2	47.6	36.6	11.0
2	2007-08	309.7	110.5	92.2	18.3
3	2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.6
4	2009-10	279.1	27.1	13.4	13.7
5	2010-11	304.8	25.8	13.1	12.6
6	2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
7	2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
8	2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
9	2014-15	341.6	37.4	61.4	-24.0
10	End-Sept. 2015	350.3	8.7	10.6	-1.9

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

की प्रारक्षित निधियों में वृद्धि होने से सभी पारंपरिक प्रारक्षित निधि आधारित बाह्य सेक्टर सुभेद्यता सूचकों में सुधार आया है। उदाहरण के लिए, अल्पकालिक बाह्य ऋण एवं प्रारक्षित निधि के अनुपात में मार्च 2015 के अंत से सितम्बर 2015 के अंत तक 25.0 प्रतिशत से 24.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है, आयात का प्रारक्षित निधि कवर मार्च 2015 के अन्त से सितम्बर 2015 के अन्त तक कवर की अवधि 8.9 माह से बढ़कर 9.8 माह हो गई है।

विनियम दर

4.40 रुपए की औसत वार्षिक विनिमय दर वर्ष 2012-13 के 54.4 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2013-14 में 60.5 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर तक तेजी से घटी है तथा यह वर्ष 2014-15 मुख्यत: 61.1 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रही। 28 अगस्त 2013 में रुपया 68.4 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर के निम्नतम स्तर तक गिर गया1 वर्ष 2014-15 में यद्यपि रुपए के मूल्य में डॉलर की तुलना में 1.0 प्रतिशत की गिरावट आई है परन्तु यह अन्य मुद्राओं के मुकावले मजबूत हुई है। उदाहरण के लिए इसने वर्ष 2014-15 जापानी येन एवं यूरो के मुकाबले क्रमश: 8.2 प्रतिशत एवं 4.7% की वृद्धि हुई है।

4.41 वर्ष 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 60.92 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में रुपये की औसत विनिमय दर घट कर 65.04 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर रह गई। अमेरीका डॉलर के मुकावले भारतीय रुपए की गिरावट का कारण डॉलर का प्रमुख मुद्राओं के प्रति मजबूत होना था चूंकि अमेरीकी में विकास अधिक हुआ है। इसके साथ-साथ यह भी तथ्य है कि इस वर्ष चीन की मुद्रा एवं विकास में गिरावट आई है जिसने वैश्विक निवेशकों के जोखिम प्रतिकूलता अवधारणा के कारण अन्य ईएमडीई के पर्यवक्षण को प्रभावित किया है। रुपया घरेलू एवं वैश्विक उपलब्धियों के संयोजन से संकेत पर परिवर्तन जांच का साक्षी बना है जिसमें निर्यात का संकुचन पर्यवेक्षक संबंधी सरोकारों के पोर्टफोलियो बहिर्वाह एवं अन्य सरोकार तथा अमेरिकी की मौद्रिक नीति के साथ रणीकरण की क्रार्मिक प्रक्रिया तथा वैश्विक बांड बाजार में कम दर पर बेचना शामिल है। अगस्त 2015 के आरंभ तक रुपया 62.16 से 64.7 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की बहुत कम रेंज में रहा। हालांकि 11 अगस्त में चीनी आरएमबी के अवमूल्यांकन एवं 24 अगस्त को चीनी स्टॉक मार्केट के ढहने के कारण रुपया मध्य अगस्त के 65 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर से अगस्त अंत आने तक 66 रुपये से अधिक रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर के तोड़ कर दवाब में आ गया। सितम्बर 2015 में रुपया स्थिर हो गया तथा बहु कम रेंज में कारोबार किया। परन्तु अक्टूबर से दिसम्बर 2015 तक रुपये में पुन: गिरावट आई। वास्तव में रुपया 12 फरवरी 2016 में 68.44 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर तथा नीचे गिर गया जोकि अगस्त 2013 से अब तक निम्नतम स्तर है। अत: वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमुख मुद्राओं के मुकावले अमरिकी डॉलर की वृद्धि की सामान्य

चित्र 4.5 अमरीकी डॉलर, यूरो एवं पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले रुपए का उत्तार-चढ़ाव

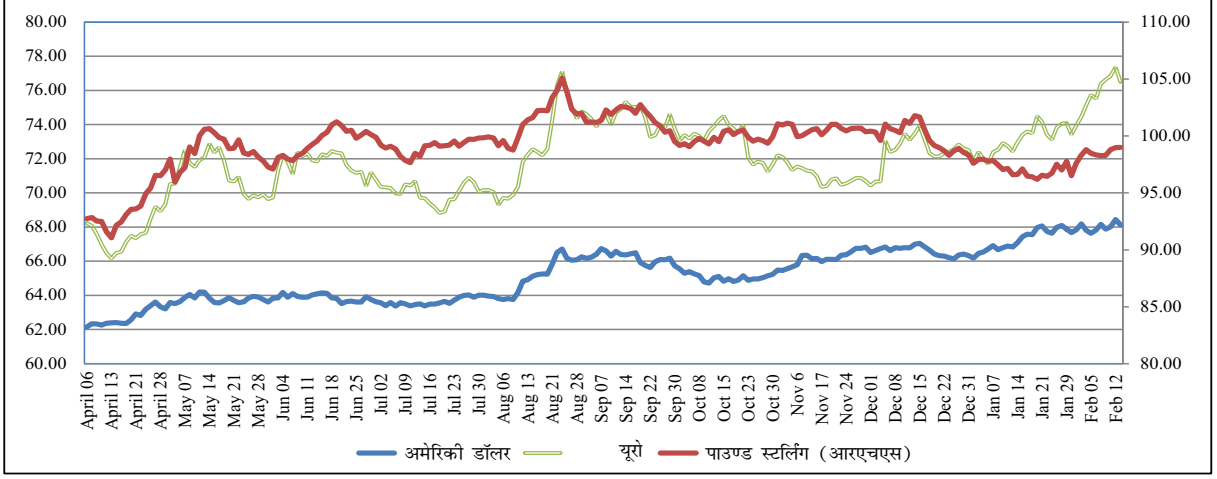

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

चित्र 4.6 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) की तुलना में 2015-16 (अप्रैल-जनवरी), में अमरीकी डॉलर की तुलना में मुद्रा का अवमूल्यन

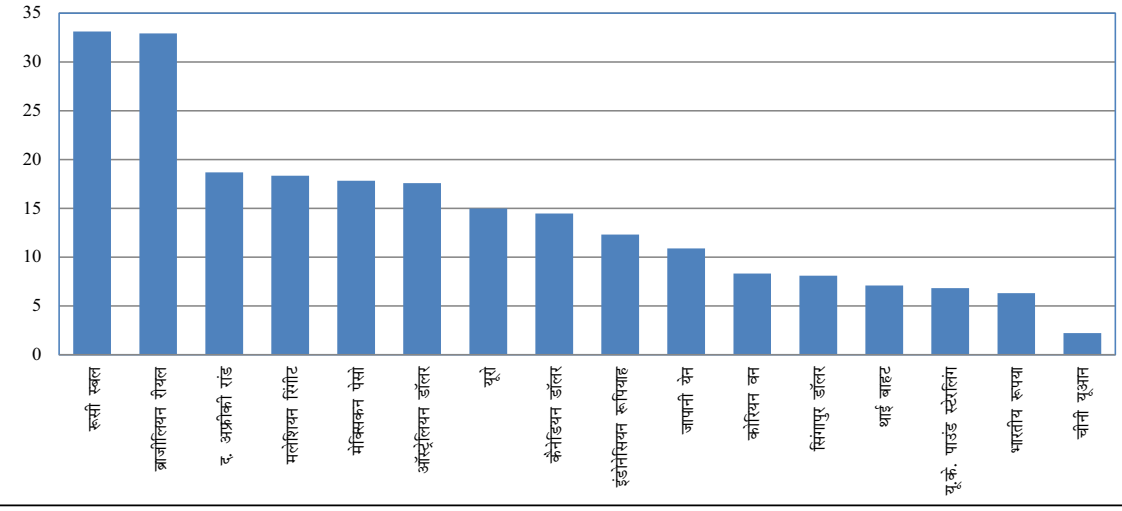

***स्रोतः* आईएमएफ**

प्रवृति तथा अतंर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की अनिश्चितता एवं परिवर्तनशीलता ने रुपया डालर विनिमय दर में गिरावट दर्ज की है। यद्यपि सितम्बर 2015 में रुपए ने यूरो एवं पाउण्ड स्टर्लिंग के मुकाबले वृद्धि दर्ज की है। (चित्र 4.5) परन्तु यह नोट करना भी निदेशात्मक होगा कि वर्ष 2015-16 में अब तक रुपए ने अधिकांश उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (चीन के युवान को छोडकर) की मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। (चित्र 4.6)

4.42 वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता का बेहतर सूचक है क्योंकि साझेदारों के नाम मात्र की विनिमय दरों के बास्केट के अलावा यह पूरे देशों में मुद्रा स्फीति के अन्तरों को बतलाता है।

बॉक्स 4.5 कुछ चयनित सेक्टर में विनिमय दर अस्थिरता का प्रभाव

भारत में व्यापार पर विनियम दर और विनिमय दर अस्थिरता के प्रभाव पर किए गए अनुसंधान के अध्ययनों से वर्तमान अनुभवजन्य साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः अनुसंधान से हम पाते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सकारात्क, नकारात्क या विनिमय दर अस्थिरता का कोई प्रभाव नहीं होता है जोकि विभिन्न विचाराधीन अनुमानों तथा कुछ मामलों में रोक कर रखने पर आधारित है।

हालाकि, कुछ साक्ष्य यह है कि विनिमय दर को अस्थिरता का प्रभाव भिन्न-भिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रकों एवं फार्मों में है।भारतीय विनिर्माण फार्मों के 2000 से 2012 के कार्य निष्पादन पर वास्तविक विनियम दर परिर्तनों के प्रभाव का अधृयन करने हेतु धसमना (2013) औद्योगिक विशिष्ट वास्तविक विनिमय सूचियों का प्रयोग करता है। अध्ययन से प्राप्त मुख्य उपलब्धियाँ यह है कि कुछ समय के लिए वास्तविक विनिमय दर परिवर्तन आयात लागत जल के माध्यम से फार्म के स्तरीय निष्पादन को प्रभावति करता है किन्तु यह निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता चैनल को प्रभावित नहीं करता है। वास्तविकता यह है कि आयात लागत चैनल कुछ समय के लिये प्रभावी है और यह बतलाता है कि वास्तविक मूल्य ह्रास के सोपान कम से कम कुछ समय के लिए वास्तविक उत्पादन वृद्धि में संकुचन बतलाता है। इस अध्ययन ने विभिन्न उद्योगों के लिए वास्तविक विनियम दर की तुलना में उत्पादन वृद्धि के लोच का भी परकिलन किया। उत्पादन के लोच को एक सकारात्मक संकेत आयातित वस्तुओं के बढी लागत की वजह से वास्तविक मूल्य ह्रास में उत्पादन वृद्धि में कमी बतलाता है। अध्ययन ने यह पता चला कि रासायनिक उद्योंगों में वास्तविक विनिमय दर (एक प्रतिशत वास्तविक मूल्य ह्रास से उत्पादन वृद्धि ओसतन फार्मों के लिए 12.5 आधार अंक की कमी हुई) की तुलना में उत्पादन वृद्धि का लोच उच्च्तम है जबकि जूता उद्योंगों का लोच (0.38) सबसे कम है। उत्पादन लोच जैसे कुछ सेक्टर निम्न है:- रबड(9.8), सूती वस्त्र (4.8), प्लास्टिक (5.4), धातु और धातु उत्पाद (5.1)

भिन्न-भिन्न सेक्टर में आर.ई.ई.आर का प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है। पेट्रालियम उत्पाद (खपत किया गया 86.2 प्रतिशत कच्चा माल) और रसायन एवं रसायनिक उत्पाद (77.4 प्रतिशत) जैसे उच्च आयात सद्यनता क्षेत्रकों में मूल्य ह्रास की वजह से अधिक प्रभावित है क्योंकि कमजोर रुपया आयातित वस्तुओं के मूल्य को बढा देता है। कम आयात सघनता वाले सेक्टर हमेशा लाभदायक स्थिति में रहता है विशेषकर अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में दाम के मामले में। आरबीआई के कार्य पत्र 2012 का शीर्षक में उपयोगिता - आधारित औद्योगिक उत्पादन पर विनिमय दर अस्थिरता के प्रभाव से यह पता लगा कि पूंजीगत वस्तु मूल्य वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु सेक्टर जैसे आईआईपी के घटक 36 देशों के वास्तविक प्रभावी विनियम दरों के महत्वपूर्ण उतरा-चढाव से प्रतिकूल रुप से प्रभावति हुआ है। वास्तविक विनिमय दर अस्थिरता

जारी....

का प्रभाव मूल वस्तु क्षेत्रकों पर कम है। हालाकि, उपभोक्ता वस्तु सेक्टर जिनमें यात्री कार, परिधाान, प्रतिरक्षी और चिनी जैसे मदें सम्मिलित है जिसमें काफी अधिक वजन है वे अपने निम्न आयात अन्तर्वस्तु और घरेलू मांग के प्रचुरता की सहायता से हुए उत्पादन की वजह से आरईईआर अस्थिरता से अधिक प्रभावित नहीं है। दूसरी तरफ, पूंजीगत वस्तु आयात पर निर्भर करते है और इसलिए, विनिमय दर और सापेक्ष कीमतों दोनों में अप्रत्याशित परिवर्तनों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए तटस्थ (या संतुलित) वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को आवधिक समीक्षा करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ:

ढश्मना अनुभव 2013 – विनिर्माण सेक्टर निष्पादन में वास्तविक विनिमय दर परिवर्तनों का पारेषण कार्य पत्र संख्या 435 आईआईएमबी

आरबीआई कार्य पत्र श्रृंखला संख्या डब्ल्यूपीएस (डीईपीआर) 05/2014। भारत में उपयोगिता आधारित औद्योगिक उत्पादन पर वास्तविक विनिमय दर अस्थिरता का प्रभाव।

4.43 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) तथा 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान एनईईआर (व्यापार भार 36 मुद्राएं) और आरईईआर (व्यापारिक आर 36 मुद्राएं) क्रमश: 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया। वास्तविक प्रभावी रुप में रुपया प्रारंभिक 2014 के बाद से निरंतर बढा है और नाममात्र प्रभावी रुप में रुपए का उतर चढाव किसी महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव क्रम (चित्र 4.7) को प्रदर्शित नहीं करता है। आरईईआार भी इसके वास्वतिक मूल्य के लिए मुद्रा के सरेखण का एक सामान्य माप है जिसे सूची के आधार वर्ष स्तर के ध-5 प्रतिशत से अधिक और कमी के द्वारा हमेशा दर्शाया जाता है। (बॉक्स 4.5)

विदेशी ऋण

4.44 वैश्विक आर्थिक माहौल में, स्थिरता ऋण चुकाने की क्षमता और नकदी पर बल देते हुए भारत के विवेकपूर्ण विदेशी ऋण नीतियों एवं प्रबंधन ने विदेशी ऋण के बढते आकार को सामान्य स्तर तक लाने में सफल हुई है। विदेशी ऋण का संघटन भी एक सुव्यवस्थित दीर्घकालीन परिपक्व प्रोफाइल और स्रोतों के रुप में विस्तृत संतुलित बतलाते है। वित्तीय वर्ष के आधाार पर मार्च 2015 के समाप्ति पर भारत का समग्र विदेशी ऋण स्टॉक 475.2 बिलियन अमरकी डॉलर का था जो कि मार्च 2014 के तुलना में 29.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (6.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2015 के अन्त में विदेशी ऋण में हुई वृद्धि वाणि ाज्यिक उधार विशेषकर वाणिज्यिक बैंक ऋण और प्रतिभूत उधार और अनिवासी भारतीय जमाओं के कारण हुई थी। विदेशी वाणिज्यिक उधार भारत के विदेशी ऋण का महत्वपूर्ण मात्रात्क निर्धारक है और एकल सबसे बड़ा घटक है। ईसीबी के प्रवृति वर्तमान नीति परिवर्तनों को महत्वपूर्ण रुप से लिखा जा सकता है। इसमें वर्णित

चित्र 4.7 एनईईआर और आरईईआर के सूचियों में उतार-चढाव
(व्यापार आधारित 36 मुद्राएं)

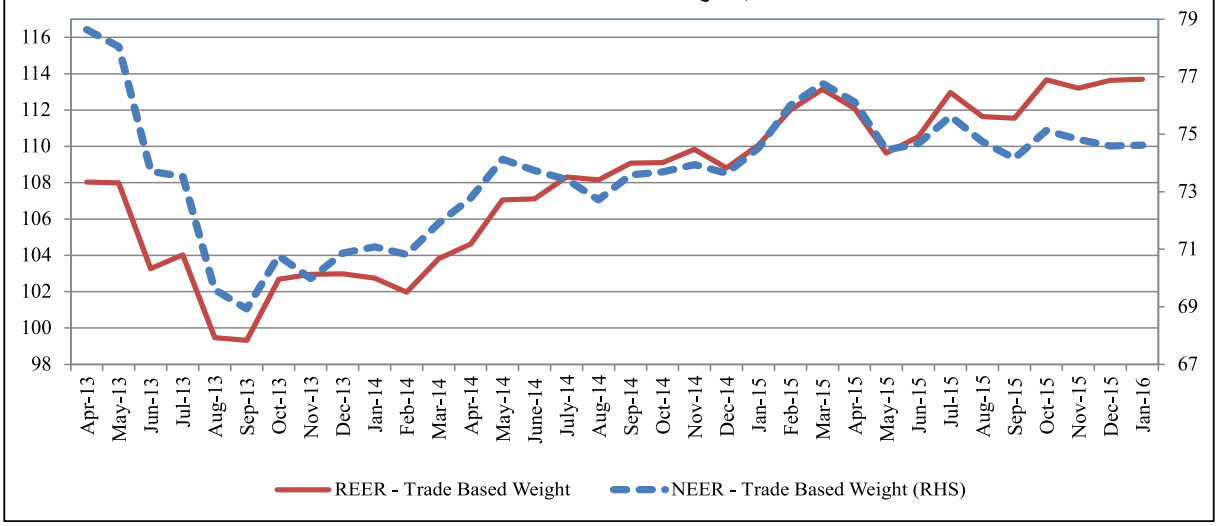

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक**

उधार राशि के प्राप्ति, सिमाओं के आबंटन प्रक्रिया का उदारीकरण, आरक्षित मुद्रा प्रभावक के अनुवीक्षण के लिए आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई, पूंजी और आरक्षित विदेशी मुद्रा प्रभावक के साथ कंपनियों के प्रकटन के लिए व्यवस्था की है तथा ईसीबी हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण पर आरबीआई द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश सम्मिलित है। मार्च 2015 के अन्त में दीध ाविधि विदेशी ऋण 389.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मार्च 2014 के दौरान 10.0 प्रतिशत की वृद्धि की थी जब कि अल्पावधि ऋण में 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई। परिशिष्ट 8.4 (क) और परिशिष्ट 8.4 (ख) क्रमश: भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर में भारत के बकाया विदेशी ऋण के संबंध में अलग-अलग घटकों के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।

4.45 उपलब्ध नीवनतम ऑकडों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में, भारत का विदेशी ऋण भंडार मार्च 2015 के अन्त के स्तर से 8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1.7 प्रतिशत) बढ़कर सितम्बर 2015 के अन्त में 483.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस अवधि के दौरान विदेशी ऋण में वृद्धि का कारण अधिक दीर्घावधि ऋण विशेषकर वाणिज्यिक उधारे और एनआरआई जमाराशि थी। तथापि अनुक्रमिक आधार पर कुल विदेशी ऋण सितम्बर, 2015 के अन्त में जून 2015 में 291 मिलियन अमरीकी डालर तक कम हो गया। भारत के विदेशी ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल दीर्घावधि उधारों की अधिकता की ओर संकेत करता है। मार्च 2015 के अन्त में 82.0 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर 2015 के अन्त में दीर्घावधि ऋण कुल विदेशी ऋण का 82.2 प्रतिशत बैठता था। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण का अनुपात मार्च 2015 के अंत में 18 प्रतिशत से घटकर सितम्बर 2015 के अंत में 17.8 प्रतिशत रह गया1 भारत के विदेशी ऋण के संयोजन का ब्यौरा सारणी 4.5 में दिया गया है।

4.46 भारत के कुल विदेशी ऋण का मुद्रा संघटन यह दर्शाता है कि विदेशी ऋण भंडार में सितम्बर 2015 के अन्त में सबसे अधिक अनुपात 57.7 प्रतिशत बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसके बाद भारतीय रुपया (28.3 प्रतिशत), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) (5.8 प्रतिशत) का अनुपात आता है। सरकारी (सवरेन) ऋण का मुद्रा पैटर्न यह दर्शाता है कि एसडीआर मुद्रा मूल्यांकित ऋण का (31.7 प्रतिशत) पहले से बड़ा अनुपात रहता आया है जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) से उध ार यानि बहुपक्षीय वर्ग के तहत विश्व बैंक सरल ऋण विण्डों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएफएफ) द्वारा एसडीआर के आवंटनों के कारण है। सितम्बर 2015 के अंत में सरकारी (संवरेन) विदेशी ऋण 88.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मार्च 2015 के अन्त में 18.9 की तुलना में विदेशी ऋण में सरकार का हिस्सा सितम्बर 2015 के अन्त में 18.4 प्रतिशत था। सितम्बर 2015

सारणी 4.5 भारत के विदेशी ऋण का संघटन

कुल विदेशी ऋण की तुलना में प्रतिशत

क्र. सं.	संघटक	मार्च 2013	मार्च 2014 PR	मार्च 2015 PR	सितम्बर 2015 QE
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	बहुपक्षीय	12.6	12.0	11.0	11.0
2	द्विपक्षीय	6.1	5.5	4.6	4.5
3	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	1.5	1.4	1.2	1.2
4	निर्यात ऋण	4.3	3.4	2.7	2.4
5	वाणिज्यिक उधारें	34.2	33.5	38.0	37.7
6	एनआरआई जमाएं	17.3	23.3	24.2	25.2
7	रुपया ऋण	0.3	0.3	0.3	0.2
8	**दीर्घावधि ऋण (1 से 7)**	**76.4**	**79.4**	**82.0**	**82.2**
9	**अल्पावधि ऋण**	**23.6**	**20.6**	**18.0**	**17.8**
10	**कुल विदेशी ऋण (8 से 9)**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

टिप्पणी: पीआर आंशिक संशोधन क्यूई त्वरित अनुमान

स्रोत: वित्त मंत्रालय और आरबीआई

के अन्त में गैर सरकारी विदेशी ऋण 394.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

4.47 बहुत समय से भारतीय विदेशी ऋण भण्डार की रचना (संघटन) में संरचनात्मक बदलाव हुआ है। कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात वर्ष 1991-2000 में औसतन 42.9 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2001-10 के दौरान 28.1 प्रतिशत हो गया। आगे यह अनुपात 2011-2014 के दौरान 12.4 प्रतिशत हो गया। यह मार्चान्त तथा वर्ष 2015 के मार्च के अंत में 8.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015 के सितम्बर अंत में 8.7 प्रतिशत हो गया। सरकारी विदेशी ऋण कुल विदेशी ऋण में पहले से ही प्रभावित रहा है और इसके अनुपात को वर्षों से बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। गैर सरकारी ऋण जो कि वर्ष 1990 में कुल विदेशी ऋण का 45.3 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2000 में 65.6 प्रतिशत हो गया। पांच वर्षों में यह वार्षिक औसत 79.0 प्रतिशत था और वर्ष 2015 के सितम्बर के अंत में यह बढकर 81.6 प्रतिशत हो गया। मुख्य विदेशी ऋण सूचकांक तालिका 4.6 में दिए गए है:-

4.48 सितम्बर 2015 के अन्त में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने कुल विदेशी ऋण भंडार के 72.5 प्रतिशत को कवर किया जो वर्ष 2015 के मार्च के अंत में परस्पर 71.9 प्रतिशत था। विदेशी विनिमय भण्डार के लिए अल्पावधिक ऋण वर्ष 2015 के सितंबर माह के अंत में 24.6 प्रतिशत था जबकि 2015 के मार्च के अंत में 25.0 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण के लिए रियायती ऋण का अनुपात शीघ्र ही कम हो गया था यह सितंबर,2015 के अंत में 17.8 प्रतिशत पर आ गया जबकि मार्च 2015 के अंत मं यह 18 प्रतिशत था।

4.49 भारत की विदेशी ऋण सीमा जैसा कि स.घ.उ. हेतु विदेशी ऋण के माध्यम से दर्शाया गया है, काफी सुरक्षित स्थिति में रही है। जीडीपी का अनुपात 23.7 प्रतिशत रहा है तथा वर्ष 2014-15 में ऋण सेवा अनुपात 7.5 प्रतिशत रहा है। भारत सरकार की विवेकशील ऋण नीति ने भारत के विदेशी ऋण को एक सुरक्षित स्थिति प्रदान किया है तथा इसे सहूलियत योग्य सीमाओं में रखा है एवं इसमें विदेशी ऋण को बढाने हेतु प्रयास किया गया है। भारत सरकार द्वारा अपनायी गई विदेशी ऋण प्रबंधन नीति द्वारा अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक ऋण प्रबंधन का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरुप गारंटीकृत ऋण को रियायती शर्तों पर दीर्घावधिक अवधि की परिपक्वता पर बनाए रखा गया है। इसके साथ ही इसके द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ऋण) को अंतिम प्रयोग तथा लागत संबंधी सभी प्रतिबंधों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है तथा अप्रवासी भारतीय जमाओं को तर्कसंगत बनाया जा रहा है।

सारणी 4.6 भारत की महत्वपूर्ण विदेशी ऋण सूचकांक

(per cent)

वर्ष	विदेशी ऋण (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)	जीडीपी का कुल विदेशी ऋण	ऋण सेवा अनुपात	कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण	कुल विदेशी ऋण के विदेशी विनिमय प्रारक्षित	विदेशी विनिमय प्रारक्षित के अल्पकालिक विदेशी ऋण	कुल ऋण में अल्पकालिक विदेशी ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	360.8	20.5	6.0	13.3	81.6	26.6	21.7
2012-13	409.4	22.3	5.9	11.1	71.3	33.1	23.6
2013-14 आ.सं.	446.0	23.6	5.9	10.4	68.2	30.1	20.6
2014-15 आ.सं.	475.2	23.7	7.5	8.8	71.9	25.0	18.0
2015 के अंतिम तिमाही : सितंम्बर	483.2	-	-	8.7	72.5	24.6	17.8

नोट:- आ.सं. - आंशकि रुप से संशोधित; तिमाही के अंत में शेष वर्ष का हिसाब नहीं किया गया।
शीघ्र प्राक्कलन:- वर्ष के किसी अवधि में हिसाब न किया गया। अल्पावधिक ऋण मूल परिपक्वता अवधि पर आधारित है।
ऋण: सेवा अनुपात, विदेशी चालू प्राप्तियों के लिए सकल ऋण सेवा भुगतान का समानुपाती होता है (कार्यालयी अतरणों का योग)
श्रोत: वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक

अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

4.50 वर्ष 2014 हेतु, विदेशी ऋण के आंकड़ों वाला, विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी - 2016 पर आधारित विदेशी ऋणों के संबंध में देशों की परस्पर तुलना यह दर्शाती है कि भारत अभी भी कम भेदनीय देशों में बना हुआ है। भारत के ऋण के प्रमुख संकेतक अन्य ऋणी विकासशील देशों के मुकाबले बेहतर है। सकल राष्ट्रीय आय (जी.एन.आई.) 22.7 प्रतिशत पर भारत का विदेशी ऋण भंडार का अनुपात चौथे स्थान पर है। विदेशी ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली राशि के अनुसार, भारत का स्थान 65.5 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर था। (अतिरिक्त विवरण कृपया www.finmin.nic.in/report वेबसाईट देखें)।

05 अध्याय

मूल्य, कृषि और खाद्य प्रबंधन

वर्ष 2015-16 में वैश्विक वस्तु कीमतें कमजोर बनी रहीं। कच्चे तेल, धातुओं और यहाँ तक की अन्न की कीमतें कुछेक अवधियों में उछालों के बावजूद पूरे विश्व में गिरी हैं। भारत के कच्चे तेल के समूह में अपने प्रत्यक्ष और दूसरे दौर के प्रभाव से मूल्य में भारी गिरावट ने लगातार दूसरे वर्ष सामान्य मुद्रास्फीति की गिरावट में अंशत: योगदान किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) श्रंखला के आधार पर शेष मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत की तुलना में गिरकर अप्रैल - जनवरी 2015-16 के दौरान 4.9 प्रतिशत रह गई। इस वर्ष मानसून के औसत से कम रहने के परिणामस्वरूप वर्ष के उत्तरार्ध में दालों और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में छुटपुट वृद्धि के बावजूद सरकार दक्ष खाद्य प्रबंधन नीति खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित रखने में सफल रही है। सीपीआई आधारित महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति (खाद्य-भिन्न ईंधन-भिन्न) एक सीमा के भीतर रही जो मार्च 2015 में 4.2 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर जनवरी 2016 में 4.7 प्रतिशत हो गई। कीमतों में सहजता ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2015 के दौरान नीतिगत रेपो दरें 125 आधार बिंदु घटाने का मार्ग प्रशस्त किया।

निरंतर दो सूखे वर्षों के कारण कृषि में ह्रासकारी वृद्धि और उत्पादन में प्रमुख फसलों के बुआई क्षेत्र में गिरावट के चलते कृषि क्षेत्र को कायाकल्प की जरूरत होगी ताकि किसानों के लिए पोषणीय आजीविका व जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कृषि में कायाकल्प कृषि में उत्पादकता बढ़ाकर, सक्षम सिंचाई प्रौद्योगिकियों में निवेश और सभी जानकारियों के कुशल प्रयोग द्वारा लाया जाना होगा।

> ''कुछ वैज्ञानिक कृषि को मुख्य या आदर्श विज्ञान समझते हैं। कई इसे वास्तव में विज्ञान मानते ही नहीं। फिर भी यह पहला विज्ञान था - सब विज्ञान की जननी, यह ऐसा विज्ञान बनी रही जो मानव जीवन को संभव बनाती है; यह हो सकता है कि इस सदी की समाप्ति से पहले कुल मिलाकर विज्ञान की सफलता या विफलता कृषि की सफलता अथवा विफलता द्वारा आँकी जाएगी।'' - **टी. डब्ल्यू. शुलज.**

मुद्रास्फीति की समग्र प्रवृत्तियां

5.2 मुद्रास्फीति, खासकर खाद्य मुद्रास्फीति के सतत और बढ़े हुए स्तर 2010-11 से 2013-14 के दौरान सरकार के लिए बड़ी चिंता थी। इस उच्च मुद्रास्फीति चरण के दौरान, औसत थोक मूल्य सूचकांक 8.0 प्रतिशत बढ़ा था और औद्योगिक श्रमिकों हेतु सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अपने सुखद स्तर से काफी ऊपर 9.7 प्रतिशत थी। सीपीआई (आई डब्ल्यू) आधारित खाद्य मुद्रास्फीति ने दो अंक का आंकड़ा छुआ और इसी तरह डब्ल्यूपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति भी इस अवधि के दौरान 9.3 प्रतिशत के उच्च स्तर तक बढ़ गई। वर्ष 2014-15 के बाद से वृद्धि की प्रवृत्तियां पलट गईं और

सारणी 5.1: विभिन्न मुद्रा सूचकांकों पर आधारित शीर्ष मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	(अप्रैल-दि. संबर)
डब्ल्यूपीआई	9.6	8.9	7.4	6.0	2.0	-3.0
सीपीआई (संयुक्त)	-	-	10.2	9.5	5.9	4.8
सीपीआई (औद्योगिक श्रमिक)	10.4	8.4	10.4	9.7	6.3	5.6
सीपीआई (कृषि श्रमिक)	10.0	8.2	10.0	11.6	6.6	4.2
सीपीआई (ग्रामीण श्रमिक)	10.0	8.3	10.2	11.5	6.9	4.4

स्रोत: **डब्ल्यूपीआई के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), सीपीआई (संयुक्त) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और सीपीआई (आईडब्यू), सीपीआई (एएल) और सीपीआई (आरएल) हेतु श्रम ब्यूरो**

टिप्पणी: ***डब्ल्यूपीआई और सीपीआई (संयुक्त) के आंकड़ें के अनंतिम हैं; एएल कृषि श्रमिकों और आरएल ग्रामीण श्रमिकों के लिए है।**

तबसे अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रास्फीति निरंतर मंद बनी हुई है। विगत पाँच वर्षो के मूल्य सूचकांकों की प्रमुख श्रंखलाओं पर आधारित मुद्रास्फीति की तुलनात्मक तस्वीर सारणी 5.1 में दी गई है।

5.3 आधार 2012 =100 के चलते नया मासिक सीपीआई (संयुक्त) को अब शीर्ष मुद्रास्फीति के पैमाने के रूप में लिया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्व ारा अपनी मौद्रिक नीति की स्थिरता हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। शीर्ष मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत से गिरकर अप्रैल-दिसम्बर 2015-16 में 4.8 प्रतिशत रह गई। शीर्ष मुद्रास्फीति हाल में ऊपर की ओर जा रही है और खाद्य समूह मुद्रास्फीति में वृद्धि व विपरीत आधार प्रभाव के कारण इसने दिसम्बर 2015 में 5.6 प्रतिशत का आँकड़ा छुआ है। दालों, खाध्य तेलों, प्याज आदि के मूल्यों के थोक व खुदरा स्तर पर उर्ध्वगामी दबाव रहा है। चित्र 5.1 जनवरी, 2014 के बाद से सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

5.4 सीपीआई (सयुंक्त) के विभिन्न उप-समूहों के भीतर मुद्रास्फीति में गिरावट व्यापक आधार पर थी ओर यह मुख्यतया खाद्य मदों और खाद्य-भिन्न ईंधन-भिन्न श्रेणी के अंतर्गत मदों की कीमतों में गिरावट द्वारा चालित थी। सीपीआई खाद्य-भिन्न ईंधन-भिन्न मुद्रास्फीति में गिरावट मोटे तौर पर आवास (किराया), परिवहन, संचार, शिक्षा और अन्य सेवाओं में गिरावट के कारण थी। ईंधन और बिजली उप-समूह की मापित मुद्रास्फीति 2014-15 में 4.2 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 5.5 प्रतिशत हो गई जो अंशत: जलावन व उपले के मूल्यों में वृद्धि तथा अंशत सीपीआई ईंधन समूह के निम्न भारांश के कारण हुई थी (सारणी 5.2)। चित्र 5.2 सीपीआई मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का बिंदू अंशदान दर्शाता है।

चित्र 5.1 : सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में घट-बढ़ (प्रतिशत)

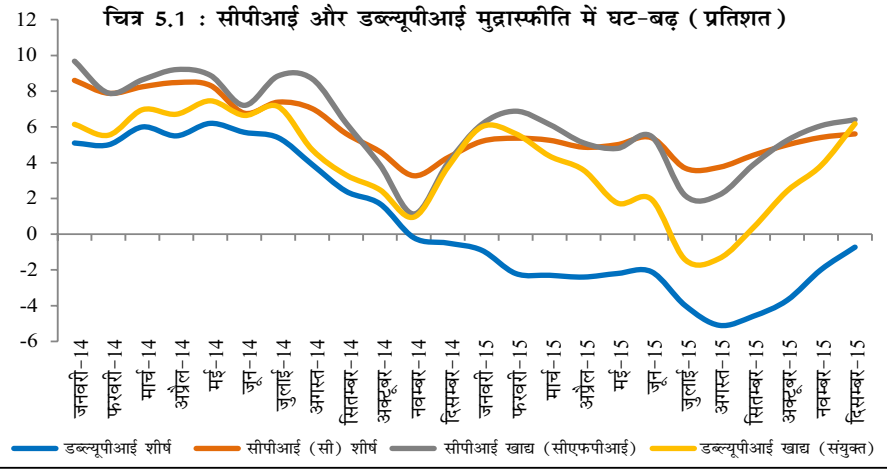

स्रोत: डीआईपीपी और सीएसओ

सारणी 5.2: सीपीआई (संयुक्त) व्यापक समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

	भारांश	भारांश	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल-दिसंबर)अ
आधार	2010	2012	2010	2010	2012	2012
शीर्ष	**100.0**	**100.0**	**10.2**	**9.5**	**5.9**	**4.8**
खाद्य और पेय	47.6	45.9	11.9	11.2	6.5	4.9
ईंधन और प्रकाश	9.5	6.8	8.5	7.4	4.2	5.5
गैर-खाद्य गैर-ईंधन (कोर)	42.9	47.3	8.8	8.1	5.6	4.5
खाद्य (सीएफपीआई*)	42.7	39.1	12.2	11.3	6.4	4.6

स्रोत: **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय**
टिप्पणी: ***उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक; अ.: अनंतिम**

5.5 वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सबसे ज्यादा प्रभाव कच्चे तेल ओर डब्ल्यूपीआई समूह में कवर किए गये ईंधन आधारित उत्पादों पर पड़ा है। (बॉक्स-1)। ईंधन और विद्युत उप-समूह की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति जो 2012-13 और 2013-14 के दौरान दो अंकों पर मंडरा रही थी वह 2014-15 में तीव्रता से गिरकर (-)0.9 प्रतिशत आ गई और अप्रैल-दिसम्बर 2015-16 में और गिरकर (-)12.6 प्रतिशत रह गई। वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट डब्ल्यूपीआई आधारित महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति में गिरावट के परिणामस्वरूप हुई है जो 2013-14 में 2.9 प्रतिशत से 2014-15 में 2.4 प्रतिशत और फिर अप्रैल-दिसम्बर

सारणी 5.3: थोक मूल्य सूचकांक व्यापक समूहों में मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत) (आधार: 2004-05)

	भारांश	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल-दिसंबर)अ
शीर्षक	**100.0**	**7.4**	**6.0**	**2.0**	**-3.0**
प्राथमिक वस्तुएं	20.1	9.8	9.8	3.0	-0.5
ईंधन और बिजली	14.9	10.3	10.2	-0.9	-12.6
विनिर्मित उत्पाद	65.0	5.4	3.0	2.4	-1.3
गैर-खाद्य विनिर्मित (कोर)	55.0	4.9	2.9	2.4	-1.5
सभी खाद्य	24.3	9.3	9.4	4.9	1.9

स्रोत: **आर्थिक सलाहकार, डीआईपीपी का कार्यालय:**
टिप्पणी: **अ: अनंतिम**

चित्र 5.2 : सीपीआई संयुक्त (मुद्रास्फीति) में बिंदु अंशदान (प्रतिशतांक)

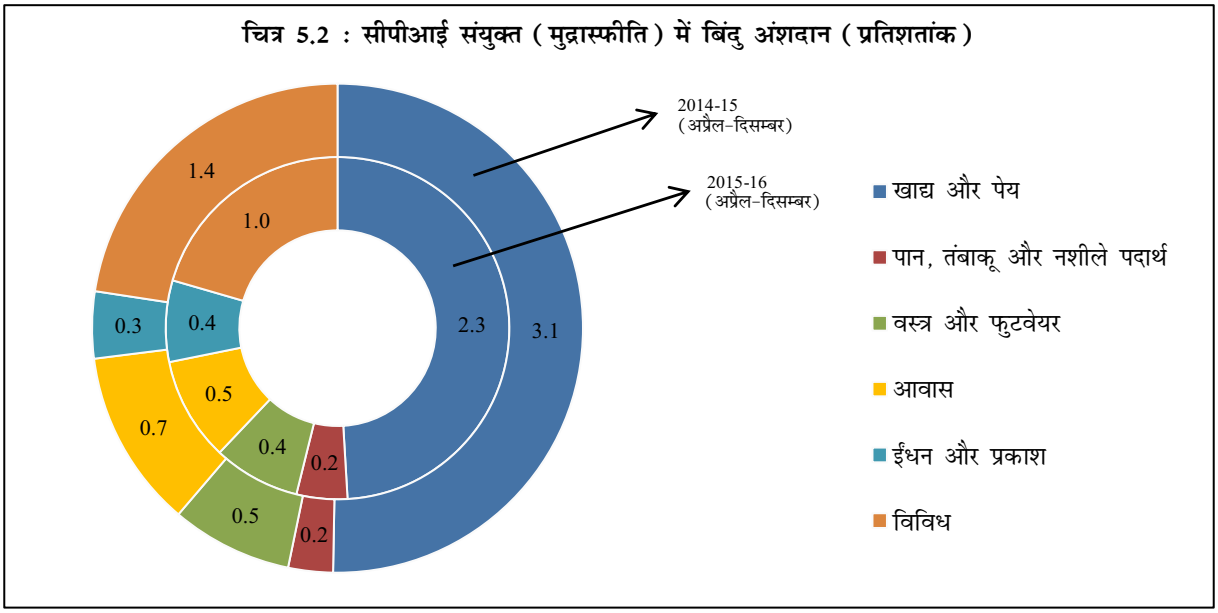

स्रोत: सीएसओ

बॉक्स 5.1 : कच्चे तेल की कीमंत में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति पर प्रभाव

भारत अपने 80 प्रतिशत कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। अत: कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव के कारण घरेलू मुद्रास्फीति पर काफी प्रभाव पड़ता है। कच्चे तेल के भारतीय बास्केट (भंडार) की कीमत में अप्रैल-दिसम्बर 2015-16 में 46 प्रतिशत की गिरावट आई है। पूर्व में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने में मदद मिली। विनियमन हटाने (नियंत्रण मुक्त करने) के फलस्वरूप आर्थिक सहायता बोझ में कमी आई जिससे राजकोषीय घाटे में कमी हुई। विनियमन हटाने के पूर्व डीजल की कीमतों में कमी होने के परिणामस्वरूप समग्र मुद्रास्फीति में गिरावट आई।

चित्र 1 : कच्चे तेल के मूल्य की तुलना में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि (प्रतिशत)

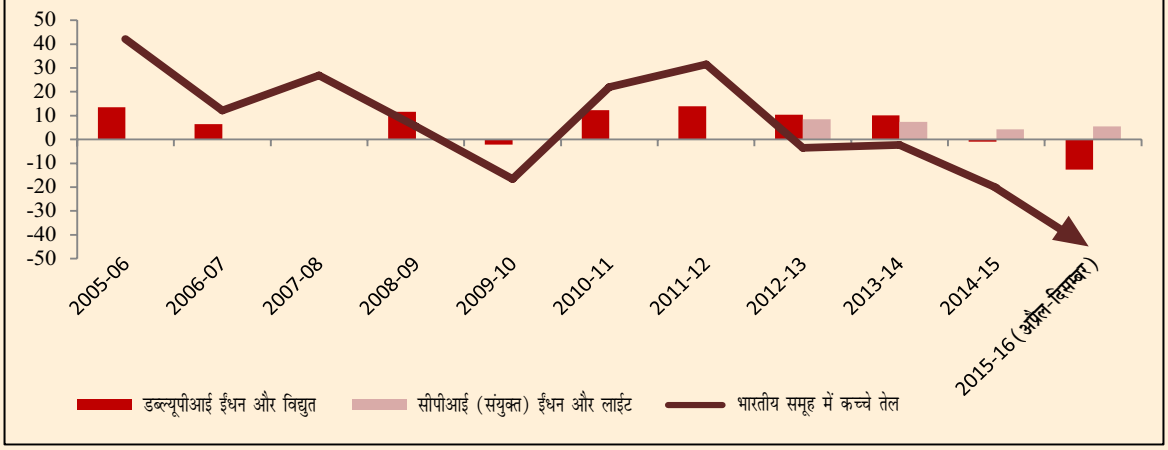

स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डीआईपीपी और सीएसओ

हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के कारण डब्ल्यू.पी.आई. ईंधन और विद्युत संबंधी मुद्रास्फीति पर गहरा असर पड़ा है। यह प्रभाव सी.पी.आई. ईंधन तथा रोशनी पर न्यूनतम रहा है। इसका कारण मुख्यतया सी.पी.आई. तथा डब्ल्यू.पी.आई. ईंधन बास्केट में शामिल वस्तुओं तथा उनके भारों में कमी है।

डीजल तथा पैट्रोल की कीमत प्रत्यक्ष रूप से कच्चे तेल की वैश्विक कीमत से जुड़ी हुई है तथा इसकी हिस्सेदारी डब्ल्यू.पी.आई. ईंधन एवम् बिजली बास्केट में 40 प्रतिशत है। इन उत्पादों की कीमतों में गिरावट ने डब्ल्यू.पी.आई. ईंधन एवम् विद्युत संबंधी मुद्रास्फीति को नकारात्मक क्षेत्र में खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (चित्र-2)।

दूसरे शब्दों में, लकड़ी तथा चिप्स, बिजली तथा गोबर केक से सी.पी.आई. (सयुंक्त) ईंधन एवम् रोशनी बास्केट के लगभग 70 प्रतिशत भाग का निर्माण होता है। मौजूदा वर्ष में सी.पी.आई. ईंधन एवम् रोशनी संबंधी मुद्रास्फीति में मुख्य अंशदाता ये तीन चीजें हैं (चित्र-3)।

चित्र 2 : डब्ल्यूपीआई ईंधन और विद्युत मुद्रास्फीति में बिंदु अंशदान (प्रतिशत बिंदुओं में)

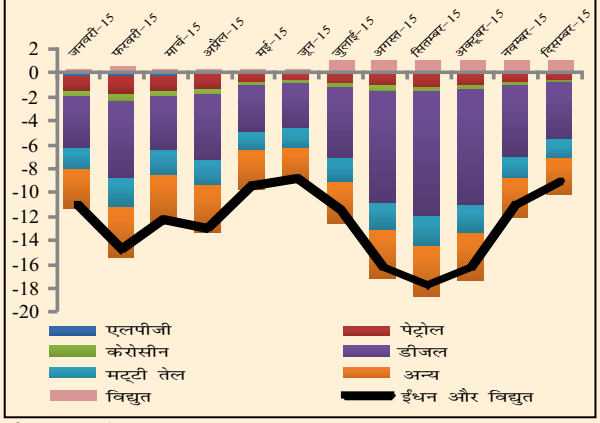

स्रोत: डीआईपीपी

चित्र 3 : सीपीआई (संयुक्त) ईंधन और और प्रकाश मुद्रास्फीति में बिंदु अंशदान (प्रतिशत बिंदुओं में)

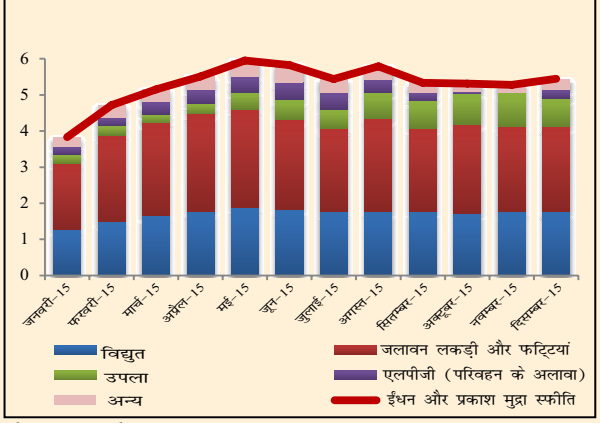

स्रोत: सीएसओ

टिप्पणी: 1. सी.पी.आई. (संयुक्त) ईंधन एवम् रोशनी के लिए अन्य साधनों में केरोसिन, कोक, कोयला, चारकोल तथा अन्य ईंधन शामिल हैं। 2. डब्ल्यू.पी.आई. एवम् बिजली की अन्य चीजों में कोयला, ए.टी.एफ., नेफ्था, बीटुमीन ओर लुब्रीकेंट शामिल हैं।

2015-16 में (-)1.5 प्रतिशत रह गई (सारणी 5.3)।

खाद्य मुद्रास्फीति

5.6 उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सी.एफ.पी.आई.) बास्केट में विभिन्न श्रेणियाँ शामिल हैं जैसे-अनाज, दाल, सब्जियाँ, फल, दूध, अंडे, माँस एवम मछली। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति की दर काफी अधिक थी। भारत सरकार की कुशल एवम् दक्ष खाद्य प्रबंधन नीति के कारण वर्ष 2014-15 से ही थोक तथा खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति में काफी संतुलन बरकरार रहा है।

5.7 सीएफपीआई आधारित मुद्रास्फीति 2012-13 से 2013-14 तक औसत 11.8 प्रतिशत थी जो कि आगे तेजी से लुढ़क कर वर्ष 2014-15 में 6.4 प्रतिशत पर आ गई तथा यह बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2015-16 में 4.6 प्रतिशत पर कम हो गई। खाद्यान्नों की मुद्रास्फीति 2013-14 में 13.2 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से कम होकर 2014-15 में 5.2 प्रतिशत और 2015-16 में 1.7 प्रतिशत रह गई (सारणी 5.4)। अधिकतर प्रोटीन आधारित खाद्य वस्तुओं जैसे अंडा, मांस मछली, दूध के मूल्य महत्वपूर्ण रूप से अप्रैल-दिसंबर 2015-16 में सुखद रहे। एकमात्र अपवाद दालें और उत्पाद श्रेणी था जब चालू वर्ष के दौरान औसत मूल्य वृद्धि 29.6 प्रतिशत थी। दाल की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण अरहर तथा चने की दालों का कम उत्पादन है। दालों की कीमतों में वृद्धि को और बढ़ाने से रोकने के लिए भारत सरकार ने अरहर तथा उड़द की दालों का प्रापॅण कर दालों के लिए बफर स्टॉक तैयार करने का निर्णय लिया है तथा दालों का आयात करने के लिए समयानुसार कार्रवाई सुनश्चित करने हेतु पहल की है। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान आलू तथा प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव हुआ, फिर भी, सब्जियों की मुद्रास्फीति कुल मिलाकर कम रही है।

5.8 डब्ल्यूपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति भी सीपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति के साथ ही आगे बढ़ती रही। सीपीआई की तुलना में डब्ल्यूपीआई श्रृंखला खाद्य वस्तुओं तथा इसके कुल बास्केट में उत्पादों हेतु कम भार 24.3 प्रतिशत निर्दिष्ट करती है। खाद्य वस्तुओं में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति जो वर्ष 2013-14 में 12.8 प्रतिशत की ऊंचाई पर थी वह वर्ष 2014-15 में तीव्रता के साथ 6.1 प्रतिशत तक कम हो गई तथा आगे अप्रैल-दिसंबर 2015-16 (सारणी 5.5) में यह घटकर 3.0 प्रतिशत तक पहुंच गई।

5.9 वर्ष 2015-16 के दौरान अब तक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने का मुख्य कारण अनाजों, सब्जियों, फलों, दूध, अंडा, मछली तथा माँस की कीमतों में कमी रही। फिर भी, दालों के कम उत्पादन के कारण खाद्यानों की कीमतें ऊँची बनी रहीं। दूसरे शब्दों में, विनिर्मित खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति जो वर्ष

सारणी 5.4: सीपीआई (संयुक्त) खाद्य समूह में मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत)

	भारांश	भारांश	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल-दिसंबर)अ
आधार	2010	2012	2010	2010	2012	2012
खाद्य (सीएफपीआई)	**42.7**	**39.1**	**12.2**	**11.3**	**6.4**	**4.6**
अनाज और उत्पाद	14.6	9.7	10.5	13.2	5.2	1.7
मांस और मछली	2.9	3.6	12.2	12.1	6.3	5.9
अंडे*	-	0.4	-	-	3.2	1.2
दूध और उत्पाद	7.7	6.6	10.4	8.7	10.3	5.7
तेल और वसा	3.9	3.6	16.6	1.8	2.4	3.9
फल	1.9	2.9	7.5	11.2	13.9	2.3
सब्जियां	5.4	6.0	20.6	26.0	3.4	1.0
दलहन और उत्पाद	2.7	2.4	12.3	4.2	7.9	29.6
चीनी और कनफेक्शफनरी	1.9	1.4	12.5	-0.7	-0.4	-9.5
मसाले	1.7	2.5	3.1	7.2	8.6	9.5

***स्रोत:* केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय**

अ.:-अनंतिम; अंडे, जो कि उप-समूह का हिस्सा था। अंडे, मछली तथा मांस जो कि 2010 की श्रंखला के हैं इन्हें एक अलग उप समूह में रखा गया है।

सारणी 5.5: थोक मूल्य सूचकांक खाद्य समूह में मुद्रास्फीति (प्रतिशत) (आधार: 2004-05)

	भारांश	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल- दिस.)अ
समूचा खाद्य	**24.3**	**9.3**	**9.4**	**4.9**	**1.9**
खाद्य वस्तु	***14.3***	***9.9***	***12.8***	***6.1***	***3.0***
खाद्यान्न्	4.1	14.6	9.1	4.0	6.7
अनाज	3.4	13.4	12.8	3.6	-0.3
दालें	0.7	19.6	-5.5	5.9	39.5
सब्जियां	1.7	17.2	40.2	-6.1	-4.3
फल	2.1	1.3	7.5	19.0	1.1
दूध	3.2	7.2	6.0	10.0	3.7
अंडा, मांस और मछली	2.4	14.1	12.8	2.4	0.9
गर्म मसालें और मसाला	0.6	-11.8	17.2	21.7	14.8
खाद्य उत्पाद	***10.0***	***8.1***	***3.2***	***2.4***	***-0.4***
चीनी	1.7	11.3	-2.4	-0.3	-13.2
खाद्य तेल	3.0	9.1	-0.8	-1.3	2.6

स्रोत: **आर्थिक सलाहकार, डीआईपीपी का कार्यालय:**

टिप्पणी:- **अ: अनंतिम**

2013-14 में 3.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर थी, वह वर्ष 2014-15 में 2.4 प्रतिशत के स्तर पर संतुलित बनी रही तथा आगे इसमें (-)0.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्फीति

5.10 सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के शहरी तथा ग्रामीण घटकों के सामान्य मुद्रास्फीति की माप अलग-अलग की गई तथा यह हाल के माहों में अलग-अलग रही है। ग्रामीण उपभोक्ता व्यय आधारित बास्केट की तुलना में शहरी सीपीआई बास्केट की स्फीति निम्न रही है। वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक मंदी के कारण ईंधन उत्पादों तथा अन्य व्यापार योग्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है तथा इससे शहरी उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। दिसंबर 2015

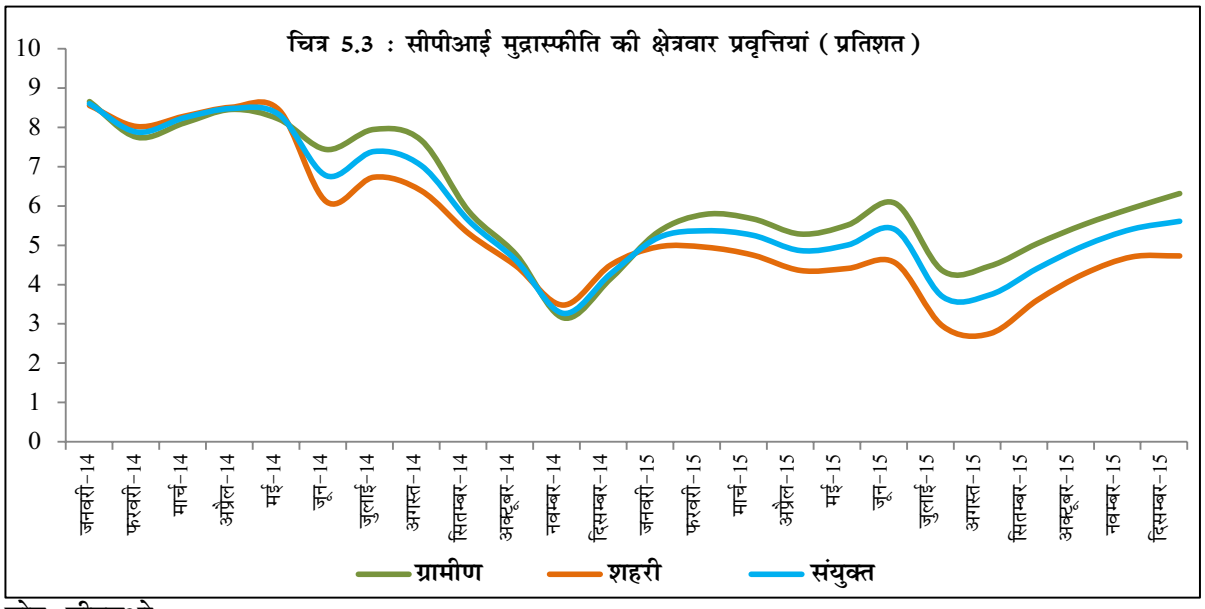

स्रोत: सीएसओ

में शहरी क्षेत्र की सकल मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत तक रही जबकि इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रो में यह आंकड़ा 6.3 प्रतिशत रहा। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच मुद्रास्फीति का विचलन वर्ष 2015 की शुरुआत से ही अधिक स्पष्ट है। इस विचलन का आंशिक कारण दोनों बास्केट की वस्तुओं के भार में अंतर (भिन्नता) है। सीपीआई के ग्रामीण बास्केट का भार अनाज, सब्जियों, मांस तथा मछली एवं दालों के कारण ही ज्यादा होता है। आपूर्ति में बाधा के कारण इन वस्तुओं की कीमतों में उतार चढाव आया है तथा देश में कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध सामान्य बाजार के अभाव के कारण भी कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है।

राज्यवार मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

5.11 स्फीति के राज्यवार विश्लेषण से यह पता चला है कि हाल के वर्षों में अधिकतर राज्यों में सीपीआई आधारित सामान्य तथा खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई हैद्य (चित्र 5.4 एवं चित्र 5.5) मगर कुछ अपवाद भी हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू एवं कश्मीर में अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान मुद्रास्फीति पूर्व वर्ष की तदनरूपी अवधि की तुलना में मुद्रास्फीति की स्तर उच्चतर थी। इन राज्यों में मुद्रास्फीति के उच्चतर रहने का कारण उच्चतर खाद्य मुद्रास्फीति रही है। हाल के वर्षों में अब तक पश्चिम बंगाल में सबसे कम मुद्रास्फीति रही है। खाद्य मुद्रास्फीति में भी

चित्र 5.4 : सीपीआई (संयुक्त) सामान्य मुद्रास्फीति (शीर्ष 20 राज्य-भारों के अनुसार) (प्रतिशत)

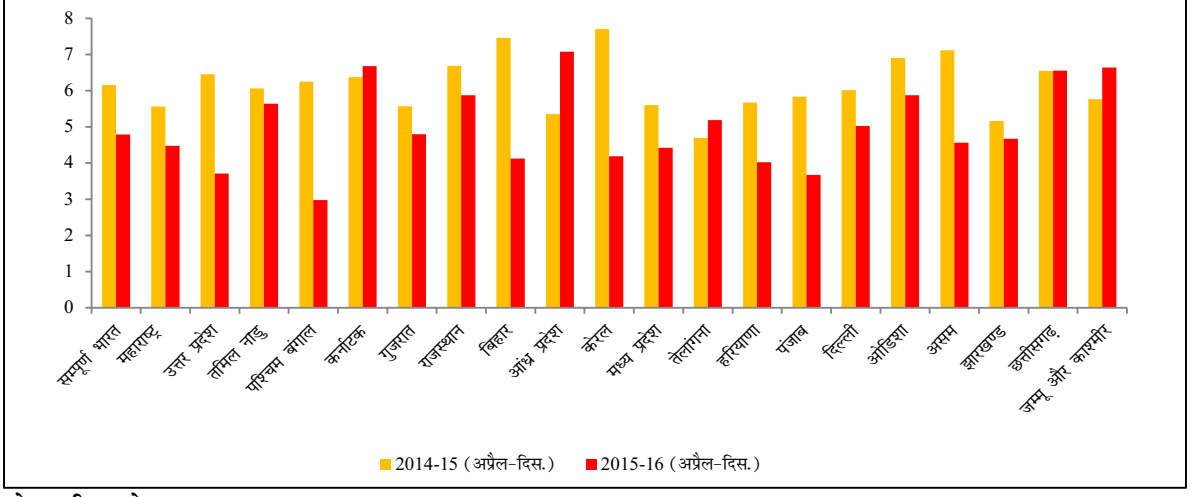

स्रोत: सीएसओ

चित्र 5.5 सीपीआई (संयुक्त) खाद्य एवं पेय मुद्रास्फीति (शीर्ष 20 राज्य-भारों के अनुसार) (प्रतिशत)

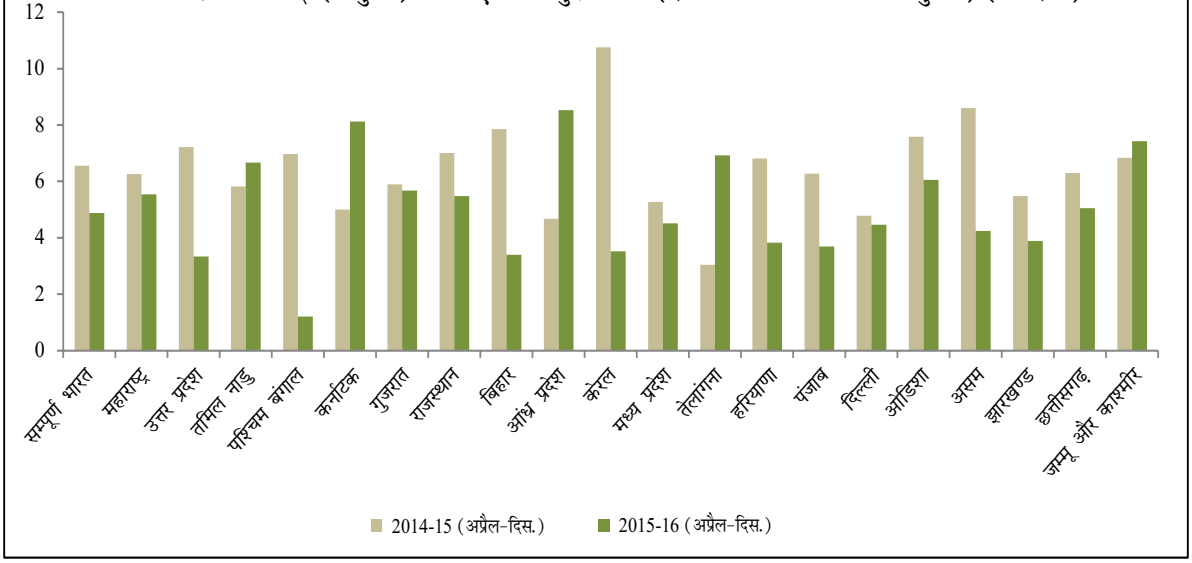

स्रोत: सीएसओ

इस तरह की प्रवृति बनी हुई है। शीर्ष 20 राज्यों में से 15 राज्यों में अप्रैल-दिसंबर 2015-16 में खाद्य (भारांशों के अर्थ में) मुद्रास्फीति न्यूनतम रही है।

5.12 71 प्रतिशत के संयुक्त भार सहित 10 शीर्ष राज्य [सीपीआई (संयुक्त) में भारों के अनुसार] चालू वर्ष में सीपीआई मुद्रास्फीति में मुख्य अंशदाता रहे हैं। शीर्ष 10 राज्यों के बीच 4 राज्यों-तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश की मुद्रास्फीति सीपीआई (संयुक्त) बास्केट में उनके संबंधित भार से अधिक थी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं केरल का अंशदान पूर्व वर्ष की तुलना में कम रहा है। (चित्र 5.6)।

सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच उत्तरोत्तर कमी

5.13 दोनों सीपीआई तथा डब्लूपीआई आधारित मुद्रास्फीति अनुमान का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता हैद्य इन दोनों श्रंखलाओं पर आधारित स्फीति अनुमान की चौड़ी होती खाई (अंतर) सूचकांक उपयोगकर्ताओं, जो इसकी व्यापकता, संरचना एवं इन सूचकांकों के उद्देश्यों से सुपरिचित नहीं होते हैं, उनके लिए चिंता का कारण बन जाता है। हाल के वित्तीय वर्षों में सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति के बीच समस्यागत अंतर काफी बढ़ा है। नवम्बर 2014 से दिसंबर 2015 के बीच चौदह माहों में डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति अनुमान नकारात्मक क्षेत्र (जोन) में बना हुआ है, जबकि इसी अवधि में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का औसत 4.8 प्रतिशत था। दो मुद्रास्फीति अनुमानों के बीच का अंतर सितम्बर 2015 में ऊंचाई के रूप में 9 प्रतिशत था। (चित्र 5.7)।

5.14 डब्लू पी आई श्रृंखलाएं मुख्यत: उत्पादों के संचलन को दर्शाती है तथा थोक मूल्य लेन देन एवं भार-टोकरी (भार बास्केट) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य पर आधारित होती हैं। यह श्रंखला अन्य देशो में संकलित उत्पादक के मूल्य सूचकांकों के समान ही होती है। सीपीआई बास्केट उपभोक्ता व्यय अनुमान पर आधारित होती है तथा खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति या उपभोक्ता जो कीमतें चुकाते हैं, का पता लगता है। इन दोनों श्रंखलाओं के लिए आधार वर्ष 8 वर्षों का होता है जो डब्लूपीआई आधार संशोधन के समान ही लम्बे समय से अपेक्षित है। इन दोनों श्रंखलाओं के भार डायग्राम में फर्क होता है। डब्लूपीआई में खाद्य सामग्री का कुल भार 24.3 प्रतिशत है, जबकि सीपीआई क्रम में तुलनात्मक रूप से 45.9 प्रतिशत होता है। वैश्विक वस्तुओं की कीमत में कमी खासकर कच्चे तेल में कमी का कारण विगत डेढ़ वर्षों में डब्लूपीआई में गिरावट रही है। व्यापार योग्य वस्तुओं का भार 55 प्रतिशत तथा ईंधन एवं बिजली उत्पादन सम्बन्धी वस्तुओं का भार करीब 15 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में सीपीआई बास्केट में वस्तुओं तथा सेवाओं जैसे स्वास्थ एवं शिक्षा शामिल हैं जिसे डब्लूपीआई बास्केट में शामिल नहीं किया है। पेट्रोलियम उत्पादों के नगण्य भारांश के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर नगण्य पासथ्रू होता है।

चित्र 5.6 : समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति (प्रतिशत) की तुलना में शीर्ष 10 राज्यों को अंशदान (भारों के अनुसार) (प्रतिशत)

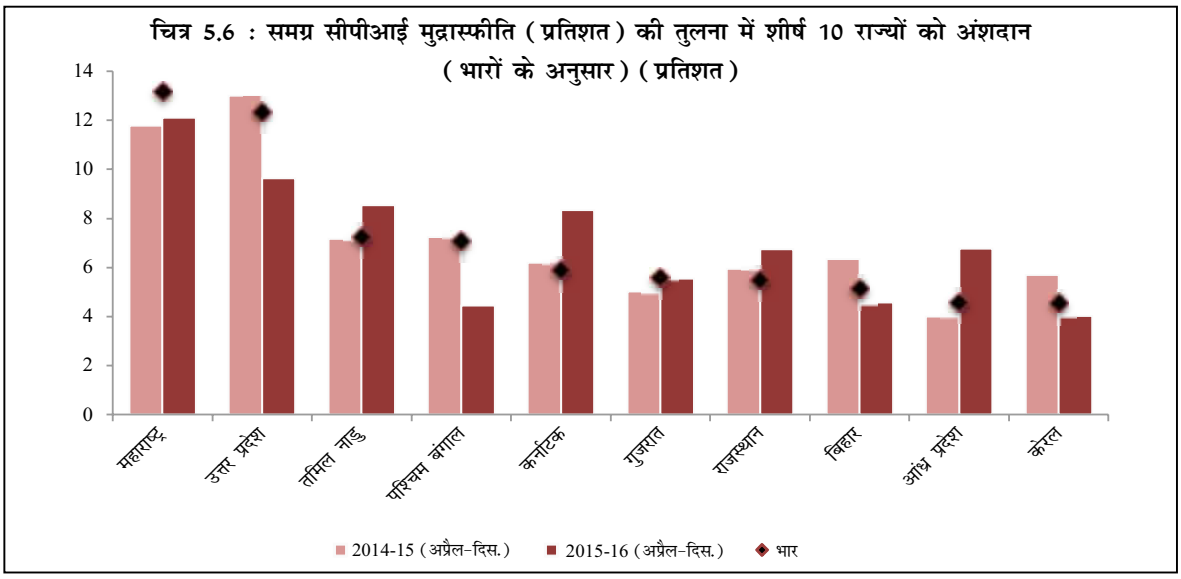

स्रोत: सीएसओ

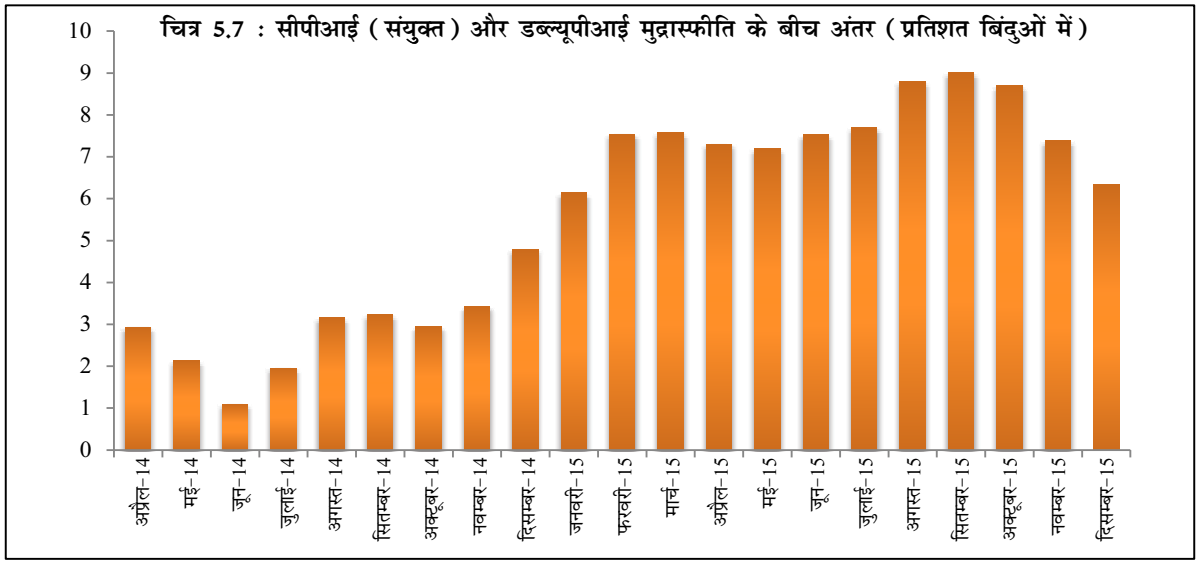

स्रोत: डीआईपीपी, सीएसओ

वैश्विक मुद्रास्फीति और जिंस मूल्य

5.15 वैश्विक मुद्रास्फीति पिछले वर्ष 3.9 प्रतिशत थी जो 2014 में गिरकर 3.5 प्रतिशत रह गई जो जिंसों की कीमतों में तीव्र गिरावट को प्रदर्शित करती है। वेनेजुएला और यूक्रेन को छोड़कर, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2014 में 4.5 प्रतिशत थी। इसके 2015 में गिरकर 4.2 प्रतिशत पर आने का अनुमान हैद्य वर्ष 2016 में मुद्रास्फीति के उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ने का अनुमान है परन्तु उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इसके घटने की आशा है।

5.16 जिंसों की वैश्विक कीमतों के कमजोर बने रहने की सम्भावना है। विश्व बैंक ऊर्जा सूचकांक अप्रैल-दिसंबर 2015-16 में लगभग 44 प्रतिशत गिर गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में तुलनात्मक रूप से काफी प्रबल था। चालू वर्ष में खाद्य पदार्थों की कीमतें प्रमुख: तेल और अन्न और खाद्यान्नों के कारण लगभग 16 प्रतिशत गिर गई। अप्रैल-दिसंबर 2015-16 में बुनियादी धातुओं की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई। इस्पात, लोहा अयस्क और कोयले की कीमतों में गिरावट काफी अधिक रही। अमरीकी कृषि विभाग (यूएसएडी ने 2015-16 के दौरान गेहू और चावल की वैश्विक कीमतों में क्रमश: 16.5 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है।

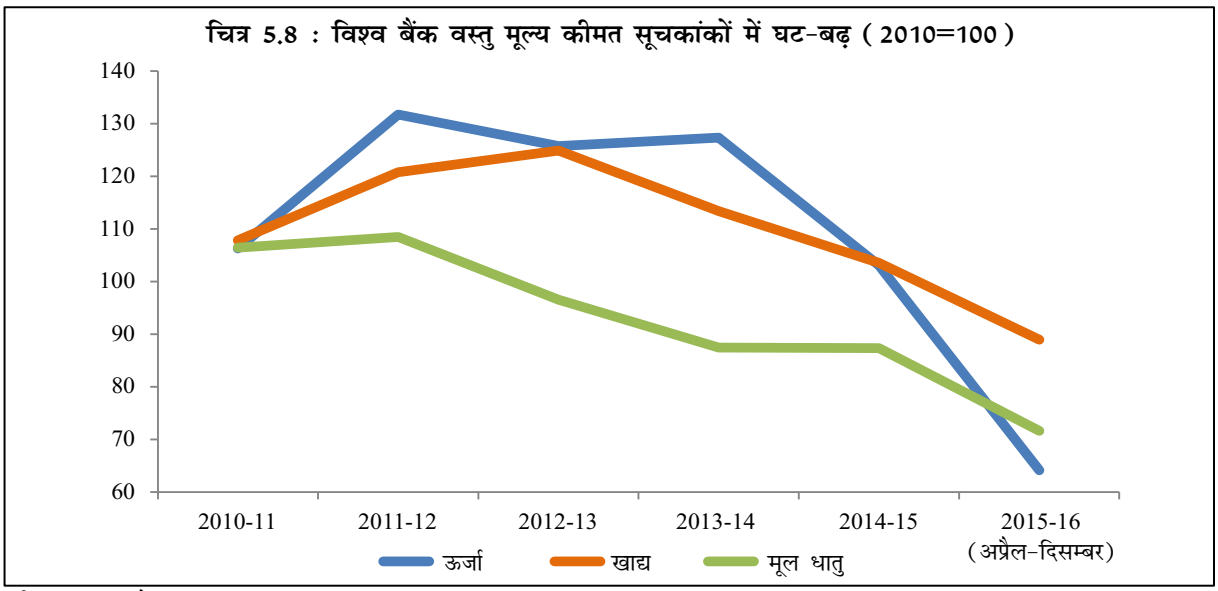

स्रोत: विश्व बैंक

पूर्वानुमान

5.17 चीन के सम्बन्ध में पूर्वानुमान पर निरंतर अनिश्चितता, ईरान की कच्चे तेल की आपूर्ति में संभावित उछाल और शेष विश्व की और से मांग में नरमी के चलते निकट भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में मंदी बनी रह सकती है। मध्यावधि में तेल की निम्नतर कीमतों की सम्भावनाओं से संभवत मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओ में मंदी बनी रहेगी। अन्य प्रमुख जिंसों के लिए पूर्वानुमान भी निकट भविष्य में कम बना रहेगा और भारत की मुद्रास्फीति को सीमित रखने में प्रमुख कारक रहेगा।

उच्च ग्रामीण पारिश्रमिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का उच्चतर स्तर और निवेश लागतों में वृद्धि विगत कुछ वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति के लिए सहायक बने रहे हैं। वर्तमान में इन सभी कारकों में वृद्धि काफी धीमी हो गई है हालाँकि जैसाकि वर्ष के उत्तरार्ध में अनुभव किया गया है, कुछ अनिवार्य खाद्य मदों की कीमतों में पुनरावृत्ति और उछाल के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में तेजी आ सकती है। रबी की बीजाई के उपलब्ध नवीनतम अनुमानों से औसत बीजाई क्षेत्र विशेष तौर पर मूंग को छोड़कर अन्य दालों और तिलहन के बीजाई क्षेत्र में कमी अनुमानित है। चूँकि इन जिंसों की कीमतें आपूर्ति के उतार- चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं अत निकट भविष्य में इन जिंसों की सतत् आपूर्ति के दक्ष प्रबंधन की आवश्यकता है।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

कृषि का सिंहावलोकन

5.18 कृषि और इससे जुड़े क्रियाकलाप लगभग आधी भारतीय जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन का प्रमुख स्रोत रहे हैं। रोजगार में कृषि की भागीदारी कुल कार्यबल ख्राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ 2011-12) 2011-12, की 48.9 प्रतिशत थी, जबकि 2014-15 (प्रथम संशोधित अनुमान) में जीडीपी में कृषि की भागीदारी स्थिर कीमतों (2011-12) पर 17.4 प्रतिशत थी जबकि 2014-15 (प्रथम संशोधित अनुमान) में जीडीपी में कृषि की भागीदारी स्थिर कीमतों (2011-12) पर 17.4 प्रतिशत थी।

5.19 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 4 प्रतिशत के वृद्धि लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8 प्रतिशत से अधिक होनी आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कृषि में वृद्धि दरें 2012-13 में 1.5 प्रतिशत, 2013-14 में 4.2 प्रतिशत और 2014-15 में (-)0.2 पर ऊपर-नीचे होती रही है (सारणी-5.6)। 8 फरवरी, 2016 को जारी किए गए सीएसओ के अनुमानों के अनुसार 2015-16 में 'कृषि, वानिकी और मछली-पालन' क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 2015-16 की दूसरी तिमाही (जुलाई -

सारणी 5.6 : कृषि क्षेत्र - प्रमुख संकेतक (2011-12 की कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन)

क्रम सं.	मद	2011-12	2012-13*	2013-14*	2014-15@
1	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 की स्थिर कीमतों पर)	5.0#	1.5	4.2	-0.2
	कुल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा (2011-12 की चालू कीमतों पर)	18.5	18.2	18.3	17.4
	फसलों का हिस्सा	12.1	11.8	11.9	10.9
	पशुधन का हिस्सा	4.0	4.1	4.1	4.4
	वानिकी और काठ का हिस्सा	1.5	1.5	1.4	1.2
	मत्स्य पालन का हिस्सा	0.8	0.9	0.9	0.9
2	कुल सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा (2011-12 की चालू कीमतों पर)	8.6	7.8	8.6	7.7
	फसलों का हिस्सा	7.3	6.6	7.3	6.4
	पशुधन का हिस्सा	0.8	0.8	0.8	0.8
	वानिकी और काठ का हिस्सा	0.1	0.1	0.1	0.1
	मत्स्यपालन का हिस्सा	0.4	0.4	0.5	0.5
3	कुल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा (2011-12 की चालू कीमतों पर)	18.3	16.3	17.0	15.8

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)।

***टिप्पणी:* #वर्ष 2004-05 की कीमतों पर। *दूसरे संशोधित अनुमान (नई श्रृंखला), @प्रथम संशोधित अनुमान; जीवीए सकल मूल्य वर्धित है।**

सितम्बर) के लिए जीडीपी के अनुमानों में 'कृषि, वानिकी और मछली-पालन' क्षेत्र से भी 4 प्रतिशत से नीचे 2.2 प्रतिशत की वृद्धि के संकेत मिले हैं। कृषि की वृद्धि में कमी इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत में 60 प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है और वर्ष 2013-14 और 2014-15 में लगातार दो सूखे के वर्ष रहे हैं। यहां सिंचाई और इसकी कार्यक्षमता के विस्तार के मुद्दे भी हावी रहे हैं, पूंजी निर्माण में वृद्धि घटती रही है और बाजारों में विशेषकर कीमतों में अस्थिरता रही है जिससे कुछ फसलों की उगाई में रद्दोबदल और परिवर्तन हुआ है। इससे यह सुझाव मिलता है कि कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण भिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

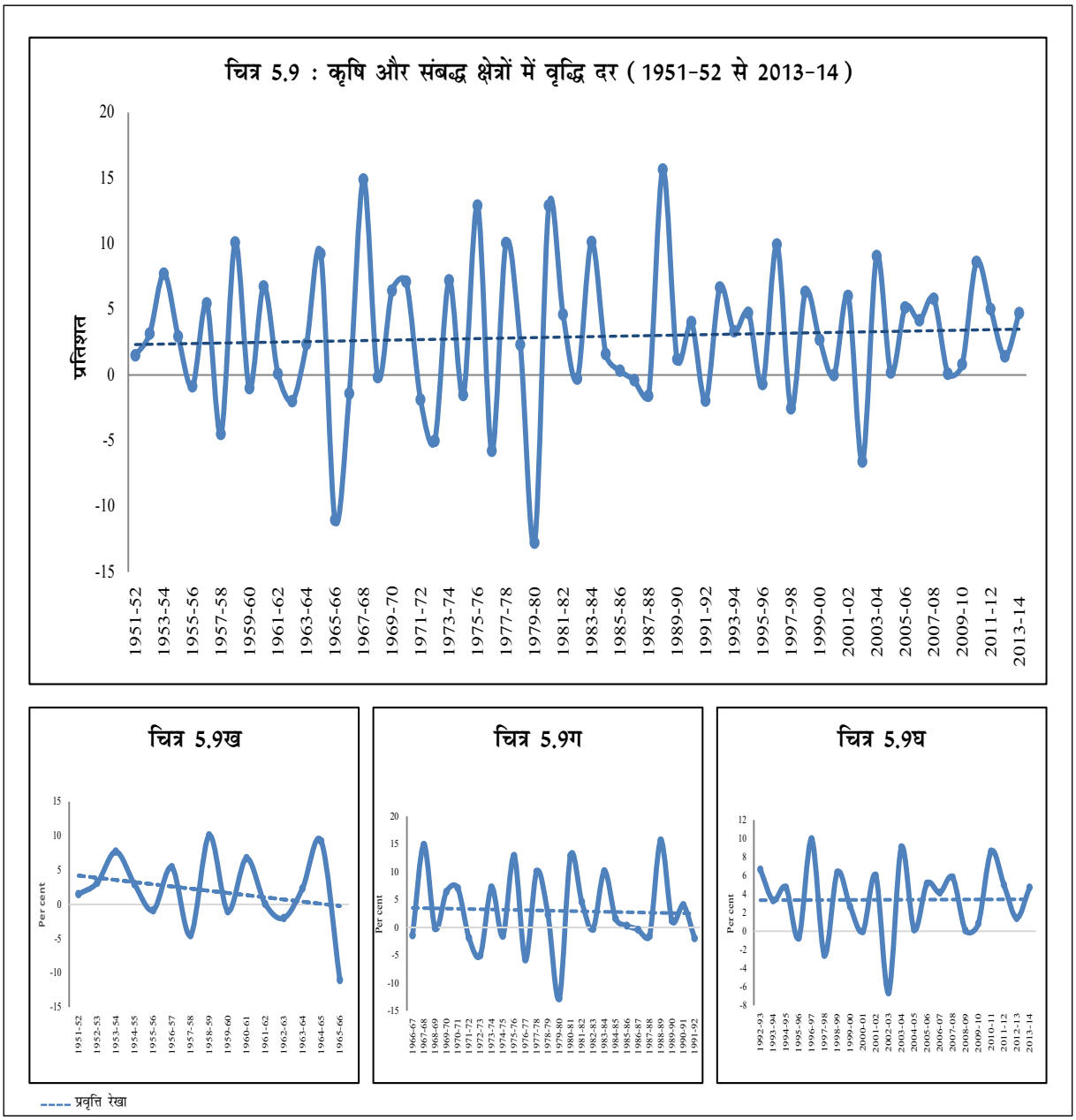

स्रोत: सीएसओ

5.20 कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 1992-93 से अब तक की वृद्धि (देखें चित्र 5.9 घ) से अति न्यून बढ़ते रुझान के संकेत मिलते हैं, साथ ही तीव्र शीर्षों और द्रोणिकाओं द्वारा अत्याधिक अस्थिरता भी दृष्टिगोचर है।

क्षेत्र, उत्पादन और उपज

5.21 वर्ष 2015-16 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2015-16 के दौरान अनुमानित 253.16 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 के दौरान 252.02 मिलियन टन की तुलना में 1.14 मिलियन टन अधिक होने का अनुमान है। विभिन्न फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज सारणी 5.7 में दिए गए हैं। विभिन्न फसलों के तहत प्रति एकड़ क्षेत्रफल में चौथे अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार 2013-14 की तुलना में 2014-15 में अत्यधिक गिरावट आई। सर्वाधिक गिरावट चना और मूंगफली के क्षेत्रफल में क्रमश: लगभग 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की रही। जिसके परिणामस्वरुप 2013-14 की तुलना में 2014-15 में चना और मूंगफली के उत्पादन में क्रमश: 27 प्रतिशत और 32 प्रतिशत के साथ उत्पादन में गिरावट रही। इससे यह प्रतीत होता है कि अपेक्षाकृत उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में चना और मूंगफली का नहीं उगाया गया क्योंकि पैदावार में तत्संबंधी गिरावटें प्रति एकड़ क्षेत्रफल में गिरावट से कहीं अधिक हैं। पिछले वर्ष की तुनला में 2014-15 में फसलों की उपज में प्रतिशत परिवर्तन केवल दो फसलों नामश: ज्वार और बाजरा की उपज में वृद्धि को दर्शाता है। अपर्याप्त नमी और वर्षण के कारण बीजाई देर से हुई जैसा कि चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार अधिकांश फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल के प्रतिशत परिवर्तन में आई गिरावट से प्रतिबिंबित होता है (देखें सारणी 5.7)।

सारणी 5.7 : क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज (2014-15)

समूह/वस्तु	क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन	उत्पादन (मिलियन टन)	उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन	उपज (किग्रा/हेक्टेयर)	उपज में प्रतिशत परिवर्तन
खाद्यान्न	122.1	-3.1	252.7	-4.6	2070	-1.5
चावल	43.9	-0.2	104.8	-1.6	2390	-1.4
गेहूँ	31.0	-0.7	88.9	-7.3	2872	-6.6
ज्वार	5.3	-9.0	5.1	-6.3	953	3.0
मक्का	9.3	-1.8	23.7	-2.8	2557	-1.0
बाजरा	7.1	-9.7	9.1	-1.4	1272	9.3
दलहन	23.1	-8.4	17.2	-10.8	744	-2.6
चना	8.2	-19.9	7.2	-27.4	875	-9.4
अरहर	3.7	-4.9	2.8	-15.5	750	-11.6
तिलहन	25.7	-9.8	26.7	-18.9	1037	-10.0
मूंगफली	4.7	-15.2	6.6	-32.2	1400	-20.0
रेपसीड और सरसों	5.8	-13.6	6.3	-20.7	1089	-8.3
कपास	13.1	11.8	35.5	-3.3	461	-13.3
गन्ना	5.1	2.0	359.3	2.7	70#	0.0

स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग चौथे अग्रिम अनुभाग, टन/हेक्टेयर अनाज, मोटे अनाज और दालें शामिल हैं 170 कि.ग्रा. की गांठे

सारणी 5.8 : भारत की प्रमुख फसलों की औसत उपज (कि.ग्रा. हेक्टेयर)

फसल	औसत उपज 1970-71	औसत उपज 1980-81	औसत उपज 1990-91	औसत उपज 2000-01	औसत उपज 2010-11	औसत उपज 2013-14	औसत उपज 2014-15*
चावल	1123	1336	1740	1901	2239	2416	2390
गेहूँ	1307	1630	2281	2708	2989	3145	2872
दलहन	524	473	578	544	691	764	744
तिलहन	579	532	771	810	1193	1168	1037
गन्ना (टन/हेक्टेयर)	48	58	65	69	70	71	70
चाय	1182	1491	1794	1673	1712	2170	2170
कपास	106	152	225	190	499	510	461

स्रोत: केंन्द्रीय आर्थिक और निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: * चौथा अग्रिम अनुमान

5.22 प्रमुख फसलों की औसत उपज में 1970-71 से 1990-91 तक के दशकों में प्रभावशाली वृद्धि प्रदर्शित हुई है (सारणी 5.8)।

5.23 तथापि, औसत उपजों में प्रतिशत परिवर्तनों में उतार-चढाव बना रहा है जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। दालों की औसत उपज में 1970-71 की तुलना में 1980-81 में और 1990-91 की तुलना में 2000-01 में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई। बीटी कपास के प्रवेश के परिणामस्वरूप 2000-01 की तुलना में 2010-11 की अवधि के दौरान में कपास की उपज में उछाल आया। 2010-11 से चावल, गेहूं, दालों, तिलहनों और कपास की औसत में प्रतिशत परिवर्तन भी घटते रुझान प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि चिंता का कारण है।

चित्र 5.10 : मुख्त फसलों की औसत उपज में प्रतिशत परिवर्तन

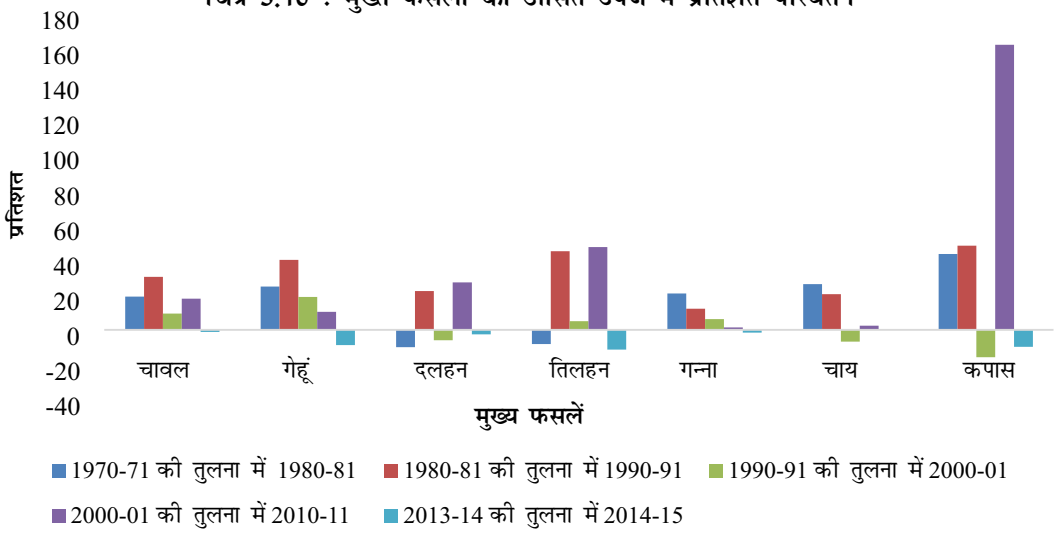

स्रोत: अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

चित्र 5.11 : चुनिंदा देशों में औसत अनाज की उपज, 2013

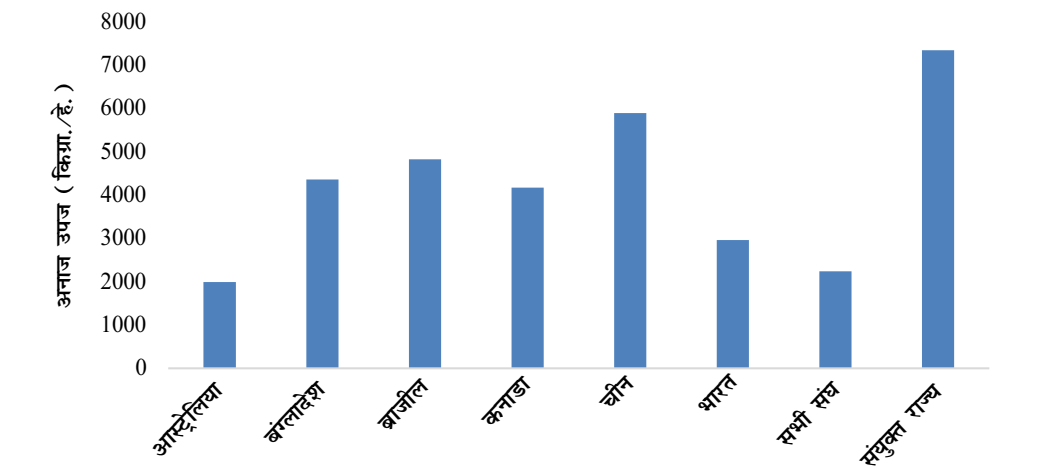

स्रोत: विश्व बैंक, 2015 ओर एफएओ स्टैट, 2015

नोट: राज्य भूमि के प्रतिहेक्टर कि.ग्रा. के रूप में मापी गई अन्न उपज में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई, राई, बाजरा, ज्वार, कूटू और मिश्रित अन्न शामिल हैं। अनाजों पर उत्पादन आंकड़े केवल सूखे अन्न के लिए काटी गई फसल से संबंधित हैं। इसमें भूसे या भोजन, चारे के लिए हरी कटी फसल या साइलो संरक्षण के लिए और चराई के प्रयोग के लिए काटी गई अन्न फसल शामिल नहीं है। एफएओ ने उत्पादन आंकड़े उस कैलेंडर वर्ष के लिए निर्धारित किए हैं जिसमें अत्यधिक फसल कटाई हुई। वर्ष के अंत के आसपास काटी गई अधिकांश फसल का प्रयोग आगामी वर्ष में किया जाएगा।

5.24 अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं से यह संकेत मिलता है कि भारत में फसलों की उपज अनेक अन्य देशों से बहुत कम हैं (चित्र 5.11)। चीन में प्रति हेक्टेयर 5800 कि.ग्रा. से अधिक की औसत अन्न उपज है जबकि भारत में प्रति हेक्टेयर 3000 कि.ग्रा. से भी कम है। अमरीका में प्रति हेक्टेयर 7000 कि.ग्रा. से अधिक की प्रति हेक्टेयर औसत अन्न उपज सर्वाधिक है।

5.25 कृषि में निम्न उपजों और खेती के अंतर्गत प्रति एकड़ क्षेत्रफल में वृद्धि की सीमित संभावना के चलते भारत को अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निविष्टियों में निवेश करके कृषि में उत्पादनशीलता को बढ़ाना होगा। अत: भारत में कृषि में उन्नत उत्पादनशीलता के मार्ग को सिंचित क्षेत्रों के भाग में विस्तार, जल उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के लिए निवेशों, जल के उपयुक्त मूल्य निर्धारण, लागत को कम करने और अपव्यय को घटाने के लिए कृषि के प्रचालनों का मशीनीकरण, और उपजों को बढाने के लिए उन्नत किस्मों के लिए बीज विकास, तीन से छह महीने की समयावधि में जननिक आधार पर शोधित बीजों के प्रवेश से संबंधित चिंताओं पर बहस करना और इन्हें दूर करना, उन्नत पद्धतियों द्वारा उर्वरकों और कीटनाशकों का दक्ष उपयोग, आयातों पर बिना किसी पाबंदी के उर्वरकों का बाजार द्वारा मूल्य-निर्धारण और उर्वरक व अन्य कृषि संबंधी आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति को अपनाना, आर्थिक राज सहायता को किसानों के लिए और कृषि निवेशों के अदक्ष प्रचालनों के लिए श्रेणीबद्ध करना और लक्षित करना, निवेशों के लिए किसानों को उन दरों पर ऋण उपलब्ध कराना जिन पर वित्तीय संस्थान उनकी जमा राशियों के लिए भुगतान करते हैं, बैंकों के कृषि संबंधी प्रचालनों की अनर्जक आस्तियों और गैर-कृषि प्रचालनों से रक्षा करना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणों के द्वारा कृषिगत वित्त की अंतरमध्स्थता को बदलना और उन्नत समयबद्ध कृषि परामर्शदात्री सेवाओं के सहायतार्थ तत्काल सूचना प्रणाली के विकास द्वारा प्रशस्त किए जाने की आवश्यकता है।

कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय

(1) सिंचाई

5.26 भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि योग्य जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था को बढाने और पानी के दक्ष उपयोग और युक्तिसंगत कीमत निर्धारण (प्राइसिंग) के उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने की जरुरत है। सबसे पहले ऐसे परिदृश्य में जहां प्रवाहित सिंचाई के कारण पानी की अत्याधिक बर्बादी होती है, सिंचाई की उन प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना अत्यावश्यक है जिनसे पानी के दक्ष उपयोग में सुधार लाया जा सके। दूसरे, जलवायु परिवर्तन कारको के कारण पानी की उपलब्धता में तेजी से होने वाली कमी तथा कृषि एवं अन्य उपयोगों में पानी की अंधाधुंध बर्बादी को देखते हुए दक्ष सिंचाई प्रौद्योगिकियों पर घ्यान केन्द्रीत करना बहुत जरुरी हो गया है। कारगर सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माधयम से 'हर जलकण दे अपार अन्न' का लक्ष्य निर्धारित करके कृषि उत्पादकता में सुधार लाया जाना चाहिए जिससे भविष्य के लिए भी खाद्य और जल सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा. सिंचाई के अत्याधिक महत्व को नीचे दिए गए चित्र 5.12 से लक्षित किया जा सकता है जिसमें वर्षा पोषित और सिंचाई पोषित कृषि में प्रति फसल पैदावार को दर्शाया गया है:-

भारत की कुल फसल में उत्पादन क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र

चित्र 5.12 वर्षा निधि तथा सिंचित कृषि के अंतर्गत अनाजों की तुलनात्मक उपज

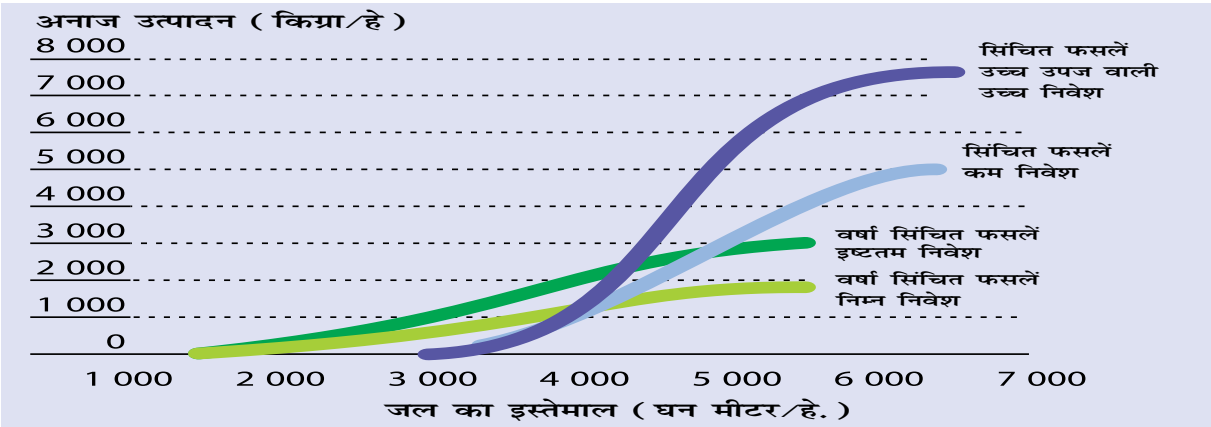

स्रोत: एफएओ, 2002

5.27 सिंचाई संबंधी नवीनतम डाटा के अनुसार वर्ष 2012-13 में पूरे भारत के कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशतता वितरण 33.9 प्रतिशत था। कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का राज्यवार प्रतिशतता वितरण चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। कुल फसल उत्पादन क्षेत्र के निवल सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है और शेष राज्यों में यह 50 प्रतिशत से कम होने की रिपोर्ट मिली है (चित्र 5.14)। कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पूरे देश में सिंचित क्षेत्र की परिधि को बढ़ाए जाने की जरुरत है और इसकी गुंजाइश भी है।

5.28 योजना अवधियों के दौरान भारत में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग सारणी 5.9 में दर्शाया गया है। भारत की

चित्र 5.13 : कुल फसल क्षेत्र में राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र

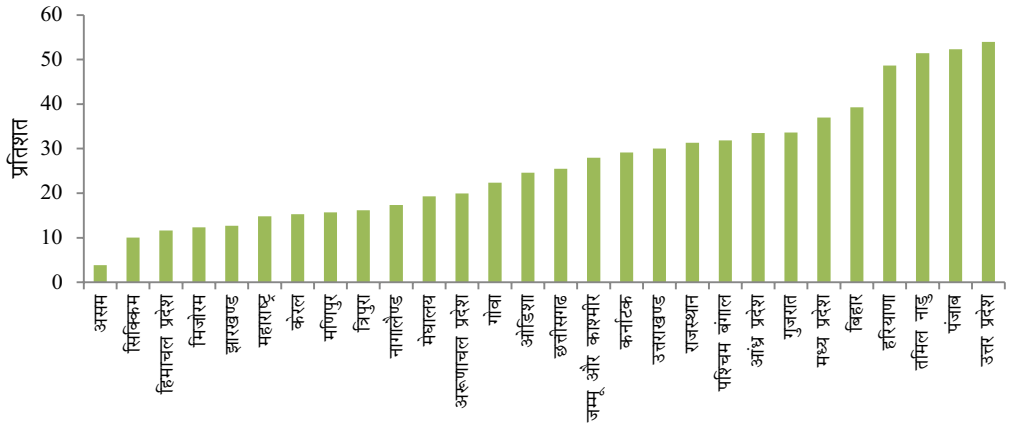

***स्रोत:* अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय**

***टिप्पणी:* निवल सिंचित क्षेत्र सकल सिंचित क्षेत्र में से घटाया गया एक बार से ज्यादा सिंचित क्षेत्र हैं।**

चित्र 5.14 : निवल सिंचित क्षेत्र में चावल की उपज

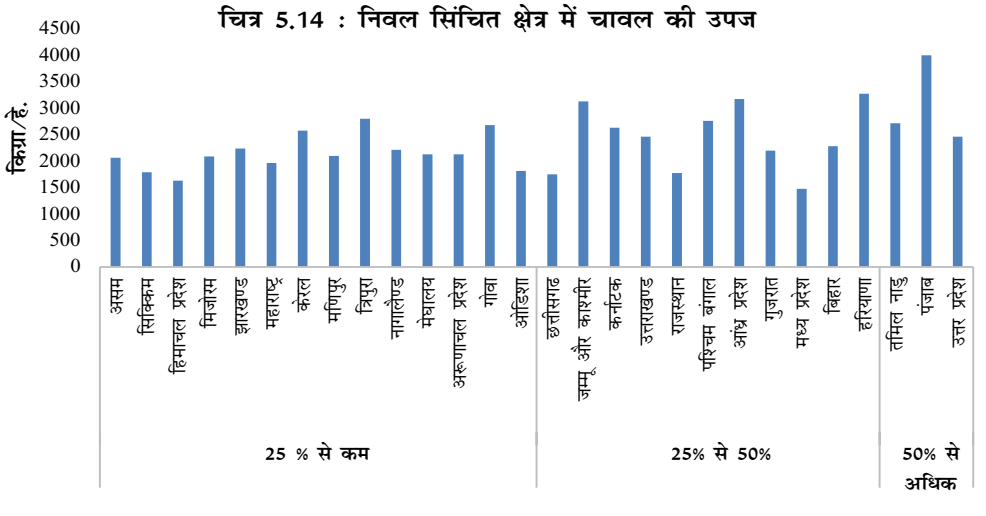

***स्रोत:* अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय**

कुल अधिकतम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) 140 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) है। पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच काफी अंतर रहा है। समुचित आपरेशन और अनुरक्षण के अभाव, अपूर्ण वितरण प्रणाली, कमान क्षेत्र के अधूरे विकास, फसल उत्पादन के पैटर्न में परिवर्तन और सिंचित भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने के कारण आईपीयू तथा आईपीसी के अनुपात में सुस्पष्ट

गिरावट देखी जा सकती है।

सारणी 5.9 : योजना अवधि के दौरान आईपीसी तथा आईपीयू

योजना अवधि	सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी) (मि.हे.)	उपयोग की गई सिंचाई क्षमता (आईपीयू) (मि.हे.)	सृजित के प्रति उपयोग का अनुपात
सातवीं योजना	11.31	9.77	0.86
वार्षिक योजना	4.56	4.27	0.94
आठवीं योजना	5.17	4.36	0.84
नौवीं योजना	7.69	3.79	0.49
दसवीं योजना	8.82	6.23	0.71
ग्यारहवीं योजना	9.5	2.71	0.29

***स्रोत:* जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना, खंड-I के लिए ।**

5.29 सिंचाई क्षमता के उपयोग में गिरावट के इस रुझान को रोकना तथा अगले दो-तीन वर्षों में इसका रुख पलटना बहुत जरूरी है। मनरेगा, रोजगार उत्पन्न करने वाली अन्य स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन और अनुरक्षण के लिए किया जाना चाहिए जिसमें सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जलाशयों तथा अन्य जल स्रोतों से गाद हटाना और उनकी मरम्मत करना भी शामिल है।

सिंचाई में दक्षता

5.30 कृषि प्रणालियों की दक्षता कृषि उत्पादकता को बढाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। कृषि संबंधी कार्यबल (नीति आयोग, 2015) के अनुसार पानी की लगातार बढती कमी, अति सिंचाई के कारण पानी की बर्बादी और मिट्टी की लवणता की समस्या के चलते भारत के कई भागों में सिंचाई की पुरानी प्रणालियां अव्यवहार्य हो गई हैं। ऐसी दक्षतापूर्ण सिंचाई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की तरह आर्थिक एवं तकनीकी दोनों दृष्टियों से दक्ष हों, पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग में सुधार किया जा सकता है, श्रम लागतों और बिजली की खपत को कम करके उत्पादन की लागत घटाई जा सकती है। स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए खेतों में डब्ल्यूयूई (जल-उपयोग-दक्षता) को बढ़ाना पीएमकेएसवाई (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) के उद्देश्यों में शामिल है जिसके जरिए स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि जैसी सटीक मात्रा में सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी की जा सकेगी।

5.31 भारत में लघु सिंचाई प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले प्रमुख राज्यों में से कुछ में इसके सफल परिणामों को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के मुद्दे को बल मिला है (एनसीपीएएच, 2009)। गुजरात, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में मूंगफली और कपास की खेती में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रक्रिया को अपनाने से लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत हुई। ड्रिप सिंचाई प्रक्रिया से सिंचाई करने से बागवानी फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में लगभग 40 से 65 प्रतिशत की बचत की जा सकी और सब्जियों के मामले में 30 से 47 फीसदी तक पानी बचाया गया। इन राज्यों के अन्य क्षत्रों में अन्य फसलों के लिए और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में फसलों के लिए इन उदाहरणों का अनुकरण किया जाना चाहिए।

जल उत्पादकता

5.32 अखिल भारतीय स्तर पर पानी की उत्पादकता बहुत कम है जिसे टैपिंग, कटाई और रिसाइकलिंग पानी के उपयोग, खेती में दक्षतापूर्ण जन प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर, लघु सिंचाई तथा अपशिष्ट जल एवं संसाधान संरक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए बढ़ाया जाना चाहिए। भारत में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की समग्र सिंचाई दक्षता 38 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है। सतह सिंचाई प्रणाली की दक्षता को 35-40 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 60 तक तथा भूमिगत जल की दक्षता को 65-70 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 75 प्रतिशत तक सुधारा जा सकता है। सूखे की स्थिति पैदा न होने पाए जैसे कृषि क्षेत्र में 'हर जलकण दे अपार अन्न' को सुनिचित किया जा सके इसके लिए पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देनें के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरु की है जिसका लक्ष्य हर क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध करवाना है।

(ii) मशीनीकरण

5.34 खेती के प्रत्येक कार्य के लिए बेहतर उपकरणों की उपलब्धता की दृष्टि से भारत में कृषि मशीनीकरण के स्तर पर और अधिक कार्य किए जाने की जरुरत है क्योंकि इसके जरिए ही कृषि में कठोर परिश्रम से बचा

जा सकेगा, समय और श्रम की बचत से दक्षता बढ़ाई जा सकेगी, उत्पादकता में सुधार होगा, अपव्यय को कम किया जा सकेगा तथा प्रत्येक कृषि कार्य में श्रम की लागत को कम किया जा सकेगा। गांवों से शहरों की ओर पलायन, कृषि कार्यों के बजाय अन्य सेवाओं की ओर आकर्षण तथा कृषि इतर कार्यों में श्रम की बढ़ती मांग जैसे कई कारणों से कृषि कार्यों के लिए श्रम की उपलब्धता में कमी आने से यह जरूरी हो गया है कि कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध श्रम का उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तथा इस स्थिति ने कृषि के मशीनीकरण के मुद्दे को और भी प्रासंगिक बना दिया है। भारतीय कृषि का एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि कृषि क्षेत्र में खेती और प्रसंस्करण दोनों चरणों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्य करती हैं। अत: श्रम दक्षता की दृष्टि से तैयार उपकरणों और उपस्करों के इस्तेमाल से कठोर परिश्रम से बचाव तथा सुरक्षा एवं सुविधा में वृद्धि महिला कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुकूल है और इससे कृषि में प्रौद्योगिकियों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा।

5.35 सारणी 5.10 में भारतीय कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के स्तर को दर्शाया गया है। भारत में अधिकांश कृषि कार्यों के लिए मशीनीकरण का स्तर 50 फीसदी से कम है।

सारणी 5.10 : भारतीय कृषि में मशीनीकरण का स्तर

कृषि कार्य	मशीनीकरण की प्रतिशतता
मिट्टी तैयार करना और बोने योग्य खेत तैयार करना	40
बीज बोना और रोपाई	29
पौध संरक्षण कार्य	34
सिंचाई	37
फसल कटाईधगाहना	गेहूं और धान के लिए 60 से 70 प्रतिशत तथा अन्य फसलों के लिए 5 प्रतिशत से कम

***स्रोत:* कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग**

5.36 कृषि मशीनरी और विनिर्माता संघ के अनुसार भारत में बड़े किसान (20 एकड़ या उससे अधिक जमीन वाले) 38 प्रतिशत तक मझोले किसान (5-20 एकड़ वाले) 18 प्रतिशत तक तथा सीमांत किसान लगभग 1 प्रतिशत तक ट्रेक्टरों का उपयोग करते हैं। जोतों के बंटवारे में वृद्धि होने और छोटे किसानों द्वारा ट्रेक्टरों के उपयोग की निम्न दर के कारण निजी भागीदारी वाले एक ऐसे बाजार की आवश्यकता महसूस होती है जहां ट्रेक्टर किराए पर उपलब्ध हो सकें। ठीक वैसे ही जैसे कि कारें और सड़क निर्माण संबंधी उपस्कर आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। ट्रेक्टर विनिर्माताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों को उपयुक्त मोबाईल तथा इंटरनेट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इस तरह की व्यवस्था प्रारंभ करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इससे ट्रेक्टरों की मांग में भी वृद्धि होगी।

5.37 उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मझोले और सीमांत किसानों को घरेलूधअनुकूलित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके तैयार किए गए ऐसे उपयुक्त कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो टिकाऊ, हल्के, सस्ते हों तथा फसल और कार्य विशेष को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हों।

(iii) बीजों को विकसित करके उत्पादकता बढ़ाना

5.38 बीज, कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से बुनियादी इनपुट है। अनुमान है कि 20 से 25 उत्पादकता बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है (डीएसीएंडएफडब्ल्यू 2015)। अत: भारत में कृषि उत्पादन में सुधार के लिए अन्य इनपुट के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

5.39 भारत में बीज संबंधी क्षेत्र में विविध समस्याएं मौजूद हैं जैसे नए बीजों विशेषकर जल्दी पकने वाली और प्रतिरोधी (कीट, नमी, बदलावों आदि के प्रति) किस्मों के विकास के लिए समुचित अनुसंधान कार्य न हो पाना, मझौले और सीमांत किसानों को सस्ते बीज न मिल पाना, गुणवत्तापूर्ण बीजों की कम आपूर्ति, जीएम (आनुवांशिक रूप से परिष्कृत) फसलों को अपनाने से संबंधित मुद्दों का समाधान न हो पाना, प्रतियोगियों की अपर्याप्त संख्या के कारण प्रतिस्पर्धा का सीमित हो जाना आदि। बीज क्षेत्र से संबंधित जिन मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए वे हैं:-

1. बीज खरीदने की क्षमता: मुक्त परागण किस्मों वाले बीजों को किसान अपनी ही फसलों से तैयार कर सकते हैं। हालांकि अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों के लिए किसानों को प्रत्येक फसल के लिए बाजार पर निर्भर रहना होगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए संकर बीज की लागत बहुत अधिक

बॉक्स 5.2 :- उत्तर प्रदेश में संकर बीजों का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

सितम्बर 2014 में पारदर्शी किसान सेवा योजना (पीकेएसवाई) प्रारंभ की गई थी जिसे अप्रैल 2015 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया ताकि किसानों को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) सब्सिडी के जरिए संकर बीजों का वितरण किया जा सके। इस योजना का उदेश्य लक्षित लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाना तथा सब्सिडी वाले बीजों के संबंध में होने वाले भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को रोकना था। इस स्कीम के तहत किसानों को एक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होता है जहां उनके नाम, पते और भूमि जोत राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी) संबंधी विवरण दर्ज किया जाता है तथा उन्हें एक यूनिक किसान आईडी प्रदान की जाती है। इसके बाद आगे किए जाने वाले सभी संव्यवहार इसी डाटाबेस के आधार पर किए जाते हैं। ट्रेजरी के माध्यम से सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर चालित है और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में अदा की जाती है। इस स्कीम के अधीन 15,173 क्विंटल बीज खरीदे गए तथा 23.77 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई। 14.12.2015 तक डीबीटी के तहत गेहूं के 4.58 लाख क्विंटल संकर बीज वितरित कर दिए गए थे। इसके अलावा दालों के 22,296 क्विंटल संकर बीज, तिलहन के 1111 क्विंटल और जौ के 960 क्विंटल संकर बीज वितरित किए गए। इस स्कीम के तहत कुल 564909 किसानों को लाभ पहुंचा।

पीकेएसवाई (संकर बीजों पर डीबीटी सब्सिडी) के तहत सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में जाने से सब्सिडी संबंधी खामियां कम हुई। इससे वित्तीय हेराफेरी की संभावना भी घट गई और किसानों तथा विभागों के बीच आपसी संवाद बेहतर हुआ। हालांकि किसानों का डाटाबेस तैयार करने और उसका प्रबंधन करने, स्कीम के बारे में जागरुकता फैलाने तथा वितरित बीजों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की चुनौतियां इस स्कीम के तहत मौजूद हैं।

इस जमीनी हकीकत के नजरिए से इस स्कीम में सुधार किए जाने की जरूरत है कि सभी किसान (बंटाई पर खेती करने वाले) जमीन के मालिक नहीं होते हैं और उनके पास खतौनी नहीं होती है। गेहूं (जिसका एक अधिकतम समर्थन मूल्य और व्यापक खरीद प्रणाली है) जैसी फसलों के अनुकूल उत्पादन में कमी पीकेएसवाई में लगातार दिखती रही है। यह सब्सिडी फसल/उर्वरक इनपुट की दृष्टि से निष्पक्ष तरीके से वितरित की जानी चाहिए। पीकेएसवाई के वास्तविक लाभों का मूल्यांकन प्रयुक्त एचवाईवी बीजों से होने वाले उच्च उत्पादन के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

बॉक्स 5.3: बिनौले का मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015

दिसम्बर 2015 में अधिसूचित किए गए बिनौले के मूल्य (नियंत्रण) आदेश के अनुसार सरकार ने बिनौले का अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। आदेशानुसार, सरकार यथा आवश्यकता बीज मूल्य, एकमुश्त और आवर्ती रॉयल्टी सहित लाइसेंस शुल्क (ट्रेट वैल्यू), व्यापार लाभ तथा अन्य करों पर विचार करने के बाद, समय-समय पर जैसा उपयुक्त समझेगी, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को या उसके पहले बिनौलों का अधिकतम बिक्री मूल्य राजपत्र में अधिसूचित करेगी जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा। यह निर्णय भी लिया गया है कि बीज के मूल्य तथा रॉयल्टी या ट्रेट वैल्यू सहित लाइसेंस शुल्क को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित और विनियमित किया जाएगा। यह बीज अधिनियम, 1966 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

बिनौले के अधिकतम बिक्री मूल्य की सिफारिश करने के लिए संयुक्त सचिव (बीज) एवं नियंत्रक, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति बिनौले का अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों या संघों या प्राधिकरण से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगी जिन्हें यह आवश्यक समझेगी। 'अधिकतम बिक्री मूल्य' वह अधिकतम कीमत होती है जिसमें बीज का मूल्य, लाइसेंस शुल्क, व्यापार लाभ, तथा स्थानीय कर और शुल्क शामिल होते हैं तथा जिस पर बिनौले या बिनौलों की ट्रांसजेनिक किस्में किसानों को बेची जाती हैं। अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करते समय सरकार बीज का मूल्य तथा रॉयल्टी या ट्रेट वैल्यू सहित लाइसेंस शुल्क, यदि कोई होगा, भी निर्धारित और विनियमित करेगी जो अधिकतम बिक्री मूल्य के घटक होंगे। तदनुसार कोई भी लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारी यह डीलर अधिकतम बिक्री मूल्य से ज्यादा कीमत पर बिनौले की बिक्री नहीं कर सकेगा या सरकार द्वारा अधिसूचित लाइसेंस शुल्क से ज्यादा लाइसेंस शुल्क एकत्र नहीं कर सकेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या इसके अधीन दिए गए किसी दिशानिर्देश या अपेक्षा का अनुपालन नहीं करेगा तो उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन दंडित किया जाएगा।

लागत और मूल्य डाटा में विषमताओं/अनुमानों, उपयोग के स्तरों/दक्षता/अपनाए गये मानकों/गारंटीयुक्त प्रतिफलों, इसको प्राप्त करने में लगे समय तथा नियंत्रित मूल्य में परिवर्तन, ऐसे मूल्य को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता के परिणामस्वरूप, भारत में नियंत्रित निश्चित मूल्यों में विगत के अनुभव और सीमाओं को देखते हुए ये वांछनीय है कि बाजारों को बीजों के मूल्य का निर्धारण करने दिया जाये। अधिक कंपनियों से प्रतियोगिता बढ़ाकर कीमतों की हेरा-फेरी और कार्टेल निर्माण के मामलों में रोकथाम/कमी में सहायता मिल सकती है।

होने के कारण खेती की व्यवहार्यता प्रभावित होती है (बॉक्स 5.2 तथा बॉक्स 5.3 देखें)।

2. उपलब्धता: गुणवतापूर्ण बीजों की आपूर्ति में कमी चिंता का एक और विषय है। हालांकि गैर प्रमाणित बीजों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाती रही है परंतु वास्तव में प्रमाणन भी बीजों की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है। इस संबंध में अधिक अच्छा यह होगा कि बाजार में बीजों के लिए अधिकाधिक प्रतियोगियों (निजी और सरकारी) और प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाया जाए जिसके जरिए कम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता में सुधार का मार्ग खुल सकेगा।

3. बीजों के विकास के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी: देश में हुई पहली हरित क्रांति में गेहूं और धान के देश में ही विकसित एचआईवी (उच्च उपज देने वाली किस्में) वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया था। पर्याप्त अनुसंधान और आनुवांशिक इंजीनियरी के अभाव के कारण पिछले कुछ दशकों में भारत में प्रमुख फसलों के बीजोंधबीज प्रौद्योगिकियों के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। हरित क्रांति के दूसरे चरण को प्रारंभ करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में बीजध बीज प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करने की जरुरत है। इस विकास में कृषि के सभी पहलुओंध फसलों अर्थात अनाज, मोटे अनाज,फल सब्जियों, दालों, तिलहन, पशुपालन तथा मछलीपालन को एक साथ शामिल किया जाना चाहिए।

4. आनुवांशिक रुप से परिष्कृत (जीएम) फसलें और बीज : संकर और जीएम बीजों के महंगा होने के कारण, जीएम फसलों की खेती से जुड़े पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दों के कारण, खाद्य श्रृंखला को संभाव्य जोखिम, बीमारी फैलने की संभावना, पार-परागण आदि जैसे कारणों के चलते इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। इन मुद्दों पर बहस, परीक्षण और मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है ताकि अगले तीन से छह माह में संकर बीजों का उपयोग शुरु किया जा सके। बीजों की संकर और अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करना ही वह सुनिश्चित मार्ग है जिससे भारतीय कृषि में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

(iv) उर्वरक

5.40 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक एक महत्वपूर्ण और महंगा साधन है। भारत में 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति की शुरूआत से उर्वरकों के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों के प्रयोग को बढावा देने और उसे सुसाध्य बनाने के लिए सरकार किसानों को उर्वरक सब्सिडी देती आ रही है। 2013-14 में उर्वरक सब्सिडी कुल कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 10 प्रतिशत रही है। जैसा कि **चित्र 5.15** में देखा जा सकता है।

5.41 तथापि, उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई हैं। 1970 के दशक से उर्वरकों का गिरता अनुक्रिय अनुपात अथवा सीमांत उत्पादकता भारतीय कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के खराब उपयोग का एक संकेत है (**देखें चित्र 5.18**)। जैसा कि चित्र 5.18 में देखा जा सकता है, एनपीके उर्वरक के प्रति किलोग्राम प्रयोग पर अनाज की उपज सिंचित

चित्र 5.15 : कृषि/और कृषि तथा संबद्ध स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में उर्वरक सब्सिडी

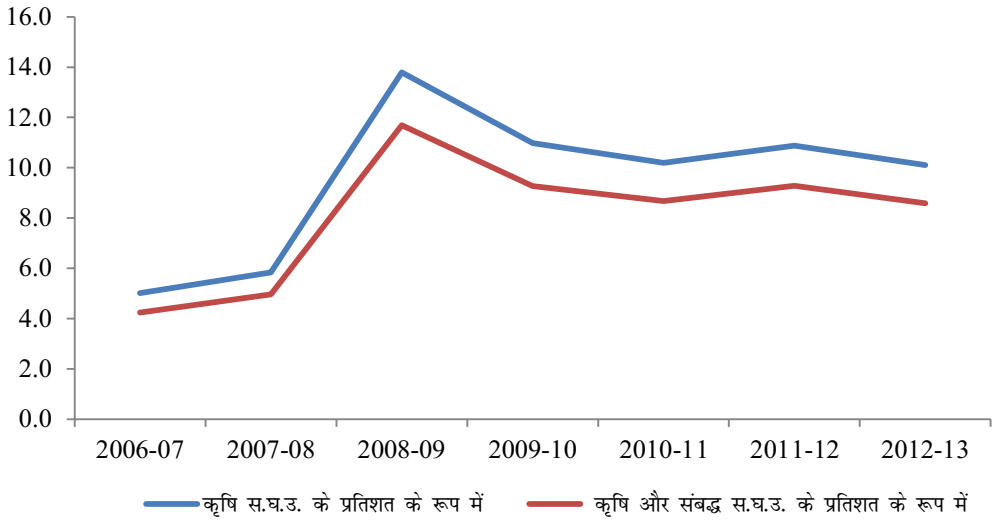

चित्र 5.16 : सिंचित क्षेत्र में उर्वरक अनुक्रिया अनुपात

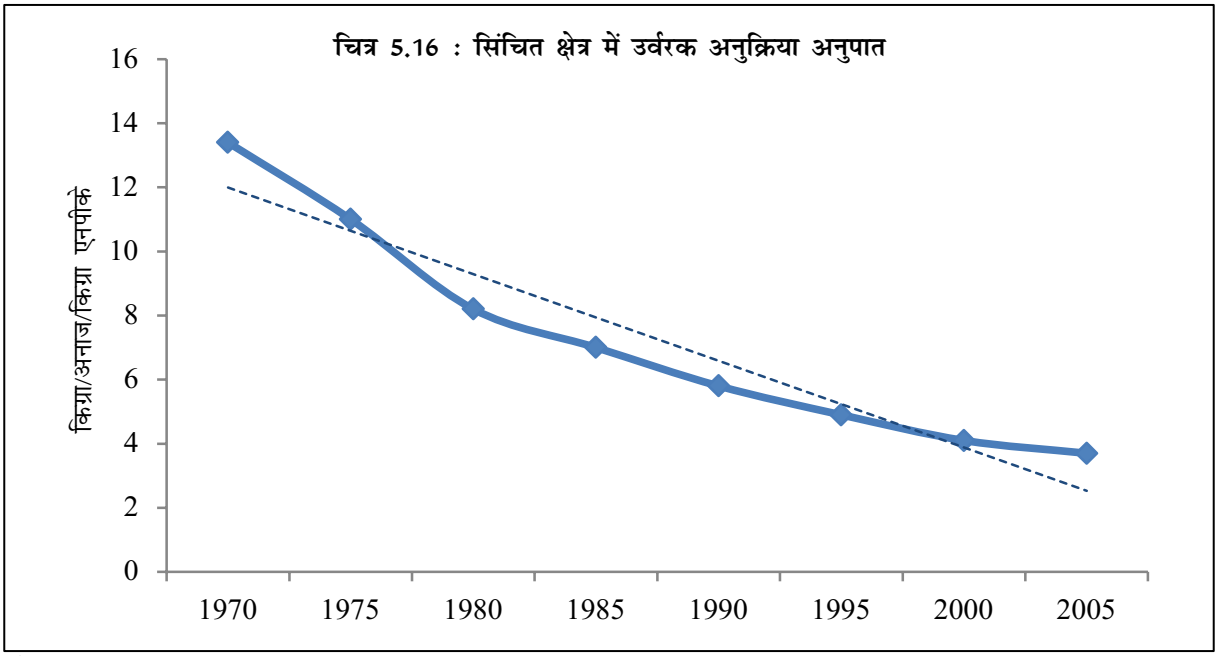

स्रोत: उर्वरक विभाग

क्षेत्रों में 1970 में प्रति हेक्टेयर 13.4 किलोग्राम अनाज से घटकर 2005 तक प्रति हेक्टेयर 3.7 किलोग्राम अनाज रह गई।

5.42 हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र के परिदृश्य में उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन दिखाई देते हैं जैसे कि विशेषकर यूरिया जैसे उर्वरक के कमधविकृत मूल्य के कारण यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता, कम्पोस्ट खाद और प्राकृतिक पोषण मुहैया कराने वाले अन्य साधनों का नगण्य/कम प्रयोग और उसके प्रयोग में व्याप्त फसलवार और क्षेत्रीय असंतुलन, अंत: और आवर्ती फसल उगाने की परिपाटी समाप्त करना। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी युक्त उर्वरकों को कृषि भिन्न प्रयोग में भी लगाया गया है। उर्वरकों के अंधाधुध प्रयोग से फसलों की उपज तो नहीं बढ़ी लेकिन कई स्थानों पर मृदा की उर्वकता में कमी हुई और कई स्थानों पर मिट्टी में लवणता बढ़ गई। उर्वरक सब्सिडी को निविष्टि, फसल और क्षेत्र निरपेक्ष रूप में युक्ति संगत किए जाने और हेरा-फेरी को कम किए जाने की जरूरत है। उर्वरकों पर सब्सिडी का संवितरण डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के जरिए किए जाने की जरूरत है जिससे लाभ बढ़ जायेगे यदि साथ ही साथ उर्वरक उद्योग/उत्पादन पर सभी नियंत्रण (आयात सहित) हटा दिए जाए। एनबीएस (पोषण आधारित सब्सिडी) के साथ पी और के उर्वरक सब्सिडी के मामले में प्रत्येक ग्रेड पर उनके तत्व के आधार पर निश्चित राशि की सब्सिडी दी जाएगी।

5.43 उर्वरको का फसल सापेक्ष, संतुलित प्रयोग: मृदा की स्थिति और उसकी उर्वरता के स्तर के आधार पर उर्वरकों का इष्टतम उपयोग सुसाध्य बनाना महत्वपूर्ण है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को मृदा की स्थिति की जानकारी देने तथा उर्वरक का प्रयोग किए जाने के आधार पर उर्वरक से जोड़ने से, भले ही उर्वरक सब्सिडी युक्त न हो, फसल की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है।

5.44 सूक्ष्म पोषक तत्व और जैविक उर्वरक: देश के अधिकतर भागों में भारतीय मृदा में बोरोन, जिंक, ताम्बा, लोहा आदि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है। जिससे फसल की उपज और उत्पादकता सीमित हो जाती है। आईसीएआर द्वारा किये गये शस्य विज्ञान संबंधी परीक्षणों के अनुसार, सूक्ष्म पोषण तत्वों की अनुपूर्ति करने वाले उर्वरक 0.3 से 0.6 टन प्रति हेक्टयेर तक अनाज में अतिरिक्त उपज बढ़ा सकते है। यदि जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाया जाए तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा, जैविक कम्पोस्ट और खाद अपनाना और इस्तेमाल करना छोटे किसानों के लिए सस्ता होगा। इससे मृदा की उर्वरकता को बनाये रखना और उसमें सुधार लाना संभव होगा। चूंकि भारतीय मृदा का 67 प्रतिशत हिस्सा कम जैविक कार्बन से युक्त है, इसलिए जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने की अच्छी खासी गुंजाइश है।

5.45 पोषक तत्व प्रबंधन: मृदा का स्वास्थ्य और उत्पादकता बनाये रखने के लिए रासानायिक उर्वरकों, जैव उर्वरकों और स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक खाद जैसे कि खेतों की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट और मृदा परीक्षण पर आधारित हरी खाद का उचित उपयोग किया जाना जरूरी है। भारत में 12 करोड़ से अधिक कृषि जोतों के चलते, कृषि उत्पादकों में सुधाार लाने के लिए मृदा में पोषक तत्व संबंधी अनेकानेक कमियों दूर करने हेतु मृदा परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और किसानों को मृदा उर्वरता मानचित्र मुहैया कराने से बेहतर उत्पादकता हेतु कार्य दक्ष पोषण प्रबंधन में बहुत मदद मिल सकती है।

5.46 उर्वरक खपत में क्षेत्रीय असमानता: उर्वरकों की खपत में भारी क्षेत्रीय विषमता व्याप्त है (देखें चित्र 5.17)। उर्वरकों का खपत में व्याप्त इन विषमता का कारण अधिक खपत करने वाले राज्यों में ऐसी सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता को कहा जा सकता है जो उर्वरकों के बेहतर अवशोषण की पूर्वापेक्षा है। उपयुक्त मृदा परीक्षण सुविधाओं और नीतिगत उपायों के जरिये इन विषमताओं को कम किये जाने की जरूरत है।

(v) कीटनाशक

5.47 खर-पतवारों, बीमारियों और कीटनाशकों के चलते भारत में किसान की फसल उपज कमियां 15 से 25 प्रतिशत है। हालांकि फसल उपज बढाने के लिए कीटनाशक जरूरी है। भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक का उपयोग अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। भारत, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उपयोग में लाये गये कीटनाशक का 7.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यूरोप 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जापान 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और कोरिया 6.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मुकाबले 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कम मात्रा का उपयोग करता ह।

5.48 तथापि, भारत में उचित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये बगैर, कीटनाशकों का उपयोग मानक स्तरों से कम कीटनाशकों का उपयोग और कीटनाशक उपयोग के बारे में जागरूकता की कमी प्रमुख कारक हैं। ये कारक भारत में खाद्य उत्पादकों में पाये जा रहे कीटनाशक अवेशष को बढ़ाते हैं जो कि पर्यावरण और मानव दोनों के लिए डर पैदा करता है।

5.49 विषाक्तता के आधार पर कीटनाशकों का वर्गीकरण के बारे में किसानो को आगाह किये जाने की आवश्यकता है। उन्हें यह भी सलाह दी जानी चाहिए कि

चित्र 5.17 : उर्वरक खपत में क्षेत्रीय असमानताऐं (2013)

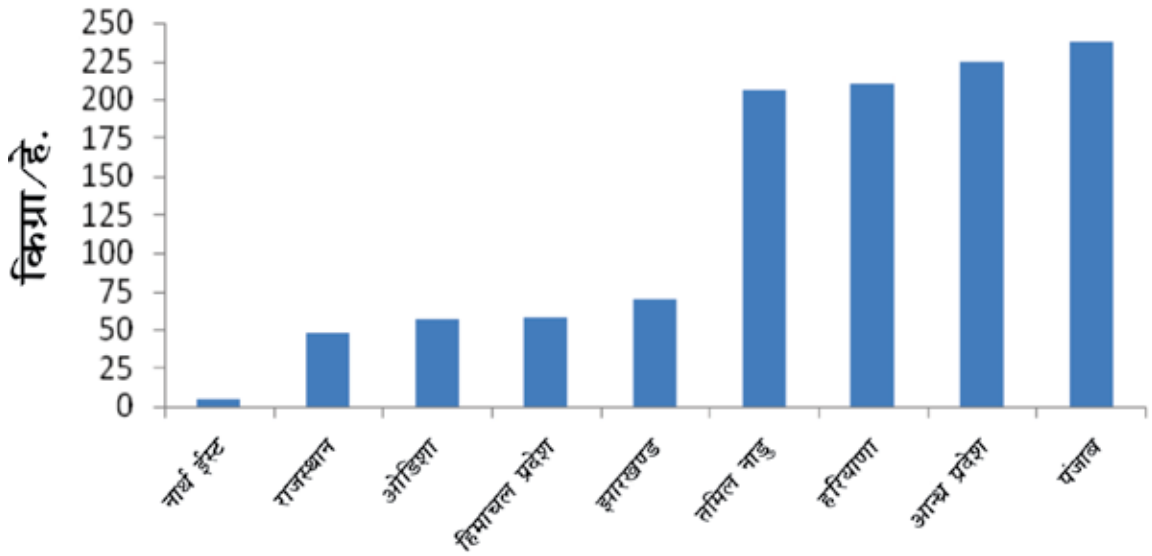

स्रोत: उर्वरक विभाग

क्या छिड़काव उपकरण के लिए कतिपय कीटनाशक उपयोगी हैं। केरल जैसे शिक्षित राज्य में जहां पूरे गांव में इंडो सलफान की वायवीय छिड़काव जैस घटनाएं हुई है, गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां पैदा हुई हैं।

5.50 केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सी.आई.बी.आर.सी) ने कीटनाशकों के प्रयोग, उनकी दवाई लेने की मात्रा, न्यूनतम अंतर रखा जाना और विषाक्तता के स्तर के लिए दिशानिर्देश दिये गये हैं। कीटनाशकों के उचित प्रयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय नुकसान को दूर करने के लिए किसानों के बीच सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) पर अधिक ध्यान केंद्रित किये जाने की भी आवश्यकता है। जिसमें सांस्कृतिक, मैकेनिकल, बॉयोलाजिकल पद्धति को बढ़ा कर और जैव कीटनाशक और जैव नियंत्रण कारकों को तरजीह देते हुए रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता उपयोग द्वारा कीट नियंत्रण प्रणाली के विवेकपूर्ण उपाय शामिल हैं। पर्यावरण अनुकूल होने के नाते, कृषि में उत्पादकता बढाने के लिए छोटे किसानों के बीच अविषाक्त और कीमत प्रभावी जैव कीटनाशकों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।

(vi) ऋण

5.51 उत्पादकता बढाने के लिए कृषि हेतु ऋण एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती साधन है। संस्थागत ऋण की पहुंच से मशीनरी में निवेश करके उत्पादकता बढाने और उर्वरकों, गुणवत्ता वाले बीजों और खादों जैसे विभिन्न साधनों की खरीद में निवेश करके उत्पादकता बढाने में किसान की मदद करता है। उत्पाद की खरीद से किसान को जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक निधियां उपलब्ध कराना जिसमें कभी कभी विलम्ब हो जाता है और समय पर नहीं पहुंच पाती। किसान द्वारा किए जाने वाले साधन का उपयोग कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का होना महत्वपूर्ण है। एनएसएसओ के अनुसार, 70वां दौर का आंकड़ा किसानों की निधियों का अधिक से अधिक 40 प्रतिशत औपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। कुल कृषि ऋण का लगभग 26 प्रतिशत शेयर स्थानीय महाजनों से प्राप्त होता है। तथापि, अनौपचारिक स्रोतों में समय के साथ गिरावट हुई है जिसमें किसानों के लिए संस्थागत ऋण की पहुंच को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता की समस्या का समाधाान जरूरी है। उच्च ब्याज दरों के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रणाली को ब्याज दरों की सरकारी आर्थिक सहायता के स्थान पर विचार किया जा सकता है। कृषिगत ऋण को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता और पूर्ण वित्त मॉडल को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो कि वित्तीय संस्थाओं को चालू सब्सिडीकृत पुर्नवित्त के स्थान पर किसानों द्वारा देय ब्याज को सब्सिडी देगी, को फिर से मूल्यांकित करने और उसे हटाने की आवश्यकता है।

5.52 कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद हेतु कृषिगत ऋण का अनुपात 1999-2000 में 10 प्रतिशत से बढकर 2012-13 में बढ़ कर लगभग 38 प्रतिशत हो गया (चित्र 5.18)। तथापि कृषि अथवा निवेश ऋण में दीर्घावधिक ऋण का शेयर 2006-07 में 55 प्रतिशत से गिरकर 2011-12 में 39 प्रतिशत

चित्र 5.18 : कृषि ऋण एवं कृषि स.घ.उ. का अनुपात

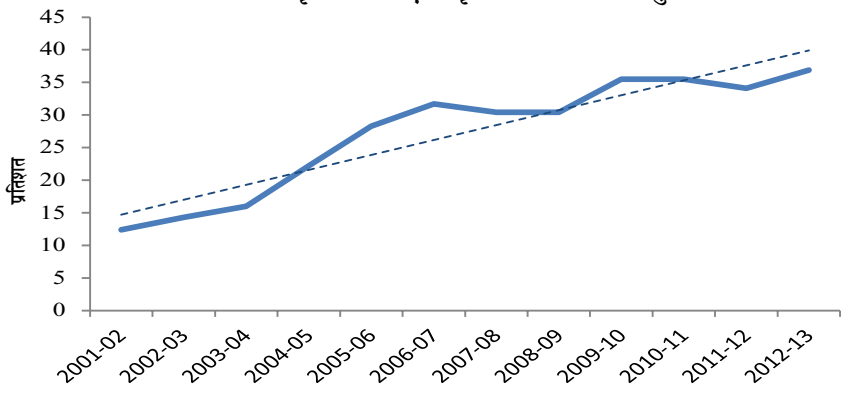

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

हो गया। कृषि में दीर्घावधिक ऋण के शेयर में गिरावट को काबू में किये जाने और रिर्वस में किये जाने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए, सरकार ने कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में निवेश में ऋण को प्राथमिकता दी है। तदनुसार, भारत सरकार ने 2014-15 में 5000 हजार करोड़ के मुकाबले 2015-16 में नाबार्ड में स्थापित दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) के लिए 15,000 करोड़ रूपए के अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए गए हैं। इस निधि की सहायता से 2015-16 के दौरान मध्यम और दीर्घावधिक ऋण के वित्तपोषण हेतु को-ऑपरेटिब बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) नाबार्ड से अधिक पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं।

5.53 कृषिगत ऋण के वितरण में क्षेत्रीय असमानता का भी समाधान किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि देश के उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों के लिए कृषिगत ऋण का कवरेज बहुत कम है। कृषिगत ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए 2014-15 में 8,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 2015-16 के लिए ऋण लक्ष्य 8,50,000 करोड़ रूपए नियत कर दिया है। लक्ष्य के मुकाबले 2014-15 में यह उपलब्धि 8,45,328.23 करोड(अनंतिम) है जबकि 2013-14 में यह उपलब्धि 7,30,122.62 करोड़ रुपये है।

5.54 फसल ऋण मूल रूप से अल्पाधिक होने के चलते भूमि पर फसलों को उगाने के लिए चालू व्यय पूरा करने से है जब तक की फसल की कटाई नहीं हो जाती। अत: मौसमी कृषिगत प्रचालन के लिए यह अल्पावधिक ऋण है। फसल ऋण बड़े निवेशों में प्रभाव नहीं डालते। भारत में किसान 07 प्रतिशत ब्याज पर 03 लाख रूपए तक फसल ऋण ले सकते हैं और 2015-16 के दौरान 04 प्रतिशत तक की ब्याज का प्रभावी दर उन लोगों के लिए कम कर दी गयी जो अपना ऋण तुरंत चुका सकते हैं। ये उपाय अत्यधिक आकस्मिकताओं और मूल्य संबंधी झटकों से निजात पाने में किसानों की मदद करते हैं जो कि उनके मौसमी प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं।

5.55 किसान क्रेडिट कार्ड वाले लघु और सीमांत किसान ब्याज सहायता का लाभ भी उठा सकते हैं जो कि फसल ऋण के लिए उपलब्ध इसी दर पर विक्रय वेयरहाउस प्राप्तियों (एनडब्ल्यूआर) में छह महीनों (कटाई-पश्च) तक की आगे की अवधि के लिए बढा दिया गया है ताकि छोटे किसानों द्वारा होने वाली फसलों की बिक्री की चिंता को कम किया जा सके। एन.डब्ल्यू.आर. के कटाई-पश्च ऋण बड़े फार्म होल्डिंग वाले किसानों के लिए वाणिज्यिक दरों पर उपलब्ध हैं। औपचारिक वेयरहाउसिंग का सीमित प्रसार जो कि एन.डब्लू.आर. को जारी करेगा, वेयरहाउसिंग की अतिरिक्त कीमत और खासकर परिवहन, फार्म के प्रकार/आकार का अंतर करने की असमर्थता, जिस पर लाभों के खराब उपयोग के लिए क्षमता के साथ उत्पाद बढ़ाई जाती है, इस योजना के लाभों को सीमित करता है और इससे किसान को अधिक आय होती है।

5.56 प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि के साथ 2014-15 से प्राकृतिक आपदाओं के चलते संरचित ऋण राशि पर बैंकों को 02 प्रतिशत ब्याज सहायता उपलब्ध है जो किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। यह द्वितीय वर्ष से ब्याज का अंकित दर होगा और यह प्रावधान 2015-16 से जारी है। 31.03.2015 की स्थितिनुसार कृषिगत ऋण खाते की कुल संख्या 8.54 करोड़ रही जिसमें से फसल ऋण 7.41 करोड़ रहा। ब्याज की सस्ती दरे औपचारिक स्रोतों से होने वाली अल्पाधिक और दीर्घाधिक ऋण दोनो ऋण की समय पर उपलब्धता और पंहुच आवश्यक है ताकि कृषि में उत्पाकता बढ़ाई जा सके।

(vii) कृषि विस्तार सेवाएं

5.57 कृषि विस्तार सेवाएं एक और महत्वपूर्ण साधन हैं जो किसानों को सर्वोत्तम परिपाटियां, प्रोद्यौगिकी अपनाने के लिए आपातिक स्थितियों से निपटने के लिए समय पर परामर्शी सेवाएं देकर और बाजार सूचना आदि देकर कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकती हैं। ग्रामीण परामर्शी सेवाओं का वैश्विक मंच ग्रामीण परामर्शी सेवाओं के रूप में भी ज्ञात विस्तार सेवाओं को इस प्रकार परिभाषित करता है ''ऐसे सभी विभिन्न कार्यकलाप जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में किसानों और अन्य भागीदारों द्वारा अपेक्षित और मांगी गयी सेवाये एवं सूचना मुहैया कराते हैं, ताकि उन्हें उनके तकनीकी संगठनात्मक और प्रंबंधन कौशल और व्यवहार का विकास करने में सहायता दी जा सके जिससे उनकी आजिविका और जीवन स्तर में सुधार हो सके। (जी.एफ.आर.ए.एस 2010)''

हांलाकि, भारत में कृषि परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में अनेकानेक एजेंसिया कार्य कर रहीं है. कार्यात्मक स्वतन्त्रता का अभाव, कठोर पदक्रम संरचनाएं जिसके कारण विस्तार सेवाओं की नवीन विधियों का अभाव पैदा होता है और उनके स्तर पर समन्वय में गड़बड़ी होती है, के परिणामस्वरूप विस्तार सेवाओं की त्रुटिपूर्ण सुपुर्दगी होती है।

5.58 कृषि उत्पादकता को बढाने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं को अधिक संगत उपयोगी और सामयिक बनाकर इनमें जान फूंकने की जरूरत है। इसके लिए कोई नई योजना कार्यान्वित करने अथवा मौजूदा योजनाओं में अतिरिक्त परिव्यय रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए एक ही स्थान पर समाधान मुहैया कराने की जरूरत होगी। जहां किसान विशेषकर छोटे और सीमांत किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के समाधाान उपलब्ध हों। यह कार्य इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना किया जाना होगा कि किसान लाभ हेतु तैयार की गई योजना केन्द्रीय क्षेत्र की है या केन्द्रीय प्रायोजित योजना हैं अथवा यह कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना में बंटवारे का अनुपात क्या है या कोई योजना है भी या नही। यह कार्य निविष्टि, फसल और क्षेत्र निरपेक्ष तरीके से किया जाना होगा। विस्तार सेवाओं का उदेश्य यह भी होना चाहिए कि सभी कृषि प्रचालनों में तथा उत्पादन में भी जब तक यह फार्म गेट नहीं छोड देता, निविष्टियों की बर्बादी कम से कम हों। खेतों में कटाई के बाद प्रसंस्करण/मूल्यवर्धन कार्यकलाप बढ़ाने में भी प्रयास किये जाने चाहिए। इसमें जमीनी हकीकत मृदा और जल संबंधी स्थितियों तथा नए बीजों/फसलों के संबंध में सभी उपलब्ध निविष्टयों के कारगर उपयोग तथा अत: एवं आवर्ती रोपण में नई परिपाटियों को महत्व और सहायता दी जानी चाहिए। इन सेवाओं में किसानों के साथ मौसम संबंधी सूचना साझी की जानी चाहिए ताकि बुआई में सुधार किया जा सके जिससे अधिकतम उत्पादन हो सके और तूफान, वर्षा और बाढ संबंधी भी जानकारी दी जाये जिससे फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

5.59 कृषिगत परामर्शी सेवाओं की मांग संचालित किये जाने की आवश्यकता हैं जो कि किसान क्षेत्र और फसलें सापेक्ष आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रौद्योगिकी (मोबाईल व इन्टरनेट) का उपयोग सभी स्टॉक हाल्डरों के साथ कृषिगत विस्तार सेवाओं का समन्वय, उनसे सबंधित अनुक्रम, अन्य ग्रामों, ब्लॉकों, कृषि जलवायु क्षेत्र विशेष तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान, साधनों की आपूर्ति, एग्रो-प्रोसेसर, बाजार और उनकी गतिविधियां विशेषकर मूल्य के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

5.60 कुल सकल पूंजी निर्माण के अनुपात के रूप में सकल कृषि निर्माण (जीसीएफ) 2011-12 मूल्य कीमतों पर 2011-12 में 8.6 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 7.4 प्रतिशत हो गयी। सी.एस.ओ. द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि से जीवीए (जीडीपी) में कृषि और सहबद्ध में जीसीएफ का प्रतिशत शेयर में 2011-12 में 18.3 प्रतिशत से 2014-15 में 15.8 प्रतिशत तक गिरावट में प्रवृति भी देखी गई (देखे सारणी 5.11)। कृषि से होने वाले सरल पूंजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कृषि में निवेश दर प्रदर्शित करता है, गिरते प्रवृति को काबू किये जाने और उसे पुन: वापसी किये जाने की आवश्यकता है चूंकि रोजगार, आय और समावेशी वृद्धि के क्षेत्र की महत्व को देखते हुए कृषि क्षेत्र में वृद्धि अनिवार्य हैं। कृषि में निवेश दर में होने वाली वृद्धि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र से आनी होगी।

सारणी 5.11: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जीवीए और सकल पूंजी निर्माण

वर्ष	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र		कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की जीवीए में जीसीएफ (जीडीपी) का हिस्सा (%)
	जीवीए	जीसीएफ	
2011-12	1501816	274432	18.3
2012-13*	1680797	274727	16.3
2013-14*	1902452	322723	17.0
2014-15@	1995251	314640	15.8

स्रोत: **केंद्रीय सांख्यिकी संगठन**

टिप्पणी: ***दूसरे संशोधित अनुमान (नई श्रृंखला) @प्रथम संशोधित अनुमान।**

5.61 कृषि में सकल पूंजी निर्माण और सरल घरेलू उत्पाद के गिरते अनुपात का कारण सरकारी क्षेत्र में निवेशों में हुई गिरावट को कहा जा सकता है। जैसा कि कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण में सरकारी और निजी क्षेत्र के

चित्र 5.19 : कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रतिशत हिस्सा

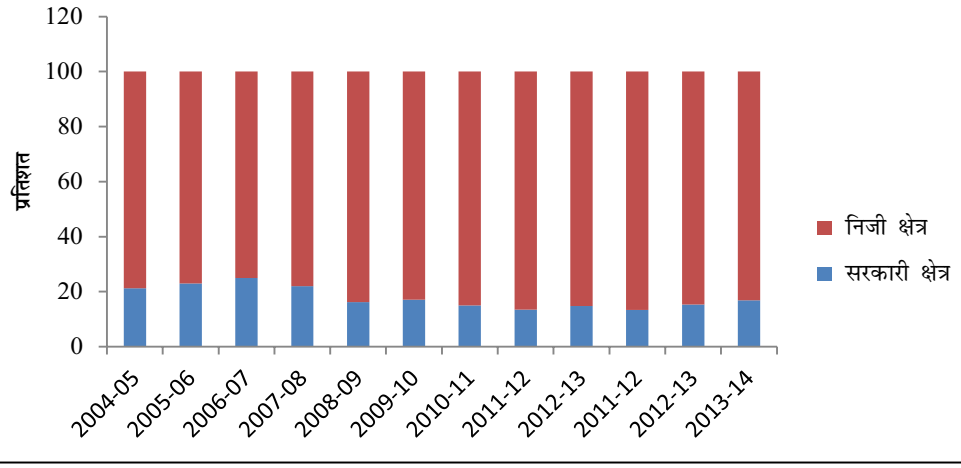

***स्रोत:* सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)**

चित्र में दिखाये गये अनुसार प्रतिशत हिस्से से देखा जा सकता है। सकल पूंजी निर्माण में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 2004-05 में 20 प्रतिशत से अधिक के स्तर से गिरकर 2013-14 तक 16.8 प्रतिशत पर आ गया है (चित्र 5.19)। साथ ही साथ निजी क्षेत्र का हिस्सा 2004-05 में 78 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 तक 83 प्रतिशत हो गया।

बागवानी

5.62 भारत में बागवानी वाली फसलों का परिदृश्य अति उत्साहवर्धक हो गया है। कृषि में बागवानी के ऑउटपुट का प्रतिशत शेयर 33 प्रतिशत से अधिक है। कृषि और संबंधित क्रियाकलापों की सीमा के भीतर, बागवानी के लिए योजना परिव्यय का शेयर, जो कि नवीं योजना के दौरान 3.9 प्रतिशत था, बारहवीं योजना के दौरान बढ़ाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया गया है।

i. उत्पादन

5.63 भारत में विगत कुछ वर्षों के दौरान बागवानी उत्पादन में भारी वृद्धि देखी गई है। क्षेत्र विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ा है। पिछले दशक में, बागवानी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 2.7 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा वार्षिक उत्पादन 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। 2013-14 के दौरान, बागवानी वाली फसलों का उत्पादन 24.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 283.5 मिलियन टन हुआ था। छह वर्गों यथा फलों, सब्जियों, फूलों, ऐरोमेटिक, मसालों और बागान में से 9.5 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि 2013-14 के दौरान फलों के उत्पादन में देखी गई है। सब्जियों का उत्पादन, चित्र 5.20 में यथा प्रतिपादित, 1991-92 से 2014-15 तक 58532 हजार मीटरी टन से 167058 हजार मीटरी टन हो गया है (तृतीय अग्रिम प्राक्कलन)।

चित्र 5.20: विभिन्न बागवानी फसलों का उत्पादन

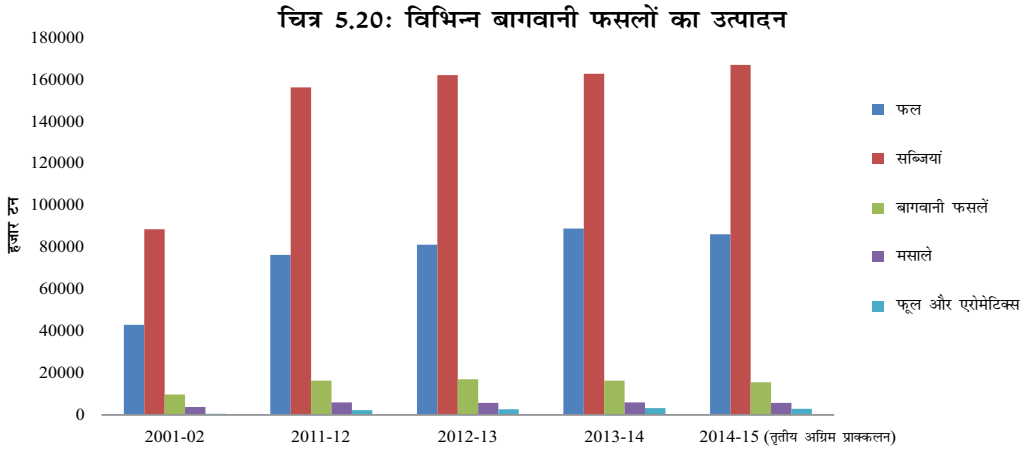

***स्रोत:* कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**

5.64 भारत में विगत पांच वर्षों में (2010-11 से 2014-15 तक) खाद्यान्नों की तुलना में बागवानी फसलों में क्षेत्रफल में तेजी से वृद्धि देखी गई है। निर्धारित अवधि के दौरान बागवानी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में, खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत के विस्तार की तुलना में, लगभग 18 प्रतिशत विस्तार हुआ है। बागवानी फसलों के उत्पादन ने 2012-13 से, जैसा कि चित्र 5.21 में देखा जा सकता है, खाद्यान्न के उत्पादन कर गति बिगाड़ दी।

ii. एकीकृत बागवानी विकास मिशन

5.65 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों, फूलों, ऐरोमेटिक पौधों, नारियल, काजू, कोको को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए बारहवीं योजना के दौरान 2014-15 से प्रारम्भ किया गया है। एमआईएचडी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), उत्तर-पूर्व एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी), केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नागालैंड शामिल हैं। भारत सरकार सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 85 प्रतिशत अंशदान करती है। 2015-16 से, सहायता का पैटर्न भारत सरकार और एनएचएम के बीच 60:40 तथा एचएमएनईएच के लिए 90:10 है। एमआईडीएच के अंतर्गत सभी राज्य शामिल हैं। 2014-15 के दौरान एमआईडीएच के लिए 2263.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से एनएचएम और एचएमएनईएच घटकों के लिए 1584.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.66 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रारम्भ से, विभिन्न बागवानी फसलों के अंतर्गत 24.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। इसके अलावा पुराने और जीर्ण फल-वाटिकाओं के 5.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को नवजीवन प्रदान किया गया है। विभिन्न बागवानी क्रियाकलापों के अधीन 12.04 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। लाभार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्रियों की पूर्ति के 2923 पौधशालाएं (नर्सरियां) स्थापित की गई हैं। संरक्षित कृषि पद्धति के अंतर्गत 1.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। 11.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आईपीएम/आईएनएम (एकीकृत कीट प्रबंधन/एकीकृत पोषक प्रबंधन) के अंतर्गत शामिल किया गया है। 816 आईपीएम अवसंरचनाएं स्थापित की गई हैं। 45858 जल संचयन संरचनाएं तैयार की गई हैं। 610048 छत्तों वाली मधुमक्खी कॉलोनियां वितरित की गई हैं। बागवानी मशीनीकरण के अधीन, पौध संरक्षण उपस्करों सहित, 82771 यांत्रिक उपस्कर वितरित किए गए हैं।

चित्र 5.21 : बागवानी बनाम खाद्यान्न का उत्पादन

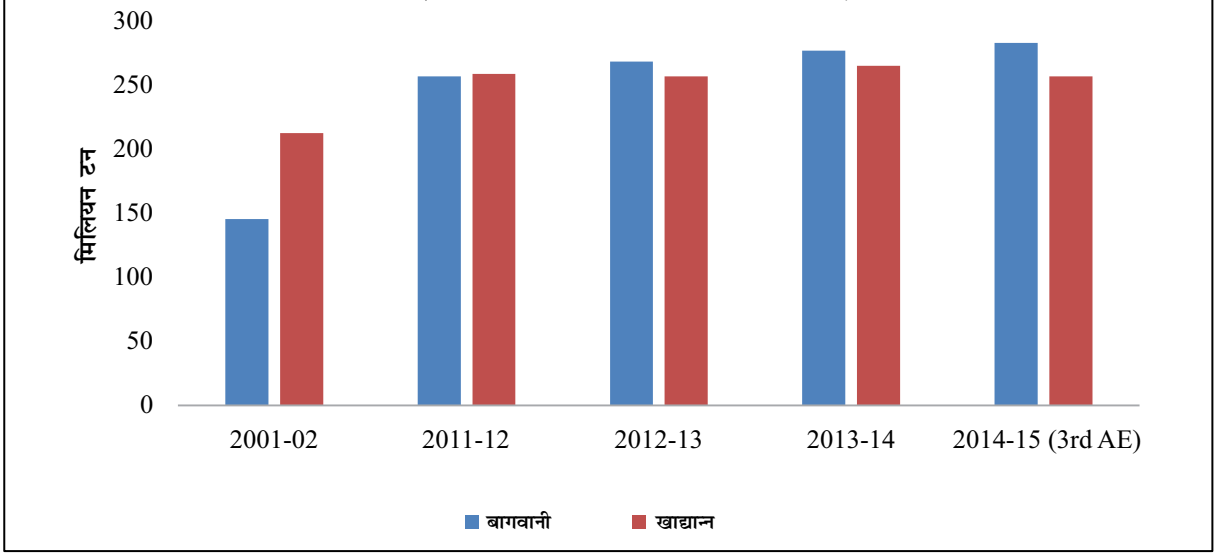

स्रोत: कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

5.67 भारत में बागवानी क्षेत्र के समक्ष मौजूद मुख्य चिंताएं कटाई के बाद की बर्बादी और हानियां हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी (सीआईपीएचईटी) के अध्ययन में 2010 और 2015 के दौरान विभिन्न उत्पादों में बर्बादी की गणना की गई है। अध्ययन के अनुसार संचयी बर्बादी बहुत अधिक है और बागवानी की अधिकांश फसलों में अध्ययन की अवधि (2010 और 2015) के दौरान, जैसा कि सारणी 5.12 में देखा जा सकता है, बढ़ी है।

सारणी 5.12 : भारत में प्रमुख फसलों और वस्तुओं की कटाई और कटाई-पश्च तुलनात्मक नुकसान

	संचयी बर्बादी (प्रतिशत)	
फसल	**2010**	**2015**
अनाज	3.9 - 6.0	4.65 - 5.99
दलहन	4.3 - 6.1	6.36 - 8.40
तिलहन	2.8 - 10.1	5.26 - 9.96
फल और सब्जियां	5.8 - 18.0	4.58 - 15.88
दूध	0.8	0.92
मत्स्यपालन (अंतर्देशीय)	6.9	5.23
मत्स्यपालन (समुद्री)	2.9	10.52
मांस	2.3	2.71
मुर्गी पालन	3.7	6.74
बागवानी फसलें		
अमरूद	18.0	15.8
आम	12.7	9.2
सेब	12.3	10.4
अंगूर	8.3	8.6
पपीता	7.4	7.8
केला	6.6	6.7
अनाज की फसलें		
गेहूँ	6.0	4.9
धान	5.2	5.5
बाजरा	4.8	5.2
मक्का	4.1	4.7

स्रोत: **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**

टिप्पणी: **लाल वाले चित्र में संचयी बर्बादी में वृद्धि दर्शायी गयी है; हरा रंग संचयी बर्बादी में कमी को दर्शाता है।**

5.68 बर्बादी मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर-किसान, ट्रांसपोर्टर, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के स्तरों पर होती है। बर्बादी और हानियां मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में फसल की क्षति, अनुपयुक्त कटाई तकनीक, खराब पैकेजिंग, खराब परिवहन, खराब संभलाई, बहु संभलाई, भंडारण, ग्रेडिंग छंटाई, और नमी की कमी के कारण होती है। यद्यपि 2015-16 के दौरान अब तक 51858 कटायोत्तर अवसंरचनाएं तथा 1106 बाजार अवसंरचनाएं स्थापित की गई हैं, संचयी बर्बादी बहुत अधिक है और बागवानी की फसलों के मामलों में यह 5 से 20 प्रतिशत के बीच है।

5.69 यद्यपि राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र यह दावा करता है कि सर्वाधिक बर्बादी बागवानी के उत्पादों को फार्म गेट से मंडी तक और इसके बाद परिवहन किए जाने के दौरान होती है, उत्पाद की बर्बादी इसकी गति के प्रत्येक स्तर पर, खेत से टेबल तक, होती है, जिसे न्यूनतम किए जाने की आवश्यकता है। तोड़ने से प्रारम्भ करके, खेत के स्तर पर प्रारम्भिक प्रक्रमण, छंटाई और ग्रेडिंग, बाजार के लिए परिवहन, फार्म और आगे के स्तर पर भंडारण, मालगोदामी तक, जो कि मंडी के निकट अवस्थित हो सकता है, ताजगी, नमी की कमी, संभलाई और अन्य हानियां हो सकती हैं। इसका उत्तर सभी स्तरों पर बर्बादी को न्यूनतम करने में है ताकि लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिए किसानों को समर्थ बनाया जा सके और यह कार्य, परिवहन के स्तर सहित प्रत्येक चरण पर पद्धतियों और सुविधाओं में सुधार करके किया जा सकता है।

सम्बद्ध क्षेत्र: पशु पालन, डेरी और मत्स्य उद्योग

5.70 भारतीय कृषि प्रणाली रोजगार, भारवाही पशुओं और खाद प्रदान करते हुए खेती की आय को पूरित करने वाले पशुधन घटक के साथ, प्रमुख रूप से मिश्रित फसल-पशुधन खेती प्रणाली है। भारत, 2013-14 के दौरान 137.69 मिलियन टन की तुलना में, वर्ष 2014-15 के दौरान 6.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 146.3 मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन प्राप्त करके, विश्व उत्पादन में 18.5 प्रतिशत के साथ, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। जबकि एफएओ ने यह रिपोर्ट दिया है कि विश्व दुग्ध उत्पादन 2013

में 765 मिलियन टन से 3.1 प्रतिशत बढ़कर 2014 में 789 मिलियन टन हो गया है।

5.71 भारत में प्रति-व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 1990-91 के 176 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2014-15 तक 322 ग्राम प्रतिदिन हो गई है (देखें चित्र 5.22)। यह 2013 के दौरान 294 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत से अधिक है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में निरंतर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। डेरी कृषि कार्य में संलग्न लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत हो गया है। डेरी उद्योग की सफलता दुग्ध संग्रहण की एकीकृत सहकारी प्रणाली, परिवहन, प्रोसेसिंग और वितरण, पूर्तिकारों और क्रेताओं पर मौसमी प्रभाव को कम करने के लिए इसका दुग्ध पाउडर और उत्पादों के रूप में रूपांतरण, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के खुदरा वितरण, किसान के साथ लाभ को शेयर करने, जो कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसमें वापस लगा दिए जाते हैं, और अन्य कृषि उत्पाद/उत्पादकों द्वारा प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकताओं के कारण प्राप्त हुई है।

5.72 मुर्गी पालन घटक, वाणिज्यिक मुर्गी पालन उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने के अलावा, सरकार का ध्यान पारिवारिक मुर्गी पालन प्रणाली को, जो कि आजीविका के मुद्दे का समाधान करता है, सुदृढ़ करने के लिए है। अंडा और मछली, दोनों, के उत्पादनों ने भी वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है (सारणी 5.13)। 2014-15 में अंडों का उत्पादन लगभग 78.48 बिलियन तथा मुर्गे के मांस का उत्पादन अनुमानत: 3.04 मीटरी टन था। मत्स्य उद्योग का हिस्सा देश के जीडीपी का लगभग 1 प्रतिशत तथा कृषि के जीडीपी का 5.08 प्रतिशत है। 2014-15 के दौरान कुल मछली उत्पादन 10.16 मीटरी टन था जो कि 2013-14 को उत्पादन से 6.18 प्रतिशत बढ़ा है। 2015-16 की पहली दो तिमाहियों के दौरान मछली के उत्पादन ने भी वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है और अनुमानत: यह 4.79 मीटरी टन (अनंतिम) है। आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में कृषि और गैर-कृषि क्रिया-कलापों के विविधकरण के संदर्भ में मुर्गी पालन, और पशुधन के उत्पादों का महत्व बढ़ रहा है।

सारणी 5.13 : प्रमुख पशुधन उत्पाद और मछली उत्पादन

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (मिलियन नग)	मछली (हजार टन)
1990-91	53.9	21101	3836
2000-01	80.6	36632	5656
2006-07	102.6	50653	6869
2007-08	107.9	53583	7127
2008-09	112.2	55562	7620
2009-10	116.4	60267	7914
2010-11	121.8	63024	8400
2011-12	127.9	66450	8700
2012-13	132.4	69731	9040
2013-14	137.7	74752	9572
2014-15	146.3	78484	10164

स्रोत : **पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग**

चित्र 5.22 : भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

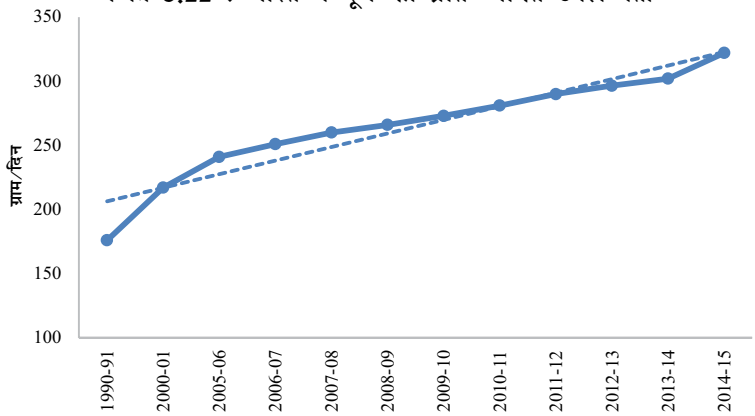

स्रोत : **पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग**

5.73 डेयरी और मुर्गी पालन क्षेत्रों में प्राप्त सफलता से प्रतिस्पर्धा करके, प्रजातियों और क्षेत्रों के आर-पार, पशुधन क्षेत्र के टिकाऊ और सतत् विकास के लिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में, बारहवीं योजना के दौरान 2800 करोड़ रूपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ, प्रारंभ किया गया है। यह मिशन गुणवत्तापूर्ण भोजन और चारा की उपलब्धता, जोखिम कवरेज को सुधारने, प्रभावी विस्तार, उन्नत क्रेडिट प्रवाह, और पशुधन के किसानों/चरवाहों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पशुधन क्षेत्र के टिकाऊ विकास के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मुद्रास्फीति में प्रोटीन मदों का अत्यधिक योगदान होने के कारण, इस क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ती हुई उस मांग से, जोकि खपत व्यय में इन मदों के बढ़ते हुए शेयर में प्रदर्शित की गई है, मेल खाना होगा।

खाद्य प्रबंधन

5.74 खाद्य प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रावधान करना है। खाद्य सुरक्षा का प्रावधान करने में सदा, बिना व्यवधान के, पहुंचयोग्य कीमतों पर खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है। वर्तमान कृषि परिदृश्य में, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत को आपूर्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो कि समय पर और निर्बाध तथा गरीबों की पहुंच के भीतर होना चाहिए। यद्यपि विगत कुछ दशकों में भारत की जीडीपी में वृद्धि प्रभावपूर्ण रही है तथा कृषि उत्पादन भी बढ़ा है फिर भी जनसंख्या के अधिक गरीब वर्गों में चिरकालिक भूख और भूखमरी अब भी विद्यमान है

5.75 66वें चक्र (2009-10) के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत आहार ऊर्जा ग्राह्यता ग्रामीण भारत क्षेत्रों के लिए 2147 किलो कैलोरी तथा शहरी भारत के लिए 2123 किलो कैलोरी है। भारत में पौष्टिकता ग्राह्यता रिपोर्ट, 2011-12 (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) 68वां चक्र) के अनुसार मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) द्वारा निर्धारित रैंक के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में निचले 5 प्रतिशत में से, 57 प्रतिशत परिवार की कैलोरी ग्राह्यता 2160 किलो कैलोरी/उपभोक्ता ईकाई/दिन है।

5.76 औसत प्रोटीन ग्राह्यत प्रति व्यक्ति प्रति दिन ग्रामीण भारत में एमपीसीई लेवल के साथ सतत् रूप से बढ़ रही है अर्थात् एमपीसीई द्वारा निर्धारित रैंक के अनुसार जनसंख्या के नीचले 5 प्रतिशत के लिए 43 ग्राम से ऊपरी 5 प्रतिशत के लिए 91 ग्राम तक है, और शहरी भारत में निचले 5 प्रतिशत के लिए 44 ग्राम से लेकर ऊपरी 5 प्रतिशत के लिए लगभग 87 ग्राम है।

5.76 भारत में कुल जनसंख्या में कुपोषण की मौजूदगी को दर्शाता है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या सर्वाधिक दूसरे स्थान पर, 194.6 मिलियन है (विश्व में खाद्य सुरक्षा की स्थिति, 2015, पर एफएओ की रिपोर्ट) जिस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यता है। साथ ही, गरीबी की रेखा के नीचे 27 प्रतिशत जनसंख्या के साथ, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है क्योंकि उनके परिवार की आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च किया जाता है। इसलिए खाद्य सब्सिडी के प्रावधान के साथ, कृषि वस्तुओं की कीमतों में स्थायित्व गरीब वर्गों को खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु अनिवार्य है।

सारणी 5.14 : भारत में कम आहार की व्याप्तता

वर्ष	कम आहार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या (मिलियन)	कुल जनसंख्या में कम आहार पाने वालों का अनुपात (प्रतिशत)
1990-92	210.1	23.7
2000-02	185.5	17.5
2005-07	233.8	20.5
2010-12	189.9	15.6
2014-16*	194.6	15.2

***स्रोत:* एफएओ, 2015**

***टिप्पणी:* *अनंतिम अनुमान**

5.77 यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि कृषि उत्पादन में स्थायित्व और खाद्य सुरक्षा के बीच मजबूत पारस्परिक संबंध मौजूद है। कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव खाद्य आपूर्तियों को प्रभावित करता है और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि उत्पन्न कर सकता है, जो कि जनसंख्या के निम्नतम आय वाले समूहों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है

5.78 कुपोषित व्यक्तियों की बड़ी संख्या और कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के मुद्दे के साथ, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के पास विश्व

में सबसे बड़ी संख्या में खाद्य स्कीमें मौजूद हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हकदारी भरण कार्यक्रम जैसे एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) (छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं) और एमडीएमएस (मध्याह्न भोजन स्कीम), खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा (निराश्रित गरीब के लिए 10क किग्रा. नि:शुल्क खाद्यान्न) और रोजगार कार्यक्रम जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार) और अन्य सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम मौजूद हैं।

i. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सब्सिडी

5.79 पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली उस जनसंख्या के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, जो भोजन करने के लिए बाजार मूल्यों पर अदा करने के लिए अर्जन नहीं कर सकते, खाद्यान्नों का समय पर और पहुंच योग्य वितरण की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसमें सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद करना, खाद्य स्टॉक निर्मित करना और इसे बनाए रखना, इनका भंडारण और समय से वितरण और खाद्यान्नों को जनसंख्या के दुर्बल वर्गों के लिए उचित मूल्यों पर पहुंच के योग्य बनाना शामिल हैं। परंतु, पीडीएस प्रणाली में अनेक कमजोरियां हैं जिसके कारण लिकेज होता है और लक्षित लाभार्थी प्रणाली से बाहर ही छूट जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई खरीद, उठाव और रखे गए स्टॉक सारणी 5.15 में दिया गया है। पीडीएस में खाद्यान्नों की खरीद, स्टॉक को बनाए रखने, और इनके वितरण में अधिक लागत आती हैं। पीडीएस प्रचालकों की दक्षता बढ़ाने और लागतों को कम करने की आवश्यकता है। पीडीएस पर सार्वजनिक व्यय/सब्सिडी का एक छोटा अनुपात ही लाभार्थी तक पहुंचता है। यहां भोजन ओर केरोसीन के उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रारंभ करने का मामला है जैसाकि आंध्र प्रदेश में चल रहा है। इसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली अनेक चुनौतियों पर चर्चा इस आर्थिक समीक्षा के खंड 1 में की गई है।

5.80 वर्ष 2014-15 के दौरान, जबकि खाद्यान (चावल और गेहूं) की अधिप्राप्ति 56.9 मिलियन टन से बढकर 60.2 मिलियन टन हो गयी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) से खाद्यान्न (चावल और गेहूं) की खरीद 59.8 मिलियन टन से घट कर 55.9 मिलियन टन हो गयी है (सारणी 5.15 देखें)। इससे पता चलता है कि पीडीएस में अधिक उपलब्धता और

सारणी 5.15: सार्वजनिक वितरण प्रणाली - खरीद, उठाव और स्टॉक

(मिलियन टन)

वर्ष	खरीद			उठाव			स्टॉक		
	चावल	गेहूँ	कुल	चावल	गेहूँ	कुल	चावल	गेहूँ	कुल
2003-04	22.9	15.8	38.7	25.0	24.3	49.3	13.1	6.9	20.7
2004-05	24.7	16.8	41.5	23.2	18.3	41.5	13.3	4.1	18.0
2005-06	27.6	14.8	42.4	25.1	17.2	42.3	13.7	2.0	16.6
2006-07	25.1	9.2	34.3	25.1	11.7	36.8	13.2	4.7	17.9
2007-08	28.7	11.1	39.9	25.2	12.2	37.4	13.8	5.8	19.8
2008-09	34.1	22.7	56.8	24.6	14.9	39.5	21.6	13.4	35.6
2009-10	32.0	25.4	57.4	27.4	22.4	49.7	26.7	16.1	43.3
2010-11	34.2	22.5	56.7	29.9	23.1	53.0	28.8	15.4	44.3
2011-12	35.0	28.3	63.4	32.1	24.2	56.3	33.4	20.0	53.4
2012-13	34.0	38.2	72.2	32.6	33.2	65.8	35.5	24.2	59.8
2013-14	31.8	25.1	56.9	29.2	30.6	59.8	30.6	17.8	48.4
2014-15	32.2	28.0	60.2	30.7	25.2	55.9	23.8	17.2	41.0
2015-16	21.9*	28.1*	50.0*	23.3#	20.3#	43.6#	26.0@	23.8@	49.8@

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग।

टिप्पणी: *18 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार; #नवम्बंर, 2015 तक उठाव; @1 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्टॉक और गत वर्ष का स्टॉक 1 अप्रैल के अनुसार हैं।

सारणी 5.16 : चावल और गेहूं की आर्थिक लागत का प्रतिशत वितरण

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (यूए)	2015-16 (सं.अ.)	2015-16 (ब.अ.)
चावल							
अनाज की पूल्ड लागत	72.9	71.2	70.9	66.6	64.2	63.5	62.7
अधिप्राप्ति आनुषंगिक	15.8	16.5	16.6	15.0	16.9	16.4	16.3
वितरण की लागत	11.3	12.3	12.5	18.4	18.9	20.1	21.0
आर्थिक लागत (कुल लागत)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
गेहूँ							
अनाज की पूल्ड लागत	71.2	7.5	69.6	67.4	62.9	66.8	65.5
अधिप्राप्ति आनुषंगिक	14.2	14.8	15.0	17.7	20.2	15.9	16.6
वितरण की लागत	14.6	15.1	15.4	14.9	16.9	17.2	17.9
आर्थिक लागत (कुल लागत)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम। यूए: अलेखापरीक्षित; सं.अ.: संशोधित अनुमार; ब.अ.: बजट अनुमान।

खाद्यान्नों की प्रचलित उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद, पीडीएस पर निर्भरता घट रही है। इससे पता चलता है कि पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्नों की उपलब्धता, समय से उपलब्धता और गुणवत्ता की समस्याएं हो सकती है।

5.81 चावल और गेहूं की आर्थिक लागत का प्रतिशत वितरण सारणी 5.16 में दिया गया है. एकत्रित खाद्यान्न की लागत (न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बोनस) चावल और गेहूं की आर्थिक लागत का दो तिहाई है।

एफसीआई द्वारा प्राप्त किए गए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत विगत वर्षों के दौरान बढ़ी है क्योंकि फसलों के उत्पादन की लागत, श्रम लागत, निवेशों जैसे उर्वरक की लागत के कारण बढ़ रही हैं, इसलिए आनुपातिक रूप से एम.एस.पी. भी बढ़ रहा है। खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि भी उसी दर द्वारा जिस पर चावल और गेहूं के लिए एम.एस.पी बढ़ता है तथा खाद्यान्न को संभालने (लक्ष्यगत परिवारों के लिए उनकी अधिप्राप्ति, स्टॉकिंग तथा वितरण) की आर्थिक लागत द्वारा निर्धारित की जाती है।

5.82 चावल और गेहूं के लिए अधिप्राप्ति अनुषंगिक प्रभारों में मंडी प्रभारों तथा करों से संबंधित लागत, गिन्नी बैगों की लागत, आढ़तिया दलाली, मंडी की मजदूरी, भेजने का प्रभार, आंतरिक कार्यव्यापार, भंडारण प्रभार, ब्याज, प्रशासनिक प्रभार और अन्य खर्चे शामिल हैं। इन लागतों में से, मंडी प्रभार और कर कुल लागतों का 40 प्रतिशत से अधिक है. सी.ए.सी.पी.रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही के वर्षों में अधिप्राप्ति के जरिए खाद्यान्न को संभालने, वितरण और भंडारण, व्यापक अधिप्राप्तियों की बढ़ती हुई आर्थिक लागतें तथा खाद्यान्न की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच व्यापक अंतराल खाद सब्सिडी में तेजी होने के मुख्य कारक रहे हैं। बढ़ती खाद्य सब्सिडी बिल सारणी 5.17 में दिया गया है। कृषि जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में खाद्य सब्सिडी चित्र

चित्र 5.23 : कृषि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में खाद्य सब्सिडी

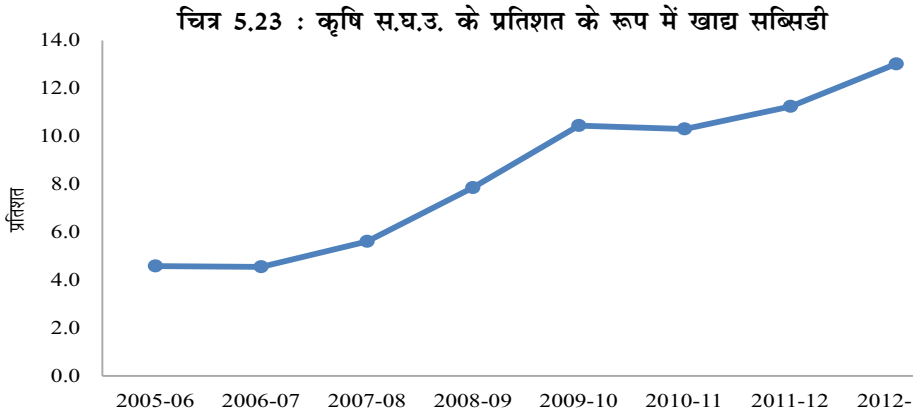

***स्रोत:* खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग।**

5.23 में दर्शाई गई है।

सारणी 5.17 : भारत में खाद्य सब्सिडी

वर्ष	खाद्य सब्सिडी (करोड़ रू.)
2005-06	23071.00
2006-07	23827.59
2007-08	31259.68
2008-09	43668.08
2009-10	58242.45
2010-11	62929.56
2011-12	72370.90
2012-13	84554.00
2013-14	89740.02
2014-15	113171.16
2015-16*	105509.41

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग।
टिप्पणी: *6 जनवरी, 2016 के अनुसार आंकड़े।

5.83 पी.डी.एस. लागतें उच्च हैं और बढ़ते रिसाव, उच्च प्रशासनिक लागतों, भ्रष्टाचार और मुख्यप्रबंधन के कारण और बढ़ रही हैं। सब्सिडी के लिए विपथित संसाधनों की अवसर संबंधी लागतें कृषि में सरकारी निवेशों के संदर्भ में ज्यादा हैं जो छोड़ दी गई हैं और जो उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सब्सिडियां बाजार में विकृतियां लाती हैं और सरकारी बाजार में बजट पर ज्यादा भार डालती हैं। विशेषतौर पर उस समय के दौरान जब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़े होते हैं, तब सरकार को नियमित आधार पर फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का सहारा लेना होता है।

कृषि विपणन सुधार

i. कृषि प्रोद्यौगिकी अवसंरचना निधि (एटीआईएफ) के जरिये राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम)

5.84 जुलाई 2014 और 2015 में बजट घोषणाओं के बाद, कृषि-प्रोद्यौगिकी अवसंरचना निधि (एटीआईएफ) के जरिये राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम)की स्थापना हेतु योजना वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए 200 करोड़ रूपए के बजट के साथ आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा दिनांक 01.07.2015 को अनुमोदित की गई थी।

5.85 संशोधित योजना में उपयुक्त साझा ई-बाजार मंच स्थापित करके एनएएम के कार्यान्वयन की कल्पना की गई है जो उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित चुनींदा नियमित थोक बाजारों में नियोजनीय होगा। जो ई-मंच में शामिल होने के इच्छुक हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ राष्ट्रीय ई-मंच को कार्यान्वित करेगा तथा वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में क्रमश: 250, 200 और 135 मंडियों को कवर करेगा। कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग (डीएसी एण्ड एफडब्ल्यू) सॉफ्टवेयर पर होने वाले खर्च को वहन करेगा तथा इसे राज्यों के अनुकूल बनायेगा तथा इसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निशुल्क प्रदान करेगा। कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग ई-बाजार मंच सस्थापित करने के लिए 585 विनियमित मंडियों में संबंधित उपस्कर/अवसंरचना हेतु 30 लाख रु. प्रति मंडी की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक निश्चित लागत के रूप में अनुदान भी प्रदान करेगा।

5.86 एम.ए.एम के साथ राज्यों की कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) के समेकन के लिए राज्य एएमपीसी अधिनियमों में कुछ पूर्व अपेक्षाओं की जरूरत है, नामत:-(1) एकल लाईसेंस जो पूरे राज्य में वैध होगा, (2)बाजार फीस की एक बार में उगाही, और (3) मूल्य की खोज के लिए प्रक्रिया के रूप में इलेक्ट्रानिक निलामी का प्रावधान। केवल वही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र होगें जिन्होंने ये तीन पूर्व अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं।

5.87 अपनी मंडियों के समेकन के लिए अभी तक गुजरात (40 मंडी), महाराष्ट्र (30 मंडी), तेलंगाना (44 मंडी), झारखण्ड (19 मंडी), छत्तीसगढ (05 मंडी), मध्यप्रदेश(50 मंडी), राजस्थान (25 मंडी) और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ (01 मंडी)से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। उनके कार्यान्वयन और कीमतों को समान बनाने में उनके प्रभाव को मॉनिटर करने की जरूरत है।

5.88 इसी बीच, बहुत से अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड तथा मिजोरम ने भी एनएएम में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है तथा इस अवस्था में मिल कर 644 मंडियों के समेकन का प्रस्ताव रखा है। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित एनएएम के साथ मंडियों के समेकन के लिए भी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की राज्यों से प्रतीक्षा है। इसी बीच, कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग भी अपने एपीएमसी अधिनियमों में पूर्व

अपेक्षित सुधारों को पूरा करने के लिए अन्य राज्य सरकारों के साथ भी कार्यवाही कर रहा है जो उनकों एनएएम में शामिल होने के लिए समर्थ बनायेगा।

ii. कृषि उत्पादकों के लिए मूल्य नीति

5.89 सरकार कृषि लागत और मूल्य नीति (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचारों तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। वर्ष 2011-12 से अब तक के वर्षों के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

सारणी 5.18: प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (फसल वर्ष) (रूपए/क्विंटल)

वस्तु	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(#)2014-15 की तुलना में 2015-16 न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
खरीफ फसलें						
धान सामान्य	1080	1250	1310	1360	1410	50(3.7)
धान (ग्रेड ए')	1110	1280	1345	1400	1450	50(3.6)
ज्वार संकर		1500	1500	1530	1570	40(2.6)
ज्वार मालडंडी	1000	1520	1520	1550	1590	40(2.6)
बाजरा	980	1175	1250	1250	1275	25(2.0)
मक्का	980	1175	1310	1310	1325	15(1.1)
रागी	1050	1500	1500	1550	1650	100(6.5)
अरहर (तुर)	3200¶	3850	4300	4350	4425^	75(1.7)
मूंग	3500¶	4400	4500	4600	4650^	50(1.1)
उड़द	3300¶	4300	4300	4350	4425^	75(1.7)
कपास (मीडियम स्टेपल)	2800[a]	3600	3700	3750	3800	50(1.3)
कपास (लांग स्टेपल)	3300[aa]	3900	4000	4050	4100	50(1.2)
मूंगफली (छिल्के वाली)	2700	3700	4000	4000	4030	30(0.8)
सूरजमुखी के बीज	2800	3700	3700	3750	3800	50(1.3)
सोयाबीन काली	1650	2200	2500	2500	-	-
सोयाबीन पीला	1690	2240	2560	2560	2600$$	40(1.6)
तिल	3400	4200	4500	4600	4700	100(2.2)
नाइजर सीड	2900	3500	3500	3600	3650	50(1.4)
रबी फसलें						
गेहूं	1285	1350	1400	1450	1525	75(5.2)
जौ	980	980	1100	1150	1225	75(6.5)
चना	2800	3000	3100	3175	3425**	250(7.9)
मसूर (दाल)	2800	2900	2950	3075	3325**	250(8.1)
रेपसीड/सरसों	2500	3000	3050	3100	3350	250(8.0)
कुसुम	2500	2800	3000	3050	3300	250(8.2)
तोरिया	2425	2970	3020	3020	-	-
अन्य फसलें						
कोपरा पिसाई@	4525	5100	5250	5250	5550	300(5.7)
कोपरा बाल@	4775	5350	5500	5500	5830	330(6.0)
डे-हस्केड नारियल@	1200	1400	1425	1425	1500	75(5.3)
पटसन	1675	2200	2300	2400	2700	300(12.5)
गन्ना*	145	170	210	220	230	10(4.5)

***स्रोत:* कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग।**

***टिप्पणी:* # कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। *उचित और लाभकारी मूल्य।**

¶ तूर, उड़द और मूंग की खरीद एजेंसियों को की गई बिक्री पर 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन फसल कटाई/आगमन की दो माह की अवधि में देय था।

[a] 24.5-25.5 की स्टेपल लंबाई (एमएम) और 4.3-5.1 का माइक्रोनेयर अधिमान।

[aa] 29.5-30.5 की स्टेपल लंबाई (एमएम) और 3.5-4.3 का माइक्रोनेयर अधिमान

^ न्यूनतम समर्थ मूल्य के अतिरिक्त 200 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस देय है।

$$ किस्म का ध्यान रखे बगैर एकल न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत कर दिया गया है।

** न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 75 प्रति क्विंटल बोनस देय है।

@ कैलेंडर वर्ष।

में लगातार वृद्धि हो रही है (सारणी 5.18 देखें)।

व्यापार नीति

5.90 सरकार के खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस क्षेत्र को दिया गया टेरिफ संरक्षण और समर्थन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के टेरिफ संरक्षण और समर्थन से अधिक रहा है (बॉक्स 04 देखें)। कृषि के लिए औसत टेरिफ संरक्षण 36.4 प्रतिशत) गैर कृषि उत्पादों के लिए औसत टैरिफ संरक्षण (9.5 प्रतिशत) से काफी अधिक है। भारत ने कृषि वस्तुओं के लिए व्यापार नीति अपनाई है जो फसल उत्पादन, मांग, आपूर्ति और सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुदरा मूल्यों की बदलती घरेलू स्थिति के लिए उत्तरदायी है। अत: कृषि उत्पादकों के मूलभूत सीमा शुल्क (बीडीएस) लगातार संशोधनों के अध्यधीन होते हैं, जिसमें ह्रास अथवा समापन शामिल है जो घरेलू स्थितियों पर निर्भर करता है और उसका अभिप्राय कृषक और कृषि सम्बद्ध मूल्य वर्धित उद्योगों की रक्षा करना है।

5.91 वर्ष 2015 के दौरान, नवम्बर 2015 में चीनी पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था जबकि कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के लिए वह क्रमश: 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक तथा 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था. इसके अतिरिक्त, पहले अगस्त 2015 में गेंहू पर आयात शुल्क 0 से 10 प्रतिशत तक तथा अक्टूबर, 2015 में 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था।

5.92 कृषकों के लक्ष्य के लिए तथा कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विगत वर्षों में निर्मनिलिखित नीतिगत परिर्वतन किए गए थे :

- दिनांक 30 अप्रैल, 2014 की डीजीएफटी की अधिसूचना द्वारा प्रति एम.टी. 900 अमरीकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ ब्राण्ड वाले उपभोक्ता पेकों में 05 किलोग्राम तक के खाद्य तेलों का निर्यात अनुमत था।
- दिनांक 06 अप्रैल, 2015 की डी.जी.एफ.टी. की अधिसूचना द्वारा राई ब्राण्ड अनुमत था।
- प्रतिवर्ष काबुली चने तथा 10 हजार एम.टी. जैविक दालों के निर्यात की अनुमति दी गई है।
- वर्ष 2011 से चावल और गेंहू के निर्यात की अनुमति दी गई है।
- फरवरी 2013 से प्रसंस्कृत और/अथवा मूल्य वधि र्त कृषि उत्पादों को निर्यात प्रतिबंधों/पाबंदी से छूट प्राप्त थी यद्यपि इनका मूलभूत उत्पाद निर्यात पाबंदी के अध्यधीन है।
- कपास का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त है।

5.93 कृषि उत्पादों के नीतिगत मानदण्डों/निर्धारित लक्ष्यों में आयात शुल्कों, न्यूनतम निर्यात मूल्यों आदि में परिर्वतनों के रूप में लगातार परिर्वतन कृषि प्रसंस्करण उद्योग में किसी निवेश के लिए नीति की अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, इसका उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्य पर सीमित प्रभाव है, इसका कारण निर्णय लेने में लगा समय तथा उसे अतिरिक्त/घटी हुई आपूर्तियों में रूपांतरित करना है। यह उस कृषक पर भी प्रभाव नहीं डालता जिसने उत्पाद के खेत से निकलते समय प्रचलित मूल्य पर आधारित अपना पारिश्रमिक प्राप्त किया है. विशेष वर्ष में वस्तुओं के ऊंचे दाम उसी वर्ष में कृषक को लाभ प्रदान नहीं करते,परन्तु अगले वर्ष में उसकी संभावना उत्पन्न करते हैं, जो संभवत: तर्क संगत नहीं होती, अगले वर्ष/फसल के मौसम में फसल क्षेत्र को बढ़ाते हैं, अधिक आपूर्ति और मूल्यों में कमी और आय सर्जित करते हैं। नीतिगत मानदण्डों में परिवर्तनों की समुचित गतिविधि बाजार की संकलपना को दूषित करती है तथा इसे समाप्त किए जाने की जरूरत है।

5.94 केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 15 से 19 दिसम्बर, 2015 के दौरान नेरोबी, केन्या में आयोजित डब्ल्यूटीओ के दसवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाई गयी पहुंच हेतु अपना कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। सम्मेलन के परिणामों, जिन्हें नेरोबी पैकेज कहा गया में कपास तथा अल्पतम विकसित देशों से संबंधित मुद्दों पर मंत्री स्तरीय निर्णय शामिल है। ये विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षा कार्यप्रणाली, खाद्य सुरक्षा परियोजना के लिए सरकारी स्टॉकधारण, कृषि निर्यातों के लिए निर्यात सब्सिडियों को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता तथा कपास से संबंधित साधनों को कवर कर सकते हैं। सेवाओं

के क्षेत्र में अल्पतम विकसित देशों के प्रति अधिमान्य व्यवहार तथा क्या अल्पतम विकसित देशों से किये जाने वाले निर्यात में व्यापार अधिमानों से लाभ हो सकता है का निर्धारण करने के लिए मानदंडों के बारे में भी निर्णय लिये गये थे। ('नेरोबी पैकेज' पर सविस्तार जानकारी के लिए अध्याय 4 देखें।)

भारत का कृषि व्यापार

5.95 भारत कुछ फसलों अर्थात कपास, चावल, मांस, तेल, आहार, मसालों, ग्वार आहार तथा शर्करा में महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व व्यापार में भारत का कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः 2.46 प्रतिशत और 1.46 प्रतिशत था। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात वर्ष 2009-10 में 7.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 12.08 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि के दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात भी 4.90 प्रतिशत से बढ़कर 5.82 प्रतिशत हो गया है।

आगे की राह

5.96 उर्वरता, गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा कीटनाशकों जैसे अन्य निवेशों के प्रभावी प्रयोग के साथ ''प्रति बूंद अधिक फसल'' प्राप्त करने के लिए जल कार्यक्षम सिंचाई में निवेश करके उत्पादकता बढ़ा कर कृषि उपज बढ़ाने की जरूरत है। बेकार की चीजों को कम करके कृषि उप्ताद को बढ़ाने के लिए अपार संभावनाए हैं। प्रसंस्करण के हिस्से में बढ़ोतरी बाजारों पर भरोसा बढ़ाकर, सब्सिडी को तर्कसंगत और लक्ष्यगत डीबीटी के जरिए वितरण के द्वारा की जा सकती है। निवेश, फसल तथा क्षेत्र उदासीन प्रपत्र में उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और विपथनों को कम करने की जरूरत है। उर्वरकों के संबंध में सब्सिडी का संवितरण डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए, जिसके (डीबीटी) अधिकतम लाभ होंगे, यदि उर्वरक उद्योग/उत्पादों पर सभी नियंत्रण (इसमें आयातों पर नियंत्रण भी शामिल है), एक साथ उठा लिये जाते हैं।

5.97 ऋण की उपलब्धता की समस्या का अनेक मोर्चों पर समाधान करना होगा उच्च ब्याज दरों के संबंध में ब्याज दरों को प्रतिस्थापित करने के लिए डीबीटी प्रणाली पर विचार किया जा सकता है। कृषि ऋण बढ़ाने के लिए मध्यस्थता और पुनर्वित्त मॉडल को संशोधित करने और प्रत्यक्ष लाभ योजना द्वारा प्रतिस्थापित करने की जरूरत है, जो वित्तीय संस्थानों को वर्तमान सब्सिडी युक्त पुनर्वित्त के स्थान पर किसान द्वारा अदा किये जा रहे ब्याज को सब्सिडी देगा।

5.98 डेयरी उद्योग की सफलता दूध संग्रहण की एकीकृत सहकारी प्रणाली, परिवहन, प्रसंस्करण और वितरण के परिणाम स्वरूप सफल रही है तथा सप्लायरों व क्रेताओं पर मौसमी प्रभाव न्यूनतम करने के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों, दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों का खुदरा वितरण तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए दिये जाने वाले लाभों को किसानों से साझा करने और अन्य कृषि उत्पाद/उत्पादनों द्वारा बराबरी की चेष्टा बदलने की जरूरत है।

5.99 न्यूनतम समर्थन मूल्य/अधिप्राप्ति आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली को डीबीटी से पुनः स्थापित करने और बाजार को सभी घरेलू आवागमन व आयात से मुक्त करने का मामला है। नीतिगत मानदण्डों में परिवर्तनों के समूचे कार्यकलाप बाजार की अवधारणा को बिगाड़ देंगे और इन्हें कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बंद करने की जरूरत है।

उद्योग, कारपोरेट और अवसंरचना का निष्पादन

06
अध्याय

औद्योगिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विनिर्माण क्षेत्र के निष्पादन के सहारे, भारत में औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 2015-16 के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज की है। औद्योगिक विकास के लिए समर्थकारी माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक नीतिगत उपायों का असर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बढ़े हुए प्रवाहों, अवसंरचना क्षेत्र के बेहतर निष्पादन पर दिखाई देने लगा है। युगान्तरकारी उपाय जैसेकि मेक इन इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज़ इत्यादि उद्योगों को और प्रेरणा देंगे तथा उम्मीद है कि औद्योगिक क्षेत्र देश में आर्थिक विकास का मुख्य संचालक होगा। ये उपाय अवसंरचना क्षेत्र का कायाकल्प करने में सहायक होंगे जो उच्चतर आर्थिक विकास हासिल करने और उसे उसी स्तर पर बनाए रखने की अनिवार्य शर्त है।

6.2 वर्ष 2015-16 में वैश्विक आर्थिक माहौल में खलबली देखी जा रही है जहां, इस दौरान प्रमुख देशों के विकास में गिरावट के संकेत दिखाई दिए। इस पृष्ठभूमि पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है व जिसकी विकास दर 7.0 प्रतिशत से अधिक रही, जैसा कि अध्याय 1 में देखा जा सकता है। इस उच्च विकास दर को बनाए रखने में विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है। राष्ट्रीय आय संबंधी संशोधित अनुमानों के संबंध में जनवरी, 2016 में जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें मुख्यत: खनन, विनिर्माण, विद्युत और विनिर्माण शामिल हैं, की विकास दर 2014-15 के दौरान 5.9 प्रतिशत रही, जबकि 2013-14 के दौरान 5.0 प्रतिशत की दर पर विकास हुआ था। इसके अलावा, 2015-16 की तीसरी तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र में 8.9 प्रतिशत की दर पर विकास हुआ जबकि 2014-15 की तदनुरूप अवधि में यह आंकड़ा 3.8 प्रतिशत रहा था। 2015-16 की राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान दर्शाते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास 7.3 प्रतिशत के स्तर पर होने का अनुमान है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र 9.5 प्रतिशत की दर पर बढ़ेगा। 2004-05 के आधार वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में व्याप्त रूझान दर्शाते हैं कि अप्रैल-दिसंबर 2015-16 के दौरान विकास दर 3.1 प्रतिशत थी जबकि 2014-15 की इसी अवधि में 2.6 प्रतिशत की दर पर विकास हुआ था।

6.3 पिछले चार वर्षों से सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 17 प्रतिशत पर ऊपर-नीचे होता रहा है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं ताकि आर्थिक विकास की गति को और अधिक सुदृढ़ और बरकरार रखा जा सके। इन उपायों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं एवं विधियों को सरल एवं युक्तिसंगत बनाना, अधिक मुख्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अपनाना और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए उपाय करना शामिल है।

6.4 इस संदर्भ में कुछ हालिया सुधार ये हैं: औद्योगिक

लाइसेंस की अपेक्षा वाले, जिन्हें रक्षा उद्योग समझा जा सकता है की संख्या कम करना, एफडीआई नीति में संशोधन, जिसमें रक्षा में 49 प्रतिशत तक, रेलवे अवसंरचना में 100 प्रतिशत तक तथा बीमा और पेंशन क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक एफडीआई अनुमत करना शामिल है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी/आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडल समिति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता वाली निवेश सीमा को 1200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए किया गया है। एफडीआई नीति में अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) द्वारा किए गए निवेश की परिभाषा संशोधित की गई है।

6.5 सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम/प्रयास शुरू किए हैं जैसे कि व्यवसाय करना सरल बनाना, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय ई-अभिशासन आयोजना के अंतर्गत ई-बिज मिशन मोड परियोजना आदि। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार विनिर्माण को बढ़ाने और भारत को विश्व का वैश्विक विनिर्माण गंतव्य बनाने के लिए पूरे देश में पंचभुज कारीडोर भी बना रही है। अवसंरचना से जुड़े गैर बैंक वित्त निगमों को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि अनुमोदित की गई है। रेल, सड़कों और सिंचाई कार्यक्रमों के लिए कर मुक्त अवसंरचना बांडों का निर्गम अनुमत किया गया है।

6.6 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण, तटीय विनियम जोन और वन संबंधी स्वीकृति के लिए आवेदनों को ऑन लाईन प्रस्तुत करने और उनकी स्वीकृति हेतु प्रक्रिया पूरी कर ली है। कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए प्रणाली को दुरूस्त किया गया है ताकि इन्हें पारदर्शी ढांचा प्रदान किया जा सके। राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय क्षमता में सुधार लाने के लिए उज्ज्वल डिस्काम आश्वासन योजना, (उदय) कार्यक्रम के जरिए इन निकायों की व्यापक वित्तीय पुनर्संरचना की गई है। इस स्कीम में ब्याज भार और विद्युत की लागत तथा ऐसे डिस्काम द्वारा उठाई जाने वाली एटीएंडसी (कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक) हानि कम करने की परिकल्पना की गई है, जिन्होंने भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रम बाजार सुधार की प्रक्रिया, जैसे कि कुछ राज्यों में शुरू की गई है, केंद्रीय सरकार द्वारा भी शुरू की गई है। अवसंरचना क्षेत्र में अधिक सरकारी निवेश पर बल दिया गया है ताकि निजी निवेश भी भरपूर आएं।

6.7 इन प्रयासों से भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला है, इसके फलस्वरूप व्यावसायिक माहौल सुधरा हैं, एफडीआई अंतर्वाह अधिक हुआ है और भारत की वैश्विक संभावनाएं बढ़ी हैं। विश्व बैंक ''व्यवसाय करना रिपोर्ट 2016'' में भारत का स्थान जो 2015 में 142 था सुधर कर 130 पर आ गया है। ये सुधार मुख्यतया खनन और विद्युत के क्षेत्रों में तथा श्रम बाजार में भी हुए हैं, जो उच्च और तेजी से समावेशी तथा संपोषणीय विकास हासिल करने में समर्थ होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

औद्योगिक प्रदर्शन

6.8 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन के शीघ्र अनुमान दर्शाता है, अपरिणामी गति दिखाई देने लगी है (चित्र 6.1)। आईआईपी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें मौटे तौर पर खनन, विनिर्माण और विद्युत है, ने खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में उच्चतर वृद्धि के कारण 2014-15 की इसी अवधि के दौरान 2.6% की अपेक्षा अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 के दौरान 3.1% वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 के दौरान खनन, विनिर्माण एवं विद्युत क्षेत्रों में क्रमशः 2.3%, 3.1% और 4.5% वृद्धि हुई। खनन क्षेत्र में वृद्धि मुख्यतः कोयले के अधिक उत्पादन की वजह से थी। फर्नीचर, वेशभूषा, फर से बने वस्त्र और रंगाई, मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर, रसायन और रसायन, उत्पाद, परिशोधित पेट्रोलियम उत्पाद और नाभिकीय ईंधन, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, जैसे औद्योगिक समूहों के डाटा विनिर्माण क्षेत्रों को और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य रूप से, ताप और नाभिकीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में और अधिक बढ़ोत्तरी हुई है।

6.9 प्रयोग आधारित वर्गीकरण की दृष्टि से, उपभोक्ताओं के लिए टिकाऊ वस्तुओं में अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 के दौरान 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधारभूत और पूंजीगत वस्तुओं में क्रमशः 3.4% और 1.7% की वृद्धि हुई है जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में 1.9% की वृद्धि देखी गई है (सारणी 6.9)।

6.10 आठ प्रमुख अवसंरचना सहायक उद्योगों अर्थात

कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, शोधनशाला उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, जिनका औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में लगभग 38 प्रतिशत भारांश है, में अप्रैल-दिसंबर 2016 में दौरान 1.9 प्रतिशत संचयी विकास दर्ज किया गया जबकि अप्रैल-दिसंबर 2014-15 के दौरान यह 5.7 प्रतिशत था। आठ प्रमुख क्षेत्रों का महीनावार प्रदर्शन दर्शाता है कि कोयला और उर्वरक का उत्पादन काफी बढ़ा है, जबकि कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और इस्पात का उत्पादन अधिकाशंत: नकारात्मक रहा है। शोधनशाला उत्पाद, सीमेंट और बिजली में मामूली वृद्धि हुई है। कोयला परियोजनाओं की स्वीकृति ने कोयला उत्पादन सुसाध्य बनाया है। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा भी उत्पादन में कमी आने के कारण गिरा है। बिजली उत्पादन में जबकि क्रमश: ताप और नाभिकीय क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर्ज की है, पन बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

6.11 चित्र 6.1 आईआईपी, विनिर्माण और आठ प्रमुख उद्योगों का माह दर माह तीन महीनों का चल औसत दर्शाता है औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और आठ प्रमुख क्षेत्रों का विकास दिसंबर, 2015 में फिर से गति पकड़ा है। यह आशा है कि वृद्धि दर में यह उच्च स्तर विनिर्माण उत्पाद में पुनरूद्धार के कारण बनाए रखा जाएगा।

6.12 जबकि औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक ने सुधार दर्शाया है, अप्रैल-दिसंबर, 2015 के दौरान कुछ प्रमुख उद्योगों के प्रदर्शन में भिन्नता आई है। जबकि विद्युत, कोयला, उर्वरक, सीमेंट और सवारी कार जैसे कुछ क्षेत्रों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है, इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों ने अप्रैल-दिसंबर, 2015 के दौरान नकारात्मक विकास दशाई हैं (चित्र 6.2)। उत्पादन के संदर्भ में, उर्वरक और सवारी कारों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2015 के दौरान उच्च वृद्धि हासिल की है।

6.13 इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के साथ नीचे इन पर चर्चा की जा रही है।

इस्पात उद्योग

6.14 भारत, 86.5 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है जो विश्व के उत्पादन के 5 प्रतिशत से भी

सारणी 6.1 बड़े क्षेत्रों की आईआईपी आधारित वृद्धि दर/उपयोग आधारित वर्गीकरण (प्रतिशत में)

	भार	2013-14	2014-15	2014-15				2015-16			
				Q1	Q2	Q3	अप्रैल-दिसम्बर	Q1	Q2	Q3	अप्रैल-दिसम्बर
सामान्य	100.00	-0.1	2.8	4.5	1.3	2.0	2.6	3.3	4.8	1.5	3.1
क्षेत्र											
खनन	14.16	-0.6	1.5	3.0	0.5	2.1	1.8	0.4	3.1	3.3	2.3
विनिर्माण	75.53	-0.8	2.3	3.9	0.4	1.1	1.8	3.7	4.7	0.9	3.1
विद्युत	10.32	6.1	8.4	11.3	9.4	9.4	10.0	2.3	6.8	4.4	4.5
उपयोग आधारित											
आधार वस्तु	45.68	2.1	7.0	8.7	7.0	8.3	8.0	4.7	4.4	1.3	3.4
पूंजीगत वस्तुएं	8.83	-3.6	6.4	13.6	-0.5	3.2	5.1	2.0	13.4	-10.0	1.7
यहयस्थ वस्तुएं	15.69	3.1	1.7	3.1	1.6	0.8	1.8	1.6	2.2	1.9	1.9
उपभोक्ता वस्तुएं	29.81	-2.8	-3.4	-3.2	-5.4	-6.4	-4.9	2.5	2.7	6.8	4.0
उपभोक्ता टिकाऊ	8.46	-12.2	-12.6	-9.5	-15.5	-20.9	-15.2	3.7	11.9	23.4	12.4
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ	21.35	4.8	2.8	1.4	2.3	3.2	2.3	1.7	-3.0	-1.6	-1.0

***स्रोत:* केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन**

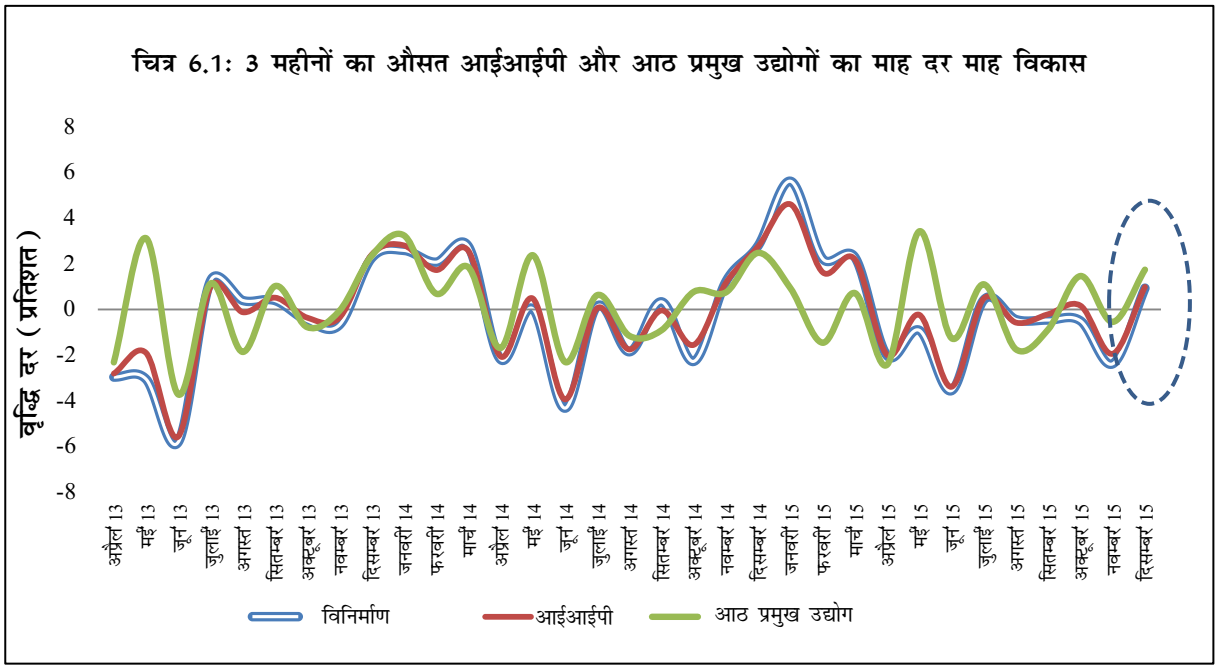

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डीआईपीपी के आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

अधिक है और यह कच्चा इस्पात उत्पादकों में विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक है। 2014-15 में देश के भीतर घरेलू इस्पात की खपत 76.99 मी. टन था, जो 2013-14 की तुलना में महज 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2015 में वैश्विक इस्पात की खपत 0.5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है और 2016 में 1.4 प्रतिशत अनुमानित है। विश्व इस्पात संघ ने भारत की इस्पात खपत में 2015 में 6.2 प्रतिशत और 2016 में 7.3 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। इस्पात का आयात 2013-14 में 5.45 मी.टन से बढ़कर 2014-15 9.32 मी.टन हो गया है। जबकि अप्रैल, 2014 से अक्टूबर, 2015 के दौरान विश्व की कीमतों में 20 प्रतिशत से 45 प्रतिशत की गिरावट आई है, इस्पात उत्पादों का देश के भीतर मूल्य इस अवधि के दौरान 17 प्रतिशत से गिरकर 35 प्रतिशत पर आ गया।

6.15 भारत में इस्पात का उत्पादन बढ़ी हुई क्षमता

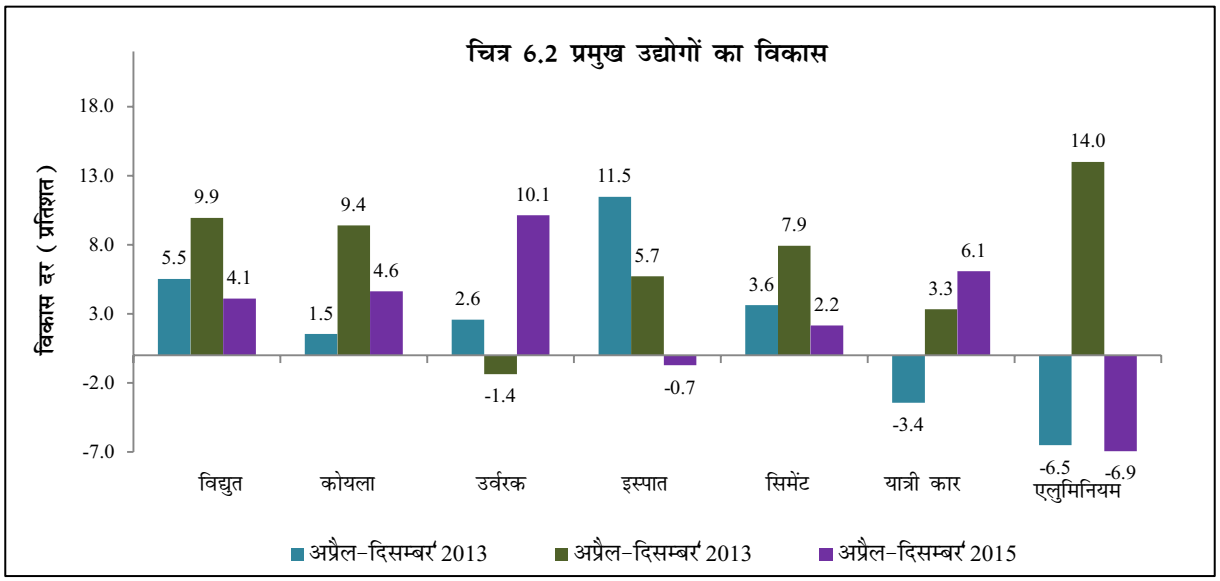

स्रोत: डीआईपीपी के आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

के अनुसार कम हुआ है और यह 2007-08 में 59.85 मी.टन से 2014-15 में 109.85 मी.टन रहा है। जेएसपीएल, भूषण स्टील एंड एस्सार स्टील जैसी घरेलू इस्पात कंपनियों की उत्पादन लागत 10 प्रतिशत आयात शुल्क पर आयात के बराबर मूल्य से अधिक रही है। अत: ये वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं है।

6.16 वैश्विक रूप से और विशेषकर चीन में इस्पात की लगभग स्थिर मांग के कारण प्रमुख वैश्विक इस्पात उत्पादक भारतीय बाजार में अपने इस्पात उत्पादों की खपत कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप इस्पात के आयात में वृद्धि हो रही है। अधिक उधार लेने और कच्ची सामग्री की अधिक लागत तथा कम उत्पादकता की वजह से वैश्विक उद्योगों की तुलना में भारतीय इस्पात उद्योग अपेक्षाकृत कम लाभ की स्थिति में है। इस्पात के बढ़ते आयात को नियंत्रित करने और घरेलू उत्पादन को संपोषीय बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

क) जून से अगस्त, 2015 के दौरान कतिपय प्राथमिक लौह एवं इस्पात उत्पादों पर बुनियादी सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशतांक बिंदुओं तक बढ़ाया गया।

ख) जून, 2015 में जमाखोरी विरोधी शुल्क लगाया गया जो चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया से आयातित कुछ और औद्योगिक-ग्रेड स्टीनलेस स्टील के लिए 180 डालर से 316 डालर प्रति टन है। यूएसए, ईयू, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटिना आदि सहित 40 देशों में जमाखोरी निरोधी उपाय शुरू किए हैं और 9 देशों ने सीवीडी अधिरोपित किए हैं।

ग) अनंतिम रूप से रक्षोपाय के रूप में लगाए गए शुल्क गैर-मिश्रधातु के होट-रोल्ड स्पॉट उत्पादों और अन्य मिश्रधातु इस्पात जिनको कोइल बनाया जाता है, पर 14 सितंबर, 2015 से 200 दिनों की अवधि के लिए यथामूल्य 20 प्रतिशत की दर पर प्रभावी होगा।

घ) छह माह की अवधि के लिए अनेक इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाया गया है।

ङ) चुनिंदा इस्पात (ग्रेड-58) पर लौह अयस्क के लिए निर्यात शुल्क कम करके 10 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 30 प्रतिशत रखा गया है।

6.17 इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार के रक्षोपाय से छोटे उद्योग प्रभावित होंगे क्योंकि स्टील का उपयोग विभिन्न उद्योगों में निविष्टि के रूप में किया जाता है जैसा कि मूल धातु और गैर-धातु उत्पादों, मशीनरी, परिवहन, निर्माण और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। यह अनुमानित है कि जमाखोरी निरोधी या आयात शुल्कों में वृद्धि के कारण इस्पात में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी से मूल धातु, गैर-धातु उत्पाद 5.4 प्रतिशत बढ़ेगा, निर्माण 1.7 प्रतिशत, मशीनरी 1.3 प्रतिशत, परिवहन 0.7 प्रतिशत और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र 0.4 प्रतिशत बढ़ेगा।

एल्यूमिनियम उद्योग

6.18 भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है, 2014-15 में इसका उत्पादन 3.96 मी.टन रहा जबकि चीन का उत्पादन 21.48 मी.टन था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उपभोक्ता देश है, 2014-15 में चीन 22.09 मी.टन और यूएसए 5.5 मी.टन. के बाद भारत की 3.8 मी.टन खपत रही। वैश्विक एल्यूमिनियम खपत में भारत का हिस्सा 2008-09 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 7 प्रतिशत हो गया है। विश्व का एल्यूमिनियम मूल्य 41 प्रतिशत गिरा है, जो अप्रैल, 2011 में 2662 डालर से अगस्त, 2015 में 1570 डालर और जनवरी 2016 में 1500 अमेरिकी डालर प्रति टन पर आ गया। इस अवधि के दौरान भारत में कुल मांग के प्रतिशतांक के रूप में आयात (बिक्री+आयात) काफी हद तक बढ़कर 2011-12 में 39.8 प्रतिशत से 2015-16 में 56.5 प्रतिशत हो गया है।

6.19 भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग का क्षमता उपयोग पिछले डेढ़ वर्ष में एकाएक गिरा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई है। उत्पादन की लागत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक है। चीन में भारी क्षमताएं सृजित की गई हैं और विश्व का विकास मंद हो गया है। 2014-15 और 2015-16 (पूर्वार्द्ध) में क्षमता काफी बढ़ी है परंतु इसका उपयोग जो 2013-14

तक लगभग 100 प्रतिशत था, इस समय गिरकर 50 प्रतिशत रह गया है।

6.20 एल्यूमिनियम उत्पादन की वैश्विक लागत स्थिर है, भारत की उत्पादन लागत धीरे-धीरे बढ़ रही है। यदि वैश्विक कीमत नहीं बढ़ती तो भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग कठिन परिस्थिति का सामना करते रहेंगे क्योंकि कम समय में उत्पादन की लागत कम करना वस्तुत: असंभव है। अन्य धातुओं की कीमतों की तरह अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम की कीमतें चक्रीय हैं और यद्यपि यह पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि कब उनमें बढ़ोतरी होगी, इस रूझान में वैश्विक औद्योगिक विकास सुधारने पर परिवर्तन आने की आशा है। एल्यूमिनियम के आयात को कम करने के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना विद्युत, परिवहन, निर्माण आदि जैसे छोटे क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा को कम कर देगा।

भारत और विश्व विनिर्माण की तुलनात्मक स्थिति

6.21 कमजोर वैश्विक मांग और निवेश के अनिश्चित माहौल के साथ-साथ वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आने के कारण वैश्विक विनिर्माण उत्पादन 2015 की पहली तिमाही में 2.5 प्रतिशत के साथ 2015 की दूसरी तिमाही में 2.7 प्रतिशत बढ़ा है। संयुक्त राज्य और यूरोप से अभिप्रेरित और औद्योगीकृत देशों के विनिर्माण क्षेत्र का विकास 2015 की दूसरी तिमाही में 1.2 प्रतिशत हुआ, जो अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली का संकेत देता है। विकासशील और उभरते औद्योगिक देशों ने विनिर्माण में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2015 की दूसरी तिमाही में 5.0 प्रतिशत विकास दर्ज किए हैं। चीन की गिरावट विश्व के आर्थिक विकास के बारे में चिंता उत्पन्न कर रही है। चीन द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की वैश्विक मांग घटने के कारण चीन के पास अत्यधिक क्षमता है परंतु इसका विनिर्माण उत्पाद में 2015 की पहली तिमाही में 7.1 प्रतिशत वृद्धि से दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत वृद्धि पर मामूली रूप से कम रही है। धातुओं और अनेक विनिर्मित वस्तु धातुओं का वैश्विक मूल्य गिरा है।

6.22 इसकी तुलना में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 2014-15 की तीसरी तिमाही में 1.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2015-16 की तीसरी तिमाही में 12.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। (फरवरी, 2016 के राष्ट्रीय लेखाओं के आंकड़ों के अनुसार)

कारपोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन

6.23 वर्ष 2014-15 की तीसरी तिमाही से बिक्रियों में बढ़ोतरी कम हो रही है जब यह 2015-16 की दूसरी तिमाही में (-)7.8 प्रतिशत पर सबसे कम थी (चित्र 6.3)। पेट्रोलियम उत्पाद और लौह एवं इस्पात विनिर्माण क्षेत्र में दो प्रमुख उद्योग हैं जिनमें पिछली तीन तिमाहियों में गिरावट आई है। पिछली लगातार चार तिमाहियों के

चित्र 6.3 निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कम्पनियों की बिक्री में वृद्धि, ब्याज पर व्यय और निवल लाभ

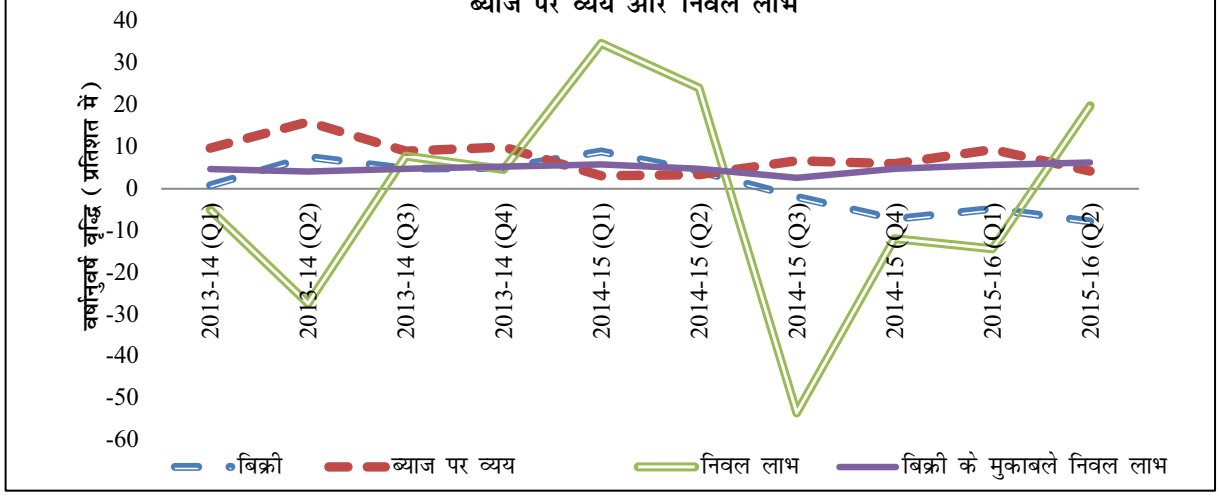

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

दौरान 2014-15 की तीसरी तिमाही से कच्ची सामग्री के खर्चों में तेजी से कमी आई है। ब्याज खर्चों में वर्षानुवर्ष वृद्धि 2014-15 के दौरान 2013-14 की तुलना में मामूली रही और यह 2015-16 की पहली तिमाही में 9.4 प्रतिशत से घटकर 2015-16 की दूसरी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रह गई। अन्य आय जो 2014-15 की तीसरी तिमाही से कम हो रही थीं, 2015-16 की दूसरी तिमाही में 12.5 प्रतिशत बढ़ी, लगातार तीन तिमाहियों में घटने के बाद 2015-16 की दूसरी तिमाही में निवल लाभ में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछली तीन तिमाहियों के दौरान बिक्री के अनुपात में निवल लाभ बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गया और यह 10 तिमाहियों की अवधि में सबसे अधिक है।

6.24 भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश बहियों, वस्तु सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीक्स) के 31वें दौर द्वारा यथा मापित क्षमता उपयोग में 2015-16 की दूसरी तिमाही के दौरान, पिछली तिमाही की तुलना में आंशिक गिरावट दर्ज की गई और यह 70.6 प्रतिशत के स्तर पर रही। यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान के स्तर से कम है। नए आदेशों में पिछली तिमाही के स्तर की तुलना में 2015-16 की दूसरी तिमाही में मामूली वृद्धि हुई। तैयार वस्तु सूची और बिक्री का अनुपात 2015-16 की दूसरी तिमाही में स्थिर रहा। कच्चे माल की सूची और बिक्री अनुपात 2015-16 की दूसरी तिमाही में बढ़ा और 2014-15 की दूसरी तिमाही में देखे गए स्तर की तुलना में अधिक ऊंचे स्तर पर था।

औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

6.25 2014-15 के संबंध में राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के संबंध में हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2014-15 में 42.76 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान है जबकि 2013-14 के दौरान यह 39.12 लाख करोड़ रु. रहा था। इससे यह संकेत मिलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सकल पूंजी निर्माण की दर 2013-14 के 34.7 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 में 34.2 प्रतिशत हो गई। स्थिर मूल्यों पर स.घ.उ. (2011-12) के संदर्भ में सकल पूंजी निर्माण की दर 2013-14 के 36.2 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 35.9 प्रतिशत रह गई। उद्योग क्षेत्र में जीसीएफ की वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है जो 2013-14 के 2.1 प्रतिशत से बढ़ती हुई 2014-15 में 5.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। इससे उद्योग क्षेत्र में निवेश बढ़ने का संकेत मिलता है। समग्र जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सा दर्शाता है कि बिजली के हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि निर्माण खनन, विनिर्माण के हिस्से में गिरावट हो रही है। (सारणी 6.2)

सारणी 6.2 उद्योग द्वारा सकल पूंजी निर्माण का प्रतिशत

(2011-12 के स्थिर मूल्यों पर)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
उद्योग में जीसीएफ की वृद्धिदर		2.8	-3.7	3.6
कुल जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सा				
i खनन	2.1	2.3	4.0	3.3
ii विनिर्माण	19.2	18.4	17.4	16.9
iii विद्युत	9.6	9.1	8.6	9.2
iv निर्माण	7.2	7.7	5.5	5.4

***स्रोतः* केंद्रीय सांख्यिकी संगठन**

औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त ऋण प्रवाह

6.26 खनन और विनिर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त होने वाले ऋण प्रवाह में वृद्धि 2014-15 की तुलना में 2015-16 में धीमी हो गई है (सारणी 6.3) विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त होने वाले ऋण प्रवाह में वृद्धि 2014 (दिसंबर तक) के 13.2 प्रतिशत की तुलना में 2015(दिसंबर तक) में 2.5 प्रतिशत थी। बुनियादी धातु और धात्विक उत्पादों, रसायन और रासायनिक उत्पादों तथा इंजीनियरी उद्योगों जैसे उद्योगों को मिलने वाले ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई जबकि पेट्रोलियम और न्यूक्लियर ईंधन, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, परिवहन उपस्कर और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों को प्राप्त ऋण प्रवाह में तेजी से गिरावट हुई। पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र को प्राप्त ऋण प्रवाह में हुई गिरावट ईंधन सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने से तेल विपणन कंपनियों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता से जुड़ी हो सकती है। 2015-16 में सूक्ष्म और लघु उद्योग तथा विशाल उद्योग को प्राप्त ऋण प्रवाह में वृद्धि क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत थी। लेकिन इसी अवधि में मध्यम स्तर के उद्योगों के ऋण प्रवाह में 7.6 प्रतिशत की गिरावट हुई।

सारणी 6.3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा उद्योग को ऋण की बढ़ोतरी (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2014-15*	2015-16**
उद्योग	6.7	5.3
विनिर्माण	13.2	2.5
खनन	3.9	-0.3
विनिर्माण उपभोग		
खाद्य प्रसंस्करण	12.4	-1.9
वस्त्र	2.8	2.1
पेट्रोलियम व नाभिकीय ईंधन	-7.4	-10.4
रसायनिक और रसायन उत्पाद	-9.0	2.9
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	5.8	-1.1
मूल धातु और धातु उत्पाद	7.3	8.8
सभी ईजीनियरिंग	6.4	6.3
परिवहन उपकरण	5.0	-1.5
अन्य उद्योग	-3.1	9.8

***स्रोत:* आरबीआई**

टिप्पणी: *दिसम्बर अन्त, 2013 की अपेक्षा दिसम्बर अन्त, 2014

****दिसम्बर अन्त, 2014 की अपेक्षा दिसम्बर अन्त, 2015**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र

6.27 एमएसएमई क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 37.54 प्रतिशत का योगदान करता है और इस तरह देश भर में 3.61 करोड़ यूनिटों के जरिए 8.05 करोड़ नौकरियों के अवसर मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में पूरी क्षमता है कि यह देश में व्याप्त बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, राष्ट्रीय आय और संपत्ति के असमान वितरण जैसी ढांचागत समस्याओं का समाधान करने के लिए रामबाण का काम कर सकें। तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत और अन्य क्षेत्रों के साथ विनिर्माण और विपण न संबंध होने के चलते, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के मेक इन इण्डिया कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

6.28 एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को स्वीकारते हुए सरकार ने नए उद्यमों की स्थापना और मौजूदा उद्यमों के विकास के लिए अनेक स्कीमें/कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसाकि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएमएसई), प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबंधी पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) परम्परागत उद्योग पुनरुद्धार निधि योजना (स्फूर्ति), और सूक्ष्म और लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-एसडीपी), एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक नए उपाए किए गए हैं, जिनमें से कुछ उपायों को संक्षेप में नीचे वर्णित किया गया है।

- उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम):- यूएएम योजना, जो एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 8 के तहत सितंबर, 2015 में अधिसूचित की गई थी, एमएसएमई के लिए 'कारोबार करने में आसानी' को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके जरिए एमएसएमई उद्यमियों को विशिष्ठ उद्योग आधार नम्बर (यूएएन) तत्काल प्राप्त करने के लिए कोई पेचीदा उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की बजाए सिर्फ ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता होती है। मांगी गई सूचना स्वत: प्रमाणन के आधार पर होती है और इसके लिए सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती।
- उद्योगों के लिए रोजगार कार्यालय:- भावी नौकरी मांगने वाले और नियोक्ता के बीच संपर्क बनाने के लिए, डिजिटल इण्डिया की तर्ज पर 15 जून, 2015 को उद्योगों के लिए रोजगार कार्यालय शुरू किया गया। 30 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार 3.42 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है।
- एमएसएमई का पुनरुद्धार और पुर्नवास हेतु फ्रेमवर्क, मई, 2015 में अधिसूचित इस फ्रेमवर्क के अन्तर्गत, सभी बैंकों को आंचलिक अथवा जिला स्तर पर संकटग्रस्त एमएसएमई उद्यमों के लिए एक समिति गठित करनी होगी, जो एमएसएमई यूनिट के लिए सुधारात्मक कार्ययोजना (सीएपी) तैयार करें।
- नवोन्मेष और ग्रामीण उद्यमी संवर्धन योजना (एस्पायर): प्रौद्योगिकी केन्द्रों और इन्क्यूबेशन केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 16 मार्च, 2015 को एस्पायर का शुभारंभ किया गया ताकि ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योग में नवोनमेष और उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया

जा सके।

6.29 इसके अतिरिक्त, सरकार का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्रों को अधिक ऋण मुहैया कराना है जिसमें कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए, ग्रामीण युवाओं के बीच आशावादी मानसिकता के साथ उद्यमी कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जा सके और ग्रामीण महिलाओं के बीच नौकरी के अवसर पैदा हो सके और इस तरह उच्चस्तरीय, समावेशी और सतत औद्योगिक विकास हो सके।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

6.30 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) भारत की विकास प्रक्रिया में योगदान देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में 298 सीपीएसई में से 235 सीपीएसई प्रचालनरत है और 63 सीपीएसई निर्माणाधीन हैं। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सभी सीपीएसई में वित्तीय निवेश (चुकता पूंजी + दीर्घावधिक ऋण) 10,96,057 करोड़ रु. था, जो 2013-14 की तुलना में 10.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई (157) का निवल लाभ 2014-15 के दौरान 1,30,363 करोड़ रु. था। जबकि दूसरी ओर घाटा उठा रहे सीपीएसई (77) का निवल घाटा 27,360 करोड़ रु. था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि., कोल इण्डिया लि., एनटीपीसी लि., एनएमडीसी लि. और पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लि. 2014-15 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष पांच सीपीएसई थे, जबकि भारत संचार निगम लि., एयर इण्डिया लि., महानगर टेलीफोन निगम लि., हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि. और मंगलौर रिफाईनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल लि. 2014-15 में घाटा उठाने वाले शीर्ष पांच सीपीएसई थे।

6.31 सीपीएसई लाभांश अदायगी, सरकारी ऋणों पर ब्याज और करों एवं शुल्कों में भुगतान के जरिए केन्द्रीय कोषागार में अंशदान करते हैं। तथापि केन्द्रीय कोषागार को यह अंशदान 2013-14 के 2,20,981 करोड़ रु. से घटकर 2014-15 में 2,00,584 करोड़ रु. रह गया। ऐसा मुख्यत: 2014-15 में लाभांश, कार्पोरेट कर और सीमा शुल्क के संबंध में किए जाने वाले अंशदान में गिरावट के कारण हुआ। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान 'उत्पाद शुल्क', 'लाभांश कर', 'बिक्री कर', और सेवा कर में वृद्धि हुई।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

6.32 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आर्थिक विकास का मुख्य संचालक होने के साथ ऋण भिन्न वित्तीय संसाधन और रोजगार सृजन का मुख्य स्रोत भी है। उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए एफडीआई का अर्न्तवाह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार उदार एफडीआई नीति के जरिए निवेश संवर्धन में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। सरकार की अनुकूल नीतिगत व्यवस्था और सुदृढ़ कारोबारी माहौल ने देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ाने में सहायता की।

6.33 अधिक एफडीआई अन्तर्वाह प्राप्त करने के लिए देश में कारोबार करने में आसानी का माहौल बनाने हेतु एफडीआई नीति को उदार और सरल बनाने की दृष्टि से सरकार ने एफडीआई के संबध अनेक सुधार उपाय किए हैं और अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उदारीकृत किया है, इनमें रक्षा, निर्माण, प्रसारण, नागर विमानन, रोपण, कारोबार, बैंकिंग-निजी क्षेत्र, उपग्रह स्थापना और प्रचालन तथा क्रेडिट सूचना कंपनियां शामिल हैं। 2015-16 के दौरान पेंशन क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन किया गया और स्वत: चालित मार्ग के तहत 26 प्रतिशत रखते हुए, 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और व्हाईट लेबल एटीएम प्रचालनों के लिए स्वत: चालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत की एफडीआई की अनुमति दे दी गई है।

6.34 एफडीआई क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए जाने के चलते भारत में एफडीआई अन्तर्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अप्रैल-नवम्बर, 2015 के दौरान कुल एफडीआई अन्तर्वाह 34.80 बिलियन अमेरीकी डॉलर रहा जबकि अप्रैल-नवम्बर 2014 के दौरान कुल एफडीआई अन्तर्वाह 27.70 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह भी अप्रैल-नवम्बर 2014 के 18.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-नवम्बर 2015 के दौरान 24.80 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया, जो 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-नवम्बर 2015-16 के दौरान, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर

और हार्डवेयर, सेवाओं, व्यापार, आटोमोर्बाल उद्योग, निर्माण (अवसंरचना) कार्यकलाप, रसायन (उर्वरकों से इतर) और दूरसंचार आदि क्षेत्र में अधिक एफडीआई अन्तर्वाह प्राप्त हुए हैं। एफडीआई से संबंधित पिछले 15 वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में प्राप्त कुल एफडीआई का सर्वाधिक 17.6 प्रतिशत हिस्सा सेवाक्षेत्र में गया है, जिसके बाद निर्माण विकास (8.8 प्रतिशत), कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर (7.27), दूरसंचार (6.6 प्रतिशत) और ऑटोमोबाईल उद्योग (5.2) का स्थान है। 2014-15 और 2015-16 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान क्षेत्रवार एफडीआई प्रवाह नीचे सारणी 6.4 में दर्शाया गया है।

6.35 विभिन्न देशों से भारत में प्राप्त होने वाले

सारणी 6.4 अप्रैल 2014 से नवम्बर 2015 के दौरान क्षेत्रवार एफडीआई अन्तर्वाह

क्रम सं.	क्षेत्र	एफडीआई की राशि (मिलियन अमेरीकी डॉलर)		कुल एफडीआई का प्रतिशत
		2014-15	**2015-16**	
		अप्रैल-मार्च	**अप्रैल-नवं.**	**अप्रैल-नवं. 2015-16**
1	सेवा क्षेत्र (वित्तीय, गैर वित्तीय और अन्य)	4443.26	4102.47	16.5
2	कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	2296.04	4419.84	17.8
3	व्यापार	2727.96	2604.40	10.5
4	ऑटोमोबाइल उद्योग	2725.64	1657.82	6.7
5	दूरसंचार	2894.94	1062.91	4.3
6	निर्माण (अवसंरचना) कार्यकलाप	870.25	1368.96	5.5
7	रसायन (उर्वरकों से इतर)	762.76	1157.37	4.7
8	औषधि और भेषज	1497.74	321.37	1.3
9	होटल और पर्यटन	777.01	865.25	3.5
10	विद्युत	707.04	635.13	2.6
11	खनन	684.39	518.84	2.1
12	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1079.02	48.69	0.2
13	गैर-परम्परागत ऊर्जा	615.95	440.64	1.8
14	औद्योगिक मशीनरी	716.79	293.56	1.2
15	उपर्युक्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य	8131.71	5310.51	21.4

***स्रोत:* डीआईपीपी**

एफडीआई अन्तर्वाह में भारी विभिन्नता है। तथापि, सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंडस और संयुक्त राज्य अमेरिका एफडीआई के प्रमुख अंशदाता है (चित्र 6.4)। 2015-16 (अप्रैल-नवम्बर के दौरान एफडीआई इक्विटी के 24.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सिंगापुर और मॉरीशस नामक दो भौगोलिक दृष्टि से छोटे देशों से हुआ, जिससे भारत के साथ उनके दोहरा कराधान परिहार करार के कारण कर-लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों से धनराशि जुटाने के संदर्भ में, इन देशों से आने वाले वास्तविक निवेश की सच्चाई का मुद्दा खड़ा होता है।

चित्र 6.4: अप्रैल-नवम्बर 2015-16 में एफडीआई अन्तर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

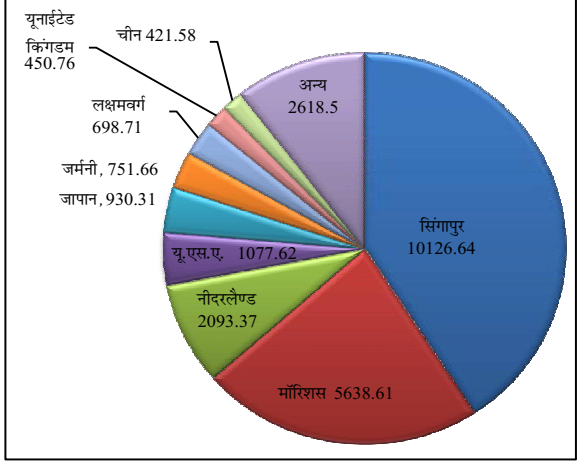

स्रोत: डीआईपीपी

6.36 2011 से 2015 (नवम्बर तक) के दौरान

पांच प्रमुख देशों से एफडीआई अन्तर्वाह का क्षेत्रवार विश्लेषण सारणी 6.5 में दर्शाया गया है।

6.37 विभिन्न भारतीय राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के राज्य वार विश्लेषण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानता दिखाई देती है (चित्र 6.6)। दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश ने पिछले 15 वर्षों के दौरान कुल 70 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह आकर्षित किया है। हालांकि झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए विदेशी निधियों को सीधे आकर्षित नहीं कर सके। इसका कारण अवसंरचनागत बाधा, प्रशासन और संस्थागत मुद्दे हो सकते है। मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत को देखते हुए, इस पहल को सफल बनाने के लिए राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सरल बनाने में अहम भूमिका निभानी होगी।

6.38 सितम्बर, 2014 में मेक इन इंडिया (बाक्स 6.1) पहल की शुरूआत के बाद, अक्तूबर, 2014 से जून, 2015 के दौरान, विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह है। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने पिछले वर्ष में निजी क्षेत्र के संगठनों को इससे पिछले तीन वर्षों में प्रदान किये लाइसेंसों की तुलना में 56 रक्षा विनिर्माण परमिट प्रदान किए हैं। जापान, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया में भारत ने विभिन्न औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं में भारी निवेश करने की अपनी इच्छा की घोषणा की है।

सारणी 6.5: 2011-12 से 2015-16 (नवम्बर) तक शीर्ष पांच देशों के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह का क्षेत्रवार ब्यौरा (प्रतिशत में)

क्षेत्र	सिंगापुर	मॉरीशस	नीदरलैंड	यूएस	जापान
सेवा क्षेत्र	18.6	18.9	15.4	19	20
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर	13.8	6.2	3.2	9.8	1
व्यापार	11.8	2.4	10	3.2	4.6
दूरसंचार	8.6	11.5	0.3	2	0.1
ड्रग व भेषज	6.6	1.0	0.6	2	3
विद्युत	5.0	6.1	2.7	4	0.3
निर्माण (अवसंरचना)	3.5	3.9	0.2	3.5	0.5
होटल पर्यटन	2.3	10.6	0.6	0.8	0.1
ऑटोमोबाइल	1.9	1.5	8.7	17.8	21
रसायन	NA	1.6	8.9	1.8	2.7
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस	0.7	1.1	8.4	0.1	1.2

***स्रोत:* डीआईपीपी**

सारणी 6.6: अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2015 के दौरान राज्य वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

क्र सं.	शामिल राज्य	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर में)			कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत
		2014-15	2015-16	कुल	
		अप्रैल-मार्च	अप्रैल-नवम्बर		
1	दिल्ली	6874.95	9401.73	16276.68	29.20
2	महाराष्ट्र	6361.09	4875.81	11236.89	20.16
3	कर्नाटक	3443.89	3266.48	6710.36	12.04
4	तमिलनाडु	3817.69	1889.15	5706.85	10.24
5	गुजरात	1531.15	1330.63	2861.78	5.13
6	आंध्र प्रदेश	1368.72	707.72	2076.43	3.73

***स्रोत:* डीआईपीपी**

बॉक्सः 1 मेक इन इंडिया

भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रवर्तन का वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ''मेक इन इंडिया'' पहल शुरू की गई है जो चार स्तंभों अर्थात नई प्रक्रियाओं, नई अवसंरचना, नये क्षेत्र और नई विचारधारा पर आधारित है। इस पहल से उद्यमियों को विनिर्माण में ही नहीं वरन संबंधित अवसंरचना और सेवा क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलता है। सूचना के प्रसार और निवेशकों के साथ अंतर्क्रिया करने के लिए, देश में निवेश के अवसरों को संभावनाओं और क्षमता के बारे में जागरूकता लाने, भारत को विदेश में बाजारों में पसंदीदा निवेश लक्ष्य के रूप में बढ़ावा देने और वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करने के लिए इंटरएक्टिव पोर्टल http://makeindia.com बनाया है।

इनके अलावा, इस पोर्टल पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, बौद्धिक संपदा अधिकारों, और दिल्ली, मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) सहित परिकल्पित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने विनिर्माण क्षेत्र में स.घ.उ. के योगदान में 2020 तक 25 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अग्रणी उद्योगों और अन्य हित धारकों के परामर्श से अगले तीन वर्षों के लिए कार्यनीति बनाई है।

भारत सरकार ने निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी के तौर पर ''इनवेस्ट इंडिया'' स्थापित किया है। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत पूर्ण ''निवेश सुविधा प्रकोष्ठ'' स्थापित किया गया है जो संभावित निवेशकों की ओर से एकजुट होकर कार्य करने एवं विभिन्न एजेंसियों से संपर्क करने के अलावा निवेश संबंधी सभी प्रश्नों में सहायता करता है।

जैसा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में परिकल्पित है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना है। सरकार भारत में श्रमिकों/बेरोजगारों की नियोजन योग्यता सुधारने के लिए कौशल बढ़ाने हेतु बहुत से उपाय कर रही है। भारत में सृजन की क्षमता को बाहर लाने एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु ''स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया'' अभियान की घोषणा की गई है। भारत में नव-प्रवर्तन और शुरूआत करने वाले उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) नामक नवप्रवर्तन संवर्धन मंच और स्व-रोजगार और तकनीकी वित्तीय उष्मायन कौशल उपयोग (एसईटीयू) नामक कार्यक्रम लागू किया गया है।

नए उद्यमियों और उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों में मदद करने के लिए, सरकार ने मेक इन इंडिया के जरिए कई उपाय किए हैं। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय क्षेत्र में नवगठित और विस्तार करने वाली इकाइयों के लिए उपक्रम पूंजी वित्त पोषण के मुद्दे का निपटान करने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के तहत ''इंडिया एस्पीरेशन फंड'' नामक कोष स्थापित किया गया है। कम कठोर नियमों-विनियमों के साथ ही मेक इन इंडिया के 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय लघु व मझौले उद्यमों को अर्ध-इक्विटी और सावधि आधारित अल्पावधि ऋण देने के लिए छोटे उद्यमों के लिए सिडबी मेक इन इंडिया ऋण शुरू किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋण हेतु वाणिज्यिक बैंकों/एनबीएफसी/सहकारी बैंकों को विकास एवं पुनः वित्तपोषण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म इकाई विकास पुनः वित्त पोषण एजेंसी (मुद्रा) बैंक स्थापित किया गया है। मुद्रा बैंक, वित्तीय सहायता प्रदान कर, कौशल भिन्नता, सूचना में अंतर आदि का समाधान करके भी क्रेडिट प्लस का दृष्टिकोण अपनाएगा।

6.39 भारत सरकार ने 'व्यवसाय करने में और अधिक आसानी' करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं (बाक्स 6.2)। प्रशासन को और अधिक दक्ष एवं प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा नियमों को सरल एवं तर्कसंगत बनाना और सूचना प्रौद्योगिकी लाने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में किए गए सुधारों के कार्यान्वयन की वजह से विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक की रैंकिंग में भारी सुधार हुआ है। इन सुधारों से सरकार द्वारा निवेश-मैत्री परिवेश संपोषित करने के लिए किए गए छोटे-छोटे उपायों की प्रभावकारिता प्रकट होती है। ''व्यवसाय शुरू करने,'' ''निर्माण अनुमति देने'' और ''विद्युत प्राप्ति'' के संकेतकों में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

6.40 उन्नत आर्थिक प्रदर्शन और सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अनुसार भारत की प्रतिस्पर्धा के वैश्विक बोध में सुधार हुआ है। गौर करने योग्य है कि भारत 55वें स्थान पर आकर 2015-16 में 16 स्थानों की बढ़त बनाए हुए है।

बॉक्स 2: ''व्यवसाय करने में आसानी'' के तहत किए गए उपाय

- औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑन लाइन कर दी गई है और उद्यमियों को अब यह सेवा म.ठप्र वेबसाइट पर हर समय उपलब्ध है। म.ठप्र पोर्टल पर बीज सेवाएं एकीकृत की गई हैं जो विभिन्न सरकारों व सरकारी एजेंसियों से स्वीकृति लेने के लिए एकल विंडो का काम करता है।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निर्यात और आयात हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या तीन तक सीमित रखने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी को शामिल करने के लिए समेकित प्रक्रिया शुरू की है जिसमें आवेदक इनकार्पोरेशन आवेदन (प्रपत्र आईएनसी-29) के साथ-साथ निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन) और कंपनी के नाम की उपलब्धता के लिए आवेदन कर सकता है।
- कंपनियों के लिए न्यूनतम चुकाई गई पूंजी और साझा मुहर की जरूरतें हटाने के लिए कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 पारित किया है।
- औद्योगिक लाइसेंस (आईएल)और औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आईईएम) के लिए आवेदन प्रपत्र सरल बनाए गए हैं।
- औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए रक्षा उत्पादों की सूची जारी की गई है, जिसमें बहुत सारे पुर्जों/घटकों, ढलाई/वितहपदह आदि को ओद्यौगिक लाइसेंस के दायरे से बाहर रखा गया है।
- इसी प्रकार सैन्य के साथ ही शांतिपूर्ण उपयोग वाली दोहरी उपयोग वाली मदों के लिए भी (यदि रक्षा मद वर्गीकृत नहीं की गई है) रक्षा दृष्टिकोण से औद्योगिक लाइसेंस नहीं लेना होगा।
- गृह मंत्रालय ने विहित किया है कि यह औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर सुरक्षा संबंधी मंजूरी 12 सप्ताह के भीतर प्रदान करेगा।
- कारोबार के पूरे जीवन चक्र के दौरान निवेशक के दिशा-निर्देश उसकी सहायता और हाथ बंटाने के लिए 'इनवेस्ट इंडिया' में निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ सृजित किया गया है।
- पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन के पोर्टलों के जरिये पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑन लाइन कर दी गई है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का पंजीकरण स्वचालित कर दिया गया है और ईएसआईसी पंजीकरण संख्या रिअल-टाइम आधार पर प्रदान की जा रही है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) इकाइयों के पंजीकरण, निरीक्षण की रिपोर्ट करने, रिटर्न जमा करने और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है।
- 14 सितंबर, 2015 को ''एसेसमेंट ऑफ स्टेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनिस रिफॉर्म्स'' शीर्षक रिपोर्ट विमोचित की गई थी। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक समूह और केपीएमजी की सहायता से डीआईपीपी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में राज्यों द्वारा कार्यान्वयन सुधारों के आकलन के निष्कर्ष दिए गए हैं। यह आकलन डीआईपीपी और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बीच सहमत व्यवसाय सुधारों के लिए 98-बिंदु कार्ययोजना के आधार पर 1 जनवरी से 30 जून, 2015 की अवधि में राज्यों द्वारा कार्यान्वित सुधारों का जायजा और व्यवसाय करने में आसानी के अनुसार उनकी रैंकिंग करने के लिए किया गया था।

अवसंरचना प्रदर्शन-विशिष्ट क्षेत्र

विद्युत

6.41 भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, सरकार ने देशभर में अबाधित निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए वृहत कार्यक्रम शुरू किया है। बिजली उत्पादन बढ़ाने, पारेषण एवं वितरण तंत्र सुदृढ़ करने फीडर अलग करने और उपभोक्ताओं के लिए बिजली के मीटर लगाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इस क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए राज्यों के साथ मिलकर विद्युत अधिनियम और प्रशुल्क नीति में विभिन्न संशोधन किए जा रहे हैं।

विद्युत उत्पादन और क्षमता

6.42 2014-15 के दौरान, विद्युत उत्पादन में उपलब्धि, लक्ष्य से अधिक थी। 1020 बी.यू. के लक्ष्य के मुकाबले, उत्पादन 1048.4 बी.यू. था जिससे वर्षानुवर्ष 8.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। वार्षिक उत्पादन 1 ट्रिलियन इकाई से अधिक रहा और पिछले दो दशकों में उच्चतर वृद्धि दर्ज हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान (अप्रैल-दिसंबर, 2015) देश में विद्युत उत्पाद में 4.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वर्ष

सारणी 6.7 : यूटिलिटि द्वारा बिजली उत्पादन (बिलियन इकाई)

श्रेणी	अप्रैल-मार्च			अप्रैल-दिसंबर		
	2013-14	**2014-15**	वृद्धि प्रतिशत	**2014-15**	**2015-16**	वृद्धि प्रतिशत
	967.15	1048.67	8.43	794.65	829.85	4.43
जल-विद्युत	134.85	129.24	-4.16	106.71	102.15	-4.28
तापीय	792.48	878.32	10.83	657.53	694.83	5.67
नाभिकीय	34.23	36.10	5.47	25.56	27.75	8.55
भूटान से आयात	5.60	5.10	-10.54	4.85	5.12	5.51

स्रोत: **विद्युत मंत्रालय**

2015-16 (अप्रैल-दिसंबर, 2015) के दौरान 849.9 बीयू के लक्ष्य की 97.6 प्रतिशत है। अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 में कोयले, लिग्नाईट और गैस आधारित स्टेशनों से उत्पादन में वृद्धि का क्रम क्रमशः 6.17 प्रतिशत (-), 4.09 और 7.87 प्रतिशत था। कोयले की उपलब्धता और बहुत सी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति की वजह से ताप विद्युत सृजन में वृद्धि हासिल की गई, जो भारत में प्रमुख स्रोत है। नीचे सारणी में यूटिलिटियों द्वारा उत्पादित विद्युत दर्शाई गई है:

6.43 इसके अलावा, 2015-16 के लिए क्षमता-20037.1 मेगावाट के अतिरिक्त लक्ष्य के मुकाबले 31 दिसंबर, 2015 तक 11,226 मैगावाट की अधिवृद्धि की गई है। 31 दिसंबर, 2015 को 12वीं योजना के दौरान संचयी 72,240 मेगावाट है, जो 12वीं योजना के लक्ष्य का 81.6 प्रतिशत है।

वितरण

1. नई स्कीम के तहत उप पारेषण और वितरण प्रणाली की परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2014 को 5134 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं और 31.12.2015 को 196.79 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं।

2. इसी प्रकार एक नई स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए 33,453 करोड़ रु. की बजटीय सहायता सहित 43,033 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमानित है। इसके अलावा, 12वीं और 13वीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखने के लिए 35,447 करोड़ रु. की बजटीय सहायता सहित पहले से अनुमोदित 39,275 करोड़ रु. का परिव्यय भी डीडीयूजीजेवाई के लिए आगे लाया गया है। 31.12.2015 को स्कीम के तहत 41100.44 करोड़ रु. की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सरकार सभी शेष 18,452 गांवों (1 अप्रैल, 2015 को) में 1 मई, 2018 तक विद्युत पहुंचाना चाहती है।

उदय (उज्जवल वितरण कंपनी आश्वासन योजना)

6.44 वितरण कंपनियों के प्रदर्शन के बिना शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने, हर समय विद्युत आपूर्ति एवं स्वच्छ ऊर्जा के प्रयास सफल नहीं हो सकते। विद्युत आउटएजेज से भी ''मेक इन इंडिया'' और ''डिजीटल इंडिया'' जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, वित्तीय संकुचित वितरण कंपनियों द्वारा बैंक ऋण में चूक से भी बैंकिंग क्षेत्र और बड़े पैमाने पर, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, वित्तीय वितरण कंपनियों के वित्तीय कायांतरण के लिए स्कीम ''उदय'' (उज्जवल वितरण कंपनी आश्वासन योजना) बनाई गई है और वितरण कंपनियों के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक कायांतरण के लिए और समस्या के सतत् स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सरकार द्वारा 20 नवंबर, 2015 को शुरू की गई। इस स्कीम में ब्याज का बोझ, विद्युत की लागत और एटीएंडसी हानियों में कमी करना परिकल्पित है। सहमत प्रेक्षकों के अनुसार प्रचालनात्मक और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने हेतु वितरण कंपनियां और प्रतिभागी राज्य भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय करार करेंगे।

राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम

6.45 माननीय प्रधान मंत्री ने सर्वाधिक कुशल प्रकाश व्यवस्था प्रोद्यौगिकी के उपयोग को किफायती दरों पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 जनवरी, 2015 को 100 शहरों में राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं: (i) 77 करोड़ बल्बों के बदले एलईडी बल्ब लगाने के उद्देश्य से घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए घरेलू दक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) और (ii) मार्च, 2019 तक 3.5 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के बदले स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी)। बाक्स 6.3 में इन दो घटकों के कार्यान्वयन के लिए मॉडल पर चर्चा की गई है।

6.46 राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम से घरेलू उपभोक्ताओं और शहरी स्थानीय संगठनों को प्रोद्भूत 45,500 करोड़ रु. की धनराशि की बचत के साथ-साथ लगभग 109 बिलियन इकाई की वार्षिक विद्युत बचत और मांग में 21,500 मेगावॉट की कमी अनुमानित है। इसके अलावा, इससे ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कार्बनडाइऑक्साईड में वार्षिक 85 मिलियन टन की कमी लाकर प्रभावित कर जलवायु परिवर्तन को कम करने में अहम भूमिका अदा होगी। इससे इच्छित राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी) के तहत 2030 तक देश की उत्सर्जन उग्रता प्रति इकाई स.घ.उ. में 2005 के स्तर से 33-35: की कमी लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहजता होगी। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम से मांग में स्थिरता लाकर एलईडी बल्बों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा एवं समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे यह सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप होगी।

ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड (ईईएसएल) सेवा मॉडल डीईएलपी: ईईएसएल ने एक नया सेवा मॉडल विकसित किया है जिसमें यह लाभ साझेदारी दृष्टिकोण के जरिए विद्युत वितरण कंपनियों के साथ काम करता है। EESL एलईडी बल्बों की अधिप्राप्ति कर इन्हें 350-400 रु. के बाजार मूल्य के मुकाबले 10 रु. प्रत्येक की दर से उपभोक्ताओं को प्रदान करता है। ईईएसएल द्वारा किया गया अग्रिम निवेश 8-12 माह तक प्रत्येक माह 10 रु. की आसान किस्त की कटौती द्वारा उपभोक्ताओं से लागत वसूल कर पूरा किया जाता है।

एसएलएनपी: ईईएसएल, स्वयं अपनी लागत पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के बदले एलईडी लाइटें लगाता है (जिसके लिए नगर निगम को निवेश करने की जरूरत नहीं है।) और ईईएसएल की चुकौती के लिए ऊर्जा में परिवर्ती घटोत्तरी और नगर निगम की रखरखाव लागत का उपयोग किया जाता है।

5 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम शुरू किए जाने से 15 जनवरी 2016 तक इसके कार्यान्वयन की वर्तमान प्रगति निम्नलिखित है:-

पैरामीटर	डीईएलपी	एसएलएनपी
वितरित एलईडी बल्बों/लगाई गई स्ट्रीट लाईटों की सं.	4.77 करोड़	5.51 लाख
औसत ऊर्जा बचत प्रतिदिन	16.86 एमयू	0.20 एमयू
बचाई गई मांग/क्षमता	1529 एमडब्ल्यू	18.2 एमडब्ल्यू
जीएचजी उत्सर्जन कार्बनडाइऑक्साईड में कमी प्रतिदिन	13,800 t CO_2	166 t CO2
लागत में प्रतिदिन बचत	6.62 करोड़	12.01 लाख

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

6.47 सरकार ने भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना का अनुमोदन किया है। एनएसजीएम गतिविधियों के लिए वित्त वर्ष 2015-16 हेतु बजट आबंटन 40 करोड़ रु. है।

बॉक्स 3: ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड सेवा मॉडल डीईएलपी

ईईएसएल ने एक नया सेवा मॉडल विकसित किया है जिसमें यह लाभ साझेदारी दृष्टिकोण के जरिए विद्युत वितरण कंपनियों के साथ काम करता है। ईईएसएल एलईडी बल्बों की अधिप्राप्ति कर इन्हें 350-400 रु. के बाजार मूल्य के मुकाबले 10 रु. प्रत्येक की दर से उपभोक्ताओं को प्रदान करता है। ईईएसएल द्वारा किया गया अग्रिम निवेश 8-12 माह तक प्रत्येक माह 10 रु. की आसान किस्त की कटौती द्वारा उपभोक्ताओं से लागत वसूल कर पूरा किया जाता है।

एसएलएनपी: ईईएसएल स्वयं अपनी लागत पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के बदले एलईडी लाइटें लगाता है (जिसके लिए नगर निगम को निवेश करने की जरूरत नहीं है) और ईईएसएल की चुनौती के लिए ऊर्जा के परिवर्ती घटोत्तरी और नगर निगम की रखरखाव लागत का उपयोग किया जाता है।

कोयला

6.48 कोयला देश भर में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। भारत में अप्रैल-दिसंबर, 2015 के दौरान कच्चे कोयले का उत्पादन, विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 427.27 एमटी की तुलना में 447.48 एमटी थी जिससे 4.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। 2015-16 के लिए कोयले के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 700 एमटी नियत है। देश भर में कोयले की वार्षिक मांग वर्तमान में उपभोग क्षेत्रों के आयात से पूरी की जा रही है। तथापि, कोयले के अधिक उत्पादन की वजह से, कोयले के आयात में विगत वर्ष से कमी आई है। कोयले के उत्पादन आपूर्ति एवं आयात का वर्षवार विवरण सारणी 6.8 में दिया गया है।

पहलें और उपलब्धियां

क. सरकार को 204 कोयला ब्लॉक आवंटन जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया था, के पुन: आबंटन में समर्थ बनाने के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कोयला खनन संचालन और कोयले के उत्पादन में निरंतरता और देश की जरूरतों के अनुरूप कोयले के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में, कोयला खनन (विशेष उपबंध) नियम, 2014 भी अधिसूचित किया गया है। कथित अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में 204 कोयला ब्लॉक का आबंटन किया जा रहा है। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी ई-नीलामी मोड में की जा रही है।

ख. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के तहत, केंद्र सरकार ने 31 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्रीय/राज्य सरकारी कंपनियों को 42 कोयला खानों/ब्लॉकों का आबंटन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

ग. 19 मामलों में से 15 के लिए लिंकेज कोयला स्रोतों की युक्तिसंगत समीक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा जून, 2014 में गठित अंतर मंत्रालयी-कार्यबल (आईएमटीएफ) की सिफारिशों को पहले चरण में युक्तिसंगत बनाया गया है और 4 मामलों पर कार्यवाही की जा रही है। इन 15 मामलों के संबंध में कार्यान्वयन से 877 करोड़ (अनंतिम) की बचत होगी। इसी तरह, विभिन्न हितधारकों को कोयले की आपूर्ति करने के लिए सबको बराबर अवसर प्रदान की दृष्टि से बाजार आधारित तंत्र के जरिए कोयला लिंकेज/एलओए के आबंटन की व्यवहार्यता की जांच करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गई है। लिंकेज की नीलामी के प्रस्तावित तंत्र से लिंकेज के आबंटन में वस्तुनिष्ठता व पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

सारणी 6.8 : कोयले का उत्पादन, आपूर्ति और आयात

(मिलियन टन)

वर्ष	अखिल भारतीय कोयला		सीआईएल		आयात		कुल आयात
	उत्पादन	बिकवाली	उत्पादन	आपूर्ति	कुकिंग	गैर-कुकिंग	
2008-9	492.76	489.17	403.73	400.72	21.08	37.92	59.00
2009-10	532.04	513.79	431.26	415.22	24.69	48.57	73.26
2010-11	532.70	523.47	431.32	423.78	19.48	49.43	68.91
2011-12	539.95	535.30	435.84	432.62	31.80	71.05	102.85
2012-13	556.40	567.14	452.21	464.54	35.56	110.22	145.78
2013-14	565.77	572.06	462.41	470.92	36.87	129.99	166.86
2014-15 (पी)	612.44	607.63	494.23	488.92	43.71	168.39	212.10
2015-16*	447.48	463.23	373.48	389.13	26.79#	84.89#	111.68#

***स्रोत:* कोयला मंत्रालय**

***नोट:* दिसंबर, 2015 तक**

आयात के आंकड़े अक्तूबर, 2015 तक है।

घ. जारी परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, 3 एमटीवाई क्षमता की 500 करोड़ रूपए से अधिक लागत वाली प्रमुख कोयला परियोजनाओं की कड़ी निगरानी की जा रही है। कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं की मंजूरी से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए, सरकार ने परियोजनाओं के तीव्र गति से कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल स्थापित किया है। सरकार ने कोयले की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण रेलवे की परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को भी उच्च प्राथमिकता दी हुई है। भावी रेल परियोजनाओं के तीव्र गति से कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार और आईआरसीओएन के साथ-साथ कोयला कंपनियों द्वारा संयुक्त उपक्रम (जेवी) का गठन किया गया है।

6.49 कोयला कंपनियों और पावर यूटिलिटीज/डेवलपर्स के बीच विवाद के मुद्दे का समाधान करने के लिए और कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, तृतीय पक्ष के नमूने लेने की प्रणाली में और अधिक सुधार किया गया था। सीआईएल द्वारा शामिल की गई एजेंसी के अलावा, समिति द्वारा तृतीय पक्ष का सैंपलर संयुक्त रूप से गठन किया गया था जिसमें सीआईएल की सहमति से पावर यूटिलिटीज और सीईए के प्रतिनिधि शामिल हैं और इसे सीआईएल द्वारा अधिसूचित किया गया।

खनिज तत्व

6.50 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में दर्शाया गया है कि अप्रैल-नवंबर, 2015-16 माह के लिए खनिज उत्पादन में बॉक्साइट, क्रोमाईट, लौह अयस्क, चूना पत्थर और फॉस्फोराईट के उत्पादन में बढ़ोत्तरी की वजह से विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं कोयले के उत्पादन में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खनन क्षेत्र न्यायालय में कानूनी मुद्दों, पर्यावरणीय, नियामक और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों की वजह से लगातार दो वर्षों अर्थात् 2011-12 और 2012-13 के लिए बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चूंकि सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए हैं, खनन और उत्खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय कायांतरण हुआ है जिसमें राष्ट्रीय लेखाओं के अनुसार 2013-14 और 2014-15 में 3.0 और 10.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसा देखा गया है कि लौह अयस्क के क्षेत्र में सिंगापुर की कंपनियों द्वारा निवेश में तीव्र बढ़ोत्तरी हुई है।

नई पहलें

1. खदान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 2015:

6.51 सरकार ने खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में खदान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 2015 लागू किया है जो 12.01.2015 से लागू होगा। एमएमडीआर अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के जरिए खनिज रियायत प्रदान करना जो एक पारदर्शी और भेदभाव रहित विधि है और जिससे खनिज संसाधनों के मूल्य में राज्य सरकारों को उचित हिस्सा भी मिलेगा।

ख) अयस्क की आपूर्ति में बाधा समाप्त करने के लिए मौजूदा पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए संक्रमण प्रावधान और उद्योग को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना (निजी खदानों के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की संक्रमण अवधि और अन्य खदानों के लिए 5 वर्ष),

ग) निजी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नीलामी के जरिये प्रदत्त खनिज रियायतों की आश्वस्त सावधि और सरल अंतरणीयता,

घ) गैरकानूनी उत्खनन को रोकने के लिए अधिक सख्त शास्ति, आवश्यकता हो, तो विशेष न्यायालय का गठन किया जाए,

ङ) प्रत्येक खनन प्रभावित जिले में जिला खनन फाउंडेशन स्थापित किया जाए,

च) अन्वेषण को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित किया जाए।

2. खदानों की नीलामी

6.52 एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार, राज्य सरकारें खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए नीलामी करेंगी। केन्द्रीय सरकार की भूमिका चयन के लिए बोली के मानदण्डों सहित नियम व शर्तें और प्रक्रियाएं विनिर्धारित करना है जिसके लिए नीलामी की जानी है। 31.12.2015 को, 7 राज्यों नामत: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखण्ड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और

ओडिशा द्वारा अयस्कों जैसे चूना पत्थर, टंगस्टान, सोने, लौह और बॉक्साॅईट की नीलामी के लिए कुल 35 ब्लॉक का प्रस्ताव किया गया है।

3. जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)

6.53 इस अधिनियम में, उत्खनन संबंधी प्रक्रियाओं से प्रभावित किसी जिले में, लोगों के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से डीएमफ स्थापित किए जाने का भी प्रावधान है जहां खनन किया जा रहा है। डीएमफ का संघटन और प्रकार्य राज्य सरकार द्वारा विनिर्धारित किए जाएंगे।

4. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)

6.54 पीएमकेकेकेवाई के तहत, उत्खनन की गतिविधियों से विपरीत तौर पर प्रभावित लोगों एवं जिलों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च की जानी है। केन्द्र सरकार ने खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वित करने खनन के दौरान और उसके बाद पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम/समाप्त करने, खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थिर आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से पीएमकेकेकेवाई बनाई है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

उत्पादन

6.55 कच्चे तेल का घरेलू वार्षिक उत्पादन विगत पांच वर्षों में लगभग 37-38 मिलियन टन रहा है। अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 के दौरान, कच्चे तेल का घरेलू वार्षिक उत्पादन 27.950 एमएमटी था जो विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 28.174 एमएमटी के उत्पादन से 0.79 प्रतिशत कम है। अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 के दौरान, गैस का उत्पादन, 2014-15 की इसी अवधि के दौरान 25.397 बीसीएम के मुकाबले 24.697 बीसीएम था जो 2.8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। इस क्षेत्र से संबंधित कुछ मामलों पर बाक्स 6.4 में चर्चा की गई है।

6.56 घरेलू उत्पादन की कमी विदेश से प्राप्त तेल और गैस आस्तियों से पूरी होती है। अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 के दौरान, विदेश में आस्तियों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमशः 5.533 एमएमटी और 3.341 बीसीएम था।

6.57 इस संदर्भ में, वैश्विक घटनाक्रम (चित्र 6.5) को देखना महत्वपूर्ण है। एक वर्ष से कुछ कम अवधि के दौरान न केवल कच्चे तेल की आपूर्ति की अपेक्षा मांग में कमी आई है बल्कि वास्तव में वैश्विक मांग के निर्माण की अधिक उपलब्धता है, जो मुख्यतः अमेरीका (शैल गैस आपूर्ति से) और चीन (आर्थिक वृद्धि में गिरावट से) में है। इसी के साथ, गिरते मूल्यों के बावजूद

चित्र 6.5 कच्चे तेल की वैश्विक मांग और आपूर्ति (मिलियन बैरल प्रतिदिन में)

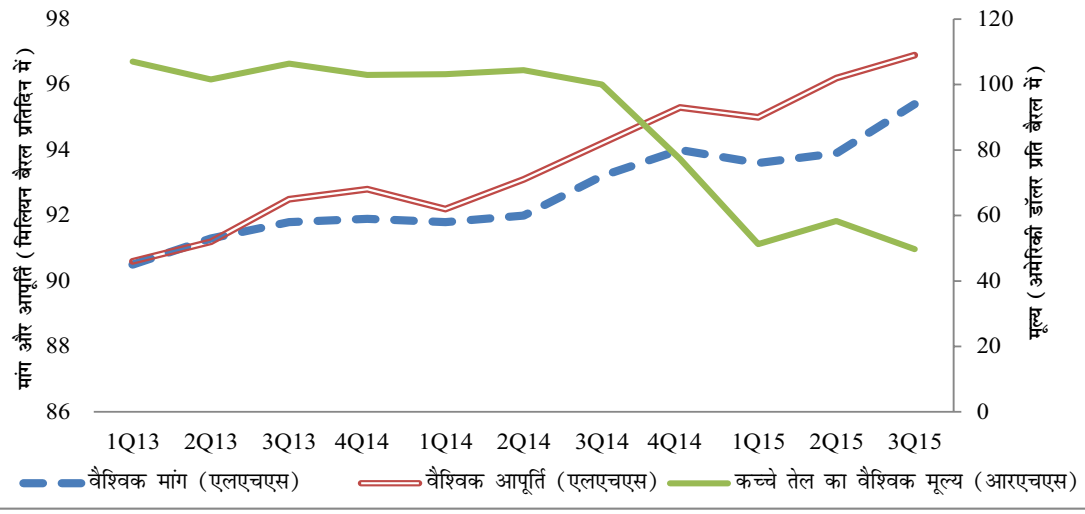

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी

बॉक्स 6.4 : पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

(1) भारत में घरेलू गैस के मूल्यों की बेंचमार्किंग के लिए वैश्विक गैस बाजार न होने की दृष्टि से विभिन्न सूत्र सुझाए गए हैं और वर्तमान में अक्तूबर, 2014 से भारत में घरेलू गैस मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्पादक और उपभोक्ता बाजारों पर आधारित सूत्र का उपयोग किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस सूत्र से देशभर में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन आएगा। तथापि निवेश के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने और साथ ही प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होगा कि मूल्य, भावी नियामक के साथ घरेलू गैस के लिए बाजार द्वारा निर्धारित हो। मध्यावधि में भी, एक बड़ा उपभोक्ता होने के नाते, भारत इस क्षेत्र में गैस मूल्यों के लिए मूल्य निर्धारक बन सकता है।

(2) जीएसटी के तहत पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को शामिल किया जाना चाहिए अथवा कम से कम इसे बाहर रखे जाने को संविधान संशोधन अधिनियम में इंगित नहीं किया जाना चाहिए।

(3) कच्चे तेल पर 4500/- रूपए मीट्रिक टन का विशिष्ट उत्पाद शुल्क सममूल्य पर होना चाहिए, मानो 8-10 प्रतिशत ताकि उपकर, वैश्विक मूल्य अग्रानुक्रम में हों। गैस उपकर का गैस पाईपलाईनों के नेटवर्क के निर्माण में सहायता देने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसका देश के वंचित क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्यनीतिक महत्व है। यह प्रगति वर्तमान में कुछ सीमित है क्योंकि यह गैस राजमार्ग परियोजनाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र में उर्वरक इकाईयों और छोटे उद्योगों के विकास के पुनरूद्धार से जुड़ा हुआ है।

वैकल्पिक तौर पर, गैस पाईपलाईन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए, पाईपलाईन आस्तियों को बढ़ावा देने और कुशल बाजारों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) प्रदान किया जाए।

(4) न केवल क्रॉस कंट्री अपितु शहरों में गैस वितरण के लिए भी पाइप लाइनों के निर्माण के लिए भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पीएनजीआरबी द्वारा बोली लगाने की मौजूदा प्रणाली असंतुलित एवं लंबी प्रक्रिया वाली है जिससे गैस नेटवर्क का विकास संकुचित हो गया है और उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। पीएनजी/सीएनजी के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है।

(5) एलपीजी अनुदान को समाप्त करने का लक्ष्य अनिवार्य है। यह लक्ष्य समृद्ध उपभोक्ताओं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक है, को अनुदान प्रदान न करने से हासिल किया जा सकता है।

(6) पावर उद्योग में एलएनजी का आयात सीमाशुल्क से मुक्त है जबकि अन्य समस्त प्रयोगों के लिए एलएनजी पर 5 प्रतिशत सीमाशुल्क है। यह छूट समस्त क्षेत्रों द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए भी प्रदान की जानी चाहिए।

(7) राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लिए गैस उत्पादन एवं उपभोग करने वाले राज्यों के लिए कम लागत की एवं राजस्व रहित प्रणाली विकसित करने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए विशेष कर प्रावधान किए जाने चाहिए। प्राकृतिक गैस एवं एलएनजी को कच्चे तेल के साथ कर समानता के लिए घोषित वस्तु माना जाना चाहिए और इस प्रावधान को समस्त राज्यों में एकसमान बनाया जाना चाहिए।

यूएसए और पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन (ओपेक) देशों से उपलब्धता में बढ़ोत्तरी हुई है।

प्रमुख पहलें

- **ओएनजीसी और तेल के मार्जिनल क्षेत्रों के लिए नीतिः** सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा हाईड्रोकार्बन की खोजों के विकास के लिए 2 सितंबर, 2015 को मार्जिनल क्षेत्रों के लिए नीति अनुमोदित की है। इस नीति से, उम्मीद है कि इन क्षेत्रों से उत्पादन किया जा सकेगा जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **एनईएलपी पीएससी में परीक्षण अपेक्षाओं संबंधी नीतिः** सरकार ने 29 अप्रैल, 2015 को एनईएलपी ब्लॉकों में ड्रिल स्टेम परीक्षण के साथ/के बिना परीक्षण अपेक्षाओं संबंधी नीति अनुमोदित की है। इस नीति से परीक्षण की अपेक्षाओं से संबंधित लंबे समय से लंबित चले आ रहे विवादों के समाधान द्वारा पूर्वी तटीय अपतटीय क्षेत्रों में 10 खोजों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इन खोजों से संबंधित आरक्षित भंडार, जिनके मौद्रिकीकृत होने की अपेक्षा है, 90,000 करोड़ के एसोसिएट मूल्य वाली लगभग तीन ट्रिलियन घन फीट (टीसीएफ) हैं।
- **संशोधित प्राकृतिक गैस मूल्यन सूत्रः** सरकार ने अन्वेषण को प्रोत्साहित करने और देशभर में गैस के उत्पादन के बीच सूक्ष्म संतुलन बनाकर वैश्विक

बाजार से संबद्ध एक पारदर्शी नए गैस मूल्यन सूत्र का अनुमोदन किया है।

- **नई हाईड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र उत्पादन:** सरकार ने उत्पादन की साझेदारी वाले अनुबंधों में कठोरता को कम करने और हाईड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मौद्रिकीकरण के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत रूपरेखा अनुमोदित की है। इस नीतिगत रूपरेखा के तहत 40 लंबित मामलों का पहले ही समाधान कर दिया गया है।
- नई अनुबंधगत एवं वित्तीय क्षेत्र के साथ समरूपी लाइसेंसिंग और खुला क्षेत्रफल की नीति बनाई गई है। इस नीति में ई और एस क्षेत्र में तीन आधारभूत परिवर्तनों अर्थात सभी प्रकार के हाइड्रोकॉर्बन के लिए ई और पी की एकल लाइसेंस, खुला क्षेत्रफल लाईसेंस प्रणाली और राजस्व साझा करने वाला मॉडल देने में आसानी व सहजता की परिकल्पना की है।

गैर पारंपरिक संसाधनों का अन्वेषण

- **कोयला बेड मीथेन (सीबीएम):** देशभर में सीबीएम अन्वेषण के लिए कुल उपलब्ध 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से, लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर में अन्वेषण शुरू किया गया है। देशभर में अनुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 92 ट्रिलियन घन फीट (टीसीएफ) हैं, जिसमें से महज 9.9 ट्रिलियन घन फीट ही अभी तक बहाल किया गया है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1.0 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) उत्पादन से अब सीबीएम का वाणिज्यिक उत्पादन एक वास्तविकता बन गई है। अगले तीन वर्षों में, सीबीएम उत्पादन में 5.7 एमएमएससीएमडी तक बढ़ने की संभावना है। सीबीएम गैस उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों को उनके द्वारा धारित कोयला उत्खनन में सीबीएम संचालन करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- **शेल तेल और गैस:** शैल तेल और गैस के आकलन के प्रथम चरण में, ओएनजीसी को पचास और ओआईएल को पांच पेट्रोलियम अन्वेषण पट्टे (पीईएल)/पेट्रोलियम खनन पट्टे (पीएमएल) प्रदान किए गए हैं। ये ब्लॉक असम (6), अरूणाचल प्रदेश (1), गुजरात (28), राजस्थान (1), आन्ध्र प्रदेश (10), और तमिलनाडु (9) में स्थित हैं। ओएनजीसी ने शेल गैस अन्वेषण के लिए 14 कुओं की खुदाई की है। शेल गैसों का व्यावसायिक उत्पादन अभी शुरू किया जाना है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

6.58 देश में मध्यावधि में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं का आकलन 8,96,602 मेगावाट किया गया है जिसमें सौर ऊर्जा (7,48,990 मेगावाट), पवन ऊर्जा (1,00,000 मेगावाट), लघु हाइड्रो ऊर्जा (20,000 मेगावाट) एवं बायोमॉस पावर (26,800 मेगावाट) का आकलन शामिल है। ग्रिड पॉवर की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में वितरित उत्पादन, प्रकाश व्यवस्था, पंपिंग एवं पावॅर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जा रहा है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में मेगावाट से बढ़कर गीगावाट तक पहुँच गया है। विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाला लक्ष्य बढ़कर वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट तक हो गया है। मुख्य योगदान प्रदान करने वालों में सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट एवं पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट प्रदान करने वाले शामिल होंगे।

6.59 देश में इस राजकोषीय अवधि (अप्रैल से दिसंबर) तक सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल 3029.89 मेगावाट की ग्रिड से संबद्ध पॉवर उत्पत्ति क्षमता जुड़ चुकी है जिसके फलस्वरूप संचयी उत्पादन क्षमता 38,820 मेगावाट तक हो गई है। इसके अतिरिक्त, वितरित उत्पादन, प्रकाश व्यवस्था, पंपिंग एवं पॉवर की आवश्यकताओं के लिए देश में 74.68 मेगावाट के समकक्ष विकेन्द्रीकृत/वितरित प्रणाली भी अधिष्ठापित की गई है।

प्रमुख पहलें

(1) सोलर रूफटॉप: सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान ग्रिड से संबद्ध रूफटॉप प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए बजट को 600 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रूपये कर दिया है।

(2) सोलर पार्क: जुलाई, 2014 में प्रस्तुत किए गए बजट में सरकार द्वारा 25 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए घोषित की गई सोलर पार्क योजना के अनुपालन में विभिन्न राज्यों में अगले 5 वर्षों में 20,000 मेगावाट

की सकल क्षमता के साथ वृहत मेगा सोलर पावर परियोजनाएँ विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों में लगभग 22,000 मेगावाट की क्षमता वाले 34 सोलर पार्कों की संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(3) राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत सौर परियोजनाएँ: सरकार ने वर्ष 2018-19 तक एनटीपीसी लिमिटेड/एनवीवीएन के माध्यम से तीन चरणों में राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 15,000 मेगावाट की ग्रिड से संबद्ध सौर पीवी पावर परियोजनाओं की अधिष्ठापना के लिए फरवरी, 2015 में योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। दिनांक 31.12.2015 तक एनटीपीसी लिमिटेड ने 400 मेगावाट की घरेलू खपत की आवश्यकता सहित 2750 मेगावाट के लिए निविदा जारी की थी।

(4) सौर पंप: सिचांई एवं पेयजल के लिए एक लाख सौर पंप लगाने के लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.12.2015 तक 1,21,524 सौर पंपों की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और सिचांई एवं पेयजल के लिए विभिन्न एजेंसियों को 419.73 करोड़ रूपये प्रदान कर दिए गए थे तथा जनवरी, 2016 तक 15,500 सौर पंप लगा दिए गए थे।

(5) सौर नगर: सौर नगरों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 60 सौर नगरों के लक्ष्य की तुलना में 56 सौर नगरों की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(6) 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अवधि के अंतर्गत 50,000 प्रशिक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मई, 2015 में सूर्य-मित्र योजना प्रारंभ की गई है।

6.60 उपयुर्क्त प्रयासों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत प्रयास किए गए जिनमें निम्नलिखित प्रयास शामिल है (i) राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, 2015 जिसके अंतर्गत भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजैड) में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए 7,600 किलोमीटर की विशाल तटरेखा का उपयोग करने पर बल दिया गया है। (ii) नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल करना तथा ऋण प्राप्त करने वालों को सौर आधारित पावर जनरेटरों, बॉयोमॉस आधारित पावर जनरेटरों, पवन चक्कियों, माइक्रो-हाइडल सयंत्रों जैसे प्रयोजनों के लिए तथा पथ प्रकाश प्रणालियों एवं सुदूर गांवों में विद्युतीकरण जैसी गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए 15 करोड़ रूपये की सीमा तक के बैंक ऋण प्रदान करना और इसके अतिरिक्त 10 लाख रूपये तक के प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्ता को प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानकों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। (iii) आरई में निवेश स्वत: हो रहा है जैसे संयुक्त उपक्रम में 74 प्रतिशत विदेशी साम्यता भागीदारी का स्वत: अनुमोदन तथा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुमोदन के साथ साम्यता के रूप में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। (iv) राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2005 में संशोधन को अनुमोदन जिसके अंतर्गत नीति के मुख्य प्रयोजन के रूप में नवीकरणीय पॉवर का संवर्धन जोड़ना, नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) लक्ष्य आदि अंतर्निहित हैं।

रेलवे

6.61 भारतीय रेल कई चुनौतियों का सामना कर रही है। द्रुतगति की क्षमता के निर्माण के लिए भारतीय रेल ने परियोजना निष्पादन की क्षमताओं में बढ़ोत्तरी को महत्व दिया है। रेलवे की आधारभूत अवसंरचना में योजनागत निवेश के लिए अपेक्षित वृहत्तर संसाधनों की आवश्यकताओं तथा सार्वजनिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त आंतरिक अतिरेकता के सृजन तथा वित्त पोषण के नवप्रवर्तित माध्यमों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समर्पित भाड़ा मार्ग, द्रुतगति की रेलें, उच्च क्षमता के चल स्टाक, रेल मार्ग के अंतिम पड़ाव के लिए रेल संपर्क स्थल, बन्दरगाहों के साथ संबद्धता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश में प्राथमिकता पर बल दिया जा रहा है तथा आंतरिक एवं बजटीय संसाधनों से अनुपूरक निवेश योग्य संसाधानों में निजी क्षेत्र एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया जा रहा है।

मालभाड़े की प्रदर्शन

6.62 वर्ष 2015-16 (नवंबर, 2015 तक) के दौरान भारतीय रेल द्वारा 775.77 मिलियन टन के बजट लक्ष्य की तुलना में 720.17 मिलियन टन माल की ढुलाई से राजस्व अर्जित किया गया। यह वर्ष 2014-15 (नवंबर, 2014

तक) के दौरान ढुलाई किए गए 711.19 मिलियन टन की तुलना में अधिक है। ढुलाई किया गया यह माल भार वर्ष 2014-15 (नवंबर, 2014 तक) से 8.98 मिलियन टन अधिक है जोकि 1.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

किए गए प्रयास

6.63 भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की सुविधाओं एवं सेवा संबंधी पहल, आधारभूत अवसंरचना एवं मेक इन इंडिया की पहल, संसाधनों की गतिशीलता संबंधी पहल एवं हरित क्षेत्र संबंधी पहल आदि जैसे विभिन्न प्रयास किए गए (द्रुतगति रेल परियोजना के लिए बाक्स 6.5)। 1,098 किलोमीटर मार्ग की प्रकाशिक तंतु केबल (ओएफसी) बिछाई गई। भारतीय रेल द्वारा कुल 48,818 आरकेएम किलोमीटर प्रकाशिक तंतु बिछाई गई जिससे उच्च गति संप्रेषण नेटवर्क स्थापित हुआ। इंट्रीगल कोच फैक्टरी, चेन्नई द्वारा अपने किस्म का पहला 3 चरणीय स्टेनलैस स्टील मितव्ययी ऊर्जा का वातानुकूलित-वातानुकूलन संचरण 1600 हार्स पावर डीईएमयू टेप सैट विकसित किया। भाड़ा संचालन के लिए सुवाह्य अनुप्रयोग-परिचालन भी प्रारंभ किया गया। रेलवे द्वारा कांगड़ा घाटी में प्रचालित होने वाले पठानकोट-जोगिन्द्र नगर खंड में 2 विस्तृत गेज के कोचों पर तथा 4 संकीर्ण गेज के कोचों पर और कालका-शिमला खंड पर प्रचालित होने वाले 14 संकीर्ण गेज के कोचों पर गाड़ी की प्रकाश प्रणाली के लिए गाड़ी के कोचों की छत पर परीक्षण के रूप में सौर पैनल लगाए गए। रेलवे के भवनों की छतों पर 50 मेगावाट के सौर संयत्रों को लगाने के लिए निविदा दस्तावेज एवं नीति संबंधी मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

6.64 मुबंई-अहमदाबाद रेलमार्ग के अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 में देश के प्रमुख महानगरों एवं विकास केन्द्रों को जोड़ने वाली द्रुत गति रेल के डायमंड चतुर्भुज नेटवर्क की भी घोषणा की गई थी। दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई एवं

बाक्स 6.5 : द्रुतगति की रेल परियोजना

इस प्रतिष्ठित परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने वाली कंपनी जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा जुलाई, 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दिसंबर, 2015 में आर्थिक कार्य विभाग की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था जिसको जापानी तकनीकी एवं वित्तीय सहायता द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। भारत एवं जापान के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर 12 दिसंबर, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। रेल मंत्रालय की 50 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र एवं गुजरात की राज्य सरकारों की 50 प्रतिशत साम्यता प्रतिभागिता सहित एक नए विशेष प्रयोजन वाहन के साथ इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

- परियोजना की भूमि की लागत सहित कुल निर्माण लागत लगभग 70,915 करोड़ रूपये होगी। परियोजना पूरी करने की लागत (मूल्य वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज एवं आयात शुल्क सहित) लगभग 97,636 करोड़ रूपये है। निर्माण की औसतन प्रति किलोमीटर लागत 140 करोड़ रूपये आकलित की गई है।
- परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि निर्माण प्रारंभ होने की तारीख से लगभग सात वर्ष की होगी।
- जापानी अधिकारिक विकास सहायता 0.1 प्रतिशत ब्याज के साथ 50 वर्ष के लिए तथा 15 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के साथ 79,165 करोड़ रूपये (परियोजना की लागत का 81 प्रतिशत) होगी।
- कुछ निर्धारित पैकेज प्रमुख संविदाकार के रूप में जापानी कंपनी के पास या जापानी नेतृत्व में संयुक्त उपक्रम के रूप में होंगे।
- जापान में विनिर्मित कुछ निर्धारित वस्तुओं की खरीद जापान से की जाएगी।
- प्रस्तावित रेल मार्ग की कुल लंबाई मुबंई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से गुजरात में साबरमती/अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की होगी।
- रेल मार्ग के 64 प्रतिशत भाग का विनिर्माण तटबंधों पर एवं 25 प्रतिशत भाग का विनिर्माण पुलों पर तथा 6 प्रतिशत भाग का विनिर्माण सुरंगों में मानक गेज के साथ किया जाएगा।
- इस रेल मार्ग पर मुबंई एवं साबरमती के बीच 12 स्टेशन होंगे।
- अधिकतम निर्धारित गति 320 किलोमीटर प्रतिघंटा की प्रारंभिक गति के साथ 350 किलोमीटर प्रतिघंटा की होगी।
- प्रारंभ में यह रेल 10 कोच (750 सीटें) की तथा भविष्य में 16 कोच (1200 सीटें) की होगी।
- वर्ष 2023 तक प्रत्येक मार्ग पर 35 रेलगाड़ियाँ प्रचालित होंगी जोकि वर्ष 2053 में बढ़ कर प्रत्येक मार्ग पर 105 रेलगाड़ियाँ हो जांएगी।
- वर्ष 2023 में दैनिक प्रयोक्ता लगभग 36,000 व्यक्ति प्रतिदिन (दोनों ओर के) अर्थात प्रतिवर्ष 13 मिलियन प्रस्तावित है जिसके वर्ष 2053 तक 1,86,000 प्रतिदिन (दोनों ओर के) या 68 मिलियन प्रतिवर्ष हो जाने की संभावना है।

दिल्ली-कोलकाता के रेलमार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

सड़कें

6.65 भारत का लगभग 52.32 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल 1,00,475 किलोमीटर की लंबाई शामिल है तथा उस पर लगभग 40 प्रतिशत सड़क यातायात प्रचालित होता है। दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) की स्थिति तालिका में दर्शाई गई है -

मुख्य प्रयास

- सरकार ने लगभग 1,177 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों तथा विशेष परियोजना के रूप में वामपंथी आतंकवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में 4,276 किलोमीटर लंबी राज्य की सड़कों के विकास के लिए लगभग 7,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना अनुमोदित की है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई):** इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा अनुमोदित एसएआरडीपी-एनई के तीन भागों जैसे चरण 'क' में लगभग 4,099 किलोमीटर लंबाई की सड़कों (2,933 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 1,166 किलोमीटर लंबी राज्य की सड़कों) का सुधार करने के द्वारा किया जाएगा। एसएआरडीपी-एनई के चरण 'ख' में 3,723 किलोमीटर (1,285 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 2,438 किलोमीटर लंबाई की राज्य की सड़कें) लंबाई की सड़कों का सुधार किया जाएगा। एसएआरडीपी-एनई का चरण 'क' पूरा होने के पश्चात चरण 'ख' प्रारंभ किया जाएगा। चरण 'क' के मार्च, 2017 में पूरा होने की संभावना है। सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरूणाचल प्रदेश पैकेज जिसमें लगभग 2,319 किलोमीटर लंबी सड़कों (2,205 किलोमीटर लंबे राजमार्ग एवं 114 किलोमीटर लंबी राज्य/सामान्य स्टाफ/सामरिक सड़कों) का विकास शामिल है, को भी सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
- **भारतमाला कार्यक्रम:** 'भारतमाला' लगभग 2,67,200 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की एक प्रस्तावित विस्तृत योजना है जिसमें (प) 80,250 करोड़ रुपये की लागत से छोटे पत्तनों के साथ संबद्धता सहित तटीय क्षेत्रों/सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ राज्य की लगभग 7,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास शामिल है। (पप) 85,250 करोड़ रूपये की लागत

सारणी 6.9: राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिती

क्रम सं.	एनएचडीपी घटक	कुल लंबाई (किमी)	31.2.2015 को पूरी लंबाई (किमी)	कार्यन्वयन के अधीन (किमी)	सिविल निर्माण कार्य के प्रचार का शेष (किमी)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
1.	एनएचडीपी चरण-1 अंतर्गत जीक्यू	5846	5846	0	0	30300 (एनएचडीपी प्रथम चरण) + 34339 (एनएचडीपी दूसरा चरण) = 64639
2.	एनएचडीपी चरण-1 एवं 2 के अंतर्गत एनएस-ईडब्लयू रेलमार्ग	7142	6422	463	257	
3.	एनएचएआई के अंतर्गत बंदरगाहों से संबद्धता	431	379	52	0	
4.	एनएचएआई के अंतर्गत अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग	1844	1578	266	0	
5.	एनएचडीपी चरण-3	12608	6734	3402	2472	80626
6.	एनएचडीपी चरण-4	20000	2877	7483	9640	27800
7.	एनएचडीपी चरण-5	6500	2319	1356	2825	41210
8.	एनएचडीपी चरण-6	1000	0	0	1000	16680
9.	एनएचडीपी चरण-7	700	22	19	659	16680
	उप योग (एनएचडीपी)	**56071#**	**26177**	**13041**	**16853**	**247635**

स्रोत: सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

टिप्पणी: **कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की 48,647 किलोमीटर लंबाई शामिल है, चैन्नई-एन्नौर बंदरगाह संबद्धता सड़क की 24 किलोमीटर लंबाई, एनएचडीपी-7 के अंतर्गत 700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की अतिव्यापन लंबाई के अतिरिक्त (एनएचडीपी-1 एवं एनएचडीपी-5 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की 5700 किलोमीटर की लंबाई सामान्य है, एनएचडीपी-6 के अंतर्गत 1000 किलोमीटर द्रुतगति मार्ग प्रस्तावित है**

से लगभग 7,000 किलोमीटर क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों, धार्मिक, पर्यटन क्षेत्रों के साथ संबद्धता कार्यक्रम (iii) 'सेतुभारतम' परियोजना जिसमें 30,000 करोड़ रूपये की लागत से लगभग 1,500 मुख्य पुलों एवं 200 आरओबी/आरयूबी का विनिर्माण शामिल है (iv) जिला मुख्यालय संबद्धता योजना जिसमें 60,000 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 9,000 किलोमीटर लंबे नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास शामिल है।

नागरिक विमानन

6.66 भारत में नागरिक विमानन उद्योग विस्तार के एक नए युग से गुजर रहा है तथा इसमें कई घटक अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं जिसमें पीपीपी के अंतर्गत निजी भागीदारी की बढ़ती हुई सहभगिता, हरित क्षेत्रों वाले विमान पत्तनों का विकास, विमान पत्तनों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण, स्वदेशी विमान कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निम्न लागत के वाहकों (एलसीसी) की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी के साथ क्षेत्रीय संबद्धता पर बल देने जैसे घटक शामिल हैं।

6.67 वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय विमान पत्तनों पर हवाई यातायात में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल-नवंबर, 2014 के दौरान भारतीय विमान पत्तनों पर 108.5 मिलियन घरेलू यात्रियों एवं 35.2 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का संचालन किया गया। पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर, 2015-16 के दौरान घरेलू यातायात में 20.4 प्रतिशत की तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। भारतीय विमान पत्तनों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल की ढुलाई 1.10 मिलियन मीट्रिक टन थी जबकि घरेलू स्तर पर माल की ढुलाई 0.70 मिलियन मीट्रिक टन थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल की ढुलाई में 5.8 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई थी जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2015-16 में घरेलू स्तर पर माल की ढुलाई में 6.1 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी।

6.68 वर्ष 2015-16 के दौरान विमानपत्तन आधारभूत अवसंरचना के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा काडापाह विमानपत्तन तथा चंडीगढ़ (मोहाली दिशा में) में नए सिविल हवाई टर्मिनल एवं तिरूपति हवाई पत्तन पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के विकास का कार्य एप्रन एवं संबद्ध निर्माण कार्य के साथ पूरा किया गया है। विमानपत्तन की आधारभूत अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए किए गए मुख्य प्रयासों में निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं - (क) नए हरित क्षेत्र काजी नजरूल इस्लाम हवाई पत्तन, अंडाल, पश्चिम बंगाल को चालू करना। (ख) अहमदाबाद एवं जयपुर विमान पत्तनों पर संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) संबंधी अनुबंधों के निष्पादन के लिए चांगी विमानपत्तन, सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना (ग) इस अवधि के दौरान हरित क्षेत्र के विमान पत्तनों की स्थायी समिति द्वारा धौलेरा, गुजरात में हरित क्षेत्र के विमान पत्तन की अधिष्ठापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है (घ) राजस्थान में भिवाड़ी (अलवर), आन्ध्र प्रदेश में भोगापुरम, डागादारथी एवं ओर्वाकाल्लू नामक चार स्थानों पर हरित क्षेत्र विमान पत्तन की स्थापना के लिए 'स्थल संबंधी अनुमोदन' प्रदान कर दिया गया (ङ) गोवा में मोपा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में शिर्डी एवं सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में हसन एवं बीजापुर, केरल में कन्नूर, सिक्किम में पकयांग, अरूणाचल प्रदेश में होलोंगी (ईटानगर), मध्यप्रदेश में दतिया, उत्तर प्रदेश में खुशीनगर एवं पुडुचेरी में करईकल में हरित क्षेत्र विमान पत्तनों की कार्य योजना/निष्पादन के विभिन्न चरणों में है (च) श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के शहरों में छोटे विमान पत्तनों का विकास जिनमें कर्नाटक में हुबली एवं बेलगाम, राजस्थान में किशनगढ़, ओडिशा में जरसूगुडा तथा अरूणाचल प्रदेश में तेजु शामिल है।

नौपरिवहन क्षेत्र

6.69 तटीय नौपरिवहन, पर्यटन एवं क्षेत्रीय विकास की एक संकल्पना तैयार की गई जिसका प्रयोजन वर्ष 2019-20 तक तटीय/अंतर्जलीय जलमार्ग परिवहन की भागीदारी में 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी करना है। इस प्रयोजन को हासिल करने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की गई है और उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत प्रथम चरण में पर्यटन केन्द्रों के रूप में देश में 78 प्रकाश स्तंभों को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया गया है। निर्धारित प्रकाश स्तंभ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में हैं।

6.70 भारतीय पत्तनों पर कार्गो यातायात वर्ष 2014-15 में 8.2 प्रतिशत बढ़कर 1052.21 मिलियन टन हो गया है एवं छोटे पत्तनों पर यातायात मुख्य पत्तनों की तुलना में तेज

गति से बढ़ रहा है। अप्रैल-सितंबर, 2015 के दौरान, जहाँ एक ओर सभी पत्तनों पर कार्गो यातायात में 1.1 प्रतिशत से बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर मुख्य पत्तनों पर यह बढ़ोतरी 4.1 प्रतिशत हुई है। इसके अतिरिक्त, छोटे पत्तनों पर वर्ष 2014-15 की समान अवधि की तुलना में 1.0 प्रतिशत की कमी हुई है। (सारणी 6.10)

सारणी 6.10 : पत्तनों पर कार्गो यातायात (मिलियन टन)

पत्तनों की श्रेणी	2013-14	2014-15 (पी)	अप्रैल-सितंबर 2014-15 (पी)	अप्रैल-सितंबर 2015-16 (पी)
मुख्य पत्तन	555.49 (1.8)	581.33 (4.7)	287.74 (3.8)	299.58 (4.1)
गैर-मुख्य पत्तन	416.96 (7.5)	471.19 (13.0)	228.14 (11.8)	225.92 (-1.0)
सभी पत्तन	972.45 (4.1)	1052.52 (8.2)	515.88 (7.2)	525.50 (1.1)

***स्रोत:* नौवहन मंत्रालय**
अभ्युक्ति: सारणी में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं।
पी: प्रोविजिनल

अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र:

6.71 आईडब्ल्यूटी क्षेत्र काफी लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ है और यह समग्र परिवहन क्षेत्र में अपनी प्रासंगिकता और महत्व खो चुका है। थोक माल, खतरनाक माल आदि के परिवहन हेतु ईंधन बचत, पर्यावरण अनुकूलन तथा किफायती लागत के संबंध में इसकी संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस प्रणाली की आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जाए ताकि जहां भी आई डब्ल्यू टी कॉरीडोर की संभाव्यता बनती हो, वहाँ माल एवं यात्रियों के परिवहन हेतु इसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके।

6.72 आईडब्ल्यूटी अवसंरचना के विकास हेतु विभिन्न कार्रवाईयाँ की जा रही हैं और इसका मुख्य ध्यान माल ढुलाई से संबंधित परियोजनाओं पर है। आईडब्ल्यूटी अवसंरचना के सृजन में एक महत्वपूर्ण कदम विश्व बैंक की ओर से 4200/- करोड़ रुपये की सहायता के साथ जल मार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन है। निजी क्षेत्र की एक कंपनी द्वारा एनटीपीसी की हल्दिया-फरक्का कोयला परिवहन शुरू होने के पश्चात् आईडब्ल्यूएआई बंगाल की खाड़ी से एनटीपीसी की बाढ़ विद्युत संयंत्र तक 3 एमएमटीपीए आयातित कोयला के परिवहन हेतु एक परियोजना पर कार्य कर रहा है। आईडब्ल्यूटी सेक्टर को विधायी रूप में महत्व प्रदान करने हेतु यह निर्णय किया गया है कि मौजूदा 5 राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त 24 राज्यों में 106 और जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाएगा जिसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा द्वारा एक बिल पास किया जा चुका है।

दूरसंचार

6.73 दूरसंचार व्यवस्था में प्रगति लाना सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में से एक है। वर्ष 2015-16 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर 2015 की अवधि में जोड़े गए लगभग 33.41 लाख नये टेलीफोन कनेक्शनों के साथ दूरसंचार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन वर्ष 2014-15 की संगत अवधि में 29.65 लाख की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। देश में कुल टेली प्रसार घनत्व वित्त वर्ष के प्रारंभ में 79.36% से बढ़कर अक्टूबर, 2015 के अंत में 81.45% हो चुका है जबकि कुल ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या ने 120.88 लाख (सितंबर 15 के अंत तक) का आँकड़ा छू लिया है।

स्पेक्ट्रम नीलामी:

6.74 दूरसंचार विभाग ने मार्च 2015 में एक साथ 2100 मेगा हर्ट्ज, 1800 मेगा हर्ट्ज, 900 मेगा हर्ट्ज तथा 800 मेगा हर्ट्ज बैंडों में सेप्क्ट्रम की नीलामी आयोजित की। इस हेतु कुल 470.75 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 418.05 मेगा हर्ट्ज (88.8%) बोलीदाताओं को आवंटित किया गया। इससे कुल 109,874.91 करोड़ रुपये (आरक्षित कीमत पर आबंटित स्पेक्ट्रम के मूल्य से 67.8% अधिक) की प्राप्ति हुई। वर्ष 2015-16 के दौरान स्पेक्ट्रम व्यवस्था का प्रभार के संग्रह (नवंबर 2015 तक) 5,568.40 करोड़ रुपये है।

यंत्र आधारित (एम2एम) संचार:

6.75 लोक कल्याण के प्रभाव-विस्तार एवं अफोर्डेबल एक्सेस व शीघ्र सेवा प्रदायगी द्वारा ग्राहक रुचियों का विकल्प बढ़ाने में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका को सहज बनाने हेतु सरकार ने यंत्र आधारित संचार के भावी महत्व को चिह्नांकित किया है। 'राष्ट्रीय टेलीकॉम एमटूएम रोडमैप' तैयार किया गया है जो विभिन्न मानकों, नीतिगत एवं नियामक जरूरतों तथा एमटूएम के विषय में इंडस्ट्री की भावी दृष्टि हेतु एप्रोच को

एक साथ लाता है। इसका रोडमैप 12 मई 2015 को जारी किया गया था और इसके सभी एमटूएम इको सिस्टम हेतु संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करने की आशा है तथा यह 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' के नीतिगत लक्ष्यों को संवर्धित करेगा।

प्रमुख नई पहलें

- **भारत नेट:** भारत नेट/राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एमओएफएन) परियोजना को बीएसएनएल, रेल टेल तथा पॉवर ग्रिड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मौजूदा फाइबरों का प्रयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माधयम से तथा जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ इंक्रीमेंटल फाइबर बिछाते हुए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए ग्राम पंचायतों और ब्लाकों के मध्य कनेक्टिविटी अंतराल के समाप्त करने हेतु देश की सभी (लगभग 2.5 लाख) ग्राम-पंचायतों को जोड़ने की योजना है। एक्सेस प्रदाता/सेवा प्रदाता जैसे मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), केबल टीवी ऑपरेटर, कंटेंट प्रदाता। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएँ शुरू कर सकते हैं। इसमें ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस आदि के लिए विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना के तहत 30.11.2015 तक 1,03,643 किमी पाइप तथा 74,994 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा चुका है। इस प्रकार, कुल 32,049 गाँवों में ओएफसी बिछाया जा चुका है।
- **ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की व्यवस्था हेतु ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड योजना:** ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड योजना ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 31.10.2014 तक 6,35,929 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा 14,653 कियोस्क केन्द्र खोले गए हैं।

शहरी अवसंरचना

6.76 शहरीकरण के अवसरों में वृद्धि होने के साथ ही शहरी अवसंरचना से संबंधित चुनौतियों में भी वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में, सरकार ने शहरी अवसंरचना में सुधार हेतु कई उपाय किए हैं। बॉक्स 6.6 में शहरी विकास हेतु, फ्लैगशिप कार्यक्रम, स्मार्ट सिटिज मिशन की चर्चा की गई है। लोक परिवहन जैसे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटी) को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक पहल की गई है तथा जेएनयूआरएम के तहत बसों को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस), मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आदि से समृद्ध करने हेतु 11 शहरों को इस हेतु अनुमोदित किया गया है।

नई पहलें

- स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम): स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त करना तथा देश में 4041 सांविधिक कस्बों/शहरों में नगरीय ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन 100% वैज्ञानिक ढंग से करना है। 2 अक्टूबर, 2019 तक इस अभियान के तहत हासिल किए जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य हैं-1.04 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण (आईएचएचएल); 2.52 लाख सामुदायिक शौचालयों (सीटी) का निर्माण; 2.56 लाख सार्वजनिक शौचलायों (पीटी) का निर्माण तथा प्रत्येक घर से शत प्रतिशत नगरीय ठोस अवशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का संग्रहण व वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन; एसबीएम को कार्यान्वित करने के लिए 62,009 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। 1 दिसंबर, 2015 तक 5.91 लाख घरों में शौचालयों तथा 28,948 सामुदायिक शौचालयों तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्यों को एसबीएम के अंतर्गत पूरा किया गया है। 78,633 वार्डों में से 33,278 वार्डों में प्रत्येक घर शत प्रतिशत नगरीय ठोस अवशिष्ट संग्रहण का कार्य चल रहा है तथा कुल उत्पन्न अवशिष्ट में से 17.62 प्रतिशत अवशिष्ट को संसाधित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
- राष्ट्रीय धरोहर नगर विकास एवं संवर्धन योजना (एचआरआईडीएवाई): राष्ट्रीय धरोहर नगर विकास एवं संवर्धन योजना का मुख्य लक्ष्य नगरों में अवस्थित धरोहरों की मौलिकता एवं विशेष पहचान को परिरक्षित करना तथा पुनरूज्जीवित करना है। प्रथम चरण में केंद्र सरकार द्वारा इस नगर-विकास कार्य के लिए कुल आवश्यक 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय किए जाने हेतु अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेल्लंकानी, कांचीपुरम्, गया एवं वारंगल नामक 12 शहरों की पहचान की गई है।
- अटल पुनरुद्धार एवं शहरी कायांतरण मिशन

बॉक्स 6.6: स्मार्ट शहर

भारत सरकार ने शहरों के विकास हेतु इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों और संघशासित प्रदेशों के सहयोग से स्मार्ट शहर का मिशन शुरू किया है। स्मार्ट शहर मिशन का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास एवं प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाते हुए लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

स्मार्ट शहर मिशन का लक्ष्य मूलभूत अवसंरचना प्रदान करने वाले तथा अपने निवासियों के जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने, स्वच्छ एवं सतत् पर्यावरण और 'स्मार्ट' समाधान को लागू करने वाले शहरों को आगे बढ़ाना है। इसका फोकस सतत् एवं समावेशी विकास पर है और यह विचार सघन क्षेत्रों पर दृष्टि रखने व ऐसा प्रतिबिंबी मॉडल तैयार करने पर है जो अन्य महात्वाकांक्षी शहरों के लिए लाइट हाउस के रूप में कार्य करेगा। किसी स्मार्ट शहर के मूल अवसंरचना विकास में पर्याप्त जल आपूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता जिसमें ठोस अवशिष्ट प्रबंधन शामिल है; सक्षम शहरी प्रगति तथा लोक परिवहन; विशेषकर गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, मजबूत आई टी कनेक्टिविटी और डिजिलीकरण, सुशासन विशेषकर ई-गवर्नेंस और जन-सहभागिता; संधारणीय परिवेश; नागरिकों विशेषकर महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा शामिल है।

कार्यनीति

स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र-आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक शहर सुधार (पुनर्संयोजन), शहर नवीनीकरण (पुर्नविकास) और शहर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) के साथ-साथ एक पैन-सिटी की पहल जिसमें शहर के बड़े भू-भागों को शामिल करते हुए स्मार्ट समाधानों का प्रयोग किया जा रहा है। अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ किसी मौजूदा क्षेत्र को और अधिक प्रभावशाली तथा रहने लायक बनाने के लिए स्मार्ट शहरों के निर्माण के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु पुनर्संयोजन को मौजूदा निर्मित क्षेत्र में योजनाबद्ध रूप में जोड़ा जाएगा। पुनर्संयोजन के क्रम में 500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-भाग की पहचान नागरिकों के सहयोग से की जाएगी। पुनर्विकास मौजूदा निर्मित परिवेश को पूरी तरह से बदलकर मिश्रित भूमि उपयोग एवं बढ़े हुए घनत्व का प्रयोग करते हुए परिष्कृत अवसंरचना के साथ नये विन्यास के सह-सृजन का सक्षम बनाएगा। पुनर्विकास की योजना में 50 एकड़ से अधिक भू-भाग का निर्धारण नागरिकों के साथ मिलकर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा चिह्नांकित की जाएगी। हरित क्षेत्र विकास विशेषकर गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रावधान के साथ उन्नत योजना, योजना वित्त-पोषण तथा योजना कार्यान्वयन उपायों (जैसे लैंड पूलिंग/लैंड रीकंस्टीट्यूशन) का प्रयोग करते हुए पहले से ही खाली पड़े क्षेत्रों (250 एकड़ से अधिक) में अधिकतर स्मार्ट समाधानों को शुरू करेगा। शहरों के चारों ओर हरित क्षेत्र के विकास की जरूरत बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु है।

वित्त-पोषण:

इस मिशन में 100 शहरों का चयन सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से उचित आधार पर किया गया है। पहले साल इनमें से 20 शहरों का चयन किया गया है। स्मार्ट शहरों के वितरण की समीक्षा इस मिशन के लागू होने के दो वर्ष बाद की जाएगी। इस चुनौती को पूरा करने के क्रम में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों के कुछ शेष संभावनापूर्ण स्मार्ट शहरों का आबंटन किए जाने की अपेक्षा है। स्मार्ट शहर मिशन का प्रचालन केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन हेतु 5 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये अर्थात् औसतन 100 करोड़ रुपये प्रति शहर प्रतिवर्ष तक की वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। समतुल्य आधार पर इतनी ही राशि का अंशदान राज्य/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है; इस प्रकार स्मार्ट शहरों के विकास हेतु लगभग एक लाख करोड़ रुपये का सरकारी/यूएलबी फंड उपलब्ध होगा। इस मिशन के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में कार्यक्रम को गति देने हेतु 20 शहरों का चयन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन की गति बढ़ रही है। वर्तमान में बेहतर जीवन-स्तर की चाह रखने वाले एक नव-मध्य वर्ग का उदय हो रहा है। इन सभी चुनौतियों के साथ इस मिशन के सफल कार्यान्वयन हेतु आम नागरिक इस योजना के केंद्र में हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक स्थिति, आयु, आय स्तर, लिंग-भेद आदि को ध्यान में नहीं रखते हुए स्मार्ट शहर सभी लोगों की बेहतरी हेतु उपयोगी होगा, जिसमें शासन एवं सुधारों में नागरिकों की सक्रिय सहभागिता होगी। स्मार्ट शहर मिशन में स्मार्ट व्यक्तियों को स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने, उन्हें समस्याओं का स्मार्ट तरीके से समाधान करने, सुधार-प्रक्रिया को लागू करने, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान न्यूनतम संसाधनों के साथ अधिकतम परिणाम देने तथा स्मार्ट शहरों के सतत् विकास हेतु पोस्ट-प्रोजेक्ट संरचना की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

(एएमआरयूटी): एएमआरयूटी मिशन की शुरूआत 25 जून, 2015 को 500 शहरों/कस्बों में मूलभूत शहरी अवसंरचना के विकास के उद्देश्य से की गई थी जिन्हें मिशन शहर/कस्बों के रूप में जाना जाएगा। एएमआरयूटी मिशन हेतु वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्षों के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपये है जिसे केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर परियोजना लागत के एक-तिहाई हिस्से तथा अन्य शहर परियोजना लागत की आधी राशि की केंद्रीय सहायता के हक़दार होंगे। शेष राशि का प्रबंध राज्य सरकारों/यूएलबी द्वारा किया जाना है, जिसमें निजी क्षेत्र का निवेश भी शामिल है।

उच्चतर औद्योगिक विकास की ओर बढ़ता भारतः

6.77 उच्च आर्थिक विकास को संधारणीय बनाने हेतु औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने हेतु मार्ग तैयार करते हुए तथा अधिक कुशल, कम कुशल और अकुशल मानव शक्ति के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए नीति-निर्माण प्रक्रिया का प्रमुख जोर औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने हेतु किया गया है। मध्यावधि विकास एवं रोजगार सृजन के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक आपूर्तिकर्त्ता की ओर से रुकावट तथा अवसंरचनागत एवं संरचनागत बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना है। 'मेक इन इंडिया' सहज व्यापार, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया तथा विभिन्न औद्योगिक व अवसंरचनागत क्षेत्रों में सुधार जैसी कई पहलें उच्च औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु अधिक निवेश की आकर्षित करने की दिशा में उठाए गए मुख्य कदम हैं। मेक इन इंडिया और भारत में सहज व्यापार अधिक एवं तीव्र औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि स्टार्ट अप इंडिया का उद्देश्य प्रकृति की समावेशी प्रवृत्ति वाले युवाओं में उद्यमिता की समझ को पोषित करना है।

स्टार्ट अप इंडियाः आसमाँ से ऊँची उड़ान हेतु पंख के रूप में

6.78 भारत सरकार ने नवोन्मेषन वाहक सतत् आर्थिक विकास को संपुष्ट करने तथा वृहद् पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु मजबूत पारितंत्र के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया नामक एक प्रमुख अभियान की पहल की है। स्टार्ट अप अभियान को डिजिटल/प्रौद्योगिक क्षेत्र अलावा कृषि, विनिर्माण, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि समेत विस्तृत सुव्यवस्थित क्षेत्रों; तथा उप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित मौजूदा टायर शहरों से टायर 2 व टायर 3 शहरों तक भी विस्तारित किया जाएगा।

स्टार्ट अप पहल के तहत प्रस्तावित कार्य योजनाः

- स्टार्ट अप्स पर होने वाले विनियमन खर्च को कम करने हेतु स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था का सृजन और इस प्रकार उन्हें अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान देने हेतु तैयार करना तथा अनुपालन लागत को कम करना।
- पूरे स्टार्ट अप पारितंत्र के लिए केवल एक संपर्क केंद्र स्थापित करने तथा ज्ञान-विनिमय एवं फंडिंग के व्यय को बेहतर बनाने हेतु स्टार्ट-अप इंडिया हब का गठन करना।
- विभिन्न स्टेकहोल्डरों में सभी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने तथा सूचना-विनिमय हेतु सरकारी एवं विनियामक संस्थाओं के साथ परस्पर संपर्क के लिए स्टार्ट अप्स के लिए एकल प्लेटफार्म के रूप में सेवा दिए जाने वास्ते मोबाइल एप व पोर्टल चलाना।
- स्टार्ट अप्स (विनिर्माण क्षेत्र में) के साथ ही साथ सार्वजनिक अधिप्राप्ति में अनुभवी उद्यमियों/कंपनियों के लिए एक समान प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु स्टार्ट अप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति के मानदंडों में छूट देना।
- स्टार्ट अप्स के द्वारा आईपीआर के प्रति जागरूकता और स्वीकृति को प्रोत्साहित करने हेतु कम लागत में विधिक सहायता एवं फास्ट-ट्रैकिंग पेटेंट परीक्षण की व्यवस्था करना तथा आईपीआर की सुरक्षा एवं व्यापार में उन्हें सहयोग करना।
- स्टार्ट अप्स के लिए तीव्रता समाधान
- 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ छोटी-छोटी निधियों की एक संकलित निधि के माध्यम से फंडिंग सहायता प्रदान करना।
- समाज के सभी वर्गों के उद्यमियों को उत्प्रेरित करने हेतु स्टार्ट अप के लिए क्रेडिट गारंटी फंड मुहैया करना।
- पूँजी लाभ पर कर छूट
- तीन वर्षों के लिए स्टार्ट अप कार्यक्रम के लिए कर से छूट
- स्वरोजगार के साथ अटल नवोन्मेषण मिशन तथा प्रतिभा उपयोगिता कार्यक्रम (एसईटीयू) को लागू करना ताकि इसका उपयोग विश्व स्तरीय नवोन्मेषण केंद्र के उत्थान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सके। विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्रों में अन्य स्वरोजगार संबंधी गतिविधियाँ प्रारंभ करना।
- उद्भवन तथा अनुसंधान एवं विकास के सफल नवोन्मेषण के माध्यम से गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में नवोन्मेषण केंद्रों की स्थापना करना।
- आई.आई.टी. मद्रास के रिसर्च पार्क सेट अप के मॉडल पर वहां 7 नये अनुसंधान पार्कों की स्थापना करना।
- जैव उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। विद्यार्थियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सांस्कृतिक नवोन्मेषण को बढ़ावा देने हेतु नवोन्मेषण केंद्रित कार्यक्रमों को लागू करना।

6.79 स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम भारतीय युवकों को नौकरी याचक से नौकरी दाता के रूप में परिवर्तित कर देगा। यह अधिकाधिक युवकों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करने और नवाचार के माध्यम से मार्गदर्शी उत्पादों को निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करेगा जिसे पूरे विश्व के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

07
अध्याय

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है जो विश्व के सकल मूल्यवर्धित में लगभग एक तिहाई, वैश्विक रोजगार में आधा, वैश्विक व्यापार में पांचवां और विश्व के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहों में आधे से अधिक का योगदान कर रहा है। यह 2015-16 में अपनी सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि में लगभग 66.1 प्रतिशत अंशदान करते हुए भारत की आर्थिक संवृद्धि का प्रमुख वाहक बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण निवल विदेशी मुद्रा अर्जक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों का सबसे आकर्षक क्षेत्र बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

विश्व में सेवाओं का सकल घरेलू उत्पाद

7.2 वर्ष 2014 में 74.0 ट्रिलियन अमरीकी डालर के वैश्विक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में सेवाओं का हिस्सा (चालू मूल्यों पर) और वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) 2013 की तुलना में मामूली रूप से सुधरकर क्रमश: 66.0 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत हो गया है। परन्तु विगत तेरह वर्ष में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का हिस्सा 2.7 प्रतिशतांक गिरा है। विश्व के शीर्ष 15 देशों में सकल घरेलू उत्पाद के अर्थों में जीवीए में सेवाओं और समग्र स.घ.उ. में अमरीका प्रथम स्थान पर रहा तथा इसके बाद चीन का दूसरा व जापान का स्थान तीसरा रहा है। भारत का 2014 में दोनों रैंकिंग में एक स्थान चढ़ते हुए समग्र स.घ.उ. के अर्थों में 9वां और सेवाओं के स.घ.उ. के अर्थों में 10वां रैंक था। हालांकि, इन शीर्ष 15 राष्ट्रों में 2001-13 की अवधि में जीवीए में सेवाओं के हिस्से में अधिकतम वृद्धि स्पेन (9.7 प्रतिशतांक) द्वारा दर्ज की गई तथा उसके बाद भारत (7.8 प्रतिशतांक) और चीन (6.8 प्रतिशतांक) का स्थान आता है।

7.3 समग्र स.घ.उ. के मामले में सेवाओं से जीवीए भी संकट-पूर्व अवधि (2001-08) की तुलना में संकट-पश्च अवधि (2010-14) में विश्व और सभी देशों (ब्राजील के सिवाय) की सेवाओं की वृद्धि दर में सामान्य मंदी की प्रवृत्ति के चलते 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से पूर्णतया उभरा नहीं है। वर्ष 2012 और 2013 में सेवाओं में अच्छी वृद्धि दर्शाते हुए ब्राजील अपवाद था जिसका श्रेय थोक, खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल श्रेणी में बड़ी उच्च वृद्धि को जाता है। संकट-पश्च अवधि (2010-14) में 2.5 प्रतिशत पर वैश्विक सेवाओं में संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर संकट-पूर्व अवधि (2001-08) में 3.0 प्रतिशत की तुलना में कम थी। संकट-पश्च अवधि में मंदी के बावजूद भारत संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर के 8.6 प्रतिशत के चलते सेवा क्षेत्र में सबसे तेज वृद्धि दर्शायी थी। इसके बाद 8.4 प्रतिशत पर चीन का स्थान आता है। वर्ष 2014 में, भारत की 10.3 प्रतिशत पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि चीन की 8.0 प्रतिशत की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी (सारणी 7.1)।

7.4 कुछ देशों के उपलब्ध नवीनतम स.घ.उ. अनुमान चीन, भारत और अमरीका में सेवा क्षेत्र में सकारात्मक संकेत दर्शाते हैं। चीन में 2015 में इस क्षेत्र में वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी से यह 8.3 प्रतिशत हो गई जबकि औद्योगिक वृद्धि मंद हो गई है। अमरीका में वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 2014 के समान 2015 में भी 2.4 प्रतिशत

थी परन्तु सेवाओं पर व्यक्तिगत उपभोग व्यय की वृद्धि 2014 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गई। भारत में इस क्षेत्र में यह वृद्धि दर 2014 में 10.3 प्रतिशत थी। यह उच्च बनी रही हैं यद्यपि मामूली मंदी के साथ 2015-16 में यह 9.2 प्रतिशत थी। हालांकि, ब्राजील के मामले में 2015 की तीसरी तिमाही में समग्र वृद्धि गिरकर 4.5 प्रतिशत रहने की तर्ज पर मुख्यतया आंतरिक व्यापार में 9.9 प्रतिशत और परिवहन तथा संचार में 7.7 प्रतिशत की गिरावट के कारण सेवा क्षेत्र भी 2.9 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2015 की पहली और दूसरी तिमाहियों में ब्राजील में सेवाओं से स.घ.उ. की वृद्धि 0.7 प्रतिशत गिर गई।

विश्व सेवा रोजगार

7.5 विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक रोजगार में सेवाओं का हिस्सा वर्ष 2001 में 35.9 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2010 में 50.9 प्रतिशत हो गया है। शीर्ष 15 सेवा उत्पादक देशों में, रोजगार में सेवाओं की हिस्सेदारी काफी उच्च है जिसकी भारत और चीन को छोड़कर, अधिकांश देशों में वर्ष 2014 में कुल रोजगार में दो तिहाई से अधिक की भागीदारी है। भारत और चीन में यह हिस्सेदारी काफी कम है। भारत में यह हिस्सेदारी 28.7 प्रतिशत के साथ न्यूनतम है। 15 देशों में, वर्ष 2001 से 2014 के बीच की विगत तेरह वर्षों की अवधि में चीन ने सेवा रोजगार की हिस्सेदारी में सर्वाधिक वृद्धि (34.3प्रतिशतांक) प्राप्त की थी जिसके बाद ब्राजील (17.2प्रतिशतांक) और स्पेन (14.3प्रतिशतांक) का नाम आता है। भारत के मामले में, यह वृद्धि केवल 4.7प्रतिशत थी (चित्र 7.1)। 'वैश्विक रोजगार और सामाजिक आऊटलुक : रूझान 2015' पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट में आने वाले वर्षों में

सारणी 7.1: सेवाओं में निष्पादन : अंतर्राष्ट्रीय तुलना

देश	रैंक में		सेवा वृद्धि दर प्रतिशत						सेवाओं की हिस्सेदारी सेवाएं (प्रतिशत)						सेवा निर्यात वृद्धि					
			वर्षानुवर्ष				सीएजीआर 2001-08	सीएजीआर 2010-14	जीवीए		रोजगार		कुल निर्यात		वर्षानुवर्ष				सीएजीआर 2001-08	सीएजीआर 2010-14
	स्केल स.घ.उ.	जीवीए सेवाएं	2001	2009	2013	2014			2001	2014	2001*	2014*	2001	2014	2001	2009	2013	2014		
यूएस	1	1	2.0	-2.0	0.9	2.3	2.2	1.8	77.4	78.4	75.0	81.2	27.2	29.8	-3.6	-4.2	5.1	3.7	9.5	6.1
चीन	2	2	10.2	11.1	8.2	8.0	11.7	8.4	40.9	47.7	12.7	47.0	11.0	9.0	9.1	-13.4	-3.9	12.4	25.9	7.9
जापान	3	3	1.3	-3.1	1.3	0.1	0.9	0.9	69.0	72.0	63.9	69.1	13.6	18.8	-6.9	-14.6	1.2	19.2	11.8	5.2
जर्मनी	4	4	3.1	-3.0	0.4	1.3	1.4	1.3	68.7	69.0	64.6	70.4	12.8	15.0	5.6	-8.5	8.4	4.3	15.8	4.9
यूके	5	5	3.5	-2.6	2.8	2.8	2.9	2.6	73.6	78.4	73.7	79.1	30.1	40.0	-0.8	-13.8	2.3	7.9	14.5	5.8
फ्रांस	6	6	1.9	-2.0	0.8	0.7	1.8	1.2	74.7	78.9	69.9	75.8	19.8	31.4	-0.5	-13.6	7.4	5.3	15.8	7.4
ब्राजील	7	8	2.3	2.1	11.9	1.1	3.9	6.9	68.2	71.0	59.4	76.6	13.0	14.8	-2.7	-8.9	-1.7	4.7	18.6	6.8
इटली	8	7	2.3	-2.7	-1.1	0.0	0.8	-0.6	70.5	74.3	63.1	69.5	18.9	18.0	2.1	-16.3	4.8	3.6	10.5	3.8
भारत	9	10	7.2	10.7	8.9	10.3	9.3	8.6	45.2	53.0	24.0	28.7	27.9	32.6	4.8	-12.5	2.2	5.0	30.1	7.5
रूस	10	12	3.3	-5.1	2.2	1.0	7.6	2.6	55.9	60.0	58.6	65.8	9.9	11.5	17.3	-19.8	12.4	-6.1	26.0	7.5
कनाडा	11	9	3.5	1.2	1.9	2.4	2.9	2.3	65.9	69.9	74.8	78.2	12.7	15.2	-3.6	-8.7	-0.1	-4.0	9.9	3.0
आस्ट्रेलिया	12	11	3.8	1.8	2.8	2.6	3.4	2.8	69.9	70.1	67.9	69.5	21.8	18.1	-8.9	-7.6	-0.8	1.5	13.3	3.9
दक्षिण कोरिया	13	14	4.9	1.4	2.9	3.1	4.2	3.0	59.0	59.4	62.6	69.5	16.3	15.6	-4.9	-20.5	0.2	3.1	17.4	6.6
स्पेन	14	13	4.0	-0.9	-0.8	1.1	3.9	0.4	65.3	75.1	62.0	76.3	32.2	29.2	6.0	-14.8	5.0	4.3	13.2	4.6
मैक्सिको	15	15	1.1	-3.7	2.3	2.0	3.6	3.4	57.6	59.0	56.1	62.4	7.2	5.0	-7.5	-16.1	24.6	4.6	5.3	8.4
वर्ल्ड			**2.6**	**-0.8**	**2.2**	**2.5**	**3.0**	**2.5**	**68.7**	**66.0**	**35.9**	**50.9**	**19.4**	**20.6**	**19.9**	**-10.9**	**5.4**	**4.9**	**15.0**	**6.4**

स्रोत: जीवीए हेतु संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, रोजगार हेतु विश्व बैंक डाटाबेस और सेवाओं में व्यापार हेतु विश्व व्यापार संगठन के डाटाबेस से संगणित।

नोट: रैंक और शेयर वर्तमान कीमतों (2014) पर आधारित हैं, वृद्धि दरें स्थायी कीमतों (अमरीकी डालर) पर आधारित हैं, सेवा संबंधी जीडीपी में निर्माण क्षेत्र शामिल नहीं है, *वर्ष 2001 और 2014 में रोजगार आंकड़ों के लिए, निकटतम पूर्ववर्ती वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

चित्र 7.1: सेवा रोजगार की हिस्सेदारी : 2001 और 2014

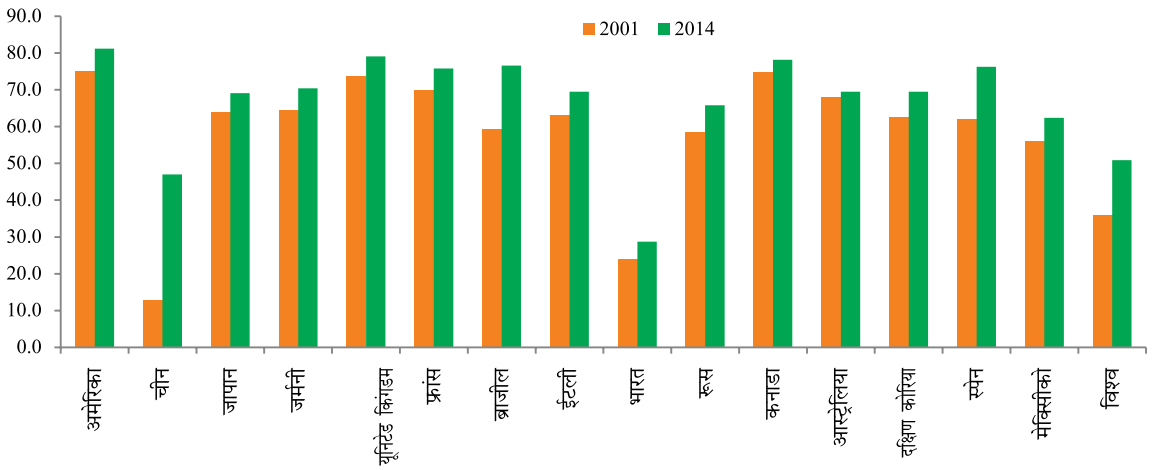

स्रोत: विश्व बैंक डाटाबेस पर आधारित

रोजगार सृजन प्रमुखत: सेवा क्षेत्र में होना निर्धारित किया है।

विश्व सेवा व्यापार

7.6 वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव सेवा जीवीए की तुलना में सेवा व्यापार में अधिक दृष्टिगोचर था जहां संकटोत्तर अवधि के दौरान विश्व वाणिज्यिक सेवा निर्यात का सीएजीआर पूर्व-संकट अवधि के 15.0 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत रह गया। पूर्व-संकट अवधि में, शीर्ष 15 सेवा उत्पादक देशों में, भारत में सेवा निर्यात का सीएजीआर 30.1 प्रतिशत पर सर्वाधिक था जिसके बाद 25.9 प्रतिशत के साथ चीन का सीएजीआर था। तथापि, संकटोत्तर अवधि के दौरान, यह भारत और चीन दोनों में घट गया जहां मैक्सिको ने 8.4प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की जिसके बाद चीन ने 7.9प्रतिशत और भारत ने 7.5प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

7.7 वर्ष 2014 में, 4.9 ट्रिलियन अमरीकी डालर के विश्व वाणिज्यिक सेवा निर्यात जिसकी कुल व्यापार में लगभग पांचवें भाग के बराबर की भागीदारी थी, में वृद्धि वर्ष 2013 की 5.4प्रतिशत से घटकर 4.9प्रतिशत रह गई। वाणिज्यिक सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातक अमरीका का सेवा निर्यात वर्ष 2014 में घटकर 3.7प्रतिशत रह गया, जबकि जापान, चीन और इंग्लैंड का सेवा निर्यात मूल प्रभाव के कारण बढ़कर क्रमश: 19.2प्रतिशत, 12.4प्रतिशत और 7.9प्रतिशत हो गया। भारत का सेवा निर्यात भी बढ़कर 5.0प्रतिशत हो गया।

7.8 वर्ष 2015 के लिए विश्व व्यापार संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सेवा व्यापार वृद्धि विश्व के लिए पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक और भारत के लिए दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में ऋणात्मक क्षेत्र में रही। सेवा व्यापार करने वाले अनेक महत्वपूर्ण देशों के लिए स्थिति बढ़ी है। सेवा व्यापार में वृद्धि के मुकाबले वस्तु व्यापार में वृद्धि के आंकड़े विश्व और भारत दोनों के लिए वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2015 में पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक अत्यधिक गिरावट दर्शाते हैं। वर्ष 2015 की प्रथम तीन तिमाहियों (पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही) में विश्व वाणिज्यिक सेवा निर्यात में क्रमश: (-)4.9प्रतिशत, (-)8.1प्रतिशत और (-)6.6प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि थी। इस अवधि के दौरान, अमरीका की सेवा निर्यात वृद्धि दो तिमाही के लिए धनात्मक तथा एक तिमाही के लिए ऋणात्मक क्रमश: 3.4 प्रतिशत, -0.8 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत थी जबकि यूरोपिय संघ के लिए बहुत अधिक ऋणात्मक क्रमश: -10.1 प्रतिशत, -12.3 प्रतिशत तथा -9.4 प्रतिशत थी वर्ष 2015 में यूरोपीय संघ के निर्यातों और आयातों में अधिक गिरावट का कारण यूरो का अमरीकी डालर के मुकाबले मूल्यह्रास था। भारत के सेवा व्यापार में वर्ष 2015 की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमश: (-)1.4प्रतिशत और (-)0.1प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि रही, परंतु सेवा निर्यात में वृद्धि हालांकि कम रही, फिर भी, 2015 की प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिमाही में क्रमश: 2.3 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत पर ऋणात्मक रही (चित्र 7.2)।

चित्र 7.2: वस्तु और सेवा व्यापार की वृद्धि विश्व और भारत

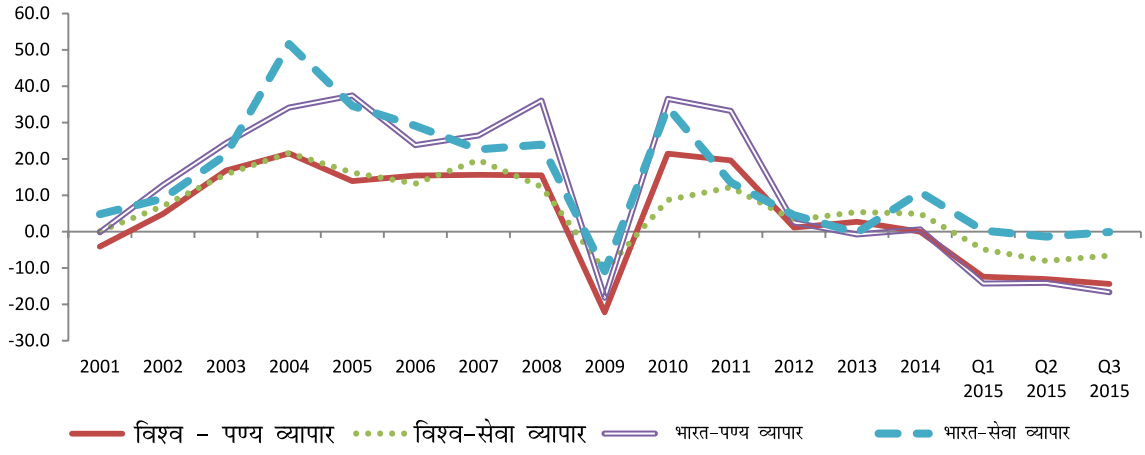

स्रोत: **विश्व व्यापार संगठन के डाटाबेस पर आधारित**

वैश्विक सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

7.9 वैश्विक निवेश रूझान मॉनीटर, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के जनवरी 2016 के संस्करण के अनुसार, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह वर्ष 2015 में 36प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया, जो कि 2008-09 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट से अब तक का सर्वाधिक है। तथापि, यह वृद्धि प्रमुखत: सीमा-पार विलय और अधिग्रहणों (एमएंडए) के कारण थी, जिसमें ग्रीनफील्ड निवेश परियोजनाओं द्व ारा उत्पादनशील परिसंपत्तियों में निवेश का केवल एक सीमित अंशदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, एफडीआई प्रवाहों का एक भाग निगमित पुनर्गठनों से संबंधित था जिसमें भुगतानों के शेष के वित्तीय खाते में ऐसी अत्यधिक बड़ी मूल्य राशियां शामिल हैं जिनका वास्तविक संसाधनों में प्रवाह नहीं हुआ। विश्व निवेश रिपोर्ट 2015 के अनुसार, इस क्षेत्र में बढ़ते उदारीकरण, सेवाओं की बढ़ती व्यापार-योग्यता और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं, जिनमें सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, की वृद्धि के कारण सेवाओं में एफडीआई की ओर रूझान पिछले 10 वर्षों तक बना हुआ है। वर्ष 2014 में, सेवाओं का वैश्विक एफडीआई परियोजनाओं में 51प्रतिशत भाग है। वैश्विक रूप से, सेवा क्षेत्र ने ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के मूल्य में गिरावट (-15:) के बावजूद सीमा-पार विलय और अधिग्रहणों (एम एंड ए) के मूल्य में उच्च वृद्धि (37 प्रतिशत) दर्ज की है। सेवा क्षेत्र में एफडीआई में वृद्धि के कारण चीन और भारत में 129 बिलियन अमरीकी डालर और 34 बिलियन अमरीकी डालर के एफडीआई में वर्ष 2013 में क्रमश: 4प्रतिशत और 22प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत का सेवा क्षेत्र

7.10 भारत में सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय और राज्यों की आयों, व्यापार प्रवाहों, एफडीआई अंतर्प्रवाहों और रोजगार में इसकी भागीदारी के चलते सर्वाधिक उत्साहजनक क्षेत्र रहा है। भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापक विविधता वाले क्रियाकलाप शामिल हैं जैसे कि व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तपोषण, बीमा, भूसंपदा, व्यावसायिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं और विनिर्माण से जुड़ी सेवाएं।

सेवा जीवीए और सकल पूंजी निर्माण

7.11 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए जारी वास्तविक जीवीए अर्थात् स्थिर (2011-12) बुनियादी कीमतों पर जीवीए के प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र में वृद्धि पिछले वर्ष की 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 10.3प्रतिशत हो गई। वृद्धि में यह त्वरण प्रमुखत: सेवाओं के उप-क्षेत्रों जैसे कि 'व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां' (10.7प्रतिशत), 'वित्तीय सेवाएं' (7.9प्रतिशत), 'लोक प्रशासन और रक्षा' (9.8प्रतिशत) और 'अन्य सेवाएं' (11.4प्रतिशत) में उच्चतर वृद्धि के कारण थी (सारणी 7.2)।

7.12 वर्ष 2015-16 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, बुनियादी कीमतों (वर्तमान कीमतों) पर भारत का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के 53.3प्रतिशत मूल्य के सेवा क्षेत्र में, वर्ष 2014-15 में उपांतिक रूप से 9.2प्रतिशत की निम्न वृद्धि हुई। यह मामूली गिरावट प्रमुखत: 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' की संयुक्त श्रेणी में वृद्धि में आई गिरावट के कारण हुई, जो वर्ष 2014-15 में 10.7प्रतिशत की वृद्धि से घट कर 6.9प्रतिशत रह गई।

7.13 जीवीए के लिए कुल सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के मामले में, सेवा क्षेत्र में वर्तमान (2011-12) कीमतों पर जीवीए हेतु जीसीएफ की दर भी वर्ष 2013-14 की 40.1प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 39.3प्रतिशत रह गई। तथापि, जीसीएफ में सेवा क्षेत्र का भाग पिछले चार वर्षों में निरंतर बढ़ा है जो वर्ष 2011-12 के 53.3प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 58.3प्रतिशत तक पहुंच गया जिसमें वर्ष 2014-15 में 5.6प्रतिशत की कुल जीसीएफ वृद्धि की तुलना में सेवा जीसीएफ में 8.7प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।

सेवाओं की राज्य-वार तुलना

7.14 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, जो 21 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रबल क्षेत्र के रूप में सेवा क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पादों (जीएसडीपी) का आधे से अधिक में और सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में 40प्रतिशत से अधिक का भागीदार है। अधिकांश राज्यों में प्रमुख सेवाएं हैं - व्यापार, होटल और रेस्तरां इसके बाद भूसंपदा, निवास स्थान का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं आती हैं। 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके लिए 2014-15 के आंकड़े उपलब्ध हैं, में से दिल्ली, जिनके लिए 2014-15 के आंकड़े उपलब्ध हैं, में से दिल्ली सेवा जीएसडीपी के 87.5प्रतिशत भाग के साथ शीर्ष पर हैं। इसके बाद

सारणी 7.2: भारत के सेवा क्षेत्र का भाग और वृद्धि (बुनियादी कीमत पर जीवीए)

	जीवीए (प्रतिशत)			जीसीएफ (प्रतिशत)	
	2013-14	**2014-15®**	**2015-16#**	**2013-14**	**2014-15®**
कुल सेवाएं	**50.9(7.8)**	**52.6(10.3)**	**53.3 (9.2)**	**56.5(5.1)**	**58.3(8.7)**
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां	11.5(7.2)	11.8(10.7)	18.6 (9.5)*	7.4(-26.9)	8.9(25.0)
व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	10.5(7.7)	10.7(10.8)	उन	6.7(-28.4)	7.5(18.9)
होटल और रेस्तरां	1.0(2.4)	1.1(9.5)	उन	0.8(-10.6)	1.3(77.2)
परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाओं से संबंधित (जिनमें से)	6.7(8.7)	6.9(8.4)	उन	8.9(24.2)	8.9(4.8)
रेलवे	0.8(6.0)	0.8(7.7)	उन	1.2(6.9)	1.4(22.4)
सड़क परिवहन	3.2(6.2)	3.2(6.3)	उन	1.8(-46.4)	0.8(-50.4)
वायु परिवहन	0.1(8.7)	0.2(12.8)	उन	0.1(-16.1)	0.2(94.1)
वित्तीय सेवाएं	5.8(4.8)	5.7(7.9)	20.6(10.3)^	0.9(-3.4)	1.2(35.3)
आवास और व्यावसायिक सेवाओं की अचल संपत्ति के स्वामित्व	14.3(12.5)	14.9(11.8)	उन	25.3(7.2)	23.8 (-1.0)
लोक प्रशासन और रक्षा		6.2(9.8)	14.1 (6.9)@	8.6(14.9)	9.9(21.2)
अन्य सेवाएं	6.7(5.6)	7.2(11.4)	उन	5.3(19.0)	5.7(14.0)
निर्माण		8.8(4.4)	8.2 (3.7)	5.4(-28)	5.4(4.6)
कुल सेवाएं (+ निर्माण)	59.8(7.3)	61.4(9.4)	61.5 (8.4)	62.0(1.0)	63.7(8.4)
कुल जीवीए/जीसीएफ	**100.0(6.3)**	**100.0(7.1)**	**100.0 (7.3)**	**100(2.1)**	**100(5.6)**
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य स्थिर 2011-12)	**(6.6)**	**(7.2)**	**(7.6)**		

***स्रोत:* केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)**

नोट: शेयर वर्तमान कीमतों में और वृद्धि 2011-12 की स्थिर कीमतों में हैं, कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वृद्धि दर को दर्शाते हैं, @प्रथम संशोधित अनुमान, # 2015-16 के लिए अग्रिम अनुमान; परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं भी शामिल, ^भूसंपदा और पेशेवर सेवाएं भी शामिल, @अन्य सेवाएं भी शामिल।; उन : उपलब्ध नहीं है

चित्र 7.3: वर्ष 2014.15 में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी और वृद्धि

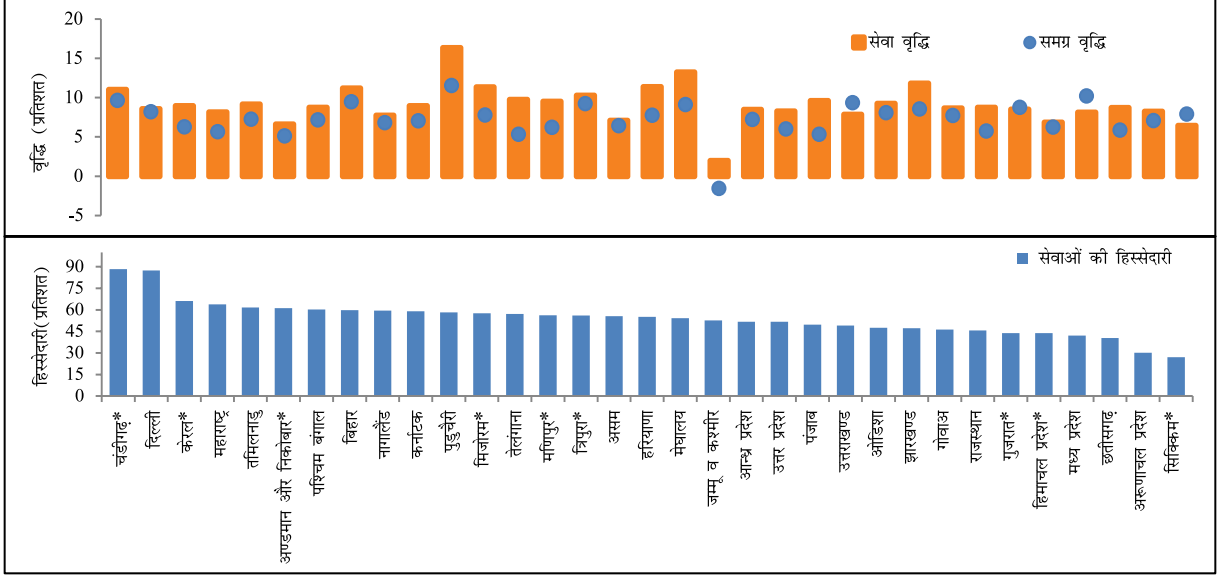

***स्रोत:* सीएसओ आंकड़ों से अभिकलित**

नोट: शेयर वर्तमान मूल्यों पर, वृद्धि दर स्थिर (2004-05) पर; '2013-14 के आंकड़ों को प्रदर्शित करता है।

63.8प्रतिशत के साथ महाराष्ट्र का नाम आता है जिनकी वृद्धि दरें क्रमश: 8.2प्रतिशत और 5.7प्रतिशत हैं। पुदुचेरी की 16.3प्रतिशत की सर्वोच्च सेवा वृद्धि रही इसके बाद 13.2प्रतिशत की वृद्धि के साथ मेघालय का नाम है। इसका कारण पूर्व के मामले में व्यापार, होटल और रेस्तरां, भूसंपदा और व्यावसायिक सेवाओं जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा दूसरे के मामले में अन्य सेवाओं की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी था। जम्मू और कश्मीर में 2.0प्रतिशत की न्यूनतम सेवा वृद्धि रही जो प्रमुखत: लोक प्रशासन को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में निम्न और ऋणात्मक वृद्धि के कारण थी। राज्यों में, बिहार की सेवा क्षेत्र वृद्धि पिछले सात वर्षों में दोहरे अंक की निरंतर वृद्धि के साथ तीव्रतम वृद्धियों में से एक रही है क्योंकि अन्य साधनों द्वारा यातायात को छोड़कर व्यापार, होटल और रेस्तरां और भूसंपदा और व्यावसायिक सेवाओं जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर्ज की गई थी (चित्र 7.3)।

भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई

7.15 सामान्य रूप से 2014-15 और 2015-16 (अप्रैल-अक्तूबर) में तथा विशेष रूप से सेवा क्षेत्र के लिए एफडीआई के अंतर्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि सेवाओं में एफडीआई के वर्गीकरण में अस्पष्टता विद्यमान है, फिर भी शीर्ष 10 सेवा क्षेत्रों यथा सेवा क्षेत्र के अधीन वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, ट्रेडिंग, कंप्यूटर हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर, निर्माण, होटल और पर्यटन, अस्पताल और नैदानिक केंद्र, परामर्श सेवाएं समुद्री परिवहन, सूचना एवं प्रसारण के सम्मिलित एफडीआई शेयर को सेवा एफडीआई के सर्वोत्तम प्राक्कलन के रूप में लिया जा सकता है, यद्यपि इसमें कुछ गैर-सेवा तत्व भी शामिल हो सकते हैं। यह शेयर अप्रैल 2000 - अक्तूबर 2015 की अवधि के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 53.3 प्रतिशत और 2014-15 के दौरान 53 प्रतिशत है। यदि कुछ अन्य सेवाओं या सेवा-संबंधित क्षेत्रों जैसे फुटकर व्यापार, पत्तन, कृषि सेवाएं, शिक्षा, और हवाई परिवहन के शेयर शामिल कर लिए जाते हैं तो सेवा क्षेत्र के लिए संचयी एफडीआई अंतर्वाह का कुल शेयर उपर्युक्त दो अवधियों के लिए क्रमश: बढ़कर 55.6 प्रतिशत और 54.5 प्रतिशत हो जाएगा (सारणी 7.3)।

7.16 वर्ष 2014-15 में, जबकि कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 27.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30.9 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा, सेवा क्षेत्र के लिए (निर्माण सहित 10 शीर्ष सेवाएं) एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 70.4 प्रतिशत के उछाल के साथ 16.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। बढ़ने की यह प्रवृत्ति 2015-16

के पहले सात महीनों में जारी रही जिसमें सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 74.4 प्रतिशत की दर से बढ़कर 14.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जबकि कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 26.1 प्रतिशत की दर से बढ़कर 27.1 बिलियन अमरीकी डालर रहा। सेवा एफडीआई अंतर्वाह में उच्च वृद्धि मुख्यत: तीन मुख्य वर्गों नामत: कंप्यूटर हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर; सेवा क्षेत्र वर्ग, जिसमें मदों की बास्केट जैसे वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय, आउटसोर्सिंग, आर एंड डी शामिल हैं; और व्यापार की उच्च वृद्धि के कारण है। यह दूरसंचार में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में (-) 61.6 प्रतिशत उच्च नकारात्मक वृद्धि के बावजूद था।

7.17 सरकार ने हाल के समय में एफडीआई नीति प्रशासन प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत बढ़-चढ़ कर निवेश का आकर्षक गंतव्य बना रहे। एफडीआई की नीति में सरलता प्रदान करने तथा विभिन्न क्षेत्रों के आर-पार शर्तों और अनुमोदन की आवश्यकताओं के अनुप्रयोग पर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से एक मिश्रित सीमा के अंतर्गत विदेशी निवेश के विभिन्न प्रकारों को समरूप प्रतिभूतियों के रूप में निर्धारित किया गया है। एफडीआई से संबंधित उल्लेखनीय उदारीकरण कुछ सेवाओं और सेवा से संबंधित क्षेत्रों जैसे निर्माण विकास, प्रसारण, नागर विमानन, नकद दो- माल लो, थोक व्यापार, थोक व्यापार (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) से सोर्सिंग सहित), एकल ब्रांड फुटकर व्यापार और शुल्क मुक्त दुकान, निजी क्षेत्र - बैंकिंग और क्रेडिट सूचना कंपनियों सहित अर्थव्यवस्था के अनेक सेक्टरों/क्षेत्रों में हुआ है।

भारत का सेवा व्यापार

7.18 सेवाओं में निर्यात हाल के वर्षों में भारत के व्यापार एवं वैश्विकरण में एक गतिक अवयव रहा है। डब्ल्यूटीओ के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत का सेवा निर्यात 2001 के 16.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2014 में 155.6 बिलियन अमरीकी डालर, जोकि जीडीपी का 7.5 प्रतिशत है, हो गया है, जो देश को विश्व में आठवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बना देता है। 2014 में वैश्विक सेवा निर्यातों में भारत के पण्य निर्यात का शेयर 1.7 प्रतिशत तथा वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का अपनी सेवाओं का निर्यात 3.2 प्रतिशत अर्थात् पण्य निर्यात का लगभग दो गुना है। सेवाओं सहित, कुल व्यापार द्वारा प्रदर्शित अर्थव्यवस्था का संपूर्ण खुलापन, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2004-05 के 38 प्रतिशत की तुलना में

सारणी 7.3: सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह

क्र. सं	उप-क्षेत्र	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)			कुल का प्रतिशतता		विकास दर (%)	
		2014-15	2015-16 (अप्रै.-अक्तू.)	अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2015	2014-15	अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2015	2014-15	अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2015
1	सेवा क्षेत्र*		3874.1	46586.8	14.4	17.2	99.7	134.5
2	दूरसंचार	2894.9	949.6	18007.7	9.4	6.7	121.5	-61.6
3	व्यापार	2728.0	2372.1	10432.5	8.8	3.9	103.1	52.5
4	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर	2296.0	4122.5	19139.8	7.4	7.1	103.9	530.9
5	विनिर्माण#	1639.4	1151.0	28649.5	5.3	10.6	-4.2	33.6
6	होटल एवं पर्यटन	777.0	714.6	8631.0	2.5	3.2	59.8	46.0
7	अस्पताल और नैदानिक केन्द्र	567.9	377.2	3322.4	1.8	1.2	-17.1	67.2
8	परामर्शदात्री सेवाएं	458.1	384.8	3194.1	1.5	1.2	60.3	11.2
9	समुद्री परिवहन	333.2	295.7	1841.6	1.1	0.7	1526.3	119.9
10	सूचना और प्रसारण	255.0	515.1	4484.5	0.8	1.7	-40.5	813.7
शीर्ष 10 सेवाओं की श्रेणियां (1-10)		**16392.8**	**14756.9**	**144289.9**	**53.0**	**53.3**	**70.4**	**74.7**
कुल एफडीआई इक्विटी		**30930.5**	**21873.7**	**270506.8**	**100.0**	**100.0**	**27.3**	**26.1**

स्रोत: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के आंकड़ों के आधार पर।

टिप्पणी: *वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय व्यापार, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, प्रौद्योगिकी परीक्षण और विश्लेषण, अन्य; इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों और टाउनशिप्स, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी ढांचे और निर्माण विकास परियोजनाओं के साथ संयुक्त।

2014-15 में 50 प्रतिशत के उच्चतर कोटि के खुलेपन को प्रदर्शित करता है। खुलेपन का संकेतक मात्र पण्य व्यापार पर आधारित है जो कि 2004-05 के 28 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 38 प्रतिशत हो गया है।

7.19 तथापि, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारत के सेवा व्यापार की पुनः प्राप्ति संकट की अवधि के बाद सेवाओं के निर्यात के सीएजीआर के साथ, संकट के पूर्व की अवधि में 30.1 प्रतिशत की तुलना में, मामूली, केवल 7.5 प्रतिशत थी। सेवाओं के आयातों के मामलों में, सीएजीआर संकट से पूर्व की अवधि के 23.6 प्रतिशत से गिरकर संकट के बाद की अवधि में मात्र 6.5 प्रतिशत हो गया था। अनिश्चित वैश्विक दशाओं और कमजोर बाहरी मांग ने भारत के सेवा निर्यात को प्रभावी रखना जारी रखा, सेवाओं के निर्यात की वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष में 4.0 प्रतिशत से मामूली रूप में बढ़कर 2014-15 में 4.1 प्रतिशत हो गई। सेवाओं के निर्यात में मंदी, 2014-15 के उत्तरार्ध में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, जो कि 2015-16 के पूर्वार्ध में 0.7 प्रतिशत और अवमंदित हुआ है, अत्यधिक विवेचन योग्य है। सेवाओं के निर्यात पर वैश्विक मंदी का प्रभाव स्पष्ट है।

7.20 वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के पूर्वार्ध में सेवाओं के निर्यातों में क्षेत्र-वार निष्पादन असमान रहा है जिसमें से कुछ क्षेत्रों ने काया-पलटने और उच्च वृद्धि को प्रदर्शित किया जबकि दूसरों ने पर्याप्त कमी को दर्ज किया। विदेशी पर्यटकों के अगमन(एफटीएज) में उल्लेखनीय आधुनिकीकरण के साथ, यात्रा से प्राप्तियों ने 2014-15 में 12.9 प्रतिशत शेयर के साथ, 2014-15 में 13.5 प्रतिशत की तथा 2014-15 के पूर्वार्ध में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 2015-16 पूर्वार्ध में 4.1 प्रतिशत की मंदित वृद्धि को देखा है। परिवहन सेवाओं के निर्यात की वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मंदी को प्रदर्शित करते हुए, 2014-15 में 0.6 प्रतिशत की तथा 2014-15 के पूर्वार्ध में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 2015-16 के पूर्वार्ध में नकारात्मक (-) 17.0 प्रतिशत पर थी। कंप्यूटर सेवाओं में वृद्धि, जोकि 2014-15 में कुल सेवा निर्यातों का लगभग 46.4 प्रतिशत थी, 2014-15 में 5.3 प्रतिशत तथा 2014-15 के पूर्वार्ध में 5.1 प्रतिशत की तुलना में, 2015-16 के पूर्वार्ध में आंशिक रूप से सुधार कर 5.8 प्रतिशत हो गई है। अन्य व्यवसाय सेवाओं में 2014-15 में 18.0 प्रतिशत शेयर के साथ अन्य मुख्य सेवाओं ने 2014-15 में (-) 0.2 प्रतिशत की तथा 2014-15 के पूर्वार्ध में (-) 3.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में, 2015-16 के पूर्वार्ध में 6.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की है। यह कि, व्यावसायिक और प्रबंधन सेवाएं 2014-15 में (-) 6.9 प्रतिशत की तथा 2014-15 के पूर्वार्ध में (-) 6.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में, 2015-16 के पूर्वार्ध में 9.4 प्रतिशत तक बढ़ी हैं, जबकि तकनीकी, व्यापार-संबंधित और अन्य व्यवसाय सेवाएं 2014-15 में 7.5 प्रतिशत की तथा 2014-15 के पूर्वार्ध में (-) 1.4 प्रतिशत की तुलना में, 2015-16 के पूर्वार्ध में नगण्य रूप में 1.1 प्रतिशत बढ़ी हैं (सारणी 7.4)।

7.21 भारत का सेवा आयात 2014-15 में 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़कर 81.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। यह 2015-16 के पूर्वार्ध में 4.2 प्रतिशत बढ़ा है जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि से निम्नतर है। नेट सेवाओं की वृद्धि, जो कि हाल के वर्षों में भारत के व्यापार घाटे को वित्तपोषित करने की मुख्य स्रोत रही हैं, 2013-14 के 12.4 प्रतिशत से मंद होकर 2014-15 में 5.0 प्रतिशत हो गई और 2015-16 के पूर्वार्ध में (-) 3.1 प्रतिशत नकारात्मक हो गई है। जबकि 2014-15 में सेवाओं के व्यापार से प्राप्त 76.6 बिलियन अमरीकी डालर के अधिशेष ने पण्य व्यापार घाटे के 52.8 प्रतिशत हिस्से को वित्तपोषित किया, 2015-16 के पूर्वार्ध में 35.3 बिलियन अमरीकी डालर के नेट सेवा निर्यात ने पण्य व्यापार घाटे के केवल 49.4 प्रतिशत हिस्से को ही वित्तपोषित किया।

7.22 सरकार ने सेवा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन और पोत-परिवहन जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ पहलों के अलावा, अनेक नीतिगत पहलें हाथ में ली हैं जिसमें भारत से अधिसूचित सेवाओं के निर्यातों के बढ़ाने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात स्कीम' (एसईआईएस); विभिन्न सेवाओं के निर्यातों को बढ़ाने तथा विश्व सेवा व्यापार में प्रमुख देश के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस) और सेवा सम्मलेन आयोजित करना शामिल है। भारत की सेवाओं के निर्यातों की क्षमता के कारण, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय/क्षेत्रीय, दोनों, स्तरों पर सेवा क्षेत्र वार्ताएं भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। (बॉक्स 7.1 देखें)

मुख्य सेवाएं: समग्र निष्पादन

7.23 सेवा क्षेत्र ने हाल के वर्षों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था

सारणी 7.4: प्रमुख सेवाओं का निर्यात निष्पादन

	मूल्य (यूएस $ बिलियन)	2014-15 शेयर (प्रतिशत)	विकास दर (प्रतिशत)			
			2013-14	2014-15	2014-15एच1	2015-16एच1
कुल सेवा निर्यात	**157.70**	**100.0**	**4.0**	**4.1**	**4.5**	**0.7**
परिवहन		11.1	0.3	0.6	7.6	-17.0
यात्रा	20.33	12.9	-0.4	13.5	18.0	4.1
वित्तीय, बीमा और पेंशन सेवा	7.9	5.0	22.2	-10.3	-12.0	-0.9
दूरसंचार सेवाएं	2.00	1.3	43.0	-17.1	-22.2	15.4
कंप्यूटर सेवाएं	73.11	46.4	5.4	5.3	5.1	5.8
अन्य व्यापार सेवाएँ		18.0	0.1	-0.2	-3.9	6.3
अनुसंधान और विकास सेवाएं	1.26	0.8	24.0	9.7	6.2	22.9
पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं	14.43	9.1	10.4	-6.9	-6.7	9.4
तकनीकी, व्यापार से संबंधित, और अन्य व्यावसायिक सेवाएं		8.1	-12.2	7.5	-1.4	1.1
कुल सेवा आयात	**81.11**	**100.0**	**-2.8**	**3.3**	**5.4**	**4.2**
निवल सेवाएं	**76.59**	**-**	**12.4**	**5.0**	**3.5**	**-3.1**

स्रोत: **भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान संतुलन (बीओपी) डेटा (बीपीएम-6) पर आधारित।**

बॉक्स 7.1: डब्ल्यूटीओ सेवा वार्ताएं और द्विपक्षीय वार्ताएं, सेवा व्यापार सहित

डब्ल्यूटीओ वार्ताएं

- डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का दसवां सत्र 15 से 18 दिसंबर, 2015 तक नैरोबी, केन्या में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में, सेवा व्यापार के क्षेत्र में न्यूनतम विकसित देशों की सेवाओं और सेवा आपूर्तिकारों के पक्ष में तरजीही व्यवहार को कार्यान्वित करने और सेवा व्यापार में एलडीसी सहभागिता को बढ़ाने; और 2017 तक इलैक्ट्रॉनिक पारेषण पर सीमा शुल्क के भुगतान को स्थगित रखने जैसे निर्णय लिए गए।
- एलडीसी के लिए तरजीही व्यवहार: अब तक भारत सहित 21 सदस्य सेवा व्यापार में एलडीसी के लिए तरजीही व्यवहार के लिए अधिसूचित किए गए हैं। भारत ने : (i) सेवा में सामान्य करार (जीएटीएस) के अनुच्छेद (XVI) (बाजार पहुंच); (ii) तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण; और (iii) भारतीय व्यापार और रोजगार वीजा के लिए आवेदन करने वाले एलडीसी आवेदकों के लिए वीजा शुल्क में छूट के संबंध में प्रस्ताव किया है। शुल्क की यह छूट 31 दिसंबर, 2030 तक वैध होगी। केवल भारत ही वह सदस्य है जिसने वीजा शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया है। यह भारत का एक विशिष्ट और मार्गदर्शक प्रस्ताव है। अब तक वीजा के मुद्दे डब्ल्यूटीओ/मुक्त व्यापार करार (एफटीए) में बिना छुए ही बने रहे हैं। भारत के सेवाओं के प्रस्ताव को किसी भी अन्य देश से एलडीसी बनाम सेवा आपूर्तिकारों से उल्लेखनीय महत्व दिया जाना चाहिए।
- ई-कामर्स (ई-वाणिज्य): डब्ल्यूटीओ के सदस्य अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन तक, जो कि 2017 में आयोजित किया जाएगा, इलैक्ट्रॉनिक पारेषणों पर सीमा शुल्क न लगाने की वर्तमान पद्धति को बनाए रखने पर सहमत हुए हैं।

द्विपक्षीय करार

- भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया की सरकारों के साथ, सेवाओं में व्यापार सहित, वृहत् द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सेवाओं और निवेश में एफटीए सितंबर, 2014 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के साथ हस्ताक्षरित किया गया था, जो कि 01 जुलाई, 2015 से प्रभावी हुआ है।
- भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहभागिता (आरसीईपी) बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल हुआ है। आरसीईपी एक एफटीए है जिसमें 10 आसियान देश और इसके 6 एफटीए भागीदार जैसे आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। आरसीईपी एक मात्र बृहत् क्षेत्रीय एफटीए है जिसका भारत एक भाग है।
- भारत कनाडा, इजराइल, थाइलैंड, यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि के साथ, सेवाओं में व्यापार सहित, द्विपक्षीय एफटीए वार्ताओं में भी शामिल है। भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) के अधीन अमरीका के साथ, भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री आयोग (जेएमसी) के अधीन आस्ट्रेलिया, सेवाओं पर भारत-चीन कार्य-दल के अधीन चीन, तथा भारत-ब्राजील व्यापार मानीटरिंग तंत्र (टीएमएम) के अधीन ब्राजील के साथ वार्ताएं चल रही हैं।

स्रोत: **वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की जानकारी पर आधारित**

में मंदी के साथ, गिरावट पूर्ण निष्पादन को प्रदर्शित किया है, यद्यपि क्षेत्र के कुछ घटक अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण कारक बने रहे। फर्म-स्तर के आंकड़ों पर आधारित सेवाओं के क्रिया-कलापों के क्षेत्र-वार निष्पादन का विश्लेषण 2015-16 की पहली और दूसरी तिमाहियों में स्वास्थ्य सेवा घटक की बिक्री में अच्छी वृद्धि को दर्शाता है, यद्यपि चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक शुल्क, किराया, आदि जैसे व्यय शीर्षों के कारण कम हुआ है। विमान के ईंधन की कीमतों में कमी होने के कारण भारतीय विमानन उद्योग का निष्पादन सुधरा है, जो कि भारत में एअरलाइंस के प्रचालन खर्चों के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर है। दूरसंचार उद्योग ने इस वर्ष की पहली तिमाही में अच्छा लाभ दर्ज किया है।

7.25 तथापि, मौन आदेश के प्रवाह तथा बढ़ायी गई वित्तीय स्थिति ने निर्माणकर्ता कंपनियों की निर्माण क्षमता पर असर डाले हैं, जबकि ढांचागत सेक्टर में कम मार्जिन होने के कारण निर्माणकर्ता कंपनियों के मार्जिन पर प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2015-16 में भारत में विभिन्न सेवाओं में उपलब्ध सूचकांकों से इन कंपनियों की निष्पादन क्षमता परिलक्षित होती है। ये प्रभाव विभिन्न सेक्टरों - दूरभाष, विमानन तथा पोर्ट सेवाओं एवं आई.टी. - बी.पी.एम. की गति में देखा जा रहा है, जो कि पूर्व वर्षों की अपेक्षा थोड़ी धीमी है (सारणी-7.5)।

प्रमुख सेवाएँ : क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ हालिया नीतियाँ

7.24 इस खंड में भारत की कुछ वाणिज्यिक सेवाओं को शामिल किया गया है जो कि जीडीपी/जीवीए, रोजगार, निर्यात और भावी दृष्टि से काफी महत्व रखती हैं। अन्य अध्यायों में जिन प्रमुख सेवाओं का उल्लेख किया गया है, उनको यहाँ छोड़ दिया गया है ताकि दोहरेपन से बचा जा सके।

सारणी 7.5: भारत के सेवा क्षेत्र का निष्पादन: कुछ संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	इकाई	अवधि			
			2009-10	2013-14	2014-15	2015-16
आईटी-बीपीएम^	आईटी-बीपीएम सेवा राजस्व	बिलियन अमरीकी $	64	106	119	130
	निर्यात	बिलियन अमरीकी $	50	87	98	108
	घरेलू	बिलियन अमरीकी $	14	19	21	22
विमानन	एयरलाइन यात्रियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय)*	मिलियन	77.4	103.7	115.8	(85.3)98.8@
दूरसंचार	टेलीकॉम कनेक्शन (वायरलाइन और वायरलेस)ख	मिलियन	621.3	933.0	996.1	(964.2)1035.2#
पर्यटन	विदेशी पर्यटकों का आगमनक	मिलियन	5.2	7.0	7.7	8.0
	विदेशी पर्यटकों के आगमन से विदेशी मुद्रा आयकक	बिलियन अमरीकी $	11.1	18.4	20.2	19.7
पोत परिवहन	भारतीय शिपिंग का सकल टन भारख	लाख जी.टी.	9.7	10.5	10.5	10.5@
	जहाजों की संख्याख	नंबर	998	1209	1210	1251@
बंदरगाह	पोर्ट यातायात	लाख टन	850.0	972.5	1052.5	(515.8)525.5a
रेलवे	रेलवे द्वारा माल ढुलाईग	लाख टन	887.8	1051.6	1095.3	(806.4)814.7@
	रेलवे के निवल टन किलोमीटरघ	बिलियन	600.6	665.8	681.7	(506.9)491.6@
भंडारण	भंडारण क्षमता	लाख मीट्रिक टन	107.2	105.6	106.2	113.1
	गोदामों की संख्या	नंबर	487	471	464	470

स्रोत: स्रोत: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, केंद्रीय भंडारण निगम, नैसकॉम।

टिप्पणी: क-कलैंडर वर्ष 2009 के लिए उदाहरणार्थ 2009-10; ख-आगामी वित्त वर्ष की 31 मार्च को; गवर्ष 2009-10 से 2012-13 का डेटा कैरिड आधार पर है जबकि 2013-14 और 2015-16 आरंभन आधार पर हैं; *अंतरराष्ट्रीय यात्रियों हेतु विदेशी एयरलाइनें शामिल; डेटा सितंबर, 2015 तक है; #डेटा नवम्बर, 2015 तक है; @डेटा दिसंबर, 2015 तक है; कोष्ठेकों में दिए गए आंकड़े 2014-15 की उसी अवधि के हैं। जीटी = कुल टन भार; एम टी = मीट्रीक टन; पी- अनुमानित, ^हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर

चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन

7.25 पर्यटन आर्थिक विकास का प्रमुख संवाहक है, विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है एवं भारत समेत बहुत सारे देशों में विभिन्न प्रकार के रोजगारों के सृजन का एक स्रोत भी है। वर्ष 2014 में विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यू टी टी सी) के अनुसार विश्व की जीडीपी में यात्रा एवं पर्यटन का कुल योगदान 7.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 9.8 प्रतिशत) था तथा वर्ष 2015 में इसकी वृद्धि 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2025 में इसकी वृद्धि 3.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 11.4 ट्रिलियन (जीडीपी का 10.5 प्रतिशत) होने का अनुमान है। वर्ष 2014 में, इंडस्ट्री समर्थित अप्रत्यक्ष नौकरियों सहित रोजगार में इस क्षेत्र का कुल योगदान कुल रोजगार का 9.4 प्रतिशत (276,845,000 नौकरियाँ) था। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2015 में इसमें 2.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा 2025 में नौकरियों की संख्या में यह वृद्धि 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर 356,911,000 (कुल नौकरियों का 10.7 प्रतिशत) होने की संभावना है। संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन (जनवरी, 2016 संस्करण) के नवीनतम विश्व पर्यटन बैरोमीटर से पता चलता है कि वर्ष 2015 में 1.2 बिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन हुआ था जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 4.4 प्रतिशत अधिक है और वर्ष 2016 में इसमें 3.5-4.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने का पूर्वानुमान किया गया है। वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आई.टी.ए.) के मामले में फ्रांस की तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों (आईटीआर) के मामले में अमेरिका की सबसे अधिक हिस्सेदारी रही है। विश्व आईटीए में भारत का हिस्सा 0.7 प्रतिशत रहा है जो कि फ्रांस के 7.4 प्रतिशत, अमेरिका के 6.6 प्रतिशत, स्पेन के 5.7 प्रतिशत तथा चीन के 4.9 प्रतिशत की तुलना में कम है। हालांकि, आईटीए की दृष्टि से भारत की तुलना में वियतनाम तथा इंडोनेशिया की स्थिति बेहतर हैं, फिर भी आईटीआर की दृष्टि से भारत की हिस्सेदारी 1.6 प्रतिशत है जो कि वियतनाम तथा इंडोनेशिया से बेहतर हैं, किंतु यह चीन के 4.6 प्रतिशत से कम है तथा अमरीका के 14.2 प्रतिशत से काफी नीचे है (सारणी 7.6)।

7.26 वर्ष 2014 में विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) की दृष्टि से भारत की पर्यटन वृद्धि जो कि दहाई अंकों में 10.2 थी तथा यह विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई) की दृष्टि से लगभग 9.7 प्रतिशत थी जो अमरीकी डालर मूल्यों में वर्ष 2015 में कम होकर एफटीए की दृष्टि से 4.5 प्रतिशत रही, एफईई की दृष्टि से यह 2.8 प्रतिशत तक कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2015 में एफटीए 8.0 मिलियन अमरीकी डालर तथा एफईई 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वर्ष 2015 में एफटीए में अल्प वृद्धि तथा एफईई गिरावट जापान (-5.5 प्रतिशत) को छोड़कर यूरोपीय देशों जैसे

सारणी 7.6: पर्यटन निष्पादन: अंतरराष्ट्रीय तुलना - 2014

देश	अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन				अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियां			
	संख्या (मिलियन में)		हिस्सा (%)	वृद्धि (%)	मूल्य (बिलियन अमरीकी डालर)		हिस्सा (%)	वृद्धि(%)
	2013	2014	2014	2014	2013	2014	2014	2014
फ्रांस	83.6	83.8	7.39	0.1	56.6	57.4	4.45	-2.3
अमरीका	70.0	75.0	6.60	6.8	172.9	177.2	14.24	2.5
स्पेन	60.7	65.0	5.74	7.1	62.6	65.2	5.24	4.2
चीन	55.7	55.6	4.91	-0.1	51.7	56.9	4.57	10.2
तुर्की	37.8	39.8	3.51	5.3	28.0	29.6	2.37	5.6
मलेशिया	25.7	27.4	2.42	6.7	21.5	22.6	1.75	1.5
थाईलैंड	26.5	24.8	2.19	-6.7	41.8	38.4	3.09	-8.0
सिंगापुर	11.9	11.9	1.05	-0.3	19.3	19.2	1.54	-0.5
इंडोनेशिया	8.8	9.4	0.83	7.2	9.1	10.3	0.79	8.0
वियतनाम	7.6	7.9	0.69	4.0	7.3	7.3	0.59	1.1
भारत	7.0	7.7	0.68	10.5	18.4	19.7	1.58	7.1
विश्व	**1088**	**1134**	**100.00**	**4.2**	**1199**	**1250**	**100.00**	**4.0**

स्रोत: **यूएन डब्ल्यूटीओ। (जनवरी, 2016)**

:- फ्रांस (-6.2 प्रतिशत), जर्मनी (3.9 प्रतिशत), यू. के. (3.4 प्रतिशत) के अधिक धन व्यय करने वाले पर्यटकों के कारण ही एफ.टी.ए. में नकारात्मक या न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई। रूस (-) 36.1 प्रतिशत के कारण भी एफ.टी.ए. में उच्च नकारात्मक वृद्धि हुई। हालांकि, बंग्लादेश (20.3 प्रतिशत) के कारण, जो स्रोत की दृष्टि से दूसरा शीर्ष देश है, एफ.टी.ए. ने उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। यह एक न्यूनतम खर्च करने वाले पर्यटकों का देश है। भारतीय नागरिकों के प्रस्थान के दृष्टिकोण से दर्शायी गयी उनकी संख्या के हिसाब से भारत का पर्यटन आयात वर्ष 2014 में 18.3 मिलियन था, जबकि 2013 की समाप्ति पर इसकी वृद्धि 10.3 प्रतिशत थी।

7.27 घरेलू पर्यटन उस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अंशदाता है जिसे अत्यधिक लचीलेपन की आवश्यकता है। घरेलू पर्यटकों के भ्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि सी.ए.जी.आर. के घरेलू पर्यटकों के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में भ्रमण के फलस्वरूप वर्ष 1991 से 2014 के बीच 13.75 प्रतिशत रही है। वर्ष 2014 में इसमें 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा भ्रमणों की संख्या 1290.11 मिलियन तक पहुँच गयी। 2014 में घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में 5 शीर्ष राज्य थे - तमिलनाडु (327.6 मिलियन), उत्तर प्रदेश (182.8 मिलियन), कर्नाटक (118.3 मिलियन), महाराष्ट्र (94.1 मिलियन) तथा आन्ध्र प्रदेश (93.3 मिलियन)। पर्यटन क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न पहलों में 113 देशों के नागरिकों हेतु 16 विमानपत्तनों पर ई-पर्यटक वीजा (ई-टी.वी.) की सुविधा प्रदान करना शामिल है। दूसरी पहल ई.टी.वी. शुल्क (प्रभार) के पारस्परिक सिद्धांत (नियम) का संशोधन कर शुल्क को 3 नवम्बर 2015 से चार स्लैबों 0, 25 अमरीकी डालर, 48 अमरीकी डालर एवं 60 अमरीकी डालर में करना है। ई.-टी.वी. शुल्क के लिए बैंक प्रभार को भी 2 अमरीकी डालर से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2014 तथा 2015 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान कुल 39,046 तथा 4,45,300 ई.-टी.वी. धारकों ने भारत में भ्रमण किया जिसके फलस्वरूप क्रमशः 92.4 प्रतिशत तथा 1040.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

7.28 वर्ष 2014-15 में सरकार ने पर्यटन के सिलसिलेवार विकास के लिए दो योजनाएं लागू की हैं। सरकार ने लक्ष्य आधारित पर्यटन सर्किट के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना को इस तरीके से लागू किया है ताकि पर्यटन को समग्र रूप से व्यापक तथा आला पर्यटन बनाया जा सके। सरकार ने दूसरी योजना, तीर्थस्थलों के पुनरुद्धार तथा आध्यात्म विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद) को लागू किया गया है ताकि पर्यटन का विकास हो सके तथा तीर्थ स्थलों को सुन्दर बनाया जा सके तथा धार्मिक भावना से पर्यटन कर रहे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसका उद्देश्य यह भी है कि तीर्थस्थलों पर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जा सके ताकि तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सके।

7.29 चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल पोर्टल (हेल्थ केयर पोर्टल) तथा 'एडवैंटेज हेल्थ केयर इण्डिया' को लागू किया है। भारत का हेल्थ केयर पोर्टल एक वन व्यापक वन प्वाईंट सूचना स्रोत है तथा स्वास्थ्य संबंधी एवं भारत के विषय में सूचना संबंधी विषयों को कवर करता है। वर्तमान में इस योजना के तहत 143 प्रत्यायित चिकित्सा सुविधाएं कवर की गई हैं जिसमें 99 चिकित्सा केन्द्र, 28 आयुर्वेद तथा 16 स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। इस योजना में पुनरुद्धार केन्द्रों (1 विशेष श्रेणी के केन्द्र सहित) को शामिल किया गया है जो पूरे देश के टीयर-I तथा टीयर-II के शहरों में फैले हुए हैं। 05 से 07 अक्टूबर, 2015 के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, मेडिकल वैल्यू ट्रैवेल, 'एंडवैंटेज हेल्थ केयर इण्डिया' (ए.एच.सी.आई.) विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि भारत की चिकित्सा क्षमताओं का अधिक से अधिक प्रदर्शन किया जा सके। साथ ही साथ अन्य भागीदार देशों के सहयोग से स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसरों का सृजन किया जा सके। एएचसीआई के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में ही 19 से 21 सितम्बर 2016 को निर्धारित किया गया है।

पोत परिवहन

7.30 भारत के व्यापार की प्रमात्रा के संदर्भ में 95प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 68प्रतिशत व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है। 30 नवम्बर 2015 तक भारत के पास 1246 बेड़ा था जिसकी सकल टनेज (डी.डब्ल्यू.टी.) 15.37 मिलियन थी (10.45 मिलियन जी.टी.) जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय पोत परिवहन निगम का हिस्सा लगभग 36 प्रतिशत है। इनमें से 369 जहाज, जिनका कुल टनेज 13.65 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. (8.94 मिलियन जी.टी.) है जो समुद्र पारीय व्यापार की जरूरतों को पूरा करते हैं

जबकि बाकी जहाज समुद्र तटीय व्यापार की जरूरतें पूरी करते हैं। विकासशील देशों में जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा रखने के बावजूद 01 जुलाई 2015 की स्थिति के अनुसार विश्व के कुल भार टनेज व्यापार में भारत का हिस्सा 0.9 प्रतिशत का रहा है। यू.एन.सी.टी.ए.डी. के अनुसार वर्ष 2014 में भारत जिसकी 11.7 मिलियन 20 फुट इक्वीवैलेट यूनिट्स ऑफ कन्टेनर (टी.ई.यु.) थी और विश्व व्यापार में जिसका हिस्सा 1.7प्रतिशत था, कन्टेनर शिप ऑपरेशन्स की दृष्टि से विकासशील देशों में इसका 9वां स्थान आता है।

7.31 हाल ही के वर्षों में पोत परिवहन क्षेत्र काफी उथल-पुथल दौड़ से गुजर रहा है। बाल्टिक ड्राई इन्डेक्स, फ्रेट इन्डेक्स और व्यापार की मजबूती के लिए गुड प्रॉक्सी भी 20 मई 2008 को पोत परिवहन सेवाओं में मांग 11,793 से गिरकर 08 दिसम्बर 2008 को 663 पर पहुँच जाने का सूचक है। हालांकि, आगामी वर्षों में इसमें थोड़ी उछाल आई। तब से यह अपने निम्न स्तर पर है और 10 फरवरी 2016 को 290 हो गया है जो कि 2008 से भी निम्न स्तर पर है। इस तथ्य के साथ ही साथ विश्व तथा भारतीय सेवा एवं माल व्यापार वृद्धि 2009 के समान 2015 में भी नकारात्मक क्षेत्र में है जो लोचदार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पोत परिवहन स्थिति का स्पष्ट संकेत है (चित्र 7.4)।

7.32 इस स्थिति में, 1 जुलाई 2015 की 290.1 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. की विश्व ऑर्डर बुक चिंताजनक बनी हुई है जो 2016 की वितरण भाड़ा दर को प्रभावित करेगी। तथा इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आई.एम.ओ.) की यह पहल रही है कि हरित और टिकाऊ शिपिंग को बनाए रखने की लागत और बढ़ाएगी।

7.33 इस दौरान, वर्ष 1980 में भारतीय समुद्री व्यापार में भारतीय पोतों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 7.45 प्रतिशत हो गयी है। मौजूदा भारतीय बेड़ों का काल प्रभावन भी वर्ष 1999 में 15 वर्षों का था, जोकि 31 दिसंबर 2015 तक बढ़कर 17.89 वर्षों तक हो गया है। (42.42 प्रतिशत बेड़े 20 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं तथा 12.43 प्रतिशत बेड़े 15-19 वर्षों के बीच के हैं)। इसलिए, यह तत्काल आवश्यक है कि भारत के शिपिंग बेड़ों को बढ़ाया जाए। परिसंपत्तियों की कीमतों में काफी गिरावट आने के कारण, पुराने पोतों के स्थान पर नए पोतों को लाने का यह सही समय है।

7.34 शिप ब्रेकिंग सेवाओं में भारत एक अग्रणी देश बना हुआ है। वर्ष 2015 (जनवरी से जून) में पोत के पुनर्चक्रण करने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर था तथा इस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 18.3 प्रतिशत थी। शिपिंग इक्नॉमिक्स एवं लॉजिस्टिक्स संस्थान (आई.एस.एल.) शिपिंग सांख्यिकीय एवं बाजार समीक्षा के अनुसार 4.4 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. के 105 पोतों की स्क्रैपिंग में भारत की हिस्सेदारी 18.3 प्रतिशत है। तथापि, जैसा कि क्लार्कसन अनुसंधान सेवाओं 2015 के अनुसार पोत परिवहन बाजार परिदृश्य की रिपोर्ट के अनुसार,

चित्र 7.4: बाल्टिक शुष्क सूचकांक

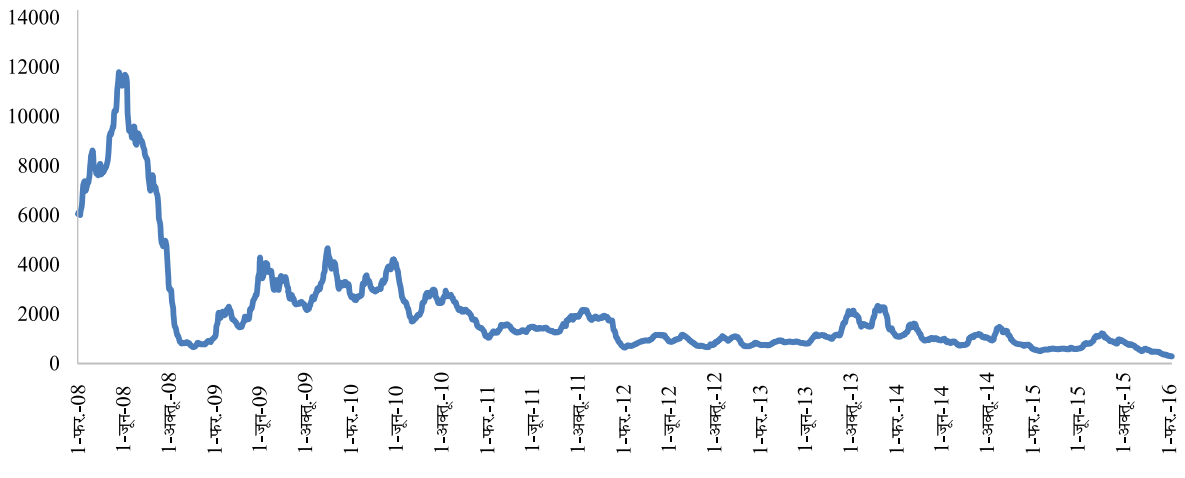

स्रोत: http://in.investing.com/indices/baltic-dry से प्राप्त किए गए आकड़ों पर आधारित

शिप ब्रेकिंग क्षेत्र काफी कठीन दौर से गुजर रहा है। टैंकर एवं विस्तारक, जो कि सितंबर 2014 में 500 एल.डी.टी. प्रति अमरीकी डॉलर के करीब थी वह पिछले छः माह में घटकर टैंकरों के लिए 375 एल.डी.टी. प्रति अमरीकी डॉलर तथा बल्क कैरियर के लिए 360 एल.डी.टी. प्रति अमरीकी डॉलर हो गया। मुख्य शिप ब्रेकिंग स्थानों पर चीन के सस्ते स्टील बिलेट का आयात भी स्क्रैपशिप की मांग में कमी होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अतिरिक्त, आई.एम.ओ. ने वर्ष 2009 में पुनर्चक्रण विषय पर हांगकांग के साथ एक सम्मेलन किया जिससे कि पोत पुनर्चक्रण की कीमत को नियंत्रित किया जा सके। अतः इसका पालन करने के फलस्वरूप यूरोपीय मालिकों से लगातार व्यवसाय कायम किया जा सकता है। इस कनवेन्शन के लिए भारतीय जहाज भंजन यार्डों की आवश्यकता होगी ताकि आगामी हांगकांग कनवेन्शन के अनुपालन में सुविधाएं तैयार की जा सकें। यद्यपि भारत ने अभी कनवेन्शन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं पर कुछ भारतीय यार्ड पहले से ही स्वेच्छा से इसका अनुपालन कर रहें हैं ताकि उन्हें आने वाले कारोबार को गंवाना न पड़े हालांकि ऐसा करने से इनकी बॉटम लाइनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

7.35 भारतीय टनेज की संवृद्धि और भारतीय निर्यात-आयात व्यापार में भारतीय जहाजों की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं जैसे कंटेनर व्यापार करने वाले भारतीय फ्लैग अधीन तटीय पोतों के लिए ईंधन को कर मुक्त करना; भारतीय जहाजों पर कार्यरत भारतीय नाविकों को आयकर में लाभ देकर भारतीय जहाजरानी उद्योग के कार्मिकों की लागत को अधिक कारगर बनाना, इंडिया कंट्रोल्ड टनेज (आईसीटी) स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को हटाना जिससे भारतीय कंपनियां सीधे विदेशी फ्लैगों के अधीन जहाजों का स्वामित्व प्राप्त कर सकती हैं और पोतों का पंजीकरण, चार्टर अनुमति की प्रक्रिया, चार्टनिंग प्रचार को ऑनलाइन करने जैसे मुद्दों के प्रक्रिया संबंधी अनुपालन सुखद बनाना।

7.36 तटीय जहाजरानी, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के लिए एक भावी दृष्टि तैयार की गई है जिसका लक्ष्य वर्ष 2019-20 तक तटीय/अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के शेयर को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है। इस पहल के मुख्य घटकों में आदि से अंत आपूर्ति श्रृंखला के रूप में तटीय जहाजरानी का विकास करना, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन और तटीय मार्गों का समकेन करना, तटीय यातायात के लिए कार्गो तैयार करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र विकसित करना, घरेलू समुद्री पर्यटन का विकास और लाइट हाउस पर्यटन का प्रचार-प्रसार करना शामिल है। अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना को विकसित करने विशेषकर जलमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है।

पत्तन सेवाएं

7.37 बड़े पत्तनों की तुलना में छोटे पत्तनों पर यातायात तीव्र दर पर बढ़ने से भारतीय बंदरगाहों से होने वाला कार्गो यातायात 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 1052.21 मिलियन टन हो गया। अप्रैल से सितम्बर, 2015 के दौरान, जब सभी पत्तनों पर कार्गो यातायात में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई तब पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बड़े पत्तनों ने 4.1 प्रतिशत की वृद्धि तथा छोटे पत्तनों ने 1.0 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई। मैरीटाइम एजेंडा में वर्ष 2020 तक के लिए 3130 मीट्रिक टन पोर्ट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 2,96,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। इस क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक भाग छोटे पत्तनों पर सृजित किया जाएगा। 2014-15 में मुख्य पत्तनों में 95.11 एमटी की अतिरिक्त क्षमता के लिए 9376.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 10 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं प्रदान की गई थीं, जिनमें बर्थ, टर्मिनल का निर्माण और मौजूदा बर्थों का यंत्रीकरण शामिल है। पत्तनों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं जैसे बड़े और आधुनिक पोतों के लिए ड्राफ्ट को 18 मीटर गहरा करना; जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास तथा कांडला में शुष्क पत्तन बनाना; प्रदूषण अनुक्रिया उपस्कर प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए वित्त उपलब्ध करवाना, आदि।

7.38 तीन पत्तन संबंधी कार्य निष्पादन के संकेतकों में औसत आमूल परिवर्तन समय से सुधार बना रहा और पूर्व बर्थ डिटेंशन में क्रमशः 2.08 दिन और 0.17 दिन की गिरावट आई और औसत आउटपुट में 2015-16 (नवम्बर, 2015 तक) में 12570 टन का सुधार आया। 2000-01 की तुलना में, इन तीन संकेतकों में आया सुधार उल्लेखनीय है, यद्यपि पहले दो संकेतकों के मामले में यह आंशिक तौर पर वैश्विक मंदी के कारण कुछ पत्तनों पर कम परिमाण निपटान की वजह से है (सारणी 7.7)।

सारणी 7.7: भारत में बंदरगाहों के कुछ कार्यक्षमता संकेतक

संकेतक	2000-01	2012-13	2013-14	2014-15	(अप्रैल-नवंबर) 2015-16
औसत बदलाव का समय (दिन)	4.2	2.6 (0.0)	2.3 (-0.3)	2.1 (-0.1)	2.08 (-0.17)
औसत पूर्व बर्थिंग समय (दिन)	1.2	0.5 (0.0)	0.3 (-0.2)	0.2 (-0.1)	0.17 (-0.06)
प्रति जहाज बर्थ दिन औसत उत्पादन (टन)	6961	11800 (688)	12468 (668)	12458 (-10)	12570 (338)

स्रोत : पोत परिवहन मंत्रालय।

टिप्पणी: पिछले साल से परिवर्तन कोष्ठकों में दिए गए हैं ।

सूचना प्रौद्योगिकी - व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (बीपीएम) सेवाएं

7.39 भारत का प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय सेवा उद्योग विश्व के सबसे गत्यात्मक क्षेत्रों में से एक है। 1990 के दशक में, जब इसकी शुरूआत हुई थी, आधारभूत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के बाद से इस उद्योग ने तेजी से प्रगति करते हुए 1990 के उत्तरार्द्ध तक कार्यपरक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा 2000 की शुरूआत में उद्यम संसाधन आयोजना तथा उत्पादकता सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था और आज यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक निर्णायक घटक बन गया है। भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं शामिल हैं। लगभग 52 प्रतिशत शेयर के साथ इसका सबसे बड़ा हिस्सा हैं। इसके बाद लगभग 20 प्रतिशत शेयर के साथ बीपीएम, लगभग 19 प्रतिशत के सम्मिलित शेयर के साथ सॉफ्टवेयर उत्पाद, इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (ईआर एवं डी) तथा उत्पाद विकास तथा लगभग 10 प्रतिशत शेयर वाला हार्डवेयर शामिल है। वर्तमान में इस उद्योग में 3.7 मिलियन से ज्यादा लोग नियोजित हैं और यह भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह उद्योग जगत में विविधता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, 34 प्रतिशत से अधिक महिला कर्मचारियों, 170,000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों और टीयर-I भारतीय शहरों से इतर शहरों से आए कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा इसका प्रमाण है।

7.40 वर्ष 2015 में आईटी-बीपीएम (व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन) पर हार्डवेयर सहित विश्वभर में किया गया व्यय 2.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर था। परंतु बहुत सी विध्वंसकारी डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कारण वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग को अस्थिर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अगले दस वर्षों में बढ़ाए गए व्यय का 80प्रतिशत ऐसी ही प्रौद्योगिकियों पर खर्च करना होगा जैसे प्लेटफॉर्म, क्लाउड आधारित एप्लीकेशन, वृहत् डाटा विश्लेषक, मोबाइल सिस्टम, सामाजिक जनसंचार और इन प्रौद्योगिकियों को शेष लेगेसी कोर प्रौद्योगिकियों के साथ समेकित करने के लिए आवश्यक सेवाएं। इन घटकों ने वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यय को भी प्रभावित किया है। वर्ष 2015 में वैश्विक मुद्राओं में होने वाले उतार-चढ़ाव से विश्वव्यापी आईटी-बीपीएम (हार्डवेयर के अलावा) व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्टतया लक्षित किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप 2015 में संवृद्धि की दर लगभग 0.4 प्रतिशत (1.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) पर ही थम गई।

7.41 आर्थिक अस्थिरता और तमिलनाडु में हुई प्रलयकारी वर्षा का स्टैंडअलोन सुविधाओं वाली छोटी और मध्यम कंपनियों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बावजूद भारत का आईटी-बीपीएम क्षेत्र दृढ़ता से डटा रहा है और नास्कॉम के अनुसार 2015-16 में सकल मूल्य वर्धन में इसका शेयर 9.5 प्रतिशत और कुल सेवा निर्यातों में इसका शेयर 45 प्रतिशत से ज्यादा रहने का अनुमान है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार भारत के स.घ.उ. में 3.5 प्रतिशत शेयर वाली कंप्यूटर और संबंधित सेवाओं में 2014-15 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.42 वर्ष 2015-16 के लिए आईटी-बीपीएम क्षेत्र का कुल राजस्व (निर्यात और घरेलू), हार्डवेयर को मिलाकर और हार्डवेयर के बिना, पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.3 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ क्रमशः 143 बिलियन

अमरीकी डॉलर तथा 129 बिलियन अमरीकी डॉलर होने की आशा है। हार्डवेयर को मिलाकर और छोड़कर किए जाने वाले निर्यात, 10.2 प्रतिशत की वृद्धि (दोनों) दर्ज करते हुए क्रमशः 108 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 107.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। घरेलू बाजार में, हार्डवेयर को मिलाकर और छोड़कर 35 बिलियन (ई-कॉमर्स को छोड़कर) डॉलर तक पहुंचने के लिए 2.9प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जो पूर्ववर्ती वर्ष में 22 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने के लिए 4.8: था। 2015-16 में ई-कॉमर्स वृद्धि 17 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने के लिए 21.4 प्रतिशत करना अपेक्षित है। तथापि आईटी-बीपीएम क्षेत्र विश्व स्तर पर बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रहा है जिससे इस पर बढ़ते हुए संरक्षणवाद का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। परिणामस्वरूप कौशल और डाटा की मुक्त उपलब्धता बाधित हो रही है। इस समय में भी भारत अपनी ओर से विभिन्न व्यावसायिक करार करके अपने बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुशल लोगों के देश से बाहर चले जाने से इस वैश्विक व्यवसाय के विकास को हानि पहुंच रही है।

7.43 भारत सरकार डिजिटल इंडिया, मेक-इन इंडिया, स्किल इंडिया, ई-गवर्नेंस और स्टार्ट-अप इंडिया जैसे सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों में आईटी क्षेत्र की मुख्य भागीदारी के साथ इस क्षेत्र को सक्रिय रूप से सहयोग दे रही है। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान में 20 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश का अनुमान है जिसमें पूरे देश में मोबाइल कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी के जरिए सरकारी प्रक्रिया का पुनःसृजन शामिल है और नागरिक सेवाओं की ई-डिलीवरी से आईटी क्षेत्र और सुदृढ़ हो जाएगा। घरेलू बाजार में व्यापक संभावनाएं हैं जिनका इस्तेमाल करना होगा। 4.5प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र भारतीय बाजार का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र बन गया है, जिसमें मोबाइल एप विकास, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर उपभोक्ता विश्लेषक उत्पादों की मांग तथा क्लाउड तथा सेवा प्रदाता सॉफ्टवेयर (एसएएएस) के बढ़ते उपयोग के कारण इसका विस्तार हो रहा है।

7.44 भारतीय प्रौद्योगिकी के स्टार्ट-अप परिदृश्य में नए स्टार्ट-अप में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है। भारत, प्रारंभिक स्टार्ट-अप के नए अवसरों के साथ स्पष्ट रूप से विश्व में प्रौद्योगिकी स्टार्ट अप का तीसरा सबसे बड़ा केन्द्र बनने की राह पर अग्रसर है। एक वर्ष के अंदर भारत में स्टार्ट-अप की संख्या 40 प्रतिशत तक बढ़ी है लगभग 1200 अतिरिक्त स्टार्ट-अप के साथ 4200 का आंकड़ा पार कर गया है जिससे 2015 में 80,000-85,000 नौकरियां सृजित हुई हैं। भारत में डिजिटल (सामाजिक, मोबाइल विश्लेषक, क्लाउड), उच्च-प्रौद्योगिकी (वर्धित रियल्टी, व्यवसायों का इंटरनेट, रोबोटिक्स) तथा अनुक्रमिक क्षेत्र (शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी, वित्त-प्रौद्योगिकी, एड-प्रौद्योगिकी) में स्टार्ट-अप किए जा रहे हैं और जो व्हाइटस्पेस की पहचान कर रहे हैं और संबंधित क्षेत्र के अनुरूप समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम के साथ इस उभरते हुए क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सेवाएं

7.45 अनुसंधान और विकास क्षेत्र में 2012-13 में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो सकल घरेलू उत्पाद का (पुरानी विधि) का 1.4प्रतिशत है। सीएसओ की नई विधि के अनुसार आर एंड डी के लिए पृथक शीर्ष नहीं हैं। यह आर एंड डी सहित व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों का हिस्सा है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 में आर एंड डी सेवाओं में क्रमशः 3.8प्रतिशत और 25.5प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत में आर एंड डी पर बहुत कम व्यय किया गया है और विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार (एसटीआई) नीति 2013 में निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भागीदारी के साथ इसे बढ़ाकर जीडीपी का 2प्रतिशत करने का विचार है।

7.46 जिनोव के वार्षिक 'वैश्विक अनुसंधान और विकास सेवा प्रदाताओं (जीएसपीआर) रेटिंग और लैंडस्केप अध्ययन 2015' में भारत के समग्र अनुसंधान और विकास वैश्वीकरण और आर एंड डी सेवा बाजार को 2015 में 20 बिलियन अमरीकी डॉलर पर दर्शाया गया था जो 2014 में 9.9 प्रतिशत से अधिक था। जहां आर एंड डी सेवा बाजार 7.76 बिलियन अमरीकी डॉलर था, आर एंड डी वैश्विक बाजार (कैपटिव) 12.25 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया था तथा भारत का आर एंड डी वैश्विक और सेवा बाजार 2020 तक लगभग दो गुना अर्थात् 38 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा। अध्ययन के अनुसार, भारत में आर एंड

डी सेवा कंपनियों में, जिनकी वैश्विक बाजार में लगभग 22 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, 12.67 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और भारत की इंजीनियरी आर एंड डी सेवाओं से 2020 तक 15-17 बिलियन अमरीकी डॉलर के योगदान का अनुमान है। इस क्षेत्र में उत्तरी अमरीका राजस्व में 55प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है।

7.47 वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार भारत की नवाचार की क्षमता अमरीका, इग्लैंड, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों से भी कम रही है **(सारणी 7.8)**। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं की गुणवत्ता के मामले में भी भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से पीछे है। चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स (ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका) राष्ट्रों की तुलना में अनुसंधान और विकास पर भारत में विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग कम होने से भी यह प्रदर्शित होता है। जनसंख्या के प्रत्येक दस लाख पर दिए जाने वाले पेटेंट में भी भारत अन्य ब्रिक्स देशों से पीछे है। अनुसंधान और विकास पर कंपनी व्यय के मामले में भी भारत चीन से पीछे है। केवल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता में भारत अन्य ब्रिक्स देशों से बेहतर स्थिति में है या उनके बराबर है।

7.48 सरकार ने भारत में आर एंड डी सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए है जिनमें आर एंड डी व्यय के लिए 200प्रतिशत भारित कर की कटौती करना तथा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफ्रॉर्मिंग इंडिया (एनआईटीआई) आयोग में अटल नवाचार मिशन (एआईएम) की स्थापना किए जाने के बारे में बजट 2015-16 में की गई घोषणाएं शामिल हैं। यह शिक्षाविदों, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए नवाचार प्रोत्साहन प्लेटफार्म होगा और भारत में नवाचार, आर एंड डी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त किए जा सकेंगे। यह प्लेटफार्म विश्व स्तरीय नवाचार केन्द्रों के नेटवर्क को भी प्रोत्साहित करेगा। प्रारंभ में इस कार्य के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) कार्यक्रम जैसे अन्य प्रयासों का उद्देश्य स्टार्ट-अप कारोबार को बढ़ावा देने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित करना है। मेक इन इंडिया, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण का गढ़ बनाना है और इम्प्रिंट (इम्पेक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी), जो भारत में संबंध 10 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मुख्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान हेतु कार्य योजना बनाने के लिए, पैन-आईआईटी तथा आईआईएसजी का संयुक्त प्रयास है, विश्व में भारत की अनुसंधान और नवाचार रैंकिंग सुधारने में मदद करेंगे।

परामर्शी सेवाएं

7.49 2015 गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान और सलाहकार कंपनी, विश्वव्यापी परामर्शी सेवा बाजार में 2013 में 118.1 बिलियन अमरीकी

सारणी 7.8: वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक: अनुसंधान एवं विकास नवाचार

देश	नवाचार के लिए क्षमता		वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की गुणवत्ता		अनुसंधान व विकास खर्च कर रही कंपनी		अनुसंधान एवं विकास पर विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग		वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता		प्रदत्ता पीसीटी पेटेंट / मिलियन आबादी	
	अंक	रैंक	अंक	रैंक	अंक	रैंक	अंक	रैंक	अंक	रैंक	अंक	रैंक
अमेरीका	5.9	2	6.1	4	5.6	3	5.8	2	5.4	4	160.3	11
यूके	5.4	10	6.3	2	4.9	17	5.7	4	4.9	18	89.9	18
दक्षिण कोरिया	4.8	24	4.8	27	4.6	21	4.6	26	4.4	40	220.7	7
दक्षिण अफ्रीका	4.6	32	4.7	33	3.8	32	4.5	31	3.4	106	6.9	46
चीन	4.2	49	4.2	42	4.2	23	4.4	32	4.5	36	13.4	32
ब्राजील	3.8	80	3.6	80	3.3	60	3.8	54	3.3	115	3.5	51
भारत	4.2	50	4.1	45	3.9	31	3.9	50	4.2	49	1.6	61
रूस	3.8	84	4	58	3.2	75	3.6	67	4.1	64	7.7	41

स्रोत: वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2015-16, विश्व आर्थिक मंच।

टिप्पणी : पीसीटी-पेटेंट सहयोग संधि।

डॉलर से 2014 में 6.1प्रतिशत बढ़कर 125.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई है। परामर्शी सेवाएं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सबसे तेजी से उभरते हुए सेवा क्षेत्रों में से हैं और इनमें से कुछ का परस्पर उपयोग करते हुए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में परामर्शी फर्म और परामर्शदाता काम कर रहे हैं। तकनीकी परामर्शी सेवाएं कुल परामर्शी सेवा बाजार का लगभग 2/3 हैं जबकि प्रबंधन परामर्शी सेवा का योगदान लगभग 1/3 है। भारत में तकनीकी परामर्शी जो कि मुख्यतया इंजीनियरिंग परामर्शी से बना है, प्लेयरों की संख्या, क्षमताओं को परामर्शी करने और परामर्शी उपक्रमों के आकार के संदर्भ में प्रबंधन परामर्शी के मुकाबले अधिक मजबूत है। दूसरी ओर भारतीय प्रबंधन परामर्शी बाजार मुख्यतया बड़े आकार के विदेशी बहुराष्ट्रीय परामर्शी फर्मों द्वारा ले लिया गया है।

7.50 तथापि, भारतीय परामर्शी उद्योग की बढ़ोत्तरी के लिए बड़े अवसर हैं, कम ब्रांड वाले इक्विटी, विदेशों में काम कर रहे भारतीय परामर्शकों को अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, स्थानीय उपस्थिति की कमी, स्ट्रेटेजिक टाइ-अप की कमी, कम स्पर्धा वाला प्रभाव, विदेशों में परामर्शी अवसरों पर बाजार प्रबुद्धता की कमी और परामर्शकों के मजबूत स्पर्धा फेमवर्क की कमी जोकि परामर्शी कार्यों की सुपुर्दगी में गुणवत्ता में वृद्धि करता है। इन मुद्दों का समाधान करते हुए भारतीय परामर्शी उद्योग की वैश्विक बाजार की बढ़ोत्तरी में सहायता कर सकता है।

7.51 भारत सरकार ने परामर्शी उद्योग की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें बाजार विकास सहायता और बाजार पहुंच पहल स्कीम; वृहत नीतियों संबंधी दिशा-निर्देश और चयन की प्रक्रियाएं, परामर्शकों की संविदा और मॉनीटरिंग; और पहल कदमियाँ जिसका उद्देश्य घरेलू परामर्शकों के क्षमता विकास और ग्राहक संगठनों का संवेदनशीलता शामिल है। सरकार द्वारा हाल में की गई पहलों में मेक-इन-इंडिया, स्मार्ट शहरों का विकास, कौशल विकास, औद्योगिक नीतियों और प्रक्रियाओं के सुधार पर केन्द्रित करने के साथ-साथ परामर्शकों के लिए अवसरों का द्वार खोल दिया है। भारतीय परामर्शी फर्मों के लिए अपार क्षमता वाली कुछेक प्रभुत्व क्षेत्र जिसमें शहर और परिवहन अवसंरचना का निर्माण, विद्युत सृजन, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत पारेषण और वितरण, सड़क और पुल, जलापूर्ति और सीवरेज, आईटी व टेलीकाम, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और विनिर्माण क्षेत्र हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र जैसे जैव प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी और अन्य अग्रिम विषयों ने भी परामर्शदाताओं के लिए अपार संभावनाएं पैदा की है। परामर्शी सेवाएं नई सेवाओं और नए भूगोलों से राजस्व संग्रहण की तलाश भी करती है और बिग, क्लाउड एम2एम और इंटरनेट जैसी चीजें वास्तविकता बन रही है।

स्थावर सम्पदा और आवास निर्माण

7.52 स्थावर सम्पदा और आवास की मालिकाना भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कारक है। वर्ष 2014-15 में भारत के सकल मूल्य वर्धन का 8.0 प्रतिशत है और यह बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गई। इनपुट सेक्टर और स्थावर सम्पदा सेवाओं में मांग की सृजन के माध्यम से बड़े अग्र और पश्च संयोजनों के चलते यह महत्वपूर्ण आय और रोजगार का सृजन भी करता है। इस क्षेत्र ने 2011-12 से 8.1 प्रतिशत सीएजीआर में वृद्धि की है। तथापि, 2012-13 में 0.6 प्रतिशत, 2013-14 में 4.6 प्रतिशत, 2014-15 में 4.4 प्रतिशत और 2015-16 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ पिछले कुछ वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है जोकि घरेलू और वैश्विक वृद्धि दोनों को कमजोर बनाता है।

7.53 आवास निर्माण क्षेत्र में बिक्रियों में होने वाली कमी ने विशेषतया उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में खरीद न किए गए आवास यूनिटों की सूची में तेज वृद्धि की है। यह अनुमान है कि मासिक बिक्री की चालू दर पर उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में खरीद न किए गए आवास स्टॉक को आमेलित किए जाने के लिए 65 महीनों की आवश्यकता होगी। पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्र में लटकने वाली संपत्ति सूची 30 और 22 महीनों पर काफी है। कमजोर बिक्री और बढ़ते मकानों की सूची के बावजूद, भारत में आवासीय कीमतों की राष्ट्रीय आवास बैंक की रेजीडेक्स इंडेक्स के अनुसार, कई नगरों और शहरों में मकानों की कीमत 2015 में बढ़ी है। वर्ष 2015 में 26 नगरों में से 20 नगरों में 2014 की तुलना में कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई। अधिकतम बढ़ोत्तरी में गुवाहाटी (9 प्रतिशत) के बाद पुणे (8 प्रतिशत) का स्थान आता है जबकि 5 में गिरावट देखी गई जिसमें चंडीगढ़ (-8

प्रतिशत) के बाद दिल्ली (-4 प्रतिशत) का स्थान आता है।

7.54 पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में पूंजी के अधिक बहिर्प्रवाह के चलते स्थावर सम्पदा की कीमतों में स्थिरता रही। यह अनुमान है कि 2015 की शुरूआत से घरेलू और विदेशी निवेशकों द्वारा लगभग 10 बिलियन अमरीकी डालर अथवा 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए थे जोकि पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक देखी गई। इसमें से अधिकांश निवेश संरचित लेन-देन और गैर-परिवर्तनीय डिबेन्चरों (एनसीडी) के माध्यम से हुई है जो लगभग 9.5 बिलियन अमरीकी डॉलर है। ये निवेश मुख्यतया इक्विटी के रूप में अवसंरचना विकास क्षेत्र में ऋण और एफडीआई अंतर्प्रवाह के रूप में अप्रैल-अक्तूबर, 2015 के बीच सिर्फ 81 मिलियन अमरीकी डालर तक रहा। ऋण निवेश के उच्च स्तर, इस क्षेत्र को अंतरिम राहत उपलब्ध कराते समय, पुर्नवित्तपोषण जोखिम पैदा करते हैं, यदि आवास बिक्री कमजोर बनी रही।

7.55 इस क्षेत्र में अन्य बड़ी बाधा प्रक्रिया संबंधी विलंब है। विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस, 2016 के अनुसार, भारत आवास निर्माण परमिट के संदर्भ में 183वां (189 अर्थव्यवस्थाओं में से) स्थान रखता है जो कि दक्षिण एशिया में 15.1 की औसत और ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) में 12.4 की औसत के मुकाबले परमिट देने के लिए औसत 40 प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। यह अनुमान है कि भारत में आवास परियोजनाओं का लगभग 25 प्रतिशत विलंब होता है। यह मुख्यतया कम परियोजना प्रबंध और विनियामक संबंधी अनुमोदन में विलंब के कारण है। परियोजना निर्माण के लिए, यह अनुमान है कि 40 विभिन्न प्रकार के अनुमोदन अपेक्षित है जोकि निर्माण करने से पूर्व 2-3 वर्ष का समय लेता है।

7.56 इस क्षेत्र की मदद के लिए 2014-15 में कई नीतिगत पहल शुरू की गई जिसमें एफडीआई नीति में संशोधन, न्यूनतम तल क्षेत्र और न्यूनतम पूंजी आवश्यकता प्रावधानों को दूर करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक ने 50 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक 75 लाख रुपए तक वैयक्तिक आवास ऋण हेतु जोखिम भार को भी घटाया है। इसके अतिरिक्त, 30 लाख रु. के ऋण हेतु इसमें ऋण मूल्य अनुपात बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया। सरकार ने सभी योजनाओं के लिए आवास निर्माण के तहत 2022 तक छह करोड़ मकान बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार ने स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने हेतु 98 शहरों के नामों की घोषणा की है जिसमें 20 शहर पहले रखने की घोषणा की है।

आंतरिक व्यापार

7.57 आंतरिक व्यापार देश में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वस्तु एवं सेवाओं का संचलन हैं। इसमें स्व-रोजगार और थोक और खुदरा व्यापार दोनों में जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। वर्तमान में, आंतरिक व्यापार नियंत्रणों की विविधता, बहुविध संगठनों और आदेशों के प्रकारों द्वारा संचालित होता है। इन्होंने देश के भीतर वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को रोकते हुए खंडित बाजार में परिवर्तित किया है। साझा बाजार के निर्माण के लिए वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह आवश्यक है जोकि क्षेत्र में व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ विशिष्टिकरण को सामर्थ्य बनाए और आर्थिक कुशलता का उच्च स्तरों को भी सामर्थ्य प्रदान कर सके। 12,31,073 करोड़ रुपए का व्यापार और मरम्मत सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 10.7 प्रतिशत के शेयर के साथ 2014-15 में यह बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गया।

7.58 खुदरा क्षेत्र जिसका महत्व बढ़ रहा है आंतरिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण घटक है। केपीएमजी-एफआई-सीसीआई (भारतीय वाणिज्यिक व उद्योग संघ) 2015 की अपनी रिपोर्ट, भारतीय खुदरा क्षेत्र का कुल आकार 2014 में 40 ट्रिलियन रुपए माना है और यह अनुमान लगाया है कि 9.6 प्रतिशत के सीएजीआर से 2020 तक 70 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा। आधुनिक खुदरा का प्रवेश इसी अवधि में चालू 9.8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत पहुंचने की उम्मीद है जोकि दुकानदारों के बीच आधुनिक खुदरा के बढ़ते अपील और साथ ही साथ दुकानदारों की उम्मीदों और व्यवहार में बदलाव द्वारा चालित होता है। खुदरा व्यापार कौशल विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें 2022 तक 58 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार मिलना अनुमानित है जोकि 2013 से 2022 तक वर्द्धित मानव संसाधन और कौशल आवश्यकता का 14 प्रतिशत है। छोटे नगरों और शहरों में संगठित खुदरा के पहुंचने के साथ ही इस क्षेत्र

में कुशल जन शक्ति की आवश्यकता होगी।

7.59 ए.टी. केथरनी के वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक (जीआरडीआर) रिपोर्ट के अनुसार, भारत का खुदरा व्यापार की रैंकिंग 2014 में 15 से बढ़कर 20 हो गई। यह मुख्यतया खुदरा बिक्रियों में हुए ठोस विस्तार और भावी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हेतु मजबूत संभावनाओं के चलते रहा। भारत की खुदरा बाजार 2020 तक 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर बढ़ने की उम्मीद है जिसमें भारत को विश्व में तेजी से बढ़ते प्रमुख विकासशील बाजार बनाना है। जैसे-जैसे खुदरा व्यापारी अपने बाजार का विस्तार करता है वैसे-वैसे स्थावर सम्पदा की उपलब्धता सबसे बड़ी बाधक बन सकती है। भारत जी जनसंख्या अमरीका की जनसंख्या से चार-गुनी परंतु माल के लिए स्थान दसवां हिस्सा होने के कारण भारत में खुदरा व्यापार के विस्तार के लिए जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। इस बाजार को अभी लंबा सफर तय करना है क्योंकि यह ऑनलाइन कुल खुदरा बाजार का महज 0.5प्रतिशत बना हुआ है। इंटरनेट प्रवेशन आबादी का केवल 20 प्रतिशत है और अवसंरचना का महत्वपूर्ण रूप से सुधार करने की आवश्यकता है।

7.60 ऐस्सोचम और डिलॉयट रिपोर्ट (अप्रैल 2015), के अनुसार ई-कामर्स बाजार में वर्ष 2010 के 4.4 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 2014 तक 13.6 बिलियन अमरीकी डालर की निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में ई-कामर्स बाजार को इंटरनेट प्रयोक्ताओं एवं ऑनलाइन खरीददारों की बढ़ती हुई संख्या के फलस्वरूप मार्च 2015 तक 16 बिलियन अमरीकी डालर तक हो जाने की संभावना है। ई-कामर्स कारोबार में ऑन-लाइन ट्रेवेल का हिस्सा लगभग 61 प्रतिशत तथा ई-टेलिंग का हिस्सा 29 प्रतिशत है। कुछ अनुमान यह इंगित करते हैं कि अगले पांच वर्षों में ई-कॉमर्स संबंधित अवसंरचना पर कम्पनी 1 बिलियन और 2 बिलियन डालर के बीच खर्च करेगा।

7.61 प्रत्यक्ष बिक्री/बहु-स्तरीय बाजार (एमएलएम) क्षेत्र पर कोई आधिकारिक डाटा उपलब्ध नहीं है। केपीएमजी - फिक्की अध्ययन दिसंबर, 2015 के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष बिक्री बाजार में पिछले पांच वर्षों में 16 प्रतिशत की सीएजीआर पर 2009-10 में 41 बिलियन रुपए से 2013-14 में 75 बिलियन रुपए तक वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में कुल रोजगार लगभग 5.8 मिलियन हैं वर्तमान में, प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों की विनियमन हेतु कोई अलग कानून मौजूद नहीं है, अतः ये मूल्य धोखाधड़ी और मुद्रा परिचालन स्कीम (प्रतिबंधित) अधिनियम, 1978 की सीधी परिधि में आता है जोकि वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रशासित होता है। चूंकि यह प्रतिबंधित करने का अधिनियम है अतः प्रतिबंधित पिरामिड/मुद्रा परिचालन स्कीम से उचित प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार से अलग करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस उपयोग के विरूद्ध उत्पीड़न/आपराधिक कार्रवाई के आरोप लगे है। इस क्षेत्र में अलग कानून के लिए आवश्यकता की जांच के लिए 12 नवम्बर, 2014 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया। गत बैठकों में लिए गए निर्णय पर आधारित, प्रारूप का दिशानिर्देश विचाराधीन है और उद्योग से जुड़े सभी पक्षों पर केन्द्रित है जिसमें परिभाषा, प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार की स्थापना हेतु शर्तें, प्रत्यक्ष विक्रेता का संव्यवहार पिरामिड स्कीम और मुद्रा परिचालन स्कीम पर प्रतिबंध, मॉनीटरिंग प्राधिकारी की नियुक्ति, क्षतिपूर्ति/कमीशन संबंधी भुगतान दण्ड का प्रावधान और उपभोक्ता की हितों की सुरक्षा शामिल है। यह समिति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यक्ष बिक्री/एमएलएम संबंधी दिशानिर्देश जारी करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

मीडिया और मनोरंजन सेवाएं

7.62 भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में विभिन्न घटक हैं जिनमें टेलिविजन, प्रिंट, फिल्में, रेडियो, संगीत, ऐनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स तथा डिजिटल एडवर्टाइजिंग शामिल हैं। इस उद्योग ने पिछले दो वर्षों से अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की है जिसमें भारत को तेजी से उभरते उद्योगों में एक बनाना है। फिक्की-केपीएमजी द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वर्ष 2013 में 918 बिलियन रुपए से वर्ष 2014 में 1026 मिलियन रुपए तक 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2019 तक 1964 बिलियन रुपए पहुंचने के लिए 13.9 प्रतिशत की सीएजीआर पर वृद्धि होने का अनुमान है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग और गेमिंग जोकि 2014 में क्रमशः 44.5 प्रतिशत और 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान है।

7.63 भारत चीन के बाद 168 मिलियन टी.वी. परिवारों के साथ जिसमें 61 प्रतिशत का टी.वी. प्रवेशन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टी.वी. बाजार है। भारत में प्रचालनरत लगभग 847 सेटेलाईट टेलीविजन चैनल, 243 एफएम रेडियो चैनल और 190 कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन हैं। भारत के प्रसारण वितरण नेटवर्क में 6000 मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) और 7 डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) आपरेटर हैं। भारत सरकार ने अपने केबल नेटवर्क को चार चरणों में डिजिटाईज करने की एक महत्वाकांक्षी कवायद शुरू की है जिससे 31 दिसंबर, 2016 तक एनालॉग टी.वी. सेवाएं पूर्णत: समाप्त हो जाएगी। डिजिटाइजेशन यदि प्राप्त कर लिया जाए तो प्रसारण के क्षेत्र में नए युग की शुरूआत कर सकेगा जैसा कि यह उपयोगकर्ताओं के लिए दृष्टि अनुभव बढ़ा सकेगा और सेवा अपग्रेड कर सकेगा। प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि राज्य और केन्द्रीय सरकारों ने महत्वपूर्ण रूप से लाभ ले लिया है जैसा कि डिजिटाइजेशन के माध्यम से ग्राहक आधार पर पारदर्शिता जोकि कर संग्रहण की वृद्धि में अग्रेषित है। 2017 तक सार्वभौमिक डिजिटाइजेशन प्राप्त करने के लिए सरकार आधुनिकीकरण और प्रसार भारती-सरकारी ब्रॉडकास्टर के अपग्रेडेशन के लिए प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास स्कीम क्रियान्वित कर रही है। भारत प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि, मिडिया प्रवेश और 3जी डिवाइसों के उपयोग के चलते खपत की मात्रा की उच्च वृद्धि का अनुभव करता रहा है। भारत में डीटीएच प्रतिवर्ष लगभग एक मिलियन की दर से भी बढ़ रहा है। भारत में एचआईटीएस तकनीकी 100 प्रतिशत डिजिटल वितरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस समय अपने सेटअप के प्रचालन के लिए भारत सरकार द्वारा दो एचआईटीएस आपरेटर को अनुमति दे दी गई है। भारतीय रेडियो उद्योग का आकार 2008 में 8.4 बिलियन रुपए से 2018 तक 33.6 बिलियन रुपए हो जाने की उम्मीद है। कई शहरों में एफएम रेडियो के लिए बड़ी मांग मौजूद है जोकि अभी तक निजी एफएम रेडियो प्रसारण द्वारा कवर नहीं की गई है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मौजूदा 243 निजी एफएम चैनलों के अलावा एफएम चरण-III के अंतर्गत 294 शहरों और नगरों में 839 और निजी एफएम रेडियो चैनलों की अनुमति दी जाए।

7.64 भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उत्पादक है जिसमें प्रत्येक वर्ष सभी भाषाओं में 1,000 से अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। भारतीय फिल्म उद्योग का आकार 2014 में 12,640 करोड़ रहा। घरेलू थियेटर इस उद्योग के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है जोकि 9,350 करोड़ का योगदान करता है। इस उद्योग में 2018 तक 18,630 करोड़ रुपए की राशि व्यय होना अनुमानित है। ओवरसीज थियेटर ने 2013 में 8.3 बिलियन रुपए से बढ़कर 2014 में 8.6 बिलियन रुपए होकर 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। हजारों स्क्रीनों में साथ-साथ फिल्म रिलिज करने के लिए वितरकों को स्क्रीनों के डिजिटाइजेशन की अनुमति दी गई है। 2015-16 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, सरकार ने भारत में फिल्म शूट करने के लिए 25 विदेशी निर्माण घरानों को अनुमति प्रदान की है। इसने हाल ही में भारत में विदेशी फिल्म निर्मातों द्वारा फिल्म शूटिंग के संवर्धन और सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फिल्म सुविधा की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में एफएफओ यूनिटों के प्रचालन हेतु राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) नमोद्दिष्ट कर दिया गया है।

7.65 एनीमेशन, विजुएल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र 13प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ वर्ष 2014 में लगभग 4,490 करोड़ रु. अनुमानित है। एनीमेशन, ग्रेमिंग और बीएफएक्स क्षेत्र में कौशल के मुद्दे का हल करने के लिए, सरकार एनीमेशन, गेमिंग और विजुएल इफेक्ट्स में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (एनसीओई) स्थापित करने पर कार्रवाई कर रही है। भारतीय सिनेमा के संवर्धन के लिए, भारत सरकार भारत और विदेश में विभिन्न फिल्म महोत्सवों/बाजारों में भाग लेती है/को आयोजित करती है जिसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएसआई) के भारतीय पैनोरमा खंड के लिए फिल्मों का चयन तथा गोवा में आईएफएफआई का आयोजन शामिल है।

डाक सेवाएं

7.66 भारतीय डाक विश्व में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क हैं और अपने विस्तृत नेटवर्क के जरिए देश में सभी नागरिकों को वहनीय डाक सेवाएं प्रदान करता है। 1.55 लाख डाकघरों में से, 1.39 लाख डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में हैं तथा शेष 15,736 शहरी क्षेत्र में है। डाक विभाग महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(एमजीएनआईजीएस) लाभार्थियों को मजदूरी संवितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिसंबर, 2015 तक डाकघरों में लगभग 6.92 करोड़ एमजीएनआरईजीएस खाते खोले गए हैं। वित्तीय समावेश के लिए, पिछले एक वर्ष में डाकघर बचत बैंक खातों की संख्या 30.86 करोड़ से बढ़कर 33.97 करोड़ हो गयी है तथा डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) खातों तथा नकद प्रमाण पत्रों की कुल जमा राशि 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गयी है। 22 जनवरी, 2015 को शुरू होने के बाद 2900 करोड़ रु. से अधिक के संचित निवेश से सुकन्या समृद्धि योजना के 80 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। 18 नवम्बर, 2014 को शुरू होने के बाद, 16429 करोड़ रु. से अधिक का निदेश आकर्षित करते हुए 1.84 करोड़ से अधिक किसान विकास पत्र बेचे गए है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) डाकघरों में डाकघर बचत बैंक खाता धारकों हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। अभी तक 1,35,000 से अधिक पालिसियाँ पीओएसबी ग्राहकों को बेची गई हैं।

7.67 4909 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में देश के सभी डाकघरों, मेल ऑफिसों, लेखा कार्यालयों तथा प्रशासनिक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग शामिल है जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये गए लगभग 1,30,000 शाखा डाकघर भी शामिल है। फिलहाल, परियोजना कार्यान्वयन अवस्था में है तथा इसके वर्ष 2017 तक पूरा होने की संभावना है। अभी तक मेल ऑफिसों तथा प्रशासनिक कार्यालयों सहित 27736 विभागीय डाकघरों का नेटवर्क एकल व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) पर तैयार किया गया है और उसे डाटा सेंटर से जोड़ा गया है। यह देश में डब्ल्यूएएन का सबसे बड़ा एकल संगठन है। नवी मुंबई में डाटा सेंटर स्थापित किया गया है और उसने अप्रैल, 2013 से कार्य करना शुरू कर दिया है जबकि आपदा राहत केन्द्र मई, 2015 में चालू किया गया है। 16,461 डाकघरों में कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीसी) शुरू किया गया है। 430 स्थानों पर एटीएम संस्थापित की गई हैं। 25,406 डाकघरों में कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन (सीआईएस-पीएलआई) शुरू किया गया है। 28 दिसंबर, 2015 को तीन प्रमुख मंडलों अर्थात राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजना शुरू की गई है।

7.68 विभाग ने अभी तक डाक पारेषण मानीटर करने तथा अधिक प्रभावी डाक वितरण करने हेतु वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) उपकरणों सहित 926 डाक ले जाने वाले वाहनों को सुसज्जित किया है। स्पीड पोस्ट की वस्तुओं/पार्सलों, विशेष रूप से ई-वाणिज्य वस्तुओं, के सुरक्षित पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए, सड़क परिवहन नेटवर्क विकास, नामक एक योजना विभाग के लिए अनुमोदित की गई है तथा 16 डाक मंडलों में उन 48 मार्गों का पता लगाया गया है जो 107 शहरों के बीच ई-वाणिज्य वस्तुओं सहित स्पीड पोस्ट की वस्तुओं के सुरक्षित पारेषण को कवर करेगा। 11 मुख्य मार्गों पर मेल और पार्सलों का कंटेनरीकृत संचालन पहले ही किया जा रहा है।

निष्कर्ष और सुझाव

7.69 सेवा क्षेत्र व्यापक अवसरों वाले उस नवीन क्षेत्र के समान है जिसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठाया गया है। मुख्य और समर्थकारी सेवाओं में अड़चनों को सुधारने की लक्ष्यगत नीति से सेवा वृद्धि और सेवा निर्यात के रूप में उच्च लाभांश प्राप्त हो सकता है, जिससे बाद में अर्थव्यवस्था उच्च विकास स्तर तक पहुँच सकती है (बॉक्स 7.2)।

7.70 भारत का सेवा क्षेत्र जिसने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के पश्चात लोचदार वृद्धि दर्शाई की है, हाल ही में दयनीय निष्पादन दर्शा रहा है। इस मंदी के बावजूद, सेवा के बहुत से खंडों के लिए उज्जवल संभावना बनी रहेगी। अवसंरचना विकास पर सरकार के ध्यान को देखते हुए, अनुकूल विनियमकारी नीतियाँ जैसे एफडीआई मानदंडों का उदारीकरण, मल्टी मॉडल लॉजिटिक्स सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि, तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्सिंग लॉजिटिक्स का बढ़ता हुआ रूप तथा वैश्विक खिलाड़ियों की प्रविष्टि से लॉजीटिक्स सेवाओं को बल मिलने की आशा है। यद्यपि, फिलहाल पोत परिवहन सेवाएं कम महत्वपूर्ण हैं, फिर भी कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ लेकर स्टॉक निर्माण हेतु पीओएल (पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक) के वर्धित आयातों के साथ, निर्यात और आयात कार्गो के कंटेनर तैयार करने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के

बॉक्स 7.2: कुछ मुख्य सेवाओं के लिए चयनित नीतिगत मुद्दे तथा सुझाव

तीन मुख्य सेवा क्षेत्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और व्यावहारिक सुझाव जो सेवा क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, नीचे दिए गए हैं :-

चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन

- ई-पर्यटक वीजा और सामान्य बीमा में सुधारों के लिए आवश्यकता जिसमें पर्यटन से फिलहाल 30 दिन पहले के स्थान पर 180 दिनों तक ईटीवी विंडों को व्यापक करने की आवश्यकता; मौजूदा सिंगल एंट्री ईटीवी के स्थान पर मल्टीपल एंट्री ईटीवी की आवश्यकता को बढ़ाना; फिलहाल 30 दिनों के स्थान पर ईटीवी के अंतर्गत रुकने की अवधि को 60 दिनों तक बढ़ाना; कुल यात्रियों को ईटीवी प्राप्त करने के लिए सहायता हेतु मुख्य पत्तनों में बायोमैट्रिक सुविधा उपलब्ध कराना; ईटीवी काउंटरों पर उचित प्रदर्शन की जरूरत; विलंब को दूर करने के लिए ईटीवी पर्यटकों हेतु काउंटरों को बढ़ाना; चिकित्सा पर्यटकों के लिए ईटीवी सुविधा बढ़ाना; अधिक बायोमैट्रिक स्थानों को प्राप्त करके विदेशी मिशनों में बायोमैट्रिक प्रक्रिया को सुचारू बनाना शामिल है।
- कर संबंधी मुद्दे जैसे सेवा कर में उपबंध खंड का स्थान न होने के फलस्वरूप पर्यटन सेवाओं को सेवा के निर्यात के रूप में नहीं माना जा रहा है और उन पर कर लगाया जा रहा है और पर्यटन सेवाओं के लिए कम वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की जरूरत जैसा कि कई ओईसीडी देशों में है।
- वित्त और निवेश संबंधी मुद्दे जिनमें वैश्विक निधि के सृजन द्वारा भारत को एक संयोजक केन्द्र के रूप में स्थापित करना, पर्यटन क्षेत्र में पुनर्निवेश में प्रयुक्त लाभों पर विशेष प्रोत्साहन जैसे कर मुक्त बॉंड्स और आयकर छूट, देने की संभावना की जांच करना; पीपीपी आधार पर तथा भारतीय विरासत के विकास में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च को मार्गीकृत करके पर्यटन अवसंरचना का विकास; उद्यम पूंजी निधियों की सहायता से पर्यटन क्षेत्र में एसएमई के लिए सहायता तथा पर्यटन क्षेत्र में एसएमई तक मुद्रा योजना के विस्तार की जांच करना; सीएसआर खर्च को मार्गीकृत करके अथवा पीपीपी मॉड के अंतर्गत लघु सांस्कृतिक भारत सहित मुख्य शहरों/कस्बों में इंडिया हाट स्थापित करना; शामिल है।
- चिकित्सा पर्यटक से संबंधित मुद्दों में चालू विखंडित पहुंच के स्थान पर ब्रॉंड इंडिया कम्पेन में चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन, जहॉं अलग-अलग अस्पताल अपने आप को अस्पताल स्थलों के रूप में संवर्धित कर रहे हैं; चिकित्सा पर्यटकों के लिए द्रुत आप्रवासन स्वीकृतियॉं; हवाई अड्डों में चिकित्सा पर्यटकों के लिए वर्धित मूलभूत अवसंरचना; चिकित्सा पर्यटकों के लिए चिकित्सा वीजा प्रक्रिया को सुचारू बनाना तथा ईटीवी का विस्तार करना; आयुर्वेद, योग और यूनानी में हमारी विशेषज्ञता को बढ़ावा देकर जराचिकित्सा का संवर्धन करना; भारतीय अस्पतालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना; चिकित्सा पर्यटकों के लिए मुद्रा विनियम जोखिम कारक को दूर करना तथा टेलीमेडिसीन का संवर्धन शामिल है।
- अन्य चीजें जैसे राष्ट्रीय क्रूज रणनीति की जरूरत; स्वच्छता और स्वस्थता के साथ रेलवे को अधिक पर्यटक अनुकूल बनाना; विदेशी यात्रियों के लिए विशेष कोटे के साथ ई-बुकिंग; भारत में सभी प्रकार के टोल के लिए ई-भुगतान हेतु स्मार्ट कार्ड प्रारंभ करना तथा पर्यटक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट; तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड मानदंडों को निर्धारित करते समय वैश्विक मानकों पर विचार करना तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भारतीय पर्यटन मेलों का आयोजन।

पोत परिवहन तथा पत्तन सेवाएं

- इस तथ्य के आलोक में निधियों हेतु सस्ती दरों पर वित्त और लम्बे कार्यकाल की जरूरत है कि भारतीय पोत पुराने हो रहे हैं तथा उनको बदले जाने की जरूरत है तथा आस्ति मूल्य अचानक कम हो गये हैं। कम से कम पोत परिवहन क्षेत्र को ऋणों के लिए लंबी अवधि का मुद्दा तत्काल हल किया जा सकता था। सही समय पर आस्तियों की अधिप्राप्ति में पोत परिवहन क्षेत्र को संस्थागत कार्यप्रणाली भी सहायता कर सकती है।
- उच्च पूंजी लागतों तथा विकर्षण के रखरखाव में गुणवत्तापूर्ण मशीनों के आयात के लिए सहायता करने की जरूरत; उपयुक्त आस्ति की नई अधिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए उधार लेने में पोत परिवहन कम्पनियों की सहायता हेतु विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के पूर्व भुगतान को अनुमति देना; उसकी खरीद के लिए एक मुक्त निलंब खाते को खोलने की अनुमति प्रदान करना जोकि फिलहाल मना है; तटीय पोत परिवहन के सभी हिस्सों के लिए बंकरों पर 'शून्य' शुल्क की अनुमति देकर भारत को बंकर हब बनाना तथा सिर्फ कंटेनरों के लिए नहीं जैसा कि फिलहाल किया जा रहा है; भारतीय उत्पादन और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) कंपनी के सृजन की संभावना का पता लगाना; पोत परिवहन कंपनियों द्वारा लिए गए ईसीबी ऋणों पर ब्याज भुगतानों संबंधी करों को रोकने से छूट का पुनर्स्थापन तथा ईसीबी निधियों के जरिए पुनर्वित्तपोषण का मुद्दा जिसकी फिलहाल पोत परिवहन क्षेत्र के लिए अनुमति नहीं, जैसे मुद्दों को हल करने की जरूरत है।
- युद्ध स्तर पर पत्तन अवसंरचना के समाधान की जरूरत और भारत में पोत सेवाओं के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च मूल्य।

साफ्टवेयर सहित आईटी

- वीजा संबंधी मुद्दों को हल करना जैसे कि एच1बी वीजा तथा एल1 वीजा पर ग्रासले-डर्बिन सुधार विधेयक (यदि अमरीकी कांग्रेस में पारित हो जाता है) का प्रभाव तथा द्विपक्षीय बातचीत द्वारा अमरीकी वीजा फीस में बढ़ोत्तरी; हार्ड एंड साफ्टवेयर उत्पादों पर ध्यान देना जो प्रतिस्पर्धात्मक हो; अपनी घरेलू एप्स का संवर्धन, स्टार्ट-अप और उद्यमिता के लिए

जारी...

व्यापक पहुँच जो फिलहाल स्टार्ट-अप इंडिया नीति के तहत की जा रही है; मूल्य वर्द्धित कर (वैट) और सेवा कर की द्वैत उगाहियों को देखते हुए प्रस्तावित जीएसटी के अंतर्गत स्पष्टता; ई-वाणिज्य कराधान मुद्दा; सरकारी कार्य के लिए जारी बकाया भुगतान लेने में कठिनाई; यू.के. तथा बहुत से अन्य देशों में आईटी सेक्टर को आर एंड डी प्रोत्साहनों के अनुरूप आईटी उद्योग में हुए आर एंड डी व्यय पर 200 प्रतिशत भारित कटौती प्रदान करना; प्रस्तावित समाप्त हो रहे एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) लाभों तथा समाप्त एसटीपीआई छूटों के आलोक में आईटी सेक्टर में प्रयोग करने हेतु सर्विसिज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) प्रदान करना; विभिन्न कर गणनाओं के लिए विनिमय दर गणनाओं में समानता और अंतर मूल्यनिर्धारण से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करना; एसटीपी के लिए विकास मार्ग को सुचारू बनाना।

भारत का सेवा क्षेत्रः निष्पादन, कुछ मुद्दे और सुझाव पर डा. एच.ए.सी. प्रसाद तथा श्री एस.एस. सिंह द्वारा कार्यकारी पत्र के पर आधारित, फरवरी, 2016

साथ पत्तनों के आधुनिकीकरण, पोत परिवहन और पत्तन सेवा क्षेत्र में सुधार की आशा की जा सकती है।

7.71 विमान के ईंधन की कीमतों में ह्रास के बाद भारतीय विमानन सेवाओं की संभावनाएँ सुधरी हैं जो भारत में एयरलाइंस के प्रचालन व्यय का लगभग 40 प्रतिशत है; नागर विमानन में एफडीआई नीतियों के उदारीकरण तथा यात्री यातायात में वृद्धि के निकट भविष्य में जारी रहने की आशा है। भारतीय खुदरा उद्योग के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है क्योंकि क्षेत्रों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत आकर्षक दीर्घकालिक खुदरा स्थल रहा है। प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रु. के आवंटन जैसी घोषणाएं, रुपे डेबिट कार्ड के जरिए बिना नकदी के लेन-देन का संवर्धन तथा ई-वाणिज्य की वृद्धि इस क्षेत्र को गति प्रदान कर सकती है।

7.72 ईटीवी द्वारा वीजा को आसान बनाने तथा पर्यटन अवसंरचना सहित पर्यटन क्षेत्र पर सरकार का ध्यान पर्यटन क्षेत्र में सुधार के मामले में मदद कर सकते थे। वैश्विक बाजार में चुनौतियों के बावजूद, भारतीय आईटी उद्योग से आशा है कि वह दोगुनी अथवा दो अंकों के समीप वृद्धि बनाए रखेगा क्योंकि भारत इस उद्योग के विभिन्न खंडों - आईटी सेवाएँ, बीपीएम, इंजीनियरिंग और आर एंड डी, इंटरनेट तथा मोबीलिटी तथा साफ्टवेयर उत्पाद - गहनता और उदारता प्रदान करता है। दूरसंचार क्षेत्र में 4जी का प्रारंभ जो कायाकल्प कर सकता है, साइबर ऑप्टिक योजना का समावेश जो सरकार के सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों में मोबाइलों की पहुंच के साथ बैंडविद्थ तथा उनके अधिक प्रयोग को बहुत अधिक बढ़ा देगा, इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र को और अधिक बढ़ा सकते थे।

7.73 समग्र रूप से, सेवा क्षेत्र की वृद्धि की संभावनाएं आशाजनक हैं जैसाकि कुछ अन्य अनुमानों द्वारा दर्शाया गया है जैसे भारत के लिए निक्कई/मार्किट सर्विसिज पीएमआई जो दिसंबर 2015 में 53.6 से बढ़कर जनवरी, 2016 में 54.3 हो गयी, यह जून, 2014 से अभी तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। तथापि, वैश्विक संवृद्धि का मंद होना अवरोधक है।

08 अध्याय

जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास

वर्ष 2015 में दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुईं : दिसंबर, 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसीसी के तहत ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन करार, और सितंबर, 2015 में संपोषणीय विकास लक्ष्यों को अपनाया जाना। पेरिस करार का उद्देश्य वैश्विक तापमान को 20 सेंटीग्रेट से नीचे रखना है। इससे विश्व कम कार्बन वाले, समुत्थानशील और सतत् विकास के भविष्य की ओर ले जाएगा; जबकि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के स्थान पर अपनाए गए संपोषणीय विकास लक्ष्य आगामी पन्द्रह वर्षों के लिए विकास एजेंडा निर्धारित करते हैं। घरेलू मोर्चे पर भी जलवायु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए गए, जिनमें ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ और भारत का महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अभीष्ट सहयोग प्रस्तुत करना शामिल हैं।

प्रस्तावना

8.2 दिसंबर, 2015 में पेरिस में 195 राष्ट्रों द्वारा पक्षों के 21वां सम्मेलन (सीओपी-21) में नए जलवायु परिवर्तन करार को अपनाना जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर एक दूसरा मुकाम प्रस्तुत करता है। पेरिस करार विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए 2020 के बाद की अवधि में जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध कार्य करने हेतु योजना प्रस्तुत करता है। इसमें जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध वैश्विक कार्यों को बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने के प्रयास किए जाते हैं। जबकि भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में यह समता और सामान्य परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं को दर्शाता है। इस नए करार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध वैश्विक जंग में प्रत्येक देश द्वारा सहयोग करने से अपने देश द्वारा अपनाए जाने वाली विधियों के आधार पर प्रत्येक देश के द्वारा महत्वाकांक्षी कार्यों को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है।

8.3 आगामी 15 वर्षों के लिए विकास लक्ष्य जो 2000 से 2015 तक अपनाए गए थे, का प्रतिस्थापन संपोषणीय विकास लक्ष्य द्वारा किया गया। इसका लक्ष्य संपोषणीय विकास की ओर अग्रसर होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और राष्ट्रीय सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। 17 संपोषणीय विकास लक्ष्य और 169 लक्ष्यों का एक नया सेट 2015 में विश्व सरकारों द्वारा अपनाया गया था।

8.4 घरेलू मोर्चे पर जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध अपने कार्यों में भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जारी है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के प्रयासों में अपने सहयोग के रूप में भारत ने अपने अभिप्रेत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित सहयोग की घोषणा की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध घरेलू प्रयासों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निहित है। अन्य प्रयासों सहित 2030 तक भारत में 2005 के स्तर की तुलना में सघउ का उत्सर्जन गहनता 35-35 प्रतिशत तक कम करने का और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के संसाधनों से 40 प्रतिशत संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

जलवायु परिवर्तन

प्रमुख देशों से उत्सर्जन

8.5 विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2015 सबसे गर्म वर्ष था, 2015 में पूर्व औद्योगिक युग से 10 सेंटीग्रेट तापमान अधिक था। यह एल नीनो और ग्रीन हाउस गैसों द्वारा गर्म करने के कारण था। औद्योगिक क्रांति के समय से मानवोद्भविक उत्सर्जन अभूतपूर्व दर से बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट 2015 के अनुसार कार्बनडाई ऑक्साइड की सघनता 1800 के मध्य में जितनी थी उससे 40 प्रतिशत अधिक है। ऊर्जा क्षेत्र ग्रील हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान करते हैं और इसके भीतर ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बनडाई ऑक्साइड का सबसे बड़ा हिस्सा है। वैश्विक उत्सर्जन प्रोफाइल दर्शाता है कि विभिन्न देशों में उत्सर्जन भिन्न-भिन्न स्तर पर है। यदि 1970-2014 से ऐतिहासिक कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन पर विचार किया जाए तो भारत 39.0 जीटी के साथ यूएसए, ईयू और चीन जैसे शीर्ष उत्सर्जक देशों से बहुत पीछे है। संयुक्त राज्य अमरीका का उत्सर्जन भारत की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है। यदि ऐतिहासिक कारकों की ओर धयान न दिया जाए और केवल मौजूदा उत्सर्जन के स्तरों पर विचार किया जाए तो संपूर्ण उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दोनों ही अर्थों में भारत तीन प्रमुख कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जक देशों से बहुत पीछे है (चित्र 8.1)। वर्ष 2014 में संपूर्ण उत्सर्जन के अर्थ में चीन शीर्ष पर है जबकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के अर्थ में संयुक्त राज्य अमरीका शीर्ष पर है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व में सबसे कम उत्सर्जक देशों की श्रेणी में आता है।

8.6 यदि विकास के भिन्न-भिन्न स्तरों और विभेदीकृत जिम्मेदारियों और समता पर विचार किया जाता है तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबकि शीर्ष चार कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जक देशों में भारत का स्थान सबसे नीचे है (चित्र 8.2)।

चित्र 8.1: 2014 में चुनिंदा देशों का ऐतिहासिक (1970-2014), संपूर्ण और प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन

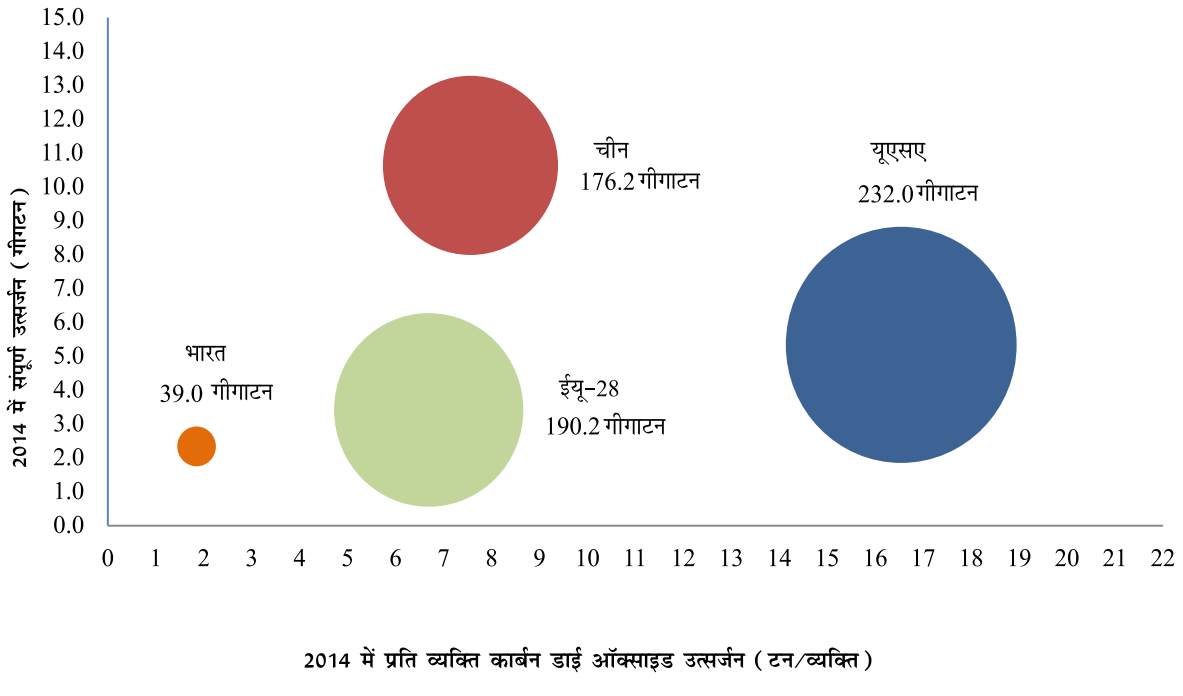

टिप्पणी: बुलबुले की चौड़ाई 1970 और 2014 के बीच संबंधित देशों के लिए कुल उत्सर्जन दर्शाते हैं और उन्हें बुलबुले के बगल में दर्शाया गया है।

स्रोत: 'कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन 2015 रिपोर्ट' में प्रयुक्त पीबीएल नीदरलैंड्स पर्यावरणीय एसेम्बली एजेंसी डेटा।

चित्र 8.2: प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति डाई ऑक्साइड उत्सर्जन

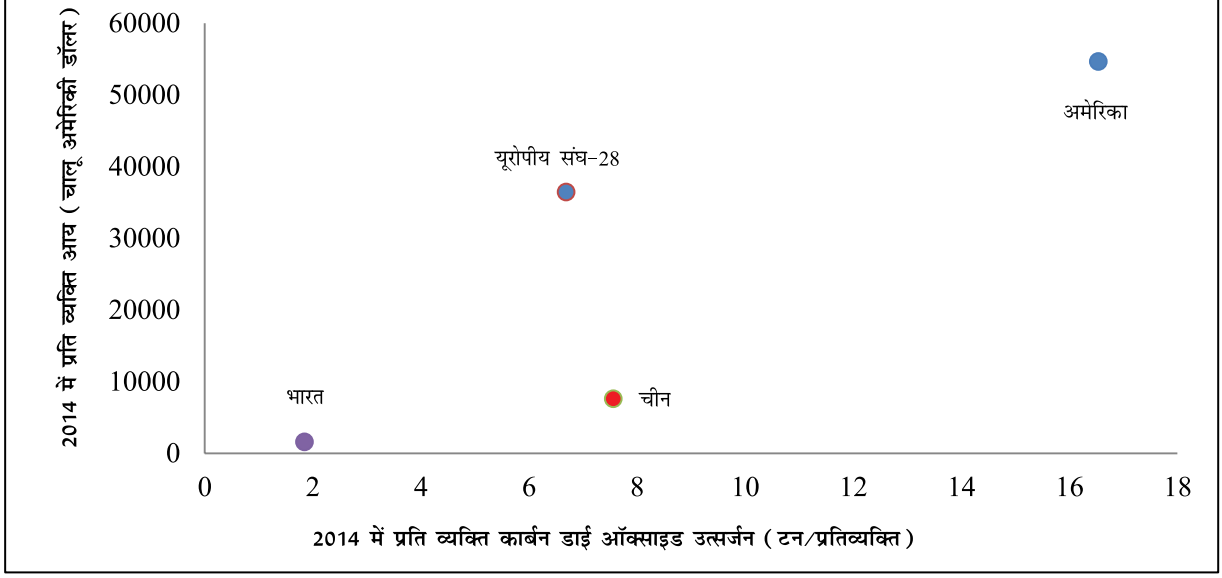

स्रोत: 'वैश्विक कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन की प्रवृत्ति 2015 रिपोर्ट' में प्रयुक्त पीबीएल नीदरलैंड्स पर्यावरणीय एसेम्बली एजेंसी डेटा।

क्षेत्रवार उत्सर्जन

8.7 विभिन्न क्षेत्रों से ईंधन दहन से कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन के अर्थ में चीन, भारत, ईयू और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए बिजली और ताप उत्पादन का बहुत अधिक योगदान है, यद्यपि पहले दो देशों के लिए यह अपेक्षाकृत अधिक है, इसके बाद भारत और चीन के लिए विनिर्माण उद्योगों का योगदान और यूएस एवं ईयू के लिए परिवहन क्षेत्र का योगदान है (चित्र 8.3)। ये संरचनात्मक पैटर्न देशों की विभिन्न प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

चित्र 8.3: विभिन्न क्षेत्रों से ईंधन दहन से कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन

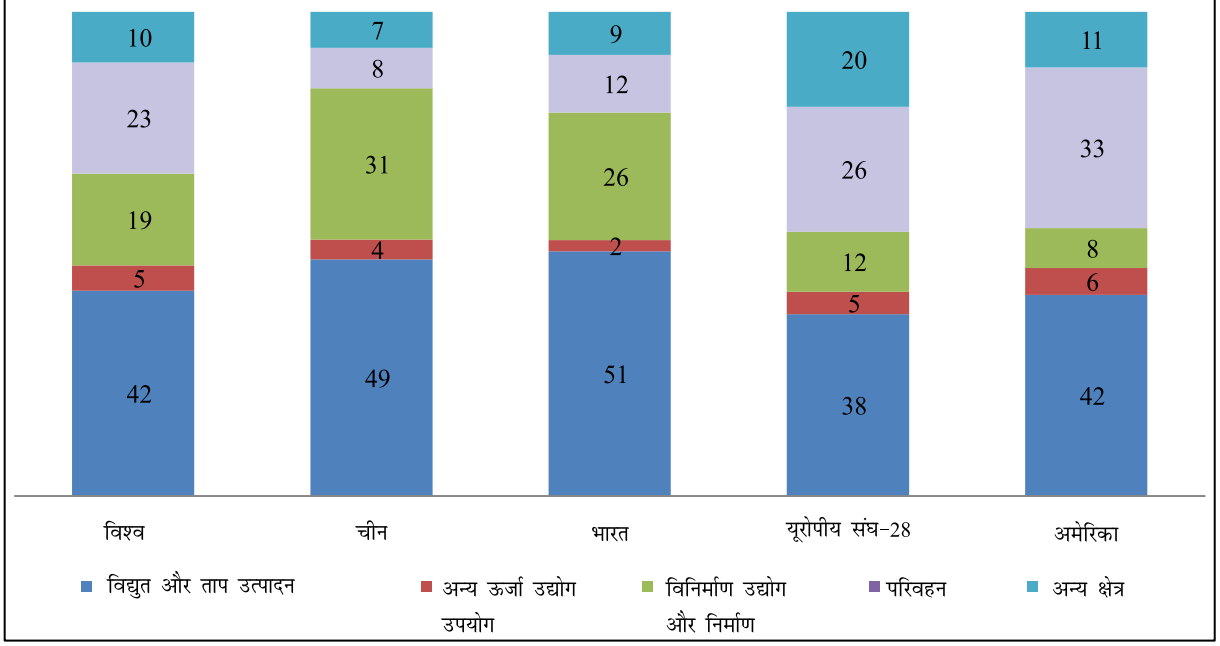

स्रोत: ईंधन दहन से आईईए कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन, ओईसीडी/आईईए, पेरिस 2015 के आंकड़ों पर आधारित

पेरिस करार

8.8 जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय में पक्षकारों (सीओपी 21) का 21वां सम्मेलन दिसंबर, 2015 के प्रथम सप्ताह में गहन बातचीत के बाद पेरिस में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसके बाद जलवायु परिवर्तन के संबंध में वर्ष 2020 के बाद के कार्यों के लिए पेरिस करार अपनाया गया। यह सार्वभौमिक करार क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेगा। क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत यह सभी देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। जलवायु, न्याय और संपोषणीय जीवन शैली जैसी अवधारणाओं पर बल देते हुए पेरिस करार पहली बार सभी राष्ट्रों को यूएनएफसीसी के तहत सामान्य सरोकार के लिए एक मंच पर लाता है। इस करार का एक मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित रखना है। पेरिस करार में 139 पैरा और 29 अनुच्छेद हैं। इसमें अभिचिन्हांकित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र समाहित हैं, जिनमें न्यूनीकरण, अनुकूलन, क्षय और क्षति, वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी, विकास और अंतरण क्षमता निर्माण, कार्य की पारदर्शिता और सहायता भी शामिल हैं (बॉक्स 8.1)।

8.9 पेरिस करार विपरीत एप्रोच पर राष्ट्रों के व्यवस्थापन पर विगत से विचलन है; जिसमें प्रत्येक देश को उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य तय करते हुए टाप डाउन एप्रोच का पालन करने का प्रयास करने की अपेक्षा ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन में कमी लाने की अपनी राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत करने की अनुमति होती है।

पेरिस करार के प्रमुख प्रावधान

8.10 सीबीडीआर-आरसी: करार के सभी स्तंभों (न्यूनीकरण, अनुकूलन, वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण, क्षमता निर्माण और कार्य की पारदर्शिता आदि) (सीबीडीआर-आरसी) का सिद्धांत बनाए रखा गया है, जो वार्ताओं के दौरान विकसित एवं विकासशील

बॉक्स 8.1: पेरिस करार की प्रमुख विशेषताएं

- पेरिस करार में विकासशील देशों द्वारा सर्वाधिक असुरक्षित देशों के हितों की रक्षा करते हुए विकास के अपने अधिकार और वातावरण के साथ विकास में सामंजस्य लाने के अपने प्रयासों को पहचानते हुए विकास के लिए अनिवार्यताओं को स्वीकार किया गया है।
- इस करार में साम्यता और साझेदारी के सिद्धांतों पर विचार करते हुए 'परिपाटी के कार्यान्वयन' में बढ़ोत्तरी करने किन्तु भिन्न राष्ट्रीय परिस्थियों को देखतें हुए विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं 'सीबीडीआर-आरसी) का आग्रह किया गया है।
- देशों से हर पांच वर्षों में राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) के नाम से जाने जानी वाली अद्यतन जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं जिससे उनके दीर्घावधिक लक्ष्यों में निरंतर बढ़ोत्तरी हो।
- करार के उद्देश्य से यह भी सुनिश्चित होता है कि यह न्यूनकारी केंद्रिक नहीं है और इसमें अन्य महत्वपूर्ण तत्व जैसे अनुकूलन, हानि और क्षति, वित्त, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और कार्य की पारदर्शिता एवं समर्थन शामिल है।
- जलवायु संबंधी कार्यों को 2020 से पूर्व अवधि में आगे ले जाया जाएगा। विकसित देश के पक्षों से 2020 तक संयुक्त तौर पर 100 बिलियन अमेरीकी डालर प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी रूपरेखा वाली वित्तीय सहायता के अपने स्तर को उठाने और साथ ही न्यूनीकरण और चालू स्तरों से वित्त अनुकूलन में पर्याप्त बढोत्तरी एवं और अधिक उपयुक्त प्रोद्यौगिकी एवं क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करते हुए 2025 से पूर्व 100 बिलियन अमेरीकी डालर से वित्त की व्यवस्था करने का नया लक्ष्य स्थापित करने का आग्रह किया गया है।
- इस करार में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करना अधिदेशित है। अन्य पक्ष भी इसमें योगदान कर सकते हैं किंतु पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर।
- विकसित देशों से आग्रह है कि वे वित्त जुटाने में सरकारी निधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर धयान देते हुए जलवायु वित्त जुटाने की अगुवाई करें, जिसमें उनके पूर्व प्रयासों से आगे प्रगति परिलक्षित हो।
- इस करार में कार्य और समर्थन दोनों के लिए सुदृढ़ पारदर्शी ढांचा शामिल है।
- जलवायु परिवर्तन का समाधान करने में प्रगति के आकलन के लिए 2023 में प्रत्येक पांच वर्ष में सभी तत्वों को शामिल करते हुए वैश्विक मदवार सूचना तैयार की जाएगी।
- पेरिस करार में अनुपालन तंत्र स्थापित किया गया है जो प्रकृति में सुविधाकारक है जिसे अलाभकारी सहचालन करने वाली विशेषज्ञ समिति ने नजरअंदाज किया है।

देशों के बीच एक विवादित विषय था। विकसित देशों का तर्क था कि 1990 के बाद से दुनिया बदल गई है और भारत और चीन जैसी तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को इस तथ्य के बावजूद काफी अधिक उत्सर्जन कटौती करनी चाहिए कि ग्रीनहाऊस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में उनका ऐतिहासिक काफी कम योगदान है।

8.11 **एनडीसी:** पेरिस करार में पक्षों को अपने अनुसमर्थन के प्रपत्र प्रस्तुत करने, प्राप्ति या करार के अनुमोदन के पहले अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित सहयोग प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तथापि, यह अपेक्षा पूर्ण समझी जाएगी यदि पक्ष ने करार में शामिल होने के पहले ही अपनी आईएनडीसी संबंधी सूचना दे दी है। जिन देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभीष्ट योगदान के लिए 2025-2030 तक की समय सीमा दी गई है, उनसे अपेक्षित है कि वे 2020 तक इन योगदानों की सूचना दें या अध्यतन करें और तदोपरांत प्रत्येक 5 वर्ष में सूचना देते रहें या अध्यतन करें। प्रत्येक पक्ष का प्रगामी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान उस समय पक्ष द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के परे प्रगति को दर्शाएगी। करार के कारगर कार्यान्वयन के लिए विकासशील देश पक्षों को सहायता देने की आवश्यकता समझी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में प्रमात्रात्मक सूचना, कार्यान्वयन की समय सीमा, संभावना और दायरा, योजना बनाने की प्रक्रिया, मानवकृत ग्रीन हाउस गैसों के लिए अनुमान और जिम्मेदारी सहित अवधारणाएं और प्रविधि संबंधी दृष्टिकोण शामिल है।

8.12 **न्यूनीकरण:** संपोषणीय विकास और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए प्रयास के संदर्भ में दीर्घावधिक तापमान वृद्धि 20 से नीच रखने के लिए करार के पक्षकार देशों का लक्ष्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ने के संबंध में यथाशीघ्र उपाय करना है। पेरिस करार विकसित और विकासशील देशों के बीच न्यूनीकरण संबंधी कार्यों के लिए तीन प्रमुख कारकों के जरिए भिन्न रूप से कार्यान्वित किया जाता है। पेरिस करार में तीन मुख्य तत्वों: (क) यह स्वीकार करना कि विकासशील देशों में अधिकतम उत्सर्जन अधिक समय लेगा (ख) विकसित देशों को न्यूनीकरण कार्रवाई में अगुवाई करने का आग्रह करना (ग) जलवायु परिवर्तन कार्रवाईयों के कार्यान्वयन के लिए विकासशील देशों के पक्षों को मुहैया कराए जाने के लिए विकासशील देशों के लिए सहायता की मांग करने के जरिए जिससे उनकी कार्रवाई में महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए अनुमति हो।

8.13 **अनुकूलन:** ग्लोबल वार्मिंग में रूझानों को देखते हुए, यदि तापमान को 2 डिग्री से. नीचे रखा जाता है फिर भी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अनुकूलन सहायता अपेक्षित होगी। करार में सतत विकास में मदद करने और 2 डिग्री. से. के संदर्भ में पर्याप्त अनुकूलन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के मद्देनजर अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुकूलन, समुत्थान सुदृढ़ करने और जलवायु परिवर्तन के लिए संवेदनशीलता में कमी करने के संबंध में वैश्विक लक्ष्य तय किया गया है। देशों से अपेक्षित है कि वे संवाद की समय सीमा और विधि के संबंध में लोच अपनाते हुए अपने अनुकूलन संवाद को आवधिक रूप से अद्यतन करें।

8.14 **वित्त पोषण:** इस करार में अन्य देशों को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए विकसित देशों को न्यूनीकरण और अनुकूलन, दोनों के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने का कानूनी बाध्यकारी दायित्व दिया गया है। करार में इसकी पुन: पुष्टि की गई है कि विकसित देश सरकारी निधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए विभिन्न प्रकार के स्रोतों, उपकरणों एवं साधनों से जलवायु हेतु वित्त जुटाने की अगुवाई करेंगे। साथ ही, विकासशील देशों की जरूरतों एवं वरियताओं को धयान में रखते हुए, 2025 से पहले 100 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष के आधार स्तर से नया सामूहिक परिमाण का लक्ष्य तय करेंगे।

8.15 यह करार विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रदत्त और जुटाई गई सहायता संबंधी सूचना

की पारदर्शिता एवं निरंतर प्रदान करने के मायने में एक कदम आगे है। यद्यपि विधियों एवं प्रक्रियाओं का निर्णय बाद में लिया जाएगा, इससे जुटाए गए वित्त के संदर्भ में दोहरी गणना से बचाव में सहायता मिलेगी।

8.16 **प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरणः** पेरिस करार में नई प्रौद्योगिकी स्थापित होने से प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण संबंधी सुदृढ़ उपबंध किए गए हैं।

8.17 इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी तंत्र और वित्तीय तंत्र के बीच अब संबंध स्थापित किया गया है ताकि अनुसंधान तथा विकास में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अनुमत हो और प्रौद्योगिकी की सुलभता सुसाध्य हो। यह विकासशील देशों की उस चिन्ता को उजागर करता है कि प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुसाध्य बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रावधान सुनिश्चित करना है।

8.18 सम्मेलन के प्रावधानों का कार्यान्वयन बढ़ाने के लिए पेरिस करार में अनुसंधान और विकास तथा नवोन्मेष पर बल दिया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी तंत्र (जिसमें प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति और जलवायु प्रौद्योगिकी केन्द्र और नेटवर्क शामिल हैं) का मार्गदर्शन करने वाला प्रौद्योगिकी ढांचा, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण से संबंधित वर्धित को बढ़ावा देने और सुसाध्य बनाने में एक कदम आगे है।

8.19 **पारदर्शिताः** यूएनएफसीसीसी के तहत कार्रवाई और सहायता तंत्र की पारदर्शिता विकसित और विकासशील देशों के लिए विभेदित है। विकसित देश पक्षों द्वारा उनके राष्ट्रीय संवाद, अर्धवार्षिक रिपोर्टों (बीआर) आदि में प्रदान की गई सूचना अंतर्राष्ट्रीय आकलन और समीक्षा (आईएआर) के अधीन है जबकि विकासशील देशों द्वारा प्रदान की गई यह सूचना अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण (आईसीए) के अधीन है। पेरिस करार के अनुसार पारदर्शिता ढांचा का निर्माण होगा और यूएनएफसीसीसी के तहत व्यवस्थाएं बढ़ाएगा और सभी देशों द्वारा दी गई सूचना की तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा होगी। तथापि, समीक्षा प्रक्रिया में विकासशील देशों की राष्ट्रीय क्षमताओं और परिस्थितियों पर उचित विचार किया जाएगा। देशों से अपेक्षित होगा कि वे स्रोतों द्वारा अपने मनुष्य कृत्यों द्वारा उत्सर्जन, और ग्रीन-हाउस गैसों को सिंक्स द्वारा दूर करने और राष्ट्रीय स्तर पर उनके निर्धारित योगदान को हासिल करने के संबंध में हुई प्रगति की नियमित सूचना दें।

8.20 **वैश्विक स्टॉक की जांचः** इस करार में उल्लेखित दीर्धावधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की प्रगति का वैश्विक स्तर पर जांच करने के लिए रूपरेखा बनाई गई गई है। यह जायजा न्यूनीकरण, अनुकूलन और कार्यान्वयन एवं सहायता के साधनों पर और साम्यता के मद्देनजर विचार करते हुए आवश्यक लक्ष्य के स्तर के संबंध में एनडीसी के जरिये संप्रेषित लक्ष्य के समग्र स्तर का आकलन होगा। पहली जांच 2023 में शुरू होना निर्धारित है।

8.21 पेरिस करार में यह निर्णय भी स्पष्ट तौर पर लिया गया है कि नया करार यूएनएफसीसीसी के अधीन है और केवल तभी लागू होगा जब कनवेंशन की कम से कम 55 पक्ष, कुल वैश्विक ग्रीन-हाउस गैस उत्सर्जन का कम से कम 55 प्रतिशत अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या दाखिल करने के अपने प्रपत्र जमा कर दिए हैं और अधिक नियमावली अथवा मार्गदर्शन की अपेक्षा वाले मुद्दों पर कार्य करने के लिए पेरिस करार (एपीए) पर नया तदर्थ कार्य समूह गठित किया गया है। जिनमें करार के लागू होने और करार के पक्षों के बैठक के रूप में सम्मेलन के पहले सत्र की तैयारी शामिल है।

8.22 आगे बढ़ते हुए स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा दक्षता और ग्रीन वित्त के लिए स्पष्ट निर्देश और सकारात्मक वातावरण प्रदान किया गया है (बॉक्स 8.2)। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर विशेष धयान दिए जाने से प्रौद्योगिकी विकास, खासतौर पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए बाजार में मजबूत संकेत जाएंगे। हालांकि, उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भविष्य में अधिकतम उत्सर्जन वर्ष की घोषणा करने का दबाव हो सकता है। नई पारदर्शी रूपरेखा के लिए नियमित तौर पर सूचना देना आवश्यक है जो एक अतिरिक्त दायित्व है।

बॉक्स 8.2: ग्रीन वित्त

ग्रीन वित्त शब्द में, हरित विकास पर बढ़ते फोकस से विगत कुछ वर्षों में काफी अधिक ध्यान आकर्षित किया है। रियो+दस्तावेज में स्पष्ट बताया गया है कि हरित अर्थव्यवस्था नीतियों का परिणाम क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हालांकि, ग्रीन वित्त की कोई सुसहमत परिभाषा नहीं है इसका आशय अधिकांश तौर पर सतत विकास परियोजनाओं और उपायों में वित्तयी निवेश का प्रवाह करना है जिनसे अधिक स्थायी अर्थव्यवथा का विकास प्रेरित होता है (ओने एटएल 2012)। ग्रीन वित्त में बैंकिंग प्रणाली को हरित बनाना, बंध पत्र बाजार को हरित बनाना और संस्थागत निवेश को हरित बनाना जैसे विभिन्न तथ्य आते हैं। ग्रीनवित्त के संबंध में कई चलती परिभाषाएं और मानदंड तैयार किए गए हैं। इसके उदाहरणों में चीन की हरित ऋण दिशानिर्देश, हरित बंध पत्रों के जलवायु बंधपत्र संबंधी प्रमाणपत्र, हरित निवेश की सूचना देने हेतु आईडीएफसी एप्रोच, विश्व बैंक/आईएफसी स्थिर रूपरेखा और यूके हरित निवेश बैंक नीतियां हैं। प्रयोग की जा रही परिभाषाओं के चालू परिदृश्य की आरंभिक समीक्षा से विषयक क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित भवन, स्थिर परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही विवादास्पद क्षेत्रों जैसे नाभिकीय और बडे पैमाने पर पनबिजली, जैव ईंधन और परंपरागत विद्युत में दक्षता हासिल करने में विभिन्न परिभाषाओं में काफी अधिक मेल है।

विगत दशक में, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय बाजारों के भीतर हरित वित्त को मुख्यधारा में लाने में प्रगति हुई है। स्वैच्छिक मानकों जैसे समानता के सिद्धांतों से कई वित्तीय संस्थानों के लिए जोखित प्रबंधन के वातावरण में सुधार हुआ है। विश्व बैंक समूह ने उधार की सतत विधियों को बढ़ाना देने के लिए विकासशील देशों के नेतृत्व में बैंकिंग नियामकों का अनौपचारिक 'स्थायी बैंकिंग नेटवर्क' स्थापित किया है। 2015 में सरकारों, बैंकों, कारोबारियों और एकल परियोजनाओं द्वारा निर्गमित हरित बंधपत्र 42 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के हैं। सार्वभौमिक तौर पर 20 से अधिक स्टाक एक्सचेंजों ने पर्यावरणीय प्रकटीकरण सबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं और कई हरित सूचकांक और हरित ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स) विकसित किए हैं। वित्त स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने एक प्रकटीकरण कार्यबल स्थापित किया है जो 2016 के अंत तक पहले चरण का कार्य पूरा करेगा। बैंक आफ इंग्लैंड और बैंक आफ चायना (चीन का औद्योगिक और व्यापारिक बैंक) सहित संस्थानों की बढ़ती संख्या में जलवायु और पर्यावरणीय नीतिगत परिवर्तनों के वित्तीय प्रभाव का आकलन करना शुरू कर दिया है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन ने हरित वित्त पोषण के लिए सब्सिडी और गारंटी कार्यक्रम तैयार किए हैं और विश्व भर में एक दर्जन से ज्यादा सरकारी वित्तपोषित निवेश बैंक चल रहे हैं। जी-20 ने भी हाल ही में हरित अध्ययन समूह (जीएफएसजी) का गठन किया है।

हरित वित्त के संबंध में एक प्रमुख मुद्दा निजी हरित वित्त जुटाने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता में सुधार करना है जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के हरित कायांतरण में आसानी हो जिसकी जी 20 सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की जा रही है। तथापि, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, निजी वित्त तत्काल आगे नहीं आएंगे और निजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के वित्तपोषण का उपयोग करना होगा।

भारत के लिए हरित विकास भी महत्वपूर्ण है हालांकि हरित वित्त ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है। महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना सौर ऊर्जा पर आधारित शहर बनाना, पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना, स्मार्ट शहर बनाना, अवसंरचना मुहैया कराना, जिसे 'स्वच्छ भारत' अथवा 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत हरित कार्य विधि माना जाता है, ऐसी गतिविधियां हैं जिनके लिए हरित वित्त आवश्यक है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के उपायों के वित्तपोषण एवं बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ उत्पादित/आयातित कोयले ('प्रदूषक तत्व' सिद्धांत) पर उपकर में से 2010-11 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) नामक कोष बनाया है। पारेषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा कारीडोर, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) सौर प्रकाश एवं कम क्षमता वाली लाइटें लगाना, एसपीबी वाटर पम्पिंग सिस्टम लगाना, एसपीबी विद्युत संयंत्र, ग्रीड कनेक्टेड रूफ टॉप एसपीबी विद्युत संयंत्र लगाना और पवन ऊर्जा की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रायोगिक परियोजना इस निधि द्वारा वित्त पोषित कुछ परियोजनाएं हैं।

अभी तक भारत में चार बैंकों ने हरित बंधपत्र जारी किए हैं। इन बंधपत्रों से होने वाले लाभ का उपयोग अधिकांशत: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे सौर पवन और वायोमास परियोजनाओं और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों के निधियन के लिए किया जाएगा और अवसंरचना और ऊर्जा कुशलता को पूरी तरह हरित माना गया है। सेबी बोर्ड ने हाल ही में हरित बंधपत्रों के लिए दिशानिर्देश अनुमोदित किए हैं।

जहाँ एक ओर सुवाह्यता एवं हरित वित्त पोषण का प्रभावी प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है।

- भारत जैसे विकासशील देश के लिए निर्धनता उन्मूलन एवं विकास अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और संसाधनों को इन विकास संबंधी आवश्यकताओं से हटाकर दूसरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। हरित वित्त पोषण को केवल नवींकरणीय ऊर्जा में निवेश तक सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत जैसे देश में संस्थापित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयला प्रौद्योगिकी में सुधार किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। वस्तुत: हरित प्रौद्योगिकी के विकास एवं अंतरण के लिए हरित वित्त पोषण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विकसित देशों में अधिकांश हरित प्रौद्योगिकियाँ निजी क्षेत्र के हाथों में हैं और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रणाली के अंतर्गत आती है और उन्हें लागत निषेधक बनाती हैं।

- हरित बांडों को निवेश बाजार में नया माना जाता है और उनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा होता है तथा इनकी अवधि भी कम होती है। उनको निवेश श्रेणी का बनाने के लिए उनसे संबद्ध जोखिम को कम किए जाने की आवश्यकता है।
- हरित वित्त पोषण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मत विधि से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके अभाव में इसका अतिरेक लेखांकन होने की संभावना हो सकती है।
- चूंकि पर्यावरणीय जोखिम का आकलन महत्वपूर्ण होता है इसलिए बैंकों को हरित वित्त पोषण प्रदान करते समय जोखिम का अत्यधिक प्राक्कलन नहीं करना चाहिए।
- वित्त का निर्धारण करने में, विशेषकर विकसित देशों में सहज उपभोग एवं अस्थिर जीवन शैली में हरित वित्त पोषण के दौरान एक प्राचल के रूप में उपभोग की अस्थिर संरचना पर भी विचार करना चाहिए।

स्रोत: जी 20 देशों के दस्तावेज एवं आंतरिक अधययन पर आधारित

संदर्भ: होहने/खोसला/फेकिते/गिलबर्ट (2012) : वर्ष 2011 में आईडीएफसी सदस्यों द्वारा संबोधित हरित वित्त पोषण का मानचित्रण, इकोफिस

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभीष्ट योगदान (आईएनडीसी)

8.23 आईएनडीसी सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसमें सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में यूएनएफसीसीसी को जानकारी प्रदान की जाती है। सीओपी19 के निर्णय (वॉरसा, 2013) के अनुसार, समस्त पक्षकारों को सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में योगदान की विधिक प्रकृति के पूर्वाग्रह के बिना अपने आईएनडीसी तैयार करने का अनुरोध किया गया था तथा उसकी जानकारी सीओपी के 21वें सत्र में पहले ही उनको प्रदान कर दी गई थी। तदनुसार, भारत ने 2 अक्टूबर, 2015 को यूएनएफसीसीसी को अपनी आईएनडीसी (बाक्स 8.3) प्रस्तुत कर दी थी।

8.24 भारत की आईएनडीसी विस्तृत है और इसमें अनुकूलन, शमन, वित्त, प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण जैसे समस्त घटक शामिल हैं। भारत का लक्ष्य समग्र उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाना तथा इस दौरान अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा क्षमता में सुधार करना है तथा इसके साथ-साथ अपने समाज के विभिन्न खंडों तथा अर्थव्यवस्था के जोखिम की संभावना वाले क्षेत्रों का संरक्षण करना है। साम्यता का सिद्धांत एवं सीबीडीआर, ऐतिहासिक उत्तरदायित्व तथा भारत की विकास संबंधी अनिवार्यता और बढ़ी हुई अनुकूलन संबंधी आवश्यकताएँ आईएनडीसी दस्तावेज में बार-बार दोहराए जाने वाली विषय वस्तु है।

बाक्स 8.3: भारत की आईएनडीसी की प्रमुख विशेषताएँ

1. संरक्षण एवं अनुशोधन की परंपराओं एवं मूल्यों के आधार पर जीवन निर्वाह की स्वस्थ एवं सतत विधि को अग्रेषित करना और उसका आगे प्रचार करना।
2. आर्थिक विकास के अनुरूपी स्तर पर जलवायु के अनुकूल एवं स्वच्छ मार्ग को अपनाना जिसका अनुसरण अब तक अन्य लोगों द्वारा किया गया था।
3. इसकी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 में 35 प्रतिशत के स्तर से घटाकर वर्ष 2030 में 33 प्रतिशत के स्तर तक करना।
4. वर्ष 2030 तक प्रौद्योगिकी के अंतरण एवं हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) सहित निम्न लागत के अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की सहायता से गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत पॉवर की अधिष्ठापित क्षमता हासिल करना।
5. वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनों एवं वृक्षों से सीओ2 के समकक्ष 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन विलय गर्त तैयार करना।
6. जलवायु परिवर्तन के जोखिम वाले क्षेत्रों विशेषकर कृषि, जल संसाधनों, हिमालयी क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन में विकास कार्यक्रमों में निवेश में बढ़ोतरी करने के द्वारा जलवायु परिवर्तन को बेहतर तरीके से अपनाना।
7. अपेक्षित संसाधनों एवं संसाधनों के अंतराल को धयान में रखते हुए इन शमन एवं अनुकूलन कार्रवाइयों को अपनाने के लिए विकसित देशों से स्वदेशी एवं नई तथा अतिरिक्त धनराशि को सुवाह्य बनाना।
8. भारत में अद्यतन जलवायु प्रौद्योगिकी के तत्काल विसरण तथा इस प्रकार की भावी प्रौद्योगिकियों के संयुक्त समन्वयी अनुसंधान एवं विकास के लिए क्षमताओं का निर्माण करना एवं स्वदेशी ढांचा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थापत्य कला तैयार करना।

8.25 भारत में विश्व के 30 प्रतिशत निर्धन रहते हैं तथा बिजली की सुविधा से रहित 24 प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या और सुरक्षित पेयजल के अभाव वाली 92 मिलियन विश्व व्यापी जनसंख्या रहती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित जोखिम की संभावनाओं के साथ यह भी अपरिहार्य है कि भारत सतत विकास की कार्यसूची के संतुलन के संदर्भ में अत्यधिक कठिन एवं जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों को धयान में रखते हुए भारत ने निर्धनता एवं खाद्य सुरक्षा के जटिल मामले का निपटान करते हुए स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता एवं निम्न उत्सर्जन तीव्रता के संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

8.26 भारत के आईएनडीसी में महत्वाकांक्षी नवींकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य मुख्यत: सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए हैं। भारत का वर्ष 2022 तक 100 जीडब्लयू से अधिक क्षमता की संभावना के साथ पवन ऊर्जा के 60 जीडब्लयू एवं सौर ऊर्जा की 100 जीडब्लयू की अधिष्ठापित क्षमता हासिल करने लक्ष्य है। वर्ष 2014 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व की संपूर्ण अधिष्ठापित सौर पॉवर क्षमता 181 जीडब्लयू थी। भारत के एक प्रमुख नवींकरणीय ऊर्जा घटक (विश्व संसाधन संस्थान, अक्टूबर, 2015) के रूप में यह लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्ट स्थिति वाला था। भारत ने भी एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि (आईएसए) की है जोकि सौर संसाधनों से समृद्ध देशों के एक गठबंधन के रूप में सामने आई जिससे वे अपनी सौर ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण के माध्यम से निर्धारित खामियों का निपटान करने के लिए समन्वय हेतु एक मंच उपलब्ध करा सकें। हालांकि, नवींकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफी बल दिया जा रहा है, फिर भी आईएनडीसी दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भविष्य में ऊर्जा उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत कोयला ही रहेगा। तथापि, कोयला आधारित बिजली संयत्रों की क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए और उनके कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। भविष्य में बिजली उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए कोयले को स्वच्छ करने की प्रौद्योगिकी अपनाना अत्यधिक जटिल होगा।

8.27 न्यूनीकरण संबंधी क्रियाकलापों के अलावा, आईएनडीसी में अनुकूलन संबंधी क्रियाकलापों को भी शामिल किया गया है। भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित आठ राष्ट्रीय मिशनों में से पांच मिशनों में कृषि, जल, वानिकी जैसे क्षेत्रों के अनुकूलन पर बल दिया गया है। इसमें ग्रामीण जीवन निर्वाह सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों पर भी बल दिया गया है। भारत की आईएनडीसी का विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा एवं वानिकी क्षेत्र में स्पष्ट एवं महत्वाकांक्षी होने के लिए स्वागत किया गया है। तथापि, यह बड़ा कार्य है जैसा कि कुछ वास्तविक आंकड़ों (सारणी 8.1) से देखा जा सकता है।

सारणी 8.1: आईएनडीसी का लक्ष्य

	वर्तमान	आईएनडीसी का लक्ष्य
पवन ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता	25.08 जीडब्लयू	वर्ष 2022 तक 60 जीडब्लयू
सौर ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता	4.88 जीडब्लयू	वर्ष 2022 तक 100 जीडब्लयू

स्रोत: नवीन एवं नवींकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संकलित आंकड़े भारत का आईएनडीसी

8.28 भारत द्वारा निर्धारित किए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वित्त साधन जुटाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक प्राक्कलनों से यह पता चलता है कि मौजूदा समय एवं वर्ष 2030 के बीच आईएनडीसी के अंतर्गत भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2014-15 के मूल्य सूचकांक पर कम से कम 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर की आवश्यकता होगी। जहाँ एक ओर, भारत के मौजूदा जलवायु वित्त पोषण का अधिकतम भाग बजटीय स्रोतों से प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर भारत केवल इन स्रोतों पर ही निर्भर नहीं है तथा वह राजकोषीय संसाधनों के साथ-साथ विनियामक स्रोतों सहित बाजार की मिश्रित प्रणालियों की सहायता भी सतर्कतापूर्वक ले रहा है। तथापि, इस तथ्य पर बल देने की आवश्यकता है कि जलवायु संबंधी कार्य योजनाओं में बढ़ोतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एक जटिल सक्षम माधयम है।

आईएनडीसी का अंतर्राष्ट्रीय आकलन

8.29 अक्टूबर, 2015 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत 'अभीष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के समग्र प्रभाव पर संश्लिष्ट रिपोर्ट' में यह उल्लेख किया गया है कि 147 पक्षकारों द्वारा 119 आईएनडीसी संसूचित जो किए गए थे जो वर्ष 2010 में 86 प्रतिशत वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन का द्योतक है। प्रस्तुत किए गए 119 आईएनडीसी में से 100 आईएनडीसी में अनुकूलन घटक शामिल था जोकि सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्रों के अनुकूलन की प्रासंगिकता तथा पक्षकारों को अपने अनुकूलन प्रयासों सहित शमन प्रयासों को सुदृढ़

बनाने के साथ-साथ उनके गहन हितों को भी परिलक्षित करता था। अधिकांश देशों के आईएनडीसी का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय था और उसको उनकी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (एनएपी) के साथ कार्यान्वित किया जा सकता था जिसमें अधिक क्षेत्र शामिल थे। अनुकूलन के अतिरिक्त, कुछ आईएनडीसी में परिमाणात्मक हानि तथा क्षति भी आकलित की गई थी। पक्षकारों द्वारा अपने आईएनडीसी कार्यान्वित करने के लिए बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया गया था।

8.30 इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में प्रस्तुत आईएनडीसी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 में सकल वैश्विक उत्सर्जन 55.2 जीटी सीओ2 समकक्ष स्तर पर तथा वर्ष 2030 में 56.7 जीटी सीओ2 समकक्ष स्तर पर हो जाएगा। आईएनडीसी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सकल वैश्विक उत्सर्जन वर्ष 2025-2030 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड परिदृश्य पर तथा 1990 में वैश्विक उत्सर्जन स्तर की तुलना में वर्ष 2025 में 34-46 प्रतिशत और वर्ष 2030 में 37-52 प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है। तथापि, वर्ष 1990 एवं वर्ष 2010 के स्तरों की तुलना में वैश्विक औसतन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में क्रमश: वर्ष 2025 में 8 से 4 प्रतिशत तक तथा वर्ष 2030 तक 9 से 5 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है।

8.31 चित्र 8.4 में वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन के संबंध में आईएनडीसी प्रस्तुत करने वाले देशों के साथ-साथ अन्य देशों द्वारा की गई वर्तमान प्रतिज्ञा के प्रभाव को दर्शाया गया है। जलवायु कार्रवाई अनुपथक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के संबंध में अंत: सरकारी पैनल (आईपीसीसी), पांचवी आकलन रिपोर्ट (एआर5) कार्यकारी समूह 3 की आधाररेखा परिदृश्य के अंतर्गत तापमान में वैश्विक बढ़ोतरी के 4.1 से 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की संभावना है जोकि इस सदी के अंत तक पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिक है। इस प्रतिज्ञा तथा आईएनडीसी के अंतर्गत वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिक लगभग 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रहने की संभावना है। एआर 5, सामान्य व्यवसाय (बीएयू) परिदृश्य के अंतर्गत ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन के वर्ष 2030 में 60-82 जीटीसीओ2ई समकक्ष के बीच रहने की संभावना है जबकि आईएनडीसी एवं इन प्रतिज्ञाओं के कार्यान्वयन के साथ इसके वर्ष 2030 में 52-55 जीटीसीओ2 समकक्ष के बीच रहने की संभावना है। 2 डिग्री सतत उत्सर्जन काफी कम है और यह 28-45 जीटीसीओ2 समकक्ष के बीच है। प्रस्तुत आईएनडीसी का

चित्र 8.4: आईएनडीसी और वैश्विक तापमान

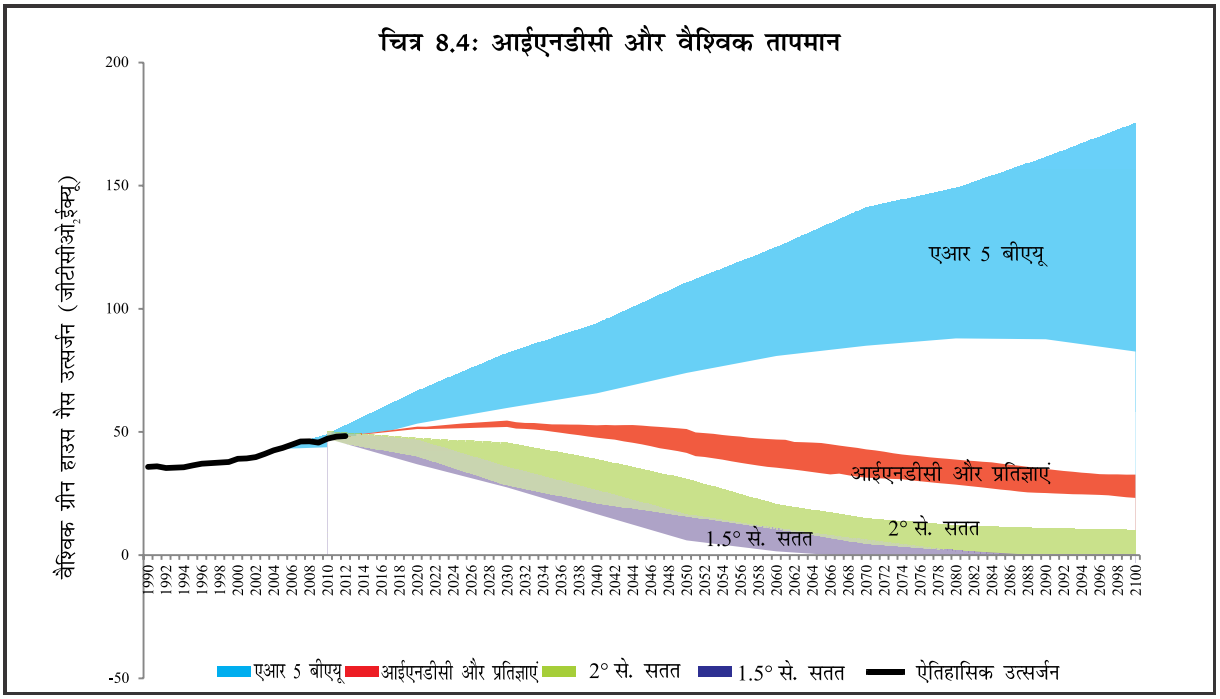

आकंड़ा स्रोत: जलवायु कार्रवाई अनुपथक परियोजा http://climateactiontracker-org/global-html

टिप्पणी: एआर5 बीएयू आईपीसीसी एआर5 कार्यकारी समूह 3 से लिए गए आधार रेखा परिदृश्य दर्शाता है।

आईएनडीसी एवं प्रतिज्ञाएं उन शर्तरहित प्रतिज्ञाओं या वायदों का संदर्भ देती है कि यह प्रतिज्ञाएं या वायदें 7 दिसंबर, 2015 को प्रस्तुत में एवं सरकार द्वारा किए गए हैं।

लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षित वित्त पोषण की मात्रा काफी अधिक होगी।

जलवायु संबंधी क्रियाकलापों के वित्त-पोषण का पता लगाना

8.32 जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना आज पूरे विश्व में नीति-निर्धारकों के लिए चुनौती भरा कार्य है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के जोखिम का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। यह जटिलता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने और उसके अनुकूलन हेतु वित्त-पोषण के रूप में उत्पन्न होती है। सम्मेलन में वित्त का प्रावधान किया गया है और पेरिस समझौते में विकासशील राष्ट्रों की अनुकूलन एवं न्यूनीकरण आवश्यकताओं को समाधान किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। जलवायु वित्त-पोषण की खोज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जलवायु वित्त-पोषण की स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण इस संबंध में किए गए हालिया आंकलनों में मतभेद पैदा हुआ है। ओईसीडी द्वारा 2013-14 में 'कलाइमेट फायनेंस इन और द 100 बिलियन यू एस डॉलर गोल' शीर्षक से जारी अद्यतन रिपोर्ट बताती है कि विकसित विकासशील देशों में जलवायु वित्त-पोषण का संग्रहण वर्ष 2014 में 62 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच चुका है। इस रिपोर्ट में बहुपक्षीय विकास बैंक (एमबीडी) ऋण, सरकारी विकास सहायता (ओडीए), कुछ निजी वित्त, निर्यात ऋण आदि को भी शामिल किया गया प्रतीत होता है जिससे यह राशि दोगुनी हो जाती है। इसमें अभी तक किए गए वादे, जमा की गई धरोहर राशि गिरवी, तथा बहु-वर्षी प्रतिबद्धता को भी शामिल किया गया है, न कि केवल जलवायु वित्त-पोषण के रूप में किए गए वास्तविक संवितरण को, ओडीए के संदर्भ में ओईसीडी की लोक जलवायु वित्त-पोषण डाटा की कवरेज में एक महत्वपूर्ण तत्व पिछले वर्ष में कम विकसित देशों (एलडीसी) को ओडीए के आबंटन में 16 प्रतिशत की कमी महत्वपूर्ण घटक है जिसे शायद, 'जलवायु संबंधी उद्देश्यों' के लिए आबंटित की जा रही कुल ओडीए के बराबर राशि के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि ओडीए को जलवायु संबंधी कार्यकलापों के लिए परिवर्तित किया जा रहा है।

8.33 पेरिस करार विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए सहयोग हेतु सार्वजनिक उपायों के माध्यम से प्रदत्त एवं संग्रहित पारदर्शी व नियमित सूचना प्रदान करने का अधिकार देता है। हालांकि, यह जलवायु वित्त-पोषण की परिभाषा के विषय में मौन है। इस प्रश्न पर कि जलवायु वित्त-पोषण यूएनएफसीसीसी के तहत वित्त एवं एसबीएसटीए पर गठित स्थायी समिति के द्वारा बाद में निर्धारित किया जाएगा, यह महत्वपूर्ण है कि इसे प्रतिबद्ध/संवितरित/नवीन संसाधनों के साथ फंडिंग के स्रोत, संदर्भ एवं उद्देश्य जैसे कुछ बुनियादी तत्वों पर प्रकाश डालना चाहिए। कुल मिलाकर जलवायु वित्त-पोषण को परिभाषित करते समय यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि इसमें किन चीजों को शामिल नहीं किया जा सकता है। विकास के लिए अभिप्रेत सहायता धन राशि को जलवायु वित्त-पोषण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बहु उद्देश्यों के लिए प्रदत्त फंड के संदर्भ में केवल जलवायु परिवर्तन के हक में जारी धन को ही जलवायु वित्त-पोषण के रूप में लिया जाना चाहिए। जलवायु वित्त-पोषण के रूप में दोहरी गणना अथवा ओडीए के कार्य हेतु जांच के लिए भी एक व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। वित्त के अनुकूल जांच तथा विकास से वित्त अनुकूलन की बढ़त को अलग करने में भी बड़ा अंतर होता है। परिणामस्वरूप, कई बार किसी परियोजना को आबंटित समस्त राशि को वित्त अनुकूलन के रूप में जाना जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। जलवायु वित्त-पोषण के निर्धारण की किसी भी प्रक्रिया में इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

बहुपक्षीय जलवायु निधियां

8.34 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधियां प्रतिभागी राष्ट्रों के अनुसार या तो बहुपक्षीय निधियां, या फिर द्विपक्षीय हो सकती हैं। निधियों को पुनः उनके विशेष ध्यान वाले क्षेत्र विशेष के अनुसार न्यूनीकरण, अनुकूलन या आरईडीडी के नाम से वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र 8.5 विभिन्न राष्ट्रों द्वारा जमा धरोहर के अनुसार उनके स्वरूप के संदर्भ में कुछ प्रमुख जलवायु निधियों के विषय में बताता है। वर्तमान में, जीसीएफ 10.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की धरोहर राशि के साथ सबसे बड़ी जलवायु निधि है। दूसरा सबसे बड़ा कोष 53 बिलियन अमरीकी डॉलर की धरोहर राशि के साथ सीटीएफ है। जीसीएफ के पूंजीकरण और 2020 पश्च सीटीएफ के सावधि विधि खंड के साथ जलवायु वित्त-पोषण संरचना में सीटीएफ की भूमिका संदिग्ध है।

जीसीएफ

8.35 हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) का गठन वर्ष 2011 में यूएनएफसीसीसी के वित्तीय तंत्र की प्रचालन संस्था के रूप में हुई थी और ऐसी अपेक्षा है कि यह विकसित राष्ट्रों की ओर से विकासशील राष्ट्रों को जलवायु संबंधी वित्त-पोषण हेतु एक प्रमुख माध्यम होगा। अभी तक हरित जलवायु कोष की धरोहर राशि 38 देशों के अंशदान से

चित्र 8.5: देशों द्वारा किए गए प्रतिज्ञाओं पर आधारित प्रमुख

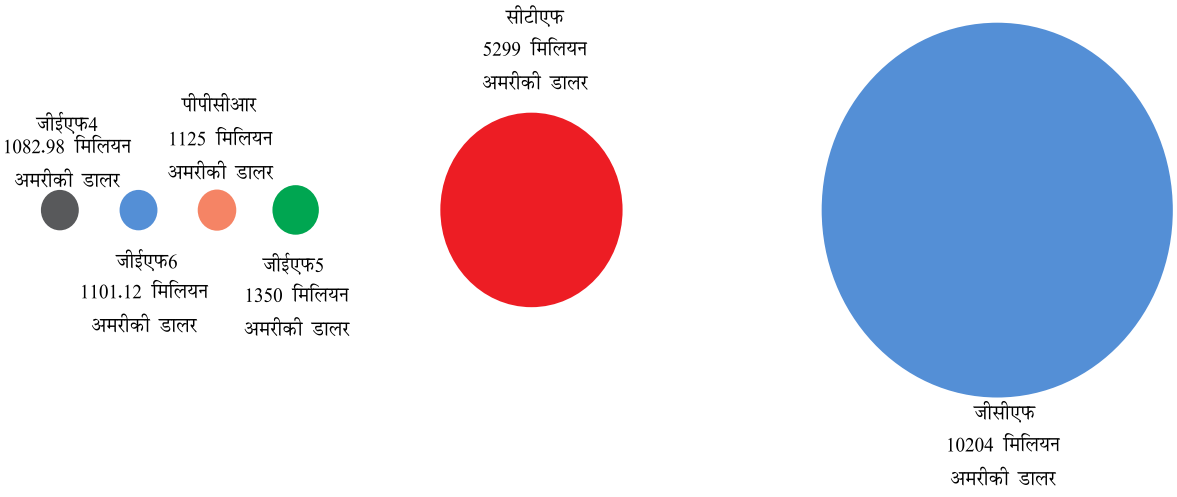

आंकड़ा स्रोत: जलवायु निधि अध्यतन वेबसाइट: -- नवम्बर 2015 के अनुसार स्थिति

10.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो चुकी है। इसमें छोटे-छोटे अंशदान के साथ कुछ विकासशील देश भी शामिल हैं। इसमें घोषित सर्वाधिक राशि यूएसए द्वारा 3 बिलियन अमरीकी डॉलर है और इसके बाद जापान (1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर), यूके (1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर), फ्रांस (1.03 बिलियन अमरीकी डॉलर) तथा जर्मनी (1.0 बिलियन अमरीकी डॉलर) का अंशदान शामिल है। इस 10.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की धरोहर राशि में से केवल 5.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जापान, यूके, फ्रांस और जर्मनी द्वारा पूर्णत: हस्ताक्षरित एवं धरोहर के रूप में परिवर्तित की जा चुकी है। यूएसए सहित कुछ देशों द्वारा अभी भी अपनी धरोहर राशि के कागजात पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी हैं। आर्रभिक संसाधन संग्रहण अवधि को 2015 से आगे बढ़ाकर 2018 कर दिया गया है। जीसीएफ बोर्ड की 11वीं बैठक (नवंबर, 2015) में बोर्ड ने परियोजना धारकों के सामने आने वाली कुछ परिस्थितियों के मद्देनजर 8 विशेष परियोजनाओं के लिए 168 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रतिबद्धता का अनुमोदन कर दिया है। बोर्ड ने वर्ष 2016 में अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता में 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुमोदन की इच्छा जतायी है।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा

8.36 जीईएफ की स्थापना पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में हुई थी। वर्तमान परियोजना चक्र 2014-18 तक के वर्षों में जीजीएफ 6 है। वर्ष 1992 में, रियोडि जेनेरो में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित सम्मेलन में जीईएफ को विकासशील देशों द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। नवंबर, 2015 तक जीईएफ ने 167 देशों में संचालित 3946 परियोजनाओं में कुल 14.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का सीधे तौर पर निवेश किया है, जिसमें से 4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश 1010 परियोजनाओं में जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण हेतु किया गया है। आज की तारीख तक, भारत ने जीईएफ अनुदान का 516.6 लाख अमरीकी डॉलर खर्च किया है जिसमें से 324.69 लाख अमरीकी डॉलर का प्रयोग जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए था जबकि 10 लाख अमरीकी डॉलर का प्रयोग जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार

8.37 यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत बहुपक्षीय रूप में सृजित स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) क्योटो प्रोटोकॉल के तहत न्यूनीकरण उपायों में से एक है। वर्ष 2020 से पूर्व की अवधि में न्यूनीकरण की इच्छा में कमी ने इसकी गति को कम कर दी है। इसके साथ ही, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन घटाने

के प्रति कमजोर इच्छा एवं क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल प्रमुख सदस्यों के बाहर हो जाने से सीईआर ऋण की मांग और कम हो गयी है। इसके अतिरिक्त, एलडीसी के प्रति सीडीएम के लाभों को कम करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण पक्षों द्वारा लिए गए एकपक्षीय निर्णय और इस भांति भारत और चीन जैसे बड़े विकासशील देशों की सीडीएम परियोजनाओं की अस्वीकृति जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को महत्वपूर्ण बनाने हेतु बाजार तंत्र की क्षमता में विश्वास को और कम कर दिया है। इस परिस्थिति में सुधार की कम संभावना के कारण इसके महत्वपूर्ण सदस्यों ने अपने कौशल एवं विशेषज्ञता के साथ इस बाजार से अपने कदम बाहर खींचने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में, एक दशक पूर्व में अपने गठन से लेकर सीडीएम सर्वाधिक गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

8.38 वर्ष 2012 से प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर) की कीमतों में गिरावट के कारण सीडीएम वर्ष 2013 से पंजीकृत हो रही परियोजनाओं की संख्या में लगातार कमी देखी गई है (चित्र 8.5)। वर्ष 2015 में केवल 64 सीडीएम परियोजनाएं पंजीकृत हुई थीं। कुल पंजीकृत 7686 परियोजनाएं थीं। वर्ष 2020 से पूर्व न्यूनीकरण की इच्छा में कमी के कारण सीईआर की मांग में कमी बने रहने की अपेक्षा है। वर्ष 2020 के अंत तक सीईआर की संभाव्य आपूर्ति 7,746,111,765 होने की अपेक्षा है।

8.39 यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत आईएनडीसी का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि कई प्रतिभागी देशों ने इस बाजार-तंत्र को प्रयोग में लाने की इच्छा व्यक्त की है अथवा वे इसके प्रति सकारात्मक रुख रखते हैं। पेरिस

चित्र 8.6: पंजीकृत सीडीएस परियोजनाओं की संख्या में वार्षिक वृद्धि

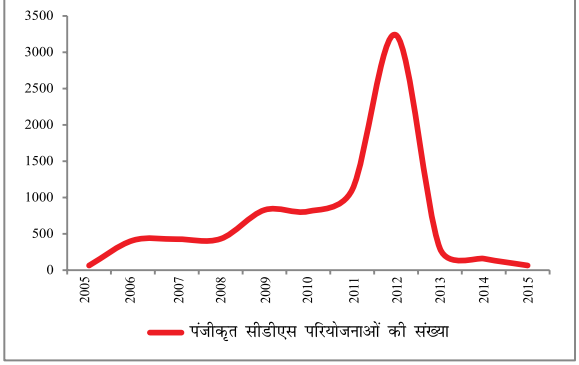

आंकड़ा स्रोत: 1 जनवरी, 2016 तक यूएनईपीडीटीयू सहभागिता सीडीएम पाइपलाइन

समझौते में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनीकरण के अंतरित परिणामों के प्रयोग द्वारा सदस्य देशों में स्वैच्छिक सहयोग का उल्लेख है। यह बताता है कि वर्ष 2020 के बाद न्यूनीकरण के संबंध में सदस्य देशों को उनकी वचनबद्धताओं को पूरा करने में सहयोग हेतु आने वाले वर्षों में बाजार आधारित तंत्र का विकास किया जाएगा। यह देखना बाकी है कि क्या क्योटो नम्यता तंत्र को वर्ष 2020 के बाद भी जारी रखा जाएगा अथवा इस तंत्र का स्वरूप क्या होगा।

8.40 बहुपक्षीय बाजार आधारित तंत्र के अलावा बहुत से क्षेत्रीय राष्ट्रीय बाजार तंत्रों का कार्यान्वयन हो रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट (2015) के अनुसार विश्व के करीब 40 देशों और 20 क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्बन कीमत निर्धारण उपाय का क्रियान्वयन हो रहा है। ये वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के एक चौथाई हिस्से को दर्शाते हैं। ये उपाय या तो कार्बन कर अथवा उत्सर्जन व्यापार योजना के रूप में हैं। विश्वभर में आज राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कम से कम 19 प्रमुख उत्सर्जन व्यापार योजनाएं कार्यान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में कार्यान्वपना एक प्रमुख क्षेत्रीय उत्सर्जन व्यापार योजना यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना (ईयू ईटीएस) है। ईयू ईटीएस में 28 यूरोपीय संघ के देशों के साथ ही साथ आइसलैंड, लाइकटेंस्टिन तथा नार्वे भी शामिल हैं।

भारत में सीडीएम परियोजनाएं

8.41 4 जनवरी, 2016 तक की स्थिति के अनुसार सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत कुल 7,685 परियोजनाओं में से 1593 भारत से हैं, जो कि 3764 पंजीकृत परियोजनाओं के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारतीय परियोजनाओं को 191 मिलियन सीसीआर जारी किए गए जो कुल जारी सीईआर का 13.27: है। ये परियोजनाएं ऊर्जा क्षमता, ईंधन परिवर्तन, औद्योगिक प्रकियान्वयन, नगर पालिका, ठोस अपशिष्ट, नवीकरणीय ऊर्जा और वानिकी क्षेत्र में हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं (इसमें भारत के सभी राज्य शामिल हैं)। लगभग 90-95 प्रतिशत सीडीएम परियोजनाएं निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे देश में लगभग 583,751 करोड़ रुपए (87.77 बिलियन अमरीकी डालर) निवेश सुसाध्य हुए हैं जो जलवायु परिवर्तन के तहत उपलब्ध कुल बहुपक्षीय अनुदानों से अधिक है।

जलवायु परिवर्तन पर घरेलू कार्य

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

8.42 जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध भारत के घरेलू कार्यों का मुख्य घटक जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना है। जलवायु परिवर्तन सबंधी प्रधानमंत्री परिषद ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशनों के अनुकूलन, न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण और उन्हें पुन: प्राथमिकता देने के संबंध में अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाने का निदेश दिया है और आठ मौजूदा मिशनों के अतिरिक्त कुछ नए मिशन स्थापित करने की सिफारिश की है। स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए इस समय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी एक नए मिशन का निरूपण किया जा रहा है और जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। प्रस्तावित अपशिष्ट से ऊर्जा मिशन, अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा और इसका लक्ष्य विद्युत उत्पादन के लिए कोयला, तेल और गैस पर भारत की निर्भरता कम करना है। राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र मिशन समस्त (लगभग 7000 किलोमीटर लंबे) तटीय क्षेत्र के लिए एकीकृत तटीय संसाधन प्रबंधन आयोजना और मानचित्रण संभावित असुरक्षा तैयार करेगा। एनएमसीए के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन का प्रबंधन और कार्यान्वयन करेगा।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना

8.43 जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए संस्थागत क्षमताओं का सृजन करना और क्षेत्रीय क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना है। इन योजनाओं का मुख्य धयान सह-लाभ के रूप में जल, कृषि, पर्यटन, वानिकी, परिवहन, निवास, ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में न्यूनीकरण के साथ अनुकूलन करना है। अब तक 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपना एसएपीसीसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं। इनमें से 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एसएपीसीसी का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय जांच समिति द्वारा समर्थन किया गया है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि

8.44 जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए 350 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ स्थापित की गई है और इसका आशय जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति विशेषकर असुरक्षित क्षेत्रों में अनुकूलन संबंधी उपायों की लागत पूरी करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय क्रियाकलापों को सहायता देना है। इस निधि का समग्र लक्ष्य ठोस अनूकूलन क्रियाकलापों की सहायता करना है जिन्हें राज्य और केंद्रीय सरकार की स्कीमों के जरिए चालू क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है जो समुदाय, क्षेत्र और राज्यों द्वारा सामना किए जा रहे जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव को कम करते हैं। अनुकूलन परियोजनाएं समुदाय और क्षेत्रीय स्तर पर असुरक्षा के जोखिम को कम करने में सहायता करती हैं। आज तक जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय जांच समिति ने 6 ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन किया है, जिनमें कुल 117.98 करोड़ रुपए की लागत शामिल है, इन्हें पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, तमिलनाडू और केरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दस और परियोजनाएं आने वाली हैं।

कोयला उपकर और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

8.45 भारत विश्व में ऐसे कुछेक देशों में है, जहां कोयला पर उपकर के रूप में कार्बन कर लगाया गया है। न केवल भारत ने ऐसे उपकर अधिरोपित किया है, अपितु यह इसे प्रगामी रूप से बढ़ा रहा है। कोयला उपकर, जो 22 जून, 2010 से प्रतिटन कोयले पर 50.00 रुपए निर्धारित किया गया था, इसे बजट 2014-15 में बढ़ाकर प्रतिटन कोयले पर 100.00 रुपए तथा 2015-16 बजट में दोगुना करके प्रतिटन 200.00 रुपए किया गया था।

8.46 राष्ट्रीय स्वच्छ निधि (एनसीईएफ) जिसे कोयले पर उपकर द्वारा सहायता दी जाती है, का सृजन स्वच्छ ऊर्जा क्रियाकलापों का वित्त पोषण करने और उन्हें बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान का या किसी अन्य संबंधित क्रियाकलापों का निधियन करने के प्रयोजन से किया गया था। आज तक अंतर मंत्रालयी समूह द्वारा 56 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है जिनके लिए वर्षभर में 34784.09 करोड़ रुपए का कुल

अर्थक्षम अंतराल निधि दी गई है। वर्ष 2015–16 के लिए एनसीईएफ परियोजनाओं हेतु बजट में 4700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। हनमामि गंगेह्न नामक एकीकृत गंगा पुनरूद्धार मिशन के लिए अर्थक्षम अंतराल निधि भी दी जा रही है।

निष्पादन उपलब्धि और व्यापार (पीएटी)

8.47 राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन के तहत पीएटी स्कीम प्रमाणित आधिक्य ऊर्जा बचत के व्यापार को अनुमत करने वाले बाजार आधारित तंत्र सहित ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत कम करने के लिए एक साधन के रूप में शुरू किया गया था। पहला पीएटी चक्र जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुआ, में आठ क्षेत्रों में 478 औद्योगिक एकक शामिल थे। इसका मॉनिटरिंग और सत्यापन का चरण एक अप्रैल, 2015 से 14 अगस्त, 2015 तक था। नामोद्दिष्ट उपभोक्ता के निष्पादन का सत्यापन प्रोद्भूत ऊर्जा लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा किया गया था। इस समय राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों और ऊर्जा क्षमता ब्यूरो द्वारा निष्पादन आकलन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के पश्चात बीईई की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करेगी जिसपर विद्युत विनिमय के माधयम से कारोबार किया जाएगा। पीएटी चक्र 2 के लिए क्रियाकलाप जैसाकि गहन करना, इसमें मौजूदा क्षेत्रों से अधिक नामोद्दिष्ट उपभोक्ता शामिल हैं और विस्तार करना अर्थात अधिकाधिक क्षेत्रों को शामिल करना पहले ही शुरू हो चुका है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रगति

8.48 नवीकरणीय ऊर्जा सरकार के लिए मुख्य केंद्र बिंदु बन गयी है। इसके लिए 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी रूप से 40 प्रतिशत विद्युत क्षमता हासिल करने हेतु सरकार महत्वाकांक्षी है। भारत इस समय विश्व में सबसे बड़ा नवीकरणीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम चला रहा है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 175 जीडब्ल्यूडब्ल्यू हो गया है, इसमें से 100 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा से, 60 जीडब्ल्यू पवन से, 10 जीडब्ल्यू वायोमास से और 5 जीडब्ल्यू लघु जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त किया जाना है।

8.49 पहला नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक निवेश संवर्धन सम्मेलन और एक्स्पो (पुन:निवेश) का आयोजन फरवरी 2015 में भारत में हितधारकों के साथ वैश्विक निवेश समुदाय को जोड़ने के लिए मंच प्रदान करने हेतु किया गया था। पुन:–निवेश श्रृंखला के लिए सम्मेलन एक्स्पो का उद्देश्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को दर्शाना और सामाजिक, आर्थिक और प्रास्थितिकीय रूप से संपोषणीय तरीके से राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु देश की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करना और बढ़ाना है। इस आयोजन में 32 देशों से 118 प्रस्तुतकर्ता 200 वैश्विक निवेशक और वित्तपोषक, 202 वक्ताओं और 2500 प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। 62,000 मेगावाट नवीकरणीय विनिर्माण सहित कुल 273,000 मेगावाट हरित वचनबद्धताएं इस आयोजन में प्राप्त हुई।

8.50 एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में सीओपी 21 में किया गया था। आईएसए पूर्णत: या अंशत: कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित 21 सौर संसाधन समृद्ध देशों के बीच परस्पर सहयोग के लिए विशेष मंच प्रदान करेगा। आईएसए का सचिवालय भारत में होगा। सरकार का दूसरा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सौर शहर कार्यक्रम विकसित करना है, जिसके अंतर्गत 56 सौर शहर परियोजनाएं अनुमोदित हुई हैं। सरकार ने 25 सौर पार्क की स्थापना करने की स्कीम का भी अनुमोदन किया है, इनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट और इससे अधिक होगी और विभिन्न राज्यों में आगामी 5 वर्षों में अल्ट्रामेगा सोलर पावर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।

8.51 एक दूसरा प्रमुख नीतिगत प्रयास, आधार रेखा से 200 नौटिकल मील (देश का ईईजेड) समुद्र की दूरी तक देश में और आसपास अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने और जल में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों सहित अपतटीय पवन विद्युत विकास में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय पवन विद्युत नीति, 2015 है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में एक अन्य विकास यह है कि पवन विद्युत के त्वरित अवक्षय लाभों को 1.4. 2015 को वापस ले लिया गया था, को 18.7.2014 को पुन: बहाल किया गया। यह उम्मीद की जाती है कि यह देश में विद्युत टरबाईन के लिए सुदृढ़ विनिर्माण आधार बनाने में सहायता करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उधार देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की प्राथमिकता को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है।

संपोषणीय विकास

8.52 संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने अपनी सितंबर 2015 में सतरहवें सत्र में 17 संपोषणीय विकास उद्देश्यों (एसजीजी) और 169 लक्ष्यों की घोषणा की है, जो अगले 15 वर्षों में कार्य को प्रोत्साहित करेगा। ये उद्देश्य, विकास के सस्त्राब्दी उद्देश्यों की जगह ले लेंगे जो 2015 के अंत में पूरे हो रहे हैं और उन क्षेत्रों में कारगर होंगे जिन्हें पहले पूरा नहीं किया जा सका। एमडीजी के विपरीत एसडीजी को यूएन इतिहास में सबसे बड़े परामर्श कार्यक्रम के बाद अपनाया गया। जून 2012 में संपोषणीय विकास पर आरआईओ +20 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, संयुक्त राज्य महासभा के मुक्त कार्य समूह ने संपोषणीय विकास मुद्दों को विस्तृत दायरे से सम्मिलित करते हुए संपोषणीय विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव रखा, जिसमें गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, शहरों को अधिक संपोषणी बनाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और समृद्ध और जंगलों की रक्षा करना शामिल हो, जो महासभा के सितंबर 2015 में अपनाए गए पश्च 2015 विकास कार्यसूची का भाग है। एसडीजी जनवरी 2016 से प्रभावी हैं और 2030 में समाप्त होंगे।

8.53 कार्यसूची में गरीबी उन्मूलन, असमानता के लड़ना, मुख्य उद्देश्य के रूप में महिला और लड़कियों का सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा सतत विकास के लिए आर्थिक एकीकरण, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम पर विशेष बल दिया गया है। सतत् विकास के लिए पुष्ट वैश्विक भागीदारी आवश्यक है जिसके तहत विकास की सूचना या अच्छे गुणवत्ता मापन पणधारकों की क्षमता बढ़ाने तथा आंकड़ों के संग्रहण के अतिरिक्त बहुपणधारक भागीदारी भी शामिल है। एसडीजी के परिणाम दस्तावेज का एक मुख्य तत्व प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा संरचना है जो नई कार्यसूची के कार्यान्वयन में मदद के लिए महत्वपूर्ण है।

8.54 भारत में एमडीजी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, प्राथमिक स्कूलों में पंजीकरण में लैंगिक समानता में पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। स्वच्छ पेयजल तक पहुंच के बिना जनसंख्या का अनुपात आधा हो गया है और गरीबी उपशमन करने के लक्ष्य पर अग्रसर है। परंतु भारत सार्वभौमिक प्राथमिक विद्यालय में पंजीकरण, बाल और शिशु मृत्यु में कमी लाने और पर्याप्त स्वच्छता सुलभता सुधारने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी पीछे है। एमजीडी की तुलना में एसजीडी का बहुत व्यापक लक्ष्य है और 169 लक्ष्यों में से प्रत्येक का संकेतक पाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसके अलावा, एसजीडी लक्ष्यों को हासिल करने में वित्तपोषण और पर्याप्त निगरानी तंत्र की मुख्य चुनौती पेश आएगी एमडीजी से प्रेरित होकर भारत को एचडीजी के लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि प्रत्येक लक्ष्य को लक्षित करना मुश्किल होगा।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के संबंध में साझे फ्रेमवर्क और एसडीजी के समुच्चय पर एक ही वर्ष में विश्व के विभिन्न देशों को सहमत करना वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परंतु इन दोनों के तहत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक धन जुटाना और अलग-अलग देशों की आईएनडीसी पर ध्यान देते हुए कार्यान्वित करने के लिए स्पष्ट कार्य योजना का होना अधिक महत्वपूर्ण है। पेरिस करार के सफल कार्यान्वयन के लिए, एसडीजी और आईएनडीसी में रखे गए महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए काफी अधिक वित्त साधनों की आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें महज बजट संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों रूप से निजी वित्तपोषण के साथ-साथ सरकारी वित्तपोषण जुटाना महत्वपूर्ण होगा।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

09
अध्याय

किसी देश का आर्थिक निष्पादन सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धियों से आगे जाता है और अवसरों में बढ़ोतरी और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आवासीय सुविधाओं जैसी सामाजिक अवसंरचना में सुधार : राष्ट्रिकों के रोजगार और नियोजनीयता, गरीबों का अनुपात और संख्या के स्तरों के उन्नयन पर केन्द्रित होता है और यह नामांकन व साक्षरता अनुपात, मृत्यु दर, प्रतिरक्षण का विस्तार, प्रमुख बीमारियों पर नियंत्रण, स्वच्छ पेयजल व शौचालयों तक पहुंच जैसे व्यष्टि सूचकांकों द्वारा प्रतिबिंबित होता है और सकल मानव विकास सूचकांक, जिसकी वार्षिक रूप में राज्यवार गणना की जरूरत है, द्वारा अभिग्रहित किया जाता है।

9.2 अपनी सकारात्मक बाह्यताओं के चलते सामाजिक अवसंरचना की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनुभव से सिद्ध और व्यापक रूप से अभिज्ञात है कि शिक्षा व स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था करके मानव पूंजी में निवेश करना जनता की उत्पादकता और जनसंख्या के कल्याण में वृद्धि करता है। एसआरएस 2013 के अनुसार, भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या (15-59 वर्ष) का अनुपात 1991 से 2013 के दौरान 57.7 प्रतिशत से बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गया है। यदि भारत को आगामी वर्षों में 'जनसांख्यिकी लाभांश' के लाभ लेने हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक अवसंरचना में वांछित शैक्षिक व स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए निवेशों को उपयुक्त माप में लगाना होगा। भारत को विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादनकारी रोजगार हेतु मानव क्षमता बढ़ाने व जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के समुचित प्रयोग के जरिए सामाजिक अवसंरचना तक पहुंच में अंतरों को पाटने पर केंद्रित रहते हुए बहु-आयामी कार्ययोजना बनानी होगी।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्तियां

9.3 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 2008-09 से 2014-15 की अवधि के दौरान लगभग 3 प्रतिशत पर मंडराता रहा है। इसी प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर व्यय में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जो इसी अवधि के दौरान 2 प्रतिशत से कम पर रुकी हुई है। वर्ष 2013-14 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय 11.6 प्रतिशत जबकि 2013-14 में स्वास्थ्य पर व्यय 4.6 प्रतिशत हुआ था (सारणी 9.1)।

9.4 राज्य स्तर पर 2013-14 में शिक्षा पर कुल राज्य पूंजीगत व्यय 110894 मिलियन रुपए था। इसमें से, लगभग 12 प्रतिशत पर व्यय में सबसे अधिक हिस्सा तमिलनाडु का था और उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश का अंशदान 8.67 प्रतिशत और गुजरात का अंशदान 6.67 प्रतिशत का स्थान आता है। तथापि, शिक्षा में प्रति विद्यार्थी व्यय के संदर्भ में सिक्किम और गोवा ने 2000 रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं।

सारणी 9.1: सरकार (केंद्र और राज्य) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय के रुझान

मद / वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 सं.अ.	2015-16 ब.अ.
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में								
कुल व्यय	28.4	28.6	27.6	27.4	27.0	26.2	28.1	27.0
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.8	6.9	6.8	6.6	6.6	6.5	7.0	6.7
जिसमें:								
i) शिक्षा	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.0
ii) स्वास्थ्य	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
iii) अन्य	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2	2.3	2.6	2.4
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में								
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	23.8	24.1	24.7	24.0	24.4	24.8	24.9	24.9
जिसमें:								
i) शिक्षा	10.1	10.6	11.4	11.4	11.6	11.6	10.9	11.2
ii) स्वास्थ्य	4.6	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6	4.8	4.9
iii) अन्य	9.0	8.7	8.6	8.0	8.2	8.6	9.1	8.9
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में								
i) शिक्षा	42.6	44.1	46.1	47.7	47.5	46.7	44.0	44.9
ii) स्वास्थ्य	19.5	19.7	19.0	19.0	19.1	18.6	19.3	19.5
iii) अन्य	37.9	36.1	34.9	33.3	33.4	34.7	36.7	35.6

स्रोत: केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

टिप्पणी: 1. सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; जलापूर्ति और स्वच्छता; आवास, शहरी विकास; अ.जा., अ.ज.जा. व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण; श्रम और श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषाहार, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत; आदि शामिल हैं।

2. 'शिक्षा' पर व्यय 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' पर व्यय से संबंधित है।

3. 'स्वास्थ्य' पर व्यय में 'चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य', 'परिवार कल्याण और जलापूर्ति व स्वच्छता' पर व्यय शामिल हैं।

4. राज्यों के 2013-14 से बाद के आंकड़े अनंतिम हैं और 25 राज्य सरकारों के बजटों से संबंधित हैं।

5. वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के सघउ के आंकड़े नए आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित हैं।

तमिलनाडु ने शिक्षा में प्रति विद्यार्थी लगभग 726 रुपए खर्च किए। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने क्रमशः 37 रुपए और 40 रुपए की निम्न राशि खर्च की है।

9.5 यद्यपि सामाजिक क्षेत्रों में शिक्षा पर व्यय ने वर्धमानकारी प्रवृत्ति प्रतिबिंबित नहीं की है, तुलनात्मक रूप से व्यय में वृद्धि सदैव समुचित परिणामों व उपलब्धियों की गारंटी नहीं होती है। अब तक हुए व्यय की दक्षता विभिन्न सामाजिक संकेतकों के जरिए सामाजिक क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन अर्थ में सामाजिक क्षेत्र में हुए खर्च का समग्र मूल्यांकन दर्शाता है कि शैक्षिक परिणामों व स्वास्थ्य परिणामों में भारी अंतराल है और भारत में असमानताएं दूर करने के लिए बड़े सुधार करने की जरूरत है।

शैक्षिक चुनौतियां

9.6 शिक्षा की प्रास्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (एएसईआर) 2014 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन की प्रवृत्तियां सरकारी विद्यालयों में नामांकन की प्रतिशतता में गिरावट दर्शाती हैं जो 2007 में 72.9 प्रतिशत से 2014 में 63.1 प्रतिशत हो गई है। यह गिरावट अंशतः निजी विद्यालयों द्वारा की गई है जिन्होंने नामांकन में वृद्धि दर्ज की है जो 2007 में 20.2 प्रतिशत से 2014 में 30.7 प्रतिशत हो गई है। शिक्षा में सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए नामांकन प्रतिशत प्रचुर रूप में बढ़ाने की

जरूरत के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में नामांकन में गिरावट की पहचान की चिंताओं व उसके समाधान की जरूरत होगी। सरकारी विद्यालयों में नामांकनों में गिरावट और निजी विद्यालयों की ओर कुछ स्थानान्तरण मोटे तौर पर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता से जुड़ी होगी क्योंकि यह शिक्षा मुफ्त या नाममात्र शुल्क पर दी जाती है।

9.7 शिक्षा की प्रास्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (एएसईआर), 2014 के अनुसार कक्षा पांच में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, जो कि सरकारी और निजी, दोनों, स्कूलों में दूसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में सक्षम थे, तेजी से कम हुई है। सरकारी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त कमी 2007 के 56.7 प्रतिशत से घटकर 2014 में 42.2 प्रतिशत हो गई है तथा उन बच्चों का प्रतिशत, जो कि कक्षा पांच में भाग दे सकते थे, 2007 के 47 प्रतिशत से घटकर 2014 में 20.7 प्रतिशत हो गई है। निजी स्कूलों में उन बच्चों की संख्या में, जो दूसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक को पढ़ सकते थे, 2007 के 69 प्रतिशत से घटकर 2014 में 62.5 प्रतिशत हुई है और उन बच्चों की संख्या, जो कि कक्षा पांच में भाग दे सकते थे, 2007 के 49.4 प्रतिशत से घटकर 2014 में 39.3 प्रतिशत हो गई है। निजी स्कूलों में शिक्षा के परिणामों में कमी समान रूप से ध्यान देने की मांग करती है क्योंकि पूरे भारत में स्कूलिंग और शिक्षा के निजी प्रदाताओं की संख्या बढ़ी है।

9.8 ग्रामीण क्षेत्रों में अखिल भारतीय और राज्यवार दाखिला और पठन का परिणाम (चित्र 9.1 देखें) यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में सरकारी और निजी, दोनों, विद्यालयों के कक्षा पांच के बच्चों के पठन के परिणाम अच्छे हैं और सापेक्षिक रूप से इन दोनों के बीच विविधता कम है। सरकारी स्कूलों में कक्षा पांच के बच्चों का पठन परिणाम जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में निम्न है।

9.9 शिक्षा की गुणवत्ता भारत में मानव पूंजी के स्टॉक की गुणवत्ता का निर्धारण करती है और सरकारी तथा निजी, दोनों, स्कूलों में दाखिले के माध्यम से और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके शिक्षा के फैलाव में सुधार करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

9.10 अध्यापकों द्वारा प्राप्त व्यावसायिक योग्यता और प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न भी हैं। ''भारत में स्कूल शिक्षा'' पर यू-डीआईएसई द्वारा तैयार की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश के लिए, केवल 79 प्रतिशत

चित्र 9.1 राज्यवार प्राथमिक स्तरों पर नामांकन व सीखने के स्तर (प्रतिशत)-ग्रामीण 2014

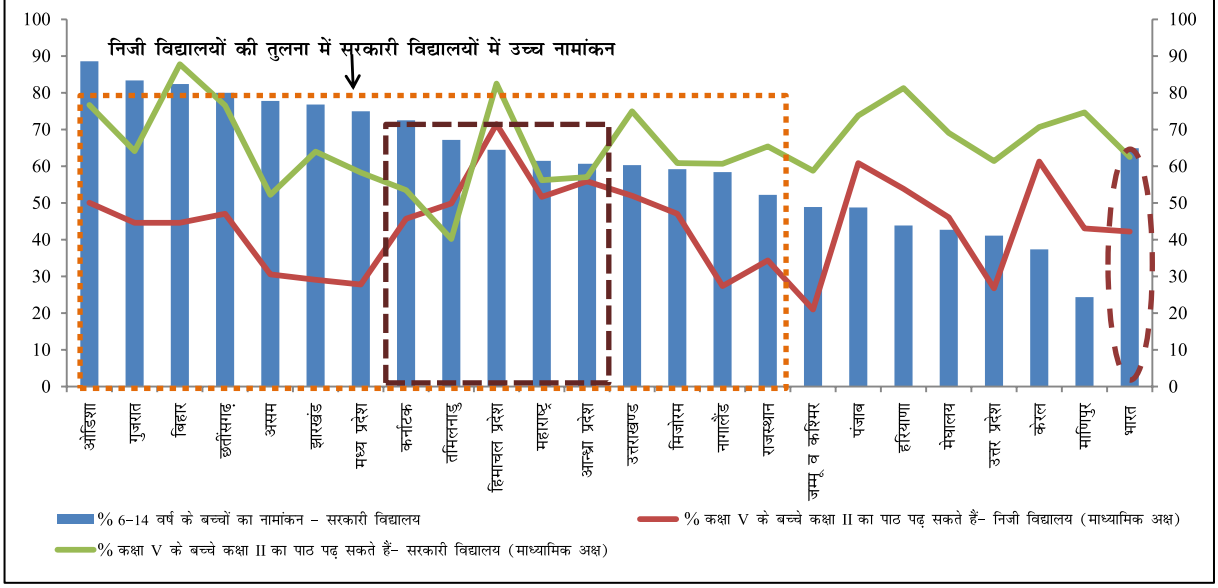

स्रोत: एएसईआर 2014

सारणी 9.2: व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों और भारत में छात्र-अध्यापक अनुपात, 2014-15

कक्षा स्तर	व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों का प्रतिशत	व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षक
केवल प्राथमिक	73.18	24
केवल उच्च प्राथमिक	76.18	17
केवल माध्यमिक	77.88	27
सभी शिक्षक	69.73	38
सभी शिक्षक (2014-15)	79.03	उन
सभी शिक्षक (2013-14)	78.12	उन

स्रोत: यू-डीआईएसई, 2014-15, भारत में स्कूली शिक्षा,

टिप्पणी: उ.न. - उपलब्ध नहीं

अध्यापक व्यासायिक रूप से योग्य हैं (सारणी 9.2)। हायर सेकेंडरी स्तर के लिए. योग्य अध्यापकों का प्रतिशत लगभग 69 प्रतिशत है। योग्य अध्यापकों का तथा योग्य और कम-योग्य अध्यापकों, दोनों, के प्रशिक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

9.11 स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लैंगिक समानता सूचकांक सारणी 9.3 में देखा जा सकता है। आंकड़े, शिक्षा के सभी स्तरों पर, कुल और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के मामले में उच्च शिक्षा के अलावा, बालिकाओं और बालकों के बीच प्राप्त समानता के साथ, बालिकाओं की शिक्षा में सुधार दर्शाते हैं। स्कूल के सभी स्तरों पर तथा उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में बालिकाओं और बालकों के बीच समानता प्राप्त नहीं हुई है। आवश्यकता इस बात की है कुल और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में और अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर असमानता के अंतराल को भरा जाए, जिसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे।

9.12 लैंगिक भेदभाव, जो कि समाज के अधिकांश वर्गों में अंतर्निहित है, को ध्यान में रखते हुए, ''भारत में बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस'' मार्च 2015 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रारम्भ किया गया था। यह टूल यूनिसेफ के साथ सहभागिता में विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य बालिकाओं के लिए निम्न निष्पादन वाले भौगोलिक पॉकेट्स की, विशेष रूप से हासिए पर मौजूद समूहों से, पहचान करने में सहायता करना है। यह वर्षों के दौरान एकल लिंग आधारित संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। जेंडर एटलस मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

9.13 समावेशी समाज निर्मित करने के सरकार के प्रयास का उद्देश्य अल्प-सुविधा प्राप्त, दुर्बल और हासिए पर मौजूद लोगों, जैसे, अल्पसंख्यकों, अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ें वर्गों आदि सहित, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों को शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। विभिन्न समूहों में दाखिला और अभिगम के स्तरों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं काम कर रही हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एकल खिड़की प्रणाली के रूप में, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (कक्षा 1से 10 तक के लिए मैट्रिक पूर्व, 11वीं से पीएचडी तक के लिए मैट्रिकोत्तर और तकनीकी एवं व्यावसायिक

सारणी 9.3: शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग समानता सूचकांक 2013-14 (अनंतिम)

स्तर	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्राथमिक (I से V)	1.03	1.01	0.98
उच्च प्राथमिक (VI से VIII)	1.06	1.04	0.99
प्राथमिक (I से VIII)	1.04	1.05	0.98
माध्यमिक (IX से X)	1.00	1.00	0.99
सीनियर सेकेंडरी (XI- XII)	1.00	1.03	0.94
कक्षा I से XII	1.03	1.02	0.98
उच्च शिक्षा*	0.89	0.89	0.79

स्रोत: शैक्षिक सांख्यिकी पर एक दृष्टि, 2014, एमएचआरडी

नोट: *वर्ष 2012-13 के लिए, लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) किसी दिए गए संकेतक के स्त्री और पुरूष के मानों का अनुपात है। 1 जीपीआई स्त्री और पुरूष के बीच समानता को दर्शाती है।

सारणी 9.4: संगठित क्षेत्र में रोजगार (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	रोजगार (लाख में)			प्रतिशत परिवर्तन	
	2010	2011	2012	2011/2010	2012/2011
सरकारी	178.62	175.48	176.09	(-)1.8	0.4
निजी	108.46	114.52	119.70	5.6	4.5
कुल	287.08	289.99	295.79	1.0	2.0
महिला	58.59	59.54	60.54	1.6	1.7

स्रोत: रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

पाठ्यक्रमों के लिए मेधा-सह- साधन आधारित) सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) विधि के अधीन प्रारम्भ किया गया है। 2015-16 के दौरान मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन लगभग 90 लाख अल्पसंख्यक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। जबकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के मामले में, 2015-16 के दौरान, मैट्रिक पूर्व के अधीन लगभग 23.21 लाख, मैट्रिकोत्तर के अधीन 56.30 लाख तथा, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सहित, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के अधीन 3354 छात्रों को सहायता दी जानी है।

रोजगार

9.14 समूचे देश के लिए रोजगारी और बेरोजगारी पर व्यापक आंकड़े बड़े अंतरालों के साथ उपलब्ध हैं। संगठित क्षेत्र, सम्मिलित रूप में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, में रोजगार में वृद्धि 2010 से 2011 में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि के तुलना में 2011 से 2012 में 2.0 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के लिए वार्षिक वृद्धि दर 2010 से 2011 में 5.6 प्रतिशत की तुलना में 2011 से 2012 में 4.5 प्रतिशत थी; जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में 2010 से 2011 में 1.8 प्रतिशत की कमी की तुलना में 2011 से 2012 में 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। संगठित क्षेत्र में रोजगार में महिलाओं का हिस्सा तीन वर्षों के लिए लगभग 20 प्रतिशत था (सारणी 9.4)।

9.15 जनवरी, 2014 से जुलाई, 2014 तक की अवधि के दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए चौथे वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर) (सामान्य मुख्य स्थिति) सभी व्यक्तियों के लिए 52.5 है (सारणी 9.5)। 54.7 पर ग्रामीण क्षेत्रों में एलएफपीआर 47.2 पर शहरी क्षेत्र से अधिक है। महिलाओं का एलएफपीआर ग्रामीण और शहरी, दोनों, क्षेत्रों में पुरूषों के एलएफपीआर से काफी कम है। कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) भी महिलाओं के साथ समान पैटर्न को प्रदर्शित करता है जिसमें महिलाओं की सहभागिता की दर शहरी और ग्रामीण, दोनों ही, क्षेत्रों में पुरूषों की तुलना में निम्नतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भी महिलाओं की कार्यबल सहभागिता दर पुरूषों की तुलना में पीछे है।

9.16 सामान्य मूल स्थिति दृष्टिकोण (यूपीएस) के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी की दर (यूआर) ग्रामीण क्षेत्रों में 4.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 5.5 प्रतिशत है। रिपोर्ट की गई कुल यूआर 4.9 प्रतिशत है (सारणी 9.5) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे कार्यालय (एनएसएसओ, 2011-12) के अनुसार, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.3 प्रतिशत की तथा शहरी

सारणी 9.5 : 15 वर्ष के व्यक्तियों के लिए एलएफआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर (प्रतिशत)

मानक	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
एलएफपीआर	74.7	29.1	54.7	73.8	18.5	47.2	74.4	25.8	52.5
डब्यूपीआर	71.6	27.2	52.1	70.9	16.2	44.6	71.4	23.8	44.9
यू.आर.	4.2	6.4	4.7	3.9	12.4	5.5	4.1	7.7	4.9

***स्रोत:* चौथे वार्षिक रोजगार - बेरोजगारी सर्वेक्षण 2013-14 श्रम ब्यूरो।**

टिप्पणी: एलएफपीआर श्रम शक्ति की भागीदारी दर है; डब्यूपीआर श्रमिक जनसंख्या अनुपात है; यूआर बेरोजगारी दर है; यूपीएस सामान्य प्रधान स्थिति है।

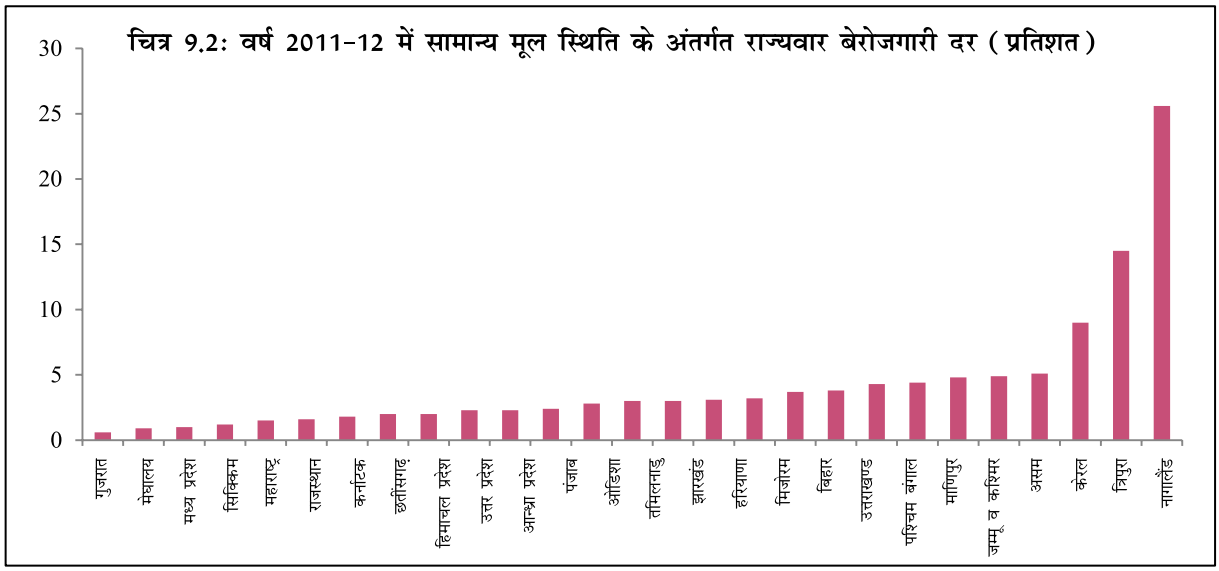

स्रोत: एनएसएसओ 2011-12

क्षेत्रों के लिए 3.8 प्रतिशत की तथा अखिल भारत के लिए 2.7 प्रतिशत की बेरोजगारी की दर की रिपोर्ट दी है, श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण के आंकड़े अखिल भारतीय बेरोजगारी दर से बहुत अधिक हैं। बेरोजगारी की दरें, जैसा कि चित्र 9.2 में देखा जा सकता है, राज्यों के बीच कफी भिन्न-भिन्न हैं।

9.17 सरकार महिला एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर के निम्न स्तर के मुद्दे का समाधान करने की इच्छुक है और विभिन्न विधान आधारित स्कीमों तथा अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों को प्रारम्भ किया है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता को प्राथमिकता दी गई है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए, महिलाओं के लिए एक तिहाई सहभागिता नियत करते हुए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा), मजदूरी रोजगार विधान, अधिनियमित किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान (01.01.2016 की स्थिति के अनुसार) लगभग 3.63 करोड़ परिवारों को 134.96 करोड़ व्यक्ति दिनों के रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 76.81 करोड़ व्यक्ति दिन (57 प्रतिशत) महिलाओं द्वारा लिए गए थे। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की शुरूआत से ही इसमें महिलाओं की भागीदारी नियत 33 प्रतिशत से हमेशा ज्यादा रही है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) भी 03 जून 2011 से ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के पुनर्गठन के पश्चात् से प्रचलन में है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को संगठित करना तथा उनका पोषण करना है। उन परिवारों की तब तक मदद करनी है, जब तक कि वे गरीबी से बाहर न आ जाएं। इसके लिए प्रत्येक गरीब से एक-एक महिला को लेकर एक बंधुत्व आधारित महिला स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.) का गठन करना है तथा ग्रामीण स्तर पर तथा उच्च स्तरों पर भी वर्ष 2024-25 तक उनका एक संघ बनाना है। इस मिशन के अन्तर्गत 1.7 लाख गाँवों को शामिल किया गया है तथा इसके लिए लगभग 24.61 लाख स्वसहायता समूहों को संगठित किया गया है, जिसमें 8.3 लाख नए स्वसहायता समूह हैं।

9.18 श्रम ब्यूरो की तिमाही सर्वेक्षण रिपोर्ट श्रम आधारित गहन उद्योगों तथा निर्यात आधारित सेक्टरों से लिए गए चयनित नमूना पर आधारित है, जिन्हें वर्ष 2009 से ही नियमित रूप से नमूना बनाया गया है। भारतीय बेरोजगारी के संबंध में आर्थिक मंदी के प्रभाव का मूल्यांकन करना इसके मिशन में शामिल है। श्रम ब्यूरो की अद्यतन तिमाही सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सभी चयनित सेक्टरों में समग्र अनुमानित रोजगार में लगभग 37.67 लाख (व्यक्तियों) की वृद्धि हुई है। इस आकलन के लिए प्रथम सर्वेक्षण (अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008) से लेकर 26वां सर्वेक्षण (अप्रैल 2015 से जून 2015) को शामिल किया गया है। आठ चयनित उद्योगों में पैदा किए गए रोजगार की जानकारी बॉक्स 9.1 में दी गई है।

बॉक्स 9.1 चयनित सेक्टरों में रोजगार संबंधी तिमाही सर्वेक्षण रिपोर्ट

जून 2014 की तुलना में 2015 में आठ चयनित सेक्टरों का रोजगार परिदृश्य चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। जून 2014 से जून 2015 की अवधि में उद्योगों के स्तर पर देखें तो रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ी छलांग आई.टी./बी.पी.ओ. (सूचना प्रौद्योगिकी/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) क्षेत्र ने मारी है। जून 2014 और जून 2015 की अवधि के दौरान आठ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में लगभग 0.3 मिलियन लोगों का इजाफा हुआ है।

चित्र 9.3: आठ चुनिंदा क्षेत्रों में (हजार) (जून 2014-जून 2015)

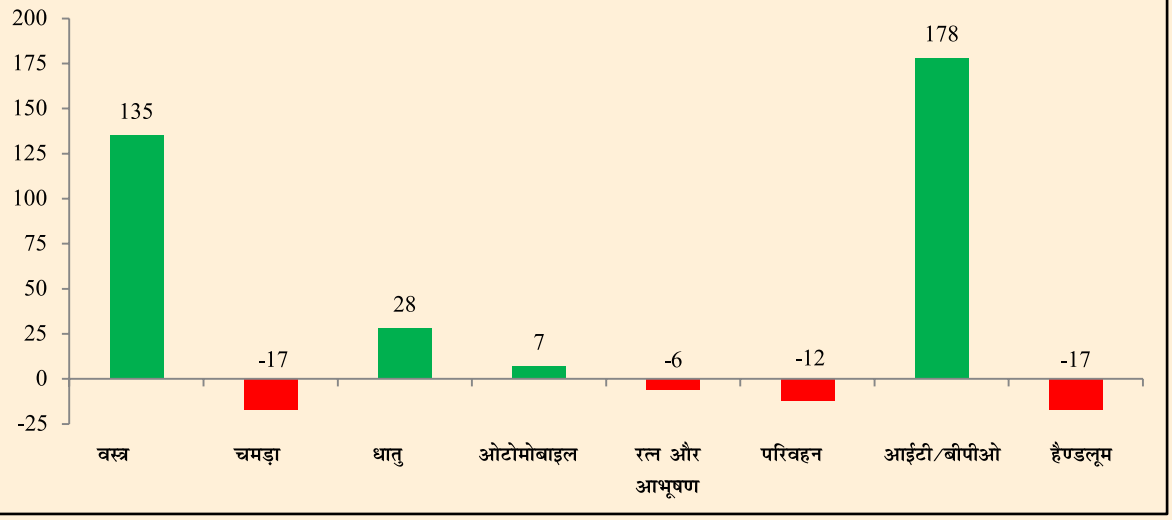

अप्रैल-जून 2015 की अवधि के लिए 26वां त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षण जुलाई 2015 में आयोजित किया गया था। इसमें तिमाही में कुल 2013 नमूना इकाइयों को शामिल किया गया था। समग्र स्तर पर मार्च 2015 की तुलना में जून 2015 को समाप्त तिमाही में 43000 मिलियन नौकरियां कम हुई हैं। उद्योगों के स्तर पर देखें तो चमड़ा सेक्टर में रोजगार में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। यहां मार्च 2015 की तुलना में जून 2015 के दौरान 8000 नौकरियां बढ़ी हैं। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 18000 नौकरियां कम हुई है। परिधान, हथकरघा/पावरलूम, आई/बीपीओ, रत्न और आभूषण तथा परिवहन सहित कपड़ा क्षेत्र में क्रमशः 17000, 6000, 5000, 3000 तथा 2000 के लगभग नौकरियां कम हुई हैं। धातु क्षेत्र में रोजगार परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्रोत : श्रम ब्यूरो

9.19 भारत में रोजगार की स्थिति एक महत्वपूर्ण पहलू है जोकि अनौपचारिक रोजगार का एक हिस्सा है तथा यह संगठित क्षेत्र में भी अनौपचारिक रोजगार वृद्धि का एक हिस्सा है। वर्ष 2004-05 से लेकर 2011-2012 की अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार में 48 प्रतिशत से बढ़कर 54.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इस अवधि के दौरान अनौपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक रही। जबकि वृद्धि तथा आर्थिक विकास से पर्याप्त आजीविका सुरक्षा तथा स्वच्छ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित हो जाती हैं, तो अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि होती है तथा इसकी विषमताओं पर उचित ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि कथित विकास लक्ष्य प्राप्त हो सके। इस प्रणाली का अनुपालन करने के लिए, रोजगार सृजन की आवश्यकता को उत्प्रेरित करना तथा कार्य व्यवहार को सुगम बनाना जरूरी है। इसके साथ ही साथ संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के कार्मिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों, ने श्रम बाजार में सुधार हेतु पहल किए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए श्रम सुधार का संक्षिप्त विवरण बॉक्स 9.2 में दिया गया है।

9.20 भारत श्रम और रोजगार रिपोर्ट 2014 (मानव विकास संस्थान, (आई.एच.डी.) नई दिल्ली द्वारा तैयार) के अनुसार भारत में निम्न श्रम बल भागीदारी का मुख्य कारण महिला एल.एफ.पी.आर. की निम्न भागीदारी है, जो विश्व में न्यूनतम तथा दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद दूसरा निम्नतम है। श्रम और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी की दर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा घर में देख-रेख कार्य के वितरण से काफी प्रभावित है। (मानव विकास रिपोर्ट (एच.डी.आर. 2015)।

बॉक्स 9.2: श्रम सुधार

बोनस का भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2015: बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2015 को 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। बोनस भुगतान की योग्यता जैसा कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 2(13) में परिभाषित किया गया है, बढ़ाकर रु. 10000 से रु. 21000 कर दिया गया है। मुख्य अधिनियम की धारा 12 के संबंध में कतिपय कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना (परिकलन) की जाएगी। जहां किसी कर्मचारी का वेतन या पारिश्रमिक रु. 7000 या उससे अधिक हो या सरकार द्वारा जो भी पारिश्रमिक निर्धारित नियोजन के लिए नियत किया गया हो, जो भी राशि अधिक हो उसी के अनुसार प्रत्येक माह बोनस दिया जाएगा। धारा 10 के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को देय बोनस या धारा 11 के अनुसार देय बोनस, जो भी मामला हो, उसकी गणना तभी की जाएगी जब उस कर्मचारी का वेतन या पारिश्रमिक रु. 7000 प्रति माह है (या अनुसूचित रोजगार के लिए समुचित सरकार द्वारा यथा नियत की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी, जो भी ज्यादा होगी)।

राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं पोर्टल: सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए मुफ्त रोजगार सेवा को बनाए रखना अधिदेशित किया गया है, जिसे 20.7.2015 को शुरू की गई राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एन.सी.एस.) पोर्टल से अब रूपांतरित किया जा रहा है। एन.सी.एस. परियोजना डिजिटल पोर्टल को दर्शाता है जिससे रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों को एक राष्ट्रव्यापि ऑनलाईन प्लेटफार्म प्राप्त होता है। इससे रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों तथा कर्मचारियों की तलाश करने वाले व्यक्तियों को गत्यात्मक, दक्षतापूर्ण तथा अनुवक्रियाशील तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्राप्त होती है। 31 दिसंबर 2015 तक लगभग 3.58 करोड़ रोजगार की तलाश करने वालों, 9 लाख नियोक्ताओं तथा 27,000 कौशल प्रदाताओं को एन.सी.एस. पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार ने 60 मॉडल कैरियर केन्द्रों को भी स्थापित किया है तथा ये 2016-17 के दौरान संभवत: सक्रिय हो जाएंगे।

श्रम सुविधा पोर्टल: भारत सरकार ने 'श्रम सुविधा पोर्टल' की शुरूआत की है। इस पोर्टल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :- यूनिट/स्थापनाओं के लिए विशिष्ट श्रमिक पहचान संख्या (एल.आई.एन.)। (14.2.2016 को 9,70,242 यूनिटों को विशिष्ट एल.आई.एन. जारी की गई हैं); परिवहन श्रमिक निरीक्षण योजना; 9 केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन एकीकृत वार्षिक रिटर्न तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में मासिक अंशदान फाइल करने के लिए एकीकृत इलेक्ट्रानिक चालान-एवं-रिटर्न।

सार्वभौमिक खाता संख्या: पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक पोर्टेबिलिटी फीचर को भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सार्वभौमिक खाता संख्या के माध्यम से शुरू किया गया है। अब तक कुल 61325767 कार्यकर्ताओं को पहले से ही यू.ए.एन. प्रदान किया जा चुका है।

स्रोत: श्रम और रोजगार मंत्रालय

9.21 पारंपरिक रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षण, भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरेलू या बाहरी कार्यों में लगी महिलाओं के विभिन्न प्रकार के अदत्त कार्यों को सम्मिलित नहीं किया है। वैश्विक रूप से दत्त कार्यों में पुरुषों का हिस्सा महिलाओं से 1.8 गुणा ज्यादा है जबकि अदत्त कार्य के मामले में, महिलाओं का हिस्सा पुरुषों से तीन गुणा अधिक है (चित्र 9.4) इसलिए, भुगतेय कार्य, जो दृश्य है, और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एस.एन.ए.) द्वारा लेखित है, पुरुषों द्वारा प्रभावी है, जबकि अदत्त कार्य, जिसकी गणना नहीं की जाती है, महिलाओं द्वारा प्रभावी होती है जिसका कोई संज्ञान और हिसाब नहीं होता है।

9.22 अदत्त कार्य को महत्व देना महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं के कार्य को कई प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है। (बॉक्स 9.3 देखें)। जुलाई 1998 से जून 1999 में प्रायोगिक आधार पर भारत के छ: चुनिन्दा राज्यों में एक समय उपयोगी सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के परिणाम ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं के छिपे योगदान का वर्णन किया। सप्ताह में औसतन 168 घंटों में से, महिलाओं द्वारा लगभग 19 घंटे की तुलना में पुरुषों ने राष्ट्रीय लेखा प्रणाली गतिविधियों में औसतन 42 घंटे बिताए। हालांकि, बढ़ाए गए एस.एन.ए. गतिविधियों में, जिनमें घर और घर से बाहर किए गए अदत्त कार्य का

चित्र 9.4: दत्त/अदत्त कार्य में पुरूषों और महिलाओं का वैश्विक हिस्सा (प्रतिशत)

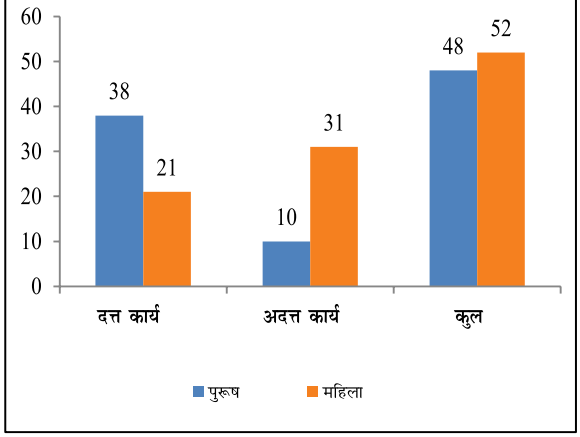

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट, 2015

बॉक्स 9.3: कार्य में महिलाओं की भागीदारी ज्ञात करना : टाइम यूज सर्वे सांख्यिकी की संभाव्यता

टाइम यूज सर्वे (टीयूएस) 1998-1999 में ज्ञात किए गए वैतनिक/अवैतनिक कार्यकलाप

टीयूएस वर्गीकरण कार्यकलापों को निम्नलिखित तीन मुख्य श्रेणियों में समूहबद्ध करने पर आधारित था

एसएनए कार्यकलाप

- प्राथमिक उत्पादन संबंधी कार्यकलाप
- गौण कार्यकलाप
- व्यापार, कारोबार और सेवाएं

विस्तारित एसएनए कार्यकलाप

- घर की देखरेख, प्रबंध और अपने परिवार के लिए खरीदारी
- अपने परिवार के बच्चों, बीमार, बुजुर्ग और अशक्त सदस्यों की देखभाल
- सामुदायिक सेवाएं तथा अन्य परिवारों की सहायता

गैर-एसएनए कार्यकलाप

- पढ़ाई
- सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, जनसंपर्क माध्यम, आदि
- अपना ध्यान रखना और अपनी देखभाल करना

टाइम यूज अध्ययनों के लिए गतिविधियों का राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनसीएटीयूएस), 2013

एनसीएटीयूएस वर्गीकरण में कार्यकलापों को पांच भागों में समूहबद्ध किया गया है :

- स्व-नियोजित, नौकरी-पेशा और आऊट वर्करों/घर से काम करने वालों अर्थात् एसएनए 1993 की उत्पादन परिधि में आने वालों की आर्थिक गतिविधियां।
- वे गतिविधियां जिनके लिए नकद या जिंस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है।
- एसएनए-1993 में शामिल परंतु आईएनएनए में शामिल नहीं की गई आर्थिक गतिविधियां जैसे घर में उपभोग के लिए कृषि उत्पादों को संसाधित करना या जिन्हें ईयूएस में आर्थिक गतिविधि नहीं माना गया है जैसे घरेलू उपभोग के लिए गौण वन उत्पाद एकत्र करना।
- घरेलू कामकाज और परिवार की देखभाल से जुड़ी गतिविधियां जो सामान्य उत्पादन परिधि में आती हैं परंतु एसएनए 1993 की उत्पादन परिधि से बाहर हैं।
- अपना ध्यान रखने और व्यक्तिगत देखभाल करने से जुड़ी गतिविधियां।

स्रोत : टीयूएस जुलाई, 1998 - जून, 1999 तथा एनसीएटीयूएस, 2013 पर आधारित

मूल्य सम्मिलित है, महिलाओं द्वारा 34.6 घंटे की तुलना में पुरुषों ने मात्र 3.6 घंटे बिताए। पारंपरिक सर्वेक्षणों में महिला भागीदारी की दरों में कमी के कारण अदत्त कार्यों में महिलाओं की उच्च भागीदारी है। प्रायोगिक टीयूएस के निष्कर्षों के आधार पर टाइम यूज अध्ययनों के लिए गतिविधियों का राष्ट्रीय वर्गीकरण तैयार किया गया है जिसमें अवैतनिक गतिविधियों का वर्गीकरण उपलब्ध कराया गया है जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

9.23 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने तद्नुरूप एनसीएटीयूएस का परीक्षण करने के लिए वर्ष 2013 में बिहार और गुजरात में प्रायोगिक टीयूएस करवाया है। सभी राज्यों में टीयूएस करवाए जाने का निर्णय इस प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर लिया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से महिला-पुरुष केन्द्रित नीतियां तैयार करने के लिए तथा महिलाओं एवं पुरुषों के कार्य को स्पष्टता से दर्शाने के लिए, टीयूएस एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय साधन है जिससे देश में किए जाने वाले अवैतनिक प्रकार के कार्यों की रूपरेखा उपलब्ध हो पाएगी।

बाल श्रम

9.24 बाल श्रम की समस्या पर विचार करते हुए एक बहुआयामी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस रणनीति में बाल श्रम को रोकने के लिए

सांविधिक एवं विधायी उपायों, बाल श्रमिकों के पुनर्वास तथा उन्हें, आर्थिक सहायता सहित, प्राथमिक सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध कराने एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को भी इस कार्यक्रम तथा योजना में शामिल करते हुए आर्थिक सहायता तथा पुनर्वास मुहैया करने की योजना है। राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) योजना की शुरुआत एक परियोजना आधारित योजना के रूप में की गई है, जिसके तहत 9 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को कार्य से मुक्त किया जाता है तथा उन्हें एन.सी.एल. के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली को मुख्यधारा में जोड़ने से पूर्व उन्हें ब्रिज शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन वृत्तिका, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि प्रदान किया जाता है। 5-8 वर्ष उम्र समूह के बच्चे सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के साथ घनिष्ट समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए है। बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अधीन दिए गए निषेद्य उम्र के साथ-साथ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर पूर्ण रोक है तथा बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों को कड़े से कड़ा दंड का प्रावधान है।

कौशल अंतराल तथा रोजगार

9.25 व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण एक ऐसा कारगर तरीका है जिससे उद्योगों के विभिन्न स्तरों तथा उप क्षेत्रों में कौशल का विकास करके देश की आबादी में रोजगारपरकता को सुधारा जा सकता है। हालांकि यह अवधारणा भी प्रचलित है कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम उन लोगों के लिए तैयार किए गए हैं जो मुख्य शिक्षा धारा से जुड़ने में असफल हो जाते हैं। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वालों की तुलना में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को दिया जाने वाला बहुत कम वेतन इस अवधारणा को और भी सुदृढ़ कर देता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में गुणवत्ता के स्तर में गंभीर अंतर है और प्रशिक्षकों की अत्यधिक कमी है। शिक्षकों और शिक्षक भिन्न लोगों को मिलाकर व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्र में कौशल अंतराल वर्ष 2017 तक 211,000 के लगभग हो जाएगा। कार्यबल की मांग वर्ष 2022 तक 320,000 तक बढ़ने का अनुमान है (चित्र 9.5 देखें)। रोजगार में कमी को देखते हुए सरकार को कौशल अंतराल को पाटने के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में निवेश करके लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। उद्योगों और उनके उप-क्षेत्रों में मौजूद बड़े कौशल अंतराल को उपयुक्त कौशल विकास योजनाओं द्वारा भरे जाने की जरुरत है जिसके लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी तैयार करना होगा।

9.26 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना करके सरकारी एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं और भारतीय जनमानस में कौशल अंतराल तथा कौशल विकास के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की स्थापना से उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के बीच प्रगति का मार्ग बन जाने के कारण अधिकाधिक कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना सुकर हो जाएगा। कौशल विकास को (जिसमें क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) की स्थापना, उपजीविका मानकों को परिभाषित करना, एनएसक्यूएफ फ्रेमवर्क को परिभाषित करना, स्टैण्डर्ड ट्रेनिंग एंड असैसमेंट रिवॉर्ड (स्टार) स्कीम जैसी वित्तपोषण संबंधी पहलें शामिल हैं पर जो इन्हीं तक सीमित नहीं है।) समर्थ बनाने के लिए एक बहुआयामी नीतिगत दृष्टिकोण अपनाने का भारत के कौशल परिवेश पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

चित्र 9.5 व्यावसायिक प्रशिक्षण में अपेक्षित कार्यबल (हजार में)

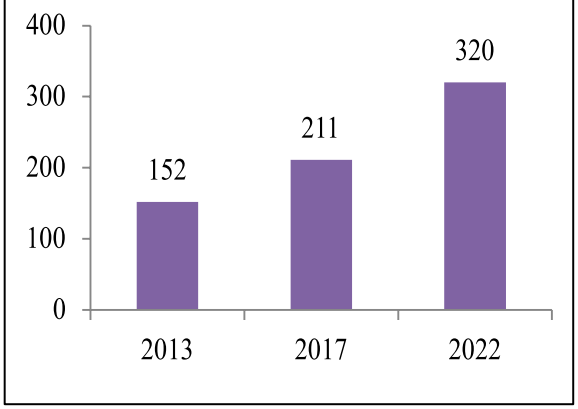

स्रोत: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

9.27 स्वायत्त उद्योग नियंत्रित निकायों के रूप में क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) एनएसडीसी के माध्यम से राष्ट्रीय उपजीविका मानक (एनओएस) तथा क्षेत्रगत प्रत्येक जॉब भूमिका के लिए योग्यता पैक (क्यूपी) तैयार करती हैं, सक्षमता फ्रेमवर्क विकसित करती हैं, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करती हैं, कौशल-अंतराल अध्ययन करवाती हैं तथा स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन करवाती हैं तथा उनके द्वारा विकसित एनओएस के अनुरूप पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र देती हैं। अब तक 38 एसएससी का अनुमोदन किया गया है और उन्होंने 1433 क्यूपी तथा 6819 एनओएस तैयार किए हैं।

9.28 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 5.32 लाख लोगों का नामांकन कर लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य 24 लाख भारतीय युवाओं को सार्थक, उद्योग संगत, कौशल आधारित प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर उन्हें सरकारी प्रमाण पत्र देना तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए नौकरी प्राप्त करने में उनकी सहायता करना हैं। पूरे देश में 4.38 लाख लोगों ने पीएनकेवीवाई के तहत अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस पहल की वास्तविक सफलता को प्रशिक्षित कार्मिकों में से नौकरी प्राप्त कर लेने वाले कार्मिकों की संख्या के आधार पर ही आंका जा सकता है, जिसका प्राक्कलन करना और समय-समय पर जिसकी रिपोर्ट देना भी जरूरी है।

9.29 इसके अलावा एनआरएलएम कौशल के कौशल घटक के तौर पर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) भी प्रारंभ की गई है। यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए तैयार की गई प्लेसमेंट संयोजित कौशल विकास स्कीम है। 2015-16 के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत 1.78 लाख उम्मीदवारों को कौशलक्षम बनाने के लक्ष्य की तुलना में कुल 1.75 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और नवम्बर 2015 तक तक 0.60 लाख उम्मीदवारों का नियोजन कर दिया गया।

9.30 भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों में रोजगार संभाव्यता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) प्रारंभ की है जिसके तहत सरकारी और गैर-सरकारी प्रशिक्षण भागीदारों के नेतृत्व में कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जिसमें व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र शामिल होंगे तथा जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 5 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशलक्षम बनाना होगा। ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म तैयार करके प्रतिवर्ष 5 लाख के लक्ष्य की पूर्ति के लिए एनएपी को विस्तारित किए जाने की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं।

9.31 राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति 2015 का लक्ष्य उच्च मानकों के साथ तेज गति से व्यापक स्तर पर कौशल विकास करना तथा सतत रूप से आजीविका उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सृजनात्मकता आधारित उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसको ध्यान में रखते हुए एक नीति कार्यान्वयन यूनिट (पीआईयू) सभी शामिल स्टेकहोल्डरों की पहचान करेगी तथा उत्तरदायी एजेंसियों को कार्रवाई योग्य बिन्दुओं से अवगत कराएगी। चूंकि भारत विश्व के सबसे युवा जनसंख्या वाले देशों में से एक है अत: भारत के कौशल प्राप्त कार्मिकों को विदेशों में रोजगार के सुअवसर मिलने की व्यापक संभावना मौजूद है। एनएसडीसी के माध्यम से ऐसे सुअवसरों का पता लगाए जाने का कार्य भी तेजी से जारी है।

स्वस्थ भारत की ओर

9.32 देश की जनता विशेषकर समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती और समान स्तर की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों के अभाव और मांग के आधिक्य को देखते हुए दक्ष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की राह अनगिनत चुनौतियों से भरी हुई है। जनता का स्वास्थ्य सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों, जैसे विवाह के समय आयु, जनसंख्या, पीने योग्य जल तक पहुंच और स्वस्थ स्वच्छता सुविधाओं से भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होता है।

9.33 भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मिश्रण है। निजी क्षेत्र और प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता परिवर्तनीय है, अनौपचारिक प्रदाताओं (क्वैक) से प्रारंभ करके वैयक्तिक रूप से संचालित नर्सिंग होम से लेकर बड़े पालीक्लीनिक और मल्टीप्लैक्स अस्पताल शामिल हैं।देखभाल की लागत और गुणवत्ता के लिए विनियम अधिकांश राज्यों में मुख्यत: है ही नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सुविधाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जिसमें समुदाय के स्तर पर आशा (स्वैच्छिक

स्वास्थ्य कर्मचारी) स्वास्थ्य उप-केन्द्र (एचएससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), जिला अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और राज्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ईएसआई अस्पताल और औषधालय शामिल हैं। आउटरीच और समुदाय स्तर की सेवाएं आशा, आंगनबाड़ी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और एचएससी के समन्वय के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

9.34 एनएसएसओ के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के अनुसार, ''भारत में सामाजिक उपभोग के मुख्य संकेतक: स्वास्थ्य', 2015, 71वां दौर (जनवरी-जून 2014) कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रदान करता है। निजी क्षेत्र ने बहिरंग रोगी और भर्ती करके देखभाल की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना जारी रखा है। तथापि, यहां ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले सर्वेक्षण बाद संस्थागत सुपुर्दगियों में दो गुनी वृद्धि हुई है। साथ ही सभी संस्थागत सुपुर्दगियों के 60% से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में बच्चे के जन्म के समय कुल खर्च निजी क्षेत्र में होने वाले खर्च का दसवां हिस्सा है। यह जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मातृ एवं शिशु देखभाल की ओर लक्षित स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के परिणाम स्वरूप है। यह 1990 की एमडीजी की बेस लाइन से नीचे गिरने के वैश्विक औसत की तुलना में देश में एमएमआर में 50% की तेजी से गिरावट में भी प्रदर्शित होता है।

9.35 गैर भर्ती देखभाल के मामले में, सर्वेक्षण यह इंगित करता है कि 60वें चक्र की तुलना में, जिसमें 22 प्रतिशत ली गई स्वास्थ्य देखभाल सार्वजनिक प्रणाली में है, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की जा रही देखभाल के 28.3 प्रतिशत के साथ, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी परंतु उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। परंतु, गैर-भर्ती रोगियों के उपचार में सार्वजनिक प्रदाताओं का शेयर, आशा और एएनएम सहित, एचएससी, पीएचसी पर बहुत ही निम्न 11.5% है। यह प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के लिए इससे भी निम्नतर है जहां प्राथमिक देखभाल का सार्वजनिक प्रावधान मुख्यत: है ही नहीं। यह प्राथमिक देखभाल को जनन और शिशु देखभाल (आरएचसी) सेवाओं तक चयनित प्राथमिक क्षेत्र तक सीमित होने को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम), जो कि एक वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था, शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सार्वजनिक प्रावधान की अपर्याप्तता के मुद्दे का समाधान करने का प्रयास कर रहा है।

9.36 एनएसएसओ (2015) में सूचित किया गया है कि जनवरी-जून, 2014 के दौरान प्रति अस्पताल में भर्ती किए गए मामले में, यदि निजी अस्पताल में उपचार किया गया है तो उपचार का औसत चिकित्सा व्यय (बच्चे के जन्म को छोड़कर) सरकारी अस्पताल की तुलना में लगभग चार गुणा ज्यादा है। औसतन सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में 6120 रुपए की तुलना में निजी अस्पतालों में प्रति भर्ती किए मामले में उपचार का खर्च 25850 रुपए था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती कराने के मुताबिक औसत कुल चिकित्सा भिन्न अन्य संबद्ध खर्च क्रमश: 16,956 रूपए और 26,455 रूपए है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती औसत कुल चिकित्सा और चिकित्सा-भिन्न अन्य संबद्ध खर्च क्रमश: 509 रुपए और 639 रुपए है। ये खर्च इन चुनौतियों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनका सामना भारत द्वारा जनता को सस्ती और पहुंच वाली स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान में करना पड़ रहा है। एनएसएसओ यह भी रिपोर्ट देता है कि सरकार की निधि से पोषित बीमा स्कीमों का कवरेज ग्रामीण भारत में 13.1 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या में 12 प्रतिशत बढ़ा है।

भारत में स्वास्थ्य : कुछ चुनिंदा संकेतक

9.37 जनगणना 2011 के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या में बच्चों (0-6 वर्ष) का हिस्सा 13.6 प्रतिशत बैठता है। भारत में लगभग 26 मिलियन बच्चे प्रति वर्ष जन्म लेते हैं। पांच वर्ष से कम मृत्युदर 1990 में 126 से घटकर 2013 में 49 हो गई है जो इसी अवधि के दौरान गिरावट की वैश्विक दर से काफी कम है। प्रतिरक्षण बाल मृत्यु दर घटाने के मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य (एमडीजी) के लक्ष्य-4 हासिल करने के सरकार के बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दबाव वाले क्षेत्रों में एक है।

9.38 राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षणों के अनुसार एनएफएचएस-1 से प्रतिरक्षण कवरेज काफी सुधरी है जब केवल 36 प्रतिशत बच्चे पूर्णतया टीकाकृत होते थे और 30 प्रतिशत बच्चे बिल्कुल टीकाकृत नहीं होते थे। एनएफएचएस-3 के अनुसार प्रतिरक्षण कवरेज में 44 प्रतिशत का सुधार हुआ है। नवीनतम सर्वेक्षण, एनएफएचएस-4 के अनुसार 13 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य संकेतक ही उपलब्ध हैं। 12 राज्यों

के चुनिंदा संकेतक सारणी 9.6 में दिए गए हैं। जो यह दर्शाती है कि निजी क्षेत्र शहरी क्षेत्र में अधिक फैला हुआ है। शहरी क्षेत्रों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। एनएफएचएस-4 के अनुसार, बच्चों की प्रतिशतता 12-23 माह के आयु वर्ग में पूर्णत: टीकाकृत बच्चों का प्रतिशत सिक्किम और पश्चिम बंगाल में 80 से ऊपर है। सभी 12 राज्यों में पूर्णत: टीकाकृत बच्चों का प्रतिशत 50 से अधिक है। अधिकांश राज्यों में पूर्णत: टीकाकृत बच्चों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कम है (सारणी 9.6 देखें)। इससे यह पता चलता है कि यद्यपि निजी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ है, फिर भी उपचारात्मक स्वास्थ्य चिकित्सा की उपलब्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए है जिसे शहरी क्षेत्रों में मजबूत करने की जरूरत है।

9.39 अधिक जोखिम वाले रोगी जैसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आवश्यकता होती है। वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को शामिल करने के लिए, जिन्हें डिपथेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टी.बी., खसरा और हेपटाइटस बी सहित सात टीका निवारणीय रोगों के विरुद्ध टीका बिल्कुल नहीं लगाया गया है या जिनका आंशिक टीकाकरण किया गया है, दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, देश के चुनिंदा जिलों/राज्यों में जापानी एनसेफलाइटिस और हीमोफाइलस एन्फलुएंजा टाइप बी के विरुद्ध टीकाकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को भी टेटनस के विरुद्ध टीकाकृत किया जाता है, जबसे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। देश में सभी अटीकाकृत का आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों में से लगभग 50 प्रतिशत को शामिल करते हुए प्रथम चरण में 201 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों को शामिल करने के लक्ष्य के साथ तीन दौर आयोजित किए गए हैं। अब तक की प्रगति के अनुसार, मिशन इन्द्रधनुष के प्रथम चरण में 20.8 लाख बच्चों और 5.8 लाख गर्भवती महिलाओं, दूसरे चरण में 17.2 लाख बच्चों और 5.1 लाख गर्भवती महिलाओं तथा तीसरे चरण में 17 लाख बच्चों और 4.8 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकृत करते हुए देश के 352 जिलों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध सभी सेवाएं सभी के लिए नि:शुल्क हैं और अच्छी कवरेज के साथ सबकी पहुंच के अंदर हैं। इस प्रकार भारत एवं एच आई वी के सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित एआरटी ड्रग्स

सारणी 9.6: 12-23 माह के आयुवर्ग के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण

राज्य	एनएफएचएस -3			एनएफएचएस-4		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
आंध्र प्रदेश	42.9	51.2	46.0	67.2	**60.4**	65.3
बिहार	31.1	45.6	32.8	61.9	**59.7**	61.7
हरियाणा	60.3	(82.2)	65.3	65.1	**57.0**	62.2
कर्नाटक	52.2	59.6	55.0	64.8	**59.8**	62.6
मध्य प्रदेश	31.5	68.7	40.3	50.2	63.0	53.6
मेघालय	32.6	33.8	32.9	58.5	81.4	61.5
सिक्किम	66.7	(85.4)	69.6	83.7	**(81.4)**	83.0
तमिलनाडु	83.7	77.8	80.9	66.8	73.3	69.7
तेलंगाना	-	-	-	68.3	**67.8**	68.1
त्रिपुरा	47.9	*	49.7	51.2	64.2	54.5
उत्तराखंड	57.4	67.2	60.0	58.2	**56.5**	57.7
पश्चिम बंगाल	62.8	70.3	64.3	87.1	**77.7**	84.4

स्रोत : एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-3

टिप्पणी : एनएफएचएस-3 के दौरान आन्ध्र प्रदेश अविभाजित था, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 25-49 अभारित बच्चों पर आधारित हैं, *25 से कम मामलों पर आधारित।

के कार्यक्रमों के लिए विश्व में सर्वाधिक बड़ा कार्यक्रम है। सभी वेक्टर बार्न रोग कार्यक्रमों, यक्ष्मा, कुष्ट रोग में सभी औषधियों और निदान, इसमें रेपिड डाइग्नोस्टिक किट और तीसरी पीढ़ी के एंटी-माइक्रोबाईसीडाल्स शामिल हैं, निशुल्क हैं–और कीटनाशक उपचारित बेड नेट्स के लिए भी यही व्यवस्था है।

9.40 इसके अतिरिक्त, सामान्य स्वास्थ्य दशाओं का पहले पता लगाते हुए और इनके पूर्व-प्रबंधन के माध्यम से बाल स्वास्थ्य जांच और पूर्व हस्तक्षेप सेवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। इन पहलों के अतिरिक्त, देश भर में ग्रामीण और शहरी, दोनों, क्षेत्रों में बच्चों (6 माह से 19 वर्ष) और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं सहित प्रजनक आयु वर्ग की महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल प्रारंभ की गई है। हालांकि संस्थागत जन्मों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में पर्याप्त उपलब्धि प्राप्त हुई है परंतु निजी संस्थागत जन्मों के लिए व्यय बढ़ता जा रहा है जो यह दर्शाता है कि निवेश को बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बनाए रखने और इसे विस्तारित करने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह एक चिरकालिक समस्या रही है और इसके लिए पूरक एवं उन्नत भोजन के द्वारा आइरन के स्तरों को सुधारने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है (बॉक्स 9.4)।

9.41 स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों के सीमित होने और मांगों के प्रतिस्पर्धी होने के कारण, व्यय को वरीयता देना सरकार के लिए आवश्यक है। चूंकि निवारक स्वास्थ्य देखभाल हमेशा वरीयता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है क्योंकि इसके दीर्घावधिक सामाजिक लाभ हैं। सरकार ने

बॉक्स 9.4: गर्भधारण और महिलाएं

गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होना गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। 12 राज्यों में, आन्ध्र प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार में 15-49 आयु वर्ग की 50: से अधिक गर्भवती महिलाओं में अनीमिया पायी गई है। अधिकांश राज्यों में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पायी गई है (चित्र 9.6 देखें)।

चित्र 9.6: चुनिंदा स्वास्थ्य संकेतकों की प्रास्थिति (प्रतिशत)

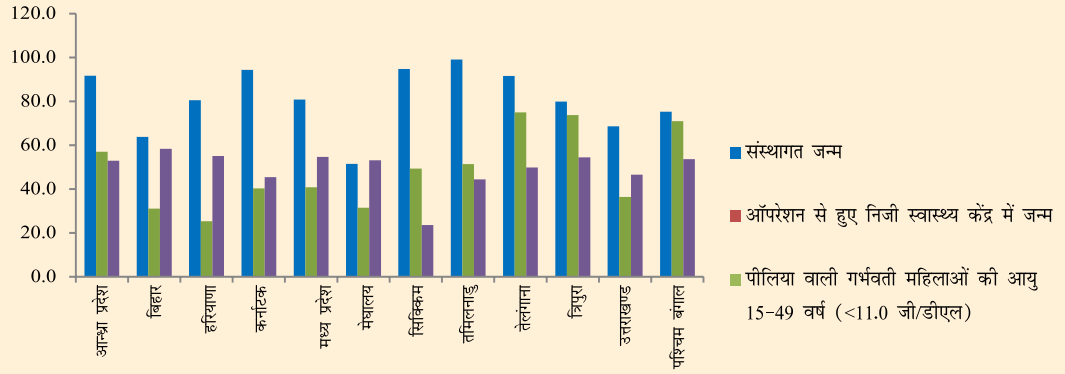

कुल जन्मों के प्रति सीज़ेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) के अनुपात को आपातकालीन प्रसव देखभाल के महत्वपूर्ण संकेतक माना गया है। यदि यह 5: से नीचे है तो ऐसी महिलाएं काफी अनुपात में हैं जिसकी पहुंच शल्य-चिकित्सीय प्रसव देखभाल सेवा तक नहीं है या सी-सेक्शन का कम उपयोग हुआ है। तथापि, डब्ल्यू एच ओ के अनुसार यदि यह 15: से ऊपर है तो इसका अर्थ है कि 'जीवन बचाव' से अलग कारणों से इस पद्धति का अधिक उपयोग हुआ है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2010)।

हालांकि संस्थागत जन्मों के मामले में महिलाओं की प्रतिशतता बढ़ी है और अधिकांश राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के संबंध में संस्थागत जन्म की सूचना है, फिर भी सीज़ेरियन सेक्शनों से मुक्त निजी सुविधा में जन्मों का बढ़ता अनुपात जन स्वास्थ्य की बढ़ती चिंता का मुद्दा है। औसतन पारिवारिक व्यय पर सीज़ेरियन सेक्शनों के वित्तीय निहितार्थों के अतिरिक्त, सी-सेक्शन का माता और शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव भी है जो जन स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा और अधिक जागरुकता लाए जाने का उचित कारण है। 12 राज्यों में से, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और तेलंगाना में 50: से अधिक जन्म निज़ी स्वास्थ्य सुविधा में सीज़ेरियन सेक्शन द्वारा हुए हैं। यह निजी क्षेत्र में हाई आउट-ऑफ पॉकेट व्यय की स्थिति को भी दर्शाता है।

स्रोत: एनएफएचएस-4, (2015-16) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2010 पर आधारित

सारणी 9.7: कुछ चुनिंदा देशों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ (यूएचसी) सूचकांक संबंधी आंकड़े

देश	वर्ष	प्रतिरक्षण	डायरिया का इलाज	मरीजों का प्रवेश	गरीबी	यूएचसी
ब्राजील	1998	67.6	44.1	92.3	94.1	82.0
	2006	67.6	43.0	85.9	93.6	81.6
भारत	**1998**	**26.0**	**10.3**	**71.6**	**85.2**	**51.6**
	2006	**34.5**	**22.1**	**71.6**	**83.7**	**56.9**
इंडोनेशिया	2000	49.4	49.7	27.9	93.4	47.3
	2009	59.5	48.2	27.9	93.1	47.0
फिलीपींस	1998	68.5	23.0	64.7	95.7	66.2
	2008	72.6	54.3	64.7	95.0	75.2
दक्षिण अफ्रीका	1997	61.7	53.0	96.6	95.9	78.8
	2003	61.7	53.0	96.6	96.7	79.3
वियतनाम	1997	46.7	45.2	86.7	84.6	57.8
	2008	30.6	65.9	86.7	66.1	61.1

स्रोत: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्रगति मापने हेतु विश्व बैंक समूह के नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर 7470-24 विकासशील देशों में अनुप्रयोग के साथ नवम्बर, 2015.

भारत में रोगों के बोझ को कम करने के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को मलेरिया, कालाज़ार, फिलेरिया, डेंगू, जापानी बुखार और चिकुनगुनिया के लिए पूछताछ/जांच और उपचार, एमडीआर-टीबी सहित टीबी का पता लगाने और इसके उपचार, कोढ़ का पता लगाने और इसके उपचार, एचआईवी/एड्स का पता लगाने, इसके उपचार और परामर्श और नेत्रहीनता के नियंत्रण के लिए मोतियाबिंद की शल्य-चिकित्सा के लक्ष्यार्थ रखा गया है।

9.42 गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की बढ़ती घटनाओं पर विचार करते हुए, भारत सरकार के छह जिलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोगिक आधार पर कैंसरों, मधुमेह/हृदय रोगों और घात के निवारण और नियंत्रण के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) सूचकांक

9.43 यूएचसी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा विश्व के चुनिंदा देशों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया है। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति के रूप में 190 देशों में भारत 143वें स्थान पर है (2011 में डालर 146 पीपीपी)। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार 157वें स्थान पर है जो कि मात्र लगभग डालर 44 पीपीपी है। पेचिश के उपचार के संकेतक में भारत के निष्पादन में भी कवरेज बढ़ाने को लेकर सुधार की आवश्यकता है (देखें सारणी 9.7)। निर्धनता संकेतक वित्तीय जोखिम सुरक्षा कवरेज को दर्शाता है, जहां उच्च प्रतिशतता बेहतर कवरेज़ को प्रतिबिंबित करती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएं तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन ह्रास

9.44 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा 30,000 से अधिक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, दोनों शामिल हैं, के अंतर्गत विभिन्न पहलें आरंभ की गई हैं ताकि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा उपक्रमों (एससी) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए जन स्वास्थ्य केन्द्रों में नि:शुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नई सुविधाओं और अवसंरचनों के सृजन में महत्वपूर्ण सुधार किया है तथा दवाईयों की उपलब्धता में वृद्धि की है। इससे व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाजनक हुई है और पहले पता लगाने के लिए बच्चों के जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। इसके अलावा, विद्यमान प्रयासों के सतत समर्थन के अलावा,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व्यापक चिकित्सा प्रदान करने हेतु 'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' जैसी पहलें क्रमशः वर्ष 2013 और 2014 में प्रारंभ की गई हैं। चूंकि औषधियों में ओ. ओ.पी.ई. की प्रचुर मात्रा होती है। अतः भारत सरकार ने एन.एच.एम. योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवश्यक औषधियों को निःशुल्क मुहैया कराने की व्यवस्था की है। वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाईयाँ प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से 'जन औषधि योजना' भी प्रारंभ की गई है।

9.45 समर्पित कुशल स्वास्थ्य कार्मिक, कार्यक्षम और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्व अपेक्षा है। तथापि, स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न जरुरतों को पूरा करने के लिए समर्पित कुशल कार्मिकों की उपलब्धता भारत में एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों, निश्चेतकों तथा अन्य व्यक्तियों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत के 7 चुनिंदा राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, जम्मू व कश्मीर और तमिलनाडु में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) (2011) के मूल्यांकन अध्ययन ने स्वास्थ्य कार्मिक के क्षेत्र में इनमें से कुछ राज्यों के सामने आई कमियों के स्तरों का आकलन किया है, जो सारणी 9.9 में दिया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है, कुशल स्वास्थ्य कार्मिक के क्षेत्र में झारखंड में 95 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 80 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत की कमी थी। असम में केवल 11 प्रतिशत की कमी थी जबकि तमिलनाडु ने स्वास्थ्य कार्मिक के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी की सूचना नहीं दी।

9.46 ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2015 के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्जनों की कमी कुल आवश्यकता का 83 प्रतिशत है। स्वीकृत पदों में से केवल 27 प्रतिशत ही भरे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र दक्षता और सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कुशल कार्मिक जरूरी हैं।

9.47 सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के संपूर्ण विकास

सारणी 9.8 : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की कमी

राज्य	विशेषज्ञों की संख्या		विशेषज्ञों की कमी
	अपेक्षित	उपलब्धि	
उत्तर प्रदेश	2060	618	70
मध्य प्रदेश	1080	220	80
झारखंड	776	40	95
असम	412	365	11

स्रोतः **नीति आयोग**

और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम और नई नीतिगत पहलें की गईं हैं। महिला और बाल विकास के लिए स्कीमों का कार्यक्षेत्र और कवरेज सतत रूप से बढ़ रहा है जो कि जेंडर बजट की मात्रा में प्रदर्शित किया गया है जो 2005-06 से 2015-16 की अवधि के दौरान जेंडर बजट स्टेटमेंट में 2.79 प्रतिशत से बढ़ कर 4.46 प्रतिशत हो गया है।

आवास सुविधाएं, स्वच्छता और स्वास्थ्य

9.48 जनसमूह का स्वास्थ्य सर्वाधिक रूप से सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की अभिगम्यता से जुड़ा है। दूषित पेयजल का उपभोग, मानव मल का अनुचित ढंग से निपटान, व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता में कमी और ठोस व तरल अपशिष्ट पदार्थों का अनुचित ढंग से निपटान भारत जैसे विकासशील देशों में अनेक रोगों के प्रमुख कारण रहे हैं। भारत जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या (650 मिलियन) का लगभग 70% भाग ग्रामीण और मलिन क्षेत्रों में रहता है। यह जलजनित और रोगवाहक जनित रोगों से प्रभावित होने की संभावना बढ़ा देती है। जैसा कि सारणी 9.8 में देखा जा सकता है, भारत में परिसर के भीतर पेयजल तक पहुंच केवल 46.6 प्रतिशत परिवारों की ही है। नल के पानी की अभिगम्यता वाले परिवारों की 43.5 की प्रतिशतता और भी कम है। इसी तरह, 50% से कम परिवारों के पास अपने मकान परिसरों के भीतर शौचालय सुविधा है।

9.49 घरेलू सुविधाओं जैसे कि नल का जल और शौचालय की अभिगम्यता के मामले में भिन्नता भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। शौचालय सुविधाओं की अभिगम्यता और कवरेज़ जहां केरल में 95%, मिजोरम

सारणी 9.9: सुविधाओं तक पहुंच वाले परिवारों का राज्यवार प्रतिशत वितरण, 2011

राज्य	पेयजल की सुविधा		शौचालय की सुविधा
	नल का पानी	परिसर के भीतर	परिसर के भीतर
आंध्र प्रदेश	69.9	43.2	49.6
अरुणाचल प्रदेश	65.5	41.1	62.0
असम	**10.5**	54.8	64.9
बिहार	**4.4**	50.1	**23.1**
छत्तीसगढ़	**20.7**	**19.0**	**24.6**
गोवा	**85.4**	79.7	79.7
गुजरात	69.0	64.0	57.4
हरियाणा	68.8	66.5	68.6
हिमाचल प्रदेश	**89.5**	55.5	69.1
जम्मू-कश्मीर	63.9	48.2	51.2
झारखंड	**12.9**	**23.2**	**22.0**
कर्नाटक	66.1	44.5	51.2
केरल	29.3	77.7	**95.2**
मध्य प्रदेश	**23.4**	**23.9**	28.8
महाराष्ट्र	67.9	59.4	53.1
मणिपुर	38.6	**16.1**	**89.3**
मेघालय	39.3	**24.1**	62.9
मिजोरम	58.7	31.2	**91.9**
नगालैंड	47.2	29.3	76.5
ओडिशा	**13.8**	**22.4**	**22.0**
पंजाब	51.0	**85.9**	79.3
राजस्थान	40.6	35.0	35.0
सिक्किम	**85.3**	52.6	**87.2**
तमिलनाडु	79.8	34.9	48.3
त्रिपुरा	33.2	37.1	**86.0**
उत्तर प्रदेश	27.3	51.9	35.7
उत्तराखंड	68.2	58.3	65.8
पश्चिम बंगाल	25.4	38.6	58.9
भारत	**43.5**	**46.6**	**46.9**

स्रोत : **जनगणना, 2011**

टिप्पणी: 'लाल' में दिए गए आंकड़े 25 प्रतिशत से कम से संबंधित हैं; 'हरे' में दिए गए आंकड़े 80 प्रतिशत से ज्यादा से संबंधित हैं।

में 91% और मणिपुर में 89% है वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में मकान परिसरों के भीतर शौचालय सुविधाओं की अभिगम्यता 25% से कम परिवारों के पास है (सारणी 9.9)।

9.50 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार (77), छत्तीसगढ़ (75), झारखंड (78) तथा ओडिशा (78) के राज्य हैं जिनमें 75 प्रतिशत से अधिक परिवारों के पास शौचालय सुविधा बिल्कुल नहीं है। इस संदर्भ में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने, स्वच्छता में वृद्धि करने तथा खुले में मलत्याग करने की स्थिति को समाप्त करने हेतु प्रयासों को तेज करने का कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य देश के गांवों, कस्बों तथा शहरों में ठोस तथा द्रव अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएस) परियोजनाओं को प्राप्त करके लोगों में बेहतर साफ-सफाई की आदतें बढ़ाना तथा स्वच्छता में सुधार करना भी है।

9.51 स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने से स्वच्छता की प्रगति में तेजी आयी है। मिशन के प्रथम वर्ष में, अर्थात् 2.10.2014 से 2.10.2015 तक 60 लाख के अपेक्षित परिणाम के मुकाबले 88 लाख शौचालय बनाए गए थे। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 122 लाख से अधिक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। स्वच्छता कवरेज, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार 31 दिसंबर, 2015 को, जो 40.60 प्रतिशत पर था, बढ़कर लगभग 48.8 प्रतिशत हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लाभ तभी देगा जब यदि निर्मित शौचालयों का रख-रखाव और उपयोग लाभार्थियों द्वारा उनके निर्माण के बाद किया जाता है।

9.52 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता में सुधार करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूसी) ने 6000 करोड़ रुपए की लागत से ''ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना - कम आय वाले राज्य'' नामक विश्व बैंक समर्थित एक नई परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य उन चार कम आय वाले राज्यों अर्थात् असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में, जिनके पास कम से कम पाइप वाली जलापूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं हैं, 7.8 मिलियन ग्रामीण जनता को सुरक्षित 24X7 पेयजल की आपूर्ति कराना है। 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, परियोजना ने, सशक्त ग्राम पंचायत जन एवं स्वच्छता समितियों की विकेन्द्रित प्रदाय कार्यप्रणाली सहित, 275 एकल और बहुग्रामीण पाइप वाली पेयजल आपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन किया है।

गरीबी

9.53 एनएसएसओ द्वारा इसके 68वें दौर (2011-12) में एकत्रित परिवार खपत व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेंदुलकर समिति की विधितंत्र पर आधारित अनुमान यह दर्शाता है कि पूरे देश में गरीबी वर्ष 2004-05 में 37.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2011-12 में 21.9 प्रतिशत हो गयी है, जिसमें ग्रामीण गरीबों की संख्या तेजी से घटी है, जबकि ग्रामीण गरीबी अनुपात वर्ष 2004-05 में 41.8 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2011-12 में 25.7 प्रतिशत हो गया है। शहरी गरीबी अनुपात वर्ष 2004-05 में 25.7 से गिरकर वर्ष 2011-12 में 13.7 प्रतिशत हो गया है उच्च ग्रामीण गरीबी, निर्वाह कृषि के

सारणी 9.10 : वर्ष 2011-12 में राज्यवार गरीबी की स्थिति

गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत	ग्रामीण गरीबी	शहरी गरीबी	कुल गरीबी
10 से कम	गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम	गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा	गोवा, केरल, हिमाचल, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश,
10 से 20	आंध्र, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड,	राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, नगालैंड, ओडिशा	जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड
20 से 30	गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक	अरुणाचल, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश
30 से 40	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मिजोरम,	बिहार, मणिपुर	मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़
40 से ऊपर	झारखंड, छत्तीसगढ़		

***स्रोत:* नीति आयोग 2011-12 के अनुमानों के आधार पर**

कारण कृषि आय में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सतत जीविका की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की कमी, ग्रामीण आय संबंधी खाद्य उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव, कौशल की कमी, अल्प नियोजन तथा बेरोजगारी के कारण हो सकती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य स्तरीय गरीबी निम्नलिखित सारणी 9.10 में दी गयी है।

मानव विकास : अंतरराष्ट्रीय तुलना

9.54 मानव विकास रिपोर्ट, (एचडीआर) 2015 के अनुसार भारत का 188 देशों में 130वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) आयु संभाविता, शैक्षणिक योग्यता तथा प्रति व्यक्ति आय के मानकों पर आधारित है। यह देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का वैकल्पिक संकेतक है। वर्ष 2014 के लिए भारत का एचडीआई मूल्य 0.609 है। वर्ष 2009 तथा 2014 (सारणी 9.11) के बीच भारत की रैंकिंग में 6 अंकों का सुधार हुआ है। ब्रिक्स समूह के अन्य देशों की तुलना में, भारत का स्थान सबसे नीचे रहा है जिसमें रूस का स्थान 50वां, ब्राजील का स्थान 75वां, चीन का स्थान 90वां तथा दक्षिण अफ्रीका का स्थान 116वां रहा।

9.55 भारत का 0.609 का मानव विकास सूचकांक मध्यम मानव विकास समूह (0.630) में हुए देशों की औसत से भी कम है किंतु दक्षिण एशियाई देशों (0.607) की मानव विकास सूचकांक औसत के मुकाबले मामूली रूप से अधिक है। 1980 और 2014 के बीच, भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति बढ़कर लगभग 338 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में, जन्म के समय भारत में जीवन प्रत्याशा (एलईबी) बढ़कर 14.1 वर्ष हो गयी, औसत स्कूलिंग वर्ष में 3.5 वर्ष की वृद्धि हो गई और प्रत्याशित स्कूलिंग वर्ष बढ़कर 5.3 वर्ष हो गई। ब्रिक्स समूह के अन्य राष्ट्रों के मुकाबले, भारत के औसत स्कूलिंग वर्ष सबसे कम होने की रिपोर्ट मिली है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ब्राजील, चीन और रूस के मुकाबले कमतर रही जबकि दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले अधिक रही। बांग्लादेश जिसकी भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कमतर रही उसकी भारत के मुकाबले जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अधिक रही (सारणी 9.12)। भारत में शिक्षा के संकेतकों, जैसा कि मानव विकास सूचकांक द्वारा इंगित किया गया है, यह दर्शाते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति में अत्यधिक तीव्र, व्यापक विस्तार और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सारणी 9.11 वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2014 में भारत की स्थिति

देश	मानव विकास सूचकांक 2014		रैंक में परिवर्तन	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ($)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष (वर्ष)	स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत (वर्ष)	आय असमानता		लैंगिक असमानता सूचकांक (जी आई आई) 2014	
								पांचवां अंश आय अनुपात	आय गिनी-गुणांक		
	मूल्य	रैंक	2009-14	2014	2014	2014[क]	2014[क]	2005-13		मूल्य	रैंक
नॉर्वे	0.944	1	0	64992	81.6	17.5	12.6	4.0	26.8	0.067	9
जर्मनी	0.916	6	3	43919	80.9	16.5	13.1	4.7	30.6	0.041	3
संयुक्त राज्य अमरीका	0.915	8	-3	52947	79.1	16.5	12.9	9.8	41.1	0.280	55
यूनाइटेड किंगडम	0.907	14	-2	39267	80.7	16.2	13.1	7.6	38.0	0.177	39
रूसी संघ	-	50	8	22352	70.1	14.7	12.0	7.3	39.7	0.276	54
मलेशिया	0.779	62	1	22762	74.7	12.7	10.0	11.3	46.2	0.209	42
श्रीलंका	0.757	73	5	9779	74.9	13.7	10.8	5.8	36.4	0.370	72
ब्राजील	0.755	75	3	15175	74.5	15.2	7.7	16.9	52.7	0.457	97
चीन	0.727	90	13	12547	75.8	13.1	7.5	10.1	37.0	0.191	40
मिस्र	0.690	108	-3	10512	71.1	13.5	6.6	4.4	30.8	0.573	131
इंडोनेशिया	0.684	110	3	9788	68.9	13.0	7.6	5.7	38.1	0.494	110
दक्षिण अफ्रीका	0.666	116	4	12122	57.4	13.6	9.9	28.5	65.0	0.407	83
भारत	**0.609**	**130**	**6**	**5497**	**68.0**	**11.7**	**5.4**	**5.0**	**33.6**	**0.563**	**130**
बांग्लादेश	0.570	142	0	3191	71.6	10.0	5.1	4.7	32.1	0.503	111
पाकिस्तान	0.538	147	0	4866	66.2	7.8	4.7	4.1	29.6	0.536	121
विश्व	**0.711**			**14301**	**71.5**	**12.2**	**7.9**			**0.449**	

स्रोत: एचडीआर- 2015

टिप्पणी: [क] वर्ष 2014 अथवा बिल्कुल हाल के वर्ष से संबंधित उपलब्ध आंकड़े। $: सकल राष्ट्रीय आय 2011 में डालर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) पर आधारित है। एलईबी जन्म पर जीवन प्रत्याशा है।

9.56 मानव विकास सूचकांक के साथ-साथ, सभी 188 देशों की एचडीआर 2015 में लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) की रिपोर्ट दी गई है। भारत में महिलाओं का मानव विकास सूचकांक मूल्य 2014 में 0.525 रहा जोकि 2013 में उसके मुकाबले अपरिवर्तित रहा जैसा कि सारणी 9.13 में देखा जा सकता है। पाकिस्तान को छोड़कर, दक्षिण एशिया के सभी अन्य 4 देशों ने भारत के मुकाबले महिलाओं को अधिक एचडीआई मूल्य की सूचना दी है। भारत के संदर्भ में बालिकाओं का औसत स्कूलिंग बालकों की तुलना में वर्ष 3.6 वर्ष कमतर है, जो कि भारत के सांस्कृतिक संदर्भ में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाता है।

9.57 सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों, जोकि महिलाओं को परिवार के बाहर आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने से रोकते हैं, के अलावा, शिक्षा और कौशलों की कमी आर्थिक गतिविधि में भागीदारिता से उन्हें रोकती हैं जिसके कारण आगे चलकर महिलाएं दरिद्रता और दमन की शिकार होती हैं। अनेक, वर्तमान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या में महिलाओं के बड़े अनुपात के साथ लैंगिक असमानता संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाए जोकि भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक-आर्थिक माहौल में व्याप्त हैं। अत: यह आवश्यक है कि देश में व्याप्त लैंगिक असमानता का समाधान किया जाए जोकि शिक्षा स्वास्थ्य एवं भारत के अन्य सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त है।

सारणी 9.12 : चुनिंदा देशों के मानव विकास सूचकांकों के घटक सूचकांक 2014 और 1980

देश	मानव विकास सूचकांक 2014					विकास सूचकांक 1980				
	जन्म के समय प्रत्याशा (वर्ष)	स्कूली शिक्षा के प्रत्याकशित वर्ष (वर्ष)क	स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत (वर्ष)क	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ($)	मानव विकास सूचकांक मूल्य	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	स्कूली शिक्षा के प्रत्याकशित वर्ष (वर्ष)	स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत (वर्ष)	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ($)	मानव विकास सूचकांक मूल्य
रूसी संघ		14.7	12.0	22352	0.798	67.3	12.2	7.1		
श्रीलंका	74.9	13.7	10.8	9779	0.757	68.2	10.0	7.1	2562	0.571
ब्राजील	74.5	15.2	7.7	15175	0.755	62.0	9.9	2.5	10457	0.547
चीन	75.8	13.1	7.5	12547	0.727	66.5	8.4	3.9	758	0.430
दक्षिण अफ्रीका^	57.4	13.6	9.9	12122	0.666	56.9	11.1	4.8	9756	0.569
भारत	**68.0**	**11.7**	**5.4**	**5,497**	**0.609**	**53.9**	**6.4**	**1.9**	**1255**	**0.362**
बांग्लादेश	71.6	10.0	5.1	3191	0.570	53.5	4.9	2.0	1148	0.338
पाकिस्तान	66.2	7.8	4.7	4866	0.538	57.0	3.7	1.8	2437	0.353

स्रोत: **एचडीआर- 2015**

टिप्पणी: क- वर्ष 2014 अथवा बिल्कुल हाल के वर्ष से संबंधित उपलब्ध आंकड़े। $: सकल राष्ट्रीय आय 2011 में डालर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) पर आधारित है। ^दक्षिण अफ्रीका के संबंध में 1980 के आंकड़े एचडीआर 2014 पर आधारित हैं।

सारणी 9.13: चुनिंदा देशों की जीडीआई घटक सूचकांक, 2014

देश	जीडीआई		मानव विकास सूचकांक मूल्य		एलईबी वर्षों में		स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष		स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत		प्रति व्यक्ति जीएन. आई $ में	
	मूल्य	समूह										
	2014		2014		2014क		2014क		2014		2014	
	मूल्य	समूह	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
श्रीलंका	0.948	3	0.730	0.769	78.2	71.5	14.2	13.3	10.7	10.9	5452	14307
चीन	0.943	3	0.705	0.747	77.3	74.3	13.2	12.9	6.9	8.2	10128	14795
भारत	**0.795**	**5**	**0.525**	**0.660**	**69.5**	**66.6**	**11.3**	**11.8**	**3.6**	**7.2**	**2116**	**8656**
बांग्लादेश	0.917	4	0.541	0.590	72.9	70.4	10.3	9.7	4.5	5.5	2278	4083
पाकिस्तान	0.726	5	0.436	0.601	67.2	65.3	7.0	8.5	3.1	6.2	1450	8100

स्रोत: **एचडीआर- 2015**

टिप्पणी: महिला तथा पुरूष के एचडीआई मूल्यों में उनके निरपेक्ष विपथन के आधार पर देशों को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। समूह 5, 10 प्रतिशत निरपेक्ष विपथनों के साथ पुरूष तथा महिला के बीच एचडीआई मूल्यों की कम समानता प्रदर्शित करता है।

क- विशिष्टि अवधि के दौरान वर्ष 2014 अथवा हाल के वर्ष से संबंधित उपलब्ध आंकड़े : $ सकल राष्ट्रीय आय 2011 में डालर क्रय शक्तिर समानता (पीपीपी) पर आधारित है।

लैंगिक मुद्दे

9.58 भारत में लैंगिक असमानता जोकि सामाजिक ताना-बाना में सन्निहित है जो शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक अवसरों में पहुंच जैसे अधिकांश क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव जारी है। लैंगिक गुणता और न्याय के लिए विधिक प्रणाली पर लैंगिक समानता और न्याय देने वाली कानूनी प्रणाली पर निर्भरता में न्याय दिलाने में समय सीमा निर्धारित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त कवरेज वाली योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भरता, परिव्यय, सुपुर्दगी तंत्रों में अक्षमता और दोहन, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और विधिक स्थिति यह दर्शाती है कि विभिन्न संकेतकों में अपर्याप्त सुधार हुआ है। भारत में लैंगिक भेदभाव की शुरूआत गर्भ में ही लिंग निर्धारण संबंधी जांचों और मादा भ्रूण के गर्भपात से होता है। बालिकाओं को दी जाने वाली पोषण संबंधी भेदभाव, बालिकाओं के स्कूलिंग में भिन्नता, जोकि बालकों की तुलना में बालिकाओं को सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उच्चतर शिक्षा में पहुंच की अपर्याप्तता अथवा कमी, रोजगार और मजदूरी देने के अवसरों और विरासत में समान भागीदारी में भेदभाव से होता है।

9.59 इन प्रत्येक भेदभावों के समाधान के लिए समाज और सरकार विधिक मार्ग पर निर्भर है जोकि सभी क्षेत्रों से समाज में नेताओं द्वारा निर्धारित सामाजिक समरसता अथवा रोल मॉडल में परिवर्तन किए बगैर हो। विधिक मार्ग को खासकर न्याय निपटाने हेतु लिए गए समयावधि के संदर्भ में, कई कमियों से गुजरना पड़ता है। उपर्युक्त प्रत्येक भेदभाव के लिए एक कानून बना है। इसलिए भेदभावों के सभी कृत्य गैरकानूनी हैं। तथापि, अनुपालन किए जाने की अधिक आवश्यकता है।

9.60 2013 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सूचित कॉर्ट ऑफ लॉ द्वारा लिए गए महिलाओं के खिलाफ अपराध को शामिल करते हुए मामलों के निपटान की स्थिति के अनुसार 38901 दहेज से होने वाली मृत्यु में से केवल 13.6 प्रतिशत केस दर्ज किए गए, जिसमें से 4.4 केसों में दंडित किया गया। कानून के तहत मामलों के धीमे निपटान और 'दहेज से होने वाली मृत्यु' जैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कम दण्ड दरों से दण्ड का निवारक प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है।

9.61 समग्र आर्थिक सुधार द्वारा बड़े पैमाने पर सामाजिक समस्या का निदान किया जा सकता है जिससे परिवार के लिए और परिवार के महिला सदस्यों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के मूल अधिकारों से कम वंचित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के प्रत्यक्ष आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग में शिक्षा, कौशल विकास और गतिविधि की उत्पादकता वाले क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार की आवश्यकता है।

9.62 महिलाएं अभी भी आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की परिधि से बाहर हैं। 2012 में, 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मूल सांख्यिकी विवरणों के अनुसार' केवल 24.2 प्रतिशत महिलाओं के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में, खाताधारक महिलाओं की प्रतिशतता 25.5 रही जबकि शहरी क्षेत्रों में खाताधारक करने वाले महिलाओं का प्रतिशत 23.6 प्रतिशत रहा। 2014 तक, खाते धारण करने वाले महिलाओं का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर केवल 27.5 प्रतिशत रहा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़कर 26.9 प्रतिशत हो गया और शहरी क्षेत्रों में खाताधारक महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 27.2 प्रतिशत हो गया। हालांकि, मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में केवल 29.7 प्रतिशत महिलाओं के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाते थे। तथापि, भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में जुझती चुनौतियों के बावजूद, वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं द्वारा की गई उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं (बॉक्स 9.5)।

निष्कर्ष

9.63 यह आवश्यक है कि विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि सरकारी विद्यालयों में किए जाने वाले नामांकन में गिरावट न आए और सरकारी और निजी, दोनों, विद्यालयों में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण योगदान योग्य शिक्षकों का होता है।

9.64 द्विअंकीय वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु नवोन्मेष प्रतिदर्शों के माध्यम से विकास क्षेत्र की चुनौतियों को दूर किया जाए। इनका विकास अवसंरचना के विकास के बगैर देश का विकास अधूरा है। जनसांख्यिकी के रूप में भारत के पास मौजूद सुविधाओं, जो कि उत्पादक आयु समूह के एक बड़े घटक के रूप में मौजूद है, को

बॉक्स 9.5: बैंकिंग क्षेत्र में महिला प्रमुख (पूर्व और वर्तमान)

नाम	संगठन
उषा थोराट	भारतीय रिजर्व बैंक
श्यामला गोपीनाथ	भारतीय रिजर्व बैंक
केजे उदेशी	भारतीय रिजर्व बैंक
अरुंधति भट्टाचार्य	भारतीय स्टेट बैंक
उषा अनन्था सुब्रमणियन	भारतीय महिला बैंक / पंजाब नेशनल बैंक
विजयलक्ष्मी अय्यर	बैंक ऑफ इंडिया/आईआरडीए
अंशुला कांत	भारतीय स्टेट बैंक
एच ए दारूवाला	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शुभलक्ष्मी पानसे	इलाहाबाद बैंक
उषा सांगवान	जीवन बीमा निगम
ऐलिस जी. वैद्यन	सामान्य बीमा निगम
ललिता डी. गुप्ते	आईसीआईसीआई बैंक
चंदा कोचर	आईसीआईसीआई बैंक
मीरा सान्याल	रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड
कल्पना मोरपारिया	जेपी मॉर्गन इंडिया
शिखा शर्मा	ऐक्सिस बैंक
नैना लाल किदवई	एचएसबीसी इंडिया
आयशा डी सकीरा	मॉर्गन स्टेनली
विशाखा मूल्ये	आईसीआईसीआई वेंचर्स/बैंक
काकू नखाटे	बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच
वेदिका भंडारकर	क्रेडिट सुइस भारत
उमा कृष्णन	बार्कलेज इंडिया
मनीषा गिरोत्रा	यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज. रलैंड, इंडिया
जरीन दारुवाला	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
रेणु सूद कर्नाड	एचडीएफसी
दीना मेहता	बंबई स्टॉक एक्सचेंज
चित्रा रामकृष्ण	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

भुनाने और आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक अवसंरचना को नए प्रेरकों की आवश्यकता होगी, जिसमें मानव पूंजी की गुणवत्ता को सुधारने की लिए क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने विविध जनसंख्या की शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए हाशिए पर रह रहे वर्गों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराने सहित अपनी विविध जनसंख्या की शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सरकार ने तकनीकी मंचों की क्षमता को चिन्हित किया है जो तंत्र की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार कर सकता है।

9.65 समावेशन हेतु समर्थक और विसर्पण की रोकथाम करके कुशल सेवाओं के मुहैयाकर्ता के रूप में तकनीकी एक अहम भूमिका निभाती है। सरकार ने तकनीकी समर्थित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की कायाकल्प करने की क्षमता की शुरूआत की है (डीवीडी) अर्थात् जो जैम (जनधन आधार मोबाइल), नम्बर ट्रिनीटी सोल्यूशन, जो कि उन सभी के लिए प्रभावी रूप से लक्ष्य, लोक संसाधनों की उत्साहपूर्ण संभावनाओं की पेशकश करता है जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है और उन सभी को शामिल करता है जो बहुविध कारणों से वंचित रहे हैं। यह प्रगति सब्सिडी व्यवस्था की जांच और आधार-डीबीटी की ओर जाने के साथ पहले ही स्पष्ट है। इससे व्यय यौक्तिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और अब तक पता न लगा पाए लाभार्थियों की सूची से जाली और नकली लाभार्थियों को हटाना सुनिश्चित कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी धन की प्रचुर बचत होगी। छह डीबीटी स्कीमों की लाभार्थी डाटा बेस में आधार सीडिंग (एलपीजी-डीबीटीएल हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) 54.96 प्रतिशत, एमजीएनआरईजीएस - 54.10 प्रतिशत, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 42.45 प्रतिशत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड): 38.96 प्रतिशत, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 24.31 प्रतिशत और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 17.55 प्रतिशत, जोकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमति प्राप्त है, में दिसम्बर, 2015 के अंत तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोत्तरी हुई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराने की संभावना के प्रौद्योगिकीय मंच पर सवार होकर विभिन्न लाभार्थी डाटाबेस को आधार के साथ जोड़कर और समुचित प्रक्रिया को पुनः प्रबंधन के परिणामस्वरूप प्रयास, समय और लागत की काफी बचत होगी और इसके साथ ही सरकार से लाभार्थी को मिलने वाले प्रवाह का पूर्णतया पता लगता रहेगा। तकनीकी अंतर्वेशन के माध्यम से निधियों के प्रवाह की पारदर्शिता और जवाबदेही जनसंख्या के लिए ऐच्छिक शैक्षिक और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को ले आएगा और भविष्य में अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।